



वार्षिक रिपोर्ट 2018-19



इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

पांचवां तल, ब्लॉक 2, प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110 023
फोन : 91-11- 24662777 फैक्स : +91-11-20815125
सीआईएन - U67190DL2006GO1144520 वेबसाइट : www.iifcl.org



विजन

भारत में विश्व-स्तरीय अवसंरचना को प्रोत्साहित और विकसित करने के लिए अभिनव वित्तपोषण समाधान प्रदान करना

मिशन

"अवसंरचना के वित्तपोषण में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को अपनाना और अवसंरचना विकास सुगम बनाने के लिए मूल सक्षमता विकसित करना। पेशेवर ढंग से सेवाएं प्रदान करने के लिए और सभी हितधारकों की संतुष्टि तक अत्यधिक प्रवृत्त कर्मचारियों की टीम विकसित करना

प्रबंध निदेशक की कलम से



देवियो और सज्जनों,

आपकी कंपनी की 14वीं वार्षिक आम बैठक के अवसर पर आपको संबोधित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है।

आपकी कंपनी का विकास वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भी जारी रहा, चूंकि प्रत्यक्ष ऋण, टेकआउट वित्तपोषण और पुनर्वित्तपोषण के अंतर्गत सकल संस्वीकृतियों में वर्ष-दर-वर्ष 17 प्रतिशत बढ़कर 9,394 करोड़ रुपए रहा जबकि वितरण 40 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर वर्ष के दौरान 5,766 करोड़ रुपए हो चुके हैं। प्रत्यक्ष ऋण, टेकआउट वित्त और पुनर्वित्त योजनाओं के अंतर्गत आपकी कंपनी द्वारा 591 परियोजनाओं के लिए दी गई संचयी सकल संस्वीकृतियां 1,26,602 करोड़ रुपये हो गई जबकि 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, प्रत्यक्ष ऋण, टेकआउट वित्तीय और पुनर्वित्तीय योजनाओं के अंतर्गत आपकी कंपनी द्वारा 389 परियोजनाओं के लिए किया गया संचयी संवितरण 65,901 करोड़ रुपये रहा। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी का बकाया ऋण, जो 31 मार्च 2018 को 32,585 करोड़ रुपए था, 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 35,130 करोड़ रुपए हो गया।

प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत, वर्ष 2018-19 के दौरान, आपकी कंपनी ने 5,344 करोड़ रुपए की वार्षिक सकल संस्वीकृतियों की और 1,716 करोड़ रुपए के वार्षिक संवितरण किए। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, 8 लाख करोड़ रुपए से

अधिक की कुल परियोजना लागत वाली 483 अवसंरचना परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत संचित सकल संस्वीकृतियां बढ़कर 86,403 करोड़ रुपए हो गईं, जबकि योजना के अंतर्गत संचयी संवितरण में 39,207 करोड़ रुपए तक की बढ़ोत्तरी हुई। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत 373 निवल संस्वीकृत परियोजनाओं में से, 346 परियोजनाओं अर्थात् 93 प्रतिशत ने वित्तीय पूर्णता प्राप्त की। साथ ही 31 मार्च 2019 तक, आपकी कंपनी द्वारा संस्वीकृत 20 परियोजनाओं (निवल) में से, (जहां आपकी कंपनी ने अग्रणी ऋणदाता के तौर पर काम किया था), 19 परियोजनाओं ने वित्तीय पूर्णता प्राप्त की। वर्ष 2018-19 के दौरान, आपकी कंपनी ने चार वित्तीय संस्थाओं को पुनःवित्तपोषण योजना के तहत 4,050 करोड़ रुपए की संस्वीकृति प्रदान की और इन संस्वीकृतियों के सापेक्ष उस वित्त वर्ष के भीतर 4,050 करोड़ रुपए के संवितरण किए गए।

भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने से, आपकी कंपनी के लिए प्रावधानों संबंधी अपेक्षाएं संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) आधारित पद्धति की वजह से बढ़ गई हैं। आपकी कंपनी ने मार्च 2019 तक 1,805 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त प्रावधान प्रदान किए। इन प्रावधानों का लाभप्रदता पर होने वाले अतिरिक्त दबाव के बावजूद, आपकी कंपनी लाभों में उल्लेखनीय रिकवरी दर्शाने में सक्षम रही और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 102 करोड़ रुपए का निवल लाभ दर्ज किया, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आईजीएएपी के अनुसार 1,155 करोड़ रुपए की हानि थी (जिसे भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार 1,528 करोड़ रुपए के रूप में पुनः उल्लिखित किया गया)। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, सरकार ने आपकी कंपनी में 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इक्विटी शेयर पूंजी का निवेश किया। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भी आपकी कंपनी को 500 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर पूंजी प्राप्त हुई, जिससे कुल इक्विटी 4,689 करोड़ रुपए हो गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 957 करोड़ रुपए के सापेक्ष, 722 करोड़ रुपए के ऋण खातों को बट्टे खाते में डाला। आपकी कंपनी की सकल एनपीए, कुल अवसंरचना ऋणों के प्रतिशत के रूप में, मार्च 2019 में 18.53 प्रतिशत तक पहुंच चुकी थी, जबकि निवल एनपीए कुल अवसंरचना आस्तियों का 9.84 प्रतिशत तक पहुंच गई। आपकी कंपनी आस्तियों की अधिक से अधिक वसूली और एनपीए की राशि तथा अपनी ऋण बहियों में बट्टे खाते की राशि को सीमित करने के लिए सुधारात्मक और निवारक दोनों प्रकार के उपाय कर रही है। आपकी कंपनी का जोखिम (भारित) अस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2019 में सुविधाजनक 13.63 प्रतिशत पर था, जिसे मार्च 2022 तक धीरे धीरे बढ़कर 15 प्रतिशत होने की संभावना है।

अर्थव्यवस्था की स्थिति

भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2018-19 में विश्व में भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बनी रही, हालांकि इसकी वृद्धि 2017-18 में 7.2 से थोड़ी सी घटकर 2018-19 में 6.8 हो गई थी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 2019-20 में अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है। भारत के समष्टि आर्थिक संकेतक भी 2018-19 के दौरान स्थिर रहे। उपभोक्ता मूल्यवृद्धि 2018-19 के दौरान 5 प्रतिशत के भीतर रही और मार्च 2019 में 2.86 प्रतिशत पर थी। भारत का एफडीआई प्रवाह 2018-19 के दौरान 64.37 बिलियन अमरीकी डॉलर पर मजबूत बना रहा, जिसमें गत वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां मार्च 2019 के अंत में 412 बिलियन अमरीकी डॉलर थीं और जुलाई 2019 तक ये अब तक की सर्वाधिक 428 बिलियन अमरीकी डॉलर हो चुकी थी। विश्व बैंक की ड्रूब बिजनेस (डीबी) रिपोर्ट, जो अक्टूबर 2018 में जारी हुई, के अनुसार भारत ने 190 देशों में अपनी स्थिति सुधारकर 77 वें पायदान पर कर ली थी, जो पिछले स्तर अर्थात् 100 की तुलना में 23 स्थान ऊपर था। बजट 2019-20 में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय घाटा जीडीपी का 3.3

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

प्रतिशत होने की उम्मीद की गई। तथापि, भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2019-20 की प्रथम तिमाही के दौरान थोड़ी सी घटकर 5 प्रतिशत पर हो गई थी, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही के दौरान 5.8 प्रतिशत से कम थी, यह इस चिंता को रेखांकित करता है कि सरकार के वित्तीय समेकन के प्रयास इस वर्ष के दौरान चुनौतीपूर्ण रहेंगे।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र

पिछले कुछ वर्ष भारतीय बैंकों के लिए परीक्षा की घड़ी रहे हैं चूंकि वे खराब होती आस्ति गुणवत्ता के साथ संघर्ष कर रहे थे जिसका परिणाम अधिक प्रावधानों, गिरती लाभप्रदता और कमजोर पूंजी स्थित के रूप में हुआ। तथापि, सरकार द्वारा विनियामक और पर्यवेक्षी रूपरेखा को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक पहलें की गईं जिनका लक्ष्य बैंकिंग प्रणाली की तन्त्र्यता को बढ़ाना था। ऋणशोधन-क्षमता और दिवालियापन प्रक्रिया (आईबीसी) के सृजन से बड़ी संख्या में अनर्जक आस्तियों को आईबीसी प्रक्रिया में लाने में मदद मिली है। इसके अतिरिक्त, आईबीसी के अंतर्गत उत्पन्न नियंत्रण को खो देने के डर से देश की ऋण संस्कृति में परिवर्तन लाने में सहायता प्राप्त हुई है।

रिजर्व बैंक के 12 फरवरी, 2018 के परिपत्र को अमान्य घोषित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के दृष्टिगत, आरबीआई ने 7 जुलाई, 2019 को नए दिशानिर्देश जारी किए। दबावग्रस्त आस्तियों पर संशोधित विवेकपूर्ण रूपरेखा से एक समाधान योजना (आरपी) की शीघ्र अंगीकरण के लिए प्रोत्साहन उत्पन्न होता है। नई रूपरेखा अंतर-ऋणदाता करारों को अनिवार्य बनाती है और बहुमत के निर्णय को मान्य करने का प्रावधान करती है। इससे वित्तीय क्षेत्र में ऋण संस्कृति में सुधार आने की संभावना है। संकेद्रण जोखिमों के बेहतर प्रबंधन के लिए और भारतीय बैंकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी एक संशोधित लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) लागू किया।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा की गई अनेक पहलों के परिणामस्वरूप, जिनमें एनपीए की पारदर्शिता को पहचानने, दबावग्रस्त लेखों से स्वच्छ और प्रभावी विधियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से मूल्य का समाधान करने और वसूली करने, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सुधार एजेंडा के माध्यम से बैंकों में सुधार लाने के लिए 4आर की रणनीति शामिल है, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का चक्र उल्टा घूमता प्रतीत होता है।

पीएसबी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1.23 लाख करोड़ रुपये की रिकार्ड वसूली दर्ज की। आस्ति गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार आया है, जो वित्त वर्ष 2018-19 में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में वर्ष-दर-वर्ष 45 प्रतिशत कमी में परिलक्षित होता है। पीएसबी की सकल एनपीए में मार्च 2019 में 8.06 लाख रुपए की तुलना में रु.89,189 करोड़ की कमी दर्ज की है। पीएसबी की ऋण वृद्धि, जो 2016-17 में 0.78 प्रतिशत थी, 2018-19 में उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 7.51 प्रतिशत हो गई है और, जैसे जैसे आने वाले वर्षों में बैंकों की हालत में सुधार होगा, इसके और तेज होने की आशा है। सरकार ने भी 10 पीएसबी को चार में विलय करने की घोषणा की है, क्योंकि इसका लक्ष्य मजबूत और प्रतिस्पर्धी बैंक सृजित करना है, जो विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करें। परियोजना वित्त में सम्यक तत्परता सुनिश्चित करने के लिए, पीएसबी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीतियों में अब संवितरण से पहले आवश्यक मंजूरी/अनुमोदन, समूह के तुलन पत्र की जांच-पड़ताल और नकदी प्रवाहों की घेराबंदी का संयोजन करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे कदमों से भारत में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति में सुधार आने की आशा है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है क्योंकि सकल एनपीए मार्च 2018 में 11.6 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2019 में गिरकर 9.3 प्रतिशत रह गया है। सभी एससीबी के लिए प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2018 में 48.3 की तुलना में तेजी से बढ़कर 60.7 प्रतिशत हो गया, जिससे बैंकिंग सेक्टर में रेजीलियेंस में वृद्धि हुई है। एससीबी के पूंजी से जोखिम (भारित) अस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) में भी, पीएसबी के पुनःपूंजीकरण के बाद, सितंबर 2018 में 13.7 प्रतिशत से सुधार होकर मार्च 2019 में 14.3 प्रतिशत हो गया है।

इस बीच, एनबीएफसी सेक्टर के सामने 2018-19 के दौरान अनेक चुनौतियां आईं, क्योंकि वे कॉर्पोरेट गवर्नंस के मुद्दों के बीच आस्ति-देनदारी के अनुपयुक्त मेल में उलझे रहे। जो संकट सितंबर 2018 में सामने आया, उसकी परिणामस्वरूप पहली तिमाही में चलनिधि में बहुत कमी आने की वजह से एनबीएफसी ऋणों में जबर्दस्त कमी आई, चूंकि वित्तयन की लागतों में वृद्धि हो गई। जनवरी 2019 के दौरान प्रकाश में आई एस्सेल ग्रुप के ऋण की समस्याओं ने बाजार के आत्मविश्वास को और कम कर दिया। आत्मविश्वास में आई कमी के बावजूद, मजबूत मूलभूत संरचना वाली बेहतर प्रदर्शन करने वाली एनबीएफसी अपनी चलनिधि का प्रबंधन करने में सक्षम रहीं। जून 2019 में जारी आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में बड़ी आवास वित्त पोषण कंपनियों एचबीसी/एनबीएफसी पर अधिकाधिक निगरानी को रेखांकित किया गया है और उल्लेख किया गया है कि सबसे बड़ी एचबीसी/एनबीएफसी की विफलता के कारण बड़े बैंकों द्वारा उत्पन्न की गई हानियों के समतुल्य हानि उत्पन्न हो सकती है। एनबीएफसी के लिए अधिक मजबूत आस्ति देनदारी प्रबंधन (एएलएम) रूपरेखा की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, आरबीआई ने मई 2019 में एनबीएफसी के लिए एक ठोस चलनिधि रूपरेखा हेतु प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए हैं। प्रारूप दिशानिर्देशों के अनुसार, अप्रैल 2020 से आरंभ करके, एनबीएफसी को उच्च चलनिधि आस्तियों के रूप में न्यूनतम 60 प्रतिशत तरतता कवरेज अनुपात (एलसीआर) अनुरक्षित रखना होगा जो अप्रैल 2024 तक एक अंशांकित तरीके से 100 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त, बैंकों और एनबीएफसी को एक समान परिचालन क्षेत्र मुहैया कराने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक एनबीएफसी से संबंधित विनियामक और निगरानी रूपरेखाओं को एससीबी से संबंधित रूपरेखाओं के साथ संरेखित करता रहा है। सरकार का प्रस्ताव था कि जमा राशियां प्राप्त करने वाली एनबीएफसी तथा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा राशियां प्राप्त न करने वाली एनबीएफसी के मामले में अशोध्य या संदिग्ध ऋणों पर ब्याज आय को, एससीबी की तर्ज पर, प्राप्ति आधार पर कर पर प्रभारित किया जाएगा।

भारत में अवसंरचना क्षेत्र

वर्ष 2032 तक 10 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए, एक ठोस और लचीली अवसंरचना प्रणाली आवश्यक होती है, जो पर्याप्त निजी निवेश द्वारा समर्थित हो। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार, भारत को अपनी जीडीपी का 7-8 प्रतिशत

अवसंरचना पर प्रतिवर्ष खर्च करने की आवश्यकता है, जो वर्तमान में 200 बिलियन अमरीकी डॉलर के वार्षिक अवसंरचना निवेश में परिणीत होता है। तथापि, भारत अवसंरचना पर केवल लगभग 100-110 बिलियन अमरीकी डॉलर खर्च करने में सक्षम रहा है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 90 बिलियन अमरीकी डॉलर की कमी रह जाती है। केंद्रीय बजट 2019 में, सरकार ने अगले पांच वर्ष के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का निश्चय घोषित किया है। सरकार ने अवसंरचना परियोजनाओं की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी कार्यबल के गठन की घोषणा भी की है।

चूंकि बजटीय व्यय में आर्थिक दिक्कतें हैं, अवसंरचना में निजी निवेश के प्रवाह को गति देने की तात्कालिक आवश्यकता है। सरकार ने भारत में अवसंरचना क्षेत्र के विकास में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य, ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड और स्थिर परियोजनाओं में निवेश के अवसर मुहैया कराने के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) का गठन किया गया है। सरकार ने अवसंरचना कम्पनियों द्वारा निकाले जाने वाले बंधपत्रों की क्रेडिट रेटिंग में सुधार लाने के लिए अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एक क्रेडिट संवर्धन निधि के सृजन की घोषणा भी की है। आपकी कम्पनी एक कम्पनी के रूप में इस निधि की स्थापना के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) की सहायता कर रही है और इसकी 500 करोड़ रुपए की प्रस्तावित प्रारंभिक शेयर पूंजी के 22.50 प्रतिशत के अंशदान को अनुमोदित किया है, जो 112.50 करोड़ रुपए बनता है। अन्य नए वित्तपोषण माध्यम जैसे अवसंरचना निवेश न्यास (आईएनवीआईटी) रियल एस्टेट निवेश न्यास (आरआईटी) और टोल-आपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) मॉडल आदि धीरे-धीरे, किंतु ठोस तरीके से बाजार में स्वीकार्यता प्राप्त कर रहे हैं। केंद्रीय बजट 2019 में, सरकार ने आईएनवीआईटी और आरआईटी द्वारा जारी सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों से सहमत होने में एफपीआई को सक्षम बनाने के लिए मानकों को शिथिल किया है। केंद्रीय बजट 2019 के अनुसार ऐसे नए और नवप्रयोगी वित्तीय लिखतों के माध्यम से जुटाए जाने वाले संचयी संसाधन 24000 करोड़ रुपए से अधिक हैं।

सड़क एवं राजमार्ग क्षेत्र में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने, वर्ष 2017-18 में प्राप्त 9,829 किमी के लक्ष्य की तुलना में, 2018-19 में कम से कम 12,000 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जबकि सरकार का फोकस लंबित परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने का रहा है। इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण अनापत्तियों को सुचारु बनाना, अन्य मंत्रालयों के साथ गहन समन्वय, विवाद समाधान तंत्र का पुनरुत्थान आदि शामिल हैं। सम्पर्कता में सुधार लाने के प्रयास में सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, औद्योगिक गलियारों, प्रतिबद्ध मालभाड़ा गलियारों, भारतमाला और सागरमाला परियोजनाओं, जल मार्ग विकास और उड़ान योजनाओं के माध्यम से सभी तरीके की भौतिक सम्पर्कता को अत्यधिक बढ़ावा दिया है। भारतमाला कार्यक्रम के अंतर्गत, 9,613 किमी की कुल लंबाई वाली कुल 225 सड़क परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन मार्च, 2019 तक किया जा चुका है जिनकी कुल पूंजी लागत 2.43 लाख करोड़ रुपए है। सड़क क्षेत्र के लिए सरकार के आसित मौद्रिकरण कार्यक्रम (टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर) की भी बजटीय आवंटन में कमी को पूरा करने और राजमार्गों के विकास के लिए महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका होने की संभावना है। दूसरे दौर के प्रति धीमी प्रतिक्रिया को देखते हुए, नवीनतम बोली की सफलता अहम मायने रखती है, जबकि पहला दौर सफल और एनएचएआई की आशाओं से अधिक रहा था। अन्य नए मॉडल जैसे हाईब्रिड एन्युइटी मॉडल धीरे-धीरे ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। तथापि, वित्तीय पूर्णताओं में विलंब या कमी ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जोखिमभरा हो सकता है।

रेलवे सेक्टर में, सरकार ने घोषणा की थी कि वर्ष 2018 और वर्ष 2013 के बीच लगभग 50 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता है। चूंकि सरकार अकेली ऐसी भारी अपेक्षाओं के लिए प्रावधान नहीं कर सकती, इसका लक्ष्य रेल पटरियों के विकास और पूर्णता, रोलिंग स्टॉक के निर्माण और यात्री मालभाड़ा सेवाओं की डिलीवरी में पीपीपी के माध्यम से रेलवे में निजी निवेश को आकर्षित करने का है।

हवाईअड्डा क्षेत्र में, पूरे साल के यात्री यातायात वृद्धि, पिछले वर्ष के 24 प्रतिशत की तुलना में घटकर 2018-19 के दौरान यह 11.6 प्रतिशत रह गया, जो की पिछले पांच वर्ष की सबसे कम वृद्धि है। यात्री यातायात में गिरावट तब आती है जब एयरलाइन उद्योग को मिलने वाली उड़ानों की कम संख्या की वजह से हवाई किरायों में वृद्धि होती है। भारत के हवाईअड्डों की दशा में सुधार लाने और यातायात में सुधार लाने के उद्देश्य से, सरकार ने नवम्बर 2018 में जन निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से छह नए हवाईअड्डों का निजीकरण करने की योजना की घोषणा की। इन हवाईअड्डों में लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी शामिल हैं जिन्हें प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए 50 वर्ष की अवधि के लिए निजी विकासकर्ताओं को पट्टे पर दिया जाएगा। हवाईअड्डों के निजीकरण का अब तक का अनुभव अधिकांशतः सकारात्मक रहा है और इस कदम के परिणामस्वरूप सेवाओं में सुधार और बेहतर विमान आवागमन होने की आशा है।

बंदरगाह सेक्टर में, सागरमाला पहल के अधीन, 30 सितम्बर 2018 तक, 4.32 लाख करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत वाली कुल 522 परियोजनाएं कार्यान्वयन, विकास और पूर्णता की विभिन्न अवस्थाओं में थीं। वर्ष 2018-19 के दौरान, शिपिंग सेक्टर में एक प्रमुख पहल तटीय वारवहन के लिए अनुतट-व्यापार की शिथिलता, विदेशी जलयानों को भारतीय तट के साथ-साथ कंटेनर उठाकर ट्रांस-शिपमेंट हबों तक या खाली कंटेनरों को इन बंदरगाहों तक बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति देना है। इससे तटवर्ती शिपिंग की दरों में कमी लाने और भारतीय सीपोर्टों के लिए व्यापार को आकर्षित करने में सहायता मिली है। इसके अतिरिक्त, भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों ने, भारतीय पोर्ट्स एसोशिएशन के अनुसार, वर्ष 2018-19 के दौरान 699.04 मिलियन टन (एमटी) कार्गो हैंडलिंग करते हुए 2.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इस वृद्धि का मुख्य कारण कोयले, फर्टिलाइजरों और कंटेनरों की अधिक प्रबंधन था। औसत टर्नअराउंड टाइम 2017-18 के दौरान 24.43 घंटे से घटकर 2018-19 के दौरान (दिसम्बर 2018 तक) 59.93 हो गया। यातायात में सुधार और संवर्धित कार्यकुशलता से भारत में बंदरगाह सं संबंधित विकास को और बढ़ावा मिलने की आशा है।

ऊर्जा क्षेत्र में, जहां आपूर्ति से संबंधित दिक्कतों में काफी हद तक कमी आई है और भारत सार्वभौमिक विद्युत सुलभता का लक्ष्य हासिल करने

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

के पथ पर है, ऐसी अनेक चुनौतियां हैं जिनसे इस सेक्टर की वृद्धि बाधित होती रहेगी। वितरण सेगमेंट का स्वास्थ्य तात्कालिक चिंता का विषय है, चूंकि इसका निवेशकों के विश्वास और सेक्टर का ऋण की आपूर्ति पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है।

जेनकॉस की समस्या, जिसकी वजह से जेनकॉस को भुगतान में विलंब होता है, का समाधान करने के लिए, अगस्त 2019 से आरंभ करके, सरकार ने ऊर्जा क्रय करारों में भुगतान सुरक्षा तंत्र के भाग के रूप में वितरण कम्पनियों के लिए साख पत्र (एलसी) प्रदान करना अनिवार्य किया है। जैसा कि केंद्रीय बजट 2019 में घोषणा की गई थी, सरकार ऊर्जा सेक्टर के लिए सुधारों की श्रृंखला तैयार कर रही है, जिसमें टैरिफ नीति में संरचनागत सुधार के अतिरिक्त एक पुनर्जीवित उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकार क्रॉस सब्सिडी प्रभावों, उद्योग के लिए ओपन स्केल या केप्टिव जेनरेशन और अन्य थोक ऊर्जा ग्राहकों पर अवांछित शुल्कों को दूर करने पर भी काम कर रही है। इन नीतिगत घोषणाओं का इस सेक्टर की धारणीयता पर सीधा और उल्लेखनीय प्रभाव होने की आशा है। सरकार वर्ष 2022 तक 79 जीडब्ल्यू नवीकरणीय क्षमता की संस्थापना के अपने लक्ष्य की ओर भी तेजी से काम कर रही है। जून 2019 की स्थिति के अनुसार, सरकार की नवीकरण ऊर्जा क्षमता 79 जीडब्ल्यू तक पहुँच गई, जिसमें 29 जीडब्ल्यू सौर ऊर्जा और 36 जीडब्ल्यू पवन ऊर्जा शामिल हैं।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल

आईआईएफसीएल सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठन है और स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य, खेलों को बढ़ावा देने और हरित ऊर्जा जैसे मुख्य क्षेत्रों में इसकी अपनी एक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति है। आईआईएफसीएल की सीएसआर पहल के अन्तर्गत कार्यान्वित की जानेवाली परियोजनाएं देश के 24 राज्यों में लागू हैं और इसमें सामाजिक हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले विभिन्न क्षेत्र/लाभार्थी शामिल हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान, आईआईएफसीएल ने अपनी सीएसआर पहल के द्वारा विद्युत रहित क्षेत्रों में सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की सफलतापूर्वक संस्थापना की, लड़कों और लड़कियों के लिए शौचालय बनाए, एकीकृत ग्रामीण विकास और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए परियोजनाएं चलाई।

कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आईआईएफसीएल की सीएसआर पहलों के अंतर्गत 2.35 करोड़ रुपए की पूर्ण बजट धनराशि का वर्ष के दौरान उपयोग किया गया। आपकी कम्पनी ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान लगातार अपने आवंटित सीएसआर बजट का पूर्णतया उपयोग किया है।

सहायक कंपनियों की मुख्य बातें:

आईआईएफसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली, लंदन में स्थित, सहायक कंपनी, आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड ने 31 मार्च 2019 तक 3.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संचयी कर्ज संस्वीकृतियां (निरसनो का निवल) दीं और 2.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी संवितरण किए। आरबीआई की ऋण व्यवस्था के अतिरिक्त आईआईएफसी (यूके) द्वारा वित्तपोषण के नए स्रोतों की खोज की जा रही है ताकि भारत में अवसंरचनात्मक विकास को और अधिक वित्तपोषण किया जा सके।

आईआईएफसीएल आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएमसीएल), आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक अन्य सहायक कंपनी, वे सेवाएं मुहैया कराने में विशेषज्ञता प्राप्त है, जिनमें अवसंरचना सलाहकार सेवाएं, वित्तीय सलाहकार सेवाएं, संव्यवहार सलाहकार सेवाएं, परियोजना संरचना, मूल्यांकन और सम्मोहन शामिल हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, आईपीएल ने यूएन ईएससीएपी और एडीबी के साथ 'शहरी अवसंरचना: सार्वजनिक निजी भागीदारी और निगम वित्त नवप्रयोगों पर नया दृष्टिकोण' विषय पर दो दिवसीय दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए नीति आयोग के साथ 'ज्ञान और समर्थन भागीदार' के रूप में सहभागिता की। एडीबी और यूएन ईएससीएपी अंतरराष्ट्रीय सहभागी थे। आईपीएल ने हरित वित्तपोषण, निम्न कार्बन बढ़ावा देने, संरचना परियोजनाओं और तन्त्रकता एवं धारणीय अवसंरचना को बढ़ावा देने के क्षेत्र में काम करने के लिए इस क्षेत्र में अग्रणी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, जैसे स्विटजरलैंड डवलपमेंट कॉरपोरेशन, जीआईजेड जर्मनी, क्लाइमेट बाण्ड इनीशिएटिव, यूके आदि के साथ काम किया। आईपीएल ने कचरे से ऊर्जा संयंत्रों की वित्तीय पूर्णता प्राप्त करने में निजी विकासकर्ताओं की सहायता की और नगरनिगम ठोस कचरा प्रबंधन के लिए पीपीपी आधार पर संरचना परियोजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इसे विनियोजित किया गया। आईपीएल ने केरल सरकार को अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए विकास पूंजी आकर्षित करने लिए नवीनतम वित्तीय माध्यम – वैकल्पिक निवेश निधि की स्थापना करने में सलाह प्रदान की। आईपीएल ने एक ठोस वित्तीय प्रबंधन रूपरेखा सृजित करने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) जैसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में मार्गदर्शन किया।

आपकी कम्पनी की सहायक कम्पनी आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएमसीएल) की स्थापना वर्ष 2012 में आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) का प्रबंधन करने के लिए एक आस्ति प्रबंधन कंपनी (एमसी) के रूप में किया गया था। फरवरी 2014 में, आईआईएफसी म्यूचुअल फंड ने 75 संस्थागत निवेशकों के साथ निजी स्थानन के माध्यम से अपनी पहली आईडीएफ योजना आरंभ की थी और 300 रुपए की धनराशि सफलतापूर्वक जुटाई थी। यह योजना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध होने वाले देश की पहली आईडीएफ म्यूचुअल फंड थी। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) सीरीज-। की एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 393.73 करोड़ रुपए है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) सीरीज-।। की प्रबंधनाधीन आस्ति (एयूएम) 165.57 करोड़ रुपए है।

भावी कार्यनीति

वर्ष 2006 में अपनी स्थापना से ही, आपकी कम्पनी भारत में अवसंरचनात्मक क्षेत्र को बढ़ावा देने, इसके विकास और वित्तपोषण में सहायक रही है। तथापि, क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जिस चालू कारोबारी

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

वातावरण में आईआईएफसीएल काम कर रहा है वह चुनौतीपूर्ण है। एक ऐसे समय में जब बैंकों पर अशोध्य ऋणों का भार है, सभी पणधारकों द्वारा सुधारात्मक कार्रवाइयां और विवेकपूर्ण उपाय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के वित्तीय मुद्दों के समाधान में बड़ा कदम होंगे। आपकी कम्पनी का लक्ष्य भी अपने अध्यवासाय को बढ़ाना और परियोजनाओं की कठोर निगरानी करने का है ताकि यह लेखाओं में दबाव को समय रहते पहचानने में सक्षम हो सके। आगे की ओर बढ़ते हुए, आपकी कम्पनी का लक्ष्य अपने समूचे पोर्टफोलियो में मुख्य अवसंरचना क्षेत्रों और समूहों को विविधता प्रदान करने का है।

आभार

वर्ष भर के दौरान असीम सहयोग और मार्गदर्शन के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री; माननीय वित्त मंत्री; माननीय वित्त राज्य मंत्री; उपाध्यक्ष, नीति आयोग; सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग; सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

साथ ही मैं वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग और आर्थिक कार्य विभाग, नीति आयोग व अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों को उनके सतत् सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, बहुपक्षीय संस्थानों, समझौता ज्ञापन के भागीदारों तथा वैधानिक लेखापरीक्षकों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं इस कंपनी को विकास के पथ पर ले जाने के लिए बोर्ड के सदस्यों के सतत् सहयोग और योगदान के लिए उन्हें हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। अंत में मैं, कंपनी की सहायता करने के लिए आईआईएफसीएल के सभी कर्मचारियों को उनके अथक समर्पण और कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद देता हूँ।

ह०/—

(पंकज जैन)

प्रबन्ध निदेशक

डीआईएन सं.: 00675922

दिनांक : 26 सितम्बर, 2019

स्थान : नई दिल्ली

निदेशक मंडल



श्री पंकज जैन
प्रबंध निदेशक



डॉ. कुमार वी प्रताप
संयुक्त सचिव
(अवसंरचना नीति और वित्त)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग



श्री संजोय कुमार साहा
सलाहकार (पीपीपीएयू)
नीति आयोग



श्री आनंद मधुकर
संयुक्त सचिव
विशेष कार्याधिकारी ड्यूटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग



सुश्री पी.वी. भारती
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
कॉरपोरेशन बैंक



श्री चैतन्य गायत्री चिंतापल्ली
कार्यकारी निदेशक
बैंक ऑफ इंडिया

मुख्य महाप्रबंधक



श्री एस.कृष्णन



श्री राजीव मुखीजा



श्री पी.आर. जयशंकर



श्री अनिल तनेजा



श्री प्रशांत कुमार प्रहराज

विषय—सूची

वार्षिक आम बैठक की सूचना	8
बोर्ड की रिपोर्ट	12
वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	50
गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	61
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणिका	62
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आईआईएफसीएल की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	156
समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	157
समेकित वित्तीय विवरण	165
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आईआईएफसीएल की समेकित वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	261

पंजीकृत कार्यालय

पांचवां तल, ब्लॉक 2, प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली —110023
फोन: +91-11-24662777; फैक्स: +91-11-20815125

ईमेल: info@iifcl.org

वेबसाइट: www.iifcl.org

सीआईएन: U67190DL2006GOI144520

बैंकर

पंजाब नेशनल बैंक

भारतीय स्टेट बैंक

आईडीबीआई बैंक

ट्रस्ट

विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में आईएलएंडएफएस ट्रस्ट कम्पनी लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
आईएलएंडएफएस फायनेंस सेंटर, प्लॉट सी-33, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व) मुंबई —400051ए फोन: +91-22-26593215

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड
एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17 आर, कमानी मार्ग बेलार्ड एस्टेट,
मुंबई-400001, फोन: +91-22-40807000

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स जीएसए एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
16, डीडीए फ्लैट्स, पंचशील शिवालिक मोड़, मालवीय नगर के निकट, नई दिल्ली-110017
फोन: +91-11-41811888, 7862099205-06, फैक्स: +91-11-26672949, ईमेल: gsa@gsa.net.in

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

विषय : 14वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

प्रिय महोदय/महोदया

यह सूचित करना है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की 14वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, दिनांक 27 सितंबर, 2019 को अपराह्न 03.30 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में आयोजित की जाएगी।

31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए बैठक की विस्तृत सूचना, निदेशकों की रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और कंपनी के लेखापरीक्षित लेखे, इसके साथ संलग्न हैं।

कृपया उक्त बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।

आपका धन्यवाद।

भवदीय,

कृते इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

ह0 / -

मंजरी मिश्रा

कंपनी सचिव

(सदस्यता संख्या एफ6204)

दिनांक: 26 सितम्बर, 2019

स्थान: नई दिल्ली

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की 14वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, दिनांक 27 सितंबर, 2019 को 03.30 बजे अपराह्न कॉन्फ्रेंस हॉल, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में आयोजित की जाएगी, निम्नलिखित कार्यसूची पर विचार-विमर्श होगा:-

साधारण व्यवसाय:

- 1) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरणों और समेकित वित्तीय वक्तव्यों, उस पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, समझना और अंगीकृत करना।
- 2) निम्नलिखित प्रस्तावों पर सामान्य संकल्प के रूप में विचार करना, और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो बिना किसी आशोधन (आशोधनों) के इन्हें पारित करना:-

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) और अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हों, के साथ पठित धारा 139 के अनुसरण में, वित्त वर्ष 2019-20 हेतु कंपनी के संविधिक लेखा परीक्षक के तौर पर मैसर्स ओ. पी. तुलस्यान एण्ड कम्पनी, सनदी लेखाकार की नियुक्ति जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी और एजी) के कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया था देखें सी एंड एजी पत्र संख्या सीए. वी/सीओवाई/केन्द्रीय सरकार, आईआईएफसीएल (1)/564 दिनांक 2 अगस्त, 2019 जिसकी से एक प्रति बैठक में प्रस्तुत की गई, एतद्वारा स्वीकृत/अनुमोदित/नोट की जाती है।

यह भी संकल्प किया गया कि निदेशक मंडल को नियमों और शर्तों और लेखा परीक्षकों के उचित पारिश्रमिक को तय करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उपयुक्त समझा जाए।”

विशेष व्यवसाय:

- 3) निम्नलिखित प्रस्तावों पर विशेष संकल्पों के रूप में पर विचार करना, और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो बिना किसी आशोधन (आशोधनों) के इन्हें पारित करना:-

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा में किसी भी संवैधानिक संशोधन(नों) या उसके पुनर्नियमन सहित धारा 42, 71 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसार) और किसी भी अन्य लागू कानून सहित सेबी (ऋण प्रतिभूतियों के मुद्दे और सूचीकरण) (संशोधन) विनियम, 2018, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (समय समय पर यथा संशोधित), लागू विनियमों और दिशानिर्देशों, कंपनी के संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम और ऐसे अन्य लागू विधियों, नियमों और विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार और आवश्यक अनुमोदनों, अनुमतियों, और संस्वीकृतियों के अधीन, एक या इससे अधिक किशतों में 1200 करोड़ रुपये कंपनी (बारह सौ करोड़ रुपये) तक की धनराशि के लिए अप्रत्याभूत, सूचीबद्ध और/या असूचीबद्ध, प्रतिदेय अपरिवर्तनीय डिबेंचर्स के रूप में एक निजी स्थानन आधार पर श्रेणी-।। पूंजी के रूप में अर्हत होने वाले गौण ऋण के प्रस्ताव, निर्गमन और आवंटन के माध्यम से निधियां उधार लेने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल (यहां इसके पश्चात “बोर्ड” कहा जाए) के सदस्यों का अनुमोदन है और एतद्वारा प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, संकल्प किया गया कि अप्रत्याभूत, अपरिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचर्स, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, के निजी प्लेसमेंट को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कंपनी के निदेशक मंडल (“बोर्ड”) अथवा बोर्ड की किसी भी विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा यथाअनुमोदित ऐसे अन्य प्राधिकरण को और विधिवत उन निवेशकों, जिन्हें बॉन्ड/डिबेंचर्स आबंटित किये जाने हैं, के आकार, श्रेणी सहित जारी करने के निबंधन, प्रत्येक शाखा में आबंटित किए जाने वाले बॉन्ड/डिबेंचर्स की संख्या, जारी करने की कीमत, आशय, ब्याज दर, तत्कालीन विद्यमान बाजार कीमतों पर प्रीमियम/छूट, जारी करने की राशि, बॉन्ड/डिबेंचर्स धारकों की श्रेणी के लिए जारी करने की कीमत पर छूट, सूचीयन, निजी स्थानन प्रस्ताव पत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित किसी घोषणा/शपथपत्र इत्यादि को जारी करना और तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विनियामक अपेक्षाओं निर्धारण के लिए प्राधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश से

कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

ह0/-

मंजरी मिश्रा

कंपनी सचिव

(सदस्यता संख्या एफ6204)

दिनांक : 26 सितंबर, 2019

स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत कार्यालय

पांचवा तल, ब्लॉक-2 प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली - 110023

सीआईएन : U67190DL2006GOI144520

वेबसाइट : www.iifcl.org

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट:-

- 1) बैठक में शामिल होने तथा मत देने के लिए एक अधिकृत सदस्य खुद को छोड़कर शामिल होने और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिए अधिकृत है तथा वह प्रतिनिधि उस कंपनी का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- 2) प्रतिनिधि को प्रभावी होने के लिए कम्पनी द्वारा बैठक से अधिकतम 48 घंटे पहले तक प्राप्त हो जाना चाहिए।
- 3) उपर्युक्त विशेष कार्य-व्यापार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक वक्तव्य, इसके साथ संलग्न है और इस नोटिस का हिस्सा है।
- 4) सदस्य इस बात का भी ध्यान रखें कि एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.iifcl.org पर उपलब्ध होगी। नोटिस और अन्य दस्तावेज कार्यालय के कामकाज के दिनों में सामान्य कारोबारी घंटे के दौरान निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी उपलब्ध होंगे।

सूचना के अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत व्याख्यात्मक विवरण

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 18 जनवरी 2016 की अधिसूचना के अनुसरण में, दिनांक 1 अप्रैल 2018 से आगे तुलनात्मक विवरणों सहित 31 मार्च 2018 को समाप्त अवधियों तक आईआईएफसीएल पर भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एएस) लागू हैं।

आरबीआई के विनियमों के अनुसार एनबीएफसी-आईएफसी द्वारा 15 प्रतिशत की न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुरक्षित रखना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई के विनियम द्वारा अपेक्षित है कि पूंजी पर्याप्तता लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार अनुरक्षित रखी जाए।

पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, आईआईएफसीएल ने, दिनांक 31 मार्च 2019 को 15 प्रतिशत सीआरएआर का अनुरक्षण सुनिश्चित करते हुए के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान टीयर-1। पूंजी के लिए गौण ऋण जारी किया जाना प्रस्तावित किया। प्राक्कलित किया गया कि आईआईएफसीएल को लगभग 15 प्रतिशत सीआरएआर का अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी। तथापि, अर्जनों में अप्रत्याशित वृद्धि और एलआईसी (जिनसे जीएसईसी 50 बीपीएस पर एकमात्र निवेशक के रूप में अभिदान के लिए संपर्क किया गया था) की ओर से प्रतिक्रिया में कमी की वजह से यह कार्यान्वित नहीं हो सका।

आरबीआई के निदेशों के अनुसार एनबीएफसी-आईएफसी टीयर 1 और टीयर 1। पूंजी सहित एक पूंजी पर्याप्तता अनुपात अनुरक्षित रखेगी जो इसकी सकल जोखिम भारित आस्तियों के 15 प्रतिशत से कम नहीं होगा। आशा की जाती है कि 31 मार्च 2019 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 15 प्रतिशत से कम था। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आईआईएफसीएल की अनुमोदित संसाधन जुटाने की योजना के अनुसार चलनिधि के प्रयाजनों के लिए निधियां जुटाना प्रस्तावित नहीं है। तथापि, पूंजी संवर्धन के लिए, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1200 करोड़ रुपए की सीमा तक वित्तीय वर्ष 2019-20 में एक या एक से अधिक किश्तों में गौण टीयर 1। बंधपत्र जुटाया जाना प्रस्तावित है जिसमें ग्रीन शू विकल्प, यदि कोई हो, भी शामिल है।

बोर्ड नोटिस में यथा निहित विशेष संकल्प के रूप में सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस संकल्प की अनुशंसा करता है।

उसी वर्ष के दौरान एनसीडी के लिए सभी प्रस्तावों या निमंत्रण के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

निदेशक मंडल का मानना है कि प्रस्तावित संकल्प कंपनी के सर्वोच्च हित में होगा।

कंपनी के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और उनके रिश्तेदारों में से किसी का भी, प्रस्तावित संकल्प से कोई लेना देना या उनकी रुचि नहीं है।

आपके निदेशकों ने इस अनुमोदन के लिए नोटिस में मद संख्या 3 पर संकल्प की संस्तुति की है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

ह0/-
मंजरी मिश्रा
कंपनी सचिव
(सदस्यता संख्या एफ6204)

दिनांक : 26 सितम्बर, 2019

स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत कार्यालय

पांचवा तल, ब्लॉक-2 प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर,

ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली - 110023

सीआईएन : U67190DL2006GOI144520

वेबसाइट : www.iifcl.org

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

बोर्ड की रिपोर्ट

सेवा में

आईआईएफसीएल शेयरधारक,

आपके निदेशकों को लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी कंपनी के प्रदर्शन पर 14वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है।

मुख्य वित्तीय बिन्दु

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
कुल राजस्व	4163	3839
कुल व्यय	3759	4157
कर पूर्व लाभ	404	(328)
कराधान के लिए प्रावधान	(301)	(130)
असाधारण मदें	-	(1069)
समायोजन (कर पश्चात लाभ) हेतु उपलब्ध निवल लाभ	102	(1517)
अन्य व्यापक आय	(0.76)	(1.65)
समायोजन के बाद उपलब्ध निवल लाभ	101	(1518)
10 रुपये के अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए अर्जन (भार औसत रुपये में)	0.25	(3.42)

ऋण संचालन

प्रत्यक्ष ऋण

वर्ष 2018.19 के दौरान, 5,344 करोड़ रुपये की और स्वीकृति देने के साथ ही, 483 आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए कंपनी द्वारा दी गई कुल सकल स्वीकृतियां बढ़कर 81,040.17 करोड़ रुपये हो गईं। आपकी कंपनी द्वारा दी गई संचयी सकल स्वीकृतियों का क्षेत्रवार वितरण निम्नानुसार है:

प्रत्यक्ष ऋण के तहत संचयी सकल स्वीकृतियां (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
सड़क	255	280,307	39,151
बिजली	149	402,267	36,110
हवाई अड्डा	3	27,701	2,530
बंदरगाह	18	26,120	3,657
शहरी आधारभूत संरचना	16	48,183	3,807
रेलवे	3	3,194	639
पीएमडीओ*	38	8,602	260
दूरसंचार	1	3,750	250
योग	483	800,123	86,403

* सामूहिक नगरपालिका ऋण दायित्व

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

इसके अलावा, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, 373 परियोजनाओं के लिए आपकी कंपनी द्वारा दी गई निवल स्वीकृतियों का क्षेत्रवार वितरण 54,809 करोड़ रुपये रहा जिसका विवरण निम्नानुसार है:

प्रत्यक्ष ऋण के तहत संचयी निवल स्वीकृतियां (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
सड़क	211	226,920	26,643
बिजली	105	275,005	23,685
हवाई अड्डा	3	27,701	1,228
बंदरगाह	14	19,801	2,254
शहरी आधारभूत संरचना	9	2,240	419
रेलवे	1	600	120
पीएमडीओ	29	5,649	210
दूरसंचार	1	3,750	250
योग	373	561,667	54,809

#निवल स्वीकृतियां वह राशि है जो वित्तीय लेखाबंदी कर चुकी परियोजनाओं के मामले में आबंटित की गई है।

टेक-आउट वित्त

बैंक के प्रदर्शन और आस्ति-देयता के बेमेल बाधाओं को संबोधित करते हुए बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में वृद्धिशील ऋण देने की सुविधा के लिए, आईआईएफसीएल ने टेकआउट वित्त योजना को लागू किया है। आईआईएफसीएल ने दिसंबर 2011 में संशोधित टेकआउट वित्त योजना को उपयुक्त संशोधनों के लिए लागू किया था। इसके अतिरिक्त, बाजार की जरूरतों को हल करने के लिए समय-समय पर इस योजना में आगे भी संशोधन किए गए हैं। आईआईएफसीएल की टेक आउट वित्तीयन योजना बुनियादी ढांचागत ऋण के लिए एक पारदर्शी गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-विवेकाधीन बाह्य परियोजना मूल्यांकन आधारित मूल्यनिर्धारण प्रणाली का अनुपालन करती है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, टेकआउट वित्त योजना के तहत कुल संचयी सकल स्वीकृतियां 108 परियोजनाओं के लिए कुल 24,393 करोड़ रुपये थीं। आपकी कंपनी द्वारा दी गई संचयी सकल स्वीकृतियों का क्षेत्र-वार वितरण निम्नानुसार है:

टेकआउट वित्त के तहत संचयी सकल स्वीकृतियां (31 मार्च, 2019 तक)

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
सड़क	52	55,076	7,516
बिजली	43	96,781	11,559
हवाई अड्डा	2	15,777	1,911
बंदरगाह	9	15,711	3,380
शहरी आधारभूत संरचना	2	107	26
योग	108	183,453	24,393

इसके अलावा, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी द्वारा टेकआउट वित्त योजना के तहत 62 परियोजनाओं के लिए दी गई 16,479 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृतियों का क्षेत्र-वार वितरण निम्नानुसार है:

टेकआउट वित्ति के तहत संचयी निवल स्वीकृतियां (31 मार्च, 2018 तक)

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
सड़क	24	31,519	4,334
बिजली	28	52,331	8,213
हवाई अड्डा	2	15,777	1,736
बंदरगाह	6	10,711	2,170
शहरी आधारभूत संरचना	2	107	26
योग	62	110,444	16,479

निवल स्वीकृतियां वह राशि है जो वित्तीय लेखाबंदी कर चुकी परियोजनाओं के मामले में आबंटित की गई है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

संवितरण

मार्च 2019 के अंत में, के दौरान 4,096.72 करोड़ के और संवितरण के साथ, मार्च 2018 के अंत में संचयी संवितरण 65,901 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 11,281 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त और 15,413 करोड़ रुपये का टेकआउट वित्त शामिल था।

क्षेत्र-वार संचयी संवितरण (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
प्रत्यक्ष ऋण			
सड़क	185	196,512	19,409
बिजली	96	225,421	17,203
हवाई अड्डा	3	27,701	858
बंदरगाह	11	13,307	953
शहरी आधारभूत संरचना	8	2,020	340
रेलवे	1	600	44
पीएमडीओ	27	4,744	151
दूरसंचार	1	3,750	248
योग (क)	332	474,055	39,207
टेक आऊट वित्तीयन			
सड़क	22	30,551	4,115
बिजली	26	50,972	7,800
हवाई अड्डा	2	15,777	1,485
बंदरगाह	5	9,392	1,988
शहरी आधारभूत संरचना	2	107	26
योग (ख)	57	106,799	15,413
उप-योग (क+ख)			54,620
पुनर्वित्त (ग)			11,281
कुल योग (क+ख+ग)			65,901

सामूहिक नगरपालिका ऋण दायित्व (पीएमडीओ) सुविधा

शहरी बुनियादी सुविधाओं के वित्तपोषण के लिए सामूहिक नगरपालिका ऋण दायित्व सुविधा (पीएमडीओ) 2008 में 4 प्रायोजकों, आईएलएंडएफएस, आईआईएफसीएल, आईडीबीआई बैंक और केनरा बैंक द्वारा अन्य ऋणदाताओं के साथ जन-निजी भागीदारी आधार पर आरम्भ की गई थी। इन परियोजनाओं में – एसएमई, ठोस कचरा प्रबंधन, बिजली उत्पादन, मल जल प्रशोधन और शहर बस परिवहन, आदि जैसी अन्य शहरी बुनियादी सुविधाओं के लिए सामान्य बुनियादी ढांचे का विकास करना शामिल हैं। पीएमडीओ की सुविधा बैंकयोग्य प्रारूप में सुसंगत परियोजनाओं के लिए संसाधनों की आवश्यकता को व्यवस्थित करने के लिए है और ब्याज की उचित दर पर जरूरी परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए क्रेडिट प्रदान करने के लिए अधिदेशित है।

पीएमडीओ का वर्तमान कोष 5000 करोड़ रुपये का है, जो कि सुविधा में अपनी हिस्सेदारी के रूप में आपकी कंपनी के 16 उधारदाताओं द्वारा 391 करोड़ रुपये के साथ सृजित किया गया है। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार इस सुविधा के तहत, आपकी कंपनी द्वारा दी गई सकल निवल स्वीकृतियों में 210 करोड़ रुपये तक की बढ़ोतरी हुई और संचयी संवितरण 151 करोड़ रुपये रहा।

जन-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को प्राथमिकता

अपने शासनादेश के अनुरूप, आपकी कंपनी जन निजी भागीदारी (पीपीपी) अवसंरचना परियोजनाओं को अधिभावी प्राथमिकता देती है। आपकी कंपनी पीपीपी परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि आपकी कंपनी द्वारा समर्थित पीपीपी परियोजनाओं की संख्या से परिलक्षित होता है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष ऋण के तहत, 362 पीपीपी परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है, जो कि कंपनी द्वारा अनुमोदित 445 परियोजनाओं (पीएमडीओ के तहत वाली परियोजनाओं को छोड़कर) का 81% बनता है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

31 मार्च, 2019 को प्रत्यक्ष ऋण देने (पीएमडीओ को छोड़कर) के तहत सकल स्वीकृत परियोजनाओं की क्षेत्रवार संख्या:

क्षेत्र	पी पी पी	गैर- पी पी पी	पी एस यू
सड़क	254	Nil	1
ऊर्जा	63	78	8
हवाई अड्डा	3	Nil	Nil
बंदरगाह	15	3	Nil
शहरी अवसंरचना एवं जलापूर्ति	12	1	3
अन्य	2	1	1
योग	349	83	13

भौगोलिक रूप से विविध उपस्थिति

आपकी कंपनी विभिन्न राज्यों में फैली आधारभूत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के विकास का समर्थन करती रही है और पूरे देश में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। 31 मार्च 2019 तक, प्रत्यक्ष ऋण और टेकआउट वित्त के तहत, आपकी कंपनी ने 27 राज्यों में 389 परियोजनाओं के लिए 71,288 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं और 383 परियोजनाओं हेतु 54,620 करोड़ रुपये का संवितरण किया है।

प्रत्यक्ष ऋण और टेकआउट वित्त के तहत राज्य-वार संचयी निवल स्वीकृतियां और संवितरण (31 मार्च, 2019 तक)

(करोड़ रुपये में)

राज्य	निवल स्वीकृतियां	संवितरण
आन्ध्र प्रदेश	6,220	5,338
अरुणाचल प्रदेश	122	107
असम	480	-
बिहार	1,644	1,457
छत्तीसगढ़	1,419	1,179
दिल्ली	1,374	1,374
गोवा	380	13
गुजरात	9,255	6,972
हरियाणा	1,509	1,189
हिमाचल प्रदेश	989	526
जम्मू एवं कश्मीर	375	314
झारखण्ड	1,482	1,417
कर्नाटक	2,303	1,525
केरल	191	191
मध्य प्रदेश	5,932	5,202
महाराष्ट्र	10,405	8,172
नागालैंड	200	-
ओडिशा	1,403	1,146
पॉन्डिचेरी	179	179
पंजाब	1,711	1,229
राजस्थान	3,630	1,442
सिक्किम	1,293	1,283
तमिलनाडु	3,356	2,061
तेलंगाना	2,600	1,613
उत्तर प्रदेश	9,743	7,930
उत्तराखण्ड	464	461
पश्चिम बंगाल	2,630	2,300
योग	71,288	54,620

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

स्वीकृत परियोजनाओं के अर्न्तगत वित्तीय लेखाबंदी की उपलब्धियां

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, प्रत्यक्ष ऋण के तहत निवल रूप से स्वीकृत की गई 373 परियोजनाओं में से 346 परियोजनाएं अर्थात् 93 प्रतिशत ने वित्तीय लेखाबंदी कर ली थी। वित्तीय लेखाबंदी कर चुकी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय लेखाबंदी कर चुकी परियोजनाओं का विवरण (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	निवल स्वीकृतियां
सड़क	198	24,500
ऊर्जा	95	19,495
हवाई अड्डा	3	1,228
बंदरगाह	11	1,352
शहरी अवसंरचना	9	419
अन्य	30	555
योग	346	47,549

वाणिज्यिक संचालन ऋण (सीओडी) की उपलब्धियां

मार्च 2019 के अंत में, आपकी कंपनी ने प्रत्यक्ष उधार के तरीके द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की (पीएमडीओ को छोड़कर), 206 परियोजनाओं, जिनमें 125 सड़क परियोजनाएं और 70 ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं, के सम्बन्ध में वाणिज्यिक संचालन ऋण (सीओडी) की उपलब्धियां प्राप्त की गईं। वाणिज्यिक संचालन ऋण (सीओडी) प्राप्त परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है:

वाणिज्यिक संचालन ऋण (सीओडी) प्राप्त परियोजनाएं (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	निवल स्वीकृतियां
सड़क	125	14,932
ऊर्जा	70	13,367
हवाई अड्डा	2	848
बंदरगाह	5	598
शहरी अवसंरचना	3	210
अन्य	1	250
योग	206	30,206

पुनर्वित्त

वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज के भाग के रूप में, आईआईएफसीएल को 2008-09 के दौरान कर-मुक्त बांडों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये जुटाए जाने की अनुमति दी गई थी ताकि बैंकों को उस आधारभूत अवसंरचना ऋण के लिए पुनः वित्तपोषण प्रदान किया जा सके जिसके लिए प्रतिस्पर्धी बोलियां 31 जनवरी 2009 को या उसके बाद जमा की गई थीं। कर मुक्त बांडों के धन की वापसी निवेशकों को वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान क्रमशः जनवरी 2014 और मार्च 2014 में की जानी थी।

वर्ष 2018-19 के दौरान आपकी कंपनी ने 4 वित्तीय संस्थानों को 4,050 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी और 4,050 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया।

ऋण संवृद्धि

अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को पूंजीगत ऋण बाजार जैसे वैकल्पिक संसाधनों के माध्यम से दीर्घकालिक निधियां एकत्र करने में सक्षम बनाने के लिए, आईआईएफसीएल द्वारा वर्ष 2012 में ऋण संवृद्धि योजना लागू की। आज की तारीख के अनुसार, आईआईएफसीएल द्वारा, 15 अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से अधिक को 8,000 करोड़ रुपये से अधिक के बांड जारी करने के लिए कुल 2,200 करोड़ रुपये से अधिक की गारन्टियों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

वर्ष के दौरान बांडों से होने वाली आय में वृद्धि देखी गई। हालांकि आईआईएफसीएल की ओर से क्रेडिट में बढ़ोत्तरी के लिए पर्याप्त ब्याज दिया गया, आय में बढ़ोत्तरी से, भविष्य में अवसंरचना स्पेस में बांड जारी करने वाली अनेक फर्मों ने ऋण संवृद्धि के लिए आईआईएफसीएल से सम्पर्क किया। बांडों से होने वाली आय में वृद्धि ने उन परियोजनाओं के डेवलेपरों के लिए बांड जारी करना मंहगा कर दिया, जो घरेलू

बैंकिंग उद्योग द्वारा पेश की गई परिवर्तनशील दरों के माध्यम से कम ऋण की तुलना में बांड बाजारों द्वारा उच्च निर्धारित दरों पर की गई पेशकश पर पुनर्वित्त नहीं चाहते थे। यहां तक कि ऋण पूंजीगत बाजार में बीमाकर्ता भी, भविष्य में बांडों से होने वाली आय में वृद्धि के सम्भावना से चालू आय पर बांडों का बीमा करने में सावधानी बरतने लगे। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग उद्योग में ब्याज की दरें, बांडों की बढ़ती हुई आय से पिछड़ गई और बाजार में ब्याज दरों के बढ़ने के आरम्भिक लक्षण बढ़ गए, जिन्हें परियोजनाओं के डेवलेपर्स पुनर्वित्त के दौरान दृष्टिगत रखते हैं।



जिंदल पॉवर प्लांट



बोथे विंड पॉवर प्रा. लि.

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की पहल

इस कंपनी ने 15 फरवरी 2007 को आईडीएफसी और सिटीग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन किया था ताकि एक भारत समर्पित अवसंरचना फंड स्थापित किया जा सके, जिसमें आईआईएफसीएल ने 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर (अधिकतम 100 करोड़ रुपये के अध्यक्षीन) का योगदान करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, जबकि आईडीएफसी और सिटीग्रुप, प्रत्येक ने, प्रवर्तक प्रायोजक के रूप में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करने की वचनबद्धता जाहिर की थी।

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, आईआईएफ को 100 करोड़ रुपये की कुल पूंजी प्रतिबद्धता में से, आईएफसी ने 31 मार्च 2019 तक 75.73 करोड़ रुपये की राशि की पूंजी का मोचन किया। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, आईआईएफ में आईआईएफसीएल के निवेश की बकाया धनराशि 16.74 करोड़ रुपये थी।

संसाधन जुटाना

घरेलू संसाधन

कंपनी ने अब तक घरेलू कर योग्य बांड, टैक्स फ्री बांड टैक्स सेविंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड एलईसी और एनएसएसएफ से दीर्घावधि ऋण के साधनों के मिश्रण के जरिए घरेलू बाजार से 32,573 करोड़ रुपये जुटाए हैं, (जिसमें से बांड के जरिए जुटाए गए 18,543.88 करोड़ रुपये की राशि 31 मार्च 2019 को बकाया है)।

बाह्य संसाधन

आईआईएफसीएल ने एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, के एफडब्ल्यू और यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) जैसे बहुपक्षीय संस्थानों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं और क्रमशः 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 195 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 50 मिलियन यूरो और 200 मिलियन यूरो तक के ऋण का वचन दिया है।

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार आईआईएफसीएल ने एडीबी से 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से 1.657 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आहरण किया है।

आईआईएफसीएल ने विश्व बैंक के 195 मिलियन यू.एस.डॉलर की ऋण व्यवस्था का पूरी तरह से लाभ उठाया है।

केएफडब्ल्यू द्वारा यथा अनुमोदित दो हाईड्रो पॉवर परियोजनाओं और तीन सोलरपॉवर परियोजनाओं को संवितरण करके, आपकी कम्पनी द्वारा केएफडब्ल्यू के 50 मिलियन यूरो के लाईन ऑफ क्रेडिट का पूरी तरह से लाभ उठाया गया है।

31 मार्च, 2014 को, आईआईएफसीएल द्वारा ईआईबी के साथ 200 मिलियन यूरो का एक वित्तीय करार भी किया गया है, जिसमें से मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 200 मिलियन यूरो निकाल कर इसका भी पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के साथ 50 अरब जापानी येन की एक ऋण व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें से 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 1 बिलियन जापानी येन निकाले जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ईआईबी द्वारा 200 मिलियन यूरो की ऋण व्यवस्था (लाइन ऑफ क्रेडिट) भी स्वीकृत की गई है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

बहुपक्षीय संस्थानों के साथ इन रिश्तों ने आईआईएफसीएल के दीर्घकालिक संसाधनों को जुटाने में मदद की है।

सूचना-प्रौद्योगिकी पहलें

आईआईएफसीएल को अपने विभिन्न पणधारकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में विश्वास करता है। विभिन्न कारोबारी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता किसी भी कारोबारी क्षमता के लिए मुख्य हैं, तदनुसार आईआईएफसीएल की सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना को क्षमताएं निर्मित करने और इसके पणधारकों की अपेक्षा की पूर्ति करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाता है। पणधारकों को वेल्थ डिलीवर करने के लिए आईआईएफसीएल द्वारा की गई प्रौद्योगिकी सक्षम पहलों में शामिल हैं:

अपने विभिन्न कारोबारी कार्यकलाप की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ईआरपी का कार्यान्वयन और विभिन्न कारोबारी प्रक्रियाओं में एंड-टू-एंड स्वचालन भी लाना। ईआरपी एंड-टू-एंड सुचारु और स्वचालित प्रक्रिया है जिसमें कारोबारी प्रक्रिया में टर्नअराउंड टीम में कमी लाने और समग्र प्रचालनिक कुशलता लाने की भी क्षमताएं हैं।

- आईआईएफसीएल के कर्मचारियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एचआर पोर्टल का कार्यान्वयन।
- आईआईएफसीएल ने निदेशक मंडल की बैठक और बोर्ड स्तर की अन्य बैठकों का पेपरलेस करने के लिए आईटी एप्लीकेशन का कार्यान्वयन किया है।
- आईआईएफसीएल ने विभिन्न भूकम्पीय क्षेत्रों में अत्याधुनिक 4-स्तरीय डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर कार्यान्वित किए हैं।
- आईआईएफसीएल ने आईटी सर्विसेज की आउटसोर्सिंग के लिए अनुमोदित नीति रूपरेखा प्रस्तुत की है।
- आईआईएफसीएल सूचना और साइबर सुरक्षा के लिए अनुमोदित नीति रूपरेखा प्रस्तुत की है।
- आईआईएफसीएल अनुमोदित सूचना (आईएस) लेखापरीक्षा रूपरेखा प्रस्तुत की है।

डिजिटल रुपांतरण

एनबीएफसी में पारम्परिक कारोबार प्रक्रियाएं तेजी से बदल रही हैं। तदनुसार, आईआईएफसीएल निरंतर डिजिटलाइजेशन की विभिन्न नई-नई पहलों का उपयोग करके विभिन्न कारोबार प्रक्रियाओं का स्वचालन कर रही है। आईआईएफसीएल आने वाले वित्तीय वर्षों में बड़ी संख्या में नई आईटी पहलों की प्रक्रिया में है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- आईआईएफसीएल अपनी ब्राण्ड इमेज में संवर्धन के लिए नई वेबसाइट का कार्यान्वयन करने की प्रक्रिया में है जिसमें ग्राहकों तक पहुँच में वृद्धि होगी।
- आईआईएफसीएल, पेपरलेस ऑफिस का लक्ष्य हासिल करने के लिए नई पीढ़ी की दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) का कार्यान्वयन करने की प्रक्रिया में है।
- आईआईएफसीएल अनेक अन्य मॉड्यूल्स/एप्लीकेशन्स का कार्यान्वयन करने की प्रक्रिया में है जिनसे विभिन्न कारोबारी प्रक्रियाओं के स्वचालन में, और कार्यालय के दिन प्रतिदिन कार्यों में कागजों के इस्तेमाल में कमी लाने में भी, सहायता मिलेगी।

विवेकपूर्ण मानदंडों को अपनाना

भारतीय रिजर्व बैंक ने, कंपनी को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-गैर जमा-इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-एनडी-आइएफसी) के कारोबार को जारी रखने की अनुमति देते हुए दिनांक 9 सितंबर, 2013 को आईआईएफसीएल को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) सं एन-14.03288 जारी किया है।

कंपनी ने दिनांक 21 नवंबर 2014 के अपने पत्र के माध्यम से एनबीएफसी-आइएफसी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के समय सीमा से सम्बन्धित नियमों के विभिन्न घटकों का अनुपालन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को कार्ययोजना प्रस्तुत की है। तदनुसार, वर्ष 2017-18 के दौरान, आईआईएफसीएल ने कंपनी पर लागू होने वाले भारतीय रिजर्व बैंक विनियमों का अनुपालन किया है।

भारतीय लेखांकन मानकों (आईएनडी एस) के अनुसार वित्तीय विवरण की तैयारी

निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 18 जनवरी 2016 की अधिसूचना के अनुसार, आईआईएफसीएल द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2018 से आगे की प्रतिवेदन अवधि (अवधियों) के लिए भारतीय लेखांकन मानकों (आईएनडी एस) के अनुसार वित्तीय विवरणिका तैयार किया जाना अपेक्षित है। भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार, आईआईएफसीएल द्वारा गत वर्ष की तुलनात्मक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना भी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2018 से आईएनडी एस के प्रथम बार अंगीकरण के लिए, आईआईएफसीएल द्वारा तुलन पत्र 1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार अर्थात् आईएनडी एस के अनुसार अंतरण संक्रमण अवधि की स्थिति के अनुसार पुनः उल्लेख किये जाने अपेक्षित है। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार की है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय विवरणिका को भी चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में समवर्ती अवधि के रूप में तुलना में प्रयोजन से पुनः उल्लेख किया गया है।

पुनर्गठित ऋण, एनपीएस और वसूली

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, सकल एनपीएस 6511 करोड़ रुपये और निवल एनपीएस 3392 करोड़ रुपये थी। इसके अतिरिक्त, 2476 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया। इसके अतिरिक्त, 623.44 करोड़ रुपये की बकाया मूलधन वाले चार (4) खाते परिसम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनियों को बेची जा चुकी हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, 470 करोड़ रुपये की रिकवरी की गई है, जिसमें, अन्यो के साथ-साथ बट्टे खाते डाले गए खातों से वसूली की गई 119 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। 3119, सकल एनपीएस 18.53 प्रतिशत और निवल एनपीएस 9.84 प्रतिशत के स्तर पर था। प्रावधान कवरेज अनुपात लगभग 48 प्रतिशत था।



काकीनाडा सी पोर्ट लि.



मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि.

शीघ्र समाधान/वसूली के लिए अग्रणी/सहायता संघ के परामर्श से अपेक्षित उपाय किए जा रहे हैं। आईआईएफसीएल अनेक मामलों में रियायत प्राधिकरणों, अन्य पणधारकों के साथ संपर्क करके पहल कर रही है ताकि अंतिम भुगतान, पूर्ण-कार्य आधार पर समाधान, रिकवरी कार्रवाई आरंभ करने आदि जैसे समाधान ढूंढे जा सकें। उच्च मूल्य वाली राशियों पर निकट निगरानी रखी जाती है और सकेंद्रित ध्यान दिया जाता है। जिन मामलों में माध्यस्थ कार्रवाई चल रही है उन पर निकट निगरानी की जा रही है। आईआईएफसीएल सक्रिय रूप से सीआईआरपी/एनसीएलटी के अंतर्गत मामलों पर ध्यान दे रही है ताकि समयपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी क्रेडिट जोखिम, ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम, बाजार जोखिम तथा संचालन-जोखिम आदि जैसे विभिन्न जोखिमों से निरावृत है। आपकी कंपनी ने नियामक आवश्यकताओं और उद्योग के सर्वोत्तम चलनों के साथ अधिक प्रभावी और सुसंगत तरीके से जोखिम के प्रबंधन के लिए एक व्यापक जोखिम नीति ढांचे को लागू किया है। बोर्ड, एक जोखिम प्रबंधन समिति और एएलसीओ समिति के माध्यम से कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा करता है और नियमित अंतराल पर विभिन्न जोखिम मानकों की प्रगति पर नजर रखता है।

ऋण जोखिम का मूल्यांकन तिमाही आधार पर आस्ति पोर्टफोलियो विश्लेषण, पोर्टफोलियो विस्तार विश्लेषण और पोर्टफोलियो संकुचन परीक्षण के माध्यम से क्षेत्रीय, समूह, एकल पार्टी, एनपीएस तनाव विश्लेषण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है। पोर्टफोलियो जोखिम आकलन रिपोर्ट को बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (बीएल-आरएमसी) को त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।

आपकी कंपनी क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की आन्तरिक रेटिंग के लिए क्रेडिट जोखिम विशिष्टता मॉडल सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है, जो क्षेत्र की विशिष्ट नीतियों, विनियमों और व्यावसायिक जोखिम मानकों को ध्यान में रखता है। परियोजनाओं की आंतरिक जोखिम मूल्यांकन रेटिंग प्रबंधन के वरिष्ठ सदस्यों की समिति द्वारा अनुमोदित है। मॉडलों की वैधता के कार्य हेतु विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाती हैं ताकि मॉडल को संशोधित और सुदृढ़ बनाया जा सके। आपकी कंपनी, अवसंरचना क्षेत्र की सद्भावना सूची के अन्तर्गत कवर होने वाले विभिन्न अवसंरचनात्मक क्षेत्रों के लिए क्रेडिट जोखिम से सम्बन्धित नए और अद्यतन मॉडलों को अधिप्राप्त करने में लगी है।

आपकी कंपनी ने आंतरिक रूप से परियोजनाओं के लिए एक जोखिम आधारित मूल्य नीति तैयार की है, जिसमें यह मुख्य ऋणदाता की भूमिका निभाएगी।

ऐसे समय पर जब दबावग्रस्त आस्तियों की बड़ी राशि के कारण वाणिज्यिक बैंक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, आपकी कंपनी ने देश में अवसंरचना के विकास हेतु निधियों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, बैंकों/वित्तीय संस्थानों को कम लागत पर निधियां उपलब्ध करवाने के लिए बाजार संचालित बाह्य मानकों से सम्बन्धित एक अलग मानक दर आरम्भ की है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कराए गए अध्ययन – “निधियां आधारित ऋण दर की सीमान्त लागत के कार्यकरण की पुनरीक्षा हेतु आन्तरिक अध्ययन समूह – की सितम्बर, 2017 की रिपोर्ट” – के अनुसार है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

आपकी कंपनी ने बोर्ड स्तर की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया है, जो तरलता और ब्याज दर से संबंधित जोखिमों की निगरानी करती है। आस्ति देयता प्रबंधन ढांचे में आस्ति प्राप्ति और ऋण सेवा दायित्वों के दीर्घकालिक नकदी प्रोफाइल का आवधिक विश्लेषण शामिल है। चलनिधि अंतर विश्लेषण और ब्याज दर जोखिम की मदद से तरलता जोखिम की निगरानी की जा रही है तथा ब्याज दर जोखिम को ब्याज दर संवेदनशीलता अंतराल विवरणों के विश्लेषण द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

आपकी कंपनी ने सामान्य और कंपनी की विशिष्ट गतिविधियों के जोखिमों को कम करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, परिचालन जोखिम प्रबंधन अवसंरचना तैयार की है। परिचालन जोखिम प्रबंधन, नए जोखिमों को पहचानने और इन जोखिमों के सम्बन्ध में उचित नियंत्रण करने की प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, प्रक्रियाओं में संभावित विफलता के कारण हानि और ग्राहक असंतोष को भी कम करता है। आपकी कंपनी ने बाजार में आने वाले परिवर्तनों के अनुरूप प्रचालनात्मक पहलुओं को सुदृढ़ बनाने के लिए एल ओ यू/एल ओ सी व्यापार का जोखिम मूल्यांकन किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन के अनुसार, आपकी कंपनी को 15 प्रतिशत के पूंजी-जोखिम-समायोजन अनुपात (सीआरएआर) को बनाए रखना होगा। एनबीएफसी-आईएफसी को भारतीय रिजर्व बैंक से विशेष अनुदान के मामले के रूप में, आर्इआर्इएफसीएल को सीआरएआर 12 प्रतिशत बनाए रखना होगा। इसके बाद, आरबीआई द्वारा अपेक्षित किया गया है कि सरकारी स्वमित्व वाली एनबीएफसी धीरे-धीरे 31 मार्च 2021 तक 13 प्रतिशत और 31 मार्च 2022 तक 15 प्रतिशत सीआरएआर प्राप्त करें। हालांकि, 31 मार्च 2019 को आईआईएफसीएल ने सीआरएआर को 13.56 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखा है।

पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा

दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए आईआईएफसीएल ने बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के साथ समझौते किए हैं। विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में साख पैदा करने के लिए, आईआईएफसीएल को डीएफआई की सुरक्षोपायों नीतियों का अनुसरण करने की आवश्यकता है। सुरक्षोपायों को सुनिश्चित करने और उनकी निगरानी करने के लिए आईआईएफसीएल द्वारा महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में एक इन-हाऊस पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षोपाय (ईएसएमयू) यूनिट की स्थापना की गई है, जिसमें पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षोपायों के विशेषज्ञ शामिल हैं।

आईआईएफसीएल ने पर्यावरण और सामाजिक नीति अपनायी है और पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षा ढांचे (ईएसएसएफ) को विकसित किया है। ईएसएसएफ के अनुसार भारत सरकार के विनियमन/दिशा-निर्देश आईआईएफसीएल द्वारा वित्त-पोषित सभी परियोजनाओं पर लागू होते हैं और जहां डी एफ आई की निधियन सहायता शामिल है वहां डी एफ आई के सुरक्षोपाय लागू होते हैं।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ईएसएमयू दल को, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के साथ हस्ताक्षर किए जाने से पूर्व, एल ओ सी ड्रा अवधि और बंद करने की अवधि; के दौरान साख के सम्बन्ध में विभिन्न अपेक्षाओं से सम्बन्धित अनुपालन का कार्य सौंपा गया था। जिससे आईआईएफसीएल को दीर्घकालिक वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने में मदद मिली। इस अवधि के दौरान जैपनीज इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से लाइन ऑफ क्रेडिट चालू हुआ और ईएसएमयू दल को जेआईसीए की लाइन के अंतर्गत 312 करोड़ रुपए के आहरण की सुविधा प्राप्त हुई। ईएसएमयू दल 300 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण व्यवस्था के लिए एडीबी के साथ वार्ताओं का हिस्सा था, जिस पर वर्ष 2018-19 के दौरान हस्ताक्षर करके लागू किया गया। ईएसएमयू दल को एडीबी के लाइन ऑफ क्रेडिट से लगभग 440 करोड़ रुपए के आहरण की सुविधा मिली। आईआईएफसीएल को गुवाहाटी (असम) में 31 मई से 1 जून, 2018 तक आयोजित ग्रीनविच 18वें वार्षिक धारणीयता सम्मेलन - 2018 के दौरान एनबीएफसी सेक्टर में प्लेटिनम श्रेणी में ग्रीनविच एनवायरनमेंट एवार्ड-2018 प्राप्त हुआ।

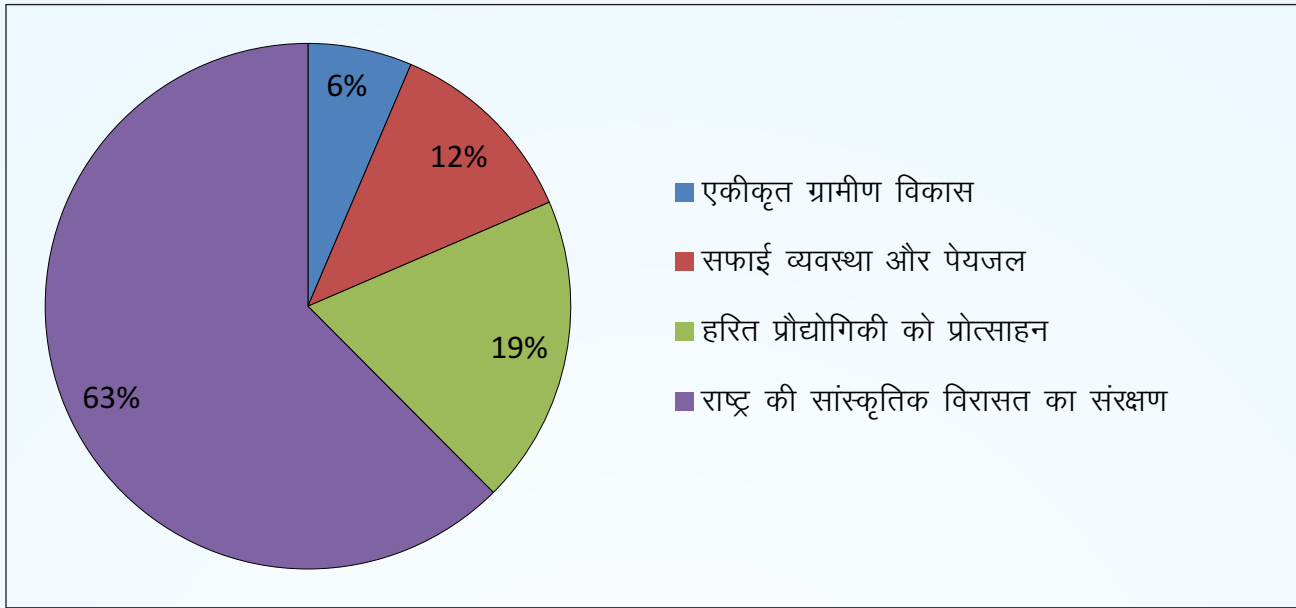
मानव संसाधन प्रबंधन

किसी भी संगठन के विकास में मानव संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आईआईएफसीएल 87 कर्मचारियों की क्षमता के साथ एक चुस्त-दुरुस्त संगठन रहा है। कंपनी के मानव संसाधन को विकसित करने के लिए साल भर विभिन्न पहल की गई थी, जिसमें विभिन्न प्रसिद्ध भारतीय और विदेशी संस्थाओं में क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन, संसाधन और ट्रेजरी प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, कानूनी पहलू और आईटी आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल था। कार्यबल को प्रेरित करने और उसे व्यस्त रखने के लिए, स्टाफ कल्याण पहल सहित अनेक पहलों की गई। एचआर गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) को लागू किया गया है और यह प्रणाली पूरी तरह काम कर रही है। वर्ष भर के दौरान कर्मचारियों के बीच का संबंध शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बने रहे हैं। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को आरक्षण/छूट/रियायत पर सभी सरकारी नीतियों का अनुपालन किया जा रहा है।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आईआईएफसीएल सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठन है और स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य, खेलों को बढ़ावा देने और ग्रीन एनर्जी जैसे मुख्य क्षेत्रों में इसकी अपनी एक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति है। आईआईएफसीएल की सीएसआर पहल के अन्तर्गत कार्यान्वित की जानेवाली परियोजनाएं देश के 24 राज्यों में लागू हैं और इसमें सामाजिक हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले विभिन्न क्षेत्र/लाभार्थी शामिल हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान, आईआईएफसीएल ने अपनी सीएसआर पहल के द्वारा विद्युत रहित क्षेत्रों में सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की सफलतापूर्वक संस्थापना की, लड़कों और लड़कियों के लिए शौचालय बनवाए, एकीकृत ग्रामीण विकास और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए परियोजनाएं चलाई।



आईआईएफसीएल, सार्वजनिक क्षेत्र के उन कुछेक उपक्रमों में से एक है, जिन्होंने अपने आबंटित सीएसआर बजट का पिछले चार वर्षों से निरन्तर पूर्णतः उपयोग किया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आईआईएफसीएल द्वारा सीएसआर पहल के अन्तर्गत आबंटित किए गए 2.35 करोड़ रुपये के पूरे बजट का उपयोग किया गया।

आंतरिक नियंत्रण

आपकी कंपनी ने अपने आंतरिक आकार और संचालन के अनुरूप प्रणाली, सुरक्षा उपायों और प्रक्रियाओं से जुड़े मजबूत आंतरिक नियंत्रण तंत्र तैयार किए हैं। कंपनी द्वारा निर्धारित कार्यवाही के लिए निर्धारित प्रक्रिया, कार्यविधियों और प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा नियमित रूप से संचालित की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की टिप्पणियों पर तत्काल कार्यवाही की जाती है और साथ ही की गयी कार्यवाही नियमित अंतरालों पर बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखी जाती है।

कंपनी की रेटिंग

वर्ष के दौरान, कंपनी को दिया गया रेटिंग मानक स्टैंडर्ड एण्ड पुअर्स द्वारा बीबीबी/स्टेबल/ए-3 के रूप में पुष्टि की गई थी, जो संप्रभु रेटिंग के बराबर हैं। आईआईएफसीएल के विभिन्न घरेलू दीर्घकालिक उधार (बांड) को विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा 'एएए/एएए (एसओ)' का दर्जा दिया गया है।

आईएसओ 9001 प्रमाणन

आपकी कंपनी ने, स्थापित, दस्तावेज, क्वालिटी पॉलिसी और गुणवत्ता नियमों को लागू करते हुए और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) का रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए एक साधन के रूप में आईआईएफसीएल की सेवाएं निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पुष्टि और अपनी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को सफलतापूर्वक उन्नत और कार्यान्वित करते हुए आईएसओ मानक 9001:2015 धारक बनी रही है।

वर्ष 2018-19 के दौरान आईएसओ प्रमाणन की अपेक्षा के अनुसार, आवधिक आंतरिक और बाह्य लेखापरीक्षा आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके उपरान्त उनकी समुचितता, पर्याप्तता और प्रभावकारिता तथा सुधार की गुंजाईश का पता लगाने के लिए के प्रबन्धन द्वारा पुनरीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है। आईआईएफसीएल प्रबंधन द्वारा गुणवत्ता आश्वासन पर काफी बल दिया जाता है और आवधिक पुनरीक्षा बैठकों में इसके सम्बन्ध में चर्चा की जाती है। आईआईएफसीएल द्वारा आईएसओ प्रमाणन को जारी रखने के लिए जनवरी, 2019 माह में वार्षिक निगरानी लेखापरीक्षा का सफलतापूर्वक संचालन किया गया।

व्यापार विकास

कम्पनी नियमित आधार पर विभिन्न हितधारकों अर्थात् वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, विकासकर्ता समूहों, रेटिंग एजेंसियों, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों, सरकारी अधिकारियों आदि से प्रमुख मुद्दों और समस्त अवसंरचना क्षेत्र में क्षेत्रगत विषयों पर चर्चा करती है जिसका उद्देश्य अवसंरचना क्षेत्र में आईआईएफसीएल की भागीदारी और समर्थन में वृद्धि करना है।

व्यापार विकास विभाग ने आईआईएफसीएल के लिए संस्वीकृति हेतु अनेक व्यवहार्य वित्तपोषण प्रस्ताव जुटाए, जिनके परिणामस्वरूप अंततः आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 4.050 करोड़ रुपये का वितरण किया।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

सहायक कंपनियां

आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड

अप्रैल 2008 में आईआईएफसीएल ने लंदन में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित की थी, जो कि भारतीय कंपनियों को विदेशी मुद्रा में उधार देने के उद्देश्य से पूंजी उपकरणों के आयात के लिए विशेष रूप से देश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करती है। भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) ने विदेशी मुद्रा भंडार से 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण की सीमा बढ़ा दी है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान 68.85 मिलियन अमेरिकी डॉलर के संवितरण के साथ, आईआईएफसी (यूके) ने मार्च 2019 तक 2,057.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी संवितरण किया है।

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

उत्तर विश्वसनीय अवसंरचना परियोजनाओं को चिह्नित करने और इनकी संकल्पना करने तथा निजी पूंजी को आकर्षित करने के महत्व को अनुभव करते हुए, आईआईएफसीएल ने फरवरी 2012 में, एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (आईपीएल) की स्थापना की जिसका उद्देश्य परियोजना संरचना, मूल्यांकन और समूहन सेवाओं सहित परियोजना सलाहकार सेवाएं मुहैया कराने के लिए अपनी क्षेत्रगत विशेषज्ञता का लाभ उठाना था।

एक प्रतिबद्ध वित्तीय और अवसंरचना सलाहकार कम्पनी के रूप में काम करते हुए, आईपीएल केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकारों और इनके निकायों, परियोजना विकासकर्ताओं और निवेशकों को अवसंरचना, अवरोधों, नीति और वित्त संबंधी मुद्दों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर सलाहकार समर्थन प्रदान करती है।

इस वित्तीय वर्ष में, आईपीएल ने अपने ज्ञान नेतृत्व की पुनः पुष्टि करते हुए 'ग्रीन फाइनेंस' में कार्यादेश प्राप्त किए जिसमें आईपीएल ने व्यापार के अपेक्षाकृत नए क्षेत्रों जैसे शहरी विकास, ठोस कचरा प्रबंधन, जलवायु धारणीयता और अवसंरचना में तन्त्र्यता आदि में कार्यादेश क्रियान्वित किए। हमारी चुनींदा विशिष्ट सुपुर्द कार्य दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीएमआईडीसी) जैसे ग्राहकों के साथ थे जिनमें हमने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के लिए एक वित्तीय संरचनागत रूपरेखा तैयार करने में ग्राहक की सहायता की। हमारे लिए एक अन्य उपलब्धि, केरल राज्य में केरल अवसंरचना निवेश निधि बोर्ड (केआईआईएफबी) के अंतर्गत अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए अवसंरचना वित्तपोषण निकायों – एआईएफ की स्थापना थी। इसके अतिरिक्त, आईपीएल ने मेघालय में विकास शहरी अवसंरचना और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए परियोजना विकास सहायतय (पीडीए) मुहैया कराने के लिए मेघालय अवसंरचना विकास वित्त निगम, मेघालय (एमआईडीएफसी) के साथ एक कार्यादेश हस्ताक्षरित किया। अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी एक प्रमुख डील होने जा रही है।

आईपीएल ने यूएन ईएससीएपी और एडीबी के साथ 'शहरी अवसंरचना: सार्वजनिक निजी भागीदारी और निगम वित्त नवप्रयोगों पर नई एप्रोच' विषय पर दो दिवसीय दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए नीति आयोग के साथ 'ज्ञान और समर्थन भागीदार' के रूप में सहभागिता की।

आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएमसीएल)

आईआईएफसीएल, जो कि आईआईएफसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है, आईआईएफसीएल की एक आस्तित्व प्रबन्धन कम्पनी है, आईआईएफसीएल ने म्यूचुअल फंड आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर डेबिट फंड (आईडीएफ) को प्रबंधित करने के लिए इसका गठन एक न्यास के रूप में किया है। आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड ने अपनी पहली आईडीएफ योजना "आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण फंड सीरीज -I" के नाम से 14 फरवरी 2014 को 5 निवेशकों से 300 करोड़ रुपये की राशि इकट्ठा करते हुए की थी। आईडीएफ सीरीज-I को दो घरेलू रेटिंग एजेंसियों द्वारा एएए आईडीएफ-एमएफ की रेटिंग दी गई है और यह बीएसई में लिस्टेड है। यह स्कीम मुख्यतः पूर्ण और राजस्व अर्जन करने वाली अवसंरचनात्मक आस्तियों में निवेश करती है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, सीरीज-I के प्रबन्धन के तहत आस्तियां 393.73 करोड़ रुपये हो गई हैं।

अप्रैल, 2017 माह में आईएमसीएल ने अपनी छह संस्थागत निवेशकों सहित 200.00 करोड़ रुपये की निधि से आईडीएफ सीरीज -II को आरम्भ और बंद किया जो कि एएए आईडीएफ-एमएफ की रेटिंग प्राप्त है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, आईडीएफ सीरीज-II के प्रबन्धन के तहत आस्तियां 165.57 करोड़ रुपये हो गई हैं।

सीएआर ने आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएमसीएल) की योजनाओं (सीरीज I और II) की रेटिंग 31 अप्रैल 2019 से एएए से बढ़ाकर दोनों सीरीज के लिए एएप्लस कर दी और 11 मार्च, 2019 से बीडब्ल्यूआर एएए आईडीएफ एमएफएस से बढ़ाकर दोनों सीरीज के लिए बीडब्ल्यूआर एएप्लस आईडीएफ एमएफएस कर दी।

शेयर पूंजी

31 मार्च 2019 को आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 6000 करोड़ थी और प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 4102.32 करोड़ थी, जिसमें से 10 रुपये प्रत्येक के 420.23 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल थे, जिनमें से सम्पूर्ण भाग भारत सरकार का था। 14 मई, 2019 को भारत सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये के एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट के साथ, आपकी कंपनी की प्रदत्त पूंजी उक्त तिथि के अनुसार 4702.32 करोड़ थी।

लाभांश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपके निदेशकों ने किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की थी। सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश जारी किए गए दिनांक 27 मई 2016 की नीति के तहत, कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ 5/2/2016-नीति के माध्यम से, निवेश और सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन (डीआईपीएम), वित्त मंत्रालय को देखा जा सकता है। इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, प्रत्येक सीपीएसई पीएटी के 3 प्रतिशत या निवल संपत्ति के 5 प्रतिशत के न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करेगी, जो मौजूदा कानूनों के तहत स्वीकार्य अधिकतम लाभांश के अधीन उच्चतर होगा। आईआईएफसीएल ने 14 जनवरी 2016 के पत्र के जरिए सरकार को कम से कम 3 वर्षों के लिए लाभांश के भुगतान से छूट के लिए अनुरोध किया था।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

आपकी कंपनी आधारभूत संरचना सुविधाओं के लिए वित्तपोषण के कारोबार में संलग्न गैर-बैंकिंग वित्तीय निगम होने के कारण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रासंगिक प्रावधान से मुक्त है।

निदेशकमंडल

आज की तारीख के अनुसार, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की रचना निम्नानुसार है:

नाम एवं पद	श्रेणी	नियुक्ति की तिथि
श्री पंकज जैन (नोट 1 देखें) अपर सचिव, वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार, वित्त मंत्रालय	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	1 जनवरी 2016
श्री आनंद मधुकर (नोट 2 देखें) संयुक्त सचिव, विशेष कार्याधिकारी वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार	सरकारी नामिती निदेशक	16 सितम्बर 2019
डॉ कुमार वी प्रताप (नोट 3 देखें) संयुक्त सचिव (अवसंरचनानीति एवं वित्त)	सरकारी नामिती निदेशक	14 दिसम्बर 2017
श्री संजोय कुमार साहा (नोट 4 देखें) सलाहकार (पीपीपीएयू), नीति आयोग	सरकारी नामिती निदेशक	12 सितम्बर 2018
सुश्री पी. वी. भारती (नोट 5 देखें) नामिती निदेशक प्रबंध निदेशक और सीईओ कॉरपोरेशन बैंक	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 4 जुलाई 2018	
श्री चैतन्य गायत्री चिंतापल्ली (नोट 6 देखें) नामिती निदेशक बैंक ऑफ इंडिया	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कार्यकारी निदेशक	16 अगस्त 2018

टिप्पणियां :

- वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 3/2/2011/आईएफ-1 दिनांक 1 जनवरी, 2016 के द्वारा श्री पंकज जैन, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय को इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल में सुश्री अन्ना रॉय, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग के स्थान पर सरकारी नामिती निदेशक के रूप में आईआईएफसीएल के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 115 (1) (बी) (ii) तथा 120 के प्रावधान के संदर्भ में आगामी आदेश तक नियुक्त किया गया।

तदोपरान्त, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 3/2/2011/आईएफ-1 (खंड-II) दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 के द्वारा श्री पंकज जैन, आई.ए.एस. (एएम:90), संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को नियमित व्यक्ति की नियुक्ति होने तक तत्काल प्रभाव से इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

2. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 9 सितम्बर 2019 के पत्र संख्या 3/2/2011/आईएफ-1 द्वारा, आईआईएफसीएल के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 115 (1)(k)(i) और 120 के प्रावधानों के अनुसार तुरंत प्रभाव से और अगले आदेश तक श्री पंकज जैर, अपर सचिव, डीएफएस के स्थान पर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल में श्री आनंद मधुकर, विशेष कार्याधिकारी, (संयुक्त सचिव स्तर), डीएफएस को सरकारी नामिती निदेश के रूप में नियुक्त किया गया। श्री आनंद मधुकर की नियुक्ति डीआईएन के आवंटन की तारीख अर्थात् 16 सितम्बर, 2019 से प्रभावी है।
यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 3/2/2011/आईएफ-1 (खंड-II) दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 के द्वारा श्री पंकज जैन, आई.ए.एस. (एएम:90), अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को नियमित व्यक्ति की नियुक्ति होने तक तत्काल प्रभाव से इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। तदनुसार, श्री पंकज राय, प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार धारित करते रहेंगे।
3. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 3/2/2010/आईएफ-1 (खंड-III) दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 के द्वारा डॉ. कुमार विनय प्रताप, संयुक्त सचिव (अवसंरचना नीति एवं वित्त), आर्थिक कार्य विभाग को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल में सुश्री शर्मिला चावली के स्थान पर सरकारी नामिती निदेशक के रूप में आईआईएफसीएल के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 115 (1) (बी) (ii) तथा 120 के प्रावधान के संदर्भ में आगामी आदेश तक नियुक्त किया गया।
4. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 3/1/ (पप)/2010/आईएफ-1 दिनांक 16 अगस्त, 2018 के द्वारा संजोय कुमार साहा, सलाहकार, नीति आयोग को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल में श्री प्रवीण महतो के स्थान पर सरकारी नामिती निदेशक के रूप में आईआईएफसीएल के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 115 (1) (बी) (ii) तथा 120 के प्रावधान के संदर्भ में आगामी आदेश तक नियुक्त किया गया। श्री संजोय कुमार साहा की नियुक्ति डी.आई.एन. के आवंटन की तिथि अर्थात् 12 सितम्बर, 2018 से प्रभावी है।
5. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 3/1/2010/आईएफ-1 (खंड-IV) दिनांक 4 जुलाई, 2018 के द्वारा सुश्री पी. वी. भारती, कार्यकारी निदेशक, कैनरा बैंक को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिती निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक नियुक्त किया गया। तदोपरान्त सुश्री पी.वी. भारती को वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2018 के पत्र संख्या एफ.सं. 4/2/2018-बीओ.। द्वारा कॉरपोरेशन बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया।
6. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 33/1/ (ii)/2010/आईएफ-1 दिनांक 16 अगस्त, 2018 के द्वारा श्री चैतन्य गायत्री चिंतापल्ली को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिती निदेशक के रूप में आईआईएफसीएल के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 115 (1) (बी) (ii) तथा 120 के प्रावधान के संदर्भ में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक नियुक्त किया गया।

वे व्यक्ति जिनकी आईआईएफसीएल के मंडल से 1 अप्रैल, 2018 से आज की तिथि तक निदेशक के तौर पर सेवाएँ समाप्त हो गई हैं, निम्नानुसार हैं:-

नाम एवं पदनाम	वर्ग	कार्यकाल
श्री प्रवीण महतो सलाहकार (पीपीएयू), नीति आयोग	सरकार द्वारा नामित निदेशक	26 दिसंबर, 2016-16 अगस्त, 2018
श्री सुनील मेहता प्रबंध निदेशक एवं सीईओ पंजाब नेशनल बैंक	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक	25 जुलाई, 2017-4 जुलाई, 2018

मंडल कंपनी में उनके योगदान के अपने अभिमूल्यन को अभिलिखित कर अपनी शुभकामनायें प्रेषित करता है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) की आवश्यकतानुसार, एतत् द्वारा पुष्टि की जाती है:

- क. कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में व्यवहार्य लेखा मानकों का पालन किया गया था और इससे किसी भी तरह का महत्वपूर्ण विचलन नहीं हुआ था।
- ख. कि निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें लगातार लागू किया और निर्णय और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों के बारे में और अंत में समीक्षा वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।
- ग. कि निदेशकों ने कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की।
- घ. कि निदेशकों ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के खातों को एक नियमित संबंधित विषयों के आधार पर तैयार किया।
- ङ. कि निदेशकों ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखे हैं, और जिनका पालन कंपनी द्वारा किया जाएगा और इस तरह के आंतरिक वित्तीय पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

च कि निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और बताया गया कि ऐसी व्यवस्था पर्याप्त थी और प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी।

कॉर्पोरेट अभिशासन

कॉर्पोरेट अभिशासन शेयरधारकों के अविच्छेद्य अधिकारों के प्रबंधन द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों का एक समूह है, जो निगम के सच्चे मालिक और शेयरधारकों की तरफ से स्वयं की भूमिका निभाता है। कॉर्पोरेट प्रशासन पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है, जो कंपनी और समाज के मजबूत और संतुलित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है। तदनुसार, कॉर्पोरेट प्रशासन चलन को अपनाने और उन्हें मजबूत करने को कॉर्पोरेट जगत में मजबूती से अहसास किया गया है।

आपकी कंपनी कॉर्पोरेट संरचना विकसित करने, व्यवसाय के संचालन और ऐसे कॉर्पोरेट प्रशासन से सम्बन्धित दर्शन के साथ जुड़े स्पष्ट चलन पर ध्यान केंद्रित करती रही है। आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल की रचना, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा भेजे गये पत्र एफ नं- 18/6/2014-आईएफ-आई, दिनांक 22 जनवरी 2015 के अनुसार, स्थिति इस तरह है: - दो (2) पूर्णकालिक निदेशकों अर्थात्, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक, तीन (3) सरकार के नामित निदेशकों, दो (2) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और ऐसे स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जैसे कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक हो सकता है। इस समय, एक पूर्णकालिक निदेशक का पद रिक्त है। इसके अलावा, इसके बोर्ड में चार स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की आवश्यकता है और उन्होंने अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर विचार करने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है।

वित्तीय विवरणों के समेकन के संबंध में आपकी कंपनी ने लागू लेखा मानक के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए। प्रबंधन सभी भौतिक वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित बोर्ड के सामने खुलासा करता है, जहां उनके निजी हित हैं और जिनका कंपनी के हित के साथ संभावित संघर्ष संभव है। अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट, कंपनी के प्रदर्शन और अन्य संचालन संबंधी मामलों को नियमित रूप से निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है।

वर्ष भर के दौरान बोर्ड की बैठकें

कंपनी के निदेशक मंडल, नेतृत्व और रणनीतिक दिशा प्रदान करता है और इसके उद्देश्य से सम्बन्धित फैसले को आगे बढ़ाता है, ताकि कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण रखना, एक कुशल प्रबंधन के माध्यम से हितधारकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल ने 14 मई 2018, 2 जुलाई, 2018, 1 अगस्त, 2018, 28 सितंबर, 2018, 14 दिसंबर 2018, 12 जनवरी, 2019 और 16 मार्च 2019 को सात बार बैठकें की।

निदेशक मंडल की समिति

बोर्ड विशिष्ट संचालन क्षेत्रों की निगरानी के लिए गठित पूर्ण बोर्ड या विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है। बोर्ड की प्रत्येक समिति संदर्भ की शर्तों द्वारा निर्देशित होती है, जो समिति की संरचना, दायरे और शक्तियों को परिभाषित करती है। समितियां नियमित अंतराल पर बैठकें करती हैं और विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और उन्हें दिए गए अधिकार के भीतर निर्णय से अवगत कराती हैं।

31 मार्च 2019 तक, बोर्ड की निम्न समितियां थीं:

1. लेखा परीक्षा समिति
2. प्रबंधन और निवेश समिति
3. जोखिम प्रबंधन समिति
4. आस्ति देयता प्रबंधन समिति
5. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
6. पारिश्रमिक और नामांकन समिति
7. हितधारक सम्बन्ध समिति
8. आईटी रणनीति समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

29 मई, 2006 को आयोजित तीसरी बोर्ड बैठक में लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया था, जिसे पुनः दिनांक 17 अगस्त, 2018 के परिपत्र संकल्प संख्या 89/2018-19 के माध्यम से पुनर्गठित किया गया।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

आज की तिथि के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन निम्न है:

नाम	पदनाम
सुश्री पी. वी. भारती	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामांकित निदेशक समिति की अध्यक्ष
श्री पंकज जैन	प्रबंध निदेशक, आई.आई.एफ.सी.एल.,
श्री संजोय कुमार साहा	सरकारी नामांकित निदेशक
श्री चैतन्य गायत्री चिंतापल्ली	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामांकित निदेशक

वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की पाँच बैठकें 9 मई, 2018, 1 अगस्त, 2018, 14 दिसम्बर 2018 और 16 मार्च 2019 को हुई।

प्रबंधन और निवेश समिति (एमआईसी)

20 फरवरी 2013 को बोर्ड की हुई 60 वीं बैठक में एमआईसी का गठन किया गया था, जिसे पुनः दिनांक 17 अगस्त, 2018 के परिपत्र संकल्प संख्या 89/2018-19 के माध्यम से पुनर्गठित किया गया।

आज की तिथि के अनुसार, प्रबंधन और निवेश समिति का गठन निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
श्री पंकज जैन	आई.आई.एफ.सी.एल. के प्रबंध निदेशक
डॉ. कुमार वी. प्रताप	सरकारी नामांकित निदेशक
श्री संजोय कुमार साहा	सरकारी नामांकित निदेशक
सुश्री पी. वी. भारती	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामांकित निदेशक
श्री चैतन्य गायत्री चिंतापल्ली	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामांकित निदेशक

2018-19 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन और निवेश समिति ने क्रमशः 9 मई 2018, 18 मई 2018, 2 जुलाई, 2018, 21 अगस्त 2018, 28 सितम्बर, 2018, 27 नवम्बर 2018, 14 दिसम्बर 2017, 12 फरवरी, 2019 और 16 मार्च 2019 को नौ बार बैठकें की।

जोखिम प्रबंधन समिति

आईआईएफसीएल निदेशकमंडल की 14 नवंबर, 2008 को आयोजित 21वीं बैठक में बोर्ड की जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया। आईआईएफसीएल के सिलसिले में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एनबीएफसी-आईएफसी के रूप में पंजीकृत किये जा रहे और आईआईएफसीएल में एकीकृत जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन बोर्ड स्तर-जोखिम निवारण और

प्रबंधन समिति का पुनर्गठन बोर्ड स्तर-जोखिम प्रबंधन और एएलसीओ समिति के रूप में किया गया था जिसमें 03 फरवरी 2014 को आयोजित आईआईएफसीएल जोखिम प्रबंधन और आस्तियों और देनदारियों के प्रबंधन के लिए समग्र मार्गदर्शन देने के लिए 68 वीं बोर्ड की बैठक में एएलसीओ समिति का पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद, आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने 26 नवंबर 2014 को आयोजित 73 वें बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी थी कि आईआईएफसीएल की मौजूदा जोखिम प्रबंधन और एएलसीओ (एलको) समिति को दो समितियों में विभाजित किया जाना चाहिए, अर्थात् जोखिम प्रबंधन समिति और एएलसीओ (एलको) समिति मुख्य परिपत्र- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस डीएनबीएस (पीडी) सीसी सं 390/03.10.001/2014-15 दिनांकित 1 जुलाई, 2014 में संदर्भित करता है कि प्रत्येक एनबीएफसी को 20 करोड़ या उससे अधिक के सार्वजनिक जमा के साथ या 100 करोड़ आस्ति या उससे अधिक का आकार आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के अतिरिक्त एकीकृत जोखिम का प्रबंधन करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करेगा। दोनों समितियों में सदस्य एक समान होंगे।

दिनांक 17 अगस्त, 2018 के परिपत्र संकल्प संख्या 89/2018-19 के माध्यम से जोखिम प्रबंधन समिति और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया।

आज की तिथि के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति का गठन निम्नवत है:

नाम	पदनाम
श्री पंकज जैन	प्रबंध निदेशक, आई.आई.एफ.सी.एल.,
श्री संजोय कुमार साहा	सरकारी नामांकित निदेशक
सुश्री पी. वी. भारती	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामांकित निदेशक
श्री चैतन्य गायत्री चिंतापल्ली	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामांकित निदेशक

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति ने 9 मई 2018, 21 अगस्त 2018, 28 सितम्बर 2018, 14 दिसम्बर 2018 और 16 मार्च, 2018 को पांच बार बैठकें की।

आस्ति देयता प्रबंधन (एएलसीओ) समिति

आज की तिथि अनुसार आस्ति देयता समिति का गठन निम्नवत है:

नाम	पदनाम
श्री पंकज जैन	प्रबंध निदेशक, आई.आई.एफ.सी.एल.,
श्री संजोय कुमार साहा	सरकार द्वारा नामित निदेशक
सुश्री पी. वी. भारती	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
श्री चैतन्य गायत्री चिंतापल्ली	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक

वर्ष के दौरान, बोर्ड की आस्ति देयता समिति की क्रमशः 9 मई 2018, 1 अगस्त 2018, 14 दिसम्बर 2018 और 16 मार्च 2019 को चार बैठकें हुईं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार 23 अप्रैल, 2012 को आयोजित बोर्ड की 51 वीं बैठक में सीएसआर समिति का गठन किया गया था, जिसे पुनः दिनांक 17 अगस्त, 2018 के परिपत्र संकल्प संख्या 89/2018-19 के माध्यम से पुनर्गठित किया गया।

आज की तिथि के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन निम्नानुसार है :

नाम	पदनाम
श्री पंकज जैन	प्रबंध निदेशक, आई.आई.एफ.सी.एल.,
डॉ. कुमार वी. प्रताप	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री संजोय कुमार साहा	सरकार द्वारा नामित निदेशक समिति के अध्यक्ष

वर्ष के दौरान, बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति ने 11 मार्च 2019 को एक बार बैठक की।

पारिश्रमिक एवं नामांकन समिति

14 जुलाई 2009 को आयोजित बोर्ड की 25 वीं बैठक में पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया, जिसे बाद में कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुसार 11 अगस्त, 2014 को आयोजित 71 वीं बोर्ड बैठक में पारिश्रमिक और नामांकन समिति का नाम दिया गया। जिसे पुनः दिनांक 17 अगस्त, 2018 के परिपत्र संकल्प संख्या 89/2018-19 के माध्यम से पुनर्गठित किया गया।

पारिश्रमिक और नामांकन समिति का गठन आज की तिथि के अनुसार निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
डॉ. कुमार वी. प्रताप	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री संजोय कुमार साहा	सरकार द्वारा नामित निदेशक
सुश्री पी. वी. भारती	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक

2018-19 के दौरान बोर्ड की पारिश्रमिक और नामांकन समिति की कोई बैठक नहीं हुई

पणधारक सम्बन्ध समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुसार 1 अगस्त, 2014 को आयोजित बोर्ड की 71 वीं बैठक में पणधारक सम्बन्ध समिति का गठन किया गया था। जिसे पुनः दिनांक 17 अगस्त, 2018 के परिपत्र संकल्प संख्या 89/2018-19 के माध्यम से पुनर्गठित किया गया।

आज की तिथि के आधार पर पणधारक सम्बन्ध समिति का गठन निम्नानुसार है:-

नाम	पदनाम
सुश्री पी. वी. भारती	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामांकित निदेशक समिति की अध्यक्ष
श्री पंकज जैन	प्रबंध निदेशक, आई.आई.एफ.सी.एल.,
श्री संजोय कुमार साहा	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री चैतन्य गायत्री चिंतापल्ली	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

2018-19 के दौरान, बोर्ड के पणधारक सम्बन्ध समिति ने क्रमशः 9 मई 2018, 1 अगस्त 2018, 14 दिसम्बर 2018 और 16 मार्च 2019 को चार बार बैठक की।

सभी निवेशकों की शिकायतों को नियमित आधार पर सुना जाता है।

आईटी रणनीति समिति

8 जून 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए मास्टर निदेश-सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा की आवश्यकता के अनुसार 2 अगस्त 2017 को आयोजित बोर्ड की 86 वें बैठक में आईटी रणनीति समिति का गठन किया गया था। जिसे दिनांक 17 अगस्त, 2018 के परिपत्र संकल्प संख्या 89/2018-19 के माध्यम से पुनर्गठित किया गया।

आज की तिथि के अनुसार आईटी रणनीति समिति की का गठन निम्नानुसार है:-

समिति के सदस्य
सरकारी नामांकित निदेशक, अध्यक्ष, आईटी रणनीति समिति
प्रबंध निदेशक, आई.आई.एफ.सी.एल.,
मुख्य महाप्रबंधक और आईटी विभाग के प्रमुख
मुख्य महाप्रबंधक और जोखिम विभाग के प्रमुख
मुख्य महाप्रबंधक और एचआर विभाग के प्रमुख
उप महाप्रबंधक और सीआईओ
उप महाप्रबंधक और सीआईएसओ

वर्ष 2018-19 के दौरान, आई.टी. रणनीति समिति के बोर्ड की बैठक 9 मई 2018, 1 अगस्त 2018, 28 सितम्बर 2018, 14 दिसम्बर 2018 और 16 मार्च 2019 को पांच बार हुई।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 की उप-धारा (3) के तहत दिये गये दिशानिर्देशों और अन्य मामलों की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीतियां

दिनांक 5 जून, 2015 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के संदर्भ में, आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 के उप-धारा (3) के तहत दिये गये निर्देशों और अन्य मामलों की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, स्वतंत्रता निर्धारण और अन्य मामलों के निर्धारण के लिए मापदंडों सहित निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक कंपनी की नीतियों से सम्बन्धित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(ड) के प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 की उप-धारा (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दिए गए घोषणापत्र पर वक्तव्य

आईआईएफसीएल के बोर्ड निदेशकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारत अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों सहित नामित किया गया है। आईआईएफसीएल ने अपने बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की इस प्रक्रिया की शुरुआत की है।

वक्तव्य उस तौर तरीके को इंगित करता है, जिसमें औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के कार्य-निष्पादन और अपनी समितियों एवं अलग-अलग निदेशकों द्वारा किये गये कार्य-निष्पादनों को दर्शाता है।

5 जून 2015 को कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) की अधिसूचना की शर्तों के अनुसार, अपने स्वयं के कार्य-निष्पादन बोर्ड और इसके समितियों और अलग-अलग निदेशकों द्वारा औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 134 (3) (पी) के प्रावधान, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होंगे यदि निदेशकों का मंत्रालय या केंद्रीय सरकार के विभाग द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, जो प्रशासनिक रूप से कंपनी का प्रभारी होता है या, जिस राज्य सरकार मामला हो, अपनी स्वयं की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार मूल्यांकन किया गया है। आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल को अपने स्वयं के कार्य-निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन और एमसीए अधिसूचना को देखते हुए अपनी समिति और अलग-अलग निदेशकों के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं थी।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 (1) के तहत सम्बन्धित पक्षों के साथ संविदा या व्यवस्था का विवरण

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 188 (1) में निर्दिष्ट पक्षों के साथ कंपनी द्वारा कोई अनुबंध या व्यवस्था दर्ज नहीं की गई थी।

महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताओं, यदि कोई हो, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है, और जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के दौरान हुई हो, जिससे वित्तीय विवरण और रिपोर्ट की तिथि से संबंध हो।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 188 (1) में निर्दिष्ट पक्षों के साथ कंपनी द्वारा कोई अनुबंध या व्यवस्था दर्ज नहीं की गई थी।

कंपनी की संबंधित स्थिति और भावी संचालनों को प्रभावित करने वाले नियामकों/न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय आदेश

नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक उल्लेखनीय आदेश पारित नहीं किए गए, जो कि चालू संबंधित स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता

आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने 11 अगस्त 2014 को हुई बोर्ड की 71 वीं बैठक में आईआईएफसीएल के सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) (ई) में वर्णित निदेशकों की जिम्मेदारी वक्तव्य के लिए अपेक्षित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की तैयारी की थी। मैसर्स के.एम. अग्रवाल द्वारा दी गई कंपनी अधिनियम 2013 दिनांकित 29 जनवरी 2015 के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट और आईआईएफसीएल की टिप्पणियों के साथ आईआईएफसीएल की सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट में 9 फरवरी, 2015 को आयोजित बैठक में ऑडिट समिति और आईआईएफसीएल बोर्ड द्वारा समीक्षा की गई है।

निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता व्यवस्था की स्थापना का विवरण

आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने 11 अगस्त 2014 को आयोजित बोर्ड की 71वीं बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी थी कि आईआईएफसीएल के केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी के अधिनियम के तहत सतर्कता तंत्र एवं निदेशकों और कर्मचारियों की सतर्कता प्रणाली जरूरी वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त होगी। बोर्ड ने आगे यह तय किया कि आईआईएफसीएल की निगरानी प्रणाली व्यक्तियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगा और सीवीसी दिशानिर्देशों के तहत उपयुक्त या अपवादात्मक मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंच का प्रावधान करेगा। इसके बाद बोर्ड ने कंपनी अधिनियम की धारा 177 की अपेक्षा के अनुसार कंपनी की वेबसाइट पर और बोर्ड रिपोर्ट में इस तरह के निगरानी प्रणाली की स्थापना के विवरण को स्पष्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आपकी कंपनी ने कंपनी की वेबसाइट पर निगरानी प्रणाली का आयोजन किया है। आपकी कंपनी के पास भी एक औपचारिक सचेतक नीति है, जो कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित है।

कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत प्रकटीकरण

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आईआईएफसीएल में एक सुव्यवस्थित स्थापित प्रणाली है। एक आंतरिक समिति है, जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले देखती है। साथ ही, आईआईएफसीएल कर्मचारी सेवा नियामक में यौन उत्पीड़न के मामलों को कदाचार के रूप में उल्लेख किया गया है। आईआईएफसीएल लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहा है कि महिलाओं की संख्या से निर्पक्ष महिलाओं सहित काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए काम का माहौल सुरक्षित हो, इस तथ्य पर जोर डाला जा सकता है कि आज तक आईआईएफसीएल में इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आरटीआई अधिनियम की उपयोगिता का अनुसरण करते हुए, आईआईएफसीएल में आर.टी.आई. अधिनियम कार्यान्वित किए गये और आईआईएफसीएल द्वारा आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदकों का जानकारी उपलब्ध कराई गई है। आरटीआई अधिनियम से संबंधित जानकारी आईआईएफसीएल की वेबसाइट www.iiicl.org पर अपलोड की गई है। आईआईएफसीएल ने आर.टी.आई. अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए गये हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 52 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए थे। 47 आवेदनों का उत्तर दिया गया और 3 आवेदन निरस्त (आईआईएफसीएल से संबंधित नहीं) कर दिए गए और 2 आवेदनों को निर्धारित समयावधि के भीतर अन्य संगठन को अग्रेषित किया गया।

शिकायत का निपटान-तंत्र

आईआईएफसीएल ने पणधारकों को अपनी शिकायतें, यदि कोई हो, दर्ज कराने के लिए प्रभावी एवं समयोचित रूप से एक उचित मंच प्रदान करता है। संस्थान भुगतान, निवेशक सेवाओं, कार्य दशा इत्यादि से संबंधित मामलों के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र आरम्भ किया

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

है, जो पारदर्शी एवं उचित रूप से मामलों का निपटान करता है। पणधारकों के साथ जिम्मेदारीपूर्वक प्रतिक्रिया तथा निवेशकों की शिकायतों पर समयोचित कार्रवाई कंपनी की उच्च प्राथमिकता है। वित्तीय वर्ष के दौरान, आईआईएफसीएल में 107 शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी का समाधान कर दिया गया।

जमाएं

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के तहत कम्पनियों (जमा राशियों की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ कोई भी जमाएं स्वीकार नहीं की हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्गमन के बारे में विवरण

ऊर्जा का संरक्षण/प्रौद्योगिकी समावेश

कंपनी को ऊर्जा के संरक्षण और प्रौद्योगिकी समावेश से संबंधित विवरणों का प्रकटीकरण करना आवश्यक नहीं है क्योंकि आपकी कंपनी विनिर्माण गतिविधियों में शामिल नहीं है। हालांकि, कंपनी ने कार्यालय परिसर में ऊर्जा खपत के संरक्षण के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। कंपनी अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करती है जिसमें किसी भी प्रौद्योगिकी समावेश नहीं किया गया है।

विदेशी मुद्रा का अर्जन और बहिर्गमन

वर्ष 2018-19 के दौरान प्रयुक्त/अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नवत है :-

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
कुल प्रयुक्त विदेशी मुद्रा#	14.76	40.58
कुल अर्जित विदेशी मुद्रा	.	.

राशि में विदेशी मुद्रा ऋणों के पुनर्भुगतान/सर्विसिंग के लिए खरीदी गई विदेशी मुद्रा शामिल नहीं है।

कर्मचारियों का विवरण

चूंकि यह कंपनी सरकारी कंपनी है अतः कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्ति और पारिश्रमिक नियम), 2014 के नियम 5 साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197(12) के प्रावधानों के अनुसार, कर्मचारियों के विवरण देना आवश्यक नहीं है।

सचिवीय मानक

आईआईएफसीएल ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का पालन किया है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से वस्तुओं एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति

आईआईएफसीएल वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 2794.60 लाख रुपये की वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद करना चाहता था जिसमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित एमएसएमई से कुल 2744.31 लाख रुपए यानि 98.20 प्रतिशत की खरीद की गई।

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स जी.एस.ए. एंड एसोसिएट्स (डीई 1177), सनदी लेखाकार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी के 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के तृतीय चरण की लेखा परीक्षा का कार्य, प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा और पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-III को सौंपा गया था।

सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 16 मार्च 2019 को आयोजित बैठक में मैसर्स एन एन कुकरेजा एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज को वित्त वर्ष 2018-19 की सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, उन्होंने वित्त वर्ष 2018-19 के सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की जिसे इस रिपोर्ट में जोड़ा गया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अपेक्षित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में योग्यता के बारे में जानकारी और विवरण पर प्रबंधन टिप्पणियां इसके साथ संबद्ध परिशिष्ट में दी गई हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कोई टिप्पणी नहीं दी है।

राजभाषा

वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए ताकि राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

सांविधिक और अन्य अपेक्षित सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना निम्नानुसार इस रिपोर्ट में संलग्न है:

क्र.सं.	विवरण	अनुबंध
1	सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	I
2	फॉर्म संख्या एमजीटी 9 में वार्षिक विवरणी का निष्कर्ष	II
3	सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	III
4	राशि यदि कोई आरक्षित निधि में ले जाई गई है	IV

अभिस्वीकृतियाँ

निदेशक मंडल केंद्र सरकार विशेष रूप से वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, राज्य सरकारों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहयोगी कर्मचारियों, ग्राहकों और अन्य सभी पणधारकों के लिए उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए आभारी है। बोर्ड कंपनी के लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, एलआईसी और एमओयू भागीदारों के लिए उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और सलाह के लिए भी आभारी है।

निदेशक मंडल, कंपनी के कर्मचारियों के समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रयासों की सराहना करता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

ह0/—

पंकज जैन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं 00675922

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.08.2019

बोर्ड की रिपोर्ट का परिशिष्ट

क. सचिवीय लेखा-परीक्षकों के प्रेक्षण:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) में निर्धारित निदेशकों की कुल संख्या में से न्यूनतम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या बोर्ड में पूरी नहीं है;

प्रबंधन की टिप्पणियां: भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग आईआईएफसीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में है।

2. अधिनियम की धारा 177(2), धारा 178(1), धारा 135(1) के अनुसार बोर्ड की समितियों – क्रमशः लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है।

प्रबंधन की टिप्पणियां: आईआईएफसीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

3. बोर्ड की संरचना में दिनांक 3.7.2018 तक कोई महिला निदेशक शामिल नहीं थी (वास्तव में रिक्ति 14.12.2017 को उत्पन्न हुई थी)

प्रबंधन की टिप्पणियां: उल्लेख किया जाता है कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 4 जुलाई, 2018 के अपने पत्र संख्या एफ.सं0 3/1/2010/आईएफ-1 (खंड-IV) द्वारा आईआईएफसीएल के बोर्ड में महिला निदेशक की नियुक्ति कर दी है।

ख. सांविधिक लेखा-परीक्षकों के प्रेक्षण

1. **आस्थगित कर आस्तियां:** कम्पनी ऋण आस्तियों के संबंध में प्रावधानों का सृजन आरबीआई द्वारा जारी आईआरएसी विवेकपूर्ण मानकों/संभावित क्रेडिट हानि मॉडल के आधार पर करती रही है और कर व्ययों की गणना इसको निवल लाभ में जोड़ने के बाद करती रही है। आईसीएआई द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक 12 “आयकर” में निर्धारित किया गया है कि यदि किसी मद ले खाते में कर देनदारी के संबंध में कोई अस्थायी अंतर है, तो इसके प्रभाव वर विचार करना होगा। इस तथ्य को देखते हुए, कि ऐसे प्रावधानों के भावग की अनुमति अनुवर्ती वर्षों में अधित्याग के आधार पर की जाती है, इससे अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है। अदा किए गए अधिक कर की रिकवरी/क्षतिपूर्ति अनवर्ती अवधि में कम कर देनदारी द्वारा की जाती है। भारतीय लेखांकन मानक 12 में ऐसे मामले में अस्थायी अंतर तक आस्थगित कर आस्तियों के सृजन की अपेक्षा की जाती है।

आईसीएआई के विशेषज्ञ सलाहकार समिति को दिए गए एक विकल्प में, उल्लेख किया गया है कि लेखा पुस्तिकाओं के अनुसार और आयकर के अनुसार अशोध्य ऋणों के प्रावधान (अनुपयोज्य आस्तियों) ऋणों में अंतर एक समय का अंतर है, और इसलिए, इसके लिए आस्थगित कर आस्ति के मामले में विवेक के कारकों के अधीन आस्थगित कर प्रभाव की स्वीकृति अपेक्षित होती है।

हमारे मतानुसार, अधित्याग की प्रतिशतता के संबंध में विगत अनुभव के आधार पर, आस्थगित कर आस्तियां सृजित करने की आवश्यकता है। इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त के दृष्टिगत, हम लाभ हानि विवरण और आरक्षितियों पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। (राशि अमूल्यांकित)।

प्रबंधन की टिप्पणियां: कम्पनी आरबीआई द्वारा जारी आईआरएसी विवेकपूर्ण मानकों के आधार पर ऋण आस्तियों के संबंध में प्रावधानों का सृजन करती रही है और कर व्ययों की गणना इसको निवल लाभ में जोड़ने के बाद करती रही है। आईसीएआई द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक 12 “आयकर” में निर्धारित किया गया है कि यदि किसी मद ले खाते में कर देनदारी के संबंध में कोई अस्थायी अंतर है, तो इसके प्रभाव वर विचार करना होगा। इस तथ्य को देखते हुए, कि ऐसे प्रावधानों के भावग की अनुमति अनुवर्ती वर्षों में अधित्याग के आधार पर की जाती है, इससे अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है। अदा किए गए अधिक कर की रिकवरी/क्षतिपूर्ति अनवर्ती अवधि में कम कर देनदारी द्वारा की जाती है। भारतीय लेखांकन मानक 12 में ऐसे मामले में अस्थायी अंतर तक आस्थगित कर आस्तियों के सृजन की अपेक्षा की जाती है। हमारे मतानुसार, अधित्याग की प्रतिशतता के संबंध में विगत अनुभव के आधार पर, आस्थगित कर आस्तियां सृजित करने की आवश्यकता है। इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त के दृष्टिगत, हम लाभ हानि विवरण और आरक्षितियों पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

आईआईएफसीएल का मत है कि ऋण आस्तियों का प्रावधान और ऋण आस्तियों का अधित्याग दो पृथक मदें हैं और ऋण आस्तियों में प्रावधान का व्युत्क्रमण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 के अंतर्गत व्यय/आय के रूप में अस्वीकार्य है। इसलिए भारतीय लेखांकन मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्ति के सृजन के उद्देश्य से कोई अस्थायी अंतर नहीं है। तदनुसार आईआईएफसीएल द्वारा अमूर्त आस्ति अर्थात् आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) सृजित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

मामले में अपने मत पर पुनः जोर देने के उद्देश्य से, आईआईएफसीएल ने, 24 नवम्बर 2017 के पत्र के अनुसार ऋण आस्तियों के प्रावधान पर आस्थगित कर आस्ति के सृजन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से एक स्पष्टीकरण मांगा है। आरबीआई ने 5 फरवरी 2018 की ईमेल द्वारा आईआईएफसीएल को इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) से संपर्क करने की सलाह दी।

आरबीआई से प्राप्त उत्तर के अनुसरण में, आईआईएफसीएल ने 19 मार्च 2018 को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि क्या आईआईएफसीएल द्वारा ऋण आस्तियों के प्रावधान पर आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) सृजन किया जाना अपेक्षित है।

तत्पश्चात, आईआईएफसीएल ने 20 जून 2018 के पत्र द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि क्या आईआईएफसीएल द्वारा ऋण आस्तियों के प्रावधान पर आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) सृजन किया जाना अपेक्षित है। आईसीएआई के एएसबी ने, 24 अगस्त 2018 के ईमेल द्वारा आईआईएफसीएल को सूचित किया कि अशोध और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान लेखा पुस्तिकाओं में वास्तविक अधित्याग का अग्रगामी होता है और लेखों में उक्त प्रावधान की अनुमति एक अवधि के बाद प्रावधान और अधित्याग के संयोजन के रूप में कर प्रयोजनों के लिए कटौती के रूप में की जाती है, यदि कर प्रयोजनों के लिए कटौती के रूप में अनुमत्त प्रावधान लेखों में किए गए प्रावधान से कम हो, तो ऋण आस्ति के प्रावधान पर आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) का सृजन किया जाना अपेक्षित होता है। तथापि, आईआईएफसीएल ने 23 अक्टूबर 2018 द्वारा लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) से ऋण आस्तियों पर आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) का सृजन न करने के लिए विवेकपूर्ण परिपाटी स्थापित करने के लिए एक सुविचारित मत लेने के लिए स्पष्टीकरण मांगा। आईआईएफसीएल के पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा है।

2. **यूके में सहायक कम्पनी में निवेश:** आईआईएफसीएल की सहायक कम्पनी, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी (यूके) लिमिटेड में निवेश का मूल्यांकन कम्पनी द्वारा वहन लागत अर्थात् 233.95 करोड़ रुपए पर किया गया है। जैसा कि सहायक कम्पनी के वित्तीय विवरणों से देखा गया है, यूके में सहायक कम्पनी का निवल मूल्य पूरी तरह से हास हो चुका है। जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है अनुषंगी कम्पनी की वित्तीय विवरणिकाएं भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिकाओं के अंतर्गत तैयार की गई हैं और संभावित ऋण हानि मॉडल के तहत भारी प्रावधान किए गए हैं। प्रबंधन के मतानुसार, यूके में सहायक कम्पनी की वित्तीय विवरणिकाएं सतत प्रतिष्ठान आधार पर तैयार की गई हैं और जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, यूके में सहायक कम्पनी के निवेश के उचित मूल्य का आकलन नहीं किया जा सकता। इसलिए, यूके में सहायक कम्पनी के निवेश के उचित मूल्यांकन के बिना, हम लाभ हानि खाते, आरक्षित और निवेश पर क्षति, यदि कोई हो, के प्रभाव पर कोई भी टिप्पणी देने में असमर्थ हैं। (राशि अमूल्यांकित)

प्रबंधन की टिप्पणियां: निवेदन किया जाता है कि इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी (यूके) लिमिटेड (आईआईएफसी (यूके)) की एक विनिर्दिष्ट स्तर पर पूंजी अनुरक्षित करने की कोई विनियामक अपेक्षा नहीं है। तथापि, आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2008 से 2010 तक (आईआईएफसी (यूके) में 50 मिलियन अमरीकी डॉलर का इक्विटी निवेश किया। (आईआईएफसी (यूके) ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में 30 मिलियन अमरीकी डॉलर का और वित्तीय वर्ष 2015-16 में 50 मिलियन अमरीकी डॉलर लाभांश घोषित किया जिसका योग 50 मिलियन डॉलर बनता है।

इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल ने निम्न के परिणामस्वरूप अपनी ऋण पुस्तिकाओं में गहन प्रावधानीकरण और सफाई की

- आरबीआई परिपत्र 12 फरवरी 2018 (बलाघातित परिसम्पत्तियों का समाधन – संशोधित रूपरेखा) का निर्गमन जिसके परिणामस्वरूप सभी योजनाओं को वापस लिया गया जैसे संतप्त अस्तियों का पुनरुद्धार, सीडीआर, मौजूदा दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना, एसडीआर, एसडीआर से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन; और
- ऋण-अशोधन और दिवालियापन संहिता का कार्यान्वयन जिसके परिणामस्वरूप एनपीए मामलों को अनिवार्यतः समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए एनसीएलटी को संदर्भित किया जा रहा है।

आईआईएफसीएल की तर्ज पर इसी प्रकार का ऋण पुस्तिकाओं में गहन प्रावधानीकरण और सफाई आईआईएफसी (यूके) में आरंभ किया गया। इसके परिणामस्वरूप आईआईएफसी (यूके) के निवल मूल्य का हास हो गया।

आईआईएफसीएल आईआईएफसी (यूके) में 10 वर्ष की अवधि तक 250 मिलियन डॉलर तक का इक्विटी निवेश के अभिदान के माध्यम से आईआईएफसी (यूके) में नई पूंजी मुहैया कराने का इरादा रखती है।

चूंकि आईआईएफसीएल पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान वित्तीय सेवा गतिविधियों से निवल लाभ अर्जित करने के मापदंड पूरे नहीं कर रही है (जो आरबीआई के फेमा विनियमों के अनुसार एक अपेक्षा है), और इसकी टीयर 1 पूंजी में सहायक/समूह कम्पनियों में निवेश करने की गुंजाइश नहीं है, कम्पनी ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से आरबीआई के फेमा विनियमों के अनुसार अनुमोदन प्रदान करने और आईआईएफसीएल को, विनियामक कोण से टीयर 1 पूंजी में क्षति के बिना आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में निवेश की अनुमति देने का अनुरोध किया। आरबीआई ने 29 मार्च 2019 के पत्र द्वारा फेमा के दृष्टिकोण से आईआईएफसीएल के अनुरोध को अनुमोदित किया, किंतु 4 जुलाई 2019 के पत्र द्वारा विनियामक कोण से आईआईएफसी (यूके) में निवेश करने के आईआईएफसीएल के अनुरोध को नहीं माना। आईआईएफसीएल सहायक समूह में निवेश के लिए गुंजाइश बढ़ाकर आईआईएफसी (यूके) में नई पूंजी मुहैया कराने का इरादा रखती है।

आईआईएफसीएल ने आईआईएफसी (यूके) को सतत प्रतिष्ठान मानते हुए और कम्पनी को हुई हानि को स्थायी न मानते हुए आईआईएफसी (यूके) में धारित इक्विटी शेयर पूंजी के हास को हानि के रूप में स्वीकृत किया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

ए.एन. कुकरेजा एंड
कंपनी सचिव

अनुबंध I

ई-147/I नारायणा विहार
नई दिल्ली -110028

टेलीफोन : 64705555ए मोबाइल : 9810587990

ईमेल रू an_kukreja@rediffmail.com

फार्म नं. एमआर 3

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष की
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) एवं कंपनी
(प्रबंधकीय कार्मिकों नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप सचिवीय लेखापरीक्षा की है और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड – सी.आई.एन. : U67190DL2006GOI144520 (इसके पश्चात् 'कंपनी' कहा जाए) द्वारा उचित कॉर्पोरेट चलनों का अनुपालन किया गया है। सचिवीय लेखा परीक्षा का आयोजन इस रीति से किया गया जो हमे कॉर्पोरेट आचार-व्यवहार/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं उस पर अपनी राय व्यक्त करने का आधार प्रदान करे।

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त संबंधी पुस्तिकाओं, भरे गए प्रपत्रों व विवरणियों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के अतिरिक्त सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सूचीबद्ध सांविधिक उपबंधों का पालन किया और कंपनी में काफी हद तक उचित बोर्ड प्रक्रियाएं व अनुपालन प्रणाली विद्यमान है, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर रिपोर्ट दी जाती है।

हमने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त संबंधी पुस्तिकाओं, भरे गए प्रपत्रों व विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

- (i). कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और इसके तहत बनाए गए नियम;
- (ii). प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके तहत बनाए गए नियम;
- (iii). निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके तहत तैयार किए गए विनियम और उप-नियम;
- (iv). विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बाहरी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम
- (v). भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशों के लागू प्रावधान:
 - (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011'
 - (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (भेदिया व्यापार पर प्रतिबंध) विनियम, 2015;
 - (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूति का निर्गम और सूचीयन) विनियम, 2008;
 - (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियम, 2015;
 - (ङ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ संव्यवहार करने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम एवं शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;
 - (च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियम, 2018';
 - (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014'.
 - (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) विनियम, 2009'; और
 - (झ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) विनियम, 2018'.

*पैरा 1 के उप-पैरा (पअ) के तहत अधिनियम और उप-पैरा (अ) के क्रम संख्या (क), (च), (छ), (ज) और (झ) में सूचित विनियम, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते, क्योंकि इन विनियमों को प्रभावित करने वाले निगम के कोई कार्रवाई/निर्णय नहीं हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

- (vi). कंपनी पर विशिष्ट रूप से लागू अन्य कानून इस प्रकार है:
- (क) कंपनी पर लागू सीमा तक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश / दिशानिर्देश
 - (ख) आईआईएफसीएल पूर्ण स्वामित्वाधीन सरकारी कंपनी है तथा एक एनबीएफसी-एनडी-आईएफसी के कार्य के संचालन के लिए इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकरण संख्या एन-14.03288 दिनांक 9.9.2013 का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।
 - (ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (सरकारी कंपनी होने के कारण)
 - (घ) क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज (विनियम) अधिनियम, 2005
 - (ङ) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013
- 2 (i) हमने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के लागू विनियमनों की अनुपालना और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ ऋण प्रतिभूति के लिए सूचीकृत करारों और
- (ii) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानकों की जांच भी की।
3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने आम तौर पर निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन उपरोक्त वर्णित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:
- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुसार, निदेशकों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई की नियुक्ति स्वतंत्र निदेशकों के रूप में करने की अपेक्षा समीक्षाधीन पूर्ण वर्ष के लिए पूरी नहीं की गई है;
 - (ii) अतिरिक्त बोर्ड समितियों-लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति - की संरचना, अधिनियम धारा 177 (2), 178(1), 135(1) की स्वतंत्र निदेशकों संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है।
 - (iii) बोर्ड की संरचना में 3.7.2018 तक कोई महिला निदेशक शामिल नहीं थी (वास्तव में रिक्ति 14.12.2017 को उत्पन्न हुई थी)
4. आगे हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:
- (क) स्वतंत्र निदेशकों और एक महिला निदेशक को छोड़कर, कंपनी का निदेशक मंडल कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ विधिवत् गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप परिवर्तन किए गए हैं।
 - (ख) सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को लेकर पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, कार्यसूची और विस्तृत कार्यसूची नोटों को कम से कम सात दिन पहले ही भेज दिया जाता है और बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।
 - (ग) ज्यादातर मामलों में निर्णय एकमत से लिए जाते हैं, हालांकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के रूप में लेखबद्ध किया जाता है।
5. आगे हम यह रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप, कंपनी की प्रणाली और प्रक्रियाएं पर्याप्त हैं।
6. आगे हम यह रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसरण में निम्नलिखित को छोड़कर ऐसा कोई मुख्य निर्णय नहीं लिया गया है जो कंपनी के कार्यों पर असर डालता हो:
- (i). दिनांक 28 सितम्बर, 2018 को आयोजित कंपनी की 13 वीं आम वार्षिक बैठक में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूति का निर्गम और सूचीयन) विनियम, 2008 के अन्य लागू विनियमनों के तहत, अप्रतिभूत / प्रतिभूत गैर-परिवर्तनीय बांड्स डिबेंचर्स के निजी स्थानन तथा विशिष्ट संकल्प में यथा उल्लिखित अन्य लिखतों के माध्यम से उक्त विशेष संकल्प प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान 10,000 करोड़ रुपये तक निधियां अर्जित करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

यह रिपोर्ट सम तारीख के हमारे पत्र के साथ ही पढ़ी जाए, जो 'अनुलग्नक-क' के रूप में संलग्न है और यह इस रिपोर्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।

कृते ए. एन. कुकरेजा एण्ड कंपनी
कंपनी सचिव

ह0 / -
(ए. एन. कुकरेजा)
प्रोपराईटर
एफ.सी.एस. 1070; सी.पी. 2318
पी.आर.: 21/2015

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 जुलाई, 2019

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

अनुलग्नक “क”

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्डों पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन ठीक उसी तरह किया है, जैसे कि सचिवीय अभिलेखों की विषयवस्तु की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना उचित था। सत्यापन यह सुनिश्चित करने के परीक्षण के आधार पर किया गया था कि सचिवालय के रिकॉर्डों में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे मेरी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की सटीकता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
4. जहां कहीं भी अपेक्षित हो, हमने कानूनों के अनुपालन, नियमों और विनियमों और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के रूप में एक आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी मामलों का संचालन किया है।
7. भारत में सामान्यतः स्वीकृत परिपाटियों के अनुसार कम्पनी की बहियों और अभिलेखों की हमारी जांच के क्रम में, हमें कम्पनी द्वारा या कम्पनी पर न तो किसी प्रकार की धोखाधड़ी की घटना का पता चला है, न ही कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान ऐसी कोई सूचना पाई गई और रिपोर्ट की गई है, और तदनुसार कम्पनी ने हमें ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी है।

कृते ए.एन. कुकरेजा एंड कंपनी
कंपनी सचिव

ह0 / -
(ए. एन. कुकरेजा)
प्रोपराईटर
एफ.सी.एस. 1070; सी.पी. 2318
पी.आर.: 21/2015

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 जुलाई, 2019

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

अनुबंध II

फॉर्म संख्या एमजीटी 9
वार्षिक रिपोर्ट का निष्कर्ष
31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन)
नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

1	सीआईएन	U67190DL2006GOI144520
2	पंजीकरण तिथि	5 जनवरी 2006
3	कंपनी का नाम	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
4	कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	भारत सरकार का उद्यम
5	पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क विवरण	पांचवा तल, ब्लॉक - 2 प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली - 110023 फोन: 91-11-24662777 फैक्स: 91-11-20815125 ई-मेल: info@iifcl.org
6	कंपनी सूचीबद्ध है या नहीं	हाँ
7	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो का नाम, पता और संपर्क विवरण	कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड श्री उमेश पांडे कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31 और 32 वित्तीय जिला गाचिबॉली, हैदराबाद 500 032-भारत फोन: +91 040 6716 1595, फैक्स-91 040 2343 0814 आरसीएमसी प्राइवेट लिमिटेड श्री रविंदर दुआ बी-25 / 1, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-II, नई दिल्ली-110 020 फोन: 011-26387320,21,23 फैक्स-011-26387322

II. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

(कंपनी के कुल कारोबार का 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा)

क्र. सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	अवसंरचना वित्तपोषण	649-बीमा और पेंशन निधि गतिविधियों को छोड़कर अन्य वित्तीय सेवा गतिविधियां	100%

*राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार-सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

आईआईएफसीएल की स्थापना 2006 में भारत सरकार ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के नाम से ज्ञात और जिसे व्यापक रूप से एसआईएफटीआई के रूप में संदर्भित किया जाता है, विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए योजना के माध्यम से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि के वित्तपोषण के मुख्य उद्देश्य के साथ की थी। आईआईएफसीएल से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले योग्य क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं के उप-क्षेत्रों की उन सुसंगत सूची में से हैं, जिन्हें 1 मार्च 2012 को बुनियादी ढांचा पर गठित कैबिनेट कमेटी द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसमें परिवहन, ऊर्जा, पानी, स्वच्छता, संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे शामिल हैं।

सितंबर 2013 से आईआईएफसीएल को आरबीआई में एनबीएफसी-एनडी-आईएफसी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

III. धारक, सहायक एवं सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम	कंपनी का पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/सहयोगी साझा शेयर	धारित शेयरों का %	लागू खंड
1	आईआईएफसीएल (यूके) लिमिटेड	तीसरी मंजिल 72 किंग विलियम स्ट्रीट लंदन ईसी 4एन7एचआर यूनाइटेड किंगडम टेलीफोन और ईमेल सामान्य: +44-20-7776 8950 info@iifc.org.uk	06496661*	सहायक	100%	2(87)(ii)
2	आईआईएफसीएल परियोजना लिमिटेड	पांचवा तल, ब्लॉक-2 प्लेट ए, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवर्ई नगर, नई दिल्ली-110023 फोन नं: 91-11-2465573 ई-मेल: contact@iifclprojects.com	U74999DL2012GOI231473	सहायक	100%	2(87)(ii)
3	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	पांचवा तल, ब्लॉक - 2 प्लेट ए, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवर्ई नगर, नई दिल्ली - 110023 फोन नं: 91-11-2465573 ई-मेल: contact@iifclmf.com	U65991DL2012GOI233601	सहायक	100%	2(87)(ii)

*इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड को दिनांक 7 फरवरी, 2008 को ब्रिटेन के कंपनी अधिनियम 1985 के तहत (कंपनी संख्या 649666) लंदन में इंग्लैंड और वेल्स की रजिस्ट्रार में निगमित किया गया था।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

IV. शेयर धारिता पद्धति (इक्विटी शेयर पूंजी का कुल इक्विटी के प्रतिशत के तौर पर विवरण)

i. श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च 2018 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च-2019 को)				वर्ष के दौरान प्रतिशत में परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ									-
(1) भारतीय									-
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्र सरकार	-	410.23	410.23	100%	-	420.23	420.23	100%	-
ग) राज्य सरकार(रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय/निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (क) (1)	-	410.23	410.23	100%	-	420.23	420.23	100%	-
(2) विदेशी									-
क) अनिवासी भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) निकाय/निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (ख) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवर्तकों की कुल शेयरधारिता (क)(1)+(ख)(2)	-	410.23	410.23	100%	-	420.23	420.23	100%	-
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									-
1. संस्थान									-
क) म्यूचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार(रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) उद्यम पूंजीगत निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफ.आई.आई.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उद्यम पूंजीगत निधिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) अन्य, (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थान									-
क) निकाय/निगम									-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) वैयक्तिक शेयरधारक जिसके पास 1 लाख रुपये तक की न्यूनतम शेयर पूंजीधारिता हो।	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) वैयक्तिक शेयरधारक जिसके पास 1 लाख रुपये से अधिक की शेयर पूंजीधारिता हो।	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य, (उल्लेख करें)									-
i. क्यू.एफ.आई.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. एन.आर.आई.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. समाशोधन सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv. सहायक कंपनियों द्वारा धारित शेयर जिन पर कोई मताधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v. अदावाकृत उचंत खाता	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi. ट्रस्ट-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. जीडीआर एवं एडीआर के संरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	-	410.23	410.23	100%	-	420.23	420.23	100%	-

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

ii. प्रवर्तक की शेयरधारिता

शेयरधारक के नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01-04-2018 को)			शेयरधारक के नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (31-03-2019 को)			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन:
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में वचनबद्ध / गिरवी शेयरों का %					
महामहिम राष्ट्रपति भारत प्रतिनिधि	410,22,66,230	100	-	महामहिम राष्ट्रपति भारत प्रतिनिधि	420,22,66,230	100	-	शून्य
शेयरधारिता*	50,000			शेयरधारिता*	50,000			
	410,23,16,230	100%			420,23,16,230	100%		शून्य

*इसमें भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में 7 शेयरधारकों की शेयरधारिता शामिल हैं।

iii. प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया उल्लेख करें, यदि कोई बदलाव नहीं हुआ है)

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01-04-2018 को)				वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (31-03-2019 को)	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	वृद्धि	दिनांक	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के आरंभ में	410,23,16,230	100	10,00,00,000*	02.07.2018	420,23,16,230	100
वर्ष के अंत में	420,23,16,230	100		420,23,16,230	100	

*वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार ने वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र संख्या 6/13/2011-आई.एफ.-I दिनांक 9 मई, 2019 के माध्यम से इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी इंडिया (आई.आई.एफ.सी.एल.) के इक्विटी अंशदान के रूप में रु 500,00,00,000/- (मात्र पांच सौ करोड़ रुपये) की राशि जारी करने के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति संसूचित की। भारत सरकार ने दिनांक 14 मई, 2019 को आई.आई.एफ.सी.एल. को इक्विटी अंशदान के रूप में रु 500,00,00,000/- (मात्र पांच सौ करोड़ रुपये) की राशि जारी की। वर्तमान में, आई.आई.एफ.सी.एल. की इक्विटी शेयर पूंजी 4202,31,62,300/- रुपये है। भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि के प्रति आई.आई.एफ.सी.एल. के इक्विटी शेयर का आबंटन होने पर, आई.आई.एफ.सी.एल. की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 4202,31,62,300/- रुपये से बढ़कर 4702,31,62,300/- रुपये हो गई।

iv. शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता प्रतिमान

(निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर तथा एडीआर के धारकों के अलावा)

शीर्ष में 10 शेयरधारकों से प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01-04-2018 को)		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (31-03-2019 को)	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के आरम्भ में	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता की तिथिवार वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए। (आबंटन/अंतरण/बोनस/श्रम-जन्य इक्विटी आदि)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	-	-	-	-

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

v. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारिता:

प्रत्येक निदेशक तथा मुख्य प्रबंधकीय कर्मिक के लिए शेयरधारिता	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01-04-2018 को)		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (31-03-2019 को)	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%
वर्ष के आरम्भ में	-	-	-	-
प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी के कारणों के तिथि वार उल्लेख सहित वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी (अर्थात् आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वीट	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	-	-	-	-

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/प्रोद्भूत ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता, जिसका भुगतान देय नहीं है:

(रूपये)

	प्रतिभूत होकर जमाओं को छोड़ना	अप्रतिभूत ऋण	जमाएं	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के आरम्भ (01.04.2017) में ऋणग्रस्तता				
i) मूल धन	149,438,827,000.00	160,831,869,894.68	17,439,086,277.99	327,709,783,172.67
ii) देय ब्याज लेकिन अप्रदत्त				0.00
iii) प्रोद्भूत ब्याज लेकिन अदेय		7,283,115,928.26		7,283,115,928.26
योग (i+ ii+ iii)	149,438,827,000.00	168,114,985,822.94	17,439,086,277.99	334,992,899,100.93
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				0.00
*वृद्धि	0	13,657,600,572.10	0.00	13,657,600,572.10
*कमी	-292,000.00	-10,470,358,250.18	-8,715,682,192.11	-19,186,332,442.29
निवल परिवर्तन	-292,000.00	3,187,242,321.92	-8,715,682,192.11	-5,528,731,870.19
वित्त वर्ष के आरम्भ (01.04.2019) में ऋणग्रस्तता				0.00
i) मूल धन	149,438,535,000.00	171,302,228,144.86	8,723,404,085.88	329,464,167,230.74
ii) देय ब्याज लेकिन अप्रदत्त				0.00
iii) प्रोद्भूत ब्याज लेकिन अदेय		7,980,457,139.24		7,980,457,139.24
योग (i+ ii+ iii)	149,438,535,000.00	179,282,685,284.10	8,723,404,085.88	337,444,624,369.98

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

VI. निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक

(रूपये)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंधक का नाम		कुल राशि
	नाम	-	-	-
	पदनाम	-	-	-
1	सकल वेतन	-	-	-
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार	-	-	-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलब्धियां	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-
3	ऋम-जन्य इक्विटी	-	-	-
4	कमीशन - लाभ प्रतिशत के रूप में - अन्य उल्लेख करें	-	-	-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-
	योग (क)	-	-	-

ख. निदेशकों का पारिश्रमिक:

(रूपये)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम				कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक					
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-	-
	योग (1)	-	-	-	-	-
2	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक)					
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-
	अन्य - कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-	-
	योग (2)	-	-	-	-	-
	योग (ख) = (1+2)	-	-	-	-	-

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी		
		राजीव मुखीजा	मंजारी मिश्रा	कुल
	नाम	सी.एफ.ओ.	कंपनी सेक्रेटरी	
	पदनाम			
1	सकल वेतन			
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार	0.80	0.23	1.03
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलब्धियां			
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-
3	ऋण-अन्य, इक्विटी	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-
	- लाभ प्रतिशत के रूप में	-	-	-
	अन्य, उल्लेख करें	-	-	-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-
	योग	0.80	0.23	1.03

VII. जुर्माने/दंड/अपराधों का समाधान

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरुपित जुर्माने/दंड/समाधान शुल्क का विवरण	प्राधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय)	अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
जुर्माना					
दंड					
समझौता					
ख. निदेशक					
जुर्माना					
दंड			शून्य		
समझौता					
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
जुर्माना					
दंड					
समझौता					

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)
अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड(ओ) और कंपनी
(कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार,

1. **कम्पनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें हाथ में लिए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक का संदर्भ शामिल है**

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल), भारत सरकार के एक उद्यम ने समाज और विशेष रूप से अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत देश के अविकसित क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। आईआईएफसीएल में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक कॉर्पोरेट सोशल उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर) है, जो निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित है। इस नीति में सीएसआर की गतिविधियों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए दो-स्तरीय संरचना पर जोर दिया जाता है (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की अध्यक्षता में बोर्ड स्तरीय समिति और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बनी एक कार्यान्वयन समिति)।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आईआईएफसीएल की सीएसआर की पहल के तहत स्कूलों में शौचालय के निर्माण, स्वास्थ्य, पशु कल्याण, हरित और ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, खेलों को बढ़ावा देने, पिछड़े क्षेत्रों के विकास तथा समाज के उपेक्षित और वंचित वर्गों के उत्थान पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। आईआईएफसीएल अपनी सीएसआर नीति के अंतर्गत पिछड़े वर्गों हेतु चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने, सहयता देने और लोगों के विकास और उत्थान हेतु कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आईआईएफसीएल सीएसआर पहल का विवरण [http://www.iifcl.co.in/Content/ CSR%20Initiatives. aspx](http://www.iifcl.co.in/Content/CSR%20Initiatives.aspx) पर भी उपलब्ध है:-

2. **सीएसआर समिति की संरचना**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के संदर्भ में, निम्नलिखित सदस्यों के साथ सीएसआर के लिए एक बोर्ड स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईआईएफसीएल- समिति के अध्यक्ष

एक सरकार नामित निदेशक

एक पूर्णकालिक निदेशक

इसके अलावा, एक सीएसआर कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

मुख्य महाप्रबंधक – सीएसआर (नोडल ऑफिसर)

मुख्य महाप्रबंधक (क्रेडिट)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत निवल लाभ

विवरण	राशि (रुपये लाख में)
वित्तीय वर्ष 2015-16	96,515.89
वित्तीय वर्ष 2016-17	41,506.24
वित्तीय वर्ष 2017-18	(1,02,638.92)
कुल 35,383.17	11,794.39
औसत शुद्ध लाभ	11,794.39

4 निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 में उद्धृत राशि का दो प्रतिशत) 235.89 लाख रु.

5. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण।

(क)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि;	235.89 लाख रुपए
(ख)	बिना खर्च राशि, यदि कोई हो;	शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान जिस तरीके से राशि खर्च की गई, उसका विवरण निम्नवत है—
राशि लाख रुपये में

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	विहित की गई सी.एस.आर. परियोजना अथवा गतिविधि	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना को कवर किया गया है	परियोजना अथवा कार्यक्रम 1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य 2) कृपया वह राज्य और जिला विनिर्दिष्ट करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम चलाया गया।	परियोजना अथवा कार्यक्रम-वार राशि परिव्यय (बजट)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उप-शीर्ष: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ऊपरी शीर्ष	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष या लागू करने वाली एजेंसी के माध्यम से*
1	गांव बोर्सिमालगुड़ी का एकीकृत विकास	पिछड़े क्षेत्र का विकास	बास्का (असम)	166.75	3.53	165.24	3.53 (हिमाचल कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज लिमिटेड)
2	सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में बोर वैल की स्थापना	सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	पलक्कड़ (केरल)	₹ 1.60	₹ 0.80	1.60	₹ 0.80 (लायंस क्लब ऑफ पलक्कड़ चंदनगर)
3	यूपी के पिछड़े क्षेत्रों में 1500 सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना	ग्रिन एंड एनर्जी कुशल टेक्नोलॉजीज का प्रचार	सत रविदास और इलाहाबाद (यूपी)	₹ 327.00	43.60	327.00	43.60 (राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड)
4	सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में शौचालय का निर्माण	सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	पलक्कड़ (केरल)	₹ 31.27	3.13	31.27	3.13 (लायंस क्लब ऑफ पलक्कड़ चंदनगर)
5	सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में लड़कियों के लिए शौचालय का निर्माण	सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	थिरुवरुर (तमिलनाडु)	₹ 188.90	20.90	168.90	20.90 (सुलभ अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन)
6	बागमंडी ब्लॉक (पुरुलिया) का एकीकृत विकास	स्वच्छता ग्रामीण विकास	पुरुलिया (पश्चिम बंगाल)				7-84 (घ्यारी फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट)
7	राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि में योगदान	राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	पूरे भारत में कई स्थान	146.09	146.09	146.09	146.09 (राष्ट्रीय संस्कृति निधि, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार)
8	सीएसआर ऊपरीशीर्ष व्यय			10.00	10.00	10.00	10.00 (प्रत्यक्ष)

*कार्यावयन करने वाली एजेंसियों का विवरण दें

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी हिस्से के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो इस स्थिति में कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च नहीं करने के कारण बताएगी।

आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपने आवंटित सीएसआर बजट का उपयोग किया है।

7. सीएसआर समिति का एक जिम्मेदार बयान है कि सीएसआर नीति के कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

सीएसआर गतिविधियों की विगत पुनरीक्षा बैठक में निदेशक मंडल की सीएसआर समिति ने जिम्मेदारी को लेकर वक्तव्य जारी किया है कि वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति का अनुपालन किया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

अनुबंध IV

वर्ष 2018-19 के लिए आरक्षित निधि से/द्वारा अंतरण की राशि का विवरण

रुपये लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष*
चालू वर्ष 2017-18 के लिए कर के पश्चात लाभ	10242.67	(152647.05)
जोड़ें : ऋण अस्तियों के लिए आरक्षित निधि से अंतरण	-	-
जोड़ें : कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि से अंतरण	22.05	31.57
जोड़ें : कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से अंतरण पुनर्सेवा	-	-
जोड़ें: 31 मार्च 2016 को आईडब्ल्यूआरएफसी के लाभ का अधिशेष	-	-
घटायें : कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि से अंतरण	67.90	-
घटायें : कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व आरक्षित निधि में अंतरण	-	-
घटायें : ऋण पत्र विमोचन आरक्षित निधि से अंतरण	18177.50	18,126.40
घटायें : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (vii) के तहत विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	14797.64	6588.78
घटायें : आरक्षित निधि 45 - IC को अंतरण	2033.18	-
घटायें : निश्चित लाभ पर पुनर्मापन लाभा / (हानि)	76.77	165.31
घटायें: अचल संपत्तियों की राशि का समायोजन (पारम्परिक प्रावधानों को लागू करते हुए)		-
घटायें : अंतरिम लाभांश		-
घटायें : लाभांश वितरण कर		-
तुलन-पत्र में शेष को आगे ले जाना	(185755.71)	(160,867.44)

*भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार पुनः उल्लेखित किया जाए

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
के सभी सदस्य

एकल वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में रिपोर्ट

सशर्त मत

हमने इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड ('कंपनी') के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2019 तक तुलन पत्र, लाभ और हानि का वक्तव्य (अन्य व्यापक आय सहित) और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण, उस तारीख को समाप्त वर्ष के अंत में नकदी प्रवाह विवरण (कैश फ्लो विवरण) और सारांश, स्टैंडएलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों (यहां इसके पश्चात "स्टैंडएलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण" कहा गया है) पर टिप्पणियां, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी जानकारी तुलनपत्र शामिल है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त सशर्त मत वाले पैराओं के लिए आधार में उल्लिखित मामले के प्रभाव को छोड़कर, उपर्युक्त स्टैंडएलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणीय अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना इस प्रकार अपेक्षित तरीके से देती हैं, जो कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित ("इंड एएस"), के अनुरूप और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं, दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की हालत, और उस तारीख का समाप्त वर्ष के लिए इसकी हानियों और इसके नकद प्रवाह की एक सत्य एवं स्पष्ट दृष्टि देती हैं।

सशर्त मत का आधार

आस्थगित कर आस्तियां

कम्पनी आरबीआई द्वारा जारी आईआरएसी विवेकपूर्ण मानकों/संभावित ऋण हानि मॉडल के आधार पर ऋण आस्तियों के संबंध में प्रावधान सृजित कर रही है और कर व्ययों की गणना इनको निवल लाभ में वापस जोड़कर कर रही है। आईसीएआई द्वारा जारी 12 "आयकर" में निर्धारित किया गया है कि यदि किसी भी मद के कारण कर देनदारी के संबंध में कोई अस्थायी अंतर होता है, तो उसके प्रभाव पर विचार करना होगा। इस तथ्य को देखते हुए कि ऐसे प्रवधानों के भाग की अनुमति अनुवर्ती वर्षों में अधित्याग के आधार पर दी जाती है, इससे अस्थायी अंतर उत्पन्न होते हैं। आज अदा किए जा रहे अधिक कर की क्षतिपूर्ति अनुवर्ती अवधि में अनुवर्ती अवधि में कम कर देनदारी द्वारा की जाती है। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी 12 में अपेक्षा की गई है कि ऐसे मामलों में अस्थायी अंतरों की सीमा तक आस्थगित कर आस्तियों का सृजन किया जाए।

आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के एक मत के अनुसार, उल्लेख किया गया है कि अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान (गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान) में अंतर बहियों के अनुसार और आयकर के अनुसार समय का अंतर है और इसलिए, यह आस्थगित कर आस्तियों के मामले में विवेक के कारकों के अध्यधीन आस्थगित कर प्रभाव की स्वीकृति की अपेक्षा रखता है।

हमारे मतानुसार, अधित्याग की प्रतिशतता के संबंध में विगत अनुभव के आधार पर, आस्थगित कर आस्तियां सृजित किया जाना आवश्यक है। इसे प्रभाव का आकलन करना आवश्यक है। उपर्युक्त के दृष्टिगत, हम लाभ हानि विवरणों और आरक्षित निधियों पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। (राशि अमूल्यांकित)

यूके में सहायक कम्पनी में निवेश

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी (यूके), एक सहायक कम्पनी, में निवेश का मूल्यांकन कम्पनी द्वारा वाहित लागत अर्थात् 233.95 करोड़ रुपए पर किया गया है। जैसा कि सहायक कम्पनी की वित्तीय विवरणों से पता चला है, यूके में सहायक कम्पनी का निवल मूल्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है! जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है अनुषंगी कम्पनी की वित्तीय विवरणीय भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणीयों के अंतर्गत तैयार की गई हैं और संभावित ऋण हानि मॉडल के तहत भारी प्रावधान किए गए हैं। प्रबंधन के मतानुसार, यूके में सहायक कम्पनी की वित्तीय विवरणीय सतत प्रतिष्ठान आधार पर तैयार की गई हैं और जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, यूके में सहायक कम्पनी के निवेश के उचित मूल्य का आकलन नहीं किया जा सकता। इसलिए, यूके में सहायक कम्पनी के निवेश के उचित मूल्यांकन के बिना, हम लाभ हानि खाते, आरक्षित और निवेश पर क्षति, यदि कोई हो, के प्रभाव पर कोई भी टिप्पणी देने में असमर्थ हैं। (राशि मूल्यांकित)

हमने अपनी लेखापरीक्षा का निष्पादन, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुरूप किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व की और अधिक व्याख्या हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणीय खंड से संबंधित लेखा परीक्षकों के दायित्वों में दी गई है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के साथ-साथ अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं और नैतिक आचार संहिता की

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्व पूरे किए हैं। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे सशर्त मत के लिए आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और समीचीन हैं।

मामले का महत्व

हमने 2 अगस्त 2019 को अद्यतन किए गए आरबीआई के प्रमुख निदेश डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2016-17 के निदेश संख्या 16 के अनुसार ऋण आस्तियों की राशि से प्रावधान/ईसीएल का निवल न किए जाने के संदर्भ में ऋण आस्तियों की टिप्पणी संख्या 5 में दिए गए फुटनोट की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

इन मामलों के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे व्यावसायिक निर्णयानुसार, चालू अवधि की वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए सर्वाधिक उल्लेखनीय थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में समग्र रूप से एक के रूप में संबोधित किया गया, और इन पर हमारा मत तैयार करने के क्रम में, हमने इन मामलों पर कोई पृथक मत मुहैया नहीं कराया है। हमने नीचे उन मामलों का उल्लेख किया है जिन्हें प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में संप्रेषित किया जाना था:

क्र.सं. प्रबंधन	लेखा परीक्षक का प्रत्युत्तर
1 वित्तीय उपकरण की ऋण असमर्थता वे सर्वाधिक उल्लेखनीय क्षेत्र जहां हमने प्रबंधन के निर्णयों के वृहत्तर स्तर चिह्नित किए, इस प्रकार हैं। • ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि (एसआईसीआर) —कम्पनी ने भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में परिभाषित एसआईसीआर वर्गीकृत किया है। किसी अन्य मापदंड का चयन कतिपय पोर्टफोलियो के लिए स्वीकृत ईसीएल को अत्यधिक प्रभावित कर सकता है। • ईसीएल मॉडल — क्षति हानि के मापन के लिए सांख्यिकीय मॉडल का उपयोग अपेक्षित होता है ताकि चूक की संभावनाओं (पीडी), चूक के बाद हानि (एलजीडी) और चूक का प्रकटीकरण (ईएडी) का प्राक्कलन किया जा सके। ये मॉडल ईसीएल मापने के लिए प्रमुख चालक हैं। • चरण 3 के वाहित मूल्य का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया गया — ऋणदाताओं के ऋणों और अग्रिमों के वाहित मूल्य का त्रुटिपूर्ण उल्लेख किया जा सकता है यदि व्यक्तिगत क्षति की पहचान और प्राक्कलन उपयुक्त रूप से न किया गया हो। इन मामलों का प्रभाव यह है कि हमारे जोखिम मूल्यांकन के भाग के रूप में, हम निर्धारित करते हैं कि ईसीएल के मूल्य में उच्च स्तर का प्राक्कलन है जिसकी औचित्यपूर्ण परिणामों की, समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के लिए, संभावित सीमा हमारी अहमियत से अधिक है।	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया: • अपनाए गए संभावित क्रेडिट लॉस मॉडल के संबंध में कम्पनी के आंतरिक अनुदेशों और प्रक्रिया की समीक्षा की गई • महत्वपूर्ण एसआईसीआर संकेतकों और मापदंडों का आकलन और गणना • ऋण आस्तियों की मॉनीटरिंग के संबंध में प्रमुख आंतरिक नियंत्रण तंत्रों का मूल्यांकन और परीक्षण, संबंधित डेटा क्वालिटी के परीक्षण सहित ऋण क्षति का आकलन, और दर्ज किए गए वास्तविक डेटा की समीक्षा। • किसी भी ऋण आस्तित्वाते में किसी उपरिदेय, असंतोषजनक आचरण या दुर्बलता का आकलन करने के लिए, बड़े और दबावग्रस्त ऋण आस्तियों के परीक्षण जांच आधार पर, ऋण आस्तित्वातों के दस्तावेजन, प्रचालनों/निष्पादन और निगरानी का सत्यापन/समीक्षा हमारे परिणाम हम ऋण क्षति प्रभारों और प्रावधानों को स्वीकृत, और संबंधित प्रकटीकरणों को स्वीकार्य मानते हैं।
2 उचित मूल्य पर वित्तीय उपकरणों के मूल्यांकन कम्पनी अपनी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार व्युत्पन्न संविदाएं करती है। इन व्युत्पन्न संविदाओं को एफवीटीपीएल में श्रेणीबद्ध किया गया है और नकद प्रवाह हेज (हेज लेखांकन) के अंतर्गत कतिपय व्युत्पन्न संविदाओं को डिजाइन किया जाता है। हम व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों और बचाव व्यवस्था के लेखांकनों के मूल्यांकन को महत्वपूर्ण ऋण जोखिम की वजह से, और इस तथ्य की वजह से, कि इन अपेक्षाओं के अनुपयुक्त प्रयोग के परिणामस्वरूप आयकर विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, प्रमुख लेखा परीक्षा मामला माना है।	हमारी शामिल की गई प्रक्रिया कम्पनी प्रतिपक्षकार बैंकों से व्युत्पन्न संविदाओं के मूल्य के लिए प्राप्त करती है। हमारी प्रक्रिया में विनियम दर, ब्याज दर वक्रों और इसके परिणामस्वरूप अन्य अस्थिरता अनुक्रमणिका जैसे अवलोकन योग्य बाजार की सूचनाओं का उपयोग करते हुए उचित मूल्य की समीक्षा शामिल है। हमारे परिणाम हमें अन्य इनपुट्स पर विचार करते हुए प्रतिपक्षकार बैंकों से प्राप्त हमारे उचित मूल्य पर व्युत्पन्न संविदाओं को मापने में कोई मिथ्या विवरण नहीं मिला।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

3 सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण निष्पादन प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं कम्पनी की आईटी प्रणाली के ऊपर स्वचालित नियंत्रणों पर अत्यधिक निर्भर करती हैं। एक जोखिम यह है कि कर्तव्यों या प्रयोक्ता आकलन प्रबंधन नियंत्रणों का अनुचित पृथक्करण (प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणालियों के संबंध में) हमारी लेखा परीक्षा पर कुछ विश्वास करने की हमारी योग्यता को कम कर सकता है।	हमारी शामिल की गई प्रक्रिया वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं के संबंध में सूचना पर काम करने वाले प्रमुख नियंत्रणों का मूल्यांकित नमूना। हमारे परिणाम वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा एसएपी प्रणाली आरंभ की गई है। हमने पाया है कि नियंत्रण प्रक्रिया पर विभागीय प्रशिक्षण को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है और प्रणाली लेखा परीक्षा भी की जानी चाहिए।
--	--

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त अन्य सूचना और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध शामिल हैं किंतु स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध हमें इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की लेखा परीक्षा की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारा मत में अन्य सूचना शामिल नहीं होती और हम इस पर आश्वासन के निष्कर्ष की आवश्यकता किसी भी रूप में अभिव्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारा दायित्व ऊपर चिह्नित अन्य सूचना पढ़ने का है जब यह उपलब्ध हो जाए और, ऐसा करने के क्रम में, यह विचार करने का है कि क्या अन्य सूचना स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों से महत्वपूर्ण रूप से समनुरूप नहीं है या लेखा परीक्षा या अन्यथा प्राप्त हमारी जानकारी महत्वपूर्ण रूप से मिथ्या रूप में उल्लिखित की गई प्रतीत होती है।

जब हम बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध को पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण मिथ्याकथन है, हमसे उन प्रभारों के लिए मामले को शासन को संप्रेषित करना, और यदि अपेक्षित हो, समीचीन कार्यवाई किया जाना अपेक्षित है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल इस एकल वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के तहत जिम्मेदार है, जो कि वास्तविक और निष्पक्ष लेखे प्रदान करते हैं, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित लेखाकार सिद्धांतों के अनुसार आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह पर वास्तविक और स्पष्ट विचार देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त अभिलेखों का रखरखाव और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकना, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और निर्णय लेना और अनुमान लगाना उचित और विवेकसम्मत और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव सहित, संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, को सुनिश्चित करना भी प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन कम्पनी की सतत प्रतिष्ठान के रूप में चालू रहने की कम्पनी की क्षमता का आकलन करने, सतत प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करने, जैसा भी प्रयोज्य हो, और लेखांकन के सतत प्रतिष्ठान आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है जब तक कि या तो कम्पनी दिवालिया होने लिए अभिप्रेत न हो या प्रचालन बंद न कर दे, या इसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई भी यथार्थपरक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में औचित्यपूर्ण आश्वस्त प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों समग्र रूप से महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे यह चूक से हुआ हो या धोखाधड़ी से, और लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारा मत शामिल हो। औचित्यपूर्ण आश्वस्त उच्च स्तर की आश्वस्त है, किंतु ये गारंटी नहीं कि एसए के अनुसार की गई कोई लेखा परीक्षा सदैव किसी महत्वपूर्ण मिथ्याकथन को ढूँढ लेगी जहां यह विद्यमान हो। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और इसे महत्वपूर्ण समझा जाता है यदि इनसे, व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप से, इन स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की औचित्यपूर्ण रूप से संभावना है।

एसए के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का उपयोग करते हैं और और सम्पूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशय को ध्यान में रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों की पहचान और आकलन करना, चाहे ये धोखाधड़ी से हुए हों या चूक द्वारा, उन जोखिमों पर प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षाएं डिजाइन या निष्पादित करना है, और ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना है जो हमारे मत के लिए एक आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और समीचीन हों। धोखाधड़ी से परिणत होने वाले महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि से परिणत होने वाले मिथ्याकथन से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में साठ-गांठ, जालसाजी, इरादतन लोप, गलतबयानी, या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- ऐसी लेखा प्रक्रियाओं को तैयार करने में लेखा परीक्षा सक संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो ऐसी परिस्थितियों में उपयुक्त हों। कम्पनी अधिनियम की धारा 143(3)(झ) के अंतर्गत, हम इस बारे में भी अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभावोत्पादकता विद्यमान है।
- लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों की तर्क संगति और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के आधार पर प्रबंधन के सतत प्रतिष्ठान आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता निश्चित करना, जो प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हो, कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जिनसे कम्पनी की सतत प्रष्ठान के रूप में जारी रहने की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न हो सकता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, ऐसे में हमसे अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में किए गए संबंधित प्रकटीकरणों के प्रति ध्यान आकर्षित करें अथवा, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हों, तो अपना मत संशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों की वजह से कम्पनी एक सतत प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, और यह मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं को ऐसे तरीके से प्रस्तुत करती हैं जो उचित प्रस्तुतकरण प्राप्त कर सकें।
- स्टैंडअलोन के भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार विवरणों में गलत विवरण महत्वपूर्ण होते हैं जो, व्यक्तिगत रूप से सकल रूप से, इसे संभाव्य बनाते हैं कि वित्तीय विवरणों के औचित्यपूर्ण रूप से जानकारी प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (1) अपने लेखा परीक्षा कार्य के स्कोप का नियोजन करने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; और (2) वित्तीय विवरणों में किसी भी चिह्नित मिथ्याकथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण कारकों पर विचार करते हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा के नियोजित स्कोप और समयसीमा और उल्लेखनीय लेखा परीक्षा निष्कर्षों, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी उल्लेखनीय खामियां शामिल हैं जिन्हें हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान चिह्नित करते हैं, के बारे में प्रशासन के लिए प्रभारित पक्षों को संप्रेषित करते हैं।

हम प्रशासन के लिए प्रभारित पक्षों को यह विवरण भी मुहैया कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों को संप्रेषित करते हैं जिनका प्रभाव औचित्यपूर्ण रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षोपायों पर माना जा सकता है।

प्रशासन के लिए प्रभारित पक्षों को संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो चालू अवधि की वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक उल्लेखनीय हों और इस प्रकार प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हों। हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उन मामलों का उल्लेख करते हैं जब तक कि कानून और विनियम में मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरणों से मना किया गया हो या जब, अत्यंत विरल परिस्थितियों में, हम निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से ऐसे संप्रेषण के लोक हित के लाभों से ऊपर होने की संभावना है।

अन्य मामले

- जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, कम्पनी द्वारा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के तहत स्वतन्त्र निदेशकों की वांछित संख्या में नियुक्त किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। तदनुसार, बोर्ड के गठन की कार्यवाही की उपरोक्त अपेक्षाओं के अनुसरण के बिना यथा संघटित रहेगी।
- विनिवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार आईआईएफसीएल को कर पश्चात लाभ (पीएटी) का 30 प्रतिशत अथवा निवल-मालियत का 5 प्रतिशत जो भी मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन अधिक हो, का न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना आवश्यक था। हालांकि आईआईएफसीएल ने सरकार से दिनांक 14 जनवरी, 2016 के पत्र के माध्यम से कम से कम तीन वर्ष के लाभांश के भुगतान से छूट देने का अनुरोध किया था। आईआईएफसीएल के पत्र के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

इन मामलों में, हमारी राय संशोधित नहीं है

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनियों द्वारा यथापेक्षित (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार जारी किए गए आदेश 2016 ('आदेश') की अपेक्षा के अनुरूप, उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में उल्लिखित मामलों के सम्बन्ध में लागू सीमा तक हम अनुलग्नक क में एक विवरण दे रहे हैं।
2. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत दिए गए निर्देशों/उप-निर्देशों को कम्पनी के 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा करते समय सत्यापित किया गया और दिशा-निर्देशों के अनुपालन सम्बन्धी रिपोर्ट अनुलग्नक-ख पर संलग्न है।
3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार आवश्यक है, हम यह रिपोर्ट करते हैं:
 - (क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की है और उन्हें प्राप्त किया है, जो उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास में आवश्यक थे;
 - (ख) उपर्युक्त सशर्त मत के आधार में उल्लिखित मामले के सम्भावित प्रभाव को छोड़कर, हमारी राय में, लेखों की हमारी जांच से यह प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने संबंधी कानून में अपेक्षित खाते की बहियों को उचित रूप से रखा गया है;
 - (ग) इस रिपोर्ट के साथ संलग्न समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से अनुरक्षित लेखा बहियों के अनुरूप हैं;
 - (घ) उपर्युक्त अनुच्छेद 6 में उल्लिखित मामले के सम्भावित प्रभाव को छोड़कर, हमारी राय में, उपर्युक्त भारतीय लेखांकन मानक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों कंपनी (लेखा) नियमों, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप हैं;
 - (ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 463(ई) के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के कारण यूके कंपनी अधिनियम, 1985 (वर्तमान में कंपनी अधिनियम, 2006) के तहत इंग्लैण्ड एवं वेल्स के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ निगमित आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अनुसार निदेशकों की निरर्हता की अपेक्षा मूल कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होती।
 - (च) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की पर्याप्तता और इन नियन्त्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में "अनुलग्नक-ग" में दी गई अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की पर्याप्तता और इन नियन्त्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में असंशोधित राय व्यक्त की गई है।
 - (छ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रबंधकीय पारिश्रमिक लागू नहीं हैं।
 - (ज) हमारी राय में और हमारी जानकारी तथा हमें उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरणों और अन्य पैरा में उल्लिखित सहायक कंपनियों के पृथक वित्तीय विवरणों के साथ अन्य वित्तीय जानकारी के संबंध में अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर, हम समय-समय पर संशोधित, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली 2014, के नियम 11 के अनुसार, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में रिपोर्ट करते हैं कि:
 - i. जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, ऐसी कोई भी लंबित मुकदमेबाजी नहीं है, जो समूह के समेकित वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।
 - ii. कम्पनी द्वारा व्युत्पन्न अनुबंध सहित दीर्घावधि अनुबंधों पर सामग्री के अनुमानित नुकसान, यदि कोई हों, के लिए लागू कानून या लेखा मानकों के तहत यथापेक्षित प्रावधान किए गए हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

हमारी इस तारीख की रिपोर्ट के “अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट” के अंतर्गत पैरा-1 का संदर्भ

1. कम्पनी की अचल आस्तियों के संबंध में:

- क. कम्पनी ने उचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है जिनमें अचल आस्तियों का पूर्ण विवरण दर्शाया गया है, जिसमें अचल आस्तियों का मात्रात्मक ब्यौरा और स्थिति शामिल है (संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर)
- ख. जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, अचल आस्तियों का प्रबंधन द्वारा औचित्यपूर्ण अंतरालों पर वास्तविक रूप से सत्यापन किया गया है। ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण कमियां नहीं पाई गई हैं।
- ग. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, अचल सम्पत्तियों के शीर्ष विलेख, निम्न को छोड़कर, कम्पनी के नाम पर धारित हैं:

(लाख रुपए में)

विवरण	सकल मूल्य	निवल ब्लॉक	
भवन	25231.66	25031.61	एनबीसीसी सेंटर, ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली में ऑफिस के लिए कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पट्टा विलेख का अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया के लंबित रहते, कार्यालय परिसर का पूंजीकरण, उपयोग में लाई गई आस्तियों के आधार पर किया गया है।

- ii. कम्पनी के व्यापार की प्रकृति इसे मालसूचियों को धारित करने की अपेक्षा नहीं रखती, क्योंकि कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 का ऐसा उपबंध 3(पप) कम्पनी पर लागू नहीं होता।
- iii. कम्पनी द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत आने वाली किसी कंपनी, फर्म, सीमित देयता साझेदारी या अन्य पक्षों को किसी भी तरह के ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित, नहीं दिये गये हैं।
- iv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया, जिस पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हों।
- v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है।
- vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने, कम्पनी द्वारा निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव का निर्धारण नहीं किया है।
- vii. क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारे द्वारा लेखा-बहियों की जांच के आधार पर, कंपनी, आमतौर पर यथालागू भविष्य निधि, आयकर, सेवा कर, जी.एस.टी. और अन्य संवैधानिक देयताओं को समुचित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा करती रही है।
- ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर/सेवाकर/जी.एस.टी. के कोई ऐसे अतिदेय नहीं हैं जो विवाद के कारण खाते में जमा न कराए गए हों। हालांकि, किसी प्रकार के विवाद के कारण आयकर, सेवाकर के अतिदेय निम्नानुसार हैं:

सांविधि का नाम	बकायों की प्रकृति	अवधि, जिससे राशि सम्बन्धित है	मंच, जहां विवाद लम्बित है	राशि (रुपये लाख में)	विरोध स्वरूप भुगतान की गई और वसूली योग्य के तहत दर्शाई गई राशि	टिप्पणी
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	मूल्यांकन वर्ष 2008.09	आईटीएटी	159.00	159.00	सन्दर्भित राशि मूल्यांकन वर्ष 2010-11 और 2011-12 के रिफंड के प्रति समायोजित की गई
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	मूल्यांकन वर्ष 2016.17	सीआईटी(ए)	682.33	0	

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

- viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और लेखा-बहियों की जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या बांड धारकों को ऋण या उधार के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।
- ix. अपनी पूरी जानकारी तथा विश्वास व हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में कंपनी द्वारा लिए गए अवधिक ऋणों का उपयोग, प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा इस वर्ष के दौरान उस उद्देश्य के लिए किया गया, जिसके लिए बैंक के लंबित आवेदन के साथ जमा में अस्थायी तैनाती के अलावा ऋण प्राप्त किए गए थे। इसके अलावा, साल के दौरान सार्वजनिक आमंत्रण (ऋण लिखत सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं लिया गया है।
- x. अपनी पूरी जानकारी तथा विश्वास के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस वर्ष के दौरान या कंपनी द्वारा कोई भी धोखाधड़ी नहीं हुई या उसकी सूचना नहीं मिली।
- xi. एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रबंधकीय पारिश्रमिक लागू नहीं हैं।
- xii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है अतः आदेश का पैरा 3 (xii) लागू नहीं होता।
- xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर संबंधित पक्षों के लेनदेन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन के तहत हैं और इस तरह के लेनदेन का खाता मानकों एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित विवरण का वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण किया गया है।
- xiv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान पूर्ण या आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों या शेयरों का कोई प्राथमिकताप्राप्त आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तथापि, कम्पनी ने वर्ष के दौरान कुल 100 करोड़ रुपये के 10 करोड़ इक्विटी शेयर भारत सरकार को जारी किए।
- xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशक या उसके साथ जुड़े लोगों के साथ गैर नकद लेनदेन नहीं किया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के “अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट” खंड के अंतर्गत पैरा 2 में संदर्भित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक “ख”

क्र.सं.	निदेश	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया	उस पर प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
क	निदेश			
1	क्या कम्पनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों को संसाधित करने के लिए प्रक्रिया मौजूद है? यदि हां, वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हों, के साथ-साथ लेखों की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली के बाहर के लेखा संव्यवहारों को संसाधित करने के प्रभाव का उल्लेख किया गया है।	कम्पनी में सभी लेखा संव्यवहारों को अपने ईआरपी सोफ्टवेयर, एसएपी के माध्यम से संसाधित करने प्रक्रिया मौजूद है। चूंकि किसी भी संव्यवहार को आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित नहीं किया गया है, आईटी प्रणाली के बाहर के लेखा संव्यवहारों को संसाधित करने के प्रभाव का उल्लेख नहीं किया जा सकता।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	कोई नहीं
2	क्या कम्पनी की पुनर्भुगतान की अक्षमता की वजह से कम्पनी को किसी ऋणदाता द्वारा दिए गए ऋणों/कर्जों/ब्याज आदि के अधित्याग/बट्टे खाते डालने के मामले या किसी मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना की गई है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	विचाराधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी को किसी ऋणदाता द्वारा दिए गए ऋणों/कर्जों/ब्याज आदि के अधित्याग/बट्टे खाते डालने के मामले या किसी मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना किए जाने का कोई मामला नहीं है।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	कोई नहीं
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों की ओर से विनिर्दिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को उपयुक्त रूप से लेखांकित किया गया है/इसके नियमों और शर्तों के अनुसार प्रयुक्त किया गया है? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों की ओर से विनिर्दिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त/प्राप्य नहीं है।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	कोई नहीं

कृते जीएसए एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000257N

ह/-
(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 083899

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 अगस्त 2019

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ग"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च, 2019 के अनुसार इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ("कम्पनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा किया है, जो कंपनी के उस तिथि को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के साथ किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर बताए गए मार्गदर्शन नोट के आधार पर कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें अनुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, उसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित, अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षानुसार जरूरी विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की समय पर तैयारी शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा-परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शी नोट") और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में जारी मानदंडों को लेकर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट के अनुसार लेखापरीक्षा का संचालन किया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों को आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षा के लिए लागू किया गया है और दोनों भारतीय संस्थान के सनदी लेखाकार द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शी नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और उसके अनुपालन के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनायें और लेखा परीक्षा का पालन करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित रखा गया हो और इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में कारगर ढंग से संचालित किया गया है।

हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि सामग्री की कमजोरी मौजूद है, और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और ऑपरेटिंग प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना और अनुमान लगाना शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक गलतियों के जोखिम के आकलन शामिल हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या किसी तरह के त्रुटि के कारण।

हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग से कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षण को लेकर राय बनाने का आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षण के प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी करने की एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की आस्तियों के लेनदेन और प्रकृति को दर्शाती हैं (2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेन आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक रूप में दर्ज किए जाते हैं और कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार कंपनी की प्राप्ति और व्यय ही बताती रही हैं और (3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव हो सकता है कि कंपनी की आस्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण संगठित या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों के रद्द किये जाने की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलतफहमी हो सकती है और इसे चिह्नित नहीं किया जा सकता है। परिस्थितियों में

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

परिवर्तन के कारण भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं व वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रहता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति में कमी आ सकती है।

अभिमत

1. वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा एसएपी प्रणाली लागू की गई है और हमने पाया है कि प्रणाली विकासकर्ता द्वारा नियंत्रण प्रणालियों पर विभागीय प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए और साथ ही परिभाषित नियंत्रण प्रक्रिया पर प्रणाली लेखा परीक्षा की जानी चाहिए।
2. हमारी राय में, उपर्युक्त पैरा 1 को छोड़कर, अपनी पूरी जानकारी तथा विश्वास के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (सीआईएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा सम्बन्धी दिशानिर्देशों में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग से कंपनी की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली होती है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2019 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

कृते जीएसए एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000257 एन

ह/-
(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 083899

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 10 अगस्त 2019

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लेखाओं की लेखा-परीक्षा की है और यह प्रमाणित करते हैं कि हमने, हमें जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों/उप-निर्देशों का पालन किया है।

कृते जी0एस0ए0 एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन. सं0 000257 एन

ह०/—
(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं0 083899

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक 1 अगस्त, 2018

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
निदेशक मंडल
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
पांचवां तल, भाग ए और बी, ब्लॉक बी
ईस्ट किडवई नगर,
नई दिल्ली-110023

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 की अपेक्षानुसार, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड पर लागू सीमा तक, उक्त दिशानिर्देशों के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में तथा लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

1. यह कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के कारोबार करती है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1(क) के परंतुक के तहत इस कंपनी को दिनांक 9 सितंबर, 2013 को एन -14.03288 संख्या का पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है और यह कंपनी दिनांक 8 अप्रैल, 1999 की बैंक की प्रेस विज्ञापित तथा डीएनबीआर द्वारा जारी मुख्य दिशानिर्देश के पैरा 82 में निर्दिष्ट मुख्य कारोबार मानदंडों (वित्तीय आस्तियां/आय पद्धति) को पूरा करती है।
2. दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी इसके मुख्य कारोबार मानदंड (वित्तीय आस्तियां/आय प्रतिमान) के संदर्भ में ऐसे सीओआर धारित करना जारी रखने की हकदार है।
3. कंपनी आरबीआई द्वारा डीएनबीआर (पीडी) सीसी संख्या 092/03.10.001/2017-18 दिनांक 31 मई 2018 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी पर यथा प्रयोज्य निवल स्वधिकृत निधि की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है।
4. निदेशक मंडल ने 31.03.2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान किसी जमा की गैर-स्वीकृति के लिए संकल्प पारित किया है।
5. वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने कोई भी सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है।
6. कंपनी ने, गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार्य कंपनी और जमा-स्वीकार कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 के संदर्भ में इस पर लागू आय अभिनिर्धारण, लेखांकन मानकों, आरित वर्गीकरण और डूबंत एवं संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान करने संबंधी विवेकसम्मत मानदंडों का अनुसरण किया है।
7. भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 27 अप्रैल, 2007 के परिपत्र संख्या डीएनबीएस/पीडी/सीसी.संख्या 93/03.05.002/2006.07 के संदर्भ में, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारतीय रिजर्व बैंक को एनबीएस-7 प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी, बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीआरएआर की अनुपालना करती है।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी न्यूनतम सीआरएआर का अनुपालन कर रही है।

8. हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दी गई हमारी अर्हताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है (कृपया सशर्त मत के आधार का संदर्भ लें)

कृते जी0एस0ए0 एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन. सं0 000257 एन

ह०/—
(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं0 083899

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक 1 अगस्त, 2018

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र
सी.आई.एन. संख्या U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	नोट	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक	01.04.2017 तक
I	आस्तियां				
1	वित्तीय आस्तियां				
(क)	नकदी और नकदी समतुल्य	2	9,448.43	1,838.95	689.81
(ख)	उपर्युक्त के अतिरिक्त बैंक शेष		514,458.60	603,064.38	420,509.38
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	3	98,961.84	92,745.65	97,744.74
(घ)	प्राप्य	4	-	-	17.25
(ङ)	ऋण	5	3,513,615.62	3,258,930.37	3,407,426.94
(च)	निवेश	6	124,633.06	244,644.27	198,291.14
(छ)	अन्य वित्तीय आस्तियां	7	39,725.66	66,636.24	71,518.32
	उप योग (1)		4,300,843.21	4,267,859.86	4,196,197.58
2	गैर-वित्तीय आस्तियां				
(क)	चालू कर आस्तियां (निवल)	8	20,950.44	26,241.30	6,605.51
(ख)	सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण	9	26,458.42	118.66	171.73
(ग)	पूँजीगत कार्य प्रगति पर	10	2,259.46	20,114.68	14,895.70
(घ)	अन्य मूल्य आस्तियां	11	501.86	161.87	30.12
(ङ)	अन्य गैर-वित्तीय आस्तियां	12	3,385.79	154.17	59.13
	उप योग (1)		53,555.97	46,790.68	21,762.19
	कुल आस्तियां (1+2)		4,354,399.18	4,314,650.54	4,217,959.77
II	देयताएं और इक्विटी				
क	देनदारियां				
1	वित्तीय देनदारियां				
(क)	ऋण प्रतिभूतियां	13	1,854,385.35	1,854,388.27	1,854,898.32
(ख)	उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियां से अन्य)	14	1,440,256.32	1,422,709.56	1,343,262.19
(ग)	अन्य वित्तीय देनदारियां	15	80,328.57	72,858.73	74,392.99
	उप योग (क-1)		3,374,970.24	3,349,956.56	3,272,553.50
2	गैर-वित्तीय देनदारियां				
(क)	चालू कर देनदारियां (निवल)	16	-	-	483.43
(ख)	प्रावधान	17	431,880.29	431,065.20	274,113.17
(ग)	आस्थगित कर देनदारियां (निवल)	18	36,618.59	32,684.13	29,993.68
(घ)	अन्य गैर-वित्तीय देनदारियां	19	42,074.28	41,595.19	41,875.02
	उप योग (क-2)		510,573.16	505,344.52	346,465.30
	उप योग (क)		3,885,543.40	3,855,301.08	3,619,018.80
ख	इक्विटी				
(क)	इक्विटी शेयर पूँजी	20	420,231.62	410,231.62	400,231.62
(ख)	अन्य इक्विटी	21	48,624.16	49,117.84	198,709.35
	उप योग (ख)		468,855.78	459,349.46	598,940.97
	कुल देनदारियां और इक्विटी (क+ख)		4,354,399.18	4,314,650.54	4,217,959.77

टिप्पणी संख्या 1 से 30 तक लेखों का अभिन्न अंग हैं

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीएसए एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
(कम्पनी पंजीकरण संख्या 000257N)

ह/-
सुनील अग्रवाल
(भागीदार)
(सदस्यता संख्या - 083899)

स्थान: नई दिल्ली
दिल्ली: 10.08.2019

कृते और इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि.
के निदेश मंडल की ओर से

ह/-
कुमार विनय प्रताप
(निदेशक)
(डीआईएन सं. 07606296)

ह/-
मंजरी मिश्रा
(एजीएम और कम्पनी सचिव)

ह/-
पंकज जैन
(प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन सं. 00675922)

ह/-
राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक - सीएफओ)

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
31 मार्च, 2019 का समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण
सी.आई.एन. संख्या U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	नोट	वर्ष समाप्ति	
			31.03.2019	31.03.2018
I	आय			
क	प्रचालनों से आय			
(क)	ब्याज आय	22	361,860.70	350,028.10
(ख)	शुल्क और कमीशन आय	23	3,244.20	6,785.74
	प्रचालनों से कुल राजस्व (क)		365,104.90	356,813.84
ख	अन्य आय	24	51,178.38	27,070.53
	कुल आय I (A+B)		416,283.28	383,884.37
II	व्यय			
(क)	वित्तीय लागत	25	234,739.48	213,043.00
(ख)	शुल्क और कमीशन व्यय	26	4,342.31	5,107.11
(ग)	उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल हानि	27	6,732.86	(1,582.77)
(घ)	कर्मचारी लाभ व्यय	28	2,723.09	2,286.06
(ङ)	वित्तीय उपकरणों पर क्षति	29	8,820.69	59,563.87
(च)	मूल्यहास, ऋणशोधन और क्षति	9,10,11	692.40	168.05
(छ)	कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी		235.89	1,731.91
(ज)	अन्य व्यय	30	117,607.88	136,402.03
	कुल व्यय II		375,894.60	416,719.25
	असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (III-IV)		40,388.68	(32,834.88)
	असाधारण मदें		-	106,854.47
	कर पूर्व लाभ/(हानि) (I-II)		40,388.68	(139,689.35)
	कर व्यय:			
	(i) चालू कर			
	- चालू वर्ष		(26,004.20)	(10,179.78)
	- पूर्ववर्ती वर्ष		(166.15)	
	(ii) आस्थगित कर		(3,975.66)	(2,777.92)
	कुल कर व्यय IX (i+ii+iii)		(30,146.01)	(12,957.70)
	अवधि के लिए लाभ/(हानि)		10,242.67	(152,647.05)
	क. (i) वे मदें जिन्हें लाभ हानि में पुनर्वगीकृत नहीं किया जाएगा			
	लाभों/(हानि) परिभाषित लाभ दायित्व का पुनःमापन		(118.00)	(252.79)
	(ii) परिभाषित लाभ दायित्व के पुनःमापन से संबंधित आयकर	41.23	(87.49)	
	अन्य व्यापक आय (क)		(76.77)	(165.31)
	अवधि के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)		10,165.90	(152,812.35)
	प्रति इक्विटी शेयर आय (निरंतर प्रचालनों के लिए)			
	मूल (₹)		0.25	(3.42)
	तनुकृत (₹)	0.25	(3.42)	

टिप्पणी संख्या 1 से 30 तक लेखों का अभिन्न अंग हैं

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीएसए एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
(कम्पनी पंजीकरण संख्या 000257N)

कृते और इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि.
के निदेश मंडल की ओर से

ह/-
सुनील अग्रवाल
(भागीदार)
(सदस्यता संख्या - 083899)

ह/-
कुमार विनय प्रताप
(निदेशक)
(डीआईएन सं. 07606296)

ह/-
पंकज जैन
(प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन सं. 00675922)

स्थान: नई दिल्ली
दिल्ली: 10.08.2019

ह/-
मंजरी मिश्रा
(एजीएम और कम्पनी सचिव)

ह/-
राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक - सीएफओ)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण क. इक्विटी शेयर पूंजी	(₹ लाख में)
1 अप्रैल 2018 को शेष		राशि
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		410,231.62
(क) वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गमन		10,000.00
31 मार्च 2019 को शेष		420,231.62

ख. अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित निधियां और अधिशेष									कुल
	पूंजी आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम की राशि	डिबेंचर/ बॉण्डशोधन आरक्षित निधि	नकद प्रवाह हेज आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1981 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि	आरबीआई अधिनियम 1984 की धारा 45-1F के तहत आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल 2018 को शेष	585.14	235.50	81,817.55	(2,639.52)	127,348.18	4.65	2,633.78	-	(160,867.44)	49,117.84
पूर्वावधिक त्रुटियां	-	-								-
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनः उल्लेखित शेष	585.14	235.50	81,817.55	(2,639.52)	127,348.18	4.65	2,633.78	-	(160,867.44)	49,117.84
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,242.67	10,242.67
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	10,242.67	10,242.67
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-	-	10,659.59	-	22.05	-	-	35,152.99	45,834.62
प्रतिधारित आय को अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	22.05	22.05
प्रतिधारित आय से अंतरण			18,177.50	-	14,797.64	67.90	-	2,033.18	-	-
31 मार्च 2019 को शेष	585.14	235.50	99,995.05	(13,299.11)	142,145.82	50.51	2,633.78	2,033.18	(185,755.71)	48,624.16

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण
क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	(₹ लाख में)
1 अप्रैल 2017 को शेष	राशि
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	400,231.62
(क) वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गमन	10,000.00
31 मार्च 2018 को शेष	410,231.62

ख. अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित निधियां और अधिशेष									कुल
	पूंजी आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम की राशि	डिबेंचर/ बॉन्डोघन आरक्षित निधि	नकद प्रवाह हेतु आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1981 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि	आरबीआई अधिनियम 1984 की धारा 45- ग के तहत आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल 2017 को शेष	585.14	235.50	63,691.15	(5,860.36)	120,759.40	36.22	2,633.78	-	16,628.52	198,709.35
पूर्ववर्धक ऋटियां	-									-
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनः उल्लेखित शेष	585.14	235.50	63,691.15	(5,860.36)	120,759.40	36.22	2,633.78	-	16,628.52	198,709.35
वर्ष के लिए लाभ	-							(152,647.05)	(152,647.05)	(152,647.05)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	(152,647.05)	(152,647.05)
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि				54,205.63		31.57			24,880.49	79,117.69
प्रतिधारित आय को अंतरण										-
प्रतिधारित आय से अंतरण			18,126.40	57,426.47	6,588.78				31.57	
31 मार्च 2018 को शेष	585.14	235.50	81,817.55	(2,639.52)	127,348.18	4.65	2,633.78	-	(160,867.44)	49,117.84

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीएसए एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
(कम्पनी पंजीकरण संख्या 000257N)

ह/-
सुनील अग्रवाल
(भागीदार)
(सदस्यता संख्या - 083899)

स्थान: नई दिल्ली
दिल्ली: 10.08.2019

कृते और इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि.
के निदेश मंडल की ओर से

ह/-
कुमार विनय प्रताप
(निदेशक)
(डीआईएन सं. 07606296)

ह/-
मंजरी मिश्रा
(एजीएम और कम्पनी सचिव)

ह/-
पंकज जैन
(प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन सं. 00675922)

ह/-
राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक - सीएफओ)

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह विवरण

सी.आई.एन. संख्या U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
क	प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(i)	कर पूर्व निवल लाभ के लिए समायोजनः	40,388.68	(139,689.35)
(ii)	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	692.40	168.05
(iii)	प्रावधान/बट्टे खाते में डाले गए :	80,530.18	252,022.51
(iv)	प्रावधान/राशि का प्रतिलेखन	(220.55)	0.01
(v)	उधारियों पर विदेशी विनिमय उतार-चढ़ाव लाभ/(हानि)	43,205.53	-
(vi)	अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि	7.75	0.51
(vii)	ऋणों एवं अग्रिमों पर प्रोदभूत एवं देय ब्याज	10,805.63	4,336.22
(viii)	उधारियों पर प्रतिभूत किंतु अदेय ब्याज	6,973.41	(1,526.59)
(ix)	आयकर पर ब्याज	(166.15)	3.83
(x)	शेयर पूंजी जारी करने के लिए स्टाम्प शुल्क		10.00
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पूर्व प्रचालन लाभ	182,216.88	115,325.19
(i)	उधारी प्रचालनों से नकदी प्रवाह	(326,820.15)	52,940.97
(ii)	बिही/निवे 1 में (वृद्धि)	112,779.94	(46,403.81)
(iii)	व्यापार प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	-	17.25
(iv)	वर्तमान आस्ति, ऋण एवं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	1,181.60	7,960.17
(v)	अन्य बैंक राशियों में (वृद्धि)/कमी	88,605.78	(182,555.00)
(vi)	अन्य वर्तमान देयताओं में वृद्धि/(कमी)	835.93	(104.01)
	कर पूर्व प्रचालनों से नकदी प्रवाह	58,799.99	(52,819.24)
	प्रदत्त कर (निवल)	(26,004.20)	(29,492.72)
	प्रचालनों से निवल नकदी	32,795.78	(82,311.96)
ख	निवेशी गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(i)	अचल आस्तियों (की खरीद)/के लिए बिक्री	(27,379.83)	(247.24)
(ii)	प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य में (वृद्धि)/कमी	17,855.22	(5,218.98)
	निवेशी गतिविधियों से निवल नकदी	(9,524.61)	(5,466.22)
ग	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(i)	शेयर पूंजी के निर्गम/आबंटन से आय	10,000.00	10,000.00
(ii)	दीर्घकालिक उधारियों से आय	(25,658.77)	(13,595.54)
(iii)	अल्पकालिक उधारियों से प्राप्त/(पुनर्भुगतान)	(2.92)	84,724.62
(iv)	दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता से आय	-	7,808.24
(v)	शेयर पूंजी के निर्गम पर स्टाम्प शुल्क	-	(10.00)
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी	(15,661.69)	88,927.32
	नकदी एवं नकदी के समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)	7,609.48	1,149.14
	जोड़े: आरम्भिक नकदी एवं नकदी के समरूप	1,838.95	689.81
	समामेलन पर जोड़	-	-
	अंत शेष नकदी एवं नकदी के समतुल्य	9,448.43	1,838.95
	अंत शेष नकदी एवं नकदी के समतुल्य में निम्नलिखित शामिल हैं:-		
(i)	नकद राशि	0.01	0.01
(ii)	चालू खाते	9,448.42	1,838.94
(iii)	फ्लेक्सी जमा खाते	-	-
	कुल	9,448.43	1,838.95

- विगत अवधि(यों) के आंकड़ों को, रिपोर्टिंग अवधि के प्रस्तुतीकरण के तुलनीय बनाने हेतु, जहां कहीं आवश्यक था, पुनः समूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
- निम्नलिखित बैंक राशि कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं: 31 मार्च, 2019 को बैंक राशि (1,82,555 लाख रुपये) की (वृद्धि)/कमी (31 मार्च, 2018 को 1,82,555.00 लाख रुपये) में 31 मार्च, 2019 को 8,000.00 लाख रुपये शामिल है (31 मार्च, 2018 को 8,300 लाख रुपये), जिस पर बंधपत्रों के ब्याज भुगतान के लिए निर्धारित किया गया है।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीएसए एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
(कम्पनी पंजीकरण संख्या 000257N)

ह/-
सुनील अग्रवाल
(भागीदार)
(सदस्यता संख्या - 083899)

कृते और इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि.
के निदेश मंडल की ओर से

ह/-
कुमार विनय प्रताप
(निदेशक)
(डीआईएन सं. 07606296)

ह/-
मंजरी मिश्रा
(एजीएम और कम्पनी सचिव)

ह/-
पंकज जैन
(प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन सं. 00675922)

ह/-
राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक - सीएफओ)

स्थान: नई दिल्ली
दिल्ली: 10.08.2019

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

टिप्पणी 2: नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को	यथा 31.03.2018 को	यथा 01.04.2017 को
(क)	नकदी और नकदी समतुल्य			
(i)	हस्तगत नकदी	0.01	0.01	0.32
(ii)	बैंकों में शेष	9,448.42	1,838.94	689.49
	उप-योग (क)	9,448.43	1,838.95	689.81
(ख)	अन्य बैंक शेष			
(i)	बंधपत्रों पर बिना दावे के ब्याज के लिए बैंकों के पास चिह्नितशेष	1.38	1.38	1.38
(ii)	बैंकों में सावधि जमा (भार-रहित) (तीन महीने से अधिक और बारह महीने तक मूल परिपक्वता)	341,885.22	245,251.00	105,816.08
(iii)	बैंकों में सावधि जमा (भार-रहित): (तीन महीने से अधिक और बारह महीने तक मूल परिपक्वता)			
(क)	बंधपत्रों के ब्याज भुगतान के सापेक्ष के रूप में धारित	8,000.00	8,300.00	69,658.92
(ख)	बैंकों से ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए गिरवी	164,572.00	349,512.00	245,033.00
	उप-योग (ख)	514,458.60	603,064.38	420,509.38
	कुल	523,907.03	604,903.33	421,199.19

टिप्पणी 3: व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को		यथा 31.03.2018 को		यथा 01.04.2017 को	
		सांकेतिक राशि	उचित मूल्य	सांकेतिक राशि	उचित मूल्य	सांकेतिक राशि	उचित मूल्य
	परिसम्पत्तियां						
	(i) अन्य व्युत्पन्न:						
	विदेशी मुद्रा सिद्धांतम और ब्याज दर की अदला बदली	789,874.82	98,961.84	758,454.43	92,745.65	749,831.72	97,744.74
	कुल व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण (i)+(ii)	789,874.82	98,961.84	758,454.43	92,745.65	749,831.72	97,744.74

टिप्पणी 4: कारोबारी प्राप्य

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को	यथा 31.03.2018 को	यथा 01.04.2017 को
	उत्तम, अप्रत्याभूत समझे गए प्राप्यः:			
	प्राप्य गारंटी राशियां	-	-	17.25
	कुल	-	-	17.25

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

टिप्पणी 5: ऋण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को परिशोधित लागत	यथा 31.03.2018 को परिशोधित लागत	यथा 01.04.2017 को परिशोधित लागत
(क)	ऋण			
(i)	सावधि ऋण			
I	अवसंरचना ऋण			
क.	प्रत्यक्ष उधार	1,632,840.89	1,812,136.71	2,320,729.53
ख.	समूहगत नगरपालिका ऋण बाध्यताएं (पीएमडीओ) स्कीम	597.66	3,072.41	6,814.90
ग.	टेकआउट वित्तपोषण स्कीम	726,862.89	806,511.92	814,346.57
घ.	पुनर्वित्तीय योजना	501,666.00	97,500.00	-
II	अवसंरचना ऋण: उप-मानक आस्तियां			
क.	प्रत्यक्ष उधार	212,507.55	340,842.19	73,387.05
ख.	समूहगत नगरपालिका ऋण बाध्यताएं (पीएमडीओ) स्कीम	1,340.68	3,082.07	2,032.68
ग.	टेकआउट वित्तपोषण स्कीम	5,201.72	3,840.08	90,000.00
III	अवसंरचना ऋण: संदिग्ध आस्तियां			
क.	प्रत्यक्ष उधार	331,982.65	98,875.67	99,209.20
ख.	समूहगत नगरपालिका ऋण बाध्यताएं (पीएमडीओ) स्कीम	6,213.70	2,604.44	571.76
ग.	टेकआउट वित्तपोषण स्कीम	93,830.21	90,000.00	-
• IV	कर्मचारियों को ऋण*	563.03	446.02	334.90
(ii)	अन्य			
	संबंधित पक्षों को ऋण एवं अग्रिम			
	सहायक कंपनियों की ओर से किया गया व्यय	8.64	18.86	0.35
	कुल (क) सकल	3,513,615.62	3,258,930.37	3,407,426.94
	घटाएं: क्षति हानि भत्ता^	-	-	-
	कुल (क) निवल	3,513,615.62	3,258,930.37	3,407,426.94
(ख)	(i) मूर्त आस्तियों और अमूर्त आस्तियों द्वारा प्रत्याभूत			
	अच्छा समझा गया	2,360,864.47	2,622,167.06	3,142,225.90
	संदिग्ध वर्गीकृत किया गया	651,076.51	539,244.45	265,200.69
(ii)	अप्रत्याभूत	501,674.64	97,518.86	0.35
	कुल (ख) सकल	3,513,615.62	3,258,930.37	3,407,426.94
	घटाएं: क्षति हानि भत्ता^	-	-	-
	कुल (ख) निवल	3,513,615.62	3,258,930.37	3,407,426.94
(ग)	(i) सार्वजनिक क्षेत्र	501,666.00	97,500.00	-
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र से अन्य	3,011,949.62	3,161,430.37	3,407,426.94
	कुल (ग) सकल	3,513,615.62	3,258,930.37	3,407,426.94
	घटाएं: क्षति हानि भत्ता^	-	-	-
	कुल (ग) निवल	3,513,615.62	3,258,930.37	3,407,426.94
	योग	3,513,615.62	3,258,930.37	3,407,426.94

फुटनोट:

सेक्टर	प्रतिभूति का ब्यौरा #	राशि (लाख रुपए में)		
ऊर्जा और अन्य सेक्टर	बंधक: पहला समरूप प्रभार, उधारकर्ता की सभी, वर्तमान एवं भावी, अचल संपत्तियों को बंधक करने के माध्यम से लिया गया। गिरवी: पहला समरूप प्रभार, उधारकर्ता के प्लांट एवं मशीनरी इत्यादि सहित सभी चल संपत्तियों को गिरवी रखने के माध्यम से लिया गया। न्यूनतम 51% शेयरों की जमानत पर रखकर उधारकर्ता के निलंब खाता एवं सभी अधिकारों और शीर्षकों तथा हित को साथ-साथ नितांत किया।	1,617,753.95	1,091,441.05	2,186,136.48
सड़क एवं एयरपोर्ट (पीपीपी)	परियोजना की वार्षिकी और टोल संग्रहण प्राप्त करने का अधिकार उधारकर्ता के निलंब खाता एवं सभी अधिकारों और शीर्षकों तथा हित को साथ-साथ नितांत किया। गिरवी: पहला समरूप प्रभार, उधारकर्ता सभी चल संपत्तियों को गिरवी रखने के माध्यम से लिया गया।	1,393,624.00	2,069,524.45	1,220,955.21
पुनर्वित्तपोषण स्कीम के तहत वित्तीय संस्थान	अप्रतिभूत	501,666.00	97,500.00	-
	कुल योग #	3,513,043.95	3,258,465.50	3,407,091.69

उपरोक्त प्रतिभूति के विवरण देते हुए फुटनोट में अवसंरचना ऋण राशि में, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वर्ष के भीतर देयर ऋण राशि तथा मूल अतिदेय राशि होने के नाते ₹ 2,60,124.23 लाख रुपये, शामिल है। (31 मार्च, 2018 को 1,52,647.87 लाख रुपये)। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार, 31 मार्च, 2019 तक इन अग्रिमों के संबंध में 4,28,730.05 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 को 2,50,099.51 लाख रुपये) का सकल प्रावधान किया गया है।

* दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के लागू होने के तथा दिनांक 11 नवंबर, 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक के अनुमोदन के अनुसरण में, मुख्य महाप्रबंधक – मुख्य वित्तीय अधिकारी को मुख्य प्रबंधकीय कर्मी के रूप में मान्यता दी गई है। तदनुसार, उनके लिए बढ़ाए गए भवन निर्माण ऋण को संबंधित पक्षों को ऋण एवं अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार, ऋण की कुल राशि 6.13 लाख रुपये थी। (दिनांक 31 मार्च, 2017 को 8.23 लाख रुपये)

नोट: आरबीआई के दिनांक 2 अगस्त, 2019 को अद्यतन किए गए प्रमुख दिशानिर्देश डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2016-17 के संदर्भ में, आईआईएफसीएल ने इसीएल के अनुसार प्रावधानों सहित ऋण आस्तियों पर प्रावधान का अलग से प्रकटीकरण किया है (नोट 17) जिसे अवसंरचना ऋण आस्तियों के मूल्य (नोट 5) से निवल किए बिना किया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

टिप्पणी 6: निवेश

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को			यथा 31.03.2018 को			यथा 01.04.2017 को		
		एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल
(i)	म्युचुअल फंड्स में निवेश (अनुद्धत)(पूर्ण प्रदत्त)									
(ii)	(फुटनोट क एवं ग देखें)									
	आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड आईडीएफ सिरीज I	17,061.59	-	17,061.59	18,958.20	-	18,958.20	18,014.35	-	18,014.35
	आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड आईडीएफ सिरीज II	8,278.72	-	8,278.72	10,638.92	-	10,638.92	-	-	-
		25,340.31	-	25,340.31	29,597.12	-	29,597.12	18,014.35	-	18,014.35
	सरकारी प्रतिभूतियां अनुद्धत (फुटनोट ख एवं ग देखें)									
(i)	6.05% भारत सरकार 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	6.35% भारत सरकार 2020	-	6,834.51	6,834.51	-	1,980.00	1,980.00	-	1,980.00	1,980.00
(iii)	6.90% भारत सरकार 2019	-	1,952.09	1,952.09	-	6,834.51	6,834.51	-	6,834.51	6,834.51
(iv)	7.76% एसएल (कर्नाटक) 2019	-	-	-	-	1,952.09	1,952.09	-	1,952.09	1,952.09
(v)	7.85% एसएल (आंध्र प्रदेश) 2019	-	1,000.10	1,000.10	-	501.83	501.83	-	503.82	503.82
(vi)	8.27% एसएल (केरल) 2019	-	-	-	-	1,000.42	1,000.42	-	1,000.74	1,000.74
(vii)	8.43% एसएल (पश्चिम बंगाल) 2019	-	-	-	-	1,001.22	1,001.22	-	1,002.45	1,002.45
(viii)	8.48% एसएल (तमिलनाडु) 2019	-	-	-	-	1,511.55	1,511.55	-	1,523.77	1,523.77
		-	-	-	-	2,507.98	2,507.98	-	2,516.41	2,516.41
		-	9,786.70	9,786.70	-	17,289.60	17,289.60	-	17,313.79	17,313.79
क.	ऋण प्रतिभूतियां									
	बंधपत्रों में निवेश (उद्धत) (पूर्ण प्रदत्त)									
	(फुटनोट क एवं ग देखें)									
(i)	8.90% पीएनबी 2019	-	-	-	-	1,984.03	1,984.03	-	1,984.03	1,984.03
(ii)	10.60% आईआरएफसी 2018	-	-	-	-	500.04	500.04	-	500.13	500.13
(iii)	11.00% पीएफसी 2018	-	-	-	-	461.89	461.89	-	470.00	470.00
(iv)	11.25% पीएफसी 2018	-	-	-	-	922.70	922.70	-	940.96	940.96
(v)	6.90% पीएफसी 2018	-	-	-	-	106,000.00	106,000.00	-	106,000.00	106,000.00
(vi)	8.83% नेवेली लिग्नाइट कोरपोरेशन लिमिटेड 2019	-	-	-	-	965.92	965.92	-	965.92	965.92
		-	-	-	-	110,834.58	110,834.58	-	110,861.04	110,861.04
ख.	म्युचुअल फंड्स में निवेश (अनुद्धत)(पूर्ण प्रदत्त)									
	(फुटनोट क एवं ग देखें)									
	बंसल पाथवेज (मिंगावन-चकघाट)	6,078.00	-	6,078.00	6,078.00	-	6,078.00	-	-	-
	प्राइवेट लिमिटेड में डिबेंचर									
	सोमा आईसोलक्स सूरत हजीरा टोलवेज	13,786.00	-	13,786.00	-	-	-	-	-	-
	प्राइवेट लिमिटेड में डिबेंचर	19,864.00	-	19,864.00	6,078.00	-	6,078.00	-	-	-

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को			यथा 31.03.2018 को			यथा 01.04.2017 को		
		एफबीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल	एफबीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल	एफबीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल
क	इविटी उपकरण इविटी अनुदेश में निवेश अनुद्धत (पूर्ण प्रदत्त) (फुटनोट ख एवं ग देखें) दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलेपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड आधुनिक पावर एंड नैचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (आईआईएफसीएल की ओर से प्रतिभूति ट्रस्टी द्वारा धारित)	411.03 4,765.00	- -	411.03 4,765.00	411.03 4,765.00	- -	411.03 4,765.00	411.03 -	- -	411.03 -
		5,176.02	-	5,176.02	5,176.03	-	5,176.03	411.03	-	411.03
(i)	सहायक कंपनियाँ इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड	-	23,394.80	23,394.80	-	23,394.80	23,394.80	-	23,394.80	23,394.80
(ii)	आईआईएफसीएल एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	-	1,250.00	1,250.00	-	1,250.00	1,250.00	-	1,250.00	1,250.00
(iii)	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	-	475.00	475.00	-	475.00	475.00	-	475.00	475.00
		-	25,119.80	25,119.80	-	25,119.80	25,119.80	-	25,119.80	25,119.80
क	अन्य संयुक्त पूंजी उद्यमों में निवेश अनुद्धत (पूर्ण प्रदत्त) (फुटनोट ख एवं ग देखें) आईआईएफसी प्रोजेक्ट इविटी डोमेस्टिक ट्रस्ट II (पूर्ण प्रदत्त)	1,674.87	-	1,674.87	1,674.87	-	1,674.87	5,212.02	-	5,212.02
		1,674.87	-	1,674.87	1,674.87	-	1,674.87	5,212.02	-	5,212.02
ख	प्रतिभूति रसीदों में निवेश (अनुद्धत)(पूर्ण प्रदत्त) (फुटनोट ख देखें) एडेलवीज एसेट रिकंक्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 135-सिरीज-I) एडेलवीज एसेट रिकंक्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 207-सिरीज-I) एसेट रिकंक्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (आर्सिल-एससी-VIII-ट्रस्ट) फोनिकस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (फोनिकस ट्रस्ट एफवाई 16-20) एडेलवीज एसेट रिकंक्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 276-सिरीज-I)	25.99 7,217.86 7,428.15 2,465.00 37,365.89	- - - - -	25.99 7,217.86 7,428.15 2,465.00 37,365.89	400.97 7,829.13 9,904.20 2,465.00 37,913.93	- - - - -	400.97 7,829.13 9,904.20 2,465.00 37,913.93	425.00 8,564.91 9,904.20 2,465.00 -	- - - - -	425.00 8,564.91 9,904.20 2,465.00 -
		54,502.89	-	54,502.89	58,513.23	-	58,513.23	21,359.11	-	21,359.11
	कुल (क) सकल	106,558.09	34,906.49	141,464.59	101,039.25	153,243.98	254,283.23	44,996.51	153,294.63	198,291.14

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को			यथा 31.03.2018 को			यथा 01.04.2017 को		
		एफबीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल	एफबीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल	एफबीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल
(i)	विदेशी निवेश	-	23,394.80	23,394.80	-	23,394.80	23,394.80	-	23,394.80	23,394.80
(ii)	भारत में निवेश	106,558.09	11,511.70	118,069.79	101,039.25	129,849.18	230,888.43	44,996.51	129,899.83	174,896.34
	कुल (ख)	106,558.09	34,906.49	141,464.59	101,039.25	153,243.98	254,283.23	44,996.51	153,294.63	198,291.14
	कुल (क) का मेल (ख) से होना है	106,558.09	34,906.49	141,464.59	101,039.25	153,243.98	254,283.23	44,996.51	153,294.63	198,291.14
	घटाएं: क्षति हानि के लिए भत्तर (ग)	16,831.53	-	16,831.53	9,638.96	-	9,638.96	-	-	- \
	कुल निवल घ = (क) - (ग)	89,726.56	34,906.49	124,633.06	91,400.29	153,243.98	244,644.27	44,996.51	153,294.63	198,291.14

(₹ in lac)

क्र.सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को			यथा 31.03.2018 को			यथा 01.04.2017 को		
		एफबीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल	एफबीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल	एफबीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल
	आधुनिक पावर एंड नैचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (आईआईएफसीएल की ओर से प्रतिभूति ट्रस्टी द्वारा धारित)	4,191.05	-	4,191.05	4,191.05	-	4,191.05	-	-	-
	बसल पाथवेज (मंगलवन-चक्रघाट)	5,388.48	-	5,388.48	5,447.91	-	5,447.91	-	-	-
	प्राइवेट लिमिटेड में डिबेंचर	7,252.00	-	7,252.00	-	-	-	-	-	-
	सुरत हजीरा में डिबेंचर	-	-	-	-	-	-	-	-	-

फुटनोट्स :

(क) उद्धृत निवेशों की सकल राशि:

(i) लागत/बही मूल्य

(ii) बाजार मूल्य

(ख) अनुद्धत निवेशों की सकल राशि - लागत/बही मूल्य

(ग) व्यक्तिगत निवेशों के मूल्यांकन के लिए नोट 30(ए)(6.2) का सदर्भ लें।

(घ) वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग्स और रेटिंग्स में परिवर्तन का ब्यौरा:

"आईआईएफसीएल के घरेलू ऋण साधनों" की रेटिंग "एएएए" है जो सीआरआईएसआईएल, सीएआरई, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, आईसीआरए और ब्रिक्वर्क्स - क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां द्वारा दी गई सर्वोत्तम रेटिंग है। कम्पनी को दी गई इन रेटिंग्स की पुष्टि स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा बीबीबी- / नकारात्मक / ए-त के रूप में की गई है जो संप्रभु रेटिंग्स के बराबर है। वर्ष के दौरान रेटिंग्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।"

* निम्नलिखित निवेशों का निवल आस्ति मूल्य (रुपये में) निम्नानुसार है:

(i) आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड आईडीएफ सीरीज I	1,312,430.07	1,458,323.45	1,385,719.32
(ii) आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड आईडीएफ सीरीज II	827,871.94	1,063,891.62	-
(iii) ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 135-सीरीज I	-	943.46	1,000.00
(iv) ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 207-सीरीज I	1,172.02	1,271.27	1,390.74
(v) ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 276-सीरीज I	1,057.03	1,000.00	-
(vi) आर्सिल-एएसटी-VIII-ट्रस्ट	750.00	1,000.00	1,000.00
(vii) फोनिकस ट्रस्ट एफवाई 16-20	1,000.00	1,000.00	1,000.00
निवल आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव को अस्थाई माना गया है।			
(ड) निवेशों में ह्रास के लिए सकल प्रावधान	16,831.53	9,638.96	-

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 7: अन्य वित्त आस्तियां

रुपये लाख में

क्र.सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को	यथा 31.03.2018 को	यथा 01.04.2017 को
क	अग्रिम			
	कर्मचारियों से प्राप्त अग्रिम	34.11	37.20	40.20
	प्रतिभूति जमा राशि प्रदत्त	30.01	729.82	730.81
	अन्य	59.00	187.39	65.16
	उप-योग (क)	123.13	954.41	836.17
ख	ऋणों एवं अग्रिमों पर प्रदत्त एवं देय ब्याज	13,160.70	23,966.33	28,073.39
	उप-योग (ख)	13,160.70	23,966.33	28,073.39
ग	प्रदत्त किंतु अदेय ब्याज:			
	बैंकों में सावधि जमा	6,749.61	13,517.94	6,239.89
	बंधपत्र	-	5,313.91	644.97
	सरकारी प्रतिभूतियां	162.69	204.88	204.88
	ऋण एवं अग्रिम	19,529.53	22,678.77	35,519.02
	उप-योग (ग)	26,441.83	41,715.50	42,608.76
	कुल योग (क)+(ख)+(ग)	39,725.66	66,636.24	71,518.32

नोट 8: चालू कर आस्तियां

रुपये लाख में

क्र.सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को	यथा 31.03.2018 को	यथा 01.04.2017 को
(i)	आयकर वसूली योग्य राशि	18,954.63	7,398.39	6,600.11
(ii)	सेवा कर वसूली योग्य राशि (सेनवेट)	0.02	0.02	5.40
(iii)	वस्तु एवं सेवा कर वसूली योग्य राशि	-	17.21	-
(iv)	अग्रिम कर वसूली योग्य राशि	1,995.80	18,825.68	-
	योग	20,950.44	26,241.30	6,605.51

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 9: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

रूपये लाख में

विवरण	सकल ब्लॉक							मूल्यहास							निवल ब्लॉक			
	01.04.2017 को	वृद्धि	निपटान योग्य/समायोजन	31.03.2018 को	01.04.2018 को	वृद्धि	निपटान योग्य/समायोजन	31.03.2019 को	01.04.2017 को	वृद्धि	कटौती/व्युत्क्रमण	31.03.2018 को	01.04.2018 को	अवधि के लिए	कटौती/व्युत्क्रमण	31.03.2019 को	31.03.2018 को	01.04.2017 को
मूर्त आस्तियां																		
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	65.05	1.82	1.55	65.32	65.32	506.41	7.74	563.99	-	33.54	0.80	32.74	32.74	46.11	-	78.85	485.14	65.05
वाहन	41.12	33.33	31.92	42.53	42.53	28.72	-	71.25	-	14.71	22.76	(8.05)	(8.05)	17.17	0.07	9.05	62.20	41.12
कार्यालय उपकरण	7.51	0.59	1.60	6.50	6.50	322.12	0.01	328.61	-	3.87	1.04	2.83	2.83	36.84	-	39.67	288.94	7.51
प्लांट एवं मशीनरी	4.61	0.96	0.45	5.12	5.12	105.03	-	110.15	-	0.97	0.28	0.69	0.69	12.38	-	13.07	97.08	4.61
कंप्यूटर हार्डवेयर	53.44	1.13	0.59	53.98	53.98	190.29	-	244.27	-	27.12	0.54	26.58	26.58	32.15	-	58.73	185.54	53.44
भवन	-	-	-	-	-	25,231.66	-	25,231.66	-	-	-	-	-	200.05	-	200.05	25,031.61	-
बिजली के उपकरण	-	-	-	-	-	346.41	-	346.41	-	-	-	-	-	38.50	-	38.50	307.91	-
योग	171.73	37.83	36.11	173.45	173.45	26,730.64	7.75	26,896.34	-	80.21	25.42	54.79	54.79	383.20	0.07	437.92	26,458.42	171.73
गत वर्ष	583.12	46.92	109.29	520.75	171.73	37.83	36.11	173.45	317.90	108.49	77.37	349.02	-	80.21	25.42	54.79	171.73	93.19

नोट 10: प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				निवल ब्लॉक			
	01.04.2017 को	वृद्धि	निपटान योग्य/समायोजन	31.03.2018 को	वृद्धि	निपटान योग्य/समायोजन	31.03.2019 को	01.04.2017 को	वृद्धि	कटौती/व्युत्क्रमण	31.03.2019 को	01.04.2017 को
प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य	14,895.70	5,460.39	241.41	20,114.68	9,763.20	27,618.42	2,259.46	-	-	-	2,259.46	14,895.70
योग	14,895.70	5,460.39	241.41	20,114.68	9,763.20	27,618.42	2,259.46	-	-	-	2,259.46	14,895.70
गत वर्ष	9,120.84	5,774.86	-	14,895.70	5,460.39	241.41	20,114.68	-	-	-	20,114.68	9,120.84

नोट 11: अमूर्त आस्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				निवल ब्लॉक			
	01.04.2017 को	वृद्धि	निपटान योग्य/समायोजन	31.03.2018 को	वृद्धि	निपटान योग्य/समायोजन	31.03.2019 को	01.04.2017 को	वृद्धि	कटौती/व्युत्क्रमण	31.03.2019 को	01.04.2017 को
कंप्यूटर साफ्टवेयर*	30.12	219.59	-	249.71	649.19	-	898.90	-	87.84	-	397.04	30.12
योग	30.12	219.59	-	249.71	649.19	-	898.90	-	87.84	-	397.04	30.12
गत वर्ष	98.63	14.30	-	112.93	98.63	-	112.93	-	25.03	-	82.81	40.85

* कंपनी द्वारा धारित अमूर्त आस्तियां, आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्तियों से भिन्न हैं।

नोट: आईआईएफसीएल का कार्यालय 1 जनवरी 2019 से नए परिसर में स्थानांतरित हो गया है। परिसर का अधिग्रहण करने के लिए भुगतान की गई राशि को लेखा पुस्तिकाओं में पूंजीकृत किया गया है। चूंकि करार का कार्यान्वयन अभी किया जाना शेष है, आईआईएफसीएल ने राशि का 30 वर्ष की लीज अवधि के लिए परिसोधित किया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 12: अन्य गैर वित्तीय संपत्ति

रुपये लाख में

क्र.सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को	यथा 31.03.2018 को	यथा 01.04.2017 को
(i)	पूर्वदात व्यय	7.96	12.94	26.70
(ii)	अन्य अग्रिम	3,377.83	141.23	32.43
	योग	3,385.79	154.17	59.13

नोट 13: ऋण प्रतिभूतियां

रुपये लाख में

क्र.सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को		यथा 31.03.2018 को		यथा 01.04.2017 को	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
(क)	अन्य						
I	प्रतिभूत बंधपत्र^						
(i)	500 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 500) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 9.36% बंधपत्र, 27/07/2042 को प्रतिदेय	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
(ii)	10,500 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 10,500) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 9.41% बंधपत्र, 27/07/2037 को प्रतिदेय	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
(iii)	12,59,825 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 12,59,825) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.55: कर-मुक्त ट्रेन्च सीरीज 3ए के बंधपत्र, 27/03/2034 को प्रतिदेय	12,598.25	12,598.25	12,598.25	12,598.25	12,598.25	12,598.25
(iv)	12,87,311 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 13,15,838) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.80: कर-मुक्त ट्रेन्च सीरीज 3बी के बंधपत्र, 27/03/2034 को प्रतिदेय	12,873.11	12,873.11	12,873.11	12,873.11	13,158.38	13,158.38
(v)	96,943 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 88,618) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.55: कर-मुक्त ट्रेन्च सीरीज के बंधपत्र, 27/03/2034 को प्रतिदेय	1,254.70	1,254.70	1,254.70	1,254.70	969.43	969.43
(vi)	4,01,389 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 3,27,721) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.66: कर-मुक्त सीरीज ए के बंधपत्र, 22/01/2034 को प्रतिदेय	5,157.65	5,157.65	5,157.65	5,157.65	4,013.89	4,013.89
(vii)	75,43,989 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 75,43,989) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.66: कर-मुक्त सीरीज ए के बंधपत्र, 22/01/2034 को प्रतिदेय	75,439.89	75,439.89	75,439.89	75,439.89	75,439.89	75,439.89
(viii)	55,57,608 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 56,31,276) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.91: कर-मुक्त सीरीज ए के बंधपत्र, 22/01/2034 को प्रतिदेय	54,432.32	54,432.32	54,432.32	54,432.32	55,576.08	55,576.08
(ix)	1,28,046 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 1,19,541) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.50: कर मुक्त सीरीज ए के बंधपत्र, 12/11/2033 को प्रतिदेय	1,591.13	1,591.13	1,591.13	1,591.13	1,280.46	1,280.46
(x)	18,68,982 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 18,68,982) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.50: कर मुक्त बंधपत्र, 12/11/2033 को प्रतिदेय	18,689.82	18,689.82	18,689.82	18,689.82	18,689.82	18,689.82
(xi)	24,51,575 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 24,60,080) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.75: कर मुक्त बंधपत्र, 12/11/2033 को प्रतिदेय	24,205.08	24,205.08	24,205.08	24,205.08	24,515.75	24,515.75
(xii)	265 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 265) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.37: कर मुक्त सीरीज ए के बंधपत्र, 30/08/2033 को प्रतिदेय	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

रुपये लाख में

क्र.सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को		यथा 31.03.2018 को		यथा 01.04.2017 को	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
(xiii)	20 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 20) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.19: कर मुक्त सिरीज ट के बंधपत्र, 23/08/2033 को प्रतिदेय	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
(xiv)	35,812 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 18,822) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.08: कर मुक्त बंधपत्र, 26/03/2033 को प्रतिदेय	424.72	424.72	424.72	424.72	358.12	358.12
(xv)	1,97,353 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 2,04,343) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.58: कर मुक्त बंधपत्र, 26/03/2033 को प्रतिदेय	1,906.93	1,906.93	1,906.93	1,906.93	1,973.53	1,973.53
(xvi)	1,01,12,152 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 1,00,83,588) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.40: कर मुक्त बंधपत्र, 22/01/2033 को प्रतिदेय	101,628.09	101,628.09	101,628.09	101,628.09	101,121.52	101,121.52
(xvii)	14,52,072 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 14,80,636) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.90: कर मुक्त बंधपत्र, 22/01/2033 को प्रतिदेय	14,014.15	14,014.15	14,014.15	14,014.15	14,520.72	14,520.72
(xviii)	210 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 210) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.41: कर मुक्त सिरीज ट-सी के बंधपत्र, 21/11/2032 को प्रतिदेय	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
(xix)	3400 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 3400) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.41: कर मुक्त सिरीज प-सी के बंधपत्र, 15/11/2032 को प्रतिदेय	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
(xx)	93,915 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 55,433) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.55: कर मुक्त ट्रेच-प सिरीज 2ए के बंधपत्र, 27/03/2029 को प्रतिदेय	1,228.07	1,228.07	1,228.07	1,228.07	939.15	939.15
(xxi)	1,59,58,486 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 1,59,58,486) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.55: कर मुक्त ट्रेच-प सिरीज 2ए के बंधपत्र, 27/03/2029 को प्रतिदेय	159,584.86	159,584.86	159,584.86	159,584.86	159,584.86	159,584.86
(xxii)	27,39,954 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 27,78,436) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.80: कर मुक्त ट्रेच-प सिरीज 2बी के बंधपत्र, 27/03/2029 को प्रतिदेय	27,110.62	27,110.62	27,110.62	27,110.62	27,399.54	27,399.54
(xxiii)	52,550 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 34,333) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.48: कर मुक्त सिरीज ट के बंधपत्र, 22/01/2029 को प्रतिदेय	679.08	679.08	679.08	679.08	525.50	525.50
(xxiv)	27,98,922 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 27,98,922) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.48: कर मुक्त सिरीज ट के बंधपत्र, 22/01/2029 को प्रतिदेय	27,989.22	27,989.22	27,989.22	27,989.22	27,989.22	27,989.22
(xxv)	14,26,308 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 14,26,308) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.48: कर मुक्त सिरीज ट के बंधपत्र, 22/01/2029 को प्रतिदेय	14,109.50	14,109.50	14,109.50	14,109.50	14,263.08	14,263.08
(xxvi)	89,009 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 58,112) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.38: कर मुक्त सिरीज ट के बंधपत्र, 12/11/2028 को प्रतिदेय	890.09	890.09	890.09	890.09	581.12	581.12
(xxvii)	30,35,330 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 30,35,330) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.38: कर मुक्त बंधपत्र, 12/11/2028 को प्रतिदेय	30,353.30	30,353.30	30,353.30	30,353.30	30,353.30	30,353.30
(xxviii)	16,02,208 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 16,21,932) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.63: कर मुक्त बंधपत्र, 12/11/2028 को प्रतिदेय	15,713.11	15,713.11	15,713.11	15,713.11	16,022.08	16,022.08
(xxix)	11,297 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 11,297) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.48: कर मुक्त सिरीज ट के बंधपत्र, 05/09/2028 को प्रतिदेय	112,970.00	112,970.00	112,970.00	112,970.00	112,970.00	112,970.00

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

रुपये लाख में

क्र.सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को		यथा 31.03.2018 को		यथा 01.04.2017 को	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
(xxx)	11,597 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 11,597) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.46: कर मुक्त सिरीज प्ट के बंधपत्र, 30/08/2028 को प्रतिदेय	115,970.00	115,970.00	115,970.00	115,970.00	115,970.00	115,970.00
(xxxix)	6,303 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 6,303) 10 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.52: कर मुक्त बंधपत्र सीरीज ट, 23/08/2028 को प्रतिदेय	63,030.00	63,030.00	63,030.00	63,030.00	63,030.00	63,030.00
(xxxixii)	3,56,419 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 3,54,029) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.02: कर मुक्त बंधपत्र, 26/03/2028 को प्रतिदेय	3,615.54	3,615.54	3,615.54	3,615.54	3,564.19	3,564.19
(xxxixiii)	1,09,199 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 1,11,589) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.52: कर मुक्त बंधपत्र, 26/03/2028 को प्रतिदेय	1,040.64	1,040.64	1,040.64	1,040.64	1,091.99	1,091.99
(xxxixiv)	67,22,052 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 67,05,758) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.36: कर मुक्त बंधपत्र, 22/01/2028 को प्रतिदेय	67,411.62	67,411.62	67,411.62	67,411.62	67,220.52	67,220.52
(xxxixv)	8,87,501 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 9,03,795) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.86: कर मुक्त बंधपत्र, 22/01/2028 को प्रतिदेय	8,683.91	8,683.91	8,683.91	8,683.91	8,875.01	8,875.01
(xxxixvi)	500 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 500) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.38: कर मुक्त सिरीज प्ट-बी के बंधपत्र, 21/11/2027 को प्रतिदेय	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
(xxxixvii)	1,000 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 1,000) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.8: कर मुक्त सिरीज प्ट-बी के बंधपत्र, 15/11/2027 को प्रतिदेय	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
(xxxixviii)	38,58,714 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 38,58,714) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.16: कर मुक्त भाग-पू सिरीज ए के बंधपत्र, 27/03/2024 को प्रतिदेय	38,587.14	38,587.14	38,587.14	38,587.14	38,587.14	38,587.14
(xxxixix)	12,95,786 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 12,95,786) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.41: कर मुक्त भाग-पू सिरीज बी के बंधपत्र, 27/03/2024 को प्रतिदेय	12,805.11	12,805.11	12,805.11	12,805.11	12,957.86	12,957.86
(xL)	25,913 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 18,055) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.16: कर मुक्त भाग-पू के बंधपत्र, 27/03/2024 को प्रतिदेय	411.88	411.88	411.88	411.88	259.13	259.13
(xLi)	1,44,938 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 1,14,165) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.41: कर मुक्त सिरीज प्ट के बंधपत्र, 22/01/2024 को प्रतिदेय	1,917.78	1,917.78	1,917.78	1,917.78	1,449.38	1,449.38
(xLii)	79,57,885 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 79,57,885) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.41: कर मुक्त सिरीज प्ट के बंधपत्र, 22/01/2024 को प्रतिदेय	79,578.85	79,578.85	79,578.85	79,578.85	79,578.85	79,578.85
(xLiii)	41,16,411 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 41,47,184) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.66: कर मुक्त सिरीज प्ट के बंधपत्र, 22/01/2024 को प्रतिदेय	40,695.71	40,695.71	40,695.71	40,695.71	41,164.11	41,164.11
(xLiv)	17,26,340 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 17,26,340) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.01: कर मुक्त बंधपत्र, 12/11/2023 को प्रतिदेय	17,263.40	17,263.40	17,263.40	17,263.40	17,263.40	17,263.40
(xLv)	12,39,118 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 12,45,503) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.26: कर मुक्त बंधपत्र, 12/11/2023 को प्रतिदेय	12,317.39	12,317.39	12,317.39	12,317.39	12,391.18	12,391.18
(xLvi)	20,340 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 13,955) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.01: कर मुक्त सिरीज पू के बंधपत्र, 12/11/2023 को प्रतिदेय	277.19	277.19	277.19	277.19	203.40	203.40

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

रुपये लाख में

क्र.सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को		यथा 31.03.2018 को		यथा 01.04.2017 को	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
(xLvii)	50 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 50) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.11: कर मुक्त सिरीज़ टप् के बंधपत्र, 05/09/2023 को प्रतिदेय	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
(xLviii)	100 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 100) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.01: कर मुक्त सिरीज़ टप् के बंधपत्र, 30/08/2023 को प्रतिदेय	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
(xLix)	19,27,359 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 19,21,694) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 6.86: कर मुक्त बंधपत्र, 26/03/2023 को प्रतिदेय	19,273.19	19,273.19	19,273.19	19,273.19	19,233.59	19,233.59
(L)	1,02,278 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 1,03,943) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.36: कर मुक्त बंधपत्र, 26/03/2023 को प्रतिदेय	983.18	983.18	983.18	983.18	1,022.78	1,022.78
(Li)	85,13,922 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 84,96,641) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.19: कर मुक्त बंधपत्र, 22/01/2023 को प्रतिदेय	85,463.48	85,463.48	85,463.48	85,463.48	85,139.22	85,139.22
(Lii)	11,51,070 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 11,68,351) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.69: कर मुक्त बंधपत्र, 22/01/2023 को प्रतिदेय	11,186.44	11,186.44	11,186.44	11,186.44	11,510.70	11,510.70
(Liii)	2,140 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 2,140) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.21: कर मुक्त सिरीज़ टप्-ए के बंधपत्र, 22/11/2022 को प्रतिदेय	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00
	600 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 600) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.02: कर मुक्त सिरीज़ टप्-ए के बंधपत्र, 15/11/2022 को प्रतिदेय	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	1,30,407 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 1,30,407) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.30: कर मुक्त बंधपत्र, 29/03/2018 को प्रतिदेय	791.10	791.10	794.02	794.02	1,304.07	1,304.07
	5,38,811 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 5,40,816) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.15: कर मुक्त बंधपत्र, 29/03/2016 के पूर्ववर्ती पुनर्खरीद के साथ 28/03/2021 को प्रतिदेय	5,388.11	5,388.11	5,388.11	5,388.11	5,388.11	5,388.11
		1,494,385.35	1,494,385.35	1,494,388.27	1,494,388.27	1,494,898.32	1,494,898.32
	अप्रतिभूत बंधपत्र^						
(i)	10,000, 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.55: बंधपत्र, 03/11/2024 को प्रतिदेय रु	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
(ii)	4,000, 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.12: बंधपत्र, 28/04/2024 को प्रतिदेय रु	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
(iii)	6,000, 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.12: बंधपत्र, 12/08/2024 को प्रतिदेय रु	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
(iv)	5,000, 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.90: बंधपत्र, 28/04/2024 को प्रतिदेय रु	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
(v)	5,000, 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.10: बंधपत्र, 08/04/2024 को प्रतिदेय रु	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
(vi)	2,000, 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.68: बंधपत्र, 18/12/2023 को प्रतिदेय रु	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
(vii)	2,000, 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 9.35: बंधपत्र, 17/11/2023 को प्रतिदेय रु	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

रुपये लाख में

क्र.सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को		यथा 31.03.2018 को		यथा 01.04.2017 को	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
(viii)	2,000, 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.82: बंधपत्र, 19/12/2022 को प्रतिदेय रु	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	कुल सकल (क)	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	1,854,385.35	1,854,385.35	1,854,388.27	1,854,388.27	1,854,898.32	1,854,898.32
	भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-
	कुल सकल (ख)	1,854,385.35	1,854,385.35	1,854,388.27	1,854,388.27	1,854,898.32	1,854,898.32
	कुल (ख) का (क) के साथ मेल होना है	1,854,385.35	1,854,385.35	1,854,388.27	1,854,388.27	1,854,898.32	1,854,898.32

^ आईआईएफसीएल द्वारा जारी किए गए सभी प्रतिभूत और अप्रतिभूत बंधपत्र गैर-परिवर्तनीय और प्रतिदेय हैं। इसके अतिरिक्त, सभी प्रतिभूत बंधपत्र, कंपनी खातों के सभी अधिकारों, शीर्षकों, हितों, लाभों, दावों तथा मागों सहित कंपनी के सभी प्रकृति, वर्तमान और भावी, के प्राप्यों के समतुल्य आधार पर प्रतिभूत हैं।

आईआईएफसीएल के घरेलू ऋण अनुदेश को "एएए" रेटिंग प्राप्त है — जो कि सीआरआईएसआईएल, सीएआईई, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, आईसीआरए और ब्रिक्सवर्क्स — क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रदान की गई उच्चतम रेटिंग है। कंपनी को प्रदान की गई रेटिंग की पुष्टि बीबीबी- / निगेटिव/ए-3 के रूप में मानक एवं अपमानक के आधार पर की गई है जो कि श्रेष्ठ रेटिंग के समतुल्य है। वर्ष के दौरान रेटिंग में कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है।

अप्रतिभूत बंधपत्र भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा होते हैं [जिनमें 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार शून्य (31 मार्च 2018 का शून्य) शामिल, जो रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर देय हैं]

360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00

विमुक्त कराए गए बंधपत्र या डिबेंचर जिनका पुनः जारी करने का अधिकार आईआईएफसीएल को है।

शून्य

शून्य

शून्य

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 14: उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)

रुपये लाख में

क्र.सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को		यथा 31.03.2018 को		यथा 01.04.2017 को	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
a)	सावधि ऋण						
(i)	अन्य पक्षकारों से अप्रतिभूत ऋण :						
a.	एशियाई विकास बैंक (एडीबी)	993,406.28	993,406.28	934,655.64	934,655.64	962,455.54	962,455.54
b.	आईबीआरडी (विश्व बैंक)	121,719.35	121,719.35	120,646.20	120,646.20	126,435.27	126,435.27
c.	यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)	155,404.80	155,404.80	161,244.15	161,244.15	138,494.95	138,494.95
d.	हेडिटेस्टाल्टफर वेडिराउघबाउ (केएफडब्ल्यू)	19,971.85	19,971.85	25,618.71	25,618.71	26,210.19	26,210.19
e.	जापान इंटरनेशनल कोओपरेशन एजेंसी	62,520.00	62,520.00	6,154.00	6,154.00	-	-
b)	मांग पर प्रतिदेय ऋण:						
	प्रतिभूत ऋण:						
i)	बैंकों से*	87,234.04	87,234.04	174,390.86	174,390.86	89,666.24	89,666.24
	(31 मार्च 2019 को 1,64,572.00 लाख रुपए (31 मार्च 2018 को 3,49,512 लाख रुपए) की सावधि जमा प्राप्तियों की गिरवी द्वारा प्रतिभूत)						
	कुल (क)	1,440,256.32	1,440,256.32	1,422,709.56	1,422,709.56	1,343,262.19	1,343,262.19
	भारत में उधारियां	87,234.04	87,234.04	174,390.86	174,390.86	89,666.24	89,666.24
	भारत से बाहर उधारियां—एफ ऋण	1,353,022.28	1,353,022.28	1,248,318.70	1,248,318.70	1,253,595.95	1,253,595.95
	कुल (ख) को कुल (क) से मेल	1,440,256.32	1,440,256.32	1,422,709.56	1,422,709.56	1,343,262.19	1,343,262.19

अन्य पक्षों से सभी अप्रतिभूत मियादी ऋण, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत हैं, जिनमें से (दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार, 41,958.54 लाख रुपये, 4,721.20 लाख रुपये और 6,582.34 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 के अनुसार, 37,851 लाख रुपये, 4,897.80 लाख रुपये और 6,189.60 लाख रुपये) की राशि, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के 1 वर्ष के भीतर क्रमशः एडीबी, केडब्ल्यूएफ और विश्व बैंक को देय है और नोट 8 में "अन्य वर्तमान देयताओं" के रूप में दर्शायी गई है।

* नामे (डेबिट) शेष का निवल

0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.14

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 15: अन्य वित्तीय देनदारियां

रुपये लाख में

क्र.सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को	यथा 31.03.2018 को	यथा 01.04.2017 को
(i)	प्राप्त प्रतिभूति जमा राशि	15.05	8.75	8.75
(ii)	अन्य	508.95	18.82	26.49
(iii)	उधार राशियों पर प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज बंधपत्रों और सावधि ऋणों पर	79,804.57	72,831.16	74,357.75
	योग	80,328.57	72,858.73	74,392.99

नोट 16: चालू कर देनदारियां

रुपये लाख में

क्र.सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को	यथा 31.03.2018 को	यथा 01.04.2017 को
(i)	आयकर के लिए प्रावधान	-	-	483.43
	योग	-	-	483.43

नोट 17: प्रावधान

रुपये लाख में

क्र.सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को	यथा 31.03.2018 को	यथा 01.04.2017 को
	कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान			
(i)	छुट्टी नकदीकरण	86.00	-	29.33
(ii)	बीमारी छुट्टी	201.73	128.83	119.23
(iii)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	764.47	717.99	487.07
(iv)	छुट्टी किराया रियायत	59.31	57.57	59.21
(v)	परिलब्धि संशोधन	350.02	917.28	696.05
(vi)	पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन संबंधी प्रोत्साहन	-	-	18.12
	अन्य			
(i)	व्युत्पन्नों पर बाजार हेतु चिंहांकित	1,688.71	2,141.62	2,381.61
(ii)	मानक आस्तियों के लिए आकस्मिक प्रावधान	11,368.19	11,073.47	10,850.66
(iii)	अवमानक आस्तियों के लिए प्रावधान	21,907.60	128,383.99	23,521.52
(iv)	संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान	213,320.21	95,715.36	55,256.54
(v)	पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान	1,599.92	5,287.72	20,554.72
(vi)	कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचित आस्तियों के सापेक्ष प्रावधान	-	-	12,249.30
(vii)	भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार संभावित क्रेडिट हानि	180,534.12	186,641.37	147,889.81
	योग	431,880.29	431,065.20	274,113.17

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 18 : आस्थगित कर देयताएं

रुपये लाख में

क्र.सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को	यथा 31.03.2018 को	यथा 01.04.2017 को
(I)	निम्न के कारण आस्थगित कर देयता:			
(i)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(अपपप) के तहत सृजित विशेष अवसंरचना आरक्षिती	49,104.29	44,072.66	41,792.42
(ii)	मूल्यह्रास	357.21	6.41	-
(iii)	मानक ऋण आस्तियों के लिए दावों में कमी	1,511.95	1,511.95	1,511.95
(iv)	अन्य	(600.04)	761.05	578.46
	आस्थगित कर देयताएं	50,373.43	46,352.07	43,882.83
(II)	निम्न के कारण आस्थगित कर देयता:			
(i)	कर के लिए प्रस्तुत फुटकर देयता खातों (ब्याज पूंजीकरण) में जमा ब्याज	12,655.05	12,658.74	12,890.91
(ii)	मूल्यह्रास	-	-	12.52
(iii)	छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	30.05	7.50	-
(iv)	उपदान के लिए प्रावधान	70.49	29.46	25.42
(v)	व्यय जिन पर टीडीएस नहीं काटा गया	4.72	4.95	4.98
(vi)	पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन संबंधी प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	-	-	(15.39)
(vii)	चिकित्सा सहायता स्कीम के लिए प्रावधान	267.14	248.43	168.51
(viii)	परिलब्धि संशोधन के लिए प्रावधान	122.31	-	-
(ix)	छुट्टी किराया रियायत	20.73	(22.28)	(22.03)
(x)	आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान*	584.35	741.14	824.23
	आस्थगित कर देयताएं	13,754.83	13,667.94	13,889.15
	आस्थगित कर देयता (निवल)	36,618.59	32,684.13	29,993.68

* व्युत्पन्नो पर बाजार से बाजार हानियों के संबंध में सृजित

नोट 19: अन्य गैर-वित्तीय देयताएं

रुपये लाख में

क्र.सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को	यथा 31.03.2018 को	यथा 01.04.2017 को
(A)	अग्रिम में प्राप्त आय			
(i)	विश्व बैंक से प्राप्त अनुदान	(0.02)	(0.02)	(0.02)
(B)	अन्य देय			
(i)	देय सांविधिक देयताएं	73.96	177.37	88.73
(ii)	बंधपत्रों पर अदावा ब्याज	1.38	1.38	1.38
(iii)	देय प्रतिबद्धता प्रभार	-	-	(0.33)
(iv)	कर्मचारियों/पूर्णकालिक निदेशकों को देय	(1.94)	3.61	5.12
(v)	एलआईसी को देय उपदान निधि में देय अंशदान	-	-	23.68
(vi)	फुटकर देनदारी खाता (ब्याज पूंजीकरण)	41,095.01	40,967.37	41,638.24
(vii)	अन्य	905.90	445.48	118.22
	कुल	42,074.29	41,595.19	41,875.02

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 20: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को	यथा 31.03.2018 को	यथा 01.04.2017 को
क	प्राधिकृत 10 रुपए प्रत्येक के 6,000,000,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2018 को 10 रुपए प्रत्येक के 6,000,000,000 इक्विटी शेयर)	600,000.00	600,000.00	600,000.00
	निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त			
ख	10 रुपए प्रत्येक के 4,202,316,230 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (31 मार्च 2018 को 10 रुपए प्रत्येक के 4,102,316,230 इक्विटी शेयर)	420,231.62	410,231.62	400,231.62
	योग	420,231.62	410,231.62	400,231.62

फुटनोट:

क) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया इक्विटीशेयरों का समाशोधन

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	
	शेयरों की संख्या	₹ लाख में	शेयरों की संख्या	₹ लाख में
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में बकाया शेयर	4,102,316,230	410,231.62	4,002,316,230	400,231.62
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निर्गत किए गए शेयर	100,000,000	10,000.00	100,000,000	10,000.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयर	4,202,316,230	420,231.62	4,102,316,230	410,231.62

ख) कंपनी की सम्पूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी के धारक भारत सरकार और इसके नामिती हैं।

ग) हस्तांतरित कम्पनी होने के नाते, आईआईएफसीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी कुल 5,00,000 लाख रुपए के 10 रुपए प्रत्येक वाले 50,000 लाख इक्विटी शेयरों से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 6,00,000 लाख रुपए के 10 रुपए प्रत्येक वाले 60,000 लाख इक्विटी शेयर हो गई।

घ) वर्ष के दौरान, कम्पनी ने भारत सरकार को आधिकारिक निर्गम में माध्यम से कुल 10,000 लाख रुपए के 10 रुपए प्रत्येक वाले 1,000 लाख इक्विटी शेयर जारी किए हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, कम्पनी ने भारत सरकार को आधिकारिक निर्गम में माध्यम से कुल 10,000 लाख रुपए के 10 रुपए प्रत्येक वाले 1,000 लाख इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

ङ) वित्तीय संस्थाएं शेयर पूंजी का उपयोग विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार पूंजी की पर्याप्तता, एक्सपोजर मानकों और लीवरेज अनुपात को बनाए रखने के लिए पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से अपने स्वामित्व वाली निधियों के सुदृढीकरण के लिए करती हैं। आईआईएफसीएल ने 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा मुहैया कराई गई समस्त पूंजी का उपयोग तदनुसार किया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 21: अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को	यथा 31.03.2018 को	यथा 01.04.2017 को
क)	पूंजी आरक्षित निधि (गैर चालू प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ)			
	प्रारंभिक शेष	585.14	585.14	585.14
	अंतिम शेष	585.14	585.14	585.14
ख)	प्रतिभूति प्रीमियम खाता (बंधपत्रों पर)			
	प्रारंभिक शेष	235.50	235.50	235.50
	अंतिम शेष	235.50	235.50	235.50
ग)	डिबेंचर/बंधपत्र प्रतिदान आरक्षित निधि			
	प्रारंभिक शेष	81,817.55	63,691.15	45,507.67
	जोड़ें: लाभ हानि विवरणी में अधिशेष से अंतरण	18,177.50	18,126.40	18,183.48
	अंतिम शेष	99,995.05	81,817.55	63,691.15
घ)	नकद प्रवाह हेज आरक्षित निधि			
	प्रारंभिक शेष(2,639.52)	(5,860.36)	91,940.25	
	जोड़ें: लाभ हानि विवरणी में अधिशेष से अंतरण	-	57,426.47	-
	घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त और लाभ हानि विवरणी में अधिशेष से अंतरित राशि	10,659.59	54,205.63	97,800.61
	अंतिम शेष	(13,299.11)	(2,639.52)	(5,860.36)
ड)	अन्य आरक्षित निधियां			
(i)	आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि (फुटनोट 1)			
	प्रारंभिक शेष	127,348.18	120,759.40	103,338.76
	जोड़ें: लाभ हानि विवरणी में अधिशेष से अंतरण (निवल)	14,797.64	6,588.78	17,200.18
	जोड़ें: विलय पर आईडब्ल्यूआरएफसी से अंतरण	-	-	220.46
	अंतिम शेष	142,145.82	127,348.18	120,759.40
(ii)	कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि (फुटनोट 2)			
	प्रारंभिक शेष	4.65	36.22	68.93
	जोड़ें: लाभ हानि विवरणी में अधिशेष से अंतरण	67.90	-	-
	घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त और लाभ हानि विवरणी में अधिशेष से अंतरित राशि	22.05	31.57	32.71
	अंतिम शेष	50.51	4.65	36.22
(iii)	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायी आरक्षित निधि (फुटनोट 3)			
	प्रारंभिक शेष	2,633.78	2,633.78	2,497.42
	जोड़ें: विलय पर आईडब्ल्यूआरएफसी से अंतरण	-	-	136.36
	अंतिम शेष	2,633.78	2,633.78	2,633.78

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को	यथा 31.03.2018 को	यथा 01.04.2017 को
(iv)	आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-IC के अंतर्गत आरक्षित निधि (फुटनोट 4)			
	प्रारंभिक शेष-	-	-	-
	जोड़ें: लाभ हानि विवरणी में अधिशेष से अंतरण	2,033.18	-	-
	अंतिम शेष	2,033.18	-	-
(च)	लाभ हानि विवरणिका में अधिशेष			
	प्रारंभिक शेष	(160,867.44)	16,628.52	184,234.84
	जोड़ें: करोपरांत लाभ	10,242.67	(152,647.05)	(136,503.00)
	जोड़ें: 31 मार्च 2016 को आईडब्ल्यूआरएफसी की लाभ हानि विवरणी में अधिशेष	-	-	4,408.10
	जोड़ें: कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि से अंतरण	22.05	31.57	32.71
	घटाएं: कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि में अंतरण	67.90	-	-
	घटाएं: डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित निधि में अंतरण	18,177.50	18,126.40	18,183.48
	घटाएं: आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	14,797.64	6,588.78	17,200.18
	घटाएं: कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी आरक्षित निधि में अंतरण	-	-	-
	घटाएं: लेखांकन प्रशोधन में परिवर्तन	-	-	-
	घटाएं: परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुन-मापन प्राप्ति / (हानि)	76.77	165.31	160.47
	घटाएं: आयकर अधिनियम की धारा 45-IC के अंतर्गत आरक्षित निधि निधि	2,033.18	-	-
	अंतिम शेष	(185,755.71)	(160,867.44)	16,628.52
	योग	48,624.16	49,117.84	198,709.35

फुटनोट्स:

- वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आरक्षित निधियों से कोई राशि आहरित नहीं की गई है।
- विशेष आरक्षित निधि, उन कम्पनियों द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत अनुरक्षित की जाने वाली सांविधिक आरक्षित निधि है जो भारत में अवसंरचना के विकास के लिए दीर्घावधि वित्त मुहैया कराती हैं।
- कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि का सृजन कर्मचारियों के बीच खेलकूद, सांस्कृतिक और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है।
- 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के उपरांत, आईआईएफसीएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किए जाने के लिए अपेक्षित सीएसआर व्यय के लिए सीएसआर आरक्षित का सृजन नहीं किया है और 3 जुलाई, 2015 के पत्र के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी (सीएसआर पॉलिसी) नियमावली, 2014 के प्रावधान के अनुसार सीएसआर आरक्षित के सृजन और सीएसआर के तहत व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित राशि के अतिरिक्त इसके उपयोग को जारी रखने के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए मामले को सार्वजनिक उद्यम विभाग को अपेक्षित किया। सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय से उत्तर अभी प्रतीक्षित है।
- आरक्षित निधि का सृजन आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-IC के अनुसार किया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 22: ब्याज आय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		परिशोधित ऋण पर मापी गई वित्तीय आस्तियां	
		31.03.2019	31.03.2018
(i)	प्रत्यक्ष उधारी के तहत ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	205,467.31	215,604.73
(ii)	पीएमडीओ स्कीम के तहत ऋणों पर ब्याज	198.05	886.29
(iii)	पुनर्वित्तपोषण स्कीम के तहत ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	24,763.53	23.21
(iv)	टेकआउट वित्तपोषण स्कीम के तहत ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	77,619.55	87,952.76
(v)	दंड – ब्याज	1,228.26	689.00
(vi)	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	1,231.50	1,273.70
(vii)	बंधपत्रों पर ब्याज	2,482.44	7,780.76
(viii)	बैंकों में जमा पर ब्याज	48,870.05	35,817.65
	योग	361,860.70	350,028.10

नोट 23: शुल्क और कमीशन

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		31.03.2019	31.03.2018
(i)	अग्रिम शुल्क	431.86	830.40
(ii)	प्रक्रिया शुल्क	94.50	61.00
(iii)	पूर्वभुगतान प्रभार	1,186.92	4,388.78
(iv)	प्राप्त कमीशन	-	246.03
(v)	ऋण वृद्धि से शुल्क	603.40	601.80
(vi)	अन्य प्रभार	927.52	657.73
	योग	3,244.20	6,785.74

नोट 24: अन्य आय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		31.03.2019	31.03.2018
(i)	अधित्याग किए गए ऋण की रिकवरी	12,426.67	13,235.93
(ii)	अधित्याग की गई ऋण आस्तियों पर प्रावधान से अन्य राशियां/प्रावधान	220.55	(0.01)
(iii)	विविध आय	120.69	38.85
(iv)	स्वैप सौदों पर लाभ	37,957.58	12,757.49
(v)	व्युत्पन्नों पर बाजार से बाजार (प्राप्ति)/हानि	452.90	239.99
(vi)	आयकर रिफण्ड पर ब्याज	-	798.28
	योग	51,178.38	27,070.53

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 25: वित्त लागतें

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		परिशोधित ऋण पर मापी गई वित्तीय आस्तियां	
		31.03.2019	31.03.2018
(i)	बंधपत्रों और डिबेंचरों पर ब्याज	160,402.35	152,796.95
(ii)	बैंक उधारियों पर ब्याज	14,995.80	2,638.11
(iii)	एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के ऋणों पर ब्याज	45,144.42	47,478.77
(iv)	आईबीआरडी (विश्व बैंक) के ऋणों के संबंध में स्वैप लेन-देनों के निबल भुगतान पर देय ब्याज	13,427.98	8,812.43
(v)	केएफडब्ल्यू के ऋणों पर ब्याज	619.17	1,138.09
(vi)	ईआईबी के ऋणों पर ब्याज	130.44	174.82
(vii)	जेआईसीए से ऋण पर ब्याज	19.33	-
(viii)	आयकर पर ब्याज	-	3.83
	कुल	234,739.48	213,043.00

नोट 26: शुल्क और कमीशन व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		31.03.2019	31.03.2018
(i)	सरकारी को गारंटी शुल्क	4,222.11	4,335.59
(ii)	बंधपत्र सेवा व्यय	120.20	169.52
(iii)	उधारियों पर अग्रिम शुल्क	-	602.00
	कुल	4,342.31	5,107.11

नोट 27: उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल हानि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		31.03.2019	31.03.2018
	(क) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय उपकरणों पर निवल लाभ/(हानि)		
(i)	व्यापार पोर्टफोलियो पर		
(ii)	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय लिखतों पर	6,732.86	(1,582.77)
	उचित मूल्य परिवर्तनों पर लाभ/(हानि) (ख)	6,732.86	(1,582.77)
	उचित मूल्य परिवर्तन: (ग)		
	-प्राप्त	-	-
	-अप्राप्त	6,732.86	(1,582.77)
	उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल लाभ/(हानि) (ख) मिलान (ग) से करना है	6,732.86	(1,582.77)

* इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन उन परिवर्तनों से भिन्न हैं जो ब्याज आय/व्यय के लेखा पर उत्पन्न होते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 28: कर्मचारी लाभ व्यय

रुपये लाख में

क्रम सं.	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		31.03.2019	31.03.2018
(i)	वेतन एवं भत्ते	1,479.09	1,283.67
(ii)	भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान	296.24	86.68
(iii)	कर्मचारी कल्याण व्यय	947.76	915.71
	योग	2,723.09	2,286.06

नोट 29: वित्तीय उपकरणों पर क्षति

रुपये लाख में

क्रम सं.	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय उपकरणों पर	
		31.03.2019	31.03.2018
(i)	ऋण और अग्रिम	8,820.69	59,563.87
	योग	8,820.69	59,563.87

नोट 30: अन्य व्यय

रुपये लाख में

क्रम सं.	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		31.03.2019	31.03.2018
(i)	किराया, कर और ऊर्जा लागतें	1,201.06	1,395.36
(ii)	मुद्रण और लेखन सामग्री	10.12	14.14
(iii)	विज्ञापन और प्रचार	7.91	20.97
(iv)	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	4.93	29.63
(v)	लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय	20.91	17.10
(vi)	विधिक और व्यावसायिक प्रभार	53.97	59.25
(vii)	बीमा	1.77	1.40
(viii)	विदेशी मुद्रा संव्यवहारों और अनुवादों पर निवल हानि	43,205.53	38,277.42
(ix)	अन्य व्यय	860.00	(81.84)
(x)	अधित्याग की गई ऋण राशि [नोट 30(ख)(21(ख)) देखें]	72,241.70	1,35,418.65
	योग	117,607.88	136,402.03

निवेशों में क्षति के प्रकटीकरण को, वर्ष 2018-19 के लिए आईआईएफसीएल के वार्षिक लेखों पर चरण-।।। लेखापरीक्षा के आधे हाशियों में अवलोकन के लिए लेखा परीक्षा के क्रम में प्रधान वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक कार्यालय, सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-।।।, नई दिल्ली को दी गई आश्वस्तियों/उत्तरों के अनुसरण में वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रण के चरण में, अद्यतन किया जाता है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 1: उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां और 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां

आईआईएफसीएल की स्थापना व्यवहार्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए वित्तीय योजना के तहत व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 सितंबर, 2013 को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-गैर-जमा-अवसंरचना वित्त कंपनी (एनबीएफसी-एनडी-आईएफसी) के रूप में एन-14.03288 से पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आईआईएफसीएल को बिना सार्वजनिक जमा स्वीकार करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का करोबार करने की अनुमति दी है।

(क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

क) लेखांकन अभिसमय: आईआईएफसीएल अपनी वित्तीय विवरणों को, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के खंड III में मुहैया कराए गए प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करती है। निम्न मामलों को छोड़कर, वित्तीय विवरण प्रोद्भूत आधार पर और एक ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार की गई हैं

ख. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत वित्तीय आस्तियां (एफवीओसीआई),

ग. व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण,

घ. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामांकित वित्तीय आस्तियां और देयताएं।

ड. परिभाषित लाभ योजनाएं – उचित मूल्य पर मापी गई योजना आस्तियां

जिन सब का मापन, संबंधित भारतीय लेखा मानकों द्वारा यथोपेक्षित या अनुमत्त उचित मूल्य पर किया गया है। वित्तीय विवरणों भारतीय रूप में प्रस्तुत की गई हैं और सभी मूल्यों को, जहां अन्यथा इंगित किया गया उनको छोड़कर, निकटतम लाख रुपये में पूर्ण किया गया है।

ख) प्राक्कलनों का उपयोग: आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को अनुमानों और धारणा बनाने की आवश्यकता होती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान वित्तीय विवरणों की तिथि और राजस्व व व्यय की बताई गई राशि की आस्तियों और देनदारियों की प्रतिवेदित राशि को प्रभावित करती है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है, जिसमें परिणामों को मूर्तरूप दिया जाता है।

आईआईएफसीएल भविष्य के बारे में, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानों की अनिश्चितता के किसी अन्य प्रमुख स्रोत के बारे में कोई धारणा नहीं बनाती जिसे अगले वित्तीय वर्ष के भीतर आस्तियों और देनदारियों की वहन राशि के महत्वपूर्ण समायोजन में परिणत होने वाला महत्वपूर्ण जोखिम हो।

2. अनुपालन का विवरण

आईआईएफसीएल के वित्तीय विवरण सतत प्रतिष्ठान आधार पर और दिनांक 16 फरवरी 2015 की अधिसूचना जीएसआर 111(ई) द्वारा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और दिनांक 30 मार्च 2016 की अधिसूचना जीएसआर 111(ई) द्वारा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के अंतर्गत कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं

ये भारतीय लेखांकन मानक आईआईएफसीएल द्वारा भारतीय लेखांकन मानक के अंगीकरण की भारतीय लेखांकन मानक अंतर्गण तारीख से तैयार किए गए हैं और किसी अन्य प्रयोजन के लिए अभिप्रेत नहीं हैं।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों को 10 अगस्त 2019 को निदेशक मंडल द्वारा जारी किए जाने के लिए प्राधिकृत और अनुमोदित किया गया था।

3. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

वित्तीय आस्तियों और देनदारियों को सामान्य तुलन पत्र में सकल मूल्य पर रिपोर्ट किया जाता है। ये केवल ऑफसेट होती हैं और इन्हें निवल मूल्य पर रिपोर्ट नहीं किया जाता जब, किसी भावी घटना पर आकस्मिक हुए बिना स्वीकृत बिना किसी शर्त के विधिक रूप से प्रवर्तनीय या होने के अतिरिक्त, पक्षकार भी निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में निवल आधार पर समाधान के लिए अभिप्रेत हों:

- व्यापार का सामान्य क्रम
- चूक की घटना
- आईआईएफसीएल और/या इसके प्रतिपक्षकारों के ऋण-अशोधन या दिवालिया की घटना

प्रमुख निवल व्यवस्थाओं (उदाहरणार्थ आईएसडीए) के साथ व्युत्पन्न आस्तियों और देनदारियों को केवल तब निवल मूल्य पर प्रस्तुत किया जाता है जब वे उपर्युक्त सभी मापदंडों की निवल-अहर्ता को पूरा करते हों, न कि केवल चूक की स्थिति में।

4. भारतीय लेखांकन मानक का प्रथम बार अंगीकरण

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, आईआईएफसीएल का पहला तुलन पत्र 1 अप्रैल 2017 को तैयार किया गया था, जो भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण का पहला दिन था। भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत 1 अप्रैल 2017 को वहन राशियों और 1 अप्रैल 2017 को भारतीय जीएएपी वित्तीय विवरणों की वहन राशियों के बीच के अंतर को, 1 अप्रैल 2017 को, अंतरण की तारीख के तौर पर, भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार लेखांकित किया गया है।

यह नोट 1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार आईआईएफसीएल द्वारा इसकी भारतीय जीएएपी बैलेंस शीट का पुनः उल्लेख करने में किए गए प्रमुख समायोजनों को स्पष्ट करता है।

आईआईएफसीएल द्वारा लागू रियायतें/छूटें निम्नानुसार हैं:

भारतीय लेखांकन मानक 101 “भारतीय लेखांकन मानक का प्रथम बार अंगीकरण” इन मानकों को पहली बार अपनाने वाले निकायों को भारतीय लेखांकन मानक के तहत कतिपय अपेक्षाओं को पूर्व प्रभाव से लागू करने से कतिपय छूटें प्रदान करता है। आईआईएफसीएल ने निम्नलिखित छूटें लागू की हैं:

I. संयंत्र, सम्पत्ति और उपस्कर (पीपीई) और अमूर्त आस्तियां (भारतीय लेखांकन मानक 16 और भारतीय लेखांकन मानक 38)

किसी मद को केवल और केवल तभी आस्ति माना जाता है, यदि यह संभाव्य हो कि मद से संबंधित भावी आर्थिक लाभ आईआईएफसीएल में प्रवाहित होंगे और इसकी लागत का मापन विश्वसनीय तरीके से किया जाएगा। पीपीई को प्रारंभिक तौर पर लागत पर स्वीकृत किया गया है। तथापि, भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार – कोई प्रथम अंगीकरण-कर्ता, पीपीई की मदों का मापन “मानद लागत” पर कर सकता है, जो निम्न प्रकार हो सकती है:

- क. भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण की तारीख को पीपीई का उचित मूल्य और उस उचित मूल्य को उस तारीख को मानदण्ड लागत के रूप में प्रयुक्त करना।
- ख. संयंत्र, सम्पत्ति और उपस्कर का, भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण की तारीख को या इससे पूर्व, विगत जीएएपी पुनर्मूल्यांकन उस पुनर्मूल्यांकन की तारीख पर मानद लागत के तौर पर।
- ग. अपने सभी संयंत्र, सम्पत्ति और उपस्कर के लिए वहन मूल्य को विगत जीएएपी के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण की तारीख में वित्तीय विवरणों में स्वीकृत किया जाएगा। सभी संयंत्र, सम्पत्ति और उपस्कर के वहन मूल्य को विगत जीएएपी के अनुसार मापते हुए भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण की तारीख को वित्तीय विवरणों में जारी रखना और उसका उपयोग इस भारतीय लेखांकन मानक 101, भारतीय लेखांकन मानकों का प्रथम बार अंगीकरण, के पैरा 21 और 21 क के अनुसार आवश्यक समायोजन करके, अंतरण की तारीख को मानद लागत के रूप में प्रयोग करना। इस विकल्प को भारतीय लेखांकन मानक 38, अमूर्त आस्तियां के अंतर्गत अमूर्त आस्तियों और भारतीय लेखांकन मानक 40, निवेश के अंतर्गत निवेश सम्पत्ति के लिए भी प्राप्त किया जा सकता है।

आईआईएफसीएल ने भारतीय जीएएपी के अंतर्गत संयंत्र, सम्पत्ति और उपस्कर और अमूर्त आस्तियों के वहन मूल्य को अंतरण की तारीख पर भारतीय लेखांकन मानक के लिए मानद लागत के रूप में विचार करने का विकल्प लिया है।

II. पट्टे (भारतीय लेखांकन मानक 17)

भारतीय लेखांकन मानक 17 के परिशिष्ट ग में किसी निकाय से यह आकलन करने की अपेक्षा की गई है कि किसी संविदा या करार में कोई पट्टा शामिल है। भारतीय लेखांकन मानक 17 के अनुसार, यह आकलन संविदा या करार आरंभ करते समय किया जाना चाहिए। भारतीय लेखांकन मानक 101, प्रथम बार अंगीकरणकर्ता को भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण की तारीख में तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ऐसा आकलन करने की अनुमति देता है, सिवाय ऐसे मामलों के, जहां इसके प्रभाव की महत्वपूर्ण होने की आशा न हो। आईआईएफसीएल ने इस छूट का उपयोग किया है और तदनुसार भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण की तारीख को मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आकलन किया है।

III. प्रारंभिक स्वीकृति पर वित्तीय आस्तियों या वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्य आकलन (भारतीय लेखांकन मानक 109)

भारतीय लेखांकन मानक 109, वित्तीय उपकरण के अंतर्गत, यदि कोई निकाय ऐसी मूल्यांकन तकनीकों पर आधारित प्रारंभिक स्वीकृति पर वित्तीय उपकरण का मापन करता है जिसमें केवल उसी उपकरण में अवलोकन योग्य बाजार आंकड़ों

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

या चालू संव्यवहारों का उपयोग किया जा है, और प्रारंभिक स्वीकृति का उचित मूल्य संव्यवहार मूल्य से भिन्न है, उसके बाद इससे इस वित्तीय उपकरण की प्रारंभिक स्वीकृति पर 'प्रथम दिन' लाभ या हानि को स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है। भारतीय लेखांकन मानक 101 किसी भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण की तारीख को या इससे पहले प्रविष्ट किए गए संव्यवहारों के लिए पूर्व प्रभाव से भारतीय लेखांकन मानक 109 की 'प्रथम दिन' लाभ या हानि स्वीकृति आवश्यकता को लागू करने की अनुमति देता है।

आईआईएफसीएल ने भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण की तारीख को या इसके बाद प्रविष्ट किए गए संव्यवहारों के लिए पूर्व प्रभाव से संव्यवहार लागत और उचित मूल्य में परिवर्तन की वजह से उत्पन्न होने वाली प्रारंभिक स्वीकृति पर 'पहले दिन' के लाभ या हानि को स्वीकृत करने के लिए इस छूट का विकल्प चुना है।

IV. वित्तीय आस्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण (भारतीय लेखांकन मानक 109)

भारतीय लेखांकन मानक 109 में किसी वित्तीय आस्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाना अपेक्षित है यदि यह दो परीक्षणों में खरी उतरे जो उन आस्तियों से उत्पन्न होने वाली आस्तियों और नकद प्रवाह के प्रकृति को धारित करते हैं। प्रथम बार अंगीकरण करने वाले निकाय को यह आकलन करना चाहिए कि क्या वित्तीय आस्ति उन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उन शर्तों को पूरा करती है जो भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण के पहले दिन मौजूद थे।

भारतीय लेखांकन मानक 101 में वित्तीय आस्ति की वर्गीकरण से संबंधित अनिवार्य छूट भी शामिल है जिसमें उल्लेख किया गया है कि वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण करने के लिए स्थितियों का परीक्षण, उस तारीख की बजाय जब वह निकाय संविदा का पक्ष बन जाता है, भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण की तारीख को मौजूद और तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।

आईआईएफसीएल ने सभी वित्तीय आस्तियों और देनदारियों को अंतरण की तारीख में मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वर्गीकरण करने का विकल्प चुना है।

V. वि-स्वीकृति (भारतीय लेखांकन मानक 109)

भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार – एक निकाय “वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों की विस्वीकृति” के मामले में पूर्व प्रभाव से प्रयोग की छूट को लागू करेगा, जिनमें प्रथम बार अंगीकर्ता भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण की तारीख को या इसके बाद होने वाले संव्यवहारों के लिए भारतीय लेखांकन मानक 109 में विस्वीकृति की अपेक्षाएं लागू करेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रथम बार अंगीकर्ता भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण की तारीख के बाद होने वाले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप अपने विगत जीएएपी के अनुसार गैर-व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियों या गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों को विस्वीकृत करता है, तो यह उन आस्तियों और देनदारियों को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार स्वीकृत नहीं करेगा (जब तक कि वे किसी बाद के संव्यवहार या घटना के परिणामस्वरूप स्वीकृति के लिए अर्हत न होते हों)।

भारतीय लेखांकन मानक ने आस्ति पुनर्संरचना कम्पनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों सहित विगत में विस्वीकृत आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन का विकल्प नहीं लिया है।

5. आय/व्यय की स्वीकृति

- 5.1. परिशोधित लागत पर मापे गए सभी वित्तीय उपकरणों के लिए, ब्याज वाहित करने वाली आस्तियों जिन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध के रूप में और एफवीटीपीएल में नामित वित्तीय उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, की ब्याज आय या व्यय को आईआईआर का उपयोग करते हुए दर्ज किया जाता है। इस गणना में वित्तीय उपकरण की सभी संविदागत शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व-भुगतान विकल्प) को ध्यान में रखा जाता है और इनमें वे कोई भी शुल्क या संवृद्धि लागतें शामिल होती हैं जो प्रत्यक्षतः उपकरण में आरोप्य हैं और आईआईआर का अभिन्न अंग है, किंतु भावी क्रेडिट हानियों के लिए नहीं। जब किसी वित्तीय आस्ति का मूल्य या इसी प्रकार की वित्तीय आस्तियों के समूह का मूल्य किसी क्षति हानि से घट जाता है, तो ब्याज आय को ब्याज की दर का इस्तेमाल करते हुए जारी रखा जाता है जिनका उपयोग क्षति हानि का मापन करने के उद्देश्य से भावी नकद प्रवाहों में दूट देने के लिए किया जाता है।
- 5.2. प्रदान किए गए ऋणों पर अग्रिम शुल्क आय को उन मामलों में उपचित आधार पर आय माना जाता है जहां ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर आवंटित राशि पर किए गए हों।
- 5.3. कम्पनी द्वारा लिए गए ऋणों पर प्रतिबद्धता प्रभार का लेखांकन व्यय के रूप में किया जाता है जब ऋण के आहरण में कमी, ऋण करार के अनुसार ऋण की संस्वीकृत राशि से कम हो।
- 5.4. उधारियों के खातों में वसूलियों का विनियोजन संबंधित ऋण करारों के अनुसार किया जाता है।
- 5.5. लाभांश का लेखांकन उपचित आधार पर किया जाता है जब लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो। तथापि, अंतिम लाभांश प्राप्त करने का अधिकार केवल वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा इसे अनुमोदित किए जाने के बाद उत्पन्न होता है।
- 5.6. पूर्ववर्धित से संबंधित आय/व्यय, जो कुल आय के 01.1 प्रतिशत से अधिक न हो, तो इन्हें चालू वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

- 5.7. आंशिक ऋण संवर्धन गारंटी शुल्क की स्वीकृति उपचित आधार पर लेखांकन वर्ष में की जाती है जब वसूली का औचित्यपूर्ण अधिकार स्थापित किया जाता है। अग्रिम में प्राप्त किसी भी आंशिक ऋण संवर्धन गारंटी शुल्क को आस्थगित किया जाता है और इसे बीमांकन की अवधि पर आय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।
- 5.8. अनर्जक आस्तियों (एनपीए) पर ब्याज/छूट या किसी अन्य प्रभार सहित आय को केवल तब स्वीकृत किया जाता है जब इसकी उगाही वास्तव में की गई हो। आस्ति के अनर्जक बनने से पूर्व ऐसी किसी भी आय और शेष अतृप्त आय का आरक्षित रखा जाता है।

6. वित्तीय उपकरण:

6.1. स्वीकृति और प्रारंभिक मापन:

कम्पनी प्रारंभिक तौर पर वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों को समाधान की तारीख पर स्वीकृत करती है। वित्तीय आस्ति या वित्तीय देनदारी को प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य में, एफवीटीपीएल में शामिल न की गई मदों के लिए, संव्यवहार लागतों को जोड़कर मापा जाता है जो इसके अधिग्रहण या निर्गम में प्रत्यक्षतः आरोप्य हों।

6.2. वर्गीकरण:

क. वित्तीय आस्तियां:

कम्पनी की वित्तीय आस्तियों में नकर और नकद समतुल्य, बैंक शेष, सहायक कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों को छोड़कर कम्पनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, सहायक कम्पनियों/कर्मचारियों को ऋण, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल होते हैं।

प्रारंभिक स्वीकृति होने पर, एक वित्तीय आस्ति को वर्गीकृत किया जाता है:

क) परिशोधित लागत:

वित्तीय उपकरणों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है जब:

- उनमें संविदागत शर्तें हों, जो विनिर्दिष्ट तारीखों पर नकद प्रवाहों को उत्पन्न करती हों, जो एकमात्र बकाया मूलधन पर ब्याज और मूलधन के भुगतान को दर्शाती हों; और
- ये ऐसे व्यापार मॉडल के भीतर धारित हों, जहां इनका उद्देश्य संविदागत नकद प्रवाहों को एकत्रित करने के लिए धारित करके प्राप्त हो जाता है।

इन उपकरणों पर प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य में प्रत्यक्षतः आरोप्य संव्यवहार लागतें जोड़कर स्वीकृत किया जाता है, जिनका प्रभाव कुल आय के 0.5 प्रतिशत से अधिक हो। क्रेडिट क्षति का मापन त्रि-स्तरीय टिप्पणी 6.7 'वित्तीय आस्तियों की क्षति' में उल्लिखित संभावित क्रेडिट हानि मॉडल पर आधारित होता है।

ख) अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य:

वित्तीय उपकरणों का मापन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं किया जाता है जब:

- उनमें संविदागत शर्तें हों, जो विनिर्दिष्ट तारीखों पर नकद प्रवाहों को उत्पन्न करती हों, जो एकमात्र बकाया मूलधन पर ब्याज और मूलधन के भुगतान को दर्शाती हों; और
- ये ऐसे व्यापार मॉडल के भीतर धारित हों, जहां इनका उद्देश्य संविदागत नकद प्रवाहों को एकत्रित करके और वित्तीय आस्तियों को बेचकर, दोनों से प्राप्त हो जाता हो।

इन उपकरणों को प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य में प्रत्यक्षतः आरोप्य संव्यवहार लागतों को जोड़कर स्वीकृत किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य में परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले लाभों और हानियों को इक्विटी के एक पृथक घटक के भीतर अन्य व्यापक आय में शामिल किया गया है। क्षति हानियों या व्युत्क्रमों, ब्याज राजस्व और विदेश मुद्रा लाभों और हानियों को लाभ और हानि में स्वीकृत किया गया है। निपटान होने पर, विगत में अन्य व्यापक आय में स्वीकृत संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से आय विवरण में पुनः वर्गीकृत किया गया है। क्रेडिट क्षति का मापन त्रि-स्तरीय संभावित क्रेडिट हानि मॉडल के आधार पर किया जाता है जैसा कि परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियों पर लागू होता है।

ग) लाभ हानि के माध्यम से उचित मूल्य:

- व्यापार के लिए धारित मदें;
- संविदागत शर्तों पर ऋण उपकरण जो केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर धारित वित्तीय उपकरणों को प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य पर स्वीकृत किया जाता है,

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

जबकि संयवहार लागतों को आय विवरण में प्राप्त के रूप में स्वीकृत किया जाता है। इसके बाद, इनका मापन उचित मूल्य पर किया जाता है और किसी भी लाभ या हानि को आय विवरण में उनके उत्पन्न होते ही स्वीकृत किया जाता है। जहां किसी वित्तीय आस्ति का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है, तो प्रति-पक्षकार की क्रेडिट साख को परिलक्षित करने के लिए एक क्रेडिट मूल्यांकन शामिल किया जाता है, जो क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को आरोप्य उचित मूल्य में आवागमन को दर्शाता है।

कारोबार के लिए धारित वित्तीय उपकरण

किसी वित्तीय उपकरण को कारोबार के लिए धारित के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है यदि इसका अधिग्रहण या अर्जन मुख्यतः नजदीकी रूप में बिक्री या पुनःखरीद के उद्देश्य के लिए किया जाता है, या यह वित्तीय उपकरणों के पोर्टफोलियो के भाग को निर्मित करता है जिनका प्रबंधन एक साथ किया जाता है और जिनके लिए अल्पावधि लाभप्रदता का साक्ष्य उपलब्ध होता है, या विशेषक बचाव व्यवस्था संबंध में व्युत्पन्न नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक स्वीकृत पर, आईआईएफसीएल अप्रतिसंहरणीय रूप से किसी वित्तीय आस्ति को नामांकित कर सकता है जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीपीएल पर एफवीओसीआई पर मापे जाने की अपेक्षाओं को पूरा करती हो, यदि ऐसा करने से अन्यथा उत्पन्न होने वाली लेखा बेमेल समाप्त होता हो या उल्लेखनीय रूप से कम होता हो।

घ) इक्विटी उपकरण

इक्विटी उपकरणों में निवेश वे होते हैं जो आईआईएफसीएल द्वारा ऐसे व्यापार संयोजन में न तो कारोबार के लिए न आकस्मिक कारक के लिए धारित होता है जिस पर भारतीय लेखांकन मानक 103 'व्यापार संयोजन' लागू होता है, इनका मापन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है, जहां प्रबंधनद्वारा कोई अप्रतिसंहरणीय चयन किया गया है। अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई राशियों को बाद में लाभ या हानि में अंतरित नहीं किया जाता। ऐसे निवेशों पर लाभांश को लाभ या हानि में स्वीकृत किया जाता है जब तक कि लाभांश स्पष्टतः निवेश की लागत के भाग की रिकवरी को दर्शाता हो।

अन्य सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों को एफवीटीपीएल पर मापन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

अनुवर्ती मापन

जिन आस्तियों को संविदागत नकद प्रवाहों के एकत्रण के लिए धारित किया जाता है जहां वे नकद प्रवाह केवल मूलधान के भुगतान को दर्शाते हों और ब्याज का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है। एक ऋण निवेश पर लाभ या हानि जिसे बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है, लाभ या हानि में स्वीकृत किया जाता है जब संपत्ति विस्वीकृत या क्षतिग्रस्त होती है। इन वित्तीय आस्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके वित्त आय में शामिल किया जाता है, जिसका प्रभाव कुल आय के 0.5 प्रतिशत से अधिक होता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों को उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में उचित मूल्य परिवर्तन को स्वीकृत किया जाता है। हालांकि, कम्पनी ब्याज आय, क्षति हानि और प्रत्यावर्तन और आय विवरण में विदेश मुद्रा लाभ या हानि को स्वीकृत करती है।

पुनर्वर्गीकरण

वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल को बदलने के बाद की अवधि को छोड़कर, वित्तीय आस्तियों को उनकी प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

ख. वित्तीय देनदारियां

कंपनी की वित्तीय देनदारियां एक अन्य इकाई को नकद या किसी अन्य वित्तीय आस्ति को वितरित करने या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय देनदारियों या वित्तीय देनदारियों को देने के लिए संविदात्मक दायित्व हैं, जो संभवतः कंपनी के प्रतिकूल हैं।

वर्गीकरण, प्रारंभिक स्वीकृति और माप

वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य के माइनस ट्रांजेक्शन लागतों पर शुरू में मान्यता प्राप्त है, जो वित्तीय देनदारियों के मुद्दे के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, जिसका प्रभाव कुल आय का 0.5 प्रतिशत से अधिक है। संशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न अंग हैं। आय (लेनदेन लागतों का शुद्ध) और मोचन राशि के बीच कोई अंतर ईआईआर का उपयोग कर उधार की अवधि में लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है।

अनुवर्ती माप

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि के विवरण में नुकसान और नुकसान को मान्यता दी जाती है और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से, जब देनदारियों को मान्यता दी जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

एकमात्र मूलधन और ब्याज के भुगतानों को संविदागत नकर प्रवाहों के रूप में परिभाषित करना:

इस मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, मूलधन 'को प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय आस्ति के उचित मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। कारक ब्याज 'को पैसे के समय मूल्य के लिए और समय की एक विशेष अवधि के दौरान बकाया मूल राशि से जुड़े ऋण जोखिम के लिए और अन्य बुनियादी ऋण जोखिमों और लागतों (जैसे तरलता जोखिम और प्रशासनिक लागत), साथ ही साथ मुनाफे का अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है।

ग. व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण:

व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण ऐसे अनुबंध हैं जिनका मूल्य एक या अधिक अंतर्निहित मूल्य, सूचकांक या अन्य चर से प्राप्त होता है, और आमतौर पर इसमें स्वैप, आगे की दर समझौते, वायदा और विकल्प जैसे उपकरण शामिल होते हैं। आईआईएफसीएल विदेशी विनिमय दर में भिन्नता के कारण जोखिम को कम करने के लिए हेजिंग संपर्कों की प्रकृति में व्युत्पन्न वित्तीय साधनों में प्रवेश करती है जहां विदेशी मुद्रा उधार में शामिल ये अनुबंध उचित मूल्य पर बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त हैं और जहां वे एक के रूप में नामित किए गए हैं, को छोड़कर व्यापार के रूप में वर्गीकृत हैं। एक प्रभावी बचाव संबंध का हिस्सा और हेजिंग डेरिवेटिव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक व्युत्पन्न के मूल्य को अनुबंध के पूरे जीवन में उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। उचित मूल्य के सकारात्मक होने पर और उचित मूल्य के नकारात्मक होने पर देनदारियों को संपत्ति के रूप में लिया जाता है।

- क. जब कभी कंपनी ने आगे के अनुबंध या एक साधन में प्रवेश किया है, एक फॉरवर्ड एक्सचेंज अनुबंध के पदार्थ में, फॉरवर्ड विनिमय अनुबंध की तारीख पर आगे की दर और विनिमय दर के बीच के अंतर को भारतीय लेखांकन मानक -21 के अनुसार अनुबंध के जीवन पर आय या व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।
- ख. विदेशी मुद्रा ऋण पर लिया गया बचाव व्यवस्था विदेशी मुद्रा (यानी प्राकृतिक बचाव व्यवस्था) में दिए गए ऋण के समायोजन के बाद एफआईएफओ के आधार पर समायोजित किया जाता है।
- ग. ब्याज दर स्वैप सहित वायदा विनिमय अनुबंधों को रद्द करने या नवीनीकरण पर उत्पन्न किसी भी लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।
- घ. कंपनी द्वारा दर्ज किए गए जापानी येन में ब्याज दर स्वैप लेनदेन के संबंध में, कंपनी बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार बाजार के नुकसान के लिए मार्केट टू मार्केट हानि का प्रावधान कर रही है।
- ङ. हेजिंग अनुबंध के अनुसार क्रमशः विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व से आगे के अनुबंध और भुगतान के लिए वसूल किए गए विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व की स्थापना के समय अंडरलाइंग विनिमय दर में अंतर के अधिशेष या घाटे को चुकाने के समय इस तरह के ऋण को लाभ या हानि के रूप में स्वीकृत किया है।
- च. विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहित लेनदेन है) और स्वैप अनुबंध (पूर्वोक्त ऋण पर उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि के खिलाफ बचाव के लिए) को अलग-अलग लेनदेन के रूप में माना जाता है।
- छ. विदेशी मुद्रा उधारों को भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखांकन मानक 21), विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार बहाल किया जाता है।

आईसीएआई द्वारा जून 2015 में जारी "व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखांकन" पर मार्गदर्शी नोट, कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है। विनिमय दर में कोई बदलाव, पिछली रिपोर्टिंग के बाद से रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार विदेशी मुद्रा उधार की राशि तारीख और इस अवधि के दौरान ड्रॉडाउन उधार की तारीख से, व्युत्पन्न अनुबंध के उचित मूल्य के खिलाफ सेट किया गया है और किसी भी लाभ या हानि को नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था आरक्षित निधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। संबंधित प्रतिपक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए व्युत्पन्न अनुबंध के उचित मूल्य।

मार्गदर्शी नोट के अनुसार, नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था के तहत बचाव व्यवस्था लिखत को उचित मूल्य पर मापा जाता है, लेकिन प्रभावी हेज होने के लिए निर्धारित किसी भी लाभ या हानि को इक्विटी, जैसे, कैश फ्लो हेज रिजर्व में मान्यता दी जाती है। इसका उद्देश्य उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में अस्थिरता से बचना है जब हेज की गई वस्तुओं पर लाभ या हानि की इसमें उगाही नहीं की गई है।

6.3. विस्वीकृति:

वित्तीय आस्तियां

आईआईएफसीएल वित्तीय आस्ति को विस्वीकृत करती है जब वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या यह एक लेनदेन में संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित करता है जिसमें वित्तीय आस्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को स्थानांतरित कर दिया जाता है, या जिसमें आईआईएफसीएल न तो हस्तांतरित करता है और न ही स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से बरकरार रखता है और यह वित्तीय आस्ति का नियंत्रण नहीं रखता है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऋण आस्तियों के मामले में:

- (क) परियोजना प्राधिकरण द्वारा जिन परियोजनाओं में रियायत समझौते (सीए) को समाप्त कर दिया गया है, उस खाते को उस वित्तीय वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुबंध समाप्त हो जाता है।
- (ख) जिन परियोजनाओं में रियायत समझौते (सीए) को रियायतकर्ता द्वारा समाप्त कर दिया गया है, क्षति मामले के गुणों और तथ्यों के आधार पर बनाई गई है।
- (ग) ऐसे मामलों में जहां आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों आदि की मूल्यांकन रिपोर्ट आदि ऑफर के आधार पर वित्तीय आस्ति के कुछ मूल्य संलग्न किए जा सकते हैं, हानि की सीमा तक क्षति दर्ज की जाती है।
- (घ) रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना (एसडीआर), दबावग्रस्त आस्तियां (एस4ए) की सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग के लिए स्कीमों के अलावा अन्य मामलों के अलावा एक लोन एसेट, भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार लागू रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना (एसडीआर) और आरबीआई की अधिसूचना संख्या आरबीआई/131 डीबीआर संख्या बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017-18 दिनांक 12 फरवरी 2018 के अनुसरण में या किसी अन्य पारस्परिक रूप से सहमत पुनर्गठन निपटान प्रक्रिया को ऋण आस्ति को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने के मामले में मान्यता दी जाएगी। जब तक ऋण आस्ति की बिक्री/प्राप्ति के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं मिलता है, तब तक 5 साल से अधिक या परियोजना के निर्धारित वाणिज्यिक संचालन में 4 साल से अधिक की देरी हो गई है।

किसी वित्तीय आस्ति की वि-स्वीकृति पर, आस्ति की वहन राशि (या निकाले गए आस्ति के हिस्से को आवंटित की गई राशि) और प्राप्त की गई राशि के बीच अंतर (प) पर विचार किया गया (किसी भी नई संपत्ति सहित) किसी भी कम प्राप्त नए दायित्व ग्रहण किए गए) और (पप) किसी भी संचयी लाभ या हानि को ओसीआई में मान्यता दी गई थी जो लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है।

एफसीओसीआई के रूप में नामित इक्विटी निवेश प्रतिभूतियों के संबंध में ओसीआई में मान्यता प्राप्त कोई भी संचयी लाभ/हानि ऐसी प्रतिभूतियों की डी-मान्यता पर लाभ और हानि के बयान में स्वीकृत नहीं है। हस्तांतरित वित्तीय आस्तियों में कोई भी ब्याज, जो कंपनी द्वारा बनाई गई या बनाए रखी गई वि-स्वीकृति के लिए योग्य है, एक अलग संपत्ति या देयता के रूप में मान्यता प्राप्त है।

वित्तीय देनदारियां

आईआईएफसीएल एक वित्तीय दायित्व को वि-स्वीकृत करती है जब उसके संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन या रद्द कर दिया जाता है, या समाप्त हो जाता है। एक वित्तीय देयता की वहन राशि के बीच का अंतर जो समाप्त हो गया है या किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित कर दिया गया है और किसी भी गैर-नकद आस्तियों को हस्तांतरित या देय देनदारियों सहित भुगतान पर विचार किया गया है, को अन्य आय या वित्त लागत के रूप में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

किसी मौजूदा उधारकर्ता और ऋण उपकरणों के ऋणदाता के बीच काफी भिन्न शर्तों के साथ आदान-प्रदान को मूल वित्तीय देयता और एक नई वित्तीय देयता की स्वीकृति के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह, मौजूदा वित्तीय देयता की शर्तों का एक पर्याप्त संशोधन या इसका एक हिस्सा (चाहे देनदार की वित्तीय कठिनाई के कारण हो या नहीं) मूल वित्तीय दायित्व और नई वित्तीय देयता की मान्यता को समाप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा।

6.4. आशोधन:

वित्तीय आस्तियां

यदि किसी वित्तीय आस्ति की शर्तों को संशोधित किया जाता है, तो कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि संशोधित आस्ति के नकदी प्रवाह में पर्याप्त अंतर है या नहीं। यदि नकदी प्रवाह काफी हद तक अलग है, तो मूल वित्तीय संपत्ति से नकदी प्रवाह के अनुबंध संबंधी अधिकार समाप्त हो गए हैं। इस मामले में, मूल वित्तीय आस्ति वि-स्वीकृति प्राप्त है और एक नई वित्तीय संपत्ति उचित मूल्य पर स्वीकृत है।

यदि परिशोधित लागत पर किए गए संशोधित आस्ति के नकदी प्रवाह में पर्याप्त भिन्नता नहीं है, तो संशोधन से वित्तीय आस्ति की वि-स्वीकृत नहीं होती है। इस मामले में, कंपनी वित्तीय आस्ति की सकल वहन राशि की पुनर्गणना करती है और लाभ और हानि के विवरण में सकल लाभ या हानि के रूप में सकल वहन राशि को समायोजित करने से उत्पन्न होने वाली राशि को पहचानती है। वित्तीय आस्ति की सकल वहन राशि को पुनर्गठित या संशोधित संविदागत नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के रूप में पुनर्गणित किया जाएगा जो कि वित्तीय आस्ति के मूल प्रभावी ब्याज दर (या खरीदे हुए या मूल क्रेडिट-प्रभावित वित्तीय के लिए क्रेडिट-समायोजित प्रभावी ब्याज दर) पर छूट दी जाती है। संपत्ति) या, जब लागू हो, संशोधित प्रभावी ब्याज दर यदि उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों के कारण ऐसा संशोधन किया जाता है, तो लाभ या हानि हानि के साथ प्रस्तुत की जाती है। अन्य मामलों में, इसे ब्याज आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

6.5. उचित मूल्य माप

वित्तीय साधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उचित मूल्य पर तुलन पत्र पर वाहित किया जाता है।

‘उचित मूल्य’ वह मूल्य है जो किसी आस्ति को बेचने या प्रिंसिपल की माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेन-देन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए प्राप्त किया जाएगा या इसकी अनुपस्थिति में, सबसे नुकसानदेह बाजार जिसके लिए उस तारीख को कंपनी की पहुंच है। किसी देनदारी का उचित मूल्य उसके गैर-निष्पादन जोखिम को दर्शाता है।

जब कोई उपकरण उपलब्ध होता है, तो कंपनी उस उपकरण के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य का उपयोग करके एक उपकरण के उचित मूल्य को मापती है। एक बाजार को तब सक्रिय माना जाता है जब आस्ति या देयता के लिए लेनदेन पर्याप्त आवृत्ति और मात्रा के साथ होता है जो मूल्य निर्धारण की जानकारी को चालू आधार पर प्रदान करता है।

यदि एक सक्रिय बाजार में कोई उद्धृत मूल्य नहीं है, तो आईआईएफसीएल मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो प्रासंगिक अवलोकन इनपुटों के उपयोग को अधिकतम करते हैं और अप्रमाणित आदानों के उपयोग को कम करते हैं। चुनी गई मूल्यांकन तकनीक में उन सभी कारकों को शामिल किया जाता है जो बाजार सहभागियों को लेनदेन के मूल्य निर्धारण में ध्यान में रखते हैं।

प्रारंभिक मान्यता पर एक वित्तीय साधन के उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत आम तौर पर लेनदेन की कीमत है – अर्थात्, दिए गए या प्राप्त विचार का उचित मूल्य। यदि आईआईएफसीएल यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य लेनदेन मूल्य से अलग है और उचित मूल्य का न तो एक समान संपत्ति या देयता के लिए एक सक्रिय बाजार में एक उद्धृत मूल्य द्वारा और न ही एक मूल्यांकन तकनीक पर आधारित है जिसके लिए किसी भी अप्राप्य इनपुट का न्याय किया जाता है माप के संबंध में महत्वहीन होना, फिर आरंभिक मान्यता और लेन-देन मूल्य पर उचित मूल्य के बीच के अंतर को समायोजित करने के लिए शुरू में वित्तीय साधन को उचित मूल्य पर मापा जाता है। इसके बाद, उचित अंतर के आधार पर लाभ और हानि के बयान में उस अंतर को मान्यता दी जाती है।

मांग सुविधा के साथ वित्तीय देयता का उचित मूल्य (जैसे एक डिमांड डिपॉजिट) मांग पर देय राशि है।

नीचे दिए गए दृष्टिकोण के आधार पर अनियोजित इक्विटी उचित हैं, पदानुक्रम के क्रम में जिसमें वे दिखाई देते हैं, जो आईआईएफसीएल के साथ उपलब्ध सूचना की उपलब्धता पर निर्भर करता है:

- (क) कंपनी के नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों से निवेश इकाई के मूल्य का ब्रेक-अप मूल्य।
- (ख) एक रुपये में, यदि नवीनतम वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है।

नवीनतम उपलब्ध निवल आस्ति आधार के अनुसार अवसंरचना ऋण निधियों और वैकल्पिक निवेश निधियों की इकाइयाँ मूल्यवान हैं। प्रतिभूति प्राप्तियां नवीनतम उपलब्ध निवल आस्ति मूल्य या बही मूल्य के अनुसार मूल्यवान हैं, जो भी कम हो।

6.6. उचित मूल्य मापन के लिए मूल्यांकन तकनीकें

यह दिखाने के लिए कि उचित मूल्य कैसे निकाले गए हैं, वित्तीय साधनों को मूल्यांकन तकनीकों के एक पदानुक्रम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

- स्तर 1: वित्तीय उपकरण : वे उपकरण जहां मूल्यांकन में उपयोग किए गए इनपुट समान आस्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों से अनजाने उद्धृत मूल्य हैं जो कंपनी के पास माप तिथि पर पहुंचते हैं। कंपनी बाजार को तभी सक्रिय मानती है जब समान संपत्तियों या देनदारियों की मात्रा और तरलता के संबंध में पर्याप्त व्यापारिक गतिविधियां हों और जब तुलन पत्र की तारीख में बाध्यकारी और प्रयोज्य मूल्य उद्धरण उपलब्ध हों।
- स्तर 2: वित्तीय साधन: वे उपकरण हैं जहां इनपुट जो मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाते हैं और महत्वपूर्ण हैं, वे साधन के जीवन की पूरी अवधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य बाजार डेटा से प्राप्त होते हैं। इस तरह के इनपुट में सक्रिय बाजारों में समान आस्तियों या देनदारियों के लिए उद्धृत मूल्य, निष्क्रिय बाजारों में समान उपकरणों के लिए उद्धृत मूल्य और उद्धृत दरों के अलावा अन्य अवलोकन योग्य इनपुट जैसे ब्याज दर और उपज घटता, निहित अस्थिरता और क्रेडिट स्प्रेड शामिल हैं। इसके अलावा, आस्ति की स्थिति या स्थान के लिए समायोजन की आवश्यकता हो सकती है या यह उस सीमा तक हो सकती है, जो संबंधित उपकरणों के साथ तुलनीय है। हालाँकि, यदि ऐसे समायोजन अप्रचलित इनपुट पर आधारित हैं, जो संपूर्ण माप के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आईआईएफसीएल स्तर 3 के रूप में उपकरणों को वर्गीकृत करेगी।
- स्तर 3: वित्तीय उपकरण – वे उपकरण जिसमें एक या एक से अधिक अप्राप्य इनपुट शामिल हैं जो पूरे के रूप में माप के लिए महत्वपूर्ण हैं।

6.7. वित्तीय आस्तियों की क्षति

आईआईएफसीएल वित्तीय आस्तियों की निम्न श्रेणियों के लिए अपेक्षित लाभ हानि (ईसीएल) को मापने के लिए एक तीन-चरण दृष्टिकोण लागू करता है जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा नहीं जाता है:

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

- अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत और उचित मूल्य पर मापे गए ऋण उपकरण
- ऋण प्रतिबद्धताएं; और
- वित्तीय गारंटी संविदाएं।

इक्विट निवेशों पर कोई ईसीएल स्वीकृत नहीं की गई है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में परिवर्तन के आधार पर वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित तीन चरणों के माध्यम से वर्गीकृत किया जाता है:

चरण 1: 12 महीने की ईसीएल

वे सभी जोखिम जहां प्रारंभिक स्वीकृति के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है और यह कि इस चरण के तहत उत्पत्ति को वर्गीकृत किए जाने के बाद से क्रेडिट बिगड़ा नहीं है।

चरण 2: जीवनकाल ईसीएल – क्रेडिट क्षतिग्रस्त नहीं किया गया

सभी जोखिम जहां प्रारंभिक स्वीकृति के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन क्रेडिट क्षतिग्रस्त नहीं हैं, को इस चरण के तहत वर्गीकृत किया गया है। 30 दिनों के अतीत को क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के रूप में माना जाता है।

चरण 2: जीवनकाल ईसीएल – क्रेडिट क्षतिग्रस्त किया गया

जब एक या एक से अधिक घटनाओं का उस आस्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो सभी जोखिमों का मूल्यांकन इस चरण में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे एक्सपोजर के लिए, जिनमें क्रेडिट बिगड़ा हुआ है, एक जीवनकाल ईसीएल मान्यता प्राप्त है और ब्याज राजस्व की गणना सकल ले जाने की राशि के बजाय प्रभावी ब्याज दर (प्रावधान का निवल) को लागू करने से की जाती है।

ऋण आस्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना प्रावधान आरबीआई के विनियमों के अनुसार प्रावधान आवश्यकताओं की न्यूनतम होगी, आरबीआई विनियमों का ब्योरा निम्नानुसार है:

- मानक आस्तियां: सामान्य प्रावधान ऋण की बकाया राशि पर किया जाता है, जिसमें अर्जित ब्याज पर होता है, लेकिन वर्ष के अंत में 0.40 पर होने के कारण नहीं।
- अवमानक आस्तियां: कुल बकाया राशि के 10 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है।
- संदिग्ध आस्तियां
- 100 प्रतिशत का प्रावधान उस सीमा तक है जहां अग्रिम को प्रतिभूति के वास्तविक मूल्य द्वारा कवर नहीं किया जाता है, जिसके लिए कंपनी के पास एक वैध संसाधन है।
- उपरोक्त मद के आधार पर, मद (क) के अलावा, जिस अवधि के लिए संपत्ति संदिग्ध बनी हुई है, सुरक्षित हिस्से के 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का प्रावधान करने का प्रावधान यानि कि बकाया के वास्तविक मूल्य का अनुमान, निम्नलिखित आधार पर किया जाता है:

वह अवधि जिसके लिए

आस्ति को संदिग्ध माना गया है	प्रावधान का प्रतिशत
एक वर्ष तक	20
एक से तीन वर्ष	30
तीन वर्ष से अधिक	50

(iv) ऋण आस्ति

पूरी संपत्ति का अधित्याग कर दिया गया है, हालांकि अगर किसी भी कारण से आस्तियों को बहियों में रखे रहने की अनुमति है, तो 100 प्रतिशत बकाया का प्रावधान किया जाता है।

(v) पुनर्संचित ऋण आस्तियां

निम्नलिखित मामलों के लिए, आरबीआई मानक के अनुसार पुनर्संचित मानक आस्तियों के सापेक्ष प्रावधान उचित मूल्य में कमी पर प्रावधान सहित होगा:

- परियोजना ऋणों को 24 जनवरी 2041 से पुनर्संचित किया गया, प्रावधानीकरण 5 प्रतिशत की दर पर होगा।

- (ख) सभी कंपनियों को 23 जनवरी 2014 को पुनर्संरचित बकाया ऋणों का स्टॉक (बकाया पुनर्निर्मित ऋण के स्टॉक के मामले में आबीआई के अनुसार), प्रावधान 5 प्रतिशत पर है।

किसी वित्तीय आस्ति के वर्गीकरण के लिए चरण का निर्धारण करना

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, सभी वित्तीय आस्तियों को तीन चरणों में वर्गीकृत किया जाता है, जो कि प्रारंभिक मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के आधार पर होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग दिनांक और प्रारंभिक मान्यता की तारीख के बीच अपेक्षित जीवन में डिफॉल्ट होने के जोखिम की तुलना करके कंपनी उचित और समर्थन योग्य जानकारी पर विचार करती है जो इस उद्देश्य के लिए अनुचित लागत या प्रयास के बिना प्रासंगिक और उपलब्ध है।

एक एक्सपोजर चरण 1 से चरण 3 के माध्यम से आगे बढ़ेगा क्योंकि संपत्ति की गुणवत्ता बिगड़ती है। अगर, बाद की अवधि में, आस्ति की गुणवत्ता में सुधार होता है और क्रेडिट जोखिम में किसी भी पहले से मूल्यांकन की गई महत्वपूर्ण वृद्धि को भी उलट देता है। एक्सपोजर को 30 दिनों से कम समय के लिए चरण 1 माना जाता है।

चरण 1 के रूप में मानी जाने वाली वित्तीय आस्तियों के लिए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) पर आधारित है। जबकि चरण 2 और चरण 3 के रूप में मानी जाने वाली वित्तीय आस्तियों के लिए बुरे और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान जीवन काल ईसीएल मॉडल के आधार पर किया जाता है। जब कोई संपत्ति अयोग्य होती है, तो उसे संबंधित प्रावधान के खिलाफ मान्यता दी जाती है। इस तरह की आस्तियों को सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद और नुकसान की मात्रा निर्धारित की गई है।

हालांकि, एक प्रतिक्रियाशील अनुमान है कि डिफॉल्ट तब बाद में नहीं होता है जब वित्तीय आस्ति 90 दिनों के अतीत की वजह से होती है जब तक कि एक इकाई के पास उचित और सहायक जानकारी नहीं होती है कि यह प्रदर्शित करने के लिए कि अधिक लैगिंग डिफॉल्ट मानदंड अधिक उपयुक्त है। इन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली डिफॉल्ट की परिभाषा को सभी वित्तीय साधनों पर लगातार लागू किया जाता है जब तक कि यह जानकारी उपलब्ध नहीं हो जाती है कि यह प्रदर्शित करता है कि किसी विशेष वित्तीय साधन के लिए एक और डिफॉल्ट परिभाषा अधिक उपयुक्त है।

तदनुसार, किसी खाते को क्रेडिट क्षतिग्रस्त हुआ माना जाएगा और इसलिए उसे चरण 3 में ले जाया जाएगा, यदि निम्न में से कोई भी घटना घटित होनी चाहिए:

- लेखा 90 दिन से अधिक देय (डीपीडी) है;
- आईआईएफसीएल क्रेडिट दायित्व के एक दबावग्रस्त पुनर्गठन के लिए सहमति देता है, जहां मूल, ब्याज या (जहां प्रासंगिक हो) शुल्क की सामग्री माफी, या स्थगन के कारण कम वित्तीय दायित्व का परिणाम होता है।

गित देय दिनों (डीपीडी) का मापन दिनों की संख्या के लिए किया जाता है और/या मूल भुगतान अवैतनिक रहता है, एक बिल अतिदेय रहता है, एक खाता सीमा/आवरण शक्ति पर लगातार बना रहता है, या खाते में क्रेडिट, ब्याज से कम है लेखा।

निम्न क्रेडिट जोखिम धारण

भारतीय लेखांकन मानक 101 – “वित्तीय उपकरण” में उल्लेख किया गया है कि वित्तीय साधन पर ऋण जोखिम को पैरा 5.5.10 के उद्देश्यों के लिए कम माना जाता है, अगर वित्तीय साधन में डिफॉल्ट का कम जोखिम है, तो उधारकर्ता के पास निकट अवधि और प्रतिकूल परिवर्तनों में अपने संविदात्मक नकदी प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की एक मजबूत क्षमता है। लंबी अवधि में आर्थिक और व्यावसायिक परिस्थितियों में, लेकिन जरूरी नहीं कि, अपने संविदात्मक नकदी प्रवाह दायित्वों को पूरा करने के लिए उधारकर्ता की क्षमता कम हो। (पैरा बी 5.5.22) “आगे, जबकि इसने कम ऋण जोखिम वाले ‘इन्वेस्टमेंट ग्रेड’ की बाहरी रेटिंग का उदाहरण दिया है, यह स्वीकार करता है कि वित्तीय साधनों को कम ऋण जोखिम के रूप में माना जाने के लिए बाहरी रूप से रेटेड होने की आवश्यकता नहीं है। (पैरा बी 5.5.23)

तदनुसार एक साधन को निम्न स्थितियों के तहत कम ऋण जोखिम माना जाता है:

- शून्य विनियामक जोखिम भार द्वारा इंगित शून्य अप्रत्याशित हानिरु यह देखते हुए कि नियामक जोखिम-भार के अनुसार अनुमानित अप्रत्याशित हानि शून्य प्रतिशत है, अपेक्षित हानि भी शून्य होगी। ऐसे मामलों में ईसीएल शून्य होगा। ऐसी आस्ति वर्गों के उदाहरण घरेलू संप्रभु, ‘एए’ या बेहतर की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग के साथ विदेशी संप्रभु हैं।
- 20 प्रतिशत विनियामक जोखिम भार के अनुसार कम अप्रत्याशित हानि: 20 प्रतिशत के जोखिम-भार के अनुरूप विभागों के लिए कम अप्रत्याशित हानि को देखते हुए, इनसे बहुत कम अपेक्षित नुकसान भी होगा। हालांकि, ईसीएल गैर-शून्य हो सकता है, या अनुभवजन्य साक्ष्य यह दिखा सकता है कि ऐसे आस्ति वर्ग/पोर्टफोलियो के लिए डिफॉल्ट दरें शून्य हैं। ऐसी आस्ति वर्गों के उदाहरण ‘ए’ की अंतरराष्ट्रीय रेटिंग के साथ विदेशी संप्रभु हैं, घरेलू अनुसूचित आईआईएफसीएल (पूजी पर्याप्तता की असफल नियामक आवश्यकता कम क्रेडिट जोखिम नहीं है), बाहरी रूप से रेटेड घरेलू ‘एएए’ कॉर्पोरेट्स, स्टाफ ऋण हैं। इन विभागों के लिए

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

अवलोकित डिफॉल्ट दरें भी शून्य हैं।

समाधानों के लिए सभी कर्मचारी ऋणों को कम ऋण जोखिम माना गया है।

प्रयुक्त पोर्टफोलियो में खण्डविन्यास

जोखिम मापदंडों के आवेदन के उद्देश्य से सेगमेंटेशन को आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) मॉडल से जोड़ा जाता है। हालाँकि, आगे के अनुमानों के लिए, आईआईएफसीएल इनमें से कुछ उप-विभागों को व्यापक श्रेणियों में समूहित करने का विकल्प चुन सकता है या कुछ मामलों में उन्हें सामान्य जोखिम वाले ड्राइवों के आधार पर उप-खंडों में विभाजित कर सकता है।

ईसीएल का मापन

ईसीएल निष्पक्ष हानि की संभावना के निष्पक्ष और संभावित-भारित अनुमानों से प्राप्त होता है, और इसे निम्नानुसार मापा जाता है:

- वित्तीय आस्तियां जो रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट के अनुसार क्षतिग्रस्त नहीं हैं: प्रभावी ब्याज दर से छूट प्राप्त वित्तीय आस्ति के अपेक्षित जीवन पर सभी नकदी की कमी के वर्तमान मूल्य के रूप में। कैश की कमी अनुबंध के अनुसार आईआईएफसीएल के कारण नकदी प्रवाह के बीच अंतर है और आईआईएफसीएल को प्राप्त होने वाली नकदी प्रवाह की अपेक्षा है।
- वित्तीय आस्तियां जो रिपोर्टिंग तिथि में क्रेडिट अनुसार क्षतिग्रस्त हैं: सकल वहन राशि और अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच अंतर के रूप में प्रभावी ब्याज दर से छूट दी गई है।
- ऋण ऋण प्रतिबद्धताएं: संविदात्मक नकदी प्रवाह के बीच अंतर के वर्तमान मूल्य के रूप में जो आईआईएफसीएल के कारण होता है अगर प्रतिबद्धता नीचे आहरित की जाती है और नकद प्रवाह होता है, जिसे आईआईएफसीएल प्राप्त करने की संभावना करती है।
- वित्तीय गारंटी अनुबंध: धारक को प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित भुगतान के रूप में आईआईएफसीएल को वसूलने की उम्मीद है कि किसी भी राशि को कम।

ईसीएल को लाभ एवं हानि विवरण में खराब और संदिग्ध ऋण खाते के प्रावधान का उपयोग करके मान्यता प्राप्त है। अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाने वाले ऋण साधनों के मामले में, ईसीएल का माप तीन चरणों के दृष्टिकोण पर आधारित है, जैसा कि परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियों पर लागू होता है। आईआईएफसीएल, बैलेंस शीट में आस्ति की वहन राशि में कोई कमी किए बिना लाभ और हानि में प्रावधान शुल्क, अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त इसी राशि के अनुरूप प्रावधानों को स्वीकृत करती है।

6.8. संवर्धित प्रावधानीकरण

ईसीएल निष्पक्ष हानि की संभावना के निष्पक्ष और संभावित-भारित अनुमानों से प्राप्त होता है, और निम्नानुसार मापा जाता है:

वित्तीय आस्तियां जो रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट-बिगड़ा नहीं हैं: प्रभावी ब्याज दर से छूट प्राप्त वित्तीय आस्ति के अपेक्षित जीवन पर सभी नकदी की कमी के वर्तमान मूल्य के रूप में। कैश की कमी अनुबंध के अनुसार आईआईएफसीएल के कारण नकदी प्रवाह के बीच अंतर है और आईआईएफसीएल को प्राप्त होने वाली नकदी प्रवाह की अपेक्षा है।

वित्तीय आस्तियां जो रिपोर्टिंग तिथि में क्रेडिट-क्षति: सकल वहन राशि और अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच अंतर के रूप में प्रभावी ब्याज दर से छूट दी गई है।

ऋण ऋण प्रतिबद्धताएं: संविदात्मक नकदी प्रवाह के बीच अंतर के वर्तमान मूल्य के रूप में जो आईआईएफसीएल के कारण होता है अगर प्रतिबद्धता नीचे खींची जाती है और नकदी बहती है जिसे आईआईएफसीएल प्राप्त करने की उम्मीद करता है।

वित्तीय गारंटी अनुबंध धारक को प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित भुगतान के रूप में आईआईएफसीएल को वसूलने की उम्मीद है कि किसी भी राशि को कम।

आईआईएफसीएल को लाभ एवं हानि विवरण में अशोध्य और संदिग्ध ऋण खाते के प्रावधान का उपयोग करके मान्यता प्राप्त है। अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाने वाले ऋण साधनों के मामले में, ईसीएल का माप तीन चरणों के दृष्टिकोण पर आधारित है, जैसा कि परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियों पर लागू होता है। आईआईएफसीएल लाभ और हानि में प्रावधान शुल्क, अन्य व्यापक आय में मान्यता देता है।

- परियोजना की स्थिति
- निधियां निविष्ट करने की प्रमोटर की योग्यता
- मूर्त प्रतिभूति, नकद प्रवाह और उपलब्ध रियायतें
- सहायता संघ द्वारा वसूली के लिए उठाए गए कदम
- प्रबंधन की संकल्पना

ऊपर बताए गए कारकों को ध्यान में रखते हुए खाते में किए जाने का प्रावधान 10 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक है।

प्रकटीकरण, वाणिज्यिक ऑडिट, सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड— IIA, नई दिल्ली के प्रधान निदेशक के कार्यालय को दिए गए वार्षिक प्रतिवेदन के प्रिंट चरण में अद्यतन किया गया है, जो चरण— IIA के हाफ मार्जिन में टिप्पणियों पर वर्ष 2018-19 के लिए आईआईएफसीएल के खातों पर ऑडिट के दौरान वार्षिक रूप से जारी है।

7. पट्टे पर देना

प्रचालनिक लीज के तहत लीज भुगतान को पट्टा अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के बयान में खर्च के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

8. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को अधिग्रहण की लागत पर दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग, कम संचित मूल्यहास और मूल्य में संचित हानि को छोड़कर अधिग्रहण की लागत पर कहा गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण निपटान पर या जब इसके उपयोग से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है। आस्ति की मान्यता न दिये जाने पर उत्पन्न कोई भी लाभ व हानि (निवल निपटान आय के बीच के अंतर के रूप में गणना की जाती है और आस्ति की वहन राशि) को लाभ व हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

9. अमूर्त आस्तियां और विकासाधीन अमूर्त आस्तियां

अलग से अधिग्रहित अमूर्त संपत्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्ति को किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि नुकसान की लागत पर किया जाता है, यदि कोई हो।

पहले से पूंजीकृत अमूर्त संपत्ति पर बाद के व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जब यह मौजूदा आस्ति में निहित भविष्य के आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और भावी रूप से परिशोधन करता है।

सॉफ्टवेयर की लागत (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा नहीं है) आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहीत की जाती है और जिसके परिणामस्वरूप भविष्य के महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ को एक अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब वही इसके उपयोग के लिए तैयार होता है।

विकास पर व्यय को अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी यदि यह भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करता है जैसा कि 38 मजे अमूर्त आस्तियों के अनुसार है, अन्यथा इसे व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी।

अमूर्त संपत्ति का एक आइटम निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। एक अमूर्त संपत्ति की व्युत्पत्ति से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को निवल निपटान आय और आस्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और संपत्ति के अपमानित होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

10. मूल्यहास/ऋणशोधन

मूल्यहास की गणना उनके अनुमानित उपयोगी जीवन से अधिक उनके अवशिष्ट मूल्यों पर संपत्ति और उपकरण की लागत को लिखने की विधि विधि का उपयोग करके की जाती है। उपयोगी जीवन को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार माना जाता है।

आईआईएफसीएल का कार्यालय आधार 30 वर्षों की पट्टा अवधि से अधिक हो गया है।

परिमाण को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर उनके अवशिष्ट मूल्यों के लिए अमूर्त संपत्ति की लागत को लिखने के लिए सीधी-रेखा पद्धति का उपयोग करके गणना की जाती है। पट्टा आस्ति के मामले में, अनुमानित उपयोगी जीवन की गणना लीज अवधि की समाप्ति के आधार पर की जाती है।

अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन का आकलन या तो परिमित या अनिश्चित है। उपयोगी जीवन के साथ परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति को परिशोधन किया जाता है। परिमित अवधि और परिमित उपयोगी जीवन के लिए एक अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन विधि की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में कम से कम की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिवर्तन, या आस्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न, के रूप में उपयुक्त परिशोधन अवधि या कार्यप्रणाली को बदलकर हिसाब किया जाता है, जिसे तब लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन व्यय को आय विवरण में एक अलग लाइन आइटम के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

11. गैर-वित्तीय आस्तियों की अक्षमता

आईआईएफसीएल प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन का पता लगाने के लिए मूल्यांकन करता है कि एक गैर-वित्तीय संपत्ति बिगड़ा हो सकती है। मूल्यांकन के अनुसार प्राप्त हानि को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

12. चुकोती आश्वासन पत्र (एलओसी)

व्यवसाय के साधारण पाठ्यक्रम में, आईआईएफसीएल बैंकों को चुकोती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी करता है, जो आम तौर पर लाभार्थियों के उधारदाताओं की ओर से लेटर ऑफ क्रेडिट/फाइनेंशियल गारंटी जारी करने के लिए कंसोर्टियम के सदस्यों को होता है। एलओसी शुरू में वित्तीय विवरणों में निहित 'अन्य देनदारियों' के भीतर) को उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, जो प्रीमियम प्राप्त होता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, प्रत्येक गारंटी के तहत आईआईएफसीएल की देयता राशि को प्रारंभिक रूप से मान्यता

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

प्राप्त कम आय विवरण में कम संचयी परिशोधन मान्यता प्राप्त है, और गारंटी के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी भी वित्तीय दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय का सबसे अच्छा अनुमान है। वित्तीय गारंटी से संबंधित देयता में कोई भी वृद्धि ऋण हानि व्यय में आय विवरण में दर्ज की गई है। प्राप्त प्रीमियम को गारंटी के जीवन पर एक सीधी रेखा के आधार पर शुद्ध शुल्क और कमीशन आय में आय विवरण में मान्यता प्राप्त है।

13. प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों को तब स्वीकृति दी जाती है जब पिछले घटनाओं के परिणामस्वरूप आईआईएफसीएल का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभव है कि दायित्व का पालन करने के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, और एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। दायित्व की राशि। जब धन के समय के मूल्य का प्रभाव भौतिक होता है, तो आईआईएफसीएल पूर्व-कर दर पर अपेक्षित नकदी प्रवाह को छूट देकर प्रावधान के स्तर को निर्धारित करता है जो देयता के लिए वर्तमान दरों को दर्शाता है। किसी भी प्रावधान से संबंधित व्यय को अन्य परिचालन खर्चों में किसी भी प्रतिपूर्ति के लाभ और हानि के विवरण के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

आकस्मिक देयता की स्वीकृति और प्रकटीकरण किया जाता है, जब:

- क) अतीत की घटना से उत्पन्न होने वाला एक संभावित दायित्व, जिसके अस्तित्व की पुष्टि समूह के नियंत्रण में नहीं होने वाली एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर-घटना से की जाएगी, या
- ख) अतीत की घटना से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

जब एक संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आकस्मिक संपत्ति का आकलन निरंतर रूप से किया जाता है और अगर यह लगभग निश्चित है कि आर्थिक लाभ का प्रवाह पैदा होगा, तो आस्ति और संबंधित आय उस अवधि में पहचानी जाती है जिसमें परिवर्तन होता है।

प्रतिबद्धताओं में एक ग्राहक को उधार देने के समझौतों के अनुसार ऋण का विस्तार करने के लिए बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं, जब तक कि अनुबंध में स्थापित किसी भी शर्त का उल्लंघन न हो।

14. आय पर कर

14.1 चालू कर

वर्तमान और पूर्व वर्षों के लिए कर की संपत्ति और देनदारियों को कराधान अधिकारियों से वसूल किए जाने या भुगतान करने की उम्मीद की गई राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कर की दरें और कर कानून भारत में आईआईएफसीएल द्वारा संचालित और कर योग्य आय उत्पन्न करने वाली रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, जो कि अधिनियमित किए गए हैं या निश्चित रूप से अधिनियमित हैं।

इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान आयकर, इक्विटी में मान्यता प्राप्त है और लाभ या हानि के बयान में नहीं है। प्रबंधन समय-समय पर कर रिटर्न में लिए गए पदों का मूल्यांकन उन स्थितियों के संबंध में करता है जिसमें लागू कर नियम व्याख्या के अधीन होते हैं और जहां प्रावधान उपयुक्त होते हैं उन्हें स्थापित करते हैं।

14.2 आस्थगित कर

कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों में संपत्तियों और देनदारियों की देय राशि और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संगत कर आधारों के बीच आस्थगित कर को अलग-अलग अंतर पर आस्थगित कर के रूप में मान्यता प्राप्त है, और तुलन पत्र देयता विधि का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है। आस्थगित कर आस्तियां आम तौर पर सभी घटाए गए अस्थायी मतभेदों, अप्रयुक्त कर घाटे और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के लिए इस सीमा तक पहचानी जाती हैं कि यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध हो, जिसके खिलाफ उन कटौती योग्य अस्थायी मतभेदों, अप्रयुक्त कर नुकसान और अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर आस्तियों की वहन राशि की प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस हद तक कम कर दिया जाता है कि अब यह संभव नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों को उस कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद है, जिसमें कर की दरों (और कर कानून) के आधार पर देयता या एहसास की गई संपत्ति, शेष राशि द्वारा अधिनियमित या सख्ती से लागू की गई है।

15. प्रति शेयर आय

आईआईएफसीएल अपने साधारण शेयरों के लिए बुनियादी और तनुकृत ईपीएस डेटा प्रस्तुत करता है। मूल ईपीएस की गणना अवधि के दौरान बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा आईआईएफसीएल के इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। तनुकृत ईपीएस को इक्विटी शेयरधारकों के कारण होने वाले लाभ या हानि को समायोजित करके निर्धारित किया जाता है और सभी कपसनजपअम संभावित साधारण शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किए गए साधारण शेयरों की भारित-औसत संख्या, जिसमें कर्मचारियों को दिए गए शेयर विकल्प शामिल होते हैं।

16. कर्मचारी लाभ

- 16.1 सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उनकी अघोषित राशि पर उस लेखा अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।
- 16.2 कर्मचारियों के पारिश्रमिक से काटे गए भविष्य निधि के लिए योगदान और उसके बाद क्षेत्रीय भविष्य निधि कमिशनर (आरपीएफओ) के पास जमा किया जाता है।
- 16.3 एनपीएस से परिभाषित परिभाषित योजनाओं के तहत कर्मचारी लाभ योजना में योगदान करने के लिए कंपनी के अनदेखे दायित्व पर मान्यता प्राप्त हैं। इसे आईडीबीआई बैंक को भुगतान किया जाता है, जो एनपीएस सुविधा के लिए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस सेवा प्रदाता है और अवधि से संबंधित व्यय किया जाता है।
- 16.4 सभी रोजगार-पश्चात और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को उस वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में एक व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है जिसमें कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं। व्यय को देय राशियों के वर्तमान मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, जो एक्चुरियल वैल्यूएशन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित की गई है।
- 16.5 समाप्ति लाभों को तुरंत व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।
- 16.6 अन्य मूल्यवान आय (ओसीआई) में होने वाली अवधि में वास्तविक मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाली हानि को मान्यता दी जाती है।
- 16.7 कर्मचारी लाभ दायित्वों यानी बीमार अवकाश, छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा सहायता योजना को उसी के वास्तविक मूल्यांकन पर रिपोर्टिंग की अवधि के लिए प्रदान किया गया है।
- 16.8 आईआईएफसीएल कर्मचारी समूह उपदान निधि के नाम पर ट्रस्ट के माध्यम से समूह उपदान योजना पर एलआईसी को देय राशि के आधार पर उपदान प्रदान की गई है।
- 16.9 एलआईसी ग्रुप छुट्टी नकदीकरण योजना के लिए देय राशि के आधार पर अवकाश नकदीकरण प्रदान किया गया है।
- 16.10 नियुक्ति की शर्तों के अनुसार जहां भी लागू हो, कार्यकारी निदेशकों की छुट्टी नकदीकरण, उपदान और बीमार अवकाश का प्रावधान देय राशि की अनुमानित राशि के आधार पर अर्जित किया जाता है।

17. महत्वपूर्ण लेखांकन मान्यताएं और अनुमान

आईआईएफसीएल की लेखांकन नीतियों के आवेदन में निर्णयों, अनुमानों और मान्यताओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। यदि विभिन्न मान्यताओं या अनुमानों को लागू किया गया था, तो परिणामी मूल्य बदल जाएंगे, जिससे आईआईएफसीएल की शुद्ध संपत्ति और आय पर असर पड़ेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए मान उस तिथि के सर्वोत्तम अनुमानों पर आधारित होते हैं। हालांकि आईआईएफसीएल के पास आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुमानों को मजबूती से मापा गया है, वास्तविक मात्रा उन अनुमानों से भिन्न हो सकती है। अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा चालू आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों के संशोधनों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य में किसी भी अवधि में प्रभावित होते हैं।

• उचित मूल्य मापन

वित्तीय साधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उचित मूल्य पर तुलन पत्र पर किया जाता है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी आस्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। जहाँ वित्तीय आस्ति या देयता के वर्गीकरण का परिणाम उचित मूल्य पर मापा जा रहा है, जहाँ भी संभव हो, उचित मूल्य उद्धृत बोली या प्रस्ताव के द्वारा सबसे अधिक लाभकारी सक्रिय बाजार में मूल्य निर्धारित किया जाता है जिस पर आईआईएफसीएल की तत्काल पहुँच है। ऋण जोखिम के लिए एक समायोजन को भी उचित मूल्य में शामिल किया गया है। शुद्ध खुली स्थिति के लिए उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में उद्धृत एक वित्तीय देयता है, वर्तमान ऑफर मूल्य है, और वित्तीय आस्ति के लिए बोली मूल्य को आयोजित या जारी की गई इकाईयों की संख्या से गुणा किया जाता है। जहाँ कोई विशेष आस्ति या देयता के लिए कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है, आईआईएफसीएल उचित मूल्य पर पहुँचने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करता है, जिसमें हाल ही में हाथ की लंबाई के लेनदेन में प्राप्त लेनदेन की कीमतों का उपयोग, नकदी प्रवाह विश्लेषण,

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल और अन्य मूल्यांकन तकनीक शामिल हैं। बाजार की स्थितियों और रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद जोखिमों के आधार पर। ऐसा करने के लिए, उचित मूल्य का मूल्यांकन एक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके किया जाता है, जो देखने योग्य बाजार की सूचना का अधिकतम उपयोग करता है और इकाई-विशिष्ट सूचना पर न्यूनतम निर्भरता रखता है। प्रारंभिक मान्यता पर एक वित्तीय साधन के उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत है लेनदेन मूल्य (यानी दिए गए या प्राप्त किए गए विचार का उचित मूल्य) जब तक कि उस उपकरण का उचित मूल्य अन्य अवलोकन योग्य वर्तमान बाजार लेनदेन के साथ तुलना करके नहीं निकाला जाता है, उपकरण (आशोधन या रीपैकेजिंग के बिना) या एक वैल्यूएशन तकनीक पर आधारित होता है जिसके वेरिफेबल में केवल अवलोकन योग्य मार्केट्स के डेटा शामिल हैं। जब इस तरह के सबूत मौजूद होते हैं, तो आईआईएफसीएल शुरुआती मूल्य (यानी पहले दिन) पर लाभ या हानि में लेनदेन मूल्य और उचित मूल्य के बीच अंतर को स्वीकृत करती है।

- **ऋणों और अग्रिमों पर क्षति प्रभाव**

ऋणों और अग्रिमों के लिए एक क्षति हानि का निर्धारण करते समय भविष्य के नकदी प्रवाह की मात्रा और समय के आकलन में प्रबंधन द्वारा निर्णय की आवश्यकता होती है। इन नकदी प्रवाह का अनुमान लगाने में, आईआईएफसीएल उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति और संपार्श्विक के शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के बारे में निर्णय करती है। ये अनुमान कई कारकों के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं और वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में हानि भत्ता में परिवर्तन होता है। हानि का एक सामूहिक मूल्यांकन ऋण पोर्टफोलियो (जैसे क्रेडिट गुणवत्ता, बकाया के स्तर, ऋण उपयोग, संपार्श्विक अनुपात के लिए ऋण), और जोखिम और आर्थिक डेटा (बेरोजगारी के स्तर, अचल संपत्ति की कीमत सहित) के सांद्रता से खाते (सूचकांक, देश के जोखिम और विभिन्न व्यक्तिगत समूहों के प्रदर्शन सहित) में डेटा लेता है।

- **ऋण क्षति से अन्य प्रावधान**

कर्मचारी दायित्व, पुनर्गठन लागत और मुकदमेबाजी प्रावधानों जैसे भविष्य के दायित्वों की एक श्रृंखला के संबंध में प्रावधान हैं। कुछ प्रावधानों में विभिन्न घटनाओं के संभावित परिणाम और अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। इन प्रावधानों के मापन में लेनदेन के अंतिम परिणामों के बारे में प्रबंधन निर्णयों का प्रयोग शामिल है। एक वर्ष से अधिक समय के बाद किए जाने वाले भुगतान की दर पर छूट दी जाती है, जो वर्तमान ब्याज दरों और उस प्रावधान के लिए विशिष्ट जोखिम दोनों को दर्शाती है।

- **ऋण और अग्रिम**

ऋण और अग्रिमों को शुरू में उचित मूल्य में वृद्धिशील मूल्यों को जोड़कर प्रत्यक्ष लेनदेन लागतों पर मापा जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके उनकी परिशोधन लागत पर।

18. **उधार राशियां और ऋण प्रतिभूतियां**

जारी किए गए उधार और ऋण प्रतिभूतियों को शुरू में उचित मूल्य में वृद्धिशील को घटाकर प्रत्यक्ष लेनदेन लागतों पर मापा जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके उनकी परिशोधन लागत पर मापा जाता है, उन मामलों को छोड़कर, जहां समूह एफवीटीपीएल में देनदारियों को नामित करता है।

19. **उधार लागतें**

विदेशी मुद्रा उधार पर लेनदेन के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। स्थानीय मुद्रा उधार पर ब्याज के बीच अंतर से ज्यादा विनिमय अंतर की राशि नहीं होनी चाहिए और विदेशी मुद्रा उधार पर ब्याज को उधार लेने की लागत के रूप में माना जाता है और लेखा मानक 23 के तहत लेखांकन होता है। उधार लेने की लागत और शेष विनिमय अंतर यदि कोई है, लेखा मानक 21 – विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के तहत लेखांकन होता है।

इस उद्देश्य के लिए, स्थानीय मुद्रा उधार के लिए ब्याज दर को कंपनी द्वारा लिए गए बैंक ओवरड्राफ्ट की दर के रूप में माना जाता है।

20. **सहायक कम्पनियों में निवेश**

एक सहायक कंपनी, मूल कंपनी द्वारा नियंत्रित इकाई है। नियंत्रण तब होता है जब कंपनी के पास इकाई पर शक्ति होती है, वह उजागर होती है, या इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनशील रिटर्न के अधिकार होते हैं और इकाई पर अपनी शक्ति का उपयोग करके उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता होती है।

शक्ति को मौजूदा अधिकारों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है जो प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की क्षमता देते हैं, जो इकाई के रिटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

सहायक कंपनियों में निवेश लागत पर किया जाता है। लागत में निवेश प्राप्त करने के लिए भुगतान किया गया मूल्य और सीधे देय लागत शामिल है।

भारतीय लेखांकन मानक के रूप में संक्रमण की तारीख पर, कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार सहायक कंपनियों में निवेश के मूल्य को भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार लागत के रूप में माना है।

21. विदेशी मुद्रा लेनदेन

21.1 विदेशी मुद्रा में आय और व्यय के लेनदेन की तारीख को बैंकों की विनिमय दर पर गणना की जाती है।

21.2 खातों के बंद होने की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर (आरबीआई संदर्भ दर) पर भारतीय मुद्रा में निम्नलिखित शेष राशि को परिवर्तित किया जाता है:

क. आय या व्यय अर्जित हुए हैं, लेकिन क्रमशः विदेशी मुद्रा ऋण और विदेशी मुद्रा उधार के कारण नहीं।

ख. विदेशी मुद्रा में जारी किए गए पत्र के संदर्भ में आकस्मिक देयता।

21.3 विदेशी मुद्रा ऋण उत्तरदायित्व भारतीय मुद्रा में रिपोर्टिंग की तारीख को प्रचलित भारतीय रिजर्व बैंक संदर्भ दर में परिवर्तित किया गया है। लेखा मानक 11 के मुताबिक विनिमय के अंतर में लाभ और हानि का विवरण दिया गया है, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव होता है।

21.4 विदेशी मुद्रा ऋण की संपत्ति, देनदारियों और आय और व्यय पर प्राप्त/परिवर्तित लाभ/हानि (शुद्ध), लेकिन मुनाफे और नुकसान के विवरण के कारण जमा/प्रभारित नहीं किया जाता।

22. व्युत्पन्न लेखांकन

22.1 जहां भी कंपनी ने किसी लिखत अर्थात् वायदा विनिमय करार के विकल्प के रूप में कोई वायदा संविदा की है तो एएस-11 के अनुसार वायदा विनिमय करार की तिथि को वायदा दर और विनिमय दर के बीच के अंतर को संविदाकाल के दौरान हुई आय अथवा व्यय के रूप में माना जाता है।

22.2 विदेशी मुद्रा में दिए गए ऋणों के समायोजन के बाद विदेशी मुद्रा ऋण पर लिया गया हेजिंग एफआईएफओ के आधार (अर्थात् स्वाभाविक बचाव व्यवस्थाएं) पर समायोजित किया गया है।

22.3 याज दर स्वैप सहित विदेशी मुद्रा अनुबंध रद्द करने या नवीकरण करने पर कोई लाभ या हानि आय के रूप में या वर्ष के लिए व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

22.4 कंपनी द्वारा दर्ज जेपीवाई येन में ब्याज दर अदला-बदली लेनदेन के संबंध में, कंपनी तुलन-पत्र की तिथि को मार्क टू मार्केट में हुई क्षति को बही में अंकित किया गया है।

22.5 अग्रिम अनुबंध की शुरुआत में हाजिर विनिमय बाजार दर में अंतर के कारण अधिशेष या घाटा और और अंतर्निहित विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व का पुनर्भुगतान बचाव व्यवस्था अनुबंध के अनुसार लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त है, ऐसे ऋण को चुकाते समय क्रमशः प्रति पक्ष में वापसी या भुगतान किया जाता है।

22.6 विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहित लेनदेन है) और अदला-बदली अनुबंध (उपरोक्त ऋणों पर होने वाली किसी भी हानि के खिलाफ बचाव के लिए) को अलग लेनदेन के रूप में शामिल किया गया है।

22.7 विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव लेखांकन मानक 11 के मुताबिक विदेशी मुद्रा उधार में पुनः उल्लेखित किए जाते हैं।

जून 2015 में जारी “व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखांकन” पर आईसीएआई द्वारा जारी दिशानिर्देश नोट 1 अप्रैल 2016 से लागू है और कंपनी ने 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए इसका पालन भी किया है। विनिमय दर में किसी भी तरह का परिवर्तन, पिछली रिपोर्टिंग तिथि के बाद से रिपोर्टिंग तिथि पर विदेशी मुद्रा उधार की राशि पर और इस अवधि के दौरान उधार लेने की तारीख से, व्युत्पन्न संविदाओं का उचित मूल्य का कारण बनता है और कोई लाभ या हानि नकद प्रवाह बचाव व्यवस्था रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। व्युत्पन्न अनुबंध का उचित मूल्य प्रतिपक्ष द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

दिशा निर्देश नोट के अनुसार, नकद प्रवाह बचाव व्यवस्था के तहत, बचाव व्यवस्था लिखत उचित मूल्य पर मापा जाता है, लेकिन एक प्रभावी हेज होने के लिए निर्धारित किसी भी लाभ या हानि को इक्विटी में मान्यता प्राप्त है, जैसे, नकद प्रवाह बचाव व्यवस्था

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

रिजर्व। इसका उद्देश्य उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में अस्थिरता से बचने का है, जब बचाव व्यवस्था से जुड़ी चीजों पर लाभ या हानि उसमें शामिल नहीं होती हैं।

23. राजस्व अनुदानों के लिए लेखांकन

- 23.1 अनुदान को लाभ और हानि के विवरण में “अन्य आय” के रूप में संबंधित लागतों से मिलान के लिए आवश्यक अवधि के आधार पर व्यवस्थित आधार पर स्वीकृत किया गया है, जो वे क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं, परंतु उसमें अनुदान राशियों की वूसली और संस्वीकृति से जुड़ी शर्तों का उचित रूप से अनुपालन हुआ हो।
- 23.2 पहले की अवधि में किए गए खर्च के संबंध में प्राप्त अनुदान के अनुमोदन के वर्ष में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।
- 23.3 वर्ष के अंत में यदि अनुदान की कोई अव्ययित राशि नहीं है तो वह चालू देनदारियों के तहत दिखाई गई है।

24. उधार लागतें

विदेशी मुद्रा उधार पर लेनदेन के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। स्थानीय मुद्रा उधार पर ब्याज के बीच अंतर से ज्यादा विनिमय अंतर की राशि नहीं होनी चाहिए और विदेशी मुद्रा उधार पर ब्याज को उधार लेने की लागत के रूप में माना जाता है और लेखा मानक 23 के तहत लेखांकन होता है। उधार लेने की लागत और शेष विनिमय अंतर यदि कोई है, लेखा मानक 21 – विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के तहत लेखांकन होता है।

इस उद्देश्य के लिए, स्थानीय मुद्रा उधार के लिए ब्याज दर को कंपनी द्वारा लिए गए बैंक ओवरड्राफ्ट की दर के रूप में माना जाता है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

(ख) वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां

1. लाभ हानि विवरण में नियमित शीर्षों के अंतर्गत शामिल किए गए पूर्वावधि आय और व्यय (भारतीय लेखांकन मानक-8) निम्नानुसार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
(क) आय		
(i) ऋणों और अग्रिमों पर आय	-	29.15
(ii) दंडस्वरूप ब्याज	-	(1.92)
(iii) अन्य प्रभार	-	-
योग (क)	-	27.23
(क) व्यय		
(i) स्थापना तथा अन्य व्यय	-	10.91
(ii) वेतन और परिलब्धियां-	-	
योग (ख)	-	10.91
चालू वर्ष के लाभ पर लाभ/(हानि) के माध्यम से निवल प्रभाव [(क)-(ख)]	-	16.32

2. लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

3. लेखांकन मानक 19 “कर्मचारी लाभ” (भारतीय लेखांकन मानक-19) के अंतर्गत प्रकटीकरण

भारतीय लेखांकन मानक-19 “कर्मचारी लाभ” के अनुसार, प्रकटीकरण, जैसा कि लेखांकन मानक में परिभाषित है, नीचे दिए गए हैं

(₹ लाख में)

- क) **उपदान योजना (निधिबद्ध):** उपदान देयता भावी भुगतानों के कारण उत्पन्न होती है, जिन्हें सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु या प्रत्याहार की स्थिति में किए जाने की जरूरत होती है। यही चीज आईआईएफसीएल कर्मचारी सामूहिक उपदान निधि के नाम पर ट्रस्ट के माध्यम से सामूहिक उपदान योजना पर एल.आई.सी. को देय राशि के आधार पर मुहैया कराई गई है। एल.आई.सी. सामूहिक उपदान योजना के अंतर्गत कर्मचारियों की उपदान देयता राशि का भुगतान आईआईएफसीएल करता है और उसने वित्तीय विवरणों की तिथि की यथास्थिति उपदान देयता के बीमांकित मूल्यांकन की राशि को सुनिश्चित नहीं किया है।

बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मुख्य अवधारणाएं ये हैं

प्रयुक्त पद्धति	प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट पद्धति
i) छूट की दर	7.66
ii) भावी लागत वृद्धि दर	5.50
iii) योजना आस्तियों की संभावित दर	7.80

I. उपदान योजना के लिए अनुमान:

	2018-19	2017-18
मृत्यु दर	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)
आहरण दर	1 % to 3 % आयु पर आधारित	1 % to 3 % आयु पर आधारित

II. परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,78,52,827
क)	0.50% वृद्धि की वजह से प्रभाव	(15,81,503)
ख)	0.50% कमी की वजह से प्रभाव	17,36,398
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,78,52,827
क)	0.50% वृद्धि की वजह से प्रभाव	17,64,914
ख)	0.50% कमी की वजह से प्रभाव	(16,19,702)

मृत्यु और आहरणों की वजह से संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं इसलिए इनकी वजह से परिवर्तन के प्रभाव की गणना बीमांकिक द्वारा नहीं की गई।

संवेदनशीलताएं भुगतान में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन में वृद्धि की दर या जीवन संभावना के रूप में लागू नहीं हैं।

आईआरडीए के दिनांक 28 जून 2013 के परिपत्र संख्या आईआरडीए/एसीटीएल/आरईजी/सीआईआर के अनुसार, कोई नया सदस्य मौजूदा नीति में नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए, आईआईएफसीएल ने नए कर्मचारियों के लिए पूर्ववर्ती पॉलिसी संख्या 331776 के अतिरिक्त नई पॉलिसी, अर्थात पॉलीसी संख्या 103001183 की ग्राहकी ली है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

(₹ लाख में)

1. दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
क) प्रारम्भ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	193.90	196.28
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) ब्याज लागत	14.94	15.70
घ) विगत सेवा लागत	-	-
ङ) वर्तमान सेवा लागत	41.08	34.00
च) कटौती लागत/ (क्रेडिट)	-	-
छ) निपटान लागत/ (क्रेडिट)	-	-
ज) प्रदत्त लाभ	(13.38)	(28.13)
झ) बीमांकित (लाभ)/हानि	41.97	(23.95)
ञ) अवधि के अंत में परिभाषित लाभ उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	278.52	193.90
2. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
क) प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	-
घ) अंशदान	-	-
ङ) प्रदत्त लाभ	-	-
च) बीमांकित (लाभ)/हानि	-	-
छ) वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
3. योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य		
क) प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	217.15	206.68
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	19.01	15.18
घ) निधि प्रबंधन प्रभार	(1.52)	-
ङ) अंशदान	111.38	23.42
च) प्रदत्त लाभ	(13.38)	(28.13)
छ) वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	332.65	217.15
ज) निधिबद्ध स्थिति	54.12	23.25
झ) योजनाबद्ध आस्तियों के अपेक्षित प्रतिलाभ पर वास्तविक प्रतिलाभ का आधिक्य	0.87	(1.34)
4. बीमांकित लाभ/हानि स्वीकृत		
क) अवधि के लिए बीमांकित लाभ/(हानि) – उत्तरदायित्व	41.97	23.95
ख) अवधि के लिए बीमांकित लाभ/(हानि) – योजनागत आस्तियां	0.88	1.34
ग) अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि	41.09	(22.60)
घ) अवधि में स्वीकृत बीमांकित (लाभ)/हानि	41.09	(22.60)
ङ) अवधि के अंत में अस्वीकृत बीमांकित (लाभ)/हानि	-	-
5. तुलन पत्र और लाभ व हानि के विवरण में स्वीकृत राशि		
क) अवधि के अंत में उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	278.52	193.90
ख) अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	332.65	217.15
ग) निधिबद्ध स्थिति	54.12	23.25
घ) अपेक्षित लाभ के संबंध में वास्तविक का आधिक्य	0.87	(1.34)
ङ) अस्वीकृत बीमांकित (लाभ)/हानि	-	-
च) तुलन पत्र में स्वीकृत निबल आस्तियां/ (देयताएं)	54.12	23.25
6. लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय		
क) वर्तमान सेवा लागत	41.08	34.00
ख) विगत सेवा लागत	-	-
ग) ब्याज लागत	14.94	15.70
घ) योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	(16.61)	(16.53)
ङ) कटौती लागत/ (क्रेडिट)	-	-
च) निपटान लागत/ (क्रेडिट) -	-	-
छ) अवधि में स्वीकृत बीमांकित निबल (लाभ)/हानि	41.09	(22.60)
ज) लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय	80.51	10.56

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

पॉलिसी सं. 331776 के अंतर्गत कर्मचारियों की सामूहिक उपदान योजना के विवरण इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में)

	2018-19	2017-18
क) सदस्यता के आंकड़े		
i) सदस्यों की संख्या	40	42
ii) औसत आयु (वर्ष)	42.10	40.76
iii) औसत मासिक वेतन	1.34	1.04
iv) औसत विगत सेवा (वर्ष)	8.75	7.79
ख) मूल्यांकन के परिणाम		
i) विगत सेवा लाभ का वर्तमान मूल्य	294.07	243.12
ii) चालू सेवा लागत	8.79	15.94
iii) कुल सेवा ग्रेच्युटी	780.42	800.34
iv) प्रोद्भूत ग्रेच्युटी	462.19	322.10
v) आश्वस्त लाइफ कवर राशि (एलसीएसए)	318.23	468.24
vi) एलसी प्रीमियम	0.82	1.25
vii) जीएसटी @18%	0.15	0.22
ग) अनुशंसित अंशदान दर		
i) नवीकरण की तारीख के अनुसार निधि मूल्य	260.40	54.65
ii) मौजूदा निधि के लिए अतिरिक्त अंशदान	33.66	188.46
iii) चालू सेवा लागत	8.79	15.94
कुल देय राशि [(ग(ii)) + ग(iii) + ख(vi) + ख(vii)]	43.43	205.87
घ) निधि शेष		
i) प्रारंभिक शेष	162.50	177.29
ii) निधि में क्रेडिट की गई राशि	111.29	0.65
iii) दावे के रूप में अदा की गई राशि	(13.39)	(28.14)
iv) वर्ष के लिए क्रेडिट किया गया ब्याज	14.70	12.70
अंतिम शेष	275.11	162.50

पॉलिसी सं. 103001183 के अंतर्गत कर्मचारियों की सामूहिक उपदान योजना के विवरण इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
क) सदस्यता के आंकड़े		
i) सदस्यों की संख्या	44	44
ii) औसत विगत सेवा (वर्ष)	36.07	35.27
iii) औसत मासिक वेतन	0.96	0.78
iv) औसत विगत सेवा (वर्ष)	4.55	3.59
ख) मूल्यांकन के परिणाम		
i) विगत सेवा लाभ का वर्तमान मूल्य	86.73	53.77
ii) चालू सेवा लागत	18.30	14.76
iii) कुल सेवा उपदान	647.82	517.76
iv) प्रोद्भूत उपदान	112.29	71.00
v) एलसीएसए	535.53	446.76
vi) एलसी प्रीमियम	0.99	0.81
vii) जीएसटी @18%	0.17	0.15
ग) अनुशंसित अंशदान दर		
i) नवीकरण की तारीख के अनुसार निधि मूल्य	56.62	54.65

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

i) मौजूदा निधि के लिए अतिरिक्त अंशदान	30.10	-
ii) चालू सेवा लागत	18.30	13.88
कुल देय राशि [(ग(ii))+ ग(iii)+ख(vi)+ख(vii)]	49.57	14.84
घ) निधि शेष		
i) प्रारंभिक शेष	54.65	29.39
ii) निधि में क्रेडिट की गई राशि	0.10	22.78
iii) दावे के रूप में अदा की गई राशि		--
iv) अवधि के लिए कुल मृत्यु दर/पॉल एडमिन/निधि प्रबंधन प्रभार, उन पर सेवा कर सहित	(1.52)	(1.20)
v) वर्ष के लिए क्रेडिट किया गया ब्याज	4.32	3.68
अंतिम शेष	57.55	54.65

ख) अर्जित छुट्टी देनदारी: किसी कर्मचारी को देय अर्जित छुट्टी वह अवधि होती है जिसे कर्मचारी ने अर्जित किया हो, जिसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में ली गई छुट्टी की अवधि घटा दी जाती है। ये कार्यकाल के एक बटा ग्यावरहें हिस्से में अर्जित होती है।

प्रयुक्त पद्धति	प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट पद्धति
i) छूट की दर	7.66
ii) भावी लागत वृद्धि दर	5.50
iii) योजना आस्तियों की संभावित दर	6.98

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ in lac)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	4,43,44,153
क) 0.50% वृद्धि की वजह से प्रभाव	(24,08,443)
ख) 0.50% कमी की वजह से प्रभाव	26,33,783
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव	
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	4,43,44,153
क) 0.50% वृद्धि की वजह से प्रभाव	26,76,948
ख) 0.50% कमी की वजह से प्रभाव	(24,66,708)

मृत्यु और आहरणों की वजह से संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं इसलिए इनकी वजह से परिवर्तन के प्रभाव की गणना बीमांकिक द्वारा नहीं की गई। संवेदनशीलताएं भुगतान में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशनों में वृद्धि की दर या जीवन संभावना के रूप में लागू नहीं हैं।

(₹ लाख में)

1. उत्तरदायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
क) प्रारम्भ में उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	287.55	271.75
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) ब्याज लागत	22.17	20.49
घ) विगत सेवा लागत	-	-
ङ) वर्तमान सेवा लागत	69.30	54.79
च) कटौती लागत/(क्रेडिट)	-	-
छ) निपटान लागत/(क्रेडिट)	-	-
ज) प्रदत्त लाभ	(13.64)	(104.90)
झ) बीमांकित लाभ)/हानि	78.06	45.43
ञ) अवधि के अंत में परिभाषित लाभ उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	443.44	287.56

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

2. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
क) प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	287.29	208.75
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	20.11	16.09
घ) अंशदान	64.45	101.74
ङ) प्रदत्त लाभ	(13.64)	(37.55)
च) बीमांकित (लाभ)/हानि	(0.76)	(1.75)
छ) वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	357.44	287.28
3. योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य		
क) प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	287.29	208.75
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	22.59	17.46
घ) निधि प्रबंधन प्रभार	(3.60)	(3.12)
ङ) अंशदान	64.45	101.74
च) प्रदत्त लाभ	(13.64)	(37.55)
छ) वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	357.44	287.28
ज) निधिबद्ध स्थिति	(86)	(0.26)
झ) योजनाबद्ध आस्तियों के अपेक्षित प्रतिलाभ पर वास्तविक प्रतिलाभ का आधिक्य	(0.76)	(1.75)
4. बीमांकित लाभ/हानि स्वीकृत		
क) अवधि के लिए बीमांकित लाभ/(हानि) – उत्तरदायित्व	(78.06)	(45.43)
ख) अवधि के लिए बीमांकित लाभ/(हानि) – योजनागत आस्तियां	0.76	1.75
ग) अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि	78.82	47.18
घ) अवधि में स्वीकृत बीमांकित (लाभ)/हानि	78.82	47.18
ङ) अवधि के अंत में अस्वीकृत बीमांकित (लाभ)/हानि	-	-
5. तुलन पत्र और लाभ व हानि के विवरण में स्वीकृत राशि		
क) अवधि के अंत में उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	443.44	287.56
ख) अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	357.44	287.28
ग) निधिबद्ध स्थिति	(86.00)	(0.26)
घ) अपेक्षित लाभ के संबंध में वास्तविक का आधिक्य	(0.76)	(1.75)
ङ) अस्वीकृत बीमांकित (लाभ)/हानि	-	-
च) तुलन पत्र में स्वीकृत निबल आस्तियां/ (देयताएं)	(86.00)	(0.26)
6. लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय		
क) वर्तमान सेवा लागत	69.30	54.79
ख) विगत सेवा लागत	-	-
ग) ब्याज लागत	22.17	20.49
घ) योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	(20.11)	(16.09)
ङ) कटौती लागत/(क्रेडिट)	-	-
च) निपटान लागत/(क्रेडिट)	-	-
छ) अवधि के अंत में परिभाषित लाभ उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	78.82	47.18
ज) लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय	150.18	106.37

II. अन्य कर्मचारी लाभ (अनिधिक)

अन्य कर्मचारी लाभों (अनिधिक) के लिए बीमांकित अनुमान

क) आर्थिक अनुमान

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
i) छूट की दर (%)	7.66	8.00
ii) भावी वेतन वृद्धि (%)	5.50	5.50
iii) योजना आस्तियों पर रिटर्न की संभावित दर (%)	0.00	0.00

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

ख) जनसांख्यिकीय धारणाएं

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
i) सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60	60
ii) मृत्युदर सारणी	भारतीय बीमित (आईएएलएम)	जीवन मृत्यु दर (2006-08)
iii) आयु	आहरण दर (%)	आहरण दर (%)
30 वर्ष तक	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00
44 वर्ष से अधिक	1.00	1.00

ग छुट्टी किराया रियायत: कंपनी के सभी पूर्णकालिक कर्मचारी, जिन्होंने अपने अथवा अपने परिवार द्वारा यात्रा करने की तिथि को निरंतर अस्थायी सेवा सहित एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, इस सुविधा के लिए पात्र हैं। दो साल के प्रत्येक ब्लॉक (काल खंड) में एक बार रियायत स्वीकार्य होगी। और इस तरह का पहला सेट/ब्लॉक उस महीने की पहली तारीख से शुरू होगा जिसमें एक कर्मचारी कंपनी में नियुक्त हुआ है, लेकिन इसके बाद ही उसे एक वर्ष की निरंतर सेवा के अस्थायी सेवा/परिवीक्षा अवधि सहित पूरा होने पर ही प्राप्त किया जा सकता है।

परिभाषित लाभ उत्तरदायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाख में)

क) रियायत दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	59,30,969
क)	0.50% वृद्धि की वजह से प्रभाव	(3,43,815)
ख)	0.50% कमी की वजह से प्रभाव	3,77,833

मृत्यु और आहरणों की वजह से संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं इसलिए इनकी वजह से परिवर्तन के प्रभाव की गणना बीमांकिक द्वारा नहीं की गई। संवेदनशीलताएं भुगतान में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशनों में वृद्धि की दर या जीवन संभावना के रूप में लागू नहीं हैं।

(₹ लाख में)

1. उत्तरदायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
क) प्रारम्भ में उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	57.57	59.21
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) ब्याज लागत	4.43	4.46
घ) विगत सेवा लागत	-	-
ङ) वर्तमान सेवा लागत	10.70	12.91
च) कटौती लागत/(क्रेडिट) -	-	-
छ) निपटान लागत/(क्रेडिट) -	-	-
ज) प्रदत्त लाभ	(147.94)	(150.43)
झ) बीमांकित लाभ)/हानि	134.53	131.42
ञ) अवधि के अंत में परिभाषित लाभ उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	59.30	57.57
2. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
क) प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	-
घ) अंशदान	-	-
ङ) प्रदत्त लाभ	-	-
च) बीमांकित (लाभ)/हानि	-	-
छ) वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
3. योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य		
क) प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	-	-
घ) अंशदान	-	-
ङ) प्रदत्त लाभ	-	-

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

च) वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
छ) निधिबद्ध स्थिति	(59.31)	(57.57)
ज) योजनाबद्ध आस्तियों के अपेक्षित प्रतिलाभ पर वास्तविक प्रतिलाभ का आधिक्य	-	-
4. बीमांकित लाभ/हानि स्वीकृत		
क) अवधि के लिए बीमांकित लाभ/(हानि) – उत्तरदायित्व	(134.53)	(131.42)
ख) अवधि के लिए बीमांकित लाभ/(हानि) – योजनागत आस्तियां	-	-
ग) अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि	134.53	131.42
घ) अवधि में स्वीकृत बीमांकित (लाभ)/हानि	134.53	131.42
ङ) अवधि के अंत में अस्वीकृत बीमांकित (लाभ)/हानि	-	-
5. तुलन पत्र और लाभ व हानि के विवरण में स्वीकृत राशि		
क) अवधि के अंत में उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	59.31	57.57
ख) अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग) निधिबद्ध स्थिति	(59.31)	(57.57)
घ) अपेक्षित लाभ के संबंध में वास्तविक का आधिक्य	-	-
ङ) अस्वीकृत बीमांकित (लाभ)/हानि	-	-
च) तुलन पत्र में स्वीकृत निबल आस्तियां/ (देयताएं)	(59.31)	(57.57)
6. लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय		
क) वर्तमान सेवा लागत	10.70	12.91
ख) विगत सेवा लागत	-	-
ग) ब्याज लागत	4.43	4.46
घ) योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	-
ङ) कटौती लागत/(क्रेडिट)	-	-
च) निपटान लागत/(क्रेडिट)	-	-
छ) अवधि के अंत में परिभाषित लाभ उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	134.53	131.42
ज) लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय	149.68	148.79

घ) बीमारी अवकाश: बीमारी छुट्टी एक आधा छुट्टी वेतन है। जहां कर्मचारी ने कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए कंपनी की सेवा की है, कर्मचारी, अनुरोध पर, कर्मचारी की सेवा की पूर्ण अवधि के दौरान, अधिकतम नौ महीने तक छुट्टी वेतन पर बीमार हो जाने की अनुमति प्राप्त कर सकता है, छुट्टी वेतन पर यह छुट्टी कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टी की अवधि की दुगुनी के रूप में कर्मचारी की बीमारी छुट्टी खाते में दर्ज की जाएगी।

परिभाषित लाभ उत्तरदायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाख में)

क) रियायत दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,01,73,206
क)	0.50% वृद्धि की वजह से प्रभाव	(12,80,397)
ख)	0.50% कमी की वजह से प्रभाव	14,08,147
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,01,73,206
क)	0.50% वृद्धि की वजह से प्रभाव	14,31,282
ख)	0.50% कमी की वजह से प्रभाव	(13,11,280)

मृत्यु और आहरणों की वजह से संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं इसलिए इनकी वजह से परिवर्तन के प्रभाव की गणना बीमांकिक द्वारा नहीं की गई।

संवेदनशीलताएं भुगतान में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशनों में वृद्धि की दर या जीवन संभावना के रूप में लागू नहीं हैं।

(₹ लाख में)

1. उत्तरदायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
क) प्रारम्भ में उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	128.82	119.23
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) ब्याज लागत	9.93	8.99
घ) विगत सेवा लागत	-	-
ङ) वर्तमान सेवा लागत	32.01	24.94
च) कटौती लागत/(क्रेडिट)	-	-
छ) निपटान लागत/(क्रेडिट) -	-	-
ज) प्रदत्त लाभ	-	-

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

झ) बीमांकित लाभ)/हानि	30.96	(24.33)
ज) अवधि के अंत में परिभाषित लाभ उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	201.73	128.83
2. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
क) प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	-
घ) अंशदान	-	-
ङ) प्रदत्त लाभ	-	-
च) बीमांकित (लाभ)/हानि	-	-
छ) वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
3. योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य		
क) प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	-	-
घ) अंशदान	-	-
ङ) प्रदत्त लाभ	-	-
च) वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
छ) निधिबद्ध स्थिति	(201.73)	(128.83)
झ) योजनाबद्ध आस्तियों के अपेक्षित प्रतिलाभ पर वास्तविक प्रतिलाभ का आधिक्य	-	-
4. बीमांकित लाभ/हानि स्वीकृत		
क) अवधि के लिए बीमांकित लाभ/(हानि) – उत्तरदायित्व	(30.96)	24.33
ख) अवधि के लिए बीमांकित लाभ/(हानि) – योजनागत आस्तियां	-	-
ग) अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि	30.96	(24.33)
घ) अवधि में स्वीकृत बीमांकित (लाभ)/हानि	30.96	(24.33)
ङ) अवधि के अंत में अस्वीकृत बीमांकित (लाभ)/हानि	-	-
5. तुलन पत्र और लाभ व हानि के विवरण में स्वीकृत राशि		
क) अवधि के अंत में उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	201.73	128.83
ख) अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग) निधिबद्ध स्थिति	(201.73)	(128.83)
घ) अपेक्षित लाभ के संबंध में वास्तविक का आधिक्य	-	-
ङ) अस्वीकृत बीमांकित (लाभ)/हानि	-	-
च) तुलन पत्र में स्वीकृत निबल आस्तियां/(देयताएं)	(201.73)	(128.83)
6. लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय		
क) वर्तमान सेवा लागत	32.00	24.94
ख) विगत सेवा लागत	-	-
ग) ब्याज लागत	9.93	8.99
घ) योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	-
ङ) कटौती लागत/(क्रेडिट)	-	-
च) निपटान लागत/(क्रेडिट)	-	-
छ) अवधि के अंत में परिभाषित लाभ उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	30.96	(24.33)
ज) लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय	72.90	9.60

ड) सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) (सितंबर 2015 से शुरू किया गया): एएस-19 (आर) के अनुसार 31 मार्च 2019 को सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) की देनदारी का बीमांकिक मूल्यांकन। कम्पनी में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं।

परिभाषित लाभ उत्तरदायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाख में)

क) रियायत दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	7,64,46,801
क)	0.50% वृद्धि की वजह से प्रभाव	(10,57,415)
ख)	0.50% कमी की वजह से प्रभाव	11,62,169

मृत्यु और आहरणों की वजह से संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं इसलिए इनकी वजह से परिवर्तन के प्रभाव की गणना बीमांकिक द्वारा नहीं की गई। संवेदनशीलताएं भुगतान में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशनों में वृद्धि की दर या जीवन संभावना के रूप में लागू नहीं हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

(₹ लाख में)

1. उत्तरदायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
क) प्रारम्भ में उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	717.98	487.07
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) ब्याज लागत	55.35	36.73
घ) विगत सेवा लागत	-	-
ङ) वर्तमान सेवा लागत	74.75	70.06
च) कटौती लागत/(क्रेडिट)	-	-
छ) निपटान लागत/(क्रेडिट)	-	-
ज) प्रदत्त लाभ	(0.05)	(0.10)
झ) बीमांकित लाभ)/हानि	(83.58)	124.23
ञ) अवधि के अंत में परिभाषित लाभ उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	764.46	717.99
2. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
क) प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	-
घ) अंशदान	-	-
ङ) प्रदत्त लाभ	-	-
च) बीमांकित (लाभ)/हानि	-	-
छ) वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
3. योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य		
क) प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	-	-
घ) अंशदान	-	-
ङ) प्रदत्त लाभ	-	-
च) वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
छ) निधिबद्ध स्थिति	(764.46)	(717.99)
ज) योजनाबद्ध आस्तियों के अपेक्षित प्रतिलाभ पर वास्तविक प्रतिलाभ का आधिक्य	-	-
4. बीमांकित लाभ/हानि स्वीकृत		
क) अवधि के लिए बीमांकित लाभ/(हानि) – उत्तरदायित्व	83.58	(124.23)
ख) अवधि के लिए बीमांकित लाभ/(हानि) – योजनागत आस्तियां	-	-
ग) अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि	(83.58)	124.23
घ) अवधि में स्वीकृत बीमांकित (लाभ)/हानि	(83.58)	124.23
ङ) अवधि के अंत में अस्वीकृत बीमांकित (लाभ)/हानि	-	-
5. तुलन पत्र और लाभ व हानि के विवरण में स्वीकृत राशि		
क) अवधि के अंत में उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	764.46	717.99
ख) अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग) निधिबद्ध स्थिति	(764.46)	(717.99)
घ) अपेक्षित लाभ के संबंध में वास्तविक का आधिक्य	-	-
ङ) अस्वीकृत बीमांकित (लाभ)/हानि	-	-
च) तुलन पत्र में स्वीकृत निबल आस्तियां/ (देयताएं)	(764.46)	(717.99)
6. लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय		
क) वर्तमान सेवा लागत	74.75	70.06
ख) विगत सेवा लागत	-	-
ग) ब्याज लागत	55.35	36.73
घ) योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	-
ङ) कटौती लागत/(क्रेडिट)	-	-
च) निपटान लागत/(क्रेडिट)	-	-
छ) अवधि के अंत में परिभाषित लाभ उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	(83.58)	124.23
ज) लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय	46.53	231.02

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

1.2) प्रत्येक कर्मचारी लाभ के लिए अन्य समग्र आय में स्वीकृत राशि निम्नानुसार है

(₹ लाख में)

कर्मचारी लाभ	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
अर्जित छुट्टी पर बीमांकित लाभ/(हानि)	(78.06)	(45.43)
उपदान पर बीमांकित लाभ/(हानि)	41.98	23.95
एलएफसी पर बीमांकित लाभ/(हानि)	(134.53)	(131.42)
पीआरबीएम पर बीमांकित लाभ/(हानि)	83.58	(124.23)
एसएल पर बीमांकित लाभ/(हानि)	(30.96)	24.33
कुल	(118.00)	(252.79)

4. कम्पनी का मुख्य व्यापार अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्त/पुनर्वित्त मुहैया कराना है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक – 108, प्रचालनिक खंड के अनुसार कम्पनी का एक से अधिक रिपोर्टिंग खंड नहीं है।
5. लेखांकन मानक **एएस-24, संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण के अनुसार**, संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहारों के प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

क) **प्रबंधकीय पारिश्रमिक और संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरण**

(i) **प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**

पूर्णकालिक निदेशक

– श्री पंकज जैन

– प्रबंधक निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार (28.12.2017 से प्रभावी))

निदेशकों से अन्य

– राजीव मुखीजा

– मुख्य महाप्रबंधक – सीएफओ

– श्रीमती मंजरी मिश्रा

– सहायक प्रबंध निदेशक – कंपनी सचिव

(i) **पूर्ण स्वामत्व वाली सहायक कंपनी:**

(क) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनेंस कम्पनी (यूके) लिमिटेड

(ख) आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

(ग) आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड

ख) 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए संव्यवहार:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
(क)	प्रबंधकीय पारिश्रमिक (पूर्णकालिक निदेशक)		
	(i) श्री एस.बी. नायर (पूर्व सीएमडी) (कार्यकाल 11 जून 2017 तक)		
	पारिश्रमिक	-	15.79
	पूर्वापेक्षा	-	0.48
	(ii) श्री संजीव कौशिक (डीएमडी)		
	पारिश्रमिक	-	29.39
	पूर्वापेक्षा	-	5.61

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

(ख)	प्रबंधकीय पारिश्रमिक (निदेशकों के अतिरिक्त अन्य)	
	(i) श्री राजीव मुखीजा (मुख्य महाप्रबंधक – सीएफओ)	
	पारिश्रमिक*	80.08 31.37
	(ii) श्रीमती मंजरी मिश्रा (सहायक महाप्रबंधक-कंपनी सचिव)	
(ग)	पारिश्रमिक*	30.52 19.59
	सहायक/सहयोगी कंपनियों के प्राप्त/वसूली योग्य किराया	
	- 69.78 68.34	
(घ)	आई.आई.एफ.सी.एल. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	69.78 68.34
	आई.आई.एफ.सी.एल. आर्स्टि प्रबंधन कंपनी लिमिटेड	82.49 83.29
	सहायक कंपनियों से वसूल/वसूली योग्य राशि:	
	आई.आई.एफ.सी.एल. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	13.28 15.00
(ङ)	आई.आई.एफ.सी.एल. एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	79.40 61.93
	आई.आई.एफ.सी. (यू.के.) लिमिटेड	- 2.31
	(i) अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान:	
	श्री वी. के. भसीन	- 1.60
	श्री जे. वेंकटेश्वरलू	- 1.00
	(ii) अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को वाहनभत्ते की प्रतिपूर्ति :	
	श्री जे. वेंकटेश्वरलू	- 0.18

* राशि में श्री राजीव मुखीजा और श्रीमती मंजरी मिश्रा को आईआईएफसीएल के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के अनुमोदन के परिणामस्वरूप क्रमशः 29.48 लाख रुपए और 40.92 लाख रुपए की बकाया राशि शामिल

ग) बकाया शेष राशियां

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
i)	पारिश्रमिक एवं अन्य लाभ		
	मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
	पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	-	-
	छुट्टी नकदीकरण (प्रावधान)	-	-
	बीमारी छुट्टी (प्रावधान)	-	-
	उपदान (प्रावधान)	-	-
	भविष्य निधि	-	-
ii)	इक्विटी शेयरों में निवेश :		
	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी :		
	(क) आई.आई.एफ.सी. (यू.के.) लिमिटेड	23,394.80	23,394.80
	(ख) आई.आई.एफ.सी.एल. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	475.00	475.00
	(ग) आई.आई.एफ.सी.एल. आर्स्टि प्रबंधन कंपनी लिमिटेड	1,250.00	1,250.00
	सहायक/सहयोगी कंपनियों से वसूली योग्य राशि		
	(क) आई.आई.एफ.सी.एल. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	0.93	18.35
	(ख) आई.आई.एफ.सी.एल. आर्स्टि प्रबंधन कंपनी लिमिटेड	7.37	0.17
	(ग) आई.आई.एफ.सी. (यू.के.) लिमिटेड	0.34	0.34

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

6. भारतीय लेखांकन मानक-17 के प्रावधान, पट्टा

क) वित्तीय पट्टा: शून्य

ख) प्रचालन पट्टा: कंपनी ने अलग-अलग पट्टा अवधि वाले प्रचालन पट्टों के तहत कार्यालय परिसर लिये हैं जिनकी विगोपन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं:

ख) जनसांख्यिकीय धारणाएं

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
भावी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का जोड़ (सकल निवेश)	-	2,518.08
पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य	-	2,244.06
10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति का प्रतिफल	-	7.56%
भावी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का परिपक्वता स्वरूप		
एक वर्ष से अधिक नहीं	-	1,454.27
एक वर्ष से अधिक लेकिन पांच वर्ष से अधिक नहीं	-	998.01
पांच वर्ष से अधिक	-	65.80
योग	-	2,518.08

7. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक-23, आय प्रति शेयर आय के संदर्भ में प्रति "शेयर आय (मूल एवं तनुकृत) निम्नलिखित तालिकानुसार है:

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	
	शेयर	₹ लाख में	शेयर	₹ लाख में
शेयर का अंकित मूल्य (₹)	10/-		10/-	
इक्विटी शेयर की संख्या (संख्या लाख में)	42,023.16		41,023.16	
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में) (भाजक)	41,779.33		40,902.61	
निवल लाभ (कर के पश्चात) (अंश)		10,165.90		(1,52,812.35)*
प्रति शेयर आय (मूल) (₹)	0.25		(3.42)*	
प्रति शेयर आय (तनुकृत) (₹)	0.25		(3.42)*	

*भारतीय लेखांकन मानक अनुसार पुनः उल्लिखित किया गया

8. कंपनी की अचल आस्तियों को 'कार्पोरेट आस्ति' समझा जाता है नकद सृजन करने वाली इकाई नहीं जैसा कि 'आस्तियों का ह्रास' के विषय में भारतीय लेखांकन मानक-36में परिभाषित है। 31 मार्च, 2019 को परिस्थितियों में ऐसी कोई स्थिति अथवा बदलाव नहीं हुआ जो आस्तियों के ह्रास का संकेत देते हों।

9. "(क) भारतीय लेखांकन मानक 37-प्रावधान आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियों (भारतीय एएस-37) के तहत प्रकटीकरण"

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
प्रस्तावित वेतन संशोधन		
प्रारंभिक शेष	917.28	696.05
अवधि के दौरान वृद्धि	350.02	221.23
वर्तमान देयताओं के प्रति प्रदत्त/हस्तांतरित राशि	(917.28)	-
अंतिम शेष	350.02	917.28

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	11,073.47	10,850.66
अवधि के दौरान वृद्धि	294.72	222.81
अंतिम शेष	11,368.19	11,073.47
अपमानक आस्तियों के प्रति प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	1,28,383.99	23,521.52
अवधि के दौरान वृद्धि	21,907.60	1,06,050.62
एन.पी.ए. को बट्टे खाते में डाले जाने के कारण प्रावधान का प्रतिलेखन	(1,28,383.99)	(1,188.15)
अंतिम शेष	21,907.60	1,28,383.99
पुनःसंरचित आस्तियों के प्रति प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	5,287.72	20,554.72
अवधि के दौरान वृद्धि/समायोजन	(3,687.80)	(15,267.00)
एन.पी.ए. को बट्टे खाते में डाले जाने के कारण प्रावधान का प्रतिलेखन	-	-
अंतिम शेष	1,599.92	5,287.72
संदिग्ध आस्तियों के प्रति प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	95,715.36	55,256.54
अवधि के दौरान वृद्धि	1,25,936.36	1,01,942.30
एन.पी.ए. को बट्टे खाते में डाले जाने के कारण प्रावधान का प्रतिलेखन	(8,331.51)	(61,483.48)
अंतिम शेष	2,13,320.21	95,715.36
कार्यनीतिक ऋण पुनःसंरचित आस्तियों के प्रति प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	-	12,249.30
अवधि के दौरान वृद्धि	(3,840.97)	
एन.पी.ए. में हस्तांतरित होने के कारण प्रावधान का समायोजन किया गया	-	(8,408.33)
अंतिम शेष	-	-
निवेशों में कमी के लिए प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	9,638.96	-
अवधि के दौरान वृद्धि	7,252.00	9,638.96
निवेशों की बिक्री के कारण समायोजित प्रावधान	59.43	-
अंतिम शेष	16,831.53	9,638.96

(ख) अन्य विगोपन:

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
आयकर (निवल)		
प्रारंभिक शेष	(18,825.68)	483.43
अवधि के दौरान वृद्धि	26,004.20	10,179.78
अवधि के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	9,174.32	29,488.82
अंतिम शेष	(1,995.80)	(18,825.68)
यात्रा रियायत छूट		
प्रारंभिक शेष	57.57	59.21
अवधि के दौरान वृद्धि	147.94	149.70
अवधि के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	146.20	151.34
अंतिम शेष	59.31	57.57
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		
प्रारंभिक शेष	717.99	487.07
अवधि के दौरान वृद्धि	46.52	231.02
अवधि के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	0.05	0.10
अंतिम शेष	764.46	717.99

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

छुट्टी नकदीकरण		
प्रारंभिक शेष	-	29.33
अवधि के दौरान वृद्धि	99.65	-
अवधि के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	13.65	(29.33)
अंतिम शेष	86.00	-
बीमारी छुट्टी		
प्रारंभिक शेष	128.83	119.23
अवधि के दौरान वृद्धि	72.9	9.60
अवधि के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	-	-
अंतिम शेष	201.73	128.83
पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन		
प्रारंभिक शेष	-	18.12
अवधि के दौरान वृद्धि	-	8.76
अवधि के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	-	26.88
अंतिम शेष	-	-
व्युत्पन्न पर बाजार हानियां जो बही में अंकित की गईं		
प्रारंभिक शेष	2,141.62	2,381.61
अवधि के दौरान वृद्धि	(452.91)	(239.99)
अवधि के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	-	-
अंतिम शेष	1,688.71	2,141.62

10. आकस्मिक देयताओं एवं प्रतिबद्धताओं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है) के क्षेत्र निम्नलिखित तालिकानुसार हैं:-

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
(क)	आकस्मिक देयताएं:		
	(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें कर्ज के तौर पर अभिस्वीकृत नहीं किया गया: (i) दिनांक 7 मार्च, 2014 के आदेश के अंतर्गत आय कर विभाग द्वारा निर्धारण वर्ष 2008-09 हेतु आय कर की देय राशियों के लिए मांग की गई है। (ii) दिनांक 21 नवम्बर, 2016 के आदेश के अंतर्गत आय कर विभाग द्वारा निर्धारण वर्ष 2014-15 हेतु आय कर की देय राशियों के लिए मांग की गई है। (iii) आयकर विभाग द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर 2018 के आदेश द्वारा आकलन वर्ष 2016-17 के लिए आयकर देयताओं की मांग	159.00 - 682.33	159.00 934.55 -
	(ख) गारंटियां	शून्य	शून्य
	(ग) अन्य धनराशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है: (i) साख पत्र (एलसी) जारी करने के लिए सुविधा पत्र (कंपनी ने स्वीकृत ऋण सहायता के संवितरण के प्रति एलसी की धनराशि बाद में जारी करने के लिए संबंधित उधारकर्ताओं की ओर से एलसी जारी करने में ऋणदाताओं के सहायता संघ में संबंधित अग्रणी को/सदस्य बैंकों को सुविधा पत्र जारी कर दिया है) (ii) ऋण संवृद्धि योजना के तहत दी गई गारंटी	14,185.32 29,380.50	67,202.21 29,800.50
(ख)	प्रतिबद्धताएं:		
	(क) पूंजीगत लेखा पर संविदाओं की वह अनुमानित राशि : जिनका निष्पादन किया जाना शेष है एवं जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:	1,600.08	8,697.86

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं : कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत संविदाओं की वह अनुमानित राशि जिनका निष्पादन किया जाना शेष है (निवल अग्रिम)	589.59	671.33
---	--------	--------

11. विदेशी मुद्रा में उपार्जन एवं व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
(क)	विदेशी मुद्रा में उपार्जन (वास्तविक प्राप्त आईआरएस व्युत्पन्न संविदाओं के तहत प्राप्त ब्याज को छोड़कर):		
(i)	ब्याज	-	-
(ii)	प्राप्त किया गया अनुदान		--
(iii)	प्राप्त लाभांश	-	-
	कुल	-	-
(ख)	ब्याज एवं अन्य मामलों के कारण विदेशी मुद्रा में व्यय (वास्तविक परिव्यय):		
(i)	उधारियों पर ब्याज	59,341.33	58,132.35
(ii)	प्रतिबद्धता प्रभार	-	0.33
(iii)	विदेशी यात्रा	14.76	4.53
(iv)	अन्य व्यय	-	28.81
	कुल	59,356.09	58,166.02

12. उद्यम पूंजी इकाइयों में निवेश

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने आईडीएफसी, सिटी बैंक के साथ कंपनी द्वारा प्रवर्तित आईडीएफसी प्रोजेक्ट इक्विटी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ट्रस्ट ।। की उद्यम पूंजी इकाइयों में शून्य (31 मार्च, 2018 को शून्य) का निवेश किया है। (कंपनी के निवेश की संचयी राशि 9,247.56 लाख रुपये है)। 10,000 लाख रुपये की कुल प्रतिबद्धता में से कंपनी ने उद्यम में निवेशक के तौर पर अंशदान दिया है एवं कंपनी का संयुक्त नियंत्रण नहीं है। चूंकि इस निधि में वितरण योग्य लाभ नहीं होता है इसलिए बही में इस तरह के निवेशों की गणना नहीं ली जाती है। हालांकि कंपनी ने समाप्त वर्ष के दौरान उद्यम पूंजी इकाइयों के मोचन के संबंध में प्रदत्त शून्य कर (31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान शून्य रुपये) सहित शून्य रुपये (31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान 3,537.15 लाख रुपये) की राशि प्राप्त की।

13. कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान 3,934.42 लाख रुपये की निवल आस्थगित कर देयता सृजित की है (आस्थगित कर देयता में 4,021.36 लाख रुपये की वृद्धि एवं आस्थगित कर आस्ति में 86.89 लाख रुपये की कमी)। 31 मार्च, 2018 को समाप्त विगत वर्ष में कंपनी ने 2,690.45 लाख रुपये की निवल आस्थगित कर देयता सृजित की है। (आस्थगित कर देयता में 2,469.49 लाख रुपये की वृद्धि एवं आस्थगित कर आस्ति में 2221.21 लाख रुपये की निवल वृद्धि)

*भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार पुनः उल्लेखित किया गया

14. कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर कंपनी में 31 मार्च, 2010 को ऐसा कोई आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता विद्यमान नहीं है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम के तौर पर पंजीकृत हो। अतः कंपनी में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के प्रति कोई बकाया देयता नहीं है एवं इस अधिनियम के अधीन निर्धारित होने वाली अन्य सूचना शून्य है।

15. व्युत्पन्न लेनदेन

- क) वर्ष 2007-2008 के दौरान कंपनी ने 5,000 लाख रुपये (जापानी येन 2,73,23.62 लाख के कल्पित मूलधन के बराबर) के दो ब्याज दर स्वेप (आईआरएस) लेन-देन किए जो 19 दिसंबर, 2022 को परिपक्व होंगे। इन आईआरएस सौदों के अनुसार, कंपनी जापानी येन की कल्पित राशि पर 7.46 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज का भुगतान करेगी (जिसमें एक सौदे में 5 वर्ष के लिए कूपन भुगतान 1 जापानी येन = 0.3658 रुपये है एवं दूसरे सौदे में 1 जापानी येन = 0.3662 रुपये निश्चित किए गये हैं) कल्पित मूलधन पर 8.82 प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त करेगी। 31 मार्च, 2019 को 1,688.71 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 को 2141.62 लाख रुपये) के उपरोक्त अदला-बदली लेन-देनों पर कंपनी ने काउंटर पार्टी बैंकों द्वारा की गई संगणना व अन्य मूल्यांकनों द्वारा की गई पुष्टि के अनुसार संपूर्ण मार्क-टू-मार्केट हानि का प्रावधान किया है जिसमें 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में 472.91 लाख रुपये की हानि (31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष में 239.99 लाख रुपये की हानि) भी शामिल हैं।
- ख) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान, उपरोक्त टिप्पणी 15 (क) में संदर्भित दो ब्याज दर अदला-बदली (आईआरएस) लेन-देनों में से 2,000 लाख रुपये का कल्पित मूलधन खोला गया, इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त टिप्पणी 15 (क) में संदर्भित ब्याज दर अदला-बदली (आईआरएस) लेन-देनों का कुल कल्पित मूलधन घटकर 8,000 लाख रुपये हो गया।
- ग) कंपनी ने निम्नलिखित बहुपक्षीय संस्थानों से विदेशी मुद्रा की उधारियों पर अस्थिर ब्याज दर के अलावा विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव से संबंधित जोखिमों की बचाव व्यवस्था के लिए निम्न पारस्परिक मुद्रा अदला-बदली स्वेप-समिश्र संविदाएं की हैं:

(₹ लाख में)

संस्था	परस्पर लेन-देन की राशि	
	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):-		
अमेरिकी डॉलर	11,135.38	11,130.42
भारतीय रुपया	667,154.88	6,27,639.90
क्रेडिटेंस्टाल्टफर वेडिराउफबाउ (केएफडब्ल्यू):-		
यूरो	130.95	161.90
भारतीय रुपया	8,000.61	9,891.42
आईबीआरडी विश्व बैंक :-		
अमेरिकी डॉलर	1,759.57	1,854.72
भारतीय रुपया	1,14,719.33	1,20,923.11

उपरोक्त संविदाओं पर काउंटर पार्टी एवं अन्य मूल्यांकनों द्वारा प्रस्तुत मार्क-टू-मार्केट (एम2एम) मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2019 को निवल मार्क-टू-मार्केट (एम2एम) लाभ 99,157.34 लाख रुपये (1,03,978.38 लाख रुपये के सकल लाभ में 4,921.03 लाख रुपये घटाकर) तथा 31 मार्च, 2018 को निवल मार्क-टू-मार्केट (एम2एम) लाभ 97,745.65 लाख रुपये (1,03,933.61 लाख रुपये के सकल लाभ में 11,187.96 लाख रुपये घटाकर) रहा।

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने लेखांकन व्यवहार के लिए कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाले सही लेखांकन व्यवहार पर सलाह देने के संदर्भ में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शदात्री समिति की राय मांगी थी कि विदेशी मुद्रा के ऋण पर किस सीमा तक बचाव व्यवस्था की जाय। इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने दिनांक 22 सितंबर, 2015 को इस विषय पर पत्र के माध्यम से राय दी है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने जून, 2015 में 'व्युत्पन्नी संविदाओं का लेखांकन' पर मार्गदर्शी टिप्पणी भी जारी की है जो 1 अप्रैल, 2016 से लागू है एवं कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से उक्त को लागू कर दिया है। प्रतिवेदन करने की पिछली तिथि से एवं अवधि के दौरान उधारी की आहरण द्वारा गिरावट की तिथि से प्रतिवेदन करने की तिथि को विदेशी मुद्रा की उधारी की राशि पर विनिमय दर में कोई बदलाव होने पर व्युत्पन्नी संविदाओं के उचित मूल्य के प्रति प्रतितुलन किया जाता है एवं किसी प्रकार के लाभ व हानि को नकदी प्रवाह बचाव आरक्षित निधि माना जाता है। व्युत्पन्नी संविदाओं का उचित मूल्य संबंधित काउंटर पार्टियां प्रदान करती हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

इस संबंध में आईआईएफसीएल ने दिनांक 26 दिसंबर, 2016 के पत्र के माध्यम से व्युत्पन्नियों पर मार्गदर्शी टिप्पणी लागू करते समय बचाव व्यवस्था वाली संविदाओं पर मार्केट टू मार्केट/उचित मूल्य के संबंध में आईआईएफसीएल के सामने आ रही समस्याओं से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान को अवगत करा दिया है। इस पत्र की प्रतिलिपि भारतीय रिजर्व बैंक को भी भेजी गयी थी। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा दिनांक 3 मई, 2017 के पत्र के अनुसार यह मामला भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की अनुसंधान समिति को भेजा गया है।

(₹ लाख में)

संस्था	बचाव व्यवस्था की राशि की स्थिति	
	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):-		
अमेरिकी डॉलर	11,135.38	11,130.42
भारतीय रुपया	770,248.69	7,23,968.15
क्रेडिटेंस्टाल्टफर वेडिराउपबाउ (केएफडब्ल्यू):-		
यूरो	130.95	161.90
भारतीय रुपया	10,175.51	13,052.73
आईबीआरडी विश्व बैंक :		
अमेरिकी	1,759.57	1854.72
भारतीय रुपया	1,21,711.55	1,20,638.59

व्युत्पन्नी संविदाओं के लेखांकन पर मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार वित्तीय मुद्रा निवेश (एक्सपोजर्स) का प्रकटीकरण:

(₹ लाख में)

I. आस्तियां	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
		विनियम दर	राशि विदेशी मुद्रा में	राशि ₹ में	विनियम दर	राशि विदेशी मुद्रा में	राशि ₹ में
प्राप्य (व्यापार एवं अन्य)	-	-	-	-	-	-	-
अन्य मौद्रिक आस्तियां (उदाहरणार्थ, आईसीडी / विदेशी मुद्रा में दिया गया ऋण)	-	-	-	-	-	-	-
कुल प्राप्य (क)	-	-	-	-	-	-	-
व्युत्पन्नी संविदाओं द्वारा बचाव (ख)	-	-	-	-	-	-	-
बिना बचाव व्यवस्था वाले प्राप्य (ग=क-ख)	-	-	-	-	-	-	-

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

II. देयताएं	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
		विनियम दर	राशि विदेशी मुद्रा में	राशि ₹ में	विनियम दर	राशि विदेशी मुद्रा में	राशि ₹ में
देय (व्यापार एवं अन्य)	-	-	-	-	-	-	-
उधारियां (ईसीबी एवं अन्य)	यूएसडी यूरो येन	69.1713 77.7024 0.6252	16,121.22 2,257.03 1,00,000.00	11,15,125.63 1,75,376.65 62,520.00	65.0441 80.6222 0.6154	16,224.33 2,317.77 10,000.00	10,55,301.84 1,86,862.86 6,154.00
कुल देय (घ)	यूएसडी यूरो येन	69.1713 77.7024 0.6252	16,121.22 2,257.03 1,00,000.00	11,15,125.63 1,75,376.65 62,520.00	65.0441 80.6222 0.6154	16,224.33 2,317.77 10,000.00	10,55,301.84 1,86,862.86 6,154.00
व्युत्पन्नी संविदाओं द्वारा बचाव (ङ)	यूएसडी यूरो येन	69.1713 77.7024 0.6252	12,894.94 130.95 -	8,91,960.25 10,175.51 -	65.0441 80.6222 0.6154	12,985.14 161.90 -	8,44,606.74 13,052.73 -
बिना बचाव वाले देय (च=घ-ङ)	यूएसडी यूरो येन	69.1713 77.7024 0.6252	3,226.28 2126.08 1,00,000.00	2,23,165.38 1,65,201.05 62,520.00	65.0441 80.6222 0.6154	3,239.19 2,155.87 10,000.00	2,10,695.06 1,73,810.13 6,154.00

III. आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
		विनियम दर	राशि विदेशी मुद्रा में	राशि ₹ में	विनियम दर	राशि विदेशी मुद्रा में	राशि ₹ में
आकस्मिक देयताएं	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिबद्धताएं	-	-	-	-	-	-	-
योग (छ)	-	-	-	-	-	-	-
व्युत्पन्नी संविदाओं द्वारा बचाव (ज)	-	-	-	-	-	-	-
बिना बचाव वाली भुगतान योग्य (झ=छ-ज)	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा में बिना बचाव वाला कुल निवेश (ञ=ग+च+झ)	-	-	-	-	-	-	-

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

घ) विदेशी मुद्रा वाले ऋणों की बिना बचाव वाली स्थिति निम्नलिखित तालिकानुसार है:

(₹ लाख में)

संस्था	बिना बचाव व्यवस्था वाली मुद्रा की राशि	
	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):-		
अमेरिकी डॉलर	3,226.16	3,239.08
भारतीय रुपया	223,157.38	2,10,687.95
क्रेडिटस्टाल्टफर वेडिराउफबाउ (केएफडब्ल्यू):-		
यूरो	126.08	155.87
भारतीय रुपया	9,796.34	12,565.73
आईबीआरडी विश्व बैंक:-		
अमेरिकी डॉलर	0.11	0.11
भारतीय रुपया	7.80	7.15
यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ई.आई.बी.)		
यूरो	2,000.00	2,000.00
भारतीय रुपया	1,55,404.80	1,61,244.40
जापान इंटरनेशनल कोओपरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.)		
जापानी येन	1,00,000.00	10,000.00
भारतीय रुपया	62,520.00	6,154.00

ङ) लेखांकन नीति 6.6.2 के अनुसार, लेखा बंदी की तिथि को प्रचलित विनियम दरें (अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दरें) निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	विनियम दर	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
1	यूएसडालर/भारतीय रुपया	69.1713	65.0441
2	यूरो/भारतीय रुपया	77.7024	80.6222
3	जापानी येन/भारतीय रुपया	0.6252	0.6154

16. बंधपत्र (बांड) मोचन आरक्षित निधि का सृजन

क) निजी स्थान वाले बंधपत्रों के संदर्भ में: कंपनी चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(72) के अर्थ में सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के तौर पर अधिसूचित है जिसकी सूचना संख्या एसओ 143(ई) (एफ.स. 3/5/2008) दिनांकित 14 जनवरी, 2009 है, अतः कार्पोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 11 फरवरी, 2013 के परिपत्र संख्या 04/2013 के अनुसार निजी स्थान वाले बंधपत्रों के संदर्भ में बंधपत्र मोचन आरक्षित निधि का सृजन करने की आवश्यकता नहीं होती है।

ख) सार्वजनिक स्थान वाले बंधपत्रों के संदर्भ में: कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1000 रुपये के अंकित मूल्य के 3,15,631.89 लाख रुपये के, वित्तीय वर्ष 2013-14 में 6,87,754.25 लाख रुपये के कर मूक्त बंध पत्र तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 में 9,096.18 लाख रुपये के दीर्घावधि अवसंरचना बंधपत्र सहित कुल मिलाकर 10,12,482.32 लाख रुपये के बंधपत्र जारी किए।

कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 18(7)(ख) (पप) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 कर धारा 45-आईए के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकृत एनबीएफसी के लिए डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) का सृजन करेगी। डीआरआर की 'पर्याप्तता' वर्तमान सेबी (कर्ज प्रतिभूति का निर्गम एवं सूचीयन) विनियमन, 2008 के अनुसार, सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी डिबेंचरों के मूल्य का 25: होगा। निजी स्थान वाले बंधपत्रों के संदर्भ में डीआरआर की

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

आवश्यकता नहीं होती है। तदनुसार कंपनी ने 31 मार्च, 2019 तक 99,995.05 लाख रुपये (31 मार्च, 2017 तक 81,817.56 लाख रुपये) की बंधपत्र मोचन आरक्षित निधि सृजित की है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान 2.92 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 को 510.05 लाख रुपये) के दीर्घावधि अवसंरचना बंधपत्र की फिर से खरीद की है। तदनुसार, इन बंधपत्रों की वापसी-खरीद को प्रभावी बनाने के पश्चात 31 मार्च, 2019 को डीआरआर सृजित किया गया है।

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार में निहित प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुसार, उल्लेख किया जाता है कि कंपनी ने ऐसे व्यक्तियों, सहयोगियों एवं फर्मों/कंपनियों को ऋण के रूप में कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया है जिनमें निदेशकों का हित हो। इसके अतिरिक्त किसी ऋण (उधारकर्ता) ने कंपनी अथवा इसकी सहयोगी कंपनियों के शेयरों में कोई निवेश नहीं किया है।

17. 1 नवंबर, 2017 से कर्मचारियों के वेतन में संशोधन लंबित है। वेतन संशोधन के लंबित रहते, 1 नवंबर, 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए अनुमानित आधार पर 350.02 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
18. (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने आईआईएफसीएल दिनांक 9 सितंबर, 2013 को सार्वजनिक जमा स्वीकार न करने वाले गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार जारी रखने का पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया।
(ख) एनबीएफसी-आईएफसी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकसम्मत मापदंड कंपनी पर लागू नहीं होते, क्योंकि यह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। एनबीएफसी-आईएफसी के तौर पर पंजीकरण पर सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी होने के कारण कंपनी को सरकार के साथ परामर्श करके एनबीएफसी विनियमन के विभिन्न मूल तत्वों के अनुपालन के लिए रूपरेखा तैयार करना एवं उसे भारतीय रिजर्व बैंक (गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) को प्रस्तुत करना आवश्यक था यथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना संख्या डीएनबीएस पीडी/सीसी सं. 86/03.02.089/2006-07 दिनांकित 12 दिसंबर, 2006 में निर्देशित है। उपरोक्त अपेक्षा के अनुपालन में कंपनी ने दिनांक 21 नवंबर 2014 के पत्र के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को 1 जनवरी, 2015 से भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमनों के विभिन्न मूल तत्वों का अनुपालन करने की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी है।
(ग) कंपनी ने 31 मार्च, 2019 तक 80,838.35 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 को शून्य ऋण खातों में शून्य रुपये) के बकाया शेष वाले 5 खाते पुनर्चित/पुनःसूचीकृत किए हैं एवं 31 मार्च, 2018 को इन खातों में प्रतिभूति के मूल्य में कोई गिरावट नहीं है। टिप्पणी 1(क)(6.7)(अ)का संदर्भ लें।
(घ) लेखांकन नीति सं. 1(क)(6.8) के अनुसरण में 13 मामलों में त्वरित प्रावधानीकरण अपनाने के कारण निम्नानुसार हैं:

i. दिग्घी पोर्ट लिमिटेड

महाराष्ट्र समुद्रीय बोर्ड (एमएमबी), महाराष्ट्र सरकार के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार के तहत दिग्घी पोर्ट का विकास कर रहा है जो 'निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन, सहभागी, अंतरण करें (बूस्ट)' के तहत बालाजी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (बीआईपीएल) द्वारा किया जा रहा है। इसमें पत्तन का विकास, प्रचालन, वित्तपोषण व रखरखाव भी शामिल है। सीडीआर के तहत पुनर्चना के बावजूद परियोजना का कार्यान्वयन पूरा नहीं हुआ है एवं राजस्व प्रवाह अभी तक न्यूनतम बना हुआ है। पत्तन की क्षमता के बढ़ाने का उपयोगिता अभी भी सड़क व रेल की संयोजकता पर निर्भर है जिसमें लगभग तीन वर्ष का समय लगने की संभावना है। इसके अतिरिक्त कंपनी के शेयरधारकों के मतभेदों का निवारण नहीं हो पाया है व प्रवर्तक रणनीतिक निवेशक में निधि लगाने/निदेशकों को जोड़ पाने में असमर्थ हैं। अतः भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 50 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 70 प्रतिशत का प्रावधानीकरण किया गया है।

ii. वेस्ट हरियाणा हाईवेज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

इस परियोजना में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग-10 के बहादुरगढ़-रोहतक खंड पर मौजूदा सड़क का 29.7 किमी से लेकर 87 किमी (लगभग 63.49 किमी) तक का संवर्धन शामिल है। इस सड़क को नियत तिथि अर्थात् 03.05.2008 से 25 वर्ष की अवधि के लिए बीओटी आधार (टोल आधारित) पर छः/चार लेन का कार्य शामिल है। इस परियोजना में रियायत देने वाला प्राधिकरण एनएचएआई है। यह परियोजना भूमि अधिग्रहण में विलंब होने के कारण 01.05.2010 की एससीओडी की तलुना में नवंबर, 2015 में पीसीओडी हासिल किया है। इसके अतिरिक्त टोल का संग्रहण पूर्वानुमान की तुलना में बहुत कम है जो ऋणदाताओं की बकाया राशि के आशोधन के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 50 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 70 प्रतिशत का प्रावधानीकरण किया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

iii. ट्रांसस्ट्राय तिरुपति तिरुथानी चेन्नई टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड

इस परियोजना में 30 वर्ष की अवधि के लिए डिजाइन निर्माण वित्तपोषण प्रचालन अंतरण करें (डीबीएफओटी) आधार पर आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-205 के तिरुपति-तिरुथानी-चेन्नई खंड का 274.800 किमी से 341.60 किमी तक एवं तमिलनाडु में 0.00 किमी से 59.60 किमी चार लेन बनाना शामिल है। परियोजना का रियायत देने वाला प्राधिकरण एनएचएआई है। इस परियोजना ने फरवरी, 2015 में पीसीओडी हासिल कर लिया है। हालांकि परियोजना का टोल संग्रहण बहुत कम है जो ऋणदाताओं की बकाया राशि के आशोधन के लिए पर्याप्त नहीं है। उपरोक्त को देखते हुए, रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार, 30 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 60 प्रतिशत का प्रावधानीकरण किया गया है।

iv. लैनको तीस्ता हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड

इस परियोजना में तीस्ता नदी (तीस्ता प्ट “परियोजना”) पर 500 मेगावाट (4*125 मेगावाट) की नदी हाइड्रोइलेक्ट्रिक बिजली परियोजना का कार्यान्वयन शामिल है। कार्यान्वयन कर्ज पुनर्चना (एसडीआर) की सहायता ली गयी थी एवं ऋणदाताओं ने सामूहिक रूप से आंशिक कर्ज को इक्विटी में परिवर्तित करते हुए 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी का अर्जन किया एवं निश्चित निर्णय की अवधि 23.01.2017 को समाप्त हो गयी है तथा खाता 30.09.2015 से एनपीए के तौर पर वर्गीकृत हो गया है। उधारकर्ता एवं ऋणदाता निरंतर सिक्किम सरकार से इस परियोजना को अपने हाथ में लेने की कोशिश में लगे हैं। इस परियोजना की वर्तमान स्थिति, बार-बार बदलती समयावधि, लागत अत्यधिक बढ़ने एवं अनश्चितता को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 30 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 50 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

v. जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड

आईआईएफसीएल ने अपने टेकआउट वित्त योजना के तहत जून, 2015 में 900 करोड़ रुपये के यमुना एक्सप्रेसवे (प्रवर्तक जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड) की परियोजना का वित्तपोषण किया था। आईडीबीआई बैंक, अग्रणी सहायता संघ के अनुरोध के अनुसार वर्ष 2012 में पीसीओडी हासिल कर लिया गया है जो मूल उद्योगों (5/25 योजना) के प्रति दीर्घावधि परियोजना ऋण की लचीली (फ्लैक्सीबल) पुनर्चना की भारतीय रिजर्व बैंक की योजना के कार्यान्वयन के अधीन नियम व शर्तों के साथ है। इस परियोजना के निकट ओखला पक्षी अभयारण्य होने से एनजीटी द्वारा निर्माण क्षेत्र को घटाने के आदेश के कारण परियोजना में काफी विलंब हुआ जिसके कारण अनुमानित राजस्व प्रभावित हुआ है एवं परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई। बाद में इस आदेश में ढील दी गयी। इस प्रकार परियोजना को विकसित करने की अनुमति मिली। इस बीच 31.12.2016 को खाता अवमानक हो गया। ऋणदाता इस परियोजना के शेषचरण को तेजी से पूरा करने के लिए नए ऋणदाताओं से एकमुश्त अतिरिक्त वित्तपोषण की प्रक्रिया से समस्या का समाधान करने के अनेक प्रयास कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप मेट्रो रेल निर्माण/विमान पत्तन के साथ संयोजकता होने से कंपनी का समग्र राजस्व/वित्तीय स्थिति भी सुधरेगी।

आई.आई.एफ.सी.एल. ने मौजूदा दिशानिर्देशों और आर.बी.आई. के दिनांक 23 जून, 2017 के पत्र के अनुसार, उन ऋण खातों जहां एनसीएलटी कार्यवाही आरम्भ हो चुकी है, में प्रावधानीकरण के लिए दिनांक 31.03.2018 तक 40 प्रतिशत अर्थात् 360 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आर.बी.आई. की दिनांक 12 फरवरी, 2018 की अधिसूचना के अनुसरण में विभिन्न फॉरबियरेंस स्कीमों को समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप, आई.आई.एफ.सी.एल. ने, उन एनसीएलटी मामलों, जहां पहले से ही 50 प्रतिशत का प्रावधानीकरण नहीं किया गया था, में प्रावधानीकरण में 50 प्रतिशत तक सावधानीपूर्वक वृद्धि की है। परिणामस्वरूप, इससे जेपी इंफ्राटेक के 90 करोड़ रुपये के ऋण खाते में 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान हुआ है और इसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आई.बी.सी.) और आर.बी.आई. की दिनांक 12 फरवरी, 2018 की अधिसूचना के अनुसरण में विभिन्न फॉरबियरेंस स्कीमों को समाप्त किए जाने में शामिल मामलों के तहत एनसीएलटी के मामलों के संदर्भ के अनुसरण में बनाए गए अन्य ऋण खातों के प्रावधान के साथ आपवादिक प्रावधान के रूप में प्रदर्शित किया है।

vi. आईवीआरसीएल इंदौर गुजरात टोलवे लिमिटेड

भूमि तथा अन्य अपेक्षित अनुमोदनों में देरी के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में देरी हुई। परियोजना लागत में वृद्धि और समय में वृद्धि को ऋणदाताओं द्वारा अतिरिक्त मियादी ऋण के माध्यम से समर्थित किया गया। तथापि, परियोजना में और देरी हुई तथा वर्तमान में एनएचएआई से एकमुश्त निधि संयोजक वन टाईम फंड (इन्फ्यूशन) की सहायता से क्रियान्वयनाधीन है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 10 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 65 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

vii. सोमा आईसोलक्स सूरत हजीरा टोलवेज लिमिटेड

परियोजना कम टोल संग्रहण के साथ चालू है, जो कि ऋण सेवाओं के लिए पर्याप्त नहीं है। स्ट्रेस्ड एसेट्स की सतत संरचना स्कीम को खाते में प्रस्तावित किया गया परंतु इसे आर.बी.आई. के दिनांक 12.02.2018 के परिपत्र के कारण पूरा नहीं किया जा सका। उधारकर्ता ने एक

समधान योजना प्रस्तुत की है, जो ऋणदाताओं के समक्ष विचाराधीन है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 10 प्रतिशत के अपेक्षित 60 प्रतिशत प्रावधानीकरण की तुलना में का प्रावधान किया गया है।

viii. अटलांटा इंफ्रा एसेट्स लिमिटेड

पी.सी.ओ.डी. के पश्चात्, टोल संग्रहण अपेक्षा से कम था। देयताओं की अदायगी न करने के कारण, खाता आई.आई.एफ.सी.एल. के साथ एन.पी.ए. में चला गया। तदोपरान्त, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने सितम्बर, 2016 में अटलांटा इंफ्राएसेट्स लिमिटेड को 145.214 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया और एन.एच.ए.आई. ने निर्णय को चुनौती दी। नीति आयोग/एन.एच.ए.आई. के दिशानिर्देशों के आधार पर, शीर्ष बैंक (यूनियन बैंक) ने एन.एच.ए.आई. 75: राशि की प्राप्ति के लिए बी.जी. जारी की। आई.आई.एफ.सी.एल. को उसका समानुपातिक शेयर प्राप्त हुए और उसके अनुसार दिनांक 31.03.2017 को खाते को अपग्रेड किया गया। हालांकि, आर्बिट्रेशन के निर्णय के विरुद्ध एन.एच.ए.आई. की अपील दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है, बी.जी. को एन.एच.ए.आई. द्वारा मार्च, 2018 में गैर-नवीकरण के कारण इनवोक किया गया। तदनुसार, दिनांक 31.03.2018 को आई.आई.एफ.सी.एल. में खाता पुनः एन.पी.ए. में चला गया। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 10 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 100 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

ix. साई मातरनी टोलवेज लिमिटेड

अगस्त, 2017 में परियोजना ने पी.सी.ओ.डी. प्राप्त की और टोलिंग आरम्भ की। माईनिंग पर प्रतिबंध के कारण, टोल संग्रहण अपेक्षाकृत कम रहा। इसके कारण, ऋणदाताओं ने प्रबंधन में परिवर्तन के लिए एस.डी.आर. इनवोक करने का निर्णय लिया। तथापि, ऋण का इक्विटी में परिवर्तन नहीं हो पाया। आई.बी.आई. ने दिनांक 12.02.2018 को अपने पत्र के माध्यम से सभी पुनर्संरचना स्कीमों को वापिस ले लिया। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 10 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 60 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

x. एल एंड टी हलोल शामलाजी टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड

पी.सी.ओ.डी. के उपरांत, टोल संग्रहण, आरम्भिक अनुमानों से कम था। एसडीआर को प्रयुक्त किया गया और आंशिक ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया गया। 5/25 के तहत पुनर्संरचना भी की गई। वर्तमान स्थिति में, खाता स्ट्रेस्ड रहना जारी है। उपरोक्त को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 30 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 75 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

xi. पटना बख्तियारपुर टोलवेज लिमिटेड

परियोजना ने पी.सी.ओ.डी. प्राप्त की और अप्रैल, 2015 से टोल संग्रहण आरम्भ किया। नवंबर, 2017 माह के अंत में एल.आई.ई. की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने 46.847 किलोमीटर (92.58:) का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है तथा शेष कार्य अभी पूरा किया जाना है। परियोजना में अत्यंत ट्रैफिक अंडरपरफार्मेंस का सामना करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक टोल राजस्व आरम्भिक अनुमानों की तुलना में कम रहा। कंपनी वित्तीय दबाव में है और प्रमोटरों ने परियोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की अदायगी में असमर्थता व्यक्त की है। दिनांक 31.12.2017 को खाता एन.पी.ए. में परिवर्तित हो गया। उपरोक्त को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 10 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 60 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

xii. हरिद्वार हाईवेज प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

आर.ओ.डब्ल्यू., यूटिलिटी शिफ्टिंग इत्यादि में विलंब के कारण परियोजना को कठिनाई का सामना करना पड़ा। देयताओं की गैर-अदायगी/परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के कारण, जून, 2017 में खाता एन.पी.ए. में परिवर्तित हो गया। चूंकि, परियोजना में अत्यंत देरी हुई और अभी तक, पी.सी.ओ.डी. प्राप्त नहीं हुई है। उपरोक्त को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 10 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 65 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

xiii. एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड

खम्बालिया के निकट सलाया, जिला देव भूमि द्वारका, गुजरात स्थित सब-क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के तहत आयातित कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजना है। "दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान - संशोधित ढांचा" के संबंध में दिनांक 12 फरवरी, 2018 के आर.बी.आई. के परिपत्र के अनुसार, बाह्य एसडीआर प्रबंधन में परिवर्तन की वर्तमान योजना का कार्यान्वयन नहीं हुआ और अतः दिनांक 29 जुलाई, 2017 को कंपनी का खाता अवमानक में परिवर्तित हो गया। जे.एल.एम. में ऋणदाताओं ने एन.सी.एल.टी के तहत कार्यवाहियां आरम्भ करने के विकल्प को शामिल करने का निर्णय लिया। उपरोक्त को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 10 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 60 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

19. लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल है:

विवरण	रुपये लाख में	
	यथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	यथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
(i) लेखा परीक्षा शुल्क	9.00	9.00
(ii) कराधान मामले	1.80	1.80
(iii) प्रमाणीकरण कार्य	3.60	3.60
(iv) 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त छमाही के लिए लेखा परीक्षा शुल्क	2.70	2.70
योग	17.10	17.10

20. विभिन्न निर्धारण वर्ष (षी) के आय कर के लंबित निर्धारण की स्थिति निम्नलिखित तालिकानुसार है:

कर निर्धारण वर्ष	Status
2008-09	आईआईएफसीएल ने आयकर विभाग के दिनांक 7 मार्च, 2014 के आदेश द्वारा निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए 159 लाख रुपये के आयकर देय की मांग के विरुद्ध अपील दायर की है। आयकर आयुक्त (अपील) – 4 ने दिनांक 8 सितंबर, 2015 को आदेश पारित किया है एवं आईआईएफसीएल की अपील खारिज कर दी गयी है। आईआईएफसीएल ने इस आदेश के विरुद्ध दिनांक 16 नवंबर, 2015 को आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की है। आईटीएटी द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2017 के पत्र में मामले को सी.आई.टी. (ए) में रिस्टोर कर दिया गया।
2011-12	दिनांक 13.04.2018 को धारा 154 / 147 / 143(3) के अंतर्गत कर निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ जिसके द्वारा धारा 234क के अंतर्गत 121.15 लाख रुपए का ब्याज मांगा गया था। ब्याज को आकलन वर्ष 2014-15 के रिफण्ड के सापेक्ष समायोजित किया गया था। धारा 154 / 157 के अंतर्गत एक अन्य नोटिस प्राप्त हुआ जिसके द्वारा पूर्ववर्ती 121.15 लाख रुपए के सापेक्ष 135.23 लाख रुपए की ब्याज की मांग उठाई गई थी। कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष ब्याज मांग के सुधार के लिए निवेदन प्रस्तुत किया गया। दिनांक 07.05.2019 को धारा 154 / 147 / 143(3) के अंतर्गत त्रुटिसुधार आदेश जारी किया गया जिसके द्वारा ब्याज राशि घटाकर 69.94 लाख रुपए कर दी गई। अधिशेष राशि को निर्धारण वर्ष 2016-17 की मांग के सापेक्ष समायोजित किया गया।
2013-14	धारा 143(3) के तहत निर्धारण आदेश दिनांक 04.02.2016 को प्राप्त हुआ। यह अपील दिनांक 23.03.2016 को सीआईटी (ए) में दायर की गयी एवं अपील अस्वीकृत किये जाने के पश्चात् आदेश 20.10.2016 को प्राप्त हुआ। दिनांक 19.12.2016 को अपील आईटीएटी में दायर की गयी। 48.31 लाख रुपये की आयकर की मांग जमा कर दी गयी है।
2016-17	धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ। निर्धारण आदेश में प्रतिबंध के विरुद्ध दिनांक 25.01.2019 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई और प्रतिरोध के तहत 137 लाख रुपए की 20 प्रतिशत की मांग जमा कराई गई।

21.

- (क) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने शून्य लाख रुपये निवल बही मूल्य (31 मार्च, 2018 को शून्य रुपये) की वित्तीय आस्तियां आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को सौंप दी हैं। कंपनी ने डीबीओडी.बीपी.बीसी संख्या 98/21.04.132/2013-14 दिनांक 26 फरवरी, 2014 एवं आय मान्यता पर विवेकसम्मत मापदंडों पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र डीएनबीआर(पीडी)सीसी. संख्या 043/03.10.119/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के अनुसार शून्य की निवल कमी को (31 मार्च, 2018 को भी शून्य) आठ तिमाहियों की अवधि में फैला दिया है। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान की शून्य रुपये की राशि को (31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान शून्य रुपये) चार्ज ऑफ कर दिया गया है।
- (ख) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने 72,241.70 लाख रुपये के 7 खातों (31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष में 16 ऋण खातों में 95,685.22 लाख रुपये) को बड़े खाते में डाल दिया है। नोट 1(क)(6.3) देखें।
- (ग) आईआईएफसीएल ने निम्नुसार 16,831.53 लाख रुपए के निवेशों में ह्रास के लिए प्रावधान किया गया है:
- वर्ष 2017-18 के दौरान मैसर्स अधुनिक पॉवर एंड नैचुरल रिसोर्सज लिमिटेड (एपीएनआरएल) 52,000.00 लाख रुपये के मूल और उस पर 2545.99 लाख रुपये के ब्याज तथा अन्य उपरी देयताओं के बकाया ऋण को एडेवीज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ई.ए.आर.सी.), जो कि एक परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है, को 108.18 लाख रुपये के अग्रिम प्राप्य सहित 28,884.95 लाख रुपये की विचारणीय कीमत पर बेचा गया, एपीएनआरएल की इक्विटी शेयर पूंजी 9,710.71 लाख रुपये (अर्थात् 10 रुपये के प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर) और 38,884.95 लाख रुपये की प्रतिभूति रसीद है। ई.ए.आर.सी. ने साथ ही साथ, 10 रुपये प्रत्येक के अनुसार एपीएनआरएल के इक्विटी शेयर कुल 4945.70 लाख रुपये 1.2045 रुपये प्रति शेयर की दर से कुल 595.72 रुपये लाख में खरीदे। तदनुसार, आईआईएफसीएल, एपीएनआरएल के इक्विटी शेयर की बिक्री की कीमत के रूप में ई.ए.आर.सी. द्वारा आईआईएफसीएल को प्रदत्त राशि को उचित मूल्य समझता है। तदनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, एपीएनआरएल में आईआईएफसीएल द्वारा धारित शेष इक्विटी शेयर का मूल्य 1.2045 रुपये प्रति शेयर है, जो कि निवेशों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का 4,191.05 लाख रुपये निबल है।
 - मैसर्स टॉपवर्थ टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में छूट प्राप्तकर्ता के विकल्प के स्थानांतर के परिणामस्वरूप, 8,000.00 लाख रुपये की बकाया ऋण राशि में से 6,078.00 लाख रुपये की राशि को नए छूट प्राप्तकर्ता अर्थात् बंसल पाथवेज प्राइवेट लिमिटेड को वार्षिक रूप से 0.01: कूपन दर से वैकल्पिक कंवर्टिबल रिडीमेबल डिबेंचर्स रखने वाले 0.01: के माध्यम से निष्पादित अथवा जारी किया गया। 1,922.00 लाख रुपये के शेष बकाया ऋण को नए छूट प्राप्तकर्ता, बंसल पाथवेज (मंगावान-चकघाट) प्राइवेट लिमिटेड पर रखा जाएगा। तदनुसार, 5,447.91 लाख रुपये के निवेश में मूल्यह्रास संबंधी प्रावधान को ऋण पर 9.5: की ब्याज दर से बंसल पाथवेज (मनगांव-चकघाट) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी डिबेंचरों पर 0.01: कूपन दर कम करके 25 वर्षों के बाद पुनर्भुगतानयोग्य डिबेंचरों की मूल्य में छूट करते हुए, बही में डाला गया।
 - समाधान योजना के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, अगस्त 2018 में, मैसर्स सूरत हजीरा एनएच-6 टॉलवेज प्रा.लि. के मामले में, 29,024.00 लाख रुपए के निधिबद्ध ऋण जोखिम को, अंतिम तारीख के अनुसार, 15,238 लाख रुपए के धारणीय ऋण और 13,786.00 लाख रुपए के आधारणीय ऋण में परिवर्तित किया गया। अनुमोदित योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, ब्याज दर में कमी, चुकौती अवधि के विस्तार आदि के रूप में राहत प्रदान किया जाना शामिल था। तदनुसार, 7,252.00 लाख रुपए के ह्रास के लिए प्रावधान किया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

घ. 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, निवेश एवं प्रतिभूति रसीदों का प्रकटीकरण:

(₹ in lac)

विवरण	विगत 5 वर्षों में जारी प्रतिभूति रसीदें	5 वर्षों से पहले किंतु विगत 8 वर्ष से कम में जारी की गई प्रतिभूति रसीदें	8 वर्षों से पहले जारी की गई प्रतिभूति
(i) आधारभूत रूप में बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित प्रतिभूति रसीदों का बही मूल्य	54,502.89	-	-
खिलाफ में प्रावधान स्थगन (i)	-	-	-
(ii) आधारभूत रूप में बैंक/वित्तीय संस्थानों/गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियां द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित प्रतिभूति रसीदों का बही मूल्य	-	-	-
खिलाफ में प्रावधान स्थगन (ii)	-	-	-
कुल (i) + (ii)	54,502.89	-	-

22. इस वर्ष के दौरान कंपनी ने उधारकर्ताओं एवं बैंक, पार्टी इत्यादि को पत्र भेजे हैं जिनमें 31 दिसम्बर, 2018 को उधारकर्ताओं व 31 मार्च, 2019 को बैंक, पार्टी इत्यादि द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों को शेषराशि की संपुष्टि के प्रस्तुतिकरण का अनुरोध किया है। 31 मार्च, 2019 को अवसंरचना ऋणों, उधारियों एवं अन्य डेबिट तथा क्रेडिट शेषों के अंतर्गत दर्शाये गये शेषों में से कुछ शेषों की पुष्टि किए जाने एवं पुनर्मिलान के अधीन है एवं प्रबंधन की राय में इस तरह की संपुष्टि व पुनर्मिलान का कोई तात्त्विक प्रभाव नहीं है। इसके अतिरिक्त वित्तीय विवरणों पर कुछ मामलों में ब्याज दरों का पुनः निर्धारण लंबित रहने के कारण इसकी आषा भी नहीं है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कुल 25,22,998.49 लाख रुपये (पिछले वर्ष 30,77,015.95 लाख रुपये) (एनपीए खातों को छोड़कर) की बकाया राशि वाले उधारकर्ता हैं जो बकाया राशि का 90.91 प्रतिशत (पिछला वर्ष 96.79 प्रतिशत) है। महत्वपूर्ण बकाया राशियों वाले बैंकों और अन्य पक्षकारों ने भी 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार डेबिट/क्रेडिट की बकाया राशि की अभिपुष्टियां प्रदान की हैं, जैसा की नीचे उल्लेख किया गया है:

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19		वित्त वर्ष 2017-18*	
	शेष पुष्टि राशि (रुपये लाख में)	पुष्टिकृत शेष का %	शेष पुष्टि राशि (रुपये लाख में)	पुष्टिकृत शेष का %
विदेशी संस्थानों से उधारी	13,53,022.28	100%	12,48,318.70	100%
बैंकों से ओवरड्राफ्ट सुविधा	87,234.04	100%	1,74,390.86	100%
उद्यम पूंजी इकाईयों में निवेश	1,674.87	100%	1,674.87	100%
प्रतिभूति रसीदों में निवेश	54,502.89	100%	58,513.23	100%
सावधि जमा में निवेश	514,458.60	100%	603,064.38	100%
बाँड्स/सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (डिमटेरियलाइजेशन रूप में)	9,786.70	100%	1,28,124.18	100%
म्युचुअल फंड्स में निवेश	25,340.31	100%	29,597.12	100%

*भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार पुनःउल्लेखित

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

23. 15 मई, 2015 को आईसीएआई द्वारा जारी कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के क्रियाकलापों पर हुए व्यय के लेखांकन पर मार्गदर्शी टिप्पणी से संबंधित प्रकटीकरण:

क) सी.एस.आर. व्यय में शामिल विभिन्न व्यय शीर्षों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

रुपये लाख में

क्रम सं.	संगठन का नाम	परियोजना ब्यौरा	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
1	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)	500 महिला कैब ड्राइवरों का कौशल विकास	-	-
2	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल)	रोहतास (बिहार) में सोलर होम लाईटिंग सिस्टम की स्थापना	-	47.25*
3	हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड	बोर्सिमुगुडी (असम) का एकीकृत विकास	3.52*	3.36*
4	भारतीय सौर ऊर्जा निगम	भारत के पिछड़े जिलों में 35,000 सौर लालटेन का वितरण	-	-
5	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल)	1500 सौर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना	43.61*	213.49*
6	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस संगठन	सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में लड़कियों के लिए शौचालय का निर्माण	20.89*	48.75*
7	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचडब्ल्यूएफ), भारत सरकार	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचडब्ल्यूएफ), भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के कैंसर रोगी कोष में योगदान	-	-
8	विवेकानंद केंद्र	स्कूलों में शौचालयों का निर्माण	-	12.15*
9	प्यारी फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट	बागमुंडी (पुरुलिया), पश्चिम बंगाल का एकीकृत विकास	7.84*	-
10	लायंस क्लब ऑफ पलक्काड़	सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में बोर वेल की स्थापना और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में शौचालय का निर्माण	3.93*	10.18*
11	गुड़गांव जिला प्रशासन	गुड़गांव (हरियाणा) में न्यून लागत निदान इकाई का निर्माण	-	-
12	ध्यान फाउंडेशन	घायल जानवरों के लिए चिकित्सा वैन का वितरण	-	-
13	युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमएएस), भारत सरकार	एनएसडीएफ की शीर्ष योजना में योगदान के लिए भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय (एमएएस) को दूसरी किश्त जारी करना।	-	-
14	लोक निर्माण विभाग, रामदेवरा	रामदेवरा (राजस्थान) में शौचालयों का निर्माण	-	-
15	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान	बाल न्यूरोलॉजी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना	-	250.00
16	राष्ट्रीय संस्कृति निधि	राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि में योगदान	146.09*	141.63*
17	राष्ट्रीय खेल विकास कोष	एनएसडीएफ की शीर्ष योजना में योगदान	-	1,000.00*
18	सी.एस.आर. ओवरहेड व्यय		10.01	5.10
कुल योग			235.89	1,731.91

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

ख) सी.एस.आर. व्यय के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

i) समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने वाली अपेक्षित सकल धनराशि 235.89 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 को 1,731.91 लाख रुपये) थी।

ii) वर्ष के दौरान खर्च की गई धनराशि:

रुपये लाख में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष			यथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष		
	नगद	नकद भुगतान किए जाने हेतु	कुल	नगद	नकद भुगतान किए जाने हेतु	कुल
(i) किसी भी आस्ति का निर्माण/अधिग्रहण*	225.88	-	225.88	1,476.81	-	1,476.81
(ii) ऊपर (i) के अलावा अन्य उद्देश्य	10.01	-	10.01	255.10	-	255.10
कुल	235.89	Nil	235.89	1731.91	Nil	1731.91

* किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण में सोलर हाउसहोल्ड लाइटनिंग की स्थापना शामिल है।

24. गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकरण अथवा धारिता) कंपनी विवेकसम्मत मापदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2007 के अनुच्छेद 13 के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचना का विवरण:

रुपये लाख में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2019 के अनुसार		यथा 31 मार्च, 2018 के अनुसार	
	बकाया धनराशि	अतिदेय राशि	बकाया धनराशि	अतिदेय राशि
देयता पक्ष:				
(1) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्राप्त किए गए ऋण व अग्रिम राशि एवं उन पर उपार्जित ब्याज:				
(क) डिबेंचर : प्रतिभूत	14,94,385.35		14,94,388.27	-
: अप्रतिभूत	3,60,000.00		3,60,000.00	-
(सार्वजनिक जमा के अर्थ के अंतर्गत आने वाले डिबेंचरों के अलावा)				
(ख) आस्थगित ऋण	-		-	-
(ग) सावधि ऋण	1,353,022.28		12,48,318.70	-
(घ) अंतर-कारपोरेट ऋण एवं उधार	-		-	-
(ङ) वाणिज्यिक लेखापत्र	-		-	-
(च) अन्य ऋण (अल्पकालिक बैंक ऋण)	87,234.04		1,74,390.86	-
आस्ति पक्ष:		बकाया धनराशि		
		यथा 31 मार्च, 2019 के अनुसार	यथा 31 मार्च, 2018 के अनुसार	
(2) प्राप्त बिल सहित ऋण एवं अग्रिमों का अलग-अलग विवरण (उनके अलावा जो निम्नलिखित (4) में शामिल हैं):				
(क) प्रतिभूत		30,11,940.98	31,61,411.51	
(ख) अप्रतिभूत		5,01,674.64	97,518.86	
(3) एएफसी क्रियाकलापों में गिने जाने वाले किराये पर पट्टाकृत आस्तियों एवं स्टॉक एवं अन्य आस्तियों का अलग-अलग विवरण				
(i) विविध कर्जदारों के अंतर्गत पट्टा किराया सहित पट्टाकृत परिसम्पत्ति:				
(क) वित्तीय पट्टा		-	-	
(ख) प्रचालन पट्टा		-	-	
(ii) विविध कर्जदारों के अंतर्गत किराया प्रभार सहित किराये पर स्टॉक:				
(क) किराये पर परिसम्पत्ति		-	-	
(ख) पुनः कब्जे में ली गई आस्तिया		-	-	
(iii) एएफसी क्रियाकलापों में गिने जाने वाले अन्य ऋण				

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

(क) ऐसे ऋण जहां आस्तियां पुनः कब्जे में ली गई हैं:	-	-
(ख) उपरोक्त (क) के अलावा ऋण	-	-
(4) निवेशों का ब्यौरा:		
वर्तमान निवेश:		
1. उद्भूत:		
(i) शेयर: (क) इक्विटी	-	-
(ख) अधिमानी	-	-
(ii) डिबेंचर एवं बांड	-	-
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(v) अन्य (कृपया उल्लेख करें)	-	-
2. अनुद्भूत:		
(i) शेयर: (क) इक्विटी	-	-
(ख) अधिमानी	-	-
(ii) डिबेंचर एवं बांड	-	-
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(v) अन्य (कृपया उल्लेख करें)	-	-
दीर्घकालिक निवेश:		
1. उद्भूत:		
(i) शेयर: (क) इक्विटी	-	-
(ख) अधिमानी	-	-
(ii) डिबेंचर एवं बांड	-	1,10,834.58
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(v) अन्य (कृपया उल्लेख करें)	-	-
2. अनुद्भूत:		
(i) शेयर: (क) इक्विटी	30,295.83	30,295.83
(ख) अधिमानी	-	-
(ii) डिबेंचर एवं बांड	19,864.00	6,078.00
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	25,340.31	29,597.12*
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	9,786.70	17,289.60
(v) अन्य (इक्विटी शेयर पूंजी में निवेश) उद्यम पूंजी इकाईयों में निवेश)	1,674.87	1,674.87
(v) प्रतिभूति रसीदों में निवेश	54,502.89	58,513.23
कुल	36,54,508.55	35,12,748.72

*भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार पुनःउल्लेखित

(5) उपरोक्त (2) एवं (3) में दिए गए विवरणानुसार वित्तपोषित आस्तियों का समूह-वार उधारकर्ता वर्गीकरण:

श्रेणी	प्रावधानों की निवल धनराशि (यथा 31 मार्च, 2019 के अनुसार)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	योग
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) उसी समूह में कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा	30,84,313.90	-	30,84,313.90
योग	30,84,313.90	-	30,84,313.90

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

श्रेणी	प्रावधानों की निवल धनराशि (यथा 31 मार्च, 2018 के अनुसार)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	योग
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) उसी समूह में कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा*	30,08,365.99	-	30,08,365.99
योग	30,08,365.99	-	30,08,365.99

*भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार पुनःउल्लेखित

(6) शेयर एवं प्रतिभूतियां (उद्धृत एवं अनुद्धृत – दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान एवं दीर्घकालिक) का समूहवार निवेशक वर्गीकरण

श्रेणी	प्रावधानों की निवल धनराशि (यथा 31 मार्च, 2019 के अनुसार)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	योग
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	25,119.80	25,119.80
(ख) उसी समूह में कंपनियां	-	25,340.31	29,597.12
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा	-	5,176.03	5,176.03

श्रेणी	प्रावधानों की निवल धनराशि (यथा 31 मार्च, 2019 के अनुसार)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	योग
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	25,119.80	25,119.80
(ख) उसी समूह में कंपनियां	-	29,597.12	29,597.12
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा	-	5,176.03	5,176.03

*भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार पुनःउल्लेखित

(7) अन्य जानकारी

विवरण	यथा 31 मार्च, 2019 के अनुसार	यथा 31 मार्च, 2018 के अनुसार
(i) सकल अनर्जक आस्तियां		
(क) संबंधित पक्ष	-	-
(ख) संबंधित पक्षों के अलावा	6,51,076.51	5,39,244.45
(ii) निवल अनर्जक आस्तियां		
(a) संबंधित पक्ष	-	-
(b) संबंधित पक्षों के अलावा	3,44,077.28	3,15,145.10
(iii) वे आस्तियां जिनका ऋण शोधन में अर्जन किया गया	Nil	Nil

25. भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना डीएनबीआर (पीडी) सीसी संख्या 002/03.10.001/2014-15 दिनांक 10 नवंबर, 2014 के अनुसार प्रकटीकरण

25.1 पूंजी

(रुपये लाख में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2019 के अनुसार	यथा 31 मार्च, 2018 के अनुसार
टियर I पूंजी	4,76,848.29	4,55,802.23
टियर II पूंजी	11,368.19	11,073.47
कुल पूंजी	4,88,216.48	4,66,875.70
कुल जोखिम भारित आस्तियां	3,581,547.26	38,99,348.53

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

पूंजीगत अनुपात		
कुल जोखिम आस्तियों के प्रतिशत के तौर पर टियर I पूंजी (%)	13.31	11.69
कुल जोखिम आस्तियों के प्रतिशत के तौर पर टियर II पूंजी (%)	0.32	0.28
कुल पूंजी (%)	13.63	11.97
टियर II पूंजी के रूप में अर्जित अधीनस्थ ऋणों की राशि	-	-
सतत ऋण इंस्ट्रुमेंट्स को जारी करने के माध्यम से अर्जित राशि	-	-

*भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार पुनःउल्लेखित

- आईआईएफसीएल को भारत सरकार की ओर से दिनांक 14 मई 2019 को 50,000 लाख रुपए की इक्विटी शेयर पूंजी प्राप्त हुई है।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना आईआरएसी मानकों के अनुसार ऋण आस्तियों और आरबीआई विनियमों के अनुसार संवर्धित प्रावधानों पर सृजित प्रावधान पर विचार करते हुए की गई है। आईआरएसी मानकों और संवर्धित प्रावधानों तक ऊपर सृजित प्रावधानों पर विचार नहीं किया गया है।

25.2 निवेश

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	यथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
1	निवेश का कुल मूल्य		
(i)	निवेश का सकल मूल्य	1,41,464.59	2,54,283.23
(a)	भारत में	1,18,069.79	2,30,888.43*
(b)	भारत के बाहर	23,394.80	23,394.80
(ii)	मूल्यह्रास के प्रावधान -	-	-
(a)	भारत में	16,831.53	9,638.96
(b)	भारत के बाहर	-	-
(iii)	निवेशों का निवल मूल्य	1,24,633.06	2,44,644.27
(a)	भारत में	1,01,238.26	2,21,249.47*
(b)	भारत के बाहर	23,394.80	23,394.80
2	निवेशों के मूल्यह्रास के प्रति धारित प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
(i)	प्रारम्भिक शेष	9,638.96	-
	जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	7,252.00	9,638.96
	घटाए: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधान अपलेखन/प्रतिलेखन	59.43	-
	अधिशेष	16,831.53	9,638.96

*भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार पुनःउल्लेखित

25.3 व्युत्पन्न

25.3.1 अग्रेषित दर करार/ब्याज दर अदला-बदली (स्वैप)

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
1	अदल-बदल करारों का कल्पित मूलधन	8,000.00	8,000.00
2	ऐसी हानियां, जो यदि होती तो प्रतिपक्षी करारों के अंतर्गत अपने दायित्व पूरे करने में विफल रहती	-	-
3	अदल-बदल संपन्न करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित संपात्त्विक	-	-
4	अदल-बदल से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेद्रीकरण	-	-
5	अदल-बदल बही का उचित मूल्य	(1,688.71)	(2,141.62)

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

25.3.2 व्युत्पन्नियों में जोखिम एक्सपोजर:

मात्रात्मक प्रकटीकरण

एनबीएफसी के लिए उस सीमा के विशेष संदर्भ में व्युत्पन्नियों से संबंधित उनकी जोखिम प्रबंधन नीतियों का उल्लेख करना आवश्यक होता है जिनके लिए व्युत्पन्नियों का उपयोग किया गया है तथा संबद्ध जोखिम एवं कारोबार के उद्देश्य पूरे कर लिए गये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 10 नवंबर, 2014 के दिशानिर्देशों के अनुपालन में निम्न प्रकार से इनका प्रकटीकरण (विगोपन) किया जा रहा है:

- I. आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा ऋणों की मुद्रा एवं ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए व्युत्पन्नी लेन-देन करता है। कंपनी ने बचाव व्यवस्था (हेजिंग) वाली नीति बनाई है जो निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित संसाधन एवं कोषागार नीति का हिस्सा है। कंपनी के व्युत्पन्नी लेन-देन इस नीति द्वारा नियंत्रित होते हैं जिनका उपयोग अतिरिक्त देयताओं के अनुसार बचाव व्यवस्था के लिए किया जाएगा।
- II. आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा ऋणों पर उत्पन्न मुद्रा संबंधी जोखिमों (बाजार जोखिमों) और ब्याज दर की बचाव व्यवस्था करने/कम करने के उद्देश्य से व्युत्पन्नी लेन-देन करता है।
- III. आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा ऋणों के विनिमय एवं ब्याज दर की बचाव व्यवस्था के उद्देश्य के लिए व्युत्पन्नी लेन-देन करता है किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। व्युत्पन्नी लेन-देन शब्द निरंतर प्रभावोत्पादकता के लिए तदनुरूपी अतिरिक्त (देयताओं) के साथ मेल खाता है। समान शब्द की संकल्पना के माध्यम से आरंभ के समय उक्त प्रभावोत्पादकता का पता लगाया जाता है।
- IV. आईआईएफसीएल ने व्युत्पन्न लेन-देन की स्थिति और वरिष्ठ प्रबंधन को मासिक आधार पर तथा निदेशक मंडल को तिमाही आधार पर उनके एमटीएम की रिपोर्ट दी। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल के आर एंड टी सलाहकारों द्वारा तिमाही आधार पर एमटीएम की स्वतंत्र निगरानी की जा रही है।
- V. आईआईएफसीएल की बही में विनिमय व्यापार-ब्याज दर व्युत्पन्नियां शून्य हैं।
- VI. आईआईएफसीएल अपनी विदेशी मुद्रा उधारी या लेनदेन एक्सपोजर्स के बचाव के लिए विदेशी मुद्रा ब्याज दर अदल-बदल क्रॉस करेंसी इंटररेस्ट रेट स्वैप का संचालन करता है। मात्रात्मक प्रकटीकरण में दर्शाए गए आंकड़े पृथक् नहीं हो सकते क्योंकि सौदा मूल्य और ब्याज नकदी प्रवाह के लिए समेकित आधार पर बुक किया गया है।
- VII. बचाव एवं गैरबचाव (हेज एवं नान हेज) लेन-देनों के अभिलेखन, आय की पहचान, प्रीमियम व छूट, बकाया संविदाओं का मूल्यांकन, प्रावधानीकरण, संपार्श्विक एवं ऋण जोखिम न्यूनीकरण के लिए लेखांकन नीति का प्रकटीकरण लेखांकन नीति 1(क)(5) में किया जाता है।
- VIII. आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल की प्रबंधन एवं निवेश समिति द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए अनुमोदित संसाधन एवं कोषागार नीति के अनुसार, आई.आई.एफ.सी.एल., कुल एक्सपोजर के 65-70: के बीच अपनी स्थिति को बनाए रखेगा। इसके अतिरिक्त, फारवर्ड प्रीमियम की बचत के साथ सभी खुली स्थिति के विनियम उतार-चढ़ाव अंतर किसी भी समय पर कंपनी के निबल मूल्य के 10: का उल्लंघन नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, यदि पोर्टफोलियो आधार पर, वित्तीय वर्ष में रुपये में 5: या उससे अधिक की गिरावट आती है, आई.आई.एफ.सी.एल. अपनी स्थिति का 75: पर बनाए रखेगा।

जोखिम प्रबंधन संरचना

- क) आईआईएफसीएल जोखिम का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एकीकृत जोखिम प्रबंधन रूपरेखा के अनुसार करता है। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल की संसाधन और कोष नीति को वार्षिक रूप से बोर्ड की प्रबंधन और निवेश समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यह रूपरेखा नीति मार्गदर्शक मापदंड मुहैया कराती है जिसके आधार पर आईआईएफसीएल अपने मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करने के लिए निर्णय लेता है जो विदेशी मुद्रा ऋण के कारण जोखिमपूर्ण होते हैं।
- ख) आईआईएफसीएल ने व्यापार प्रचालनों में जोखिम प्रबंधन का सुदृढीकरण करने के लिए बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड स्तर की आस्ति देनदारी प्रबंधन समिति (एएलसीओ समिति) का गठन भी किया है। एएलसीओ तरलता और ब्याज जोखिमों की निगरानी करती है जिसमें अल्पावधि ऋणों का आवधिक विश्लेषण और आस्ति प्राप्तियों और ऋण सेवा दायित्वों के दीर्घावधिक प्रोफाइल का आवधिक विश्लेषण शामिल होता है। ये व्युत्पन्न संव्यवहार बचाव व्यवस्था (हेजिंग) के उद्देश्य से किए जाते हैं, न कि ट्रेडिंग या सट्टा कारोबार के उद्देश्य से।

निहित जोखिमों के प्रकार

- क्रेडिट जोखिम – क्रेडिट जोखिम में उधारिय की क्रेडिट गुणवत्त में ह्रास से उत्पन्न होने वाली हानि के जोखिम के साथ-साथ यह जोखिम निहित होता है कि उधारया किसी ऋण या अग्रिम के अंतर्गत संविदागत चुकौतियों पर चूक कर सकता है। आईआईएफसीएल में अवसरचना ऋण में क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करने के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन रूपरेखा मौजूद है।
- बाजार जोखिम – बाजार जोखिम, किसी विलेख या विलेखों के पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य (कीमत) में प्रतिकूल परिवर्तन की वजह से उत्पन्न जोखिम होता है। मुद्रा जोखिम रूपए और विदेशी मुद्राओं के बीच विनियम दर में किसी भी परिवर्तन/घटाबढ़ी के कारण उत्पन्न होता है। बाजार दर जोखिम की अनाश्रयता मुख्यतः लंबी अवधि के दौरान ब्याज दरों में परिवर्तनों से होता है। आईआईएफसीएल अपनी कारोबारी गतिविधि के भाग के रूप में बाजार जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों का सामना करती है।
- तरलता जोखिम – तरलता जोखिम, संस्था द्वारा निधियन अपेक्षाओं को पूरा करने या औचित्यपूर्ण कीमत पर उधार ली गई निधियों का उपयोग करने वाले संव्यवहार का कार्यान्वयन करने में विफलता की वजह से होने वाली हानि का जोखिम होता है। बाजार तरलता जोखिम या निधियन तरलता जोखिम हो सकते हैं। आईआईएफसीएल पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों का अनुक्षण करके और संयुक्त ऋण व्यवस्थाओं की पर्याप्त धनराशि के माध्यम से निधियन की सुलभता प्राप्त करके तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है।
- प्रचालनिक जोखिम – प्रचालनिक जोखिम अपर्याप्त प्रणाली और नियंत्रण, सूचना प्रणाली में खामियों, मानवीय त्रुटियों या किसी प्रबंधन विफलता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली हानि का जोखिम होता है। आईआईएफसीएल की प्रचालनिक जोखिम प्रबंधन नीति में प्रचालनिक जोखिमों का प्रबंधन करने की व्यवस्था की गई है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ in lac)

क्रम सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		यथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
(i)	व्युत्पन्न (नोशनल मूल राशि)	7,97,874.82	7,97,874.82	7,66,452.61	7,66,452.61
	बचाव के लिए	7,89,874.82	7,89,874.82	7,58,452.61	7,58,452.61
(ii)	बाजार स्थितियों के लिए चिह्नित(1)	97,273.13	97,273.13	90,604.03	90,604.03
	क. परिसम्पत्ति (+)	103,978.37	103,978.37	1,03,933.61	1,03,933.61
	ख. देयताएं (-)	(6,705.24)	(6,705.24)	(13,329.57)	(13,329.57)
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर	-	-	-	-
(iv)	बिना बचाव वाले एक्सपोजर	5,48,426.66	5,48,426.66	3,90,656.58	3,90,656.58

25.4 प्रतिभूति से संबंधित प्रकटीकरण

परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी के लिए बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण:

रुपये लाख में

क्रम सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	यथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	खातों की संख्या	-	1
(ii)	प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (निबल प्रावधान)	-	38,680.31
(iii)	कुल प्रतिफल	-	54,678.70
(iv)	पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	-	-
(v)	निबल बही मूल्य पर कुल (लाभ)/हानि	-	(132.71)

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

25.5 बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

रुपये लाख में

क्रम सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	यथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	बेचे गए खातों की संख्या	-	1
(ii)	कुल बकाया राशि	-	46,364.09
(iii)	कुल प्राप्त प्रतिफल	-	54,678.70

25.6 आस्ति देयता प्रबंधन

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता प्रतिमान:

रुपये लाख में

विवरण	1 माह तक	1 माह से 2 माह तक	2 माह से 3 माह तक	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
देयताएं									
बैंकों से उधारियां	87,234.94	-	-	-	-	-	-	-	87,234.94
बाजार से उधारियां	-	-	-	-	-	5,388.11	409,660.74	1,439,336.50	1,854,385.35
आस्तियां									
वित्तपोषण के क्रियाकलापों के तहत प्राप्य	32,802.57	21,658.63	57,256.56	191,168.09	243,515.12	1,204,335.31	906,458.66	3,274,938.57	59,32,133.50
निवेश	3,101.90	-	11,355.31	3,152.37	17,889.22	72,102.84	76,699.47	604,183.13	788,484.24
विदेशी मुद्रा परिसम्पत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा देयताएं	3,291.17	-	16,640.71	6,477.35	26,852.85	128,859.86	143,420.39	1,027,480.86	1,353,023.19

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता प्रतिमान:

रुपये लाख में

विवरण	1 माह तक	1 माह से 2 माह तक	2 माह से 3 माह तक	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
देयताएं									
बैंकों से उधारियां	1,74,390.86								1,74,390.86
बाजार से उधारियां	-	-	-	-	-	5,388.11	1,64,306.29	16,84,693.87	18,54,388.27
आस्तियां									
वित्तपोषण के क्रियाकलापों के तहत प्राप्य	63,361.86	3,315.48	53,441.56	1,03,117.52	2,12,794.03	8,39,394.83	9,36,662.25	36,73,489.70	58,85,577.22
निवेश	-	45,678.00	13,000.00	1,60,400.00	5,02,485.00	1,05,00.00	-	43,743.00	7,75,806.00
विदेशी मुद्रा परिसम्पत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा देयताएं	3,094.80	.	15,384.05	5,797.37	24,662.22	1,11,561.64	1,23,584.60	9,64,232.38	12,48,317.06

25.7 एक्सपोजर

25.7.1 भू संपदा क्षेत्र में एक्सपोजर (निवेश)

कंपनी का 31 मार्च, 2019 (पिछला वर्ष शून्य) को भू संपदा क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निवेश नहीं है।

25.7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर निवेश :

रुपये लाख में

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	इक्विटी शेयरों, संपरिवर्तनीय बंधपत्रों, संपरिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटी-उन्मुखी म्यूचुअल फंड यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी मूल निधि का कार्पोरेट ऋण में अन्य रूप से निवेश नहीं किया जाता;;	-	-
(ii)	संपरिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटी-उन्मुखी म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बंध पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अथवा निर्बंध आधार पर अग्रिम;	-	-
(iii)	किसी अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जहाँ शेयर या संपरिवर्तनीय बंधपत्रों अथवा संपरिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुखी म्यूचुअल फंड यूनिटों में प्राथमिक प्रतिभूति के तौर पर लिया गया है;	-	-
(iv)	शेयरों या संपरिवर्तनीय बंधपत्रों अथवा संपरिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुखी म्यूचुअल फंड यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम अर्थात जहाँ शेयरों/संपरिवर्तनीय बंधपत्रों/ संपरिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी-उन्मुखी म्यूचुअल फंड यूनिटों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह कवर करती है;	-	-
(v)	स्टॉक धारकों एवं बाजार निर्माताओं की ओर से जारी स्टॉक ब्रोकरों व गारंटियों के प्रति प्रतिभूत तथा अप्रतिभूति अग्रिम;	-	-
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों का अंशदान पूरा करने के लिए शेयरों/बंधपत्रों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अथवा निर्बंध आधार पर कार्पोरेट को संस्वीकृत ऋण;	-	-
(vii)	प्रत्यक्षित इक्विटी प्रवाह/मुद्दों के खिलाफ कंपनियों को कुल ऋण;	-	-
(viii)	उद्यम पूंजी निधियों के प्रति सभी निवेश (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों);	1,674.87	1,674.87

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

25.8 अतिरिक्त प्रकटीकरण : प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

रुपये लाख में

क्रम सं.	लाभ-हानि विवरण में दर्शाये गये प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग-अलग विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	एन.पी.ए. के प्रति प्रावधान	3,06,390.27	2,90,716.84
(ii)	आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	30,146.01	12,957.70
(iii)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (पुनर्चित खातों एवं एसडीआर खातों सहित)	1,22,339.77	136,386.53

*भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार पुनःउल्लेखित

25.9 अग्रिम, निवेश एवं एन.पी.ए. का संकेंद्रण:

(i) अग्रिमों का संकेंद्रण

रुपये लाख में

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
बीस सबसे बड़े उधारकर्ता को कुल अग्रिम	15,67,399.20	13,47,555.56
एन.बी.एफ.सी. के कुल अग्रिमों के प्रति बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	41.54%	41.02%

(ii) एक्सपोजर का संकेंद्रण

रुपये लाख में

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
बीस सबसे बड़े उधारकर्ता को कुल अग्रिम	15,67,399.20	13,47,555.56
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर एन.बी.एफ.सी. के कुल एक्सपोजर के प्रति बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को एक्सपोजर का प्रतिशत	41.54%	41.02%

(iii) एन.पी.ए. का संकेंद्रण

रुपये लाख में

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
शीर्ष चार खातों का कुल एक्सपोजर	1,97,032.02	2,20,256.40

(iv) क्षेत्रवार एनपीए

रुपये लाख में

क्रम सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के प्रति एन.पी.ए. का प्रतिशत	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	-	-	-
2	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-	--
3	कारपोरेट उधारकर्ता 18.53%	16.55%*	-	-
4	सेवाएं	-	-	-
5	अप्रतिभूत व्यक्तिगत ऋण	-	-	-
6	ऑटो ऋण	-	-	-
7	अन्य व्यक्तिगत ऋण -	-	-	-

* भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार पुनःउल्लेखित

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

(v) एन.पी.ए. में उतार चढ़ाव:

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)	9.84%	7.63%*
(ii)	एन.पी.ए. में उतार चढ़ाव (सकल)		
	(क) प्रारम्भिक शेष	5,39,244.45	2,65,200.68
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,19,361.95	4,70,373.41
	(ग) वर्ष के दौरान कटौतियाँ/बट्टे के खाते में डालना	1,07,529.89	1,96,329.64
	(घ) अंतिम शेष 6,51,076.51	5,39,244.45	
(iii)	निवल एन.पी.ए. में उतार चढ़ाव		
	(क) प्रारम्भिक शेष	1,48,527.61	1,86,422.62*
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,77,279.26	2,92,362.54*
	(ग) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	19,806.78	1,48,300.13*
	(घ) अंतिम शेष	3,45,613.65	1,48,527.61*
(iv)	एन.पी.ए. के प्रावधानों में उतार चढ़ाव (मानक आस्तियों के प्रावधान को छोड़कर)		
	(क) प्रारम्भिक शेष	2,90,716.84	104,465.21*
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	42,082.69	178,010.87*
	(ग) अधिक प्रावधान का कटौतियाँ/बट्टे के खाते में डालना	87,723.11	48,029.50*
	(घ) अंतिम शेष	3,06,462.86	2,90,716.84*

*भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार पुनःउल्लेखित

25.10 ग्राहक शिकायतें

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(क)	वर्ष के आरम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	584	550
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	584	550
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0

25.11 अतिरिक्त प्रकटीकरण

क्रम सं.	प्रकटीकरण	टिप्पणी
(i)	अन्य वित्तीय नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/ लाइसेंस/ प्राधिकारपत्र	कार्पोरेट मामले मंत्रालय से प्राप्त कार्पोरेट पहचान संख्या U67190DL2006GOI144520
(ii)	वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट रेटिंग एवं रेटिंगों का स्थानांतरण	कंपनी द्वारा जारी घरेलू बांडों के लिए विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट एएए स्टेबल वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एस एंड पी बीबीबी-है। चालू वर्ष 2018-19 के दौरान रेटिंग में कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है।
(iii)	किसी नियामक द्वारा लगाया गया जुर्माना, यदि कोई हो,	शून्य
(iv)	सूचना अर्थात् क्षेत्र, देश और संयुक्त उद्यम साझेदार	
	(क) संयुक्त उद्यम	कोई नहीं।
	(ख) विदेशी सहायक कंपनी	आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड, जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है, जो लंदन, यूके से प्रचालन करती है एवं भारत में अवसंरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है।

25.12 पुनर्रचित खातों का प्रकटीकरण

क्रम सं.	पुनर्रचना का प्रकार		सीडीआर तंत्र के तहत	एसएमई कर्ज पुनर्रचना तंत्र के तहत	अन्य (रूपये लाख में)						कुल (रूपये लाख में)			
	आस्तियों का वर्गीकरण	विवरण	कुल	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	01.04.2018 को पुनर्रचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	5	11	8	-	24	5	11	8	-	24
		बकाया राशि	-	-	75,675.47	119,635.17	59,990.11	-	255,300.75	75,675.47	119,635.17	59,990.11	-	255,300.75
		उनके संबंध में प्रावधान	-	-	3,783.78	12,776.02	55,256.54	-	71,816.34	3,783.78	12,776.02	55,256.54	-	71,816.34
2	वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान नई पुनर्रचना	उधारकर्ताओं की संख्या			-	9	20	-	29	-	9	20	-	29
		बकाया राशि			-	1162,253.54	151,739.69	-	313993.23	-	1162,253.54	151,739.69	-	313993.23
		उनके संबंध में प्रावधान			-	6,225.35	19,214.38	-	25439.73	-	6,225.35	19,214.38	-	25439.73
3	वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्रचना का मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या												
		बकाया राशि												
		उनके संबंध में प्रावधान												
4	ऐसी पुनर्रचित मानक अग्रिम जिनका वित्तीय वर्ष के अंत में उच्चतर प्रावधानीकरण एवं/अथवा अतिरिक्त जोखिम भारित होना समाप्त हो गया हो इसलिए उन्हें अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 के आरम्भ में पुनर्रचित मानक अग्रिमों के तौर पर दर्शाये जाने की आवश्यकता न हो।	उधारकर्ताओं की संख्या												
		बकाया राशि												
		उनके संबंध में प्रावधान												

क्रम सं.	पुनर्रचना का प्रकार		सीडीआर तंत्र के तहत	एसएमई कर्ज पुनर्रचना तंत्र के तहत	अन्य (रुपये लाख में)						कुल (रुपये लाख में)			
	आस्तियों का वर्गीकरण	विवरण	कुल	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
5	वित्तीय वर्ष 2019-18 में पुनर्रचित खातों की श्रेणी में गिरावट	उधारकर्ताओं की संख्या बकाया राशि उनके संबंध में प्रावधान			-	19				-	19	-		
6	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्रचित खातों को बड़े खातों में डालना	उधारकर्ताओं की संख्या बकाया राशि उनके संबंध में प्रावधान				1,31,749.69				-	1,31,749.69	-		
7	31.03.2019 को पुनर्रचित खाते (सामान्य आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या बकाया राशि उनके संबंध में प्रावधान			75,675.47	1,50,139.02	2,11,729.80		1407544.29	75,675.47	1,50,139.02	2,11,729.80		1407544.29
					3,783.78	996.43	74,470.92		79251.13	3,783.78	996.43	74,470.92		79251.13

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

25.13 विदेश में स्थित आस्तियां (विदेशों में संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों के लिए)

संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम	संयुक्त उद्यम में अन्य साझेदार	देश	कुल परिसम्पत्ति (राशि यू.एस.डी. में)
आई.आई.एफ.सी. (यूके) लिमिटेड	कोई नहीं	यूनाइटेड किंगडम	शून्य. आईआईएफसीएल के पास आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड की कोई विदेशी आस्ति नहीं है।

26. पूंजी प्रबंधन:

भारतीय लेखांकन मानक 1, वित्तीय विवरण का प्रस्तुतीकरण, के पैरा 134–136 के अपेक्षा के अनुसार, पूंजी प्रबंधन से संबंधी प्रकटीकरण के संदर्भ में, उल्लेख किया जाता है कि आरबीआई विनियमों के अनुसार आईआईएफसीएल, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – अवसंरचना वित्तियन कम्पनी (एनबीएफसी – आईएफएसएल) से स्वयं की निधियों के रूप में संदर्भित, पूंजी को अनुरक्षित करना अपेक्षित है।

आरबीआई मास्टर डायरेक्शन के अनुसार – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-डिपॉजिट लेने वाली कंपनी और डिपॉजिट लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) के निदेश, 2016, स्वामित्व वाली निधि का अर्थ है इक्विटी पूंजी, वरीयता शेयर जो अनिवार्य रूप से इक्विटी, मुक्त आरक्षित निधि में परिवर्तनीय हैं, शेष प्रीमियम खाते और पूंजी भंडार में संतुलन, आस्ति की बिक्री आय से उत्पन्न अधिशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा बनाए गए भंडार को छोड़कर, संचित हानि संतुलन, अमूर्त संपत्तियों की बुक वैल्यू और आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, द्वारा कम किया जाता है।

भारत सरकार ने समय समय पर आईआईएफसीएल में पूंजी निवेश किया है। इससे आईआईएफएल आरबीआई द्वारा निर्धारित पूंजी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में समर्थ रही है। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल भारत सरकार के निदेशों के अधीन पूंजी पर लेखा प्रभाव अर्थात् निवल स्वामित्व वाली निधियों को ध्यान में रखते हुए लाभांश के वितरण पर विचार करती है। रिपोर्टिंग वर्षों के दौरान पूंजी प्रबंधन के संबंध में उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

27. निवेश और सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम), वित्त मंत्रालय ने 27 मई 2016 के कार्यालय ज्ञापन एफ.ए. 5/1/2016-नीति द्वारा "सीपीएसई की पूंजी पुनर्संरचना पर दिशानिर्देश" जारी किए। दिशानिर्देशों में पीएसयू द्वारा लाभांश के भुगतान, बोनस शेयरों के निर्गम, शेयरों की वापस खरीद और शेयरों के विभाजन का प्रावधान किया गया है। बोनस शेयरों के निर्गम, शेयरों की वापस खरीद और शेयरों के विभाजन संबंधित दिशानिर्देश आईआईएफसीएल पर लागू नहीं होते। लाभांश के भुगतान से संबंधी दिशानिर्देश के अनुसार, आईआईएफसीएल द्वारा पीएटी का 30 प्रतिशत या निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का वार्षिक लाभांश का भुगतान किया जाना अपेक्षित है, जो मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत्त अधिकतम लाभांश के अधीन होगा। तथापि, आईआईएफसीएल ने 14 जनवरी 2016 के पत्र के जरिए सरकार को कम से कम 3 वर्षों के लिए लाभांश के भुगतान से छूट के लिए अनुरोध किया था। जो वित्तीय वर्ष 2015–16 में 36,323.41 लाख रुपए, वित्तीय वर्ष 2016–17 में 37,119.74 लाख रुपए, और वित्तीय वर्ष 2017–18 में 31,995.93 लाख रुपए और वित्तीय वर्ष 2018–19 में 23,442.79 लाख रुपए बनता है। आईआईएफसीएल के उत्तर की प्रतीक्षा है।

28. वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षा के क्रम में, लेखा परीक्षकों ने निम्नानुसार इंगित किया है:

क) # कम्पनी आरबीआई द्वारा जारी आईआरएसी विवेकपूर्ण मानकों/संभावित ऋण हानि मॉडल के आधार पर ऋण आस्तियों के संबंध में प्रावधान सृजित कर रही है और कर व्ययों की गणना इनको निवल लाभ में वापस जोड़कर कर रही है। आईसीएआई द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक 12 "आयकर" में निर्धारित किया गया है कि यदि किसी भी मद के कारण कर देनदारी के संबंध में कोई अस्थायी अंतर होता है, तो उसके प्रभाव पर विचार करना होगा। इस तथ्य को देखते हुए कि ऐसे प्रवधानों के भाग की अनुमति अनवर्ती वर्षों में अधित्याग के आधार पर दी जाती है, इससे अस्थायी अंतर उत्पन्न होते हैं। आज अदा किए जा रहे अधिक कर की क्षतिपूर्ति अनुवर्ती अवधि में अनुवर्ती अवधि में कम कर देनदारी द्वारा की जाती है। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी 12 में अपेक्षा की गई है कि ऐसे मामलों में अस्थायी अंतरों की सीमा तक आस्थगित कर आस्तियों का सृजन किया जाए। हमारे मतानुसार, अधित्याग की प्रतिशतता के संबंध में विगत अनुभव के आधार पर, आस्थगित कर आस्तियां सृजित किया जाना आवश्यक है। इसे प्रभाव का आकलन करना आवश्यक है। उपर्युक्त के दृष्टिगत, हम लाभ हानि विवरणों और आरक्षित निधियों पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

आईआईएफसीएल का मत है कि ऋण आस्ति तथा हानि आस्ति के प्रतिलेखन के प्रावधान दो अलग मदें हैं और ऋण आस्तियों में प्रावधानों का सृजन और वापसी अस्वीकार्य है क्योंकि व्यय/आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 के

तहत आते हैं। इसलिए, भारतीय लेखांकन मानक 22 के अनुसार, आस्थगित कर आस्तियों के सृजन के उद्देश्य के लिए कोई समय अंतर नहीं है। तदनुसार, आईआईएफसीएल को कोई अमूर्त आस्ति अर्थात् आस्थगित कर आस्ति का सृजन करने की आवश्यकता नहीं है।

इस मामले में अपने विचारों को पुनः प्रवर्तित करने के क्रम में, आईआईएफसीएल ने अपने दिनांक 24 नवंबर, 2017 के पत्र के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण आस्तियों के प्रावधान के संबंध में आस्थगित कर आस्ति के सृजन के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 5 फरवरी, 2018 के अपने ई-मेल के माध्यम से आईआईएफसीएल को इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से संपर्क स्थापित करने की सलाह दी।

भारतीय रिजर्व बैंक के उत्तर के अनुसरण में, आईआईएफसीएल ने दिनांक 19 मार्च, 2018 के अपने पत्र के माध्यम से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि क्या आईआईएफसीएल को ऋण आस्तियों के प्रावधान के संबंध में आस्थगित कर परिसम्पत्ति सृजन करने की आवश्यकता है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ई.ए.सी.) ने दिनांक 11 मई, 2018 के अपने पत्र के माध्यम से आईआईएफसीएल को यह सूचित किया कि आपके द्वारा उठाया गया प्रश्न ए.बी.एफ.सी. के लिए एक सामान्य मुद्दा है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर देने के लिए किया गया है। यह सूचित किया जाता है कि सामान्य लेखांकन मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) द्वारा दिया जाता है।

तदनुसार, आईआईएफसीएल ने दिनांक 20 जून, 2018 के अपने पत्र के माध्यम से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) से यह स्पष्ट करने के लिए अनुरोध किया कि क्या आईआईएफसीएल को ऋण आस्तियों के प्रावधान के संबंध में आस्थगित कर परिसम्पत्ति सृजन करने की आवश्यकता है। आईसीआईए के एएसबी ने, 24 अगस्त 2018 के ईमेल द्वारा आईआईएफसीएल को सूचित किया कि अशोध और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान लेखा पुस्तिकाओं में वास्तविक अधित्याग का अग्रगामी होता है और लेखों में उक्त प्रावधान की अनुमति एक अवधि के बाद प्रावधान और अधित्याग के संयोजन के रूप में कर प्रयोजनों के लिए कटौती के रूप में की जाती है, यदि कर प्रयोजनों के लिए कटौती के रूप में अनुमत्त प्रावधान लेखों में किए गए प्रावधान से कम हो, तो ऋण आस्ति के प्रावधान पर आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) का सृजन किया जाना अपेक्षित होता है। तथापि, आईआईएफसीएल ने 23 अक्टूबर 2018 द्वारा लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) से ऋण आस्तियों पर आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) का सृजन न करने के लिए विवेकपूर्ण परिपाटी स्थापित करने के लिए एक सुविचारित मत लेने के लिए स्पष्टीकरण मांगा। आईआईएफसीएल के पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा है।

- ख) सहायक कंपनी में निवेश को उचित मूल्य के बजाय लागत पर ले जाने के लिए महत्व दिया गया है। सहायक कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों के अनुसार, कंपनी का निवल मूल्य भी समाप्त हो गया है। जैसा कि हमें समझाया गया है, यूके की सहायक कंपनी का वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय लेखांकन मानक) के तहत तैयार किया गया है और एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल के तहत भारी प्रावधान किए गए हैं। हालाँकि, कंपनी में संपूर्ण उधार की गारंटी भारत सरकार और आरबीआई द्वारा दी गई है। प्रबंधन की राय में, आईआईएफसी यूके के वित्तीय विवरण चिंता की वजह से तैयार किए जाते हैं और वे पूंजी में कंपनी द्वारा 233.95 करोड़ का निवेश में किसी भी क्षरण की उम्मीद नहीं करते हैं।

जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है आईआईएफसीह यूके आईआईएफसीएल की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली अनुषंगी है, निवेश के उचित मूल्य का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसलिए, सहायक कंपनी में निवेश के उचित मूल्यांकन की अनुपस्थिति में, हम क्षति, यदि कोई हो, पर कोई टिप्पणी देने में असमर्थ हैं।

प्रबंधन का उत्तर:

आईआईएफसीएल ने, आईआईएफसी (यूके) को सतत प्रतिष्ठान मानते हुए और कम्पनी को हुए घाटे को स्थायी नहीं मानते हुए, आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में धारित इक्विटी शेयर पूंजी के ह्रास को हानि नहीं माना है। निवेदन किया जाता है कि इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी (यूके) लिमिटेड (आईआईएफसी (यूके)) की एक विनिर्दिष्ट स्तर पर पूंजी अनुरक्षित करने की कोई विनियामक अपेक्षा नहीं है। तथापि, आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2008 से 2010 तक (आईआईएफसी (यूके) में 50 मिलियन अमरीकी डॉलर का इक्विटी निवेश किया। (आईआईएफसी (यूके) ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में 30 मिलियन अमरीकी डॉलर का और वित्तीय वर्ष 2015-16 में 50 मिलियन अमरीकी डॉलर लाभांश घोषित किया जिसका योग 50 मिलियन डॉलर बनता है।

यह प्रकटीकरण को, वर्ष 2018-19 के लिए आईआईएफसीएल के वार्षिक लेखों पर चरण-।।। लेखापरीक्षा के आधे हाशियों में अवलोकन के लिए लेखा परीक्षा के क्रम में प्रधान वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक कार्यालय, सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-।।।, नई दिल्ली को दी गई आवश्चितियों/उत्तरों के अनुसरण में वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रण के चरण में, अद्यतन किया जाता है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

- इसके अतिरिक्त, आरबीआई परिपत्र 12 फरवरी 2018 (बलाघातित परिसम्पत्तियों का समाधन – संशोधित रूपरेखा) का निर्गमन जिसके परिणामस्वरूप सभी योजनाओं को वापस लिया गया जैसे संतप्त अस्तियों का पुनरुद्धार, सीडीआर, मौजूदा दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना, एसडीआर, एसडीआर से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन; और
- ऋण-अशोधन और दिवालियापन संहिता का कार्यान्वयन जिसके परिणामस्वरूप एनपीए मामलों को अनिवार्यतः समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए एनसीएलटी को संदर्भित किया जा रहा है।

आईआईएफसीएल की तर्ज पर इसी प्रकार का ऋण पुस्तिकाओं में गहन प्रावधानीकरण और सफाई आईआइएफसी (यूके) में आरंभ किया गया। इसके परिणामस्वरूप आईआईएफसी (यूके) के निवल मूल्य का ह्रास हो गया।

आईआईएफसीएल आईआइएफसी (यूके) में 10 वर्ष की अवधि तक 250 मिलियन डॉलर तक का इक्विटी निवेश के अभिदान के माध्यम से आईआइएफसी (यूके) में नई पूंजी मुहैया कराने का इरादा रखती है।

चूंकि आईआईएफसीएल पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान वित्तीय सेवा गतिविधियों से निवल लाभ अर्जित करने के मापदंड पूरे नहीं कर रही है (जो आरबीआई के फेमा विनियमों के अनुसार एक अपेक्षा है), और इसकी टीयर 1 पूंजी में सहायक/समूह कम्पनियों में निवेश करने की गुंजाइश नहीं है, कम्पनी ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से आरबीआई के फेमा विनियमों के अनुसार अनुमोदन प्रदान करने और आईआईएफसीएल को, विनियामक कोण से टीयर 1 पूंजी में क्षति के बिना आईआइएफसी (यूके) लिमिटेड में निवेश की अनुमति देने का अनुरोध किया। आरबीआई ने 29 मार्च 2019 के पत्र द्वारा फेमा के दृष्टिकोण से आईआईएफसीएल के अनुरोध को अनुमोदित किया, किंतु 4 जुलाई 2019 के पत्र द्वारा विनियामक कोण से आईआइएफसी (यूके) में निवेश करने के आईआईएफसीएल के अनुरोध को नहीं माना। आईआईएफसीएल सहायक समूह में निवेश के लिए गुंजाइश बढ़ाकर आईआइएफसी (यूके) में नई पूंजी मुहैया कराने का इरादा रखती है।

29. आईआईएफसीएल ने पीएफसी (अग्रणी ऋणदाता) और आरईसी के साथ कन्सोर्टियम बनाकर इंड-भारत पॉवर (मद्रास) लिमिटेड (आईबीएमपीएल) को तुतिकोरिन, तमिलनाडु में 1600 मेगावाट के कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना का आंशिक वित्तियन किया है। आईआईएफसीएल ने एक्सिस बैंक में अनुरक्षित टीआरए खाते में 25,000 लाख रुपये संस्वीकृत किए और 8,924 लाख रुपये संवितरित किए थे। कंसोर्टियम ने ऋण को प्रत्याहारित करे ईओडब्ल्यू, दिल्ली पुलिस में 8 फरवरी 2018 को एक आपराधिक शिकायत दर्ज की जिसकी जांच चल रही है। खाते में गतिविधियों की रिपोर्ट आईआईएफसीएल के बोर्ड को 22 मार्च, 2018 को आयोजित बैठक में दी गई थी और 28 मार्च, 2018 को आरबीआई को धोखाधड़ी की घटना की सूचना दी गई।
30. नीति संख्या 1(क)(6.2)(क)(क) के अनुसरण में, कुल आय की अधिकतम 0.5 प्रतिशत ऋण आस्तियों में प्रत्यक्षत आरोप्य अग्रिम शुल्क, व्यावसायिक शुल्क या किसी अन्य शुल्क को प्रारंभिक तौर पर लाभ हानि विवरण में बीमांकिक आधार स्वीकृत किया गया है।
31. **भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय लेखांकन मानक 101) का प्रथम बार अंगीकरण:**

ये विवरणीय भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार कम्पनी की पहली वित्तीय विवरणीय हैं। भारतीय लेखांकन मानक 101, भारतीय लेखांकन मानकों का प्रथम अंगीकरण, किसी निकाय के लिए पूर्वावधि अवधियों के लिए इक्विटी, कुल व्यापक आय और नकद प्रवाहों का समाशोधन करना अपेक्षित करता है। निम्नलिखित सारण विगत जीएएपी से भारतीय लेखांकन मानकों में समाशोधन को दर्शाती है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

इक्विटी का समाशोधन:

रुपये लाख में

विवरण	31 मार्च 2018	1 अप्रैल 2017
विगत जीएएपी के अनुसार कुल इक्विटी	640,154.76	742,394.89
समायोजन		
निवेशों का उचित मूल्यांकन	6,596.27	5,014.35
कर्मचारी ऋणों का उचित मूल्यांकन		-
संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल)	(186,641.37)	(147,889.81)
प्रतिभूति जमाओं का उचित मूल्यांकन		-
कर समायोजन	(761.04)	(578.46)
भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कुल इक्विटी	459,350.32	598,940.97

कुल व्यापक आय का समाशोधन:

रुपये लाख में

विवरण	31 मार्च 2018
विगत जीएएपी के अनुसार करोपरांत लाभ	(115,460.98)
समायोजन	
निवेशों का उचित मूल्यांकन	1,582.77
संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल)	(38,751.56)
कर समायोजन	(182.59)
भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार करोपरांत लाभ	(152,812.35)

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाहों के विवरणों पर भारतीय लेखांकन मानक का प्रभाव:

रुपये लाख में

विवरण	आईजीएपी	समायोजन	भारतीय लेखांकन मानक
प्रचालनिक गतिविधियों से निवल नकद	(82,311.96)	-	(82,311.96)
निवेश गतिविधियों से निवल नकद	(5,466.22)	-	(5,466.22)
वित्तियन गतिविधियों से निवल नकद	88,927.32	-	88,927.32
नकद और नकद समतुल्यों में निवल कमी	1,149.14	-	1,149.14
1 अप्रैल 2017 को नकद और नकद समतुल्य	689.81	-	689.81
31 मार्च 2018 को नकद और नकद समतुल्य	1,838.95	-	1,838.95

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

रुपये लाख में

31 मार्च 2018 और 1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र पर भारतीय लेखांकन मानक अंगीकरण का प्रभाव

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018			01.04.2017		
		विगत जीएएफ़ी	भारतीय लेखांकन मानक का अंतरण पर समायोजन	Ind AS	विगत जीएएफ़ी	भारतीय लेखांकन मानक का अंतरण पर समायोजन	Ind AS
I	आस्तियां						
1	वित्तीय आस्तियां						
(a)	नकद और नकद समतुल्य	1,838.95	-	1,838.95	689.81	-	689.81
(b)	उपरोक्त से अन्य बैंक शेष	603,064.38	-	603,064.38	420,509.38	-	420,509.38
(c)	व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	92,745.65	-	92,745.65	97,744.74	-	97,744.74
(d)	प्राप्य राशियां	-	-	-	17.25	-	17.25
(e)	ऋण	3,258,930.37	-	3,258,930.37	3,407,426.94	-	3,407,426.94
(f)	निवेश	238,047.15	6,597.12	244,644.27	193,276.79	5,014.35	198,291.14
(g)	अन्य वित्तीय आस्तियां	69,139.78	-	69,139.78	74,251.02	-	74,251.02
	उप योग (1)	4,263,766.28	6,597.12	4,270,363.40	4,193,915.93	5,014.35	4,198,930.28
2	गैर-वित्तीय आस्तियां						
(a)	चालू कर आस्तियां (निवल)	26,241.30	-	26,241.30	6,605.51	-	6,605.51
(b)	सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर	118.66	-	118.66	171.73	-	171.73
(c)	पूँजी कार्य प्रगति पर	20,114.68	-	20,114.68	14,895.70	-	14,895.70
(d)	अन्य अमूर्त आस्तियां	161.87	-	161.87	30.12	-	30.12
(e)	अन्य गैर-वित्तीय आस्तिया	154.17	-	154.17	59.13	-	59.13
	उप योग (2)	46,790.68	-	46,790.68	21,762.19	-	21,762.19
	कुल आस्तियां (1+2)	4,310,556.96	6,597.12	4,317,154.08	4,215,678.12	5,014.35	4,220,692.47
II	देनदारियां और इक्विटी						
A	देनदारियां						
1	वित्तीय देनदारियां						
(a)	ऋण प्रतिभूतियां	1,854,388.27	-	1,854,388.27	1,854,898.32	-	1,854,898.32

रुपये लाख में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018			01.04.2017		
		विगत जीएएपी	भारतीय लेखांकन मानक का अंतरण पर समायोजन	Ind AS	विगत जीएएपी	भारतीय लेखांकन मानक का अंतरण पर समायोजन	Ind AS
(b)	उधारियां	1,422,709.56	-	1,422,709.56	1,343,262.19	-	1,343,262.19
(c)	अन्य वित्तीय देनदारियां	72,858.73	-	72,858.73	74,392.99	-	74,392.99
	उप योग (क-1)	3,349,956.56	-	3,349,956.56	3,272,553.50	-	3,272,553.50
2	गैर-वित्तीय देनदारियां						
(a)	चालू कर देनदारियां (निवल)		-	-	483.43		483.43
(b)	प्रावधान	244,423.83	186,641.37	431,065.20	126,223.36	147,889.81	274,113.17
(c)	आस्थगित कर देनदारियां (निवल)	31,923.08	760.19	32,683.27	29,415.22	578.46	29,993.68
(d)	अन्य गैर – वित्तीय देनदारियां	44,098.73	-	44,098.73	44,607.72	-	44,607.72
	उप योग (क-2)	320,445.64	187,401.56	507,847.20	200,729.73	148,468.27	349,198.00
	उप योग (क)	3,670,402.20	187,401.56	3,857,803.76	3,473,283.23	148,468.27	3,621,751.50
B	इक्विटी						
(a)	इक्विटी शेयर पूंजी	410,231.62	-	410,231.62	400,231.62	-	400,231.62
(b)	अन्य इक्विटी	229,923.14	(180,804.44)	49,118.70	342,163.27	(143,453.92)	198,709.35
	उप योग (ख)	640,154.76	(180,804.44)	459,350.32	742,394.89	(143,453.92)	598,940.97
	कुल देनदारियां और इक्विटी (क+ख)	4,310,556.96	6,597.12	4,317,154.08	4,215,678.12	5,014.35	4,220,692.47

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण पर भारतीय लेखांकन मानक का प्रभाव

रुपये लाख में

क्र.सं.	विवरण	विगत जीएएपी	भारतीय लेखांकन मानकों में अंतरण पर समायोजन	भारतीय लेखांकन मानक
I	आय			
A	प्रचालनों से राजस्व			
(a)	ब्याज आय	350,028.10	-	350,028.10
(b)	शुल्क और कमीशन आय	6,785.74	-	6,785.74
(c)	उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ	12,757.49	1,582.77	14,340.26
	प्रचालनों से कुल राजस्व (क)	369,571.33	1,582.77	371,154.10
B	अन्य आय	14,073.05		14,073.05
	कुल आय I (क+ख)	383,644.38	1,582.77	385,227.15
II	व्यय			
(a)	वित्त लागत	213,043.00	-	213,043.00
(b)	शुल्क और कमीशन व्यय	5,107.11	-	5,107.11
(c)	उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल हानि	-	-	-
(d)	कर्मचारी लाभ व्यय	2,538.85	(252.79)	2,286.06
(e)	वित्तीय उपकरणों पर क्षति	20,812.31	38,751.56	59,563.87
(f)	व्युत्पन्नों पर मार्केट टू मार्केट हानि	(239.99)	-	(239.99)
(g)	मूल्यहास, ऋणशाधन और क्षति	168.05	-	168.05
(h)	निगमित सामाजिक दायित्व	1,731.91	-	1,731.91
(i)	अन्य व्यय	136,402.03	-	136,402.03
	कुल व्यय II	379,563.27	38,498.76	418,062.03
	असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ	4,081.11	(36,915.99)	(32,834.88)
	असाधारण मदें	106,854.47	-	106,854.47
	कर पूर्व लाभ/(हानि)	(102,773.36)	(36,915.99)	(139,689.35)
	कर व्यय:			
	(i) चालू कर	(10,179.78)	-	(10,179.78)
	(ii) आस्थगित कर	(2,507.84)	(270.08)	(2,777.92)
	(iii) पूर्व वर्षों का समायोजन (निवल)			-
	कुल कर व्यय IX (i+ii+iii)	(12,687.62)	(270.08)	(12,957.70)
	अवधि के लिए लाभ/(हानि)	(115,460.98)	(37,186.07)	(152,647.05)
	A. (i) लाभ हानि में वर्गीकृत न की गई मदें			
	परिभाषित लाभ दायित्व पर लाभ/(हानि) का पुनःमापन	-	(252.79)	(252.79)
	(ii) परिभाषित लाभ दायित्व के पुनः मापन से संबंधित आयकर	-	(87.49)	(87.49)
	उप-योग (ख)			-
	अन्य व्यापक आय (क)	-	(165.31)	(165.31)
	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	(115,460.98)	(37,351.38)	(152,812.35)

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार जारी किए गए किंतु अप्रभावी मानकों का प्रकटीकरण (भारतीय लेखांकन मानक 8)

• **भारतीय लेखांकन मानक 12 का संशोधन – आयकर**

एमसीए भारतीय लेखांकन मानक 12, परिशिष्ट ग, 1 अप्रैल, 2019 से प्रयोज्य आयकर प्रशोधन पर अनिश्चितता, में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें कर योग्य लाभ/हानि का निर्धारण कार्यान्वित करते समय आयकर प्रशोधन पर अनिश्चितता का निर्धारण किया गया है। भारतीय लेखांकन मानक 12 में संशोधन में भी लाभ या हानि, ओसीआई या इक्विटी, जहां ये मूल रूप से स्वीकृत है, के आयकर परिणामों को स्वीकृत किया गया है। भारतीय लेखांकन मानक 8 के अनुसार, समयोजन पूर्व प्रभाव से और संचयी कैच-अप एप्रोच के अनुसार किया जाएगा।

• **भारतीय लेखांकन मानक 19 – कर्मचारी लाभ में संशोधन**

30 मार्च, 2019 को एमसीए ने भारतीय लेखांकन मानक 19 में संशोधन अधिसूचित किया जिसके तहत एक योजना संशोधन, कटौती या समाधान के बाद अनुस्मारक अवधि के लिए निवल ब्याज के रूप में विगत सेवा लागत को निर्धारित करने की अद्यतन धारणाओं का उपयोग अपेक्षित किया गया है।

कम्पनी अपनी वित्तीय विवरणों पर उक्त परिवर्तनों के प्रभाव की जांच और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है और मानकों और संशोधनों की प्रभावी तारीख से इनका अनुसरण किया जाएगा। तथापि, कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं माना गया है।

33. कर व्ययों और भारत की कर दरों द्वारा बहुगणित लेखांकन लाभ का समाशोधन (भारतीय लेखांकन मानक 12):

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
कर पूर्व लाभ	40,388.67	(1,39,689.35)
सांविधिक आयकर दर	34.944%	34.608%
संभावित आयकर व्यय	14,113.42	(48,343.69)
आयकर समायोजन का कर प्रभाव:		
आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) के तहत कटौती का लाभ	(6,451.81)	(8,202.70)
निवल अस्वीकृत प्रावधान (ऋण)	3,082.32	20,613.86
आयकर का गैर-अस्वीकरण	15,592.87	46,112.31
पूर्ववर्ती वर्षों का आयकर	(166.45)	-
आस्थगित कर	3,975.66	2,777.92
कर व्यय	30,146.01	12,957.70

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

34. परिशोधित लागत/उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य मापन अनुक्रम:

क उचित मूल्य अनुक्रम

स्तर 1 – समरूप आस्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असायोजित)

स्तर 2 – स्तर 1 में शामिल आस्तियों या देनदारियों के लिए उद्धृत मूल्यों से अन्य इनपुट लागतें जो प्रत्यक्षता: (अर्थात मूल्यों के रूप में) या अप्रत्यक्षतः (अर्थात मूल्यों से व्युत्पन्न), अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3 – उन आस्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट लागतें जो अवलोकन योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं। (लक्ष्य इनपुट लागतें)

(रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2019		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय आस्ति:			
परिशोधित लागत	-	-	4,112,154.81
एफवीटीपीएल	-	79,843.20	108,845.20
वित्तीय देनदारी:			
परिशोधित लागत	18,54,385.35	-	1,520,584.89

विवरण	31.03.2018		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय आस्ति:			
परिशोधित लागत	1,10,834.58	-	3,972,879.34
एफवीटीपीएल	-	88,110.35	96,035.59
वित्तीय देनदारी:			
परिशोधित लागत	18,54,388.27	-	1,495,568.29

विवरण	01.04.2017		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय आस्ति:			
परिशोधित लागत	1,10,861.04	-	3,942,595.29
एफवीटीपीएल	-	39,373.46	103,367.79
वित्तीय देनदारी:			
परिशोधित लागत	18,54,898.32	-	1,417,655.18

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

ख. उन वित्तीय आस्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा गया है:

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2019		31.03.2018		01.04.2017	
	वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय आस्तियां	4,112,154.81	4,112,154.81	4,083,713.92	4,083,713.92	4,053,456.33	4,053,456.33
वित्तीय देनदारियां	3,374,970.24	3,374,970.24	3,349,956.56	3,349,956.56	3,272,553.50	3,272,553.50

35. खंडवार एक्सपोजर और क्षति हानि का ब्यौरा

रुपये लाख में

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार				
कुल एक्सपोजर	2,558,414.48	275,833.92	644,625.78	3,478,874.19
क्षति भत्ता	33,246.10	89,093.67	305,462.86	427,802.63
ईसीएल%	0.92%	20.61%	46.92%	7.84%
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार				
कुल एक्सपोजर	2,342,441.00	376,705.74	539,300.00	3,258,446.74
क्षति भत्ता	33,980.79	102,405.74	290,716.84	427,103.37
ईसीएल%	1.45%	27.18%	53.91%	13.11%
31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार				
कुल एक्सपोजर	2,693,880.46	410,842.13	342,566.53	3,447,289.12
क्षति भत्ता	24,915.33	84,672.01	160,735.47	270,322.81
ईसीएल%	1.30%	32.30%	47.39%	12.30%

36. विगत वर्षों के आंकड़ों को, जहां आवश्यक समझा गया, पुनःवर्गीकृत किया गया है।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीएसए एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
(कम्पनी पंजीकरण संख्या 000257N)

कृते और इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि.
के निदेश मंडल की ओर से

ह/-
सुनील अग्रवाल
(भागीदार)
(सदस्यता संख्या - 083899)

ह/-
कुमार विनय प्रताप
(निदेशक)
(डीआईएन सं.07606296)

ह/-
पंकज जैन
(प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन सं.00675922)

स्थान: नई दिल्ली
दिल्ली: 10.08.2019

ह/-
मंजरी मिश्रा
(एजीएम और कम्पनी सचिव)

ह/-
राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक - सीएफओ)

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक इस अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखा परीक्षा करने पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह उल्लेख उनकी दिनांक 10.08.2019 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से उनके द्वारा ऐसा कर दिये जाने पर किया गया है।

मैंने, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी कागजातों की पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों व कंपनी के कर्मियों से की गयी प्राथमिक पूछताछ तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरे द्वारा की गई अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों, जो मेरे ध्यान आए और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणियों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है, पर प्रकाश डालना चाहता हूँ।

कृते और भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक की ओर से

ह/-
(राजदीप सिंह)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा और
पदेर सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड – III,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.09.2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स कंपनी लिमिटेड के सभी सदस्य

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

सशर्त मत

हमने इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2019 तक तुलन पत्र, लाभ और हानि का वक्तव्य (अन्य व्यापक आय सहित) और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण, उस तारीख को समाप्त वर्ष के अंत में नकदी प्रवाह विवरण (कैश फ्लो विवरण) और सारांश, समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों (यहां इसके पश्चात "समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण" कहा गया है) पर टिप्पणियां, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी जानकारी तुलनपत्र शामिल है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त सशर्त मत वाले पैराओं के लिए आधार में उल्लिखित मामले के प्रभाव को छोड़कर, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिकाएं अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित सूचना इस प्रकार अपेक्षित तरीके से देती हैं, जो कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित ("इंड एएस"), के अनुरूप और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं, दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की हालत, और उस तारीख का समाप्त वर्ष के लिए इसकी हानियों (वित्तीय निष्पादन में अन्य व्यापक आय शामिल है) और इसके नकद प्रवाह की एक सत्य एवं स्पष्ट दृष्टि देती हैं।

सशर्त मत का आधार

आस्थगित कर आस्तियाँ

- धारक कम्पनी आरबीआई द्वारा जारी आईआरएसी विवेकपूर्ण मानकों/संभावित ऋण हानि मॉडल के आधार पर ऋण आस्तियों के संबंध में प्रावधान सृजित कर रही है और कर व्ययों की गणना इनको निवल लाभ में वापस जोड़कर कर रही है। आईसीएआई द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक 12 "आयकर" में निर्धारित किया गया है कि यदि किसी भी मद के कारण कर देनदारी के संबंध में कोई अस्थायी अंतर होता है, तो उसके प्रभाव पर विचार करना होगा। इस तथ्य को देखते हुए कि ऐसे प्रवधानों के भाग की अनुमति अनवर्ती वर्षों में अधित्याग के आधार पर दी जाती है, इससे अस्थायी अंतर उत्पन्न होते हैं। आज अदा किए जा रहे अधिक कर की क्षतिपूर्ति अनुवर्ती अवधि में अनुवर्ती अवधि में कम कर देनदारी द्वारा की जाती है। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिका 12 में अपेक्षा की गई है कि ऐसे मामलों में अस्थायी अंतरों की सीमा तक आस्थगित कर आस्तियों का सृजन किया जाए।
- आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के एक मत के अनुसार, उल्लेख किया गया है कि अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान (गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान) में अंतर बहियों के अनुसार और आयकर के अनुसार समय का अंतर है और इसलिए, यह आस्थगित कर आस्तियों के मामले में विवेक के कारणों के अधीन आस्थगित कर प्रभाव की स्वीकृति की अपेक्षा रखता है।

हमारे मतानुसार, अधित्याग की प्रतिशतता के संबंध में विगत अनुभव के आधार पर, आस्थगित कर आस्तियां सृजित किया जाना आवश्यक है। इसे प्रभाव का आकलन करना आवश्यक है। उपर्युक्त के दृष्टिगत, हम लाभ हानि विवरणों और आरक्षितियों पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। (राशि अमूल्यांकित)

मामले का महत्व

हमने 2 अगस्त 2019 को अद्यतन किए गए आरबीआई के प्रमुख निदेश डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2016-17 के निदेश संख्या 16 के अनुसार ऋण आस्तियों की राशि से प्रावधान/ईसीएल का निवल न किए जाने के संदर्भ में ऋण आस्तियों की टिप्पणी संख्या 5 में दिए गए फुटनोट की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

इन मामलों के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे व्यावसायिक निर्णयानुसार, चालू अवधि की वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए सर्वाधिक उल्लेखनीय थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में समग्र रूप से एक के रूप में संबोधित किया गया, और इन पर हमारा मत तैयार करने के क्रम में, हमने इन मामलों पर कोई पृथक मत मुहैया नहीं कराया है। हमने नीचे उन मामलों का उल्लेख किया है जिन्हें प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में संप्रेषित किया जाना था:

क्र.सं. प्रबंधन	लेखा परीक्षक का प्रत्युत्तर
1 वित्तीय उपकरण की ऋण असमर्थता वे सर्वाधिक उल्लेखनीय क्षेत्र जहां हमने प्रबंधन के निर्णयों के वृहत्तर स्तर चिह्नित किए, इस प्रकार हैं • ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि (एसआईसीआर) – कम्पनी ने भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण में परिभाषित एसआईसीआर वर्गीकृत किया है। किसी अन्य मापदंड का चयन कतिपय पोर्टफोलियो के लिए स्वीकृत ईसीएल को अत्यधिक प्रभावित कर सकता है। • ईसीएल मॉडल – क्षति हानि के मापन के लिए सांख्यिकीय मॉडल का उपयोग अपेक्षित होता है ताकि चूक की संभावनाओं (पीडी), चूक के बाद हानि (एलजीडी) और चूक का प्रकटीकरण (ईएडी) का प्राक्कलन किया जा सके। ये मॉडल ईसीएल मापने के लिए प्रमुख चालक हैं। • चरण 3 के वाहित मूल्य का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया गया – ऋणदाताओं के ऋणों और अग्रिमों के वाहित मूल्य का त्रुटिपूर्ण उल्लेख किया जा सकता है यदि व्यक्तिगत क्षति की पहचान और प्राक्कलन उपयुक्त रूप से न किया गया हो। इन मामलों का प्रभाव यह है कि हमारे जोखिम मूल्यांकन के भाग के रूप में, हम निर्धारित करते हैं कि ईसीएल के मूल्य में उच्च स्तर का प्राक्कलन है जिसकी औचित्यपूर्ण परिणामों की, समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के लिए, संभावित सीमा हमारी अहमियत से अधिक है।	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया: • अपनाए गए संभावित ऋण हानि मॉडल के संबंध में कम्पनी के आंतरिक अनुदेशों और प्रक्रिया की समीक्षा की गई • महत्वपूर्ण एसआईसीआर संकेतकों और मापदंडों का आकलन और गणना • ऋण आस्तियों की निगरानी के संबंध में प्रमुख आंतरिक नियंत्रण तंत्रों का मूल्यांकन और परीक्षण, संबंधित डेटा क्वालिटी के परीक्षण सहित ऋण क्षति का आकलन, और दर्ज किए गए वास्तविक डेटा की समीक्षा। किसी भी ऋण आस्ति खाते में किसी उपरिदेय, असंतोषजनक आचरण या दुर्बलता का आकलन करने के लिए, बड़े और दबावग्रस्त ऋण आस्तियों के परीक्षण जांच आधार पर, ऋण आस्ति खातों के दस्तावेजन, प्रचालनों/निष्पादन और निगरानी का सत्यापन/समीक्षा हमारे परिणाम हम ऋण क्षति प्रभारों और प्रावधानों को स्वीकृत, और संबंधित प्रकटीकरणों को स्वीकार्य मानते हैं।
2 उचित मूल्य पर वित्तीय उपकरणों के मूल्यांकन कम्पनी अपनी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार व्युत्पन्न संविदाएं करती है। इन व्युत्पन्न संविदाओं को एफवीटीपीएल में श्रेणीबद्ध किया गया है और नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था (हेज लेखांकन) के अंतर्गत कतिपय व्युत्पन्न संविदाओं को डिजाइन किया जाता है। हम व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों और बचाव व्यवस्था के लेखांकनों के मूल्यांकन को महत्वपूर्ण ऋण जोखिम की वजह से, और इस तथ्य की वजह से, कि इन अपेक्षाओं के अनुपयुक्त प्रयोग के परिणामस्वरूप आयकर विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, प्रमुख लेखा परीक्षा मामला माना है।	हमारी शामिल की गई प्रक्रिया कम्पनी प्रतिपक्षकार बैंकों से व्युत्पन्न संविदाओं के मूल्य के लिए प्राप्त करती है। हमारी प्रक्रिया में विनियम दर, ब्याज दर वक्रों और इसके परिणामस्वरूप अन्य अस्थिरता अनुक्रमणिका जैसे अवलोकन योग्य बाजार इनपुट्स का उपयोग करते हुए उचित मूल्य की समीक्षा शामिल है। हमारे परिणाम हमें अन्य इनपुट्स पर विचार करते हुए प्रतिभागग्राही बैंकों से प्राप्त हमारे उचित मूल्य पर व्युत्पन्न संविदाओं को मापने में कोई मिथ्या विवरण नहीं मिला।
3 सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण निष्पादन प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं कम्पनी की आईटी प्रणाली के ऊपर स्वचालित नियंत्रणों पर अत्यधिक निर्भर करती हैं। एक जोखिम यह है कि कर्तव्यों या प्रयोक्ता आकलन प्रबंधन नियंत्रणों का अनुचित पृथक्करण (प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणालियों के संबंध में) हमारी लेखा परीक्षा पर कुछ विश्वास करने की हमारी योग्यता को कम कर सकता है।	हमारी शामिल की गई प्रक्रिया वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं के संबंध में सूचना पर काम करने वाले प्रमुख नियंत्रणों का मूल्यांकित नमूना। हमारे परिणाम वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा एसएपी प्रणाली आरंभ की गई है। हमने पाया है कि नियंत्रण प्रक्रिया पर विभागीय प्रशिक्षण को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है और प्रणाली लेखा परीक्षा भी की जानी चाहिए।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त अन्य सूचना और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध शामिल हैं किंतु समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिका वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध हमें इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की लेखा परीक्षा की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारा मत में अन्य सूचना शामिल नहीं होती और हम इस पर आश्वासन के निष्कर्ष की आश्वस्ति किसी भी रूप में अभिव्यक्त नहीं करेंगे।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारा दायित्व ऊपर चिह्नित अन्य सूचना पढ़ने का है जब यह उपलब्ध हो जाए और, ऐसा करने के क्रम में, यह विचार करने का है कि क्या अन्य सूचना समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिका से महत्वपूर्ण रूप से समनुरूप नहीं है या लेखा परीक्षा या अन्यथा प्राप्त हमारी जानकारी महत्वपूर्ण रूप से मिथ्या रूप में उल्लिखित की गई प्रतीत होती है।

जब हम बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध को पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण मिथ्याकथन है, हमसे उन प्रभारों के लिए मामले को शासन को संप्रेषित करना, और यदि अपेक्षित हो, समीचीन कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल इस समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के तहत जिम्मेदार है, जो कि वास्तविक और निष्पक्ष लेखे प्रदान करते हैं, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित (भारतीय लेखांकन मानक) के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित लेखाकार सिद्धांतों के अनुसार आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह पर वास्तविक और स्पष्ट विचार देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त अभिलेखों का रखरखाव और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकनाय उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और निर्णय लेना और अनुमान लगाना उचित और विवेकसम्मत और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव सहित, संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, को सुनिश्चित करना भी प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन कम्पनी की सतत प्रतिष्ठान के रूप में चालू रहने की कम्पनी की क्षमता का आकलन करने, सतत प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करने, जैसा भी प्रयोज्य हो, और लेखांकन के सतत प्रतिष्ठान आधार का उपयोग करने के लिए उत्तादायी है जब तक कि या तो कम्पनी दिवालिया होने लिए अभिप्रेत न हो या प्रचालन बंद न कर दे, या इसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई भी यथार्थपरक विकल्प न हो।

समूह में शामिल संबंधित निदेशक मंडल भी समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिकाएं समग्र रूप से महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे यह चूक से हुआ हो या धोखाधड़ी से, और लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारा मत शामिल हो। औचित्यपूर्ण आश्वासन उच्च स्तर की आश्वासन है, किंतु ये गारंटी नहीं कि एसए के अनुसार की गई कोई लेखा परीक्षा सदैव किसी महत्वपूर्ण मिथ्याकथन को ढूँढ लेगी जहां यह विद्यमान हो। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और इसे महत्वपूर्ण समझा जाता है यदि इनसे, व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप से, इन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की औचित्यपूर्ण रूप से संभावना है।

एसए के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का उपयोग करते हैं और और सम्पूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशयवाद अनुरक्षित रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों की पहचान और आकलन करना, चाहे ये धोखाधड़ी से हुए हों या चूक द्वारा, उन जोखिमों पर प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षाएं डिजाइन या निष्पादित करना है, और ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना है जो हमारे मत के लिए एक आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और समीचीन हों। धोखाधड़ी से परिणत होने वाले महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि से परिणत होने वाले मिथ्याकथन से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांड—गांठ, जालसाजी, जानबूझकर छुपाना, गलतबयानी, या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना शामिल हो सकती है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

- ऐसी लेखा प्रक्रियाओं को तैयार करने में लेखा परीक्षा सक संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो ऐसी परिस्थितियों में उपयुक्त हों। कम्पनी अधिनियम की धारा 143(3)(झ) के अंतर्गत, हम इस बारे में भी अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभावोत्पादकता विद्यमान है।
- लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों की तर्क संगति और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के आधार पर प्रबंधन के सतत प्रतिष्ठान आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता निश्चित करना, जो प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हो, कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जिनसे कम्पनी की सतत प्रष्ठान के रूप में जारी रहने की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न हो सकता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, ऐसे में हमसे अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणिका में किए गए संबंधित प्रकटीकरणों के प्रति ध्यान आकर्षित करें अथवा, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हों, तो अपना मत संशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों की वजह से कम्पनी एक सतत प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- • वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, और यह मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरणिकाएं अंतर्निहित संयवहारों और घटनाओं को ऐसे तरीके से प्रस्तुत करती हैं जो उचित प्रस्तुतकरण प्राप्त कर सकें।
- • समेकित वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर व्यापार गतिविधियों या निकायों की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम भारत में निगमित धारक कम्पनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के निदेश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जिसमें उन कम्पनियों की समेकित वित्तीय विवरणिकाएं भी शामिल हैं जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य निकायों के लिए, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, ऐसे लेखा परीक्षक उनके द्वारा की गई लेखा परीक्षाओं के निदेश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। हम केवल अपने लेखा परीक्षा प्रचालन के लिए जिम्मेदार हैं।

भारतीय लेखांकन मानकों में मिथ्याविवरण की मात्रा महत्वपूर्ण होती है जो, व्यक्तिगत रूप से सकल रूप से, इसे संभाव्य बनाते हैं कि वित्तीय विवरणों के औचित्यपूर्ण रूप से जानकारी प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं।

हम (1) अपने लेखा परीक्षा कार्य के स्कोप का नियोजन करने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; और (2) वित्तीय विवरणों में किसी भी चिह्नित मिथ्याकथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण कारकों पर विचार करते हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा के नियोजित स्कोप और समयसीमा और उल्लेखनीय लेखा परीक्षा निष्कर्षों, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी उल्लेखनीय खामियां शामिल हैं जिन्हें हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान चिह्नित करते हैं, के बारे में प्रशासन के लिए प्रभावित पक्षों को संप्रेषित करते हैं।

हम प्रशासन के लिए प्रभावित पक्षों को यह विवरण भी मुहैया कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों को संप्रेषित करते हैं जिनका प्रभाव औचित्यपूर्ण रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षोपायों पर माना जा सकता है।

प्रशासन के लिए प्रभावित पक्षों को संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो चालू अवधि की वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक उल्लेखनीय हों और इस प्रकार प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हों। हम अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में उन मामलों का उल्लेख करते हैं जब तक कि कानून और विनियम में मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरणों से मना किया गया हो या जब, अत्यंत विरल परिस्थितियों में, हम निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से ऐसे संप्रेषण के लोक हित के लाभों से ऊपर होने की संभावना है।

अन्य मामले

हमने तीन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरण ६ वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2019 को 1469322.51 लाख रुपये की कुल संपत्ति को दर्शाती है, रुपये का कुल राजस्व 61939.36 लाख और शुद्ध नकदी का बहिर्वाह उस वर्ष के लिए 860.91 लाख रुपये था, जैसा कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में माना गया था। वित्तीय भारतीय लेखांकन मानक के रूप में समेकित भारतीय लेखांकन मानक के रूप में समेकित भारतीय लेखांकन मानक के रूप में 53086.08 लाख रुपये के कर के बाद शुद्ध नुकसान की सहायक हिस्सेदारी भी शामिल है। इन वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन और समेकित भारतीय लेखांकन मानक के बारे में हमारी राय पर वित्तीय विवरणों से सुसज्जित है, जहाँ तक यह इन सहायक कंपनियों के संबंध में शामिल राशियों और खुलासों से संबंधित है, और हमारी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के संदर्भ में रिपोर्ट, जहाँ तक यह उपर्युक्त सहायक कंपनियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

- इन सहायक कंपनियों में से एक इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस (यूके) लिमिटेड भारत के बाहर स्थित है, जिसके वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी आमतौर पर यूनाइटेड किंगडम (यूके) में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई हैं और जिनका लेखा-परीक्षण अन्य ऑडिटर द्वारा किया गया है। यूनाइटेड किंगडम (यूके) में लागू लेखा मानक स्वीकार किए जाते हैं। कंपनी प्रबंधन ने इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड के वित्तीय विवरण को परिवर्तित कर दिया है। आमतौर पर यूनाइटेड किंगडम (यूके) में लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय लेखांकन मानकों) को भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों से और आमतौर पर भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक स्वतंत्र फर्म द्वारा इन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया गया था और समेकन प्रमाणपत्र के लिए फिट किया गया है। हमने कंपनी प्रबंधन द्वारा किए गए इन रूपांतरण समायोजन की समीक्षा और भरोसा किया है। अब तक हमारी राय इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड के शेष और मामलों से संबंधित है, जो अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और कंपनी के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए रूपांतरण समायोजन और हमारे द्वारा समीक्षा पर आधारित है।
- धारक कंपनी वित्त मंत्रालय से अधिनियम की धारा 149 (1) के तहत स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्तियों का इंतजार कर रही है। तदनुसार, बोर्ड पूर्वोक्त अनुभाग की आवश्यकताओं के अनुपालन के बिना गठित हुआ।
- निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी को कर के बाद लाभ के न्यूनतम वार्षिक लाभांश का 30: या सीपीएसई के कुल निवल मूल्य का 5 प्रतिशत का भुगतान करना है, जो अतिरिक्त कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन है। हालांकि, 14 जनवरी 2016 को आईआईएफसीएल के विडियो लेटर में सरकार से कम से कम 3 साल के लिए लाभांश के भुगतान से छूट का अनुरोध किया गया था। आईआईएफसीएल के पत्र का जवाब प्रतीक्षित है।

इस संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनियों द्वारा यथापेक्षित (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार जारी किए गए आदेश 2016 ('आदेश') की अपेक्षा के अनुरूप, हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिकाओं के लिए उक्त आदेश के अनुच्छेद 2 में उल्लिखित मामलों के सम्बन्ध में लागू सीमा तक हम अनुलग्नक क में एक विवरण दे रहे हैं।
2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार आवश्यक है, हम यह रिपोर्ट करते हैं:
 - (क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की है और उन्हें प्राप्त किया है, जो उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास में आवश्यक थे;
 - (ख) उपर्युक्त सशर्त मत के आधार में उल्लिखित मामले के सम्भावित प्रभाव को छोड़कर, हमारी राय में, लेखों की हमारी जांच से यह प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने संबंधी कानून में अपेक्षित खाते की बहियों को उचित रूप से रखा गया है
 - (ग) इस रिपोर्ट के साथ संलग्न समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से अनुरक्षित लेखा बहियों के अनुरूप हैं
 - (घ) उपर्युक्त अनुच्छेद 6 में उल्लिखित मामले के सम्भावित प्रभाव को छोड़कर, हमारी राय में, उपर्युक्त भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरणिकाएं कंपनी (लेखा) नियमों, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप हैं
 - (ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 463(ई) के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अनुसार निदेशकों की निरर्हता की अपेक्षा मूल कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होती।
 - (च) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की पर्याप्तता और इन नियन्त्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में "अनुलग्नक-क" में दी गई अलग रिपोर्ट देखें।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

(g) हमारी राय में और हमारी जानकारी तथा हमें उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरणों और अन्य पैरा में उल्लिखित सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों के साथ अन्य वित्तीय जानकारी के संबंध में अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर, हम समय-समय पर संशोधित, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली 2014, के नियम 11 के अनुसार, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में रिपोर्ट करते हैं कि:

- I. जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, ऐसी कोई भी लंबित मुकदमेबाजी नहीं है, जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।
- ii. समूह द्वारा व्युत्पन्न अनुबंध सहित दीर्घावधि अनुबंधों पर सामग्री के अनुमानित नुकसान, यदि कोई हों, के लिए लागू कानून या लेखा मानकों के तहत यथोपेक्षित प्रावधान किए गए हैं।
- iii. ऐसी कोई धनराशियां नहीं हैं जिन्हें कम्पनी द्वारा निवेश शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है।

कृते जी0एस0ए0 एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन. सं0 000257 एन

ह०/—
(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं0 083899
UDIN: 19083899AAAAAT6611

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक 10 अगस्त, 2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक—क

हमारी रिपोर्ट के खंड “अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट” के अंतर्गत पैरा— 2(च) में संदर्भित अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई कंपनी के समेकित इंडस्ट्रीज के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ, हमने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (“होलिंग कंपनी”) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

होलिंग कंपनी के निदेशक मंडल, जो भारत में निगमित कंपनी है, आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए होलिंग कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो होलिंग कंपनी की नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी, त्रुटियों, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यकतानुसार विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समयबद्ध तैयारी और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से चल रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर होलिंग कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (ऑडिटिंग पर मानक) और वित्तीय मानकों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार अपना ऑडिट किया, जिसे आईसीएआई द्वारा जारी किया गया था और इसे धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माना गया था। कंपनी अधिनियम, 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया गया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हैं और योजना के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था या नहीं और इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री के मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना शामिल है जो एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के फ़ैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए होलिंग कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन को वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमति देने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं और (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के बारे में समय पर पता लगाने या उचित विवरण प्रदान करने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है जो वित्तीय विवरणों पर एक सामग्री प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना, नियंत्रणों का अधिक्रमण, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री संबंधी गड़बड़ी शामिल हैं और पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति में गिरावट ला सकता है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

राय

1. वर्ष के दौरान होल्डिंग कंपनी द्वारा एसएपी प्रणाली शुरू की गई है और हमने देखा है कि नियंत्रण प्रक्रिया पर इन-हाउस प्रशिक्षण को सिस्टम डेवलपर द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए और परिभाषित नियंत्रण प्रक्रिया पर सिस्टम ऑडिट भी आयोजित किया जाना चाहिए।
2. हमारी राय में, ऊपर दिए गए पैरा 1 में वर्णित के अलावा, होल्डिंग कंपनी के पास सभी सामग्री मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2019 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे। होल्डिंग कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से अधिक वित्तीय रिपोर्टिंग के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है।

कृते जी0एस0ए0 एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन. सं0 000257 एन

ह०/—
(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं0 083899
UDIN: 19083899AAAAAT6611

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक 10 अगस्त, 2019

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

31 मार्च 2019 को इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

समेकित तुलन पत्र

सीआईएनसंख्या U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2019	31.03.2018	01.04.2017
I	आस्तियां				
1	वित्तीय आस्तियां				
(क)	नकद और नकद समतुल्य		9,816.47	3,067.89	1,622.30
(ख)	उपयुक्त के अतिरिक्त बैंक शेष	2	781,900.51	1,003,400.77	794,466.20
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	3	98,961.84	92,745.65	97,744.74
(घ)	प्राप्य	4	88.73	156.56	45.81
(ङ)	ऋण	5	4,708,274.14	4,377,967.86	4,524,628.77
(च)	निवेश	6	99,513.26	219,524.47	173,171.34
(छ)	अन्य वित्तीय आस्तियां	7	43,878.30	73,555.94	84,054.80
	उप योग (1)		5,742,433.25	5,770,419.14	5,675,733.95
2	गैर-वित्तीय आस्तियां				
(क)	चालू कर आस्तियां (निवल)	8	23,296.62	27,818.00	15,152.68
(ख)	सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण	9	26,531.48	198.88	265.23
(ग)	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	10	2,259.46	20,114.68	14,895.70
(घ)	अन्य मूर्त आस्तियां	11	502.85	163.20	31.66
(ङ)	अन्य गैर-वित्तीय आस्तियां	12	3,402.84	165.02	62.06
	उप योग (2)		55,993.25	48,459.78	30,407.34
	कुल आस्तियां (1+2)		5,798,426.50	5,818,878.92	5,706,141.29
II	देयताएं और इक्विटी				
क	देनदारियां				
1	वित्तीय देनदारियां				
(क)	ऋण प्रतिभूतियां	11	3,143,046.67	3,220,314.37	3,216,508.92
(ख)	उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियां से अन्य)	14	1,440,256.32	1,422,709.56	1,343,262.19
(ग)	अन्य वित्तीय देनदारियां	15	83,752.25	74,841.36	75,697.46
	उप योग (क-1)		4,667,055.24	4,717,865.29	4,635,468.57
2	गैर-वित्तीय देनदारियां				
(क)	चालू कर देनदारियां (निवल)	16	12,639.29	17,213.11	24,830.37
(ख)	प्रावधान	17	650,257.17	576,126.96	354,929.91
(ग)	आस्थगित कर देनदारियां (निवल)	18	36,568.89	32,623.56	29,943.59
(घ)	अन्य गैर-वित्तीय देनदारियां	19	42,158.36	41,653.09	41,883.04
	उप योग (क-2)		741,623.71	667,616.72	451,586.91
	उप योग (क)		5,408,678.95	5,385,482.01	5,087,055.48
B	इक्विटी				
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	20	420,231.62	410,231.62	400,231.62
(ख)	अन्य इक्विटी	21	(30,484.06)	23,165.30	218,854.19
	उप योग (ख)		389,747.56	433,396.92	619,085.81
	कुल देनदारियां और इक्विटी (क+ख)		5,798,426.50	5,818,878.92	5,706,141.29

टिप्पणी संख्या 1 से 30 तक लेखों का अभिन्न अंग हैं हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार कृते जीएसए एंड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार (कम्पनी पंजीकरण संख्या 000257छ)

ह. / .
सुनील अग्रवाल
(भागीदार)
(सदस्यता संख्या- 083899)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.08.2019

कृते और इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि. के निदेशक मंडल की ओर से

ह. / .
कुमार विनय प्रताप
(निदेशक)
((डीआईएन सं.: -07606296)

ह. / .
मंजरी मिश्रा
(एजीएम और कम्पनी सचिव)

ह. / .
पंकज जैन
(प्रबंध निदेशक)
((डीआईएन सं.: -00675922)

ह. / .
राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक - सीएफओ)

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

31 मार्च 2019 को इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

समेकित लाभ और हानि का विवरण

सीआईएनसंख्या U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	वर्ष समाप्त	
			31.03.2019	31.03.2018
I	आय			
क	प्रचालनों से आय			
(क)	ब्याज आय	22	418,005.30	402,142.51
(ख)	शुल्क और कमीशन आय	23	8,466.31	9,470.67
	प्रचालनों से कुल राजस्व (क)		426,471.61	411,613.19
ख	अन्य आय	24	51,179.71	27,070.96
	कुल आय (क+ख)		477,651.32	438,684.14
II	व्यय			
(क)	वित्तीय लागत	25	280,388.14	240,009.45
(ख)	शुल्क और कमीशन व्यय	26	11,211.55	10,942.06
(ग)	उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल हानि	27	6,732.86	(1,582.77)
(घ)	कर्मचारी लाभ व्यय	28	3,713.52	3,249.02
(ङ)	वित्तीय उपकरणों पर क्षति	29	74,127.55	123,748.88
(च)	मूल्यहास, ऋणशोधन और क्षति	9,10,11	705.29	184.25
(छ)	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व		235.89	1,731.91
(ज)	अन्य व्यय	30	118,374.20	137,302.32
	कुल व्यय II		495,489.00	515,585.13
	असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (III-IV)		(17,837.68)	(76,900.99)
	असाधारण मदें		-	106,854.47
	कर पूर्व लाभ/(हानि) (I-II)		(17,837.68)	(183,755.46)
	कर व्यय:			
	(I) चालू कर			
	- चालू वर्ष		(26,214.61)	(12,016.45)
	- पूर्ववर्ती वर्ष		5,158.36	(0.10)
	(ii) आस्थगित कर		(3,976.15)	(2,768.50)
	(iii) पूर्व के वर्षों के कर का समायोजन (निवल)		-	-
	कुल कर व्यय IX (i+ii+iii)		(25,032.40)	(14,785.05)
	अवधि के लिए लाभ/(हानि)		(42,870.08)	(198,540.50)
	क. (I) वे मदें जिन्हें लाभ हानि में पुनर्वगीकृत नहीं किया जाएगा		(81.08)	(256.13)
	(ii) लाभों/(हानि) परिभाषित लाभ दायित्व का पुनःमापन			
	अन्य व्यापक आय (क)	(50.12)	(342.67)	
	परिभाषित लाभ दायित्व के पुनःमापन से संबंधित आयकर		(42,920.20)	(198,883.17)
	प्रति इक्विटी शेयर आय (निरंतर प्रचालनों के लिए)			
	मूला (रु)	(1.02)	(4.85)	
	तनुकृत (रु)	(1.02)	(4.85)	

टिप्पणी संख्या 1 से 30 तक लेखों का अभिन्न अंग हैं

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीएसए एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
(कम्पनी पंजीकरण संख्या 000257छ)

.ह./.
सुनील अग्रवाल
(भागीदार)
(सदस्यता संख्या- 083899)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.08.2019

कृते और इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि.
के निदेशक मंडल की ओर से

.ह./.
कुमार विनय प्रताप
(निदेशक)
((डीआईएन सं.: -07606296)

.ह./.
मंजरी मिश्रा
(एजीएम और कम्पनी सचिव)

.ह./.
पंकज जैन
(प्रबंध निदेशक)
((डीआईएन सं.: -00675922)

.ह./.
राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक - सीएफओ)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण
क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	(₹ लाख में)	रशि
1 अप्रैल 2018 को शेष		410,231.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		
(क) वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गमन		10,000.00
31 मार्च 2019 को शेष		420,231.62

ख. अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षितियां और अधिशेष										कुल
	विवरण	पूंजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम की राशि	डिबेंचर/ बांडशोधन आरक्षित	नकद प्रवाह हेतु आरक्षित	आयकर अधिशेष 1961 की धारा 36 के अंतर्गत विशेष आरक्षित	कर्मचारी कल्याण आरक्षित	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित	आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-न के तहत आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल, 2018 को शेष	585.14	235.50	81,817.55	(2,639.52)	127,348.18	8.14	2,633.78	16,488.84	-	(203,312.30)	23,165.30
पूर्वावधिक त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनः उल्लिखितशेष	585.14	235.50	81,817.55	(2,639.52)	127,348.18	8.14	2,633.78	16,488.84	-	(203,312.30)	23,165.30
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(42,870.07)	(42,870.07)
वर्ष के लिए अन्य समग्र आय (आय कर का निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल समग्र आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(42,870.07)	(42,870.07)
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-	-	10,659.59	-	25.51	-	-	-	35,114.28	45,799.38
प्रतिधारित आय को अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	(78.18)	-	-	(78.18)
प्रतिधारित आय से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.05	22.05
प्रतिधारित आय से अंतरण	-	-	18,177.50	-	14,797.64	67.90	-	-	-	-	35,076.22
31 मार्च 2019 को शेष	585.14	235.50	99,995.05	(13,299.11)	142,145.82	50.53	2,633.78	16,410.66	2,033.18	(281,274.61)	(30,484.06)

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण
क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	(लाख रुपए में)
1 अप्रैल 2017 को शेष	400,231.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	
(क) वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गमन	10,000.00
31 मार्च 2018 को शेष	410,231.62

ख. अन्य इक्विटी

(लाख रुपए में)

विवरण	आरक्षितियाँ और अधिशेष										कुल
	विवरण	पूँजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम की राशि	डिबेंचर/बाडशोधन आरक्षित	नकद प्रवाह हेज आरक्षित	आकर्षक अधिनियम 1961 की धारा 36 के अंतर्गत विशेष आरक्षित	कर्मचारी कल्याण आरक्षित	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित	आरपीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-ग के तहत आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	
31 मार्च 2018 को शेष	585.14	235.50	63,691.15	(5,860.36)	120,759.40	38.12	2,633.78	16,096.54		20,074.92	218,854.18
पूर्वाधिक वृद्धियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनः उल्लेखितशेष	585.14	235.50	63,691.15	(5,860.36)	120,759.40	38.12	2,633.78			20,074.92	202,157.65
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(198,535.65)	198,535.65
वर्ष के लिए अन्य समग्र आय (आय कर का निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(198,535.65)	(198,535.65)
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि				54,205.63		34.18				24,883.15	79,122.96
प्रतिधारित आय को अंतरण								(207.70)			
प्रतिधारित आय से अंतरण											
प्रतिधारित आय से अंतरण			18,126.40	57,426.47	6,588.78	4.20				31.57	
31 मार्च 2018 को शेष	585.14	235.50	81,817.55	(2,639.52)	127,348.18	8.14	2,633.78	16,488.84	-	(203,312.30)	23,165.30

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीएसए एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
(कम्पनी पंजीकरण संख्या 000257छ)
ह/.

सुनील अग्रवाल
(भागीदार)
(सदस्यता संख्या- 083899)
ह/.

कुमार विनय प्रताप
(निदेशक)
(डीआईएन सं.:07606296)
ह/.

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.08.2019

ह/.

मंजरी मिश्रा
(एजीएम और कम्पनी सचिव)
(मुख्य महाप्रबंधक - सीएफओ)

ह/.

पंकज जैन
(प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन सं.:00675922)

कृते और इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि.
के निदेशक मंडल की ओर से

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकद प्रवाह विवरण
सीआईएनसंख्या U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
क	प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(I)	कर पूर्व निवल लाभ के लिए समायोजन:	(17,837.68)	(183,755.46)
(ii)	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	705.29	184.25
(iii)	प्रावधान/बट्टे खाते में डाले गए	153,981.79	325,835.69
(iv)	प्रावधान/राशि का प्रतिलेखन	(220.55)	0.01
(v)	उधारियों पर विदेशी विनिमय उत्तर-चढ़ाव लाभ/(हानि)	43,212.27	38,285.53
(vi)	अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि	7.75	0.51
(vii)	ऋणों एवं अग्रिमों पर प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	10,805.63	4,107.06
(viii)	उधारियों पर प्रतिभूत किंतु अदेय ब्याज	6,973.41	(1,526.59)
(ix)	आयकर पर ब्याज	(166.15)	3.83
(x)	शेयर पूंजी जारी करने के लिए स्टाम्प शुल्क	-	10.00
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पूर्व प्रचालन लाभ	197,461.76	183,144.83
(I)	उधारी प्रचालनों से नकदी प्रवाह	(402,444.14)	51,105.78
(ii)	बिही/निवेश में (वृद्धि)	112,779.94	(56,042.76)
(iii)	व्यापार प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	67.83	(110.74)
(iv)	वर्तमान आस्ति, ऋण एवं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	3,189.01	1,714.42
(v)	अन्य बैंक राशियों में (वृद्धि)/कमी	221,500.27	(208,934.57)
(vi)	अन्य वर्तमान देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(2,370.23)	(6,701.66)
	कर पूर्व प्रचालनों से नकदी प्रवाह	130,184.43	(35,824.70)
	प्रदत्त कर (निवल)	(20,890.10)	(12,016.55)
	विगत देयताओं में वृद्धि/(कमी)	109,294.34	(47,841.25)
ख	निवेशी गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(I)	अचल आस्तियों (की खरीद)/के लिए बिक्री	(27,389.60)	(243.76)
(ii)	प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य में (वृद्धि)/कमी	17,855.22	(5,218.98)
	निवेशी गतिविधियों से निवल नकदी	(9,534.38)	(5,462.74)
ग	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(I)	शेयर पूंजी के निर्गम/आबंटन से आय	10,000.00	10,000.00
(ii)	दीर्घकालिक उधारियों से आय	(25,665.51)	41,161.84
(iii)	अल्पकालिक उधारियों से प्राप्त/(पुनर्भुगतान)	(77,267.70)	3,805.45
(iv)	दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता से आय	-	(10.00)
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी	(92,933.21)	54,957.29
घ	विदेशी मुद्रा में लेन देन के अंतर का प्रभाव	(78.18)	(207.70)
	नकदी एवं नकदी के समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)	6,748.57	1,445.60
	जोड़े: आरम्भिक नकदी एवं नकदी के समरूप	3,067.89	1,622.30
	समामेलन पर जोड़	9,816.47	3,067.90
(I)	नकद राशि	0.14	
(ii)	चालू खाते	9,491.35	1,980.76
(iii)	फ्लेक्सी जमा खाते	325.00	1,087.00
	योग	9,816.47	3,067.89

- विगत अवधि(यों) के आंकड़ों को, रिपोर्टिंग अवधि के प्रस्तुतीकरण के तुलनीय बनाने हेतु, जहां कहीं आवश्यक था, पुनःसमूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
- निम्नलिखित बैंक राशि कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है:
31 मार्च, 2019 को बैंक राशि (1,82,555 लाख रुपये) की (वृद्धि)/कमी (31 मार्च, 2018 को 1,82,555.00 लाख रुपये) में 31 मार्च, 2019 को 8ए000ए00 लाख रुपये शामिल है (31 मार्च, 2018 को 8ए300 लाख रुपये), जिस पर बंधपत्रों के ब्याज भुगतान के लिए निर्धारित किया गया है।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीएसए एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
(कम्पनी पंजीकरण संख्या 000257छ)

.ह./.
सुनील अग्रवाल
(भागीदार)
(सदस्यता संख्या- 083899)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.08.2019

कृते और इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि.
के निदेशक मंडल की ओर से

.ह./.
कुमार विनय प्रताप
(निदेशक)
((डीआईएन सं.: -07606296)

.ह./.
मंजरी मिश्रा
(एजीएम और कम्पनी सचिव)

.ह./.
पंकज जैन
(प्रबंध निदेशक)
((डीआईएन सं.: -00675922)

.ह./.
राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक - सीएफओ)

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 2: नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को	01.04.2017 को
(क)	नकदी और नकदी समतुल्य			
(I)	हस्तगत नकदी	0.12	0.14	0.39
(ii)	बैंकों में शेष	9,491.35	1,980.76	721.91
(iii)	बैंक में सावधि जमा (अभिलिखित)	325.00	1,087.00	900.00
	उप-योग (क)	9,816.47	3,067.89	1,622.30
(ख)	अन्य बैंक शेष			
(I)	बंधपत्रों पर बिना दावे के ब्याज के लिए बैंकों के पास चिह्नितशेष			
(ii)	बैंकों में सावधि जमा (भार-रहित) (तीन महीने से अधिक और बारह महीने तक मूल परिपक्वता)	606,063.24	643,706.20	478,166.71
(iii)	बैंकों में सावधि जमा (भार-रहित) (तीन महीने से अधिक और बारह महीने तक मूल परिपक्वता)	-	-	-
(iv)	बंधपत्रों के ब्याज भुगतान के सापेक्ष के रूप में धारित (बारह माह से अधिक की मूल परिपक्वता)	3,263.89	1,881.19	1,606.18
(क)	बैंकों से ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए गिरवी	8,000.00	8,300.00	69,658.92
(ख)	बैंक से ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए गिरवी	164,572.00	349,512.00	245,033.00
	उप-योग (ख)	781,900.51	1,003,400.77	794,466.20
	योग	791,716.97	1,006,468.66	796,088.49

नोट 3: व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को		31.03.2018 को		01.04.2017 को	
		सांकेतिक राशि	उचित मूल्य	सांकेतिक राशि	उचित मूल्य	सांकेतिक राशि	उचित मूल्य
	परिसम्पत्तियां						
	(I) अन्य व्युत्पन्न:						
	विदेशी मुद्रा सिद्धांतम और ब्याज दर की अदला बदली	789,874.82	98,961.84	758,454.43	92,745.65	749,831.72	97,744.74
	कुल व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण (i)+(ii)	789,874.82	98,961.84	758,454.43	92,745.65	749,831.72	97,744.74

नोट 4: कारोबारी प्राप्य

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को	01.04.2017 को
	उत्तम, अप्रत्याभूत समझे गए प्राप्य :			
	प्राप्य गारंटी राशियां	-	-	17.25
	अन्य	88.73	156.56	28.56
	कुल	88.73	156.56	45.81

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 5: ऋण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 परिशोधित लागत	31.03.2018 परिशोधित लागत	01.04.2017 परिशोधित लागत
(क)	ऋण			
(I)	सावधि ऋण			
I	अवसंरचना ऋण			
a.	प्रत्यक्ष उधार	2,382,414.91	2,836,054.52	3,408,599.64
b.	समूहगत नगरपालिका ऋण बाध्याताएं(पीएमडीओ) स्कीम	597.66	3,072.41	6,814.90
c.	टेकआउट वित्तपोषण स्कीम	726,862.89	806,511.92	814,346.57
d.	पुनर्वित्तीय योजना	501,666.00	97,500.00	-
II	अवसंरचना ऋण : उप-मानक आस्तियां			
a.	प्रत्यक्ष उधार	388,602.70	340,842.19	73,387.05
b.	समूहगत नगरपालिका ऋण बाध्याताएं(पीएमडीओ) स्कीम	1,340.68	3,082.07	2,032.68
c.	टेकआउट वित्तपोषण स्कीम	5,201.72	3,840.08	90,000.00
III	अवसंरचना ऋण : संदिग्ध आस्तियां			
a.	प्रत्यक्ष उधार	600,971.99	193,992.39	128,538.42
b.	समूहगत नगरपालिका ऋण बाध्याताएं(पीएमडीओ) स्कीम	6,213.70	2,604.44	571.76
c.	टेकआउट वित्तपोषण स्कीम	93,830.21	90,000.00	-
IV	कर्मचारियों को ऋण*	563.03	448.98	337.40
(ii)	अन्य			
I	संबंधित पक्षों को ऋण एवं अग्रिम			
a.	सहायक कंपनियों की ओर से किया गया व्यय	8.64	18.86	0.35
	कुल (क) सकल	4,708,274.14	4,377,967.86	4,524,628.77
	घटाएं : क्षति हानि भत्ता^	-	-	-
	कुल (क) निवल	4,708,274.14	4,377,967.86	4,524,628.77
(B)	(I) मूर्त आस्तियों और अमूर्त आस्तियों द्वारा प्रत्याभूत			
	अच्छा समझा गया	3,110,438.49	3,646,087.83	4,230,098.51
	संदिग्ध वर्गीकृत किया गया	1,096,161.01	634,361.17	294,529.91
	(ii) अप्रत्याभूत	501,674.64	97,518.86	0.35
	कुल (ख) सकल	4,708,274.14	4,377,967.86	4,524,628.77
	घटाएं : क्षति हानि भत्ता^	-	-	-
	कुल (क) निवल	4,708,274.14	4,377,967.86	4,524,628.77
(C)	(I) सार्वजनिक क्षेत्र	501,666.00	97,500.00	-
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र से अन्य	4,206,608.14	4,280,467.86	4,524,628.77
	कुल (ग) सकल	4,708,274.14	4,377,967.86	4,524,628.77
	घटाएं : क्षति हानि भत्ता^	-	-	-
	कुल (ग) निवल	4,708,274.14	4,377,967.86	4,524,628.77
	कुल	4,708,274.14	4,377,967.86	4,524,628.77

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

फुटनोट :

सेक्टर	प्रतिभूति का ब्यौरा #	राशि (लाख रुपए में)		
ऊर्जा और अन्य सेक्टर	बंधक: पहला समरूप प्रभार, उधारकर्ता की सभी, वर्तमान एवं भावी, अचल संपत्तियों को बंधक करने के माध्यम से लिया गया। गिरवी: पहला समरूप प्रभार, उधारकर्ता के प्लान्ट एवं मशीनरी इत्यादि सहित सभी चल संपत्तियों को गिरवी रखने के माध्यम से लिया गया। न्यूनतम 51% शेयरों की जमानत पर रखकर उधारकर्ता के निलंब खाता एवं सभी अधिकारों और शीर्षकों तथा हित को साथ-साथ नितांत किया।	2,812,412.46	2,210,475.55	3,303,335.82
सड़क एवं एयरपोर्ट (पीपीपी)	परियोजना की वार्षिकी और टोल संग्रहण प्राप्त करने का अधिकार उधारकर्ता के निलंब खाता एवं सभी अधिकारों और शीर्षकों तथा हित को साथ-साथ नितांत किया। गिरवी: पहला समरूप प्रभार, उधारकर्ता सभी चल संपत्तियों को गिरवी रखने के माध्यम से लिया गया।	1,393,624.00	2,069,524.45	1,220,955.21
पुनर्वित्तपोषण स्कीम के तहत वित्तीय संस्थान	अप्रतिभूत	501,666.00	97,500.00	-
	कुल#	4,707,702.46	4,377,500.00	4,524,291.03

उपरोक्त प्रतिभूति के विवरण देते हुए फुटनोट में अवसंरचना ऋण राशि में, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वर्ष के भीतर देयर ऋण राशि तथा मूल अतिदेय राशि होने के नाते 2,60,124.23 लाख रुपये, शामिल है। (31 मार्च, 2018 को 1,52,647.87 लाख रुपये)। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार, 31 मार्च, 2019 तक इन अग्रिमों के संबंध में 4,28,730.05 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 को 2,50,099.51 लाख रुपये) का सकल प्रावधान किया गया है।

* दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के लागू होने के तथा दिनांक 11 नवंबर, 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक के अनुमोदन के अनुसरण में, मुख्य महाप्रबंधक – मुख्य वित्तीय अधिकारी को मुख्य प्रबंधकीय कर्मी के रूप में मान्यता दी गई है। तदनुसार, उनके लिए बढ़ाए गए भवन निर्माण ऋण को संबंधित पक्षों को ऋण एवं अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार, ऋण की कुल राशि 6.13 लाख रुपये थी। (दिनांक 31 मार्च, 2017 को 8.23 लाख रुपये)

^ नोट: आरबीआई के दिनांक 2 अगस्त, 2019 को अद्यतन किए गए प्रमुख दिशानिर्देश डीएनबीआर.पीडी.008 / 03.10.119 / 2016-17 के संदर्भ में, आईआईएफसीएल ने इसीएल के अनुसार प्रावधानों सहित ऋण आस्तियों पर प्रावधान का अलग से प्रकटीकरण किया है (नोट 17) जिसे अवसंरचना ऋण आस्तियों के मूल्य (नोट 5) से निवल किए बिना किया गया है।

टिप्पणी 6: निवेश

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019			31.03.2018			01.04.2017		
		एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल
(i)	म्युचुअल फंड्स में निवेश (अनुद्धत)(पूर्ण प्रदत्त)									
(ii)	आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड आईडीएफ सीरीज I	17,061.59	-	17,061.59	18,958.20	-	18,958.20	18,014.35	-	18,014.35
	आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड आईडीएफ सीरीज II	8,278.72	-	8,278.72	10,638.92	-	10,638.92	-	-	-
	25,340.31	25,340.31	-	25,340.31	29,597.12	-	29,597.12	18,014.35	-	18,014.35
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां									
(ii)	6.05% भारत सरकार 2019	-	-	-	-	1,980.00	1,980.00	-	1,980.00	1,980.00
(iii)	6.35% भारत सरकार 2020	-	6,834.51	6,834.51	-	6,834.51	6,834.51	-	6,834.51	6,834.51
(iv)	6.90% भारत सरकार 2019	-	1,952.09	1,952.09	-	1,952.09	1,952.09	-	1,952.09	1,952.09
(v)	7.76% एसएल (कनाडा) 2019	-	-	-	-	501.83	501.83	-	503.82	503.82
(vi)	7.85% SL एसएल (ऑंध्र प्रदेश) 2019	-	1,000.10	1,000.10	-	1,000.42	1,000.42	-	1,000.74	1,000.74
(vii)	8.27% एसएल (केरल) 2019	-	-	-	-	1,001.22	1,001.22	-	1,002.45	1,002.45
(viii)	8.43% एसएल (पश्चिम बंगाल) 2019	-	-	-	-	1,511.55	1,511.55	-	1,523.77	1,523.77
	8.48% एसएल (तमिलनाडु) 2019	-	-	-	-	2,507.98	2,507.98	-	2,516.41	2,516.41
	9,786.70	-	9,786.70	9,786.70	-	17,289.60	17,289.60	-	17,313.79	17,313.79
a.	ऋण प्रतिभूतियां									
(i)	बंधपत्रों में निवेश (उद्धत) (पूर्ण प्रदत्त)									
(ii)	8.90% पीएनबी 2019	-	-	-	-	1,984.03	1,984.03	-	1,984.03	1,984.03
(iii)	10.60% आईआरएफसी 2018	-	-	-	-	500.04	500.04	-	500.13	500.13
(iv)	11.00% पीएफसी 2018	-	-	-	-	461.89	461.89	-	470.00	470.00
(v)	11.25% पीएफसी 2018	-	-	-	-	922.70	922.70	-	940.96	940.96
(vi)	6.90% पीएफसी 2018	-	-	-	-	106,000.00	106,000.00	-	106,000.00	106,000.00
	8.83% नेवेली लिग्नाइट कोरपोरेशन लिमिटेड 2019	-	-	-	-	965.92	965.92	-	965.92	965.92
	110,834.58	-	-	9,786.70	-	110,834.58	110,834.58	-	110,861.04	110,861.04
b.	डिबेंचर में निवेश (अनुद्धत)(पूर्ण प्रदत्त)									
	बंसल पाथवेज (मंगलन-चक्रघाट)	6,078.00	-	6,078.00	6,078.00	-	6,078.00	-	-	-
	प्राइवेट लिमिटेड में डिबेंचर	13,786.00	-	13,786.00	-	-	-	-	-	-
	सोमा आईसोलक्स सूरत हजीरा टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड में डिबेंचर	19,864.00	-	19,864.00	6,078.00	-	6,078.00	-	-	-

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019			31.03.2018			01.04.2017		
		एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल
a.	इक्विटी उपकरण									
	इक्विटी अनुदेश में निवेश अनुद्धत (पूर्ण प्रदत्त)									
	दिल्ली म्यूचुअल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड	411.03	-	411.03	411.03	-	411.03	411.03	-	411.03
	आधुनिक पावर एंड नैचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (आईआईएफसीएल की ओर से प्रतिभूति ट्रस्टी द्वारा धारित)	4,765.00		4,765.00	4,765.00	-	4,765.00	-	-	-
		5,176.02	-	5,176.02	5,176.03	-	5,176.03	411.03	-	411.03
अन्य										
a.	संयुक्त पूंजी उद्यमों में निवेश अनुद्धत (पूर्ण प्रदत्त)									
	आईडीएफसी प्रोजेक्ट इक्विटी डोमेस्टिक ट्रस्ट II (पूर्ण प्रदत्त)	1,674.87	-	1,674.87	1,674.87	-	1,674.87	5,212.02	-	5,212.02
b.	प्रतिभूति रसीदों में निवेश (अनुद्धत) (पूर्ण प्रदत्त)									
	एडेलवीज एसेट रिकंक्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 135-सिरीज I)	25.99	-	25.99	400.97	-	400.97	425.00	-	425.00
(i)	एडेलवीज एसेट रिकंक्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 207-सिरीज I)	7,217.86	-	7,217.86	7,829.13	-	7,829.13	8,564.91	-	8,564.91
(ii)	एसेट रिकंक्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (आर्सिल-एएसटी-VIII-ट्रस्ट)	7,428.15	-	7,428.15	9,904.20	-	9,904.20	9,904.20	-	9,904.20
(iii)	फोनिकस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (फोनिकस ट्रस्ट एफवाई 16-20)	2,465.00	-	2,465.00	2,465.00	-	2,465.00	2,465.00	-	2,465.00
(iv)	एडेलवीज एसेट रिकंक्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 207-सिरीज I)	37,365.89	-	37,365.89	37,913.93	-	37,913.93	-	-	-
(v)		54,502.89	-	54,502.89	58,513.23	-	58,513.23	21,359.11	-	21,359.11
	कुल (क) सकल	106,558.09	9,786.70	116,344.79	101,039.25	128,124.18	229,163.43	44,996.51	128,174.83	173,171.34
(i)	विदेशी निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019			31.03.2018			01.04.2017		
		एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल
(ii)	भारत में निवेश	106,558.09	9,786.70	116,344.79	101,039.25	128,124.18	229,163.43	44,996.51	128,174.83	173,171.34
	कुल (ख)	106,558.09	9,786.70	116,344.79	101,039.25	128,124.18	229,163.43	44,996.51	128,174.83	173,171.34
	कुल (क) का मेल (ख) से होना है	106,558.09	9,786.70	116,344.79	101,039.25	128,124.18	229,163.43	44,996.51	128,174.83	173,171.34
	घटाएं: क्षति हानि के लिए भत्ता (ग)	16,831.53	-	16,831.53	-	9,638.96	9,638.96	-	-	-
	कुल निवल घ = (क) - (ग)	89,726.56	9,786.70	99,513.26	101,039.25	118,485.22	219,524.47	44,996.51	128,174.83	173,171.34

घटाएं: क्षति हानि के लिए भत्ता (ग)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019			31.03.2018			01.04.2017		
		एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल
	आधुनिक पावर एंड नैचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (आईआईएफसीएल की ओर से प्रतिभूति ट्रस्टी द्वारा धारित)	4,191.05	-	4,191.05	-	4,191.05	-	4,191.05	-	-
	बंसल पाथवेज (मंगलवन-चक्रघाट) प्राइवेट लिमिटेड में डिबेंचर	5,388.48	-	5,388.48	-	5,447.91	5,447.91	-	-	-
	सूत हजीरा में डिबेंचर	7,252.00	-	7,252.00	-	-	-	-	-	-

* वित्तीय लिखतों का मूल्यांकन लागत पर किया गया है

फुटनोट्स:

(अ) उद्धृत निवेशों की सकल राशि :

(i) लागत / बही मूल्य

(ii) बाजार मूल्य

(b) अनुद्धत निवेशों की सकल राशि - लागत / बही मूल्य

(c) याकिगत निवेशों के मूल्यांकन के लिए नोट 30(ए)(6.2) का संदर्भ लें।

(d) वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग्स और रेटिंग्स में परिवर्तन का व्यौरा:

"आईआईएफसीएल के घरेलू ऋण साधनों" की रेटिंग "एएएए" है जो सीआरआईएसआईएल, सीएआरई, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, आईसीआरए और ब्रिकवर्क्स - क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ द्वारा दी गई सर्वोत्तम रेटिंग है। कम्पनी को दी गई इन रेटिंग्स की पुष्टि स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा बीबीबी- / नकारात्मक / ए-त के रूप में की गई है जो संप्रभु रेटिंग्स के बराबर है। वर्ष के दौरान रेटिंग्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।"

* निम्नलिखित निवेशों का निवल आस्ति मूल्य (रुपये में) निम्नानुसार है:

(I) आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड आईडीएफ सिरीज I	1,312,430.07	1,458,323.45	1,385,719.32
(ii) आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड आईडीएफ सिरीज II	827,871.94	1,063,891.62	-
(iii) ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 135-सिरीज I	-	943.46	1,000.00
(iv) ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 207-सिरीज I	1,172.02	1,271.27	1,390.74
(v) ईएआरसी ट्रस्ट-एससी 276-सिरीज I	1,057.03	1,000.00	-
(vi) आर्सिल-एससी-VIII-ट्रस्ट	750.00	1,000.00	1,000.00
(vii) फोनिक्स ट्रस्ट एफवाई 16-20	1,000.00	1,000.00	1,000.00

निवल आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव को अस्थाई माना गया है।

(e) निवेशों में ह्रास के लिए सकल प्रावधान

अनुद्धत निवेश की राशि को, वर्ष 2018-19 के लिए आईआईएफसीएल के वार्षिक लेखों पर चरण-III लेखपरीक्षा के आधे हाशियों में अवलोकन के लिए लेखा परीक्षा के क्रम में प्रधान वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक कार्यालय, सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-III, नई दिल्ली को दी गई आश्वस्तियों/उत्तरों के अनुसरण में वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रण के चरण में, अद्यतन किया जाता है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 7: अन्य वित्त आस्तियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को	01.04.2017 को
क	अग्रिम			
	कर्मचारियों से प्राप्य अग्रिम	61.94	44.93	48.56
	प्रतिभूति जमा राशि प्रदत्त	37.66	736.47	736.29
	अन्य	60.73	189.60	83.84
	उप-योग (क)	160.33	971.00	868.68
ख	ऋणों एवं अग्रिमों पर प्रदत्त एवं देय ब्याज	13,160.70	23,966.33	28,073.39
	उप-योग (ख)	13,160.70	23,966.33	28,073.39
ग	प्रदत्त किंतु अदेय ब्याज :			
	बैंकों में सावधि जमा	6,888.58	13,695.60	6,299.78
	बंधपत्र	-	5,313.91	644.97
	सरकारी प्रतिभूतियां	162.69	204.88	204.88
	ऋण एवं अग्रिम	23,506.00	29,404.22	47,963.10
	उप-योग (ग)	30,557.27	48,618.61	55,112.73
	कुल योग (क)+(ख)+(ग)	43,878.30	73,555.94	84,054.80

नोट 8: चालू कर आस्तियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को	01.04.2017 को
(I)	आयकर वसूली योग्य राशि	21,252.58	8,831.05	15,044.76
(ii)	सेवा कर वसूली योग्य राशि (सेनवेट)	0.02	0.02	5.40
(iii)	वस्तु एवं सेवा कर वसूली योग्य राशि	6.19	17.21	-
(iv)	अग्रिम कर वसूली योग्य राशि	2,037.83	18,969.72	102.52
	कुल	23,296.62	27,818.00	15,152.68

नोट 9: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यहास						निवल ब्लॉक						
	01.04.2017	परिवर्धन	निपटान/ समायोजन	31.03.2018	01.04.2018	परिवर्धन	निपटान/ समायोजन	31.03.2019	01.04.2017	परिवर्धन	कटौती/ प्रत्यावर्तन	31.03.2018	01.04.2018	अवधि हेतु	कटौती/ प्रत्यावर्तन	31.03.2019	31.03.2018	01.04.2017	
मूर्त आस्तियां																			
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	107.17	1.95	1.55	107.57	107.57	509.33	7.74	609.16	-	38.28	0.80	37.48	53.87	51.52	0.01	105.38	503.78	53.70	90.78
वाहन	44.80	33.33	31.92	46.21	46.21	28.72	-	74.93	-	15.87	22.76	(6.89)	(6.89)	17.96	0.07	11.00	63.93	53.10	44.80
कार्यालय उपकरण	10.43	1.53	1.60	10.36	10.36	322.17	0.01	332.52	-	5.08	1.04	4.04	4.98	37.60	-	42.58	289.94	5.38	9.49
प्लांट एवं मशीनरी	30.14	1.04	0.45	30.73	30.73	106.65	-	137.38	-	1.75	0.28	1.47	25.24	14.39	-	39.62	97.76	5.49	6.37
कंप्यूटर हार्डवेयर	62.69	1.99	1.21	63.47	63.47	190.29	-	253.76	-	28.76	1.13	27.63	34.58	32.78	-	67.36	186.41	28.89	55.74
लीजहोल्ड विकास	79.63	0.25	-	79.88	79.88	5.07	-	84.95	-	5.77	(0.12)	5.89	27.48	7.32	-	34.80	50.15	52.40	58.04
भवन	-	-	-	-	-	25,231.66	-	25,231.66	-	-	-	-	-	200.05	-	200.05	25,031.61	-	-
बिजली के उपकरण	-	-	-	-	-	346.41	-	346.41	-	-	-	-	-	38.50	-	38.50	307.91	-	-
कुल	334.86	40.10	36.73	338.22	338.22	26,740.30	7.75	27,070.78	-	95.51	25.89	69.62	139.26	400.12	0.08	539.29	26,531.48	198.97	265.23
गत वर्ष	804.87	52.03	153.04	703.86	703.86	40.10	36.73	707.22	428.56	129.34	119.26	438.64	438.64	95.51	25.89	508.26	198.97	265.23	376.31

नोट 10: प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				निवल ब्लॉक			
	01.04.2017	परिवर्धन	निपटान/समायोजन	31.03.2018	01.04.2018	परिवर्धन	निपटान/समायोजन	31.03.2019	01.04.2018	परिवर्धन	कटौती/प्रत्यावर्तन	31.03.2019
प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य	14,895.70	5,460.39	241.41	20,114.68	20,114.68	9,763.20	27,618.42	2,259.46	-	-	-	2,259.46
कुल	14,895.70	5,460.39	241.41	20,114.68	20,114.68	9,763.20	27,618.42	2,259.46	-	-	-	2,259.46
वित्त वर्ष	9,120.84	5,774.86	-	14,895.70	14,895.70	5,460.39	241.41	20,114.68	-	-	-	20,114.68

नोट 11: अमूर्त आस्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				निवल ब्लॉक			
	01.04.2017	परिवर्धन	निपटान/समायोजन	31.03.2018	01.04.2018	परिवर्धन	निपटान/समायोजन	31.03.2019	01.04.2018	परिवर्धन	कटौती/प्रत्यावर्तन	31.03.2019
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर *	32.59	220.40	-	252.99	252.99	649.30	-	902.29	89.79	88.86	0.01	399.44
कुल	32.59	220.40	-	252.99	252.99	649.30	-	902.29	89.79	88.86	0.01	399.44
वित्त वर्ष	102.76	14.34	-	117.10	117.10	220.40	-	902.29	85.42	88.86	-	399.44

* कंपनी द्वारा धारित अमूर्त आस्तियां, आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्तियों से भिन्न हैं।

नोट: आईआईएफसीएल का कार्यालय 1 जनवरी 2019 से नए परिसर में स्थानांतरित हो गया है। परिसर का अधिग्रहण करने के लिए भुगतान की गई राशि को लेखा पुस्तिकाओं में पूंजीकृत किया गया है। चूंकि करार का कार्यान्वयन अभी किया जाना शेष है, आईआईएफसीएल ने राशि का 30 वर्ष की लीज अवधि के लिए परिशोधित किया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 12: अन्य

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को	01.04.2017 को
(i)	चुकता व्यय	16.33	22.29	28.82
(ii)	अन्य अग्रिम	3,377.83	142.63	33.14
(iii)	कर्मचारी के प्रति चुकता लागत	7.96	-	-
(iv)	आस्थगित लागत (प्रदत्त प्रतिभूति जमा)	0.73	0.10	0.10
	योग	3,402.84	165.02	62.06

नोट 13: ऋण प्रतिभूतियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को		31.03.2018 को		01.04.2017 को	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
(क)	अन्य						
I	प्रतिभूत बंधपत्र^						
(I)	500 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 500) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 9.36% बंधपत्र, 27/07/2042 को प्रतिदेय	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
(ii)	10,500 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 10, 500) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 9.41% बंधपत्र, 27/07/2037 को प्रतिदेय	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
(iii)	12,59,825 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 12,59,825) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.55% कर-मुक्त ट्रेज III सीरीज 3ए के बंधपत्र, 27/03/2034 को प्रतिदेय	12,598.25	12,598.25	12,598.25	12,598.25	12,598.25	12,598.25
(iv)	12,87,311 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 13,15,838) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.80% कर-मुक्त ट्रेज III सीरीज 3बी के बंधपत्र, 27/03/2034 को प्रतिदेय	12,873.11	12,873.11	12,873.11	12,873.11	13,158.38	13,158.38
(v)	96,943 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 88,618 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.55% कर-मुक्त ट्रेज III के बंधपत्र, 27/03/2034 को प्रतिदेय	1,254.70	1,254.70	1,254.70	1,254.70	969.43	969.43
(vi)	4,01,389 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 3,27,721) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.66% कर-मुक्त सीरीज IV के बंधपत्र, 22/01/2034 को प्रतिदेय	5,157.65	5,157.65	5,157.65	5,157.65	4,013.89	4,013.89
(vii)	75,43,989 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 75,43,989) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.66% कर-मुक्त सीरीज IV के बंधपत्र, 22/01/2034 को प्रतिदेय	75,439.89	75,439.89	75,439.89	75,439.89	75,439.89	75,439.89
(viii)	55,57,608 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 56,31,276) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.91% कर-मुक्त सीरीज IV के बंधपत्र, 22/01/2034 को प्रतिदेय	54,432.32	54,432.32	54,432.32	54,432.32	55,576.08	55,576.08
(ix)	1,28,046 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 1,19,541) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.50% कर मुक्त सीरीज III के बंधपत्र, 12/11/2033 को प्रतिदेय	1,591.13	1,591.13	1,591.13	1,591.13	1,280.46	1,280.46
(x)	18,68,982 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 18,68,982) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.50% कर मुक्त बंधपत्र, 12/11/2033 को प्रतिदेय	18,689.82	18,689.82	18,689.82	18,689.82	18,689.82	18,689.82
(xi)	24,51,575 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 24,60,080) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.75% कर मुक्त बंधपत्र, 12/11/2033 को प्रतिदेय	24,205.08	24,205.08	24,205.08	24,205.08	24,515.75	24,515.75
(xii)	265 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 265) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.37% कर मुक्त सीरीज VI के बंधपत्र, 30/08/2033 को प्रतिदेय	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को		31.03.2018 को		01.04.2017 को	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
(xiii)	20 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 20) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.19% कर मुक्त सिरीज V के बंधपत्र, 23/08/2033 को प्रतिदेय	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
(xiv)	35,812 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 18,822) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.08% कर मुक्त बंधपत्र, 26/03/2033 को प्रतिदेय	424.72	424.72	424.72	424.72	358.12	358.12
(xv)	1,97,353 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 2,04,343) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.58% कर मुक्त बंधपत्र, 26/03/2033 को प्रतिदेय	1,906.93	1,906.93	1,906.93	1,906.93	1,973.53	1,973.53
(xvi)	1,01,12,152 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 1,00,83,588) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.40% कर मुक्त बंधपत्र, 22/01/2033 को प्रतिदेय	101,628.09	101,628.09	101,628.09	101,628.09	101,121.52	101,121.52
(xvii)	14,52,072 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 14,80,636) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.90% कर मुक्त बंधपत्र, 22/01/2033 को प्रतिदेय	14,014.15	14,014.15	14,014.15	14,014.15	14,520.72	14,520.72
(xviii)	210 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 210) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.41% कर मुक्त सिरीज IV-सी के बंधपत्र, 21/11/2032 को प्रतिदेय	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
(xix)	3400 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 3400) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.41% कर मुक्त सिरीज III-सी के बंधपत्र, 15/11/2032 को प्रतिदेय	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
(xx)	93,915 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 55,433) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.55% कर मुक्त ट्रेंच-III सिरीज 2ए के बंधपत्र, 27/03/2029 को प्रतिदेय	1,228.07	1,228.07	1,228.07	1,228.07	939.15	939.15
(xxi)	1,59,58,486 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 1,59,58,486) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.55% कर मुक्त ट्रेंच-III सिरीज 2ए के बंधपत्र, 27/03/2029 को प्रतिदेय	159,584.86	159,584.86	159,584.86	159,584.86	159,584.86	159,584.86
(xxii)	27,39,954 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 27,78,436) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.80% कर मुक्त ट्रेंच-III सिरीज 2बी के बंधपत्र, 27/03/2029 को प्रतिदेय	27,110.62	27,110.62	27,110.62	27,110.62	27,399.54	27,399.54
(xxiii)	52,550 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 34,333) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.48% कर मुक्त सिरीज IV के बंधपत्र, 22/01/2029 को प्रतिदेय	679.08	679.08	679.08	679.08	525.50	525.50
(xxiv)	27,98,922 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 27,98,922) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.48% कर मुक्त सिरीज IV के बंधपत्र, 22/01/2029 को प्रतिदेय	27,989.22	27,989.22	27,989.22	27,989.22	27,989.22	27,989.22
(xxv)	14,26,308 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 14,26,308) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.48% कर मुक्त सिरीज IV के बंधपत्र, 22/01/2029 को प्रतिदेय	14,109.50	14,109.50	14,109.50	14,109.50	14,263.08	14,263.08
(xxvi)	89,009 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 58,112) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.38% कर मुक्त सिरीज IV के बंधपत्र, 12/11/2028 को प्रतिदेय	890.09	890.09	890.09	890.09	581.12	581.12
(xxvii)	30,35,330 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 30,35,330) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.38% कर मुक्त बंधपत्र, 12/11/2028 को प्रतिदेय	30,353.30	30,353.30	30,353.30	30,353.30	30,353.30	30,353.30
(xxviii)	16,02,208 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 16,21,932) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.63% कर मुक्त बंधपत्र, 12/11/2028 को प्रतिदेय	15,713.11	15,713.11	15,713.11	15,713.11	16,022.08	16,022.08

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को		31.03.2018 को		01.04.2017 को	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
(xxix)	11,297 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 11,297) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.48% कर मुक्त सिरीज IV के बंधपत्र, 05/09/2028 को प्रतिदेय	112,970.00	112,970.00	112,970.00	112,970.00	112,970.00	112,970.00
(xxx)	11,597 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 11,597) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.46% कर मुक्त सिरीज IV के बंधपत्र, 30/08/2028 को प्रतिदेय	115,970.00	115,970.00	115,970.00	115,970.00	115,970.00	115,970.00
(xxxix)	6,303 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 6,303) 10 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.52% कर मुक्त बंधपत्र सीरीज V, 23/08/2028 को प्रतिदेय	63,030.00	63,030.00	63,030.00	63,030.00	63,030.00	63,030.00
(xxxixii)	3,56,419 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 3,54,029) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.02% कर मुक्त बंधपत्र, 26/03/2028 को प्रतिदेय	3,615.54	3,615.54	3,615.54	3,615.54	3,564.19	3,564.19
(xxxixiii)	1,09,199 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 1,11,589) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.52% कर मुक्त बंधपत्र, 26/03/2028 को प्रतिदेय	1,040.64	1,040.64	1,040.64	1,040.64	1,091.99	1,091.99
(xxxixiv)	67,22,052 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 67,05,758) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.36% कर मुक्त बंधपत्र, 22/01/2028 को प्रतिदेय	67,411.62	67,411.62	67,411.62	67,411.62	67,220.52	67,220.52
(xxxixv)	8,87,501 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 9,03,795) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.86% कर मुक्त बंधपत्र, 22/01/2028 को प्रतिदेय	8,683.91	8,683.91	8,683.91	8,683.91	8,875.01	8,875.01
(xxxixvi)	500 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 500) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.38% कर मुक्त सिरीज IV-बी के बंधपत्र, 21/11/2027 को प्रतिदेय	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
(xxxixvii)	1,000 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 1,000) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.8% कर मुक्त सिरीज III-बी के बंधपत्र, 15/11/2027 को प्रतिदेय	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
(xxxixviii)	38,58,714 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 38,58,714) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.16% कर मुक्त भाग-III सिरीज ए के बंधपत्र, 27/03/2024 को प्रतिदेय	38,587.14	38,587.14	38,587.14	38,587.14	38,587.14	38,587.14
(xxxixix)	12,95,786 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 12,95,786) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.41% कर मुक्त भाग-III सिरीज Iबी के बंधपत्र, 27/03/2024 को प्रतिदेय	12,805.11	12,805.11	12,805.11	12,805.11	12,957.86	12,957.86
(xL)	25,913 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 18,055) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.16% कर मुक्त भाग-III के बंधपत्र, 27/03/2024 को प्रतिदेय	411.88	411.88	411.88	411.88	259.13	259.13
(xLi)	1,44,938 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 1,14,165) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.41% कर मुक्त सिरीज IV के बंधपत्र, 22/01/2024 को प्रतिदेय	1,917.78	1,917.78	1,917.78	1,917.78	1,449.38	1,449.38
(xLii)	79,57,885 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 79,57,885) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.41% कर मुक्त सिरीज IV के बंधपत्र, 22/01/2024 को प्रतिदेय	79,578.85	79,578.85	79,578.85	79,578.85	79,578.85	79,578.85
(xLiii)	41,16,411 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 41,47,184) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.66% कर मुक्त सिरीज IV के बंधपत्र, 22/01/2024 को प्रतिदेय	40,695.71	40,695.71	40,695.71	40,695.71	41,164.11	41,164.11
(xLiv)	17,26,340 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 17,26,340) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.01% कर मुक्त बंधपत्र, 12/11/2023 को प्रतिदेय	17,263.40	17,263.40	17,263.40	17,263.40	17,263.40	17,263.40
(xLv)	12,39,118 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 12,45,503) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.26% कर मुक्त बंधपत्र, 12/11/2023 को प्रतिदेय	12,317.39	12,317.39	12,317.39	12,317.39	12,391.18	12,391.18

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को		31.03.2018 को		01.04.2017 को	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
(xLvi)	20,340 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 13,955) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.01% कर मुक्त सिरीज़ III के बंधपत्र, 12/11/2023 को प्रतिदेय	277.19	277.19	277.19	277.19	203.40	203.40
(xLvii)	50 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 50) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.11% कर मुक्त सिरीज़ VII के बंधपत्र, 05/09/2023 को प्रतिदेय	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
(xLviii)	100 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 100) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.01% कर मुक्त सिरीज़ IV के बंधपत्र, 30/08/2023 को प्रतिदेय	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
(xLix)	19,27,359 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 19,21,694) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 6.86% कर मुक्त बंधपत्र, 26/03/2023 को प्रतिदेय	19,273.19	19,273.19	19,273.19	19,273.19	19,233.59	19,233.59
(L)	1,02,278 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 1,03,943) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.36% कर मुक्त बंधपत्र, 26/03/2023 को प्रतिदेय	983.18	983.18	983.18	983.18	1,022.78	1,022.78
(Li)	85,13,922 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 84,96,641) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.19% कर मुक्त बंधपत्र, 22/01/2023 को प्रतिदेय	85,463.48	85,463.48	85,463.48	85,463.48	85,139.22	85,139.22
(Lii)	11,51,070 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 11,68,351) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.69% कर मुक्त बंधपत्र, 22/01/2023 को प्रतिदेय	11,186.44	11,186.44	11,186.44	11,186.44	11,510.70	11,510.70
(Liii)	2,140 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 2,140) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.21% कर मुक्त सिरीज़ IV-ए के बंधपत्र, 22/11/2022 को प्रतिदेय	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00
(Liv)	600 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 600) 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.02% कर मुक्त सिरीज़ III-ए के बंधपत्र, 15/11/2022 को प्रतिदेय	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
(Lv)	1,30,407 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 1,30,407) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.30% कर मुक्त बंधपत्र, 29/03/2018 को प्रतिदेय	791.10	791.10	794.02	794.02	1,304.07	1,304.07
(Lvi)	5,38,811 (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 5,40,816) 1000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.15% कर मुक्त बंधपत्र, 29/03/2016 के पूर्ववर्ती पुनर्खरीद के साथ 28/03/2021 को प्रतिदेय	5,388.11	5,388.11	5,388.11	5,388.11	5,388.11	5,388.11
		1,494,385.35	1,494,385.35	1,494,388.27	1,494,388.27	1,494,898.32	1,494,898.32
II	अप्रतिभूत बंधपत्र^						
(I)	10,000, 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.55% बंधपत्र, 03/11/2024 को प्रतिदेय रु #	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
(ii)	4,000, 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.12% बंधपत्र, 28/04/2024 को प्रतिदेय रु #	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
(iii)	6,000, 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.12% बंधपत्र, 12/08/2024 को प्रतिदेय रु #	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
(iv)	5,000, 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.90% बंधपत्र, 28/04/2024 को प्रतिदेय रु #	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
(v)	5,000, 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.10% बंधपत्र, 08/04/2024 को प्रतिदेय रु #	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
(vi)	2,000, 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.68% बंधपत्र, 18/12/2023 को प्रतिदेय रु #	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
(vii)	2,000, 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 9.35% बंधपत्र, 17/11/2023 को प्रतिदेय रु #	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को		31.03.2018 को		01.04.2017 को	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
(viii)	2,000, 10 लाख रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.82% बंधपत्र, 19/12/2022 को प्रतिदेय रु #	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
(ix)	919 आरबीआई द्वारा अभिदत्त एक मिलियन डॉलर प्रत्येक के अंकित मूल्य पर यूएस डॉलर ब्याज सहबद्ध छः माह एलआईबीओआर बंधपत्र 06/04/2024 को मोचनीय #	267,599.97	267,599.97	-	-	-	-
(x)	400 आरबीआई द्वारा अभिदत्त एक मिलियन डॉलर प्रत्येक के अंकित मूल्य पर यूएस डॉलर ब्याज सहबद्ध छः माह एलआईबीओआर बंधपत्र 29/01/2029 को मोचनीय #	371,295.04	371,295.04	-	-	-	-
(xi)	532 आरबीआई द्वारा अभिदत्त एक मिलियन डॉलर प्रत्येक के अंकित मूल्य पर यूएस डॉलर ब्याज सहबद्ध छः माह एलआईबीओआर अपरिवर्तनीय बंधपत्र 26/03/2025 को मोचनीय #	-	-	597,755.28	597,755.28	595,866.73	595,866.73
(xii)	231 आरबीआई द्वारा अभिदत्त एक मिलियन डॉलर प्रत्येक के अंकित मूल्य पर यूएस डॉलर ब्याज सहबद्ध छः माह एलआईबीओआर बंधपत्र 06/03/2024 को मोचनीय #	161,220.21	161,220.21	150,251.87	150,251.87	149,777.17	149,777.17
(xiii)	160 आरबीआई द्वारा अभिदत्त एक मिलियन डॉलर प्रत्येक के अंकित मूल्य पर यूएस डॉलर ब्याज सहबद्ध छः माह एलआईबीओआर अपरिवर्तनीय बंधपत्र 04/03/2023 को मोचनीय #	111,667.68	111,667.68	104,070.56	104,070.56	103,741.76	103,741.76
(xiv)	117 आरबीआई द्वारा अभिदत्त एक मिलियन डॉलर प्रत्येक के अंकित मूल्य पर यूएस डॉलर ब्याज सहबद्ध छः माह एलआईबीओआर अपरिवर्तनीय बंधपत्र 05/07/2022 को मोचनीय #	81,656.99	81,656.99	76,101.60	76,101.60	75,861.16	75,861.16
(xv)	123 आरबीआई द्वारा अभिदत्त एक मिलियन डॉलर प्रत्येक के अंकित मूल्य पर यूएस डॉलर ब्याज सहबद्ध छः माह एलआईबीओआर अपरिवर्तनीय बंधपत्र 30/03/2022 को मोचनीय #	85,844.53	85,844.53	80,004.24	80,004.24	79,751.48	79,751.48
(xvi)	170 आरबीआई द्वारा अभिदत्त एक मिलियन डॉलर प्रत्येक के अंकित मूल्य पर यूएस डॉलर ब्याज सहबद्ध छः माह एलआईबीओआर अपरिवर्तनीय बंधपत्र 27/02/2022 को मोचनीय #	118,646.91	118,646.91	110,574.97	110,574.97	110,225.62	110,225.62
(xvii)	130 आरबीआई द्वारा अभिदत्त एक मिलियन डॉलर प्रत्येक के अंकित मूल्य पर यूएस डॉलर ब्याज सहबद्ध छः माह एलआईबीओआर अपरिवर्तनीय बंधपत्र 16/09/2021 को मोचनीय #	90,729.99	90,729.99	84,557.33	84,557.33	84,290.18	84,290.18
(xviii)	250 आरबीआई द्वारा अभिदत्त एक मिलियन डॉलर प्रत्येक के अंकित मूल्य पर यूएस डॉलर ब्याज सहबद्ध छः माह एलआईबीओआर अपरिवर्तनीय बंधपत्र 19/03/2019 को मोचनीय #	-	-	162,610.25	162,610.25	162,096.50	162,096.50
		1,648,661.32	1,648,661.32	1,725,926.10	1,725,926.10	1,721,610.60	1,721,610.60
	कुल सकल (क)	3,143,046.67	3,143,046.67	3,220,314.37	3,220,314.37	3,216,508.92	3,216,508.92
	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	1,854,385.35	1,854,385.35	1,854,388.27	1,854,388.27	1,854,898.32	1,854,898.32
	भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	1,288,661.32	1,288,661.32	1,365,926.10	1,365,926.10	1,361,610.60	1,361,610.60
	कुल सकल (ख)	3,143,046.67	3,143,046.67	3,220,314.37	3,220,314.37	3,216,508.92	3,216,508.92
	कुल (ख) का (क) के साथ मेल होना है	3,143,046.67	3,143,046.67	3,220,314.37	3,220,314.37	3,216,508.92	3,216,508.92

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

^ आईआईएफसीएल द्वारा जारी किए गए सभी प्रतिभूत और अप्रतिभूत बंधपत्र गैर-परिवर्तनीय और प्रतिदेय हैं। इसके अतिरिक्त, सभी प्रतिभूत बंधपत्र, कंपनी खातों के सभी अधिकारों, शीर्षकों, हितों, लाभों, दावों तथा मागों सहित कंपनी के सभी प्रकृति, वर्तमान और भावी, के प्राप्यों के समतुल्य आधार पर प्रतिभूत हैं।

आईआईएफसीएल के घरेलू ऋण अनुदेश को "एएए" रेटिंग प्राप्त है – जो कि सीआरआईएसआईएल, सीएआईई, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, आईसीआरए और ब्रिक्सवर्क्स – क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रदान की गई उच्चतम रेटिंग है। कंपनी को प्रदान की गई रेटिंग की पुष्टि बीबीबी- / निगेटिव / ए-3 के रूप में मानक एवं अपमानक के आधार पर की गई है जो कि श्रेष्ठ रेटिंग के समतुल्य है। वर्ष के दौरान रेटिंग में कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है।

अप्रतिभूत बंधपत्र भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा होते हैं खजिनमें 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार शून्य (31 मार्च 2018 का शून्य) शामिल, जो रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर देय हैं,

360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00

विमुक्त कराए गए बंधपत्र या डिबेंचर जिनका पुनः जारी करने का अधिकार आईआईएफसीएल को है।

शून्य

शून्य

शून्य

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 14: उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को		31.03.2018 को		01.04.2017 को	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
a)	सावधि ऋण						
(I)	अन्य पक्षकारों से अप्रतिभूत ऋण:						
a.	एशियाई विकास बैंक (एडीबी)	993,406.28	993,406.28	934,655.64	934,655.64	962,455.54	962,455.54
b.	आईबीआरडी (विश्व बैंक)	121,719.35	121,719.35	120,646.20	120,646.20	126,435.27	126,435.27
c.	यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)	155,404.80	155,404.80	161,244.15	161,244.15	138,494.95	138,494.95
d.	हेडिटेन्स्टाल्टफर वेडिराउघबाउ (केएफडब्ल्यू)	19,971.85	19,971.85	25,618.71	25,618.71	26,210.19	26,210.19
e.	जापान इंटरनेशनल कोओपरेशन एजेंसी	62,520.00	62,520.00	6,154.00	6,154.00	-	-
b)	मांग पर प्रतिदेय ऋण:						
	प्रतिभूत ऋण:						
I)	बैंकों से	87,234.04	87,234.04	174,390.86	174,390.86	89,666.24	89,666.24
	(31 मार्च 2019 को 1,64,572.00 लाख रुपए (31 मार्च 2018 को 3,49,512 लाख रुपए) की सावधि जमा प्राप्तियों की गिरवी द्वारा प्रतिभूत)						
	कुल (क)	1,440,256.32	1,440,256.32	1,422,709.56	1,422,709.56	1,343,262.19	1,343,262.19
	भारत में उधार राशियां	87,234.04	87,234.04	174,390.86	174,390.86	89,666.24	89,666.24
	भारत से बाहर उधार राशियां —एफसी ऋण	1,353,022.28	1,353,022.28	1,248,318.70	1,248,318.70	1,253,595.95	1,253,595.95
	कुल (ख) को कुल (क) से मेल करना है	1,440,256.32	1,440,256.32	1,422,709.56	1,422,709.56	1,343,262.19	1,343,262.19

अन्य पक्षों से सभी अप्रतिभूत मियादी ऋण, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत हैं, जिनमें से (दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार, 41,958.54 लाख रुपये, 4,721.20 लाख रुपये और 6,582.34 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 के अनुसार, 37,851 लाख रुपये, 4,897.80 लाख रुपये और 6,189.60 लाख रुपये)) की राशि, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के 1 वर्ष के भीतर क्रमशः एडीबी, केडब्ल्यूएफ और विश्व बैंक को देय है और नोट 8 में "अन्य वर्तमान देयताओं" के रूप में दर्शायी गई है।

* डेबिट शेष का निवल 0.14

0.14 0.15 0.15 0.14 0.14

दीर्घावधिक ऋणों के पुर्नभुगतान की शर्तें

i) एशियाई विकास बैंक

ट्रैच	करार के अनुसार ऋण की राशि (अल्पावधि सहित)	ब्याज की दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
I	3000	6मि.अ.डॉ.एलआईबीओआर+20बीपीएस	15.12.2012	15.06.2032	अर्धवार्षिक	प्रत्येक किश्त ऋण राशि की 2.50%
II	2000	6मि.अ.डॉ.एलआईबीओआर+20बीपीएस	15.06.2014	15.12.2033	अर्धवार्षिक	प्रत्येक किश्त ऋण राशि की 2.50%
III	2100	6मि.अ.डॉ.एलआईबीओआर+20बीपीएस	15.12.2014	15.06.2034	अर्धवार्षिक	बलूनिंग इंस्टालमेंट्स 0.827816% से ऋण राशि के 5.550311%
IV	2500	6मि.अ.डॉ.एलआईबीओआर+30बीपीएस	15.12.2015	15.06.2035	अर्धवार्षिक	
V	2400	6मि.अ.डॉ.एलआईबीओआर+40बीपीएस	15.12.2016	15.06.2036	अर्धवार्षिक	
VI	4000	6मि.अ.डॉ.एलआईबीओआर+40बीपीएस	15.03.2018	15.03.2033	अर्धवार्षिक	बलूनिंग इंस्टालमेंट्स 2.173900% से ऋण राशि के 4.559913% तक
VII	3000	6मि.अ.डॉ.एलआईबीओआर+50बीपीएस	01.05.2023	01.05.2038	अर्धवार्षिक	बलूनिंग इंस्टालमेंट्स 2.173900% से ऋण राशि के 4.559913% तक
कुल	19000					

ii) आईबीआरडी (विश्व बैंक)

करार के अनुसार ऋण की राशि (लाख डॉलर में)	ब्याज की दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
1950*	6मि.अ.डॉ.एलआईबीओआर + परिवर्ती कीमत अंतर लागत	15.04.2017	15.04.2037	अर्धवार्षिक	15.10.2036 तक ऋण राशि के 2.44% एवं 15.04.2037 तक ऋण राशि के 2.40% की किस्त (तै)

iii) Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

ट्रैच	करार के अनुसार ऋण की राशि (लाख यूरो में)	ब्याज की दर	पुनर्भुगतान का प्रारंभ	पुनर्भुगतान की समाप्ति	पुनर्भुगतान की आवृत्ति	पुनर्भुगतान की राशि
I	165.89	0.75%	30.06.2020	30.06.2050	अर्धवार्षिक	- यूरो 271,000 से 30.06.2020 to 30.12.2021 - यूरो 272,000 से 30.06.2022 to 30.12.2049 और यूरो 272,581.03 30.06.2050" को
II	334.11	4.99%	30.06.2015	30.06.2020	अर्धवार्षिक	- यूरो 3,037,000 से 30.06.2015 to 30.06.2018 - यूरो 3,038,000 से 30.12.2018 to 30.12.2019 और यूरो 3,038,418.97 30.06.2020 को
कुल	500.00					

iv) European Investment Bank

ट्रैच	करार के अनुसार ऋण की राशि (लाख यूरो में)	ब्याज की दर	पुनर्भुगतान का प्रारंभ	पुनर्भुगतान की समाप्ति	पुनर्भुगतान की आवृत्ति	पुनर्भुगतान की राशि
I	350.00	6एम ईयूआरआईबीओआर + आल इन स्प्रेड 0.275%	22.06.2020	20.12.2034	अर्धवार्षिक	प्रत्येक किश्त 11,66,666.67 यूरो
II	400.00	6एम ईयूआरआईबीओआर + आल इन स्प्रेड 0.436%	21.06.2021	20.12.2034	अर्धवार्षिक	प्रत्येक किश्त 14,28,571.43 यूरो
III	400.00	6एम ईयूआरआईबीओआर + आल इन स्प्रेड 0.426%	21.06.2021	20.12.2034	अर्धवार्षिक	प्रत्येक किश्त 14,28,571.43 यूरो
IV	850.00	6एम ईयूआरआईबीओआर + आल इन स्प्रेड 0.346%	21.06.2021	20.12.2034	अर्धवार्षिक	प्रत्येक किश्त 30,35,714.29 यूरो
कुल	2000.00					

v) जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी

ट्रैच	करार के अनुसार ऋण की राशि (जापानी येन लाख में)	ब्याज की दर	पुनर्भुगतान का प्रारंभ	पुनर्भुगतान की समाप्ति	पुनर्भुगतान की आवृत्ति	पुनर्भुगतान की राशि
Portion-I	10,000.00	6एमजेपीवाई एलआईबीओआर प्लस 0.10% और कैप 6.208%	20.03.2022	20.03.2036	अर्धवार्षिक	पहली किश्त ऋण राशि की 3.448328% और अनुवर्ती किश्त ऋण राशि की 3.448274%
Portion-II	90,000.00	6एमजेपीवाई एलआईबीओआर प्लस 0.10% और कैप 6.208%	20.03.2022	20.03.2036	अर्धवार्षिक	पहली किश्त ऋण राशि की 3.448328% और अनुवर्ती किश्त ऋण राशि की 3.448274%

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 15: अन्य वित्तीय देनदारियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को	01.04.2017 को
(I)	प्राप्त प्रतिभूति जमा राशि	15.05	8.75	8.75
(ii)	अन्य	3,932.63	2,001.45	1,330.96
(iii)	उधार राशियों पर प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज बंधपत्रों और सावधि ऋणों पर	79,804.57	72,831.16	74,357.75
	योग	83,752.25	74,841.36	75,697.46

नोट 16: चालू कर देनदारियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को	01.04.2017 को
(I)	आयकर के लिए प्रावधान	12,634.74	17,063.08	24,769.17
(ii)	आयकर (निवल)	4.55	150.03	61.20
	योग	12,639.29	17,213.11	24,830.37

नोट 17: प्रावधान

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को	01.04.2017 को
	कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान			
(I)	छुट्टी नकदीकरण	115.36	18.99	46.28
(ii)	बीमारी छुट्टी	201.73	128.83	119.23
(iii)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	809.86	746.90	509.69
(iv)	छुट्टी किराया रियायत	86.81	73.85	80.93
(v)	परिलब्धि संशोधन	390.48	1,104.21	821.71
(vi)	पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन संबंधी प्रोत्साहन	-	-	18.12
(vii)	ग्रेच्युटी	20.83	11.97	8.73
	अन्य			
(I)	व्युत्पन्नो पर बाजार हेतु चिंहांकित	1,688.71	2,141.62	2,381.61
(ii)	मानक आस्तियों के लिए आकस्मिक प्रावधान	14,366.49	18,804.97	13,895.38
(iii)	अपमानक आस्तियों के लिए प्रावधान	39,517.11	161,802.35	25,977.28
(iv)	संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान	290,106.10	134,250.45	76,898.71
(v)	पुनर्संचित आस्तियों के लिए प्रावधान	1,599.92	7,568.84	28,177.82
(vi)	कार्यनितिक ऋण पुनर्संचित आस्तियों के सापेक्ष प्रावधान	-	-	12,249.30
(vii)	भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार संभावित क्रेडिट हानि	301,353.77	249,473.98	193,745.13
	योग	650,257.17	576,126.96	354,929.91

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 18: आस्थगित कर देयताएं

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को	01.04.2017 को
(I)	निम्न के कारण आस्थगित कर देयता:			
(I)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत सृजित विशेष अवसंरचना आरक्षिती	49,104.29	44,072.66	41,792.42
(ii)	मूल्यहास	359.01	6.64	(10.73)
(iii)	मानक ऋण आस्तियों के लिए दावों में कमी	1,511.95	1,511.95	1,511.95
(iv)	अन्य	(600.04)	761.38	578.51
	आस्थगित कर देयता	50,375.22	46,352.63	43,872.15
(II)	निम्न के कारण आस्थगित कर देयता:			
(I)	कर के लिए प्रस्तुत फुटकर देयता खातों (ब्याज पूंजीकरण) में जमा ब्याज	12,655.05	12,658.74	12,890.91
(ii)	मूल्यहास	26.66	(18.02)	(16.06)
(iii)	छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	34.33	9.43	4.28
(iv)	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	70.49	29.46	25.42
(v)	व्यय जिन पर टीडीएस नहीं काटा गया	4.72	4.95	4.98
(vi)	पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन संबंधी प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	-	-	(15.39)
(vii)	चिकित्सा सहायता स्कीम के लिए प्रावधान	272.69	251.86	174.07
(viii)	छुट्टी किराया रियायत	3.84	1.37	3.84
(ix)	परिलब्धि संशोधन के लिए प्रावधान	139.06	36.85	20.40
(x)	आईएमसीएल की आस्थगित कर आस्ति	15.14	13.30	11.88
(xi)	आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान*	584.35	741.14	824.23
	आस्थगित कर देयताएं	13,806.33	13,729.08	13,928.56
	आस्थगित कर देयता (निवल)	36,568.89	32,623.56	29,943.59

नोट 19: अन्य गैर वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को	01.04.2017 को
(A)	अग्रिम में प्राप्त आय			
(I)	विश्व बैंक से प्राप्त अनुदान	(0.02)	(0.02)	(0.02)
(B)	अन्य देय			
(I)	देय सांविधिक देयताएं	131.99	235.27	96.75
(ii)	बंधपत्रों पर अदावा ब्याज	1.38	1.38	1.38
(iii)	देय प्रतिबद्धता प्रभार	-	-	(0.33)
(iv)	कर्मचारियों/पूर्णकालिक निदेशकों को देय	(2.46)	3.61	5.12
(v)	एलआईसी की देय ग्रेच्युटी निधि में देय अंशदान	-	-	23.68
(vi)	फुटकर देनदारी खाता (ब्याज पूंजीकरण)	41,095.01	40,967.37	41,638.24
(vii)	अन्य	932.44	445.48	118.22
(viii)	अन्य चुकता (प्रतिभूत जमा रसीद)	-	-	-
	योग	42,158.34	41,653.09	41,883.04

* राशि का लंबित विनियोजन ऋण खातों में पुनर्भुगतान और/या देय तारीख को ब्याज/मूलधन पर ऋण खातों में समयोजन योग्य है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 20: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को	01.04.2017 को
A	प्राधिकृत 10 रुपए प्रत्येक के 6,000,000,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2018 को 10 रुपए प्रत्येक के 6,000,000,000 इक्विटी शेयर)	600,000.00	600,000.00	600,000.00
	निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त			
B	10 रुपए प्रत्येक के 4,202,316,230 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (31 मार्च 2018 को 10 रुपए प्रत्येक के 4,102,316,230 इक्विटी शेयर)	420,231.62	410,231.62	400,231.62
	कुल	420,231.62	410,231.62	400,231.62

फुटनोट:

क) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाशोधन

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	
	शेयरों की संख्या	लाख रुपए में	शेयरों की संख्या	लाख रुपए में
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में बकाया शेयर	4,102,316,230	410,231.62	4,002,316,230	400,231.62
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निर्गत किए गए शेयर	100,000,000	10,000.00	100,000,000	10,000.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयर	4,202,316,230	420,231.62	4,102,316,230	410,231.62

- b) कंपनी की सम्पूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी के धारक भारत सरकार और इसके नामित हैं।
- c) हस्तांतरित कम्पनी होने के नाते, आईआईएफसीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी कुल 5,00,000 लाख रुपए के 10 रुपए प्रत्येक वाले 50,000 लाख इक्विटी शेयरों से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 6,00,000 लाख रुपए के 10 रुपए प्रत्येक वाले 60,000 लाख इक्विटी शेयर हो गई।
- d) वर्ष के दौरान, कम्पनी ने भारत सरकार को आधिकारिक निर्गम में माध्यम से कुल 10,000 लाख रुपए के 10 रुपए प्रत्येक वाले 1,000 लाख इक्विटी शेयर जारी किए हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, कम्पनी ने भारत सरकार को आधिकारिक निर्गम में माध्यम से कुल 10,000 लाख रुपए के 10 रुपए प्रत्येक वाले 1,000 लाख इक्विटी शेयर जारी किए हैं।
- e) वित्तीय संस्थाएं शेयर पूंजी का उपयोग विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार पूंजी की पर्याप्तता, अनावरण मानकों और लीवरजेज अनुपात को बनाए रखने के लिए पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से अपने स्वामित्व वाली निधियों के सुदृढीकरण के लिए करती हैं। आईआईएफसीएल ने 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा मुहैया कराई गई समस्त पूंजी का उपयोग तदनुसार किया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 21: अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को	01.04.2017 को
(a)	पूंजी आरक्षिति (गैर चालू प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ)			
	प्रारंभिक शेष	585.14	585.14	585.14
	अंतिम शेष	585.14	585.14	585.14
(b)	प्रतिभूति प्रीमियम खाता (बंधपत्रों पर)			
	प्रारंभिक शेष	235.50	235.50	235.50
	अंतिम शेष	235.50	235.50	235.50
©	डिबेंचर/बंधपत्र प्रतिदान आरक्षिति			
	प्रारंभिक शेष	81,817.55	63,691.15	45,507.67
	जोड़ें: लाभ हानि विवरणिका में अधिशेष से अंतरण	18,177.50	18,126.40	18,183.48
	अंतिम शेष	99,995.05	81,817.55	63,691.15
(d)	नकद प्रवाह हेज आरक्षिति			
	प्रारंभिक शेष	(2,639.52)	(5,860.36)	91,940.25
	जोड़ें: लाभ हानि विवरणिका में अधिशेष से अंतरण	-	57,426.47	-
	घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त और लाभ हानि विवरणिका में अधिशेष से अंतरित राशि	10,659.59	54,205.63	97,800.61
	अंतिम शेष	(13,299.11)	(2,639.52)	(5,860.36)
(e)	अन्य आरक्षितियां			
(I)	आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(iii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति (फुटनोट 1)			
	प्रारंभिक शेष	127,348.18	120,759.40	103,338.76
	जोड़ें: लाभ हानि विवरणिका में अधिशेष से अंतरण (निवल)	14,797.64	6,588.78	17,200.18
	जोड़ें: विलय पर आईडब्ल्यूआरएफसी से अंतरण	-	-	220.46
	अंतिम शेष	142,145.82	127,348.18	120,759.40
(ii)	कर्मचारी कल्याण आरक्षिति (फुटनोट 2)			
	प्रारंभिक शेष	8.14	38.12	71.82
	जोड़ें: लाभ हानि विवरणिका में अधिशेष से अंतरण	67.90	4.20	3.50
	घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त और लाभ हानि विवरणिका में अधिशेष से अंतरित राशि	25.51	34.18	37.20
	अंतिम शेष	50.53	8.14	38.12
(iii)	कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी आरक्षिति (फुटनोट 3)			
	प्रारंभिक शेष	2,633.78	2,633.78	2,497.42
	जोड़ें: विलय पर आईडब्ल्यूआरएफसी से अंतरण	-	-	136.36
	अंतिम शेष	,633.78	2,633.78	2,633.78

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को	01.04.2017 को
(iv)	विदेशी मुद्रा में परिवर्तन अंतर आरक्षित निधि			
	प्रारंभिक शेष	16,488.84	16,696.54	19,847.37
	जोड़े/घटाये : वर्ष के दौरान समायोजन	(78.18)	(207.70)	(3,150.84)
	अंतिम शेष	16,410.66	16,488.84	16,696.54
(iv)	आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45— I ग के अंतर्गत आरक्षित निधि (फुटनोट 4)			
	प्रारंभिक शेष	-	-	-
	जोड़ें: लाभ हानि विवरण में अधिशेष से अंतरण	2,033.18	-	-
	अंतिम शेष	2,033.18	-	-
(f)	लाभ हानि विवरणिका में अधिशेष			
	प्रारंभिक शेष जोड़ें:	(203,312.30)	20,074.92	225,978.11
	जोड़ें: करोपरांत लाभ	(42,870.07)	(198,535.65)	(174,780.03)
	जोड़ें: 31 मार्च 2016 को आईडब्ल्यूआरएफसी की लाभ हानि विवरणिका में अधिशेष	-	-	4,408.10
	जोड़ें: कर्मचारी कल्याण आरक्षिति से अंतरण	22.05	31.57	32.71
	अचल आस्तियों के हस्तगत राशि का समायोजन (संपरिवर्तनात्मक प्रावधानों को अपनाते हुए)	11.97	9.12	1.36
	घटाएं: कर्मचारी कल्याण आरक्षिति में अंतरण	67.90	4.20	3.50
	घटाएं: डिबेंचर प्रतिदान आरक्षिति में अंतरण	18,177.50	18,126.40	18,183.48
	घटाएं: आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति में अंतरण	14,797.64	6,588.78	17,200.18
	घटाएं: लेखांकन प्रशोधन में परिवर्तन	(0.08)	-	-
	घटाएं: परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुन-मापन प्राप्ति/(हानि)	50.11	172.89	178.17
	घटाएं: आयकर अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत आरक्षिति निधि	2,033.18	-	-
	अंतिम शेष	(281,274.61)	(203,312.30)	20,074.92
	योग	(30,484.06)	23,165.30	218,854.19

फुटनोट्स:

- वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आरक्षितियों से कोई राशि आहरित नहीं की गई है।
- विशेष आरक्षिति, उन कम्पनियों द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(iii) के अंतर्गत अनुरक्षित की जाने वाली सांविधिक आरक्षिति है जो भारत में अवसंरचना के विकास के लिए दीर्घावधि वित्त मुहैया कराती हैं।
- कर्मचारी कल्याण आरक्षिति का सृजन कर्मचारियों के बीच खेलकूद, सांस्कृतिक और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है।
- 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के उपरांत, आईआईएफसीएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किए जाने के लिए अपेक्षित सीएसआर व्यय के लिए सीएसआर आरक्षिति का सृजन नहीं किया है और 3 जुलाई, 2015 के पत्र के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी (सीएसआर पॉलिसी) नियमावली, 2014 के प्रावधान के अनुसार सीएसआर आरक्षिति के सृजन और सीएसआर के तहत व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित राशि के अतिरिक्त इसके उपयोग को जारी रखने के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए मामले को सार्वजनिक उद्यम विभाग को अपेक्षित किया। सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय से उत्तर अभी प्रतीक्षित है।

आरक्षित निधि का सृजन आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45— I ग के अनुसार किया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 22: ब्याज आय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019	
		परिशोधित ऋण पर मापी गई वित्तीय आस्तियां	
		31.03.2019	31.03.2018
(I)	प्रत्यक्ष उधारी के तहत ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	246,355.47	256,998.47
(ii)	पीएमडीओ स्कीम के तहत ऋणों पर ब्याज	198.05	886.29
(iii)	पुनर्वित्तपोषण स्कीम के तहत ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	24,763.53	23.21
(iv)	टेकआउट वित्तपोषण स्कीम के तहत ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	77,619.55	87,952.76
(v)	दंड – ब्याज	1,228.26	2,522.65
(vi)	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	1,231.50	1,273.70
(vii)	बंधपत्रों पर ब्याज	2,482.44	7,780.76
(viii)	बैंकों में जमा पर ब्याज	64,126.49	44,704.68
	कुल	418,005.30	402,142.51

नोट 23: शुल्क और कमीशन

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019	
		31.03.2019	31.03.2018
(I)	अग्रिम शुल्क	1,994.61	1,750.77
(ii)	प्रक्रिया शुल्क	94.50	61.00
(iii)	पूर्वभुगतान प्रभार	1,186.92	4,388.78
(iv)	प्राप्त कमीशन	-	298.35
(v)	ऋण वृद्धि से शुल्क	603.40	601.80
(vi)	परामर्शी एवं सेवा शुल्क	144.66	189.23
(vii)	निवेश प्रबंधन शुल्क	685.13	731.09
(viii)	प्रतिबद्धता प्रभार	314.77	667.37
(ix)	अन्य प्रभार	3,442.32	782.27
	योग	8,466.31	9,470.67

नोट 24: अन्य आय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019	
		31.03.2019	31.03.2018
(I)	अधित्याग किए गए ऋण की रिकवरी	12,426.67	13,235.93
(ii)	अधित्याग की गई ऋण आस्तियों पर प्रावधान से अन्य राशियां/प्रावधान	220.55	(0.01)
(iii)	विविध आय	120.69	38.85
(iv)	अनबद्ध ब्याज आय कर्मचारी ऋण (आय)	1.32	0.43
(v)	स्वैप सौदों पर लाभ	37,957.58	12,757.49
(vi)	व्युत्पन्नों पर बाजार से बाजार (प्राप्ति)/हानि	452.90	239.99
(vii)	आयकर रिफण्ड पर ब्याज	-	798.28
	योग	51,179.71	27,070.96

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 25: वित्त लागतें

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019	
		परिशोधित ऋण पर मापी गई वित्तीय आस्तियां	
		31.03.2019	31.03.2018
(I)	बंधपत्रों और डिबेंचरों पर ब्याज	160,402.35	152,796.95
(ii)	बैंक उधारियों पर ब्याज	60,644.46	29,604.56
(iii)	एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के ऋणों पर ब्याज	45,144.42	47,478.77
(iv)	आईबीआरडी (विश्व बैंक) के ऋणों के संबंध में स्वेप लेन-देनों के निबल भुगतान पर देय ब्याज	13,427.98	8,812.43
(v)	केएफडब्ल्यू के ऋणों पर ब्याज	619.17	1,138.09
(vi)	ईआईबी के ऋणों पर ब्याज	130.44	174.82
(vii)	जेआईसीए से ऋण पर ब्याज	19.33	-
(viii)	आयकर पर ब्याज	-	3.83
	कुल	280,388.14	240,009.45

नोट 26: शुल्क और कमीशन व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019	
		31.03.2019	31.03.2018
(I)	सरकारी को गारंटी शुल्क	11,091.35	10,170.54
(ii)	बंधपत्र सेवा व्यय	120.20	169.52
(iii)	उधारियों पर अग्रिम शुल्क	-	602.00
	कुल	11,211.55	10,942.06

नोट 27: उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल हानि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019	
		31.03.2019	31.03.2018
	(क) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय उपकरणों पर निवल लाभ/(हानि)		
	(I) व्यापार पोर्टफोलियो पर		
	(ii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर तैयार किए गए वित्तीय उपकरणों परवे	6,732.86	(1,582.77)
	उचित मूल्य परिवर्तनों पर लाभ/(हानि) (ख)	6,732.86	(1,582.77)
	उचित मूल्य परिवर्तन: (ग)		
	-प्राप्त	-	-
	-अप्राप्त	6,732.86	(1,582.77)
	उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल लाभ/(हानि) (ख) मिलान (ग) से करना है	6,732.86	(1,582.77)
	* इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन उन परिवर्तनों से भिन्न हैं जो ब्याज आय/व्ययों की खाते पर उत्पन्न होते हैं		

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 28: कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019	
		31.03.2019	31.03.2018
(I)	वेतन एवं भत्ते	2,310.43	2,138.75
(ii)	भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान	441.19	180.13
(iii)	कर्मचारी कल्याण व्यय	961.48	930.04
(iv)	चुकता कर्मचारी लागत	0.42	0.10
	कुल	3,713.52	3,249.02

नोट 29: वित्तीय उपकरणों पर क्षति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019	
		परिशोधित ऋण पर मापी गई वित्तीय आस्तियां	
		31.03.2019	31.03.2018
(I)	ऋण निधियां	66,934.97	114,109.92
(ii)	निवेश#	7,192.57	9,638.96
	कुल	74,127.55	123,748.88

नोट 30: अन्य व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष समाप्त	
		31.03.2019	31.03.2018
(I)	किराया, कर और ऊर्जा लागतें	1,470.62	1,653.36
(ii)	मुद्रण और लेखन सामग्री	15.26	15.68
(iii)	विज्ञापन और प्रचार	7.91	20.97
(iv)	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	98.55	33.93
(v)	लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय	100.54	18.70
(vi)	विधिक और व्यावसायिक प्रभार	75.18	218.27
(vii)	बीमा	5.14	9.61
(viii)	विदेशी मुद्रा संव्यवहारों और अनुवादों पर निवल हानि	43,212.27	38,285.53
(ix)	अन्य व्यय	1,147.05	1,361.04
(x)	अधित्याग की गई ऋण राशि खनोट 30(ख)(21(ख)) देखें, #	72,241.70	95,685.22
	कुल	118,374.20	137,302.32

निवेशों में क्षति के प्रकटीकरण को, वर्ष 2018-19 के लिए आईआईएफसीएल के वार्षिक लेखों पर चरण-।।। लेखापरीक्षा के आधे हाशियों में अवलोकन के लिए लेखा परीक्षा के क्रम में प्रधान वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक कार्यालय, सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-।।।, नई दिल्ली को दी गई आश्वस्तियों/उत्तरों के अनुसरण में वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रण के चरण में, अद्यतन किया जाता है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नोट 1: उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां और 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणिकाओं पर अन्य टिप्पणियां

आईआईएफसीएल एक सार्वजनिक कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भारत में स्थित और निगमित है। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय पांचवां तल, प्लेट ए और बी, ब्लॉक 2, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली, भारत में है।

आईआईएफसीएल की स्थापना व्यवहार्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए वित्तीय योजना के तहत व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 सितंबर, 2013 को इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-गैर-जमा-अवसंरचना वित्त कंपनी (एनबीएफसी-एनडी-आईएफसी) के रूप में एन-14.03288 से पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आईआईएफसीएल को बिना सार्वजनिक जमा स्वीकार करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का करोबार करने की अनुमति दी है।

(क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयारी का आधार

- 1.1 समेकित वित्तीय विवरण में इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (मूल कंपनी), इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड (पूरे (यूके) लिमिटेड), आईआईएफसीएल लिमिटेड और आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एक साथ समूह के रूप में) 31 मार्च 2019 को और उस तिथि को समाप्त हुई अवधि के लिए के व्यक्तिगत वित्तीय विवरण और इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण शामिल हैं, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड (पूरे (यूके) लिमिटेड), आईआईएफसीएल लिमिटेड और आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एक साथ समूह के रूप में) 31 मार्च 2019 को और उस तिथि को समाप्त हुई अवधि के लिए। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:
 - i) कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को अंतर-समूह लेन-देन को समाप्त करने के बाद, असत्य-लाभ या हानि के परिणामस्वरूप असमान-समूह लेन-देन, जैसे आस्तियां, देयताएं, आय और व्यय की पुस्तक मूल्यों को एकलाइन टू लाइन के आधार पर समेकित किया गया है। 'समेकित वित्तीय विवरण' भारतीय लेखांकन मानक 110 के अनुसार तैयार किए गए हैं।
 - ii) विदेशी सहायक की मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों परिसंपत्तियों और देनदारियों का समापन विनिमय दर पर अंतरित किया जाता है।
 - iii) विदेशी सहायक की आय और व्यय वस्तुओं को लेनदेन की तारीख में रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच आरबीआई संदर्भ दर पर अंतरित किया जाता है।
 - iv) सभी परिणामी विनिमय अंतर एक विदेशी मुद्रा अनुवाद रिजर्व में संचित होते हैं।
- 1.2 निम्नलिखित सहायक कंपनियों के व्यक्तिगत वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरणों में समेकित किए गए हैं:

अनुषंगी का नाम	निगमीकरण का देख	Current Period	Previous Period
		स्वामित्व ब्याज का अनुपात (%)	स्वामित्व ब्याज का अनुपात (%)
आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	यूनाइटेड किंगडम	100%	100%
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट लिमिटेड	भारत	100%	100%
आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	भारत	100%	100%

- 1.3 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी अर्थात आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को मूल कम्पनी के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए लागू भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन परिपाटियों के अनुसार परिवर्तित किया गया है।
- 1.4 **लेखांकन अभिसमय:** आईआईएफसीएल अपनी वित्ती विवरणिकाओं को, गैर-बैंकिंग वित्तियन कम्पनियों (एनबीएफसी) के लिए, कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के खंड III में मुहैया कराए गए प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करती है। निम्न मामलों को छोड़कर, वित्तीय विवरणिकाएं प्रोद्भूत आधार पर और एक ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार की गई हैं
 - ख. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत वित्तीय आस्तियां (एफवीओसीआई),
 - ग. व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण,

घ. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामांकित वित्तीय आस्तियां और देयताएं।

ड. परिभाषित लाभ योजनाएं – उचित मूल्य पर मापी गई योजना आस्तियां

जिन सब का मापन, संबंधित भारतीय लेखा मानकों द्वारा यथोपेक्षित या अनुमत्त उचित मूल्य पर किया गया है। वित्तीय विवरणिकाएं भारतीय रुपए में प्रस्तुत की गई हैं और सभी मूल्यों को, जहां अन्यथा इंगित किया गया उनको छोड़कर, निकटतम लाख रुपए में पूर्ण किया गया है।

1.5 प्राक्कलनों का उपयोग: आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को अनुमानों और धारणा बनाने की आवश्यकता होती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान वित्तीय विवरणों की तिथि और राजस्व व व्यय की बताई गई राशि की आस्तियों और देनदारियों की प्रतिवेदित राशि को प्रभावित करती है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है, जिसमें परिणामों को भूतरूप दिया जाता है।

आईआईएफसीएल भविष्य के बारे में, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानों की अनिश्चितता के किसी अन्य प्रमुख स्रोत के बारे में कोई धारणा नहीं बनाती जिन अगले वित्तीय वर्ष के भीतर आस्तियों और देनदारियों की वहन राशि के महत्वपूर्ण समायोजन में परिणत होने वाला महत्वपूर्ण जोखिम हो।

2. अनुपालन का विवरण

आईआईएफसीएल के वित्तीय विवरण सतत प्रतिष्ठान आधार पर और दिनांक 16 फरवरी 2015 की अधिसूचना जीएसआर 111(ई) द्वारा कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और दिनांक 30 मार्च 2016 की अधिसूचना जीएसआर 111(ई) द्वारा कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के अंतर्गत कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं

ये भारतीय लेखांकन मानक आईआईएफसीएल द्वारा भारतीय लेखांकन मानक के अंगीकरण की भारतीय लेखांकन मानक अंतर्गण तारीख से तैयार किए गए हैं और किसी अन्य प्रयोजन के लिए अभिप्रेत नहीं हैं।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणिकाओं को 10 अगस्त 2019 को निदेशक मंडल द्वारा जारी किए जाने के लिए प्राधिकृत और अनुमोदित किया गया था।

3. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

वित्तीय आस्तियों और देनदारियों को सामान्य तुलन पत्र में सकल मूल्य पर रिपोर्ट किया जाता है। ये केवल ऑफसेट होती हैं और इन्हें निवल मूल्य पर रिपोर्ट नहीं किया जाता जब, किसी भावी घटना पर आकस्मिक हुए बिना स्वीकृत बिना किसी शर्त के विधिक रूप से प्रवर्तनीय या होने के अतिरिक्त, पक्षकार भी निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में निवल आधार पर समाधान के लिए अभिप्रेत हों:

- व्यापार का सामान्य क्रम
- चूक की घटना
- आईआईएफसी और/या इसके प्रतिपक्षकारों के ऋण-अशोधन या दिवालियापन की घटना

प्रमुख निवल व्यवस्थाओं (उदाहरणार्थ आईएसडीए) के साथ व्युत्पन्न आस्तियों और देनदारियों को केवल तब निवल मूल्य पर प्रस्तुत किया जाता है जब वे उपर्युक्त सभी मापदंडों की निवल-अहर्ता को पूरा करते हों, न कि केवल चूक की स्थिति में।

4. भारतीय लेखांकन मानक का प्रथम बार अंगीकरण

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, आईआईएफसीएल का पहला तुलन पत्र 1 अप्रैल 2017 को तैयार किया गया था, जो भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण का पहला दिन था। भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत 1 अप्रैल 2017 को वहन राशियों और 1 अप्रैल 2017 को भारतीय जीएपी वित्तीय विवरणिकाओं की वहन राशियों के बीच के अंतर को, 1 अप्रैल 2017 को, अंतरण की तारीख के तौर पर, भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार लेखांकित किया गया है।

यह नोट 1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार आईआईएफसीएल द्वारा इसकी भारतीय जीएपी बैलेंस शीट का पुनः उल्लेख करने में किए गए प्रमुख समायोजनों को स्पष्ट करता है।

आईआईएफसीएल द्वारा लागू रियायतें / छूटें निम्नानुसार हैं:

भारतीय लेखांकन मानक 101 “भारतीय लेखांकन मानक का प्रथम बार अंगीकरण” इन मानकों को पहली बार अपनाने वाले निकायों को भारतीय लेखांकन मानक के तहत कतिपय अपेक्षाओं को पूर्व प्रभाव से लागू करने से कतिपय छूटें प्रदान करता है। आईआईएफसीएल ने निम्नलिखित छूटें लागू की हैं:

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

I. संयंत्र, सम्पत्ति और उपस्कर (पीपीई) और अमूर्त आस्तियां (भारतीय लेखांकन मानक 16 और भारतीय लेखांकन मानक 38)

किसी मद को केवल और केवल लभी आस्ति माना जाता है, यदि यह संभाव्य हो कि मद से संबंधित भावी आर्थिक लाभ आईआईएफसीएल में प्रवाहित होंगे और इसकी लागत का मापन विश्वसनीय तरीके से किया जाएगा। पीपीई को प्रारंभिक तौर पर लागत पर स्वीकृत किया गया है। तथापि, भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार – कोई प्रथम अंगीकरण-कर्ता, पीपीई की मदों का मापन “मानद लागत” पर कर सकता है, जो निम्न प्रकार हो सकती है:

- क. भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण की तारीख को पीपीई का उचित मूल्य और उस उचित मूल्य को उस तारीख को मानद लागत के रूप में प्रयुक्त करना।
- ख. संयंत्र, सम्पत्ति और उपस्कर का, भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण की तारीख को या इससे पूर्व, विगत जीएएपी पुनर्मूल्यांकन उस पुनर्मूल्यांकन की तारीख पर मानद लागत के तौर पर।
- ग. अपने सभी संयंत्र, सम्पत्ति और उपस्कर के लिए वहन मूल्य को विगत जीएएपी के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण की तारीख में वित्तीय विवरणों में स्वीकृत किया जाएगा।

सभी संयंत्र, सम्पत्ति और उपस्कर के वहन मूल्य को विगत जीएएपी के अनुसार मापते हुए भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण की तारीख को वित्तीय विवरणों में जारी रखना और उसका उपयोग इस भारतीय लेखांकन मानक 101, भारतीय लेखांकन मानकों का प्रथम बार अंगीकरण, के पैरा 21 और 21 क के अनुसार आवश्यक समायोजन करके, अंतरण की तारीख को मानद लागत के रूप में प्रयोग करना। इस विकल्प को भारतीय लेखांकन मानक 38, अमूर्त आस्तियों के अंतर्गत अमूर्त आस्तियों और भारतीय लेखांकन मानक 40, निवेश के अंतर्गत निवेश सम्पत्ति के लिए भी प्राप्त किया जा सकता है।

आईआईएफसीएल ने भारतीय जीएएपी के अंतर्गत संयंत्र, सम्पत्ति और उपस्कर और अमूर्त आस्तियों के वहन मूल्य को अंतरण की तारीख पर भारतीय लेखांकन मानक के लिए मानद लागत के रूप में विचार करने का विकल्प लिया है।

II. पट्टे (भारतीय लेखांकन मानक 17)

भारतीय लेखांकन मानक 17 के परिशिष्ट ग में किसी निकाय से यह आकलन करने की अपेक्षा की गई है कि किसी संविदा या करार में कोई पट्टा शामिल है। भारतीय लेखांकन मानक 17 के अनुसार, यह आकलन संविदा या करार आरंभ करते समय किया जाना चाहिए। भारतीय लेखांकन मानक 101, प्रथम बार अंगीकरणकर्ता को भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण की तारीख में तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ऐसा आकलन करने की अनुमति देता है, सिवाय ऐसे मामलों के, जहां इसके प्रभाव की महत्वपूर्ण होने की आशा न हो। आईआईएफसीएल ने इस छूट का उपयोग किया है और तदनुसार भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण की तारीख को मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आकलन किया है।

III. प्रारंभिक स्वीकृति पर वित्तीय आस्तियों या वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्य आकलन (भारतीय लेखांकन मानक 109)

भारतीय लेखांकन मानक 109, वित्तीय उपकरण, के अंतर्गत, यदि कोई निकाय ऐसी मूल्यांकन तकनीकों पर आधारित प्रारंभिक स्वीकृति पर वित्तीय उपकरण का मापन करता है जिसमें केवल उसी उपकरण में अवलोकन योग्य बाजार आंकड़ों या चालू संव्यवहारों का उपयोग किया जा है, और प्रारंभिक स्वीकृति का उचित मूल्य संव्यवहार मूल्य से भिन्न है, उसके बाद इससे इस वित्तीय उपकरण की प्रारंभिक स्वीकृति पर ‘प्रथम दिन’ लाभ या हानि को स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है। भारतीय लेखांकन मानक 101 किसी भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण की तारीख को या इससे पहले प्रविष्ट किए गए संव्यवहारों के लिए पूर्व प्रभाव से भारतीय लेखांकन मानक 109 की ‘प्रथम दिन’ लाभ या हानि स्वीकृति आवश्यकता को लागू करने की अनुमति देता है।

आईआईएफसीएल ने भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण की तारीख को या इसके बाद प्रविष्ट किए गए संव्यवहारों के लिए पूर्व प्रभाव से संव्यवहार लागत और उचित मूल्य में परिवर्तन की वजह से उत्पन्न होने वाली प्रारंभिक स्वीकृति पर ‘पहले दिन’ के लाभ या हानि को स्वीकृत करने के लिए इस छूट का विकल्प चुना है।

IV. वित्तीय आस्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण (भारतीय लेखांकन मानक 109)

भारतीय लेखांकन मानक 109 में किसी वित्तीय आस्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाना अपेक्षित है यदि यह दो परीक्षणों में खरी उतरे जो उन आस्तियों से उत्पन्न होने वाली आस्तियों और नकद प्रवाह के प्रकृति को धारित करते हैं। प्रथम बार अंगीकरण करने वाले निकाय को यह आकलन करना चाहिए कि क्या वित्तीय आस्ति उन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उन शर्तों को पूरा करती है जो भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण के पहले दिन मौजूद थे।

भारतीय लेखांकन मानक 101 में वित्तीय आस्ति की वर्गीकरण से संबंधित अनिवार्य छूट भी शामिल है जिसमें उल्लेख किया गया है कि वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण करने के लिए स्थितियों का परीक्षण, उस तारीख की बजाय जब वह निकाय संविदा का पक्ष बन जाता है, भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण की तारीख को मौजूद और तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।

आईआईएफसीएल ने सभी वित्तीय आस्तियों और देनदारियों को अंतरण की तारीख में मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वर्गीकरण करने का विकल्प चुना है।

V. वि-स्वीकृति (भारतीय लेखांकन मानक 109)

भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार – एक निकाय “वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों की विस्वीकृति” के मामले में पूर्व प्रभाव से प्रयोग की छूट को लागू करेगा, जिनमें प्रथम बार अंगीकर्ता भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण की तारीख को या इसके बाद होने वाले संव्यवहारों के लिए भारतीय लेखांकन मानक 109 में विस्वीकृति की अपेक्षाएं लागू करेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रथम बार अंगीकर्ता भारतीय लेखांकन मानक में अंतरण की तारीख के बाद होने वाले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप अपने विगत जीएएपी के अनुसार गैर-व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियों या गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों को विस्वीकृत करता है, तो यह उन आस्तियों और देनदारियों को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार स्वीकृत नहीं करेगा (जब तक कि वे किसी बाद के संव्यवहार या घटना के परिणामस्वरूप स्वीकृति के लिए अर्हत न होते हों)। भारतीय लेखांकन मानक ने आस्ति पुनर्संरचना कम्पनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों सहित विगत में विस्वीकृत आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन का विकल्प नहीं लिया है।

5. आय/व्यय की स्वीकृति

- 5.1. परिशोधित लागत पर मापे गए सभी वित्तीय उपकरणों के लिए, ब्याज वाहित करने वाली आस्तियों जिन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध के रूप में और एफवीटीपीएल में नामित वित्तीय उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, की ब्याज आय या व्यय को ईआईआर का उपयोग करते हुए दर्ज किया जाता है। इस गणना में वित्तीय उपकरण की सभी संविदागत शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व-भुगतान विकल्प) को ध्यान में रखा जाता है और इनमें वे कोई भी शुल्क या संवृद्धि लागतें शामिल होती हैं जो प्रत्यक्षतः उपकरण में आरोप्य हैं और ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, किंतु भावी क्रेडिट हानियों के लिए नहीं। जब किसी वित्तीय आस्ति का मूल्य या इसी प्रकार की वित्तीय आस्तियों के समूह का मूल्य किसी क्षति हानि से घट जाता है, तो ब्याज आय को ब्याज की दर का इस्तेमालन करते हुए जारी रखा जाता है जिनका उपयोग क्षति हानि का मापन करने के उद्देश्य से भावी नकद प्रवाहों में दूट देने के लिए किया जाता है।
- 5.2. प्रदान किए गए ऋणों पर अग्रिम शुल्क आय को उन मामलों में उपचित आधार पर आय माना जाता है जहां ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर आवंटित राशि पर किए गए हों।
- 5.3. कम्पनी द्वारा लिए गए ऋणों पर प्रतिबद्धता प्रभार का लेखांकन व्यय के रूप में किया जाता है जब ऋण के आहरण में कमी, ऋण करार के अनुसार ऋण की संस्वीकृत राशि से कम हो।
- 5.4. उधारियों के खातों में वसूलियों का विनियोजन संबंधित ऋण करारों के अनुसार किया जाता है।
- 5.5. लाभांश का लेखांकन उपचित आधार पर किया जाता है जब लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो। तथापि, अंतिम लाभांश प्राप्त करने का अधिकार केवल वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा इसे अनुमोदित किए जाने के बाद उत्पन्न होता है।
- 5.6. पूर्वावधिक से संबंधित आय/व्यय, जो कुल आय के 01.1 प्रतिशत से अधिक न हो, तो इन्हें चालू वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना जाता है।
- 5.7. आंशिक क्रेडिट संवर्धन गारंटी शुल्क की स्वीकृति उपचित आधार पर लेखांकन वर्ष में की जाती है जब वसूली का औचित्यपूर्ण अधिकार स्थापित किया जाता है। अग्रिम में प्राप्त किसी भी आंशिक क्रेडिट संवर्धन गारंटी शुल्क को आस्थगित किया जाता है और इसे बीमांकन की अवधि पर आय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।
- 5.8. अनर्जक आस्तियों (एनपीए) पर ब्याज/छूट या किसी अन्य प्रभार सहित आय को केवल तब स्वीकृत किया जाता है जब इसकी उगाही वास्तव में की गई हो। आस्ति के अनर्जक बनने से पूर्व ऐसी किसी भी आय और शेष अतृप्त आय का आरक्षित रखा जाता है।

6. वित्तीय उपकरण:

6.1. स्वीकृति और प्रारंभिक मापन:

कम्पनी प्रारंभिक तौर पर वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों को समाधान की तारीख पर स्वीकृत करती है। वित्तीय आस्ति या वित्तीय देनदारी को प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य में, एफवीटीपीएल में शामिल न की गई मदों के लिए, संव्यवहार लागतों को जोड़कर मापा जाता है जो इसके अधिग्रहण या निर्गम में प्रत्यक्षतः आरोप्य हों।

6.2. वर्गीकरण:

क. वित्तीय आस्तियां:

कम्पनी की वित्तीय आस्तियों में नकर और नकद समतुल्य, बैंक शेष, सहायक कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों को छोड़कर कम्पनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, सहायक कम्पनियों/कर्मचारियों को ऋण, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल होते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

प्रारंभिक स्वीकृति होने पर, एक वित्तीय आस्ति को वर्गीकृत किया जाता है:

क) परिशोधित लागत:

वित्तीय उपकरणों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है जब:

- उनमें संविदागत शर्तें हों, जो विनिर्दिष्ट तारीखों पर नकद प्रवाहों को उत्पन्न करती हों, जो एकमात्र बकाया मूलधान पर ब्याज और मूलधन के भुगतान को दर्शाती हों; और
- ये ऐसे व्यापार मॉडल के भीतर धारित हों, जहां इनका उद्देश्य संविदागत नकद प्रवाहों को एकत्रित करने के लिए धारित करके प्राप्त हो जाता है।

इन उपकरणों पर प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य में प्रत्यक्षतः आरोप्य संव्यवहार लागतें जोड़कर स्वीकृत किया जाता है, जिनका प्रभाव कुल आय के 0.5 प्रतिशत से अधिक हो। क्रेडिट क्षति का मापन त्रि-स्तरीय टिप्पणी 6.7 'वित्तीय आस्तियों की क्षति' में उल्लिखित संभावित क्रेडिट हानि मॉडल पर आधारित होता है।

ख) अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य:

वित्तीय उपकरणों का मापन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं किया जाता है जब:

- उनमें संविदागत शर्तें हों, जो विनिर्दिष्ट तारीखों पर नकद प्रवाहों को उत्पन्न करती हों, जो एकमात्र बकाया मूलधान पर ब्याज और मूलधन के भुगतान को दर्शाती हों; और
- ये ऐसे व्यापार मॉडल के भीतर धारित हों, जहां इनका उद्देश्य संविदागत नकद प्रवाहों को एकत्रित करके और वित्तीय आस्तियों को बेचकर, दोनों से प्राप्त हो जाता हो।

इन उपकरणों को प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य में प्रत्यक्षतः आरोप्य संव्यवहार लागतों को जोड़कर स्वीकृत किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य में परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले लाभों और हानियों को इक्विटी के एक पृथक घटक के भीतर अन्य व्यापक आय में शामिल किया गया है। क्षति हानियों या व्युत्क्रमों, ब्याज राजस्व और विदेश मुद्रा लाभों और हानियों को लाभ और हानि में स्वीकृत किया गया है। निपटान होने पर, विगत में अन्य व्यापक आय में स्वीकृत संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से आय विवरण में पुनः वर्गीकृत किया गया है। क्रेडिट क्षति का मापन त्रि-स्तरीय संभावित क्रेडिट हानि मॉडल के आधार पर किया जाता है जैसा कि परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियों पर लागू होता है।

ग) लाभ हानि के माध्यम से उचित मूल्य:

- व्यापार के लिए धारित मदें;
- संविदागत शर्तों पर ऋण उपकरण जो केवल मूलधान और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर धारित वित्तीय उपकरणों को प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य पर स्वीकृत किया जाता है, जबकि संव्यवहार लागतों को आय विवरण में प्राप्त के रूप में स्वीकृत किया जाता है। इसके बाद, इनका मापन उचित मूल्य पर किया जाता है और किसी भी लाभ या हानि को आय विवरण में उनके उत्पन्न होते ही स्वीकृत किया जाता है। जहां किसी वित्तीय आस्ति का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है, तो प्रति-पक्षकार की क्रेडिट साख को परिलक्षित करने के लिए एक क्रेडिट मूल्यांकन शामिल किया जाता है, जो क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को आरोप्य उचित मूल्य में आवागमन को दर्शाता है।

कारोबार के लिए धारित वित्तीय उपकरण

किसी वित्तीय उपकरण को कारोबार के लिए धारित के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है यदि इसका अधिग्रहण या अर्जन मुख्यतः नजदीकी रूप में बिक्री या पुनःखरीद के उद्देश्य के लिए किया जाता है, या यह वित्तीय उपकरणों के पोर्टफोलियो के भाग को निर्मित करता है जिनका प्रबंधन एक साथ किया जाता है और जिनके लिए अल्पावधि लाभप्रदता का साक्ष्य उपलब्ध होता है, या विशेषक बचाव व्यवस्था संबंध में व्युत्पन्न नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक स्वीकृत पर, आईआरएफसीएल अप्रतिसंहरणीय रूप से किसी वित्तीय आस्ति को नामांकित कर सकता है जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीपीएल पर एफवीओसीआई पर मापे जाने की अपेक्षाओं को पूरा करती हो, यदि ऐसा करने से अन्यथा उत्पन्न होने वाली लेखा बेमेल समाप्त होता हो या उल्लेखनीय रूप से कम होता हो।

द) इक्विटी उपकरण

इक्विटी उपकरणों में निवेश वे होते हैं जो आईआरएफसीएल द्वारा ऐसे व्यापार संयोजन में न तो कारोबार के लिए न आकस्मिक कारक के लिए धारित होता है जिस पर भारतीय लेखांकन मानक 103 'व्यापार संयोजन' लागू होता है, इनका मापन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है, जहां प्रबंधनद्वारा कोई अप्रतिसंहरणीय चयन किया गया है। अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई राशियों को बाद में लाभ या हानि में अंतरित नहीं किया जाता। ऐसे निवेशों पर लाभांश को लाभ या हानि में स्वीकृत किया जाता है जब तक कि लाभांश स्पष्टतः निवेश की लागत के भाग की रिकवरी को दर्शाता हो।

सभी अन्य वित्तीय आस्तियां एफवीटीपीएल के मूल्यांकन के आधार पर वर्गीकृत की गई हैं।

परिवर्ती मापन

संविदागत नकदी प्रवाह के संग्रहण के लिए धारित वे आस्तियों जहां वे नकदी प्रवाह मूलधन एवं ब्याज के पूर्ण भुगतान दर्शाते हैं, का परिशोधित लागत पर मूल्यांकन किया गया है। जब आस्ति को मान्यता नहीं दी गई है अथवा वह खराब अवस्था में हो तो ऋण निवेश पर लाभ अथवा हानि को जिसका बाद में परिशोधन लागत पर मूल्यांकन किया गया है, लाभ अथवा हानि में माना गया है। इन वित्तीय आस्तियों से अर्जित ब्याज को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करते हुए वित्तीय आय में शामिल किया गया है जिसका प्रभाव कुल आय का 0.5: से अधिक है।

अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों का मूल्यांकन रिपोर्टिंग की प्रत्येक तिथि उचित मूल्य पर किया गया है। उचित मूल्य में होने वाले बदलाव को अन्य समग्र आय में माना गया है। हालांकि, कंपनी ब्याज से होने वाली आय, खराबी के कारण हानि एवं प्रत्यावर्तन और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को आय विवरण में मान्यता दी गई है।

पुनर्वर्गीकरण

आईआईएफसीएल द्वारा वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन के लिए अपना कारोबारी मॉडल बदलने के बाद की अवधि को छोड़कर, वित्तीय आस्तियों को उनकी प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं किया गया है।

ख. वित्तीय देयताएं

कंपनी की वित्तीय देयताएं नकदी अथवा कोई अन्य वित्तीय आस्ति किसी दूसरी संस्था को सुपुर्द करना अथवा वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय देयताओं को ऐसे शर्तों के अधीन किसी दूसरी संस्था के साथ अदला-बदली करने का संविदागत दायित्व है जिनकी कंपनी के लिए हानिकारक होने की संभावना है।

वर्गीकरण, आरंभिक मान्यता एवं मापन

ऐसे वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य के ऋणात्मक लेन-देन संबंधी लागतों पर माना गया है जिसका प्रभाव कुल आय का 0.5: से अधिक होने के कारण सीधे तौर पर वित्तीय देयताओं की समस्या के लिए जिम्मेदार है। परिशोधित लागत की गणना अर्जन एवं शुल्क अथवा लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की गई है जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आय (लेन-देन की लागतों का निवल) एवं मोचन राशि के बीच किसी अंतर को ईआईआर का उपयोग करते हुए उधारियों की अवधि में लाभ व हानि के विवरण में माना गया है।

परिवर्ती मापन

प्रारंभिक मान्यता देने के उपरांत वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन ईआईआर विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर किया गया है। लाभ एवं हानि को ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से लाभ व हानि के विवरण में माना जाता है जब देयताओं को मान्यता नहीं दी गई हो। ईआईआर परिशोधन में लाभ व हानि विवरण में वित्तीय लागत के तौर पर शामिल किया गया है।

संविदागत नकदी प्रवाह को केवल मूलधन एवं ब्याज के भुगतान के तौर पर परिभाषित करना

इस मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ 'मूलधन' प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय आस्ति के उचित मूल्य के तौर पर परिभाषित है। 'ब्याज' मुद्रा के समय मूल्य एवं उस विशेष अवधि के दौरान मूलधन की बकाया राशि से जुड़े ऋण जोखिमों एवं अन्य बुनियादी ऋण जोखिमों व लागतों (जैसे चलनिधि जोखिम एवं प्रशासनिक लागत) के अतिरिक्त लाभ सीमा के प्रतिफल के तौर पर परिभाषित किया गया है।

ग. व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें:

व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें वे संविदायें होती हैं जिनका मूल्य एक या अधिक अंतर्निहित मूल्य, सूचकांक या अन्य परिवर्ती से व्युत्पन्न होती हैं। आमतौर पर, इसमें अदला-बदली (स्वैप), वायदा दर करार, भावी सौदे व विकल्प जैसे लिखतें शामिल होती हैं। आईआईएफसीएल ने उचित मूल्य पर तुलन पत्र में माने गये इन संविदाओं की विदेशी मुद्रा की उधारियों में विदेशी मुद्रा जहां प्रयोज्य है, में अंतर होने के कारण आने वाले जोखिम को कम करने के लिए बचाव व्यवस्था की संविदा के रूप में व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें संपन्न की हैं एवं जहां वे प्रभावी बचाव व्यवस्था संबंध के हिस्से के तौर पर निर्दिष्ट हैं, उन्हें छोड़कर, व्यापार के तौर पर वर्गीकृत की गई हैं तथा बचाव व्यवस्था व्युत्पन्नी के तौर पर वर्गीकृत की गई हैं। व्युत्पन्नियों को उचित मूल्य के धनात्मक होने पर आस्ति के तौर पर एवं उचित मूल्य के ऋणात्मक होने पर देयताओं के तौर पर दर्शाया गया है।

क. जहां भी कंपनी ने वायदा संविदा अथवा लिखतें यानि वायदा विनिमय संविदायें संपन्न की हैं, उनमें वायदा विनिमय संविदा संपन्न करने की तिथि को वायदा दर व विनिमय दर के बीच के अंतर को भारतीय लेखांकन मानक-21 के अनुसार संविदाकाल के दौरान आय या व्यय के तौर पर माना गया है।

ख. विदेशी मुद्रा के ऋणों में की गई बचाव व्यवस्था को विदेशी मुद्रा में दिये गये ऋणों (यानि स्वाभाविक बचाव व्यवस्था) को समायोजित करने के पश्चात एफआईएफओ आधार समायोजित किए गये हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

- ग. ब्याज दर स्वेप सहित वायदा विनिमय संविदा के रद्द करने अथवा नवीकरण करने पर किसी प्रकार के लाभ अथवा हानि को वर्ष की आय अथवा व्यय के तौर पर माना गया है।
- घ. कंपनी द्वारा संपन्न जेपीवाई येन में हुए ब्याज दर अदला-बदली लेन-देन के संबंध में कंपनी तुलन पत्र की तिथि को प्रतिभूतियों की दैनिक बाजार मूल्य पर हानि के तौर पर दर्शाया गया है।
- ङ. वायदा संविदा की शुरुआत पर एवं बचाव व्यवस्था के अनुसार प्रतिपक्षकार से वसूली गई अथवा प्रतिपक्षकार को भुगतान किए गये अंतर्निहित विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व की चुकोती के समय पर हाजिर विनियम दर में अंतरण के कारण होने वाले अधिशेष अथवा घाटे को क्रमशः ऐंसा ऋण चुकाने के समय पर लाभ अथवा हानि के तौर पर माना गया है।
- च. विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहित लेनदेन है) एवं अदला-बदली संविदा (उपरोक्त ऋणों से होने वाली किसी भी हानि के प्रति बचाव व्यवस्था) को अलग-अलग लेनदेन के तौर पर माना गया है।
- छ. विदेशी मुद्रा की उधारियों का विदेशी मुद्रा में बदलाव के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय लेखांकन मानक (एएस 21) के अनुसार पुनरुल्लेख किया गया है।

कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से आईसीएआई का जून, 2015 में जारी "व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखांकन" पर दिशानिर्देश नोट का पालन किया है। विनियम दर में किसी प्रकार का परिवर्तन, पिछली रिपोर्टिंग तिथि के बाद से रिपोर्टिंग तिथि को विदेशी मुद्रा में उधार ली गई राशि पर और इस अवधि के दौरान उधार लेने के तिथि से व्युत्पन्न संविदाओं का उचित मूल्य के मुकाबले निर्धारित किया गया है एवं किसी प्रकार के लाभ अथवा हानि को नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था आरक्षित निधि के तौर पर माना गया है। व्युत्पन्नी संविदाओं के उचित मूल्य संबंधित प्रतिपक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं।

दिशानिर्देश नोट के अनुसार, नकद प्रवाह बचाव व्यवस्था के तहत, बचाव व्यवस्था लिखत का आकलन उचित मूल्य पर किया जाता है लेकिन एक प्रभावी बचाव व्यवस्था के लिए निर्धारित किसी भी लाभ अथवा हानि को इक्विटी में माना गया है जैसे नकद प्रवाह बचाव व्यवस्था वाली आरक्षित निधि। इसका मुख्य उद्देश्य उस अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में अस्थिरता से बचना है, जब बचाव व्यवस्था से जुड़े मदों पर लाभ अथवा हानि उसमें शामिल नहीं होती है।

6.3. मान्यता न देना:

वित्तीय आस्तियां

आईआईएफसीएल ऐसी वित्तीय आस्तियों को मान्यता नहीं देता है जब वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाह के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा वह लेन-देन में संविदागत नकदी प्रवाह प्राप्त करने के ऐसे अधिकारों को हस्तांतरित कर देता है जिसमें वित्तीय आस्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम व प्रतिफल का बड़ा हिस्सा हस्तांतरित कर दिये जाते हैं अथवा जिसमें आईआईएफसीएल न तो स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों का हस्तांतरण करता है और न ही बरकरार रखता है और इस प्रकार वह वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण नहीं रखता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, ऋण आस्तियों के मामले में:

- (क) ऐसी परियोजनाएं जहां रियायत करार (सीए) परियोजना प्राधिकरण द्वारा समाप्त कर दिये गये हैं, के लेखे को वित्तीय वर्ष में मान्यता नहीं दी गई जिसमें संविदा समाप्त हो गई हो।
- (ख) ऐसी परियोजनाएं जहां रियायतदाता करार (सीए) रियायतदाता द्वारा समाप्त कर दिये गये हैं, हानि मेरिट एवं मामले के तथ्यों के आधार पर दर्शाई गई है।
- (ग) ऐसे मामलों में जहां वित्तीय आस्ति का निश्चित मूल्य आस्ति पुनर्रचना कंपनी इत्यादि की मूल्यांकन रिपोर्टप्रस्ताव के आधार पर कुर्क की गई है, हानि कमी की सीमा तक दर्शाई गई है।
- (घ) भारतीय रिजर्व बैंक विनियमों के अनुसार लागू एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई/131 डीबीआर सं. बीपी.बीसी. 101/21-04-048/2017-18 दिनांक 13 फरवरी, 2018 के अनुसरण में वापिस मानी गई कार्यनीतिक ऋण पुनर्रचना योजना (एसडीआर), दबावग्रस्त आस्तियों की सतत पुनर्रचना योजना (एस4ए), बाह्य कार्यनीतिक ऋण पुनर्रचना योजना के तहत आने वाले मामलों अथवा ऐसे मामलों को छोड़कर, यदि जब तक ऋण आस्ति की बिक्री/वसूली के लिए कोई मूलभूत प्रस्ताव उपलब्ध न हो तो ऋण आस्ति को 5 वर्ष से अधिक समय के लिए अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया हो अथवा परियोजना के अनूचित वाणिज्यिक प्रचालनों में 4 वर्ष से अधिक समय का विलंब किया गया हो, कोई ऋण आस्ति अथवा कोई अन्य अपसी सहमति वाली पुनर्रचितधनपटान प्रक्रिया को मान्यता नहीं दी जाएगी।

वित्तीय आस्ति के तौर पर मान्यता न दिये जाने पर आस्ति की हस्तगत राशि (अथवा जिसे मान्यता नहीं दी गई है उस आस्ति के हिस्से को आबंटित हस्तगत राशि) एवं (प) प्राप्त प्रतिफल (प्राप्त की गई कोई नई आस्ति से स्वीकार की गई कोई नई देयता घटाकर राशि सहित) एवं (पप) ओसीआई में न माने गये कोई संचयी लाभ अथवा हानि के बीच के अंतर को लाभ व हानि विवरण में माना जाता है।

एफवीओसीआई में निर्दिष्ट इक्विटी निवेश प्रतिभूतियों के संबंध में ओसीआई में माने गये कोई संचयी लाभ/हानि को ऐसी प्रतिभूतियों को मान्यता न दिये जाने के कारण लाभ व हानि विवरण में मान्यता नहीं दी गई है। मान्यता न दिये जाने के योग्य अंतरित वित्तीय आस्तियों में कोई ब्याज जो कंपनी द्वारा सृजित या प्रतिधारित है, को अलग आस्ति या देयता के रूप में माना गया है।

वित्तीय देयताएं

आईआईएफसीएल वित्तीय देयता को तब मान्यता नहीं देता है जब वह संविदागत दायित्वों से मुक्त हो जाता है अथवा उसके संविदागत दायित्व रद्द हो जाते हैं अथवा समाप्त हो जाते हैं। ऐसी वित्तीय देयता जो समाप्त हो गई है अथवा किसी दूसरे पक्षकार को हस्तांतरित कर दी गई है की हस्तगत राशि एवं हस्तांतरित की गई कोई गैर नकदी आस्ति अथवा स्वीकार की गई देयता सहित अदा गये प्रतिफल के बीच के अंतर को लाभ व हानि विवरण में अन्य आय या वित्त लागत के रूप में माना गया है।

मौजूदा उधारकर्ता एवं ऋण लिखतों के ऋणदाता के बीच वसतुतुरु भिन्न शर्तों के साथ की गई अदला-बदली की गणना मूल वित्तीय देयता के समापन के रूप में की जाएगी एवं इसे नई वित्तीय देयता के रूप में माना जाएगा। इसी तरह मौजूदा वित्तीय देयता अथवा उसके किसी हिस्से की शर्तों का पर्याप्त संशोधन (चाहे देनदार की वित्तीय कठिनाई के कारण हो या उक्त के कारण न हो) मूल वित्तीय देयता के समापन के रूप में माना जाएगा एवं इसे नई वित्तीय देयता के रूप में माना जाएगा।

6.4. संशोधन:

वित्तीय आस्तियां

यदि किसी वित्तीय आस्ति की शर्तों का संशोधन किया गया है तो कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि संशोधित आस्ति के नकदी प्रवाह में पर्याप्त अंतर है या नहीं। यदि नकदी प्रवाह काफी हद तक अलग रहता है तो मूल वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाह के संविदागत अधिकार समाप्त माने जाते हैं। इस मामले में, मूल वित्तीय आस्ति को मान्यता नहीं दी गई है एवं उचित मूल्य पर नई वित्तीय आस्ति के रूप में मानी गई है।

यदि परिशोधित लागत पर ली गई संशोधित आस्ति के नकदी प्रवाह में पर्याप्त भिन्नता नहीं दिखाई देती है तो ऐसे संशोधन के कारण वित्तीय आस्ति को मान्यता नहीं दी जाती है। इस मामले में, कंपनी ने वित्तीय आस्ति की सकल हस्तगत राशि की पुनर्गणना की है एवं लाभ व हानि के विवरण में सकल लाभ या हानि के रूप में सकल हस्तगत राशि को समायोजित करने से आने वाली राशि माना है। वित्तीय आस्ति की सकल हस्तगत राशि की पुनरु मोल-तोल की गई या संशोधित संविदागत नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के रूप में पुनरु गणना की जाएगी जिसे वित्तीय आस्ति के मूल प्रभावी ब्याज दर (या क्रेडिट-खरीदे हुए या मूल के प्रभावी दर पर समायोजित, क्रेडिट-क्षतिग्रस्त वित्तीय आस्तियां) अथवा संशोधित प्रभावी ब्याज दर जब लागू हो, पर छूट दी जाती है। यदि उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों के कारण ऐसा संशोधन किया जाता है तो लाभ या हानि क्षतिग्रस्तता हानि के साथ दर्शाया जाता है। अन्य मामलों में, इसे ब्याज आय के रूप में दर्शाया जाता है।

6.5. उचित मूल्य मूल्यांकन

वित्तीय लिखतों का महत्वपूर्ण हिस्सा तुलन-पत्र में उचित मूल्य पर दर्शाया जाता है।

‘उचित मूल्य’ वह कीमत होती है जो किसी आस्ति को मूलधन की मूल्यांकन की तिथि को बाजार के प्रतिभागियों के बीच अथवा ऐसे प्रतिभागियों की अनुपस्थिति में ऐसी तिथि जिस तिथि को कंपनी को सबसे अधिक लाभ हो, बेचने से प्राप्त होती है अथवा जिसका बाजार के प्रतिभागियों के बीच योजनाबद्ध लेन-देन में देयता हस्तांतरित करने में भुगतान करना पड़ता है। देयता का उचित मूल्य इसकी गैर-निष्पादकता जोखिम को दर्शाती है।

जब कोई उचित मूल्य उपलब्ध होता है तो कंपनी किसी लिखत के उचित मूल्य का मूल्यांकन, सक्रिय बाजार में उस लिखत के लिए उद्धृत मूल्य का उपयोग करते हुए करती है। बाजार को तब सक्रिय माना जाता है जब आस्ति अथवा देयता के लेन-देन पर्याप्त बारंबारता व मात्रा में होते हैं एवं मूल्य निर्धारण की जानकारी निरंतर उपलब्ध रहती है।

यदि सक्रिय बाजार में कोई उद्धृत कीमत न हो तो आईआईएफसीएल ऐसी मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करता है जिसमें प्रासंगिक अवलोकनयोग्य सूचनाओं के उपयोग का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है और जो अप्रचलित सूचनाओं के उपयोग को कम करके दर्शाता है। चुनी गई मूल्यांकन तकनीक में उन सभी कारकों को शामिल किया गया है जिसे बाजार के प्रतिभागी लेन-देन के मूल्य-निर्धारण में ध्यान में रखते हैं।

प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का सबसे अच्छा प्रमाण आम तौर पर, लेन-देन की कीमत – अर्थात् दिए गए अथवा प्राप्त प्रतिफल का उचित मूल्य है। यदि आईआईएफसीएल यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य लेन-देन मूल्य से भिन्न है एवं उचित मूल्य का न तो उसी के अनुरूप आस्ति अथवा देयता के सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य द्वारा और न ही मूल्यांकन तकनीक पर आधारित है जिसके लिए किसी भी अलक्षित निविष्टि का मूल्यांकन के संबंध में महत्वहीन होने का अनुमान लगाया जाता है तो आरंभिक तौर पर वित्तीय लिखत का मूल्यांकन प्रारंभिक मान्यता एवं लेन-देन कीमत पर उचित मूल्य के बीच के अंतर को समायोजित करने के बाद उचित मूल्य पर किया जाता है। इसके उपरान्त समुचित अंतर के आधार पर लाभ व हानि विवरण में उस अंतर को माना गया है।

मांग विशेषता वाली वित्तीय देयता (उदाहरणार्थ मांग जमा) के उचित मूल्य, मांग पर देय राशि है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

अनउद्धृत इक्विटियों का आईआईएफसीएल के पास उपलब्ध सूचना की उपलब्धता के अधीन, नीचे दिए गए दृष्टिकोण के आधार पर, ऐसे क्रम में उचित मूल्यांकन किया गया है, जिसमें वे दिखाई देते हैं

क. कंपनी की नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरण से निवेशिती संस्था का विश्लेषित विवरण

ख. एक रुपये पर, यदि नवीनतम वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है।

अवरसंचना कर्ज निधि एवं वैकल्पिक निवेश निधि की इकाईयों का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध निवल आस्ति मूल्य के अनुसार किया गया है।

6.6. उचित मूल्य मापन के लिए मूल्यांकन तकनीक

यह दर्शाने के उद्देश्य से कि कैसे उचित मूल्य व्युत्पन्न किये गये हैं, वित्तीय लिखतों को निम्नलिखित समीक्षा के अनुसार मूल्यांकन तकनीकी के पदानुक्रम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है:

- स्तर 1 के वित्तीय लिखतें दृ ये वे लिखतें होती हैं जहां मूल्यांकन में प्रयुक्त निविष्टियां समान आस्ति अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजार से उद्धृत कीमतों पर समायोजित की जाती हैं जब कंपनी मापन तिथि तक पहुंच स्थापित की है। कंपनी ने बाजार को तभी सक्रिय माना है जब समान आस्तियों एवं देयताओं की मात्रा एवं चलनिधि के संबंध में पर्याप्त व्यापारिक गतिविधियां हुई हों एवं जब बाध्यकारी एवं प्रयोज्य कीमत उद्धरण तुलन पत्र की तिथि को उपलब्ध है।
- स्तर 2 के वित्तीय लिखतें दृ ये वे लिखतें होती हैं जहां मूल्यांकन में प्रयुक्त निविष्टियां पर्याप्त हैं एवं लिखत के जीवनकाल की पूरी अवधि में उपलब्ध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर प्राप्य बाजार डेटा से व्युत्पन्न होती हैं। ऐसी निविष्टियों में सक्रिय बाजार में इसी तरह की आस्तियों अथवा देयताओं के लिए उद्धृत कीमत, सुस्त बाजार में समान लिखतों के लिए उद्धृत कीमत एवं ब्याज दरों और घटते आगम, अंतर्निहित अस्थिरता तथा ऋण की कीमत लागत में अंतर जैसे उद्धृत मूल्य के अलावा अन्य अवलोकन योग्य निविष्टि शामिल होती हैं। इसके अतिरिक्त परिसंपत्ति की स्थिति या अवस्थिति के समायोजन की आवश्यकता हो सकती है या यह उस सीमा तक हो सकती है जिसकी संबंधित लिखतों के साथ तुलना की जा सके। हालांकि यदि ऐसे समायोजन अलक्षित निविष्टियों के आधार पर किये जाते हैं जो पूरे मापन के लिए पर्याप्त हैं तो आईआईएफसीएल ऐसी लिखतों को स्तर 3 के तौर पर वर्गीकृत करेगा।
- स्तर 3 के वित्तीय लिखतें – ये वे लिखतें होती हैं जिसमें एक अथवा उससे अधिक अलक्षित निविष्टि शामिल होती है, जो संपूर्ण मापन के लिए पर्याप्त हैं।

6.7. वित्तीय आस्तियों की हानि

आईआईएफसीएल ने वित्तीय आस्तियों के निम्नलिखित वर्गों के लिए अपेक्षित ऋण हानियों (ईसीएल) का मूल्यांकन करने में तीन स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया है जिसका आकलन लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं किया है

- अन्य समग्र आय के माध्यम से परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य मूल्यांकित कर्ज लिखत
- ऋण प्रतिबद्धताएं, एवं
- वित्तीय गारंटी संविदाएं

कोई ईसीएल इक्विटी निवेश पर नहीं माना गया है।

वित्तीय आस्तियां आरंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में बदलाव के आधार पर निम्नलिखित तीन चरणों के माध्यम से वर्गीकृत की गई है:

चरण 1: 12 – माह के ईसीएल

वे सभी एक्सपोजर जहां आरंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं हुई हो एवं जो शुरुआत से हानि वाले ऋण नहीं हैं, इस चरण के तहत वर्गीकृत हैं।

चरण 2: आजीवन ईसीएल – हानि वाला ऋण नहीं

वे सभी एक्सपोजर जहां आरंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं हुई हो लेकिन हानि वाले ऋण नहीं हैं, इस चरण के तहत वर्गीकृत हैं। 30 दिन गुजरने के बाद देय ऋण जोखिम में पर्याप्त वृद्धि के रूप में माना जाता है।

चरण 3: आजीवन ईसीएल – हानि वाले ऋण

सभी एक्सपोजर का आकलन हानि वाले ऋण के तौर पर तब किया जाता है जब एक अथवा एक अधिक घटनाओं उनका उस आस्ति के अनुमानित भावी नकदी प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इस चरण में वर्गीकृत हैं। ऐसे एक्सपोजर के लिए जो हानि वाले ऋण बन गये

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

हैं, आजीवन ईसीएल मानी गई है एवं ब्याज की आय की गणना सकल हस्तगत राशि के बजाय परिशोधित (प्रावधान का निवल) पर प्रभावी ब्याज दर को अपनाकर की गई है।

ऋण आस्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों के अनुसार, प्रावधानीकरण की अपेक्षाओं का न्यूनतम होगी जो निम्नलिखित हैं:

- (i) **मानक आस्तियां:** सामान्य प्रावधान ब्याज प्रोद्भूत पर वर्ष के अंत तक देय नहीं, सहित कर्ज की बकाया राशि पर 0.40 पर किया जाता है।
- (ii) **अवमानक आस्तियां:** कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान किया गया है।
- (iii) **संदिग्ध आस्तियां:**
 - (क) 100 प्रतिशत प्रावधान उस सीमा तक, जिसके लिए अग्रिम सुरक्षा के वसूली योग्य मूल्य के द्वारा कवर नहीं किया गया है, जिसके लिए कंपनी का एक वैध सहारा है।
 - (ख) उपरोक्त मद (क) के अतिरिक्त, उस अवधि पर निर्भर करता है जिसके लिए आस्ति संदिग्ध रही है, प्रतिभूत हिस्से के 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की सीमा तक प्रावधान है अर्थात् बकाया का अनुमानित मूल्य, निम्नलिखित आधार पर किया जाता है।

जिस अवधि के लिए आस्ति को संदिग्ध माना गया है	प्रावधान का प्रतिशत
एक वर्ष तक	20
एक से तीन वर्ष तक	30
तीन वर्ष से अधिक	50

(iv) हानि आस्तियां

संपूर्ण आस्ति को अपलिखित किया जाता है, हालांकि यदि किसी कारण से आस्तियों की बही में डालने की अनुमति दी जाती है तो बकाये का 100 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है।

(v) पुनर्चित ऋण आस्तियां

निम्नलिखित मामलों में पुनर्चित मानक आस्ति के लिए प्रावधान उचित मूल्य में कमी के प्रावधान सहित भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

- (क) स्वीकृत कंपनियों को नई परियोजना ऋण 24 जनवरी, 2014 से प्रभावी प्रावधान 5 प्रतिशत की दर से किया जाएगा।
- (ख) 23 जनवरी, 2014 को सभी कंपनियों के लिए पुनर्चित किए गये बकाया ऋण के स्टॉक (बकाया पुनर्चित ऋण) के शेयर के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 5 प्रतिशत का प्रावधान है।

वित्तीय आस्ति के वर्गीकरण के चरणों का निर्धारण

सूचना देने की हर तिथि को सभी वित्तीय आस्तियों को सूचना देने की तिथि एवं प्रारंभिक मान्यता की तिथि के बीच अपेक्षित अवधि में होने वाली चूक के जोखिम की तुलना करते हुए प्रारंभिक मान्यता के बाद से एक्सपोजर के ऋण जोखिम में वृद्धि के आधार पर, तीन चरणों में वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी ऐसी युक्तियुक्त एवं सामर्थ्यकारी सूचना पर विचार करती है जो इस प्रयोजन के लिए अनुचित लागत या प्रयास के बिना प्रासंगिक और उपलब्ध होते हैं।

किसी एक्सपोजर को आस्ति की गुणवत्ता खराब होने पर चरण 1 से चरण 3 में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि बाद की अवधि में, आस्ति की गुणवत्ता में सुधार होता है एवं ऋण जोखिम में पूर्व के किसी मूल्यांकित महत्वपूर्ण वृद्धि की विपरीत स्थिति में होती है तो 30 दिनों से कम समय वाले एक्सपोजर को चरण 1 माना जाता है।

चरण 1 के तौर पर मानी गई वित्तीय आस्तियों के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान बारह महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) पर आधारित हैं। जबकि चरण 2 एवं चरण 3 के तौर पर मानी गई वित्तीय आस्तियों के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान आजीवन ईसीएल मॉडल के आधार पर किए जाते हैं। जब कोई आस्ति न वसूले जा सकने वाली होती है तो उसे संबंधित प्रावधान के प्रति मान्यता नहीं दी जाती है। इस तरह की आस्तियों को सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के उपरांत मान्यता नहीं दी गई है एवं हानि की मात्रा निर्धारित कर दी गई है।

हालाँकि, यह असत्य अनुमान है 90 से अनधिक दिनों तक देय रहने वाली वित्तीय आस्ति चूक नहीं होती है जब तक कि कोई संस्था के पास यह दर्शाने वाली युक्तियुक्त एवं समर्थनयोग्य सूचना नहीं होती है कि और अधिक पश्चवर्ती चूक संबंधी मानदंड अधिक उपयुक्त है। इन प्रयोजनों के

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

लिए प्रयुक्त चूक की परिभाषा सभी वित्तीय लिखतों पर सतत रूप से लागू किया जाते हैं जब तक कि यह प्रदर्शित करने वाली सूचना उपलब्ध न हो कि किसी विशेष वित्तीय लिखतों के लिए कोई दूसरी परिभाषा अधिक उपयुक्त है।

तदनुसार, किसी खाते को हानि वाले ऋण के तौर पर माना जाएगा एवं यदि निम्न में से कोई भी घटना घटित हो तो उसे चरण 3 में स्थानांतरित किया जाएगा।

- खाता विगत 90 दिनों से अधिक दिनों से देय है
- आईआईएफसीएल ऋण दायित्व की ऐसी दबावग्रस्त पुनर्रचना के लिए सहमति दे, जहां मूलधन, ब्याज या (जहां प्रासंगिक है) शुल्क की महत्वपूर्ण छूट अथवा स्थगन के कारण ह्रासित वित्तीय दायित्व की संभावना हो।

विगत दिनों से देय (डीपीडी) का मूल्यांकन, ब्याज एवं अथवा मूलधन का भुगतान न किये जाने की दिनों की संख्या, बिल के अतिदेय रहने के दिनों की संख्या, किसी खाते के निरंतर सीमाध्वाहरण शक्ति से अधिक रहने अथवा खाते में जमा रकम खाते में प्रभारित ब्याज से कम है, के आधार पर किया जाता है।

अल्प ऋण जोखिम अनुमान

भारतीय लेखांकन मानक आईएनडी एस 101 – ष्वित्तीय लिखतें निर्दिष्ट करती हैं कि ष्वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम अनुच्छेद 5.5.10 के प्रयोजनार्थ अल्प माना जाता है, यदि वित्तीय लिखत में चूक का जोखिम कम है तो उधारकर्ता के पास निकट भविष्य में एवं लंबी अवधि में आर्थिक एवं कारोगारी स्थितियों में प्रतिकूल बदलाव की अवस्था में अपने संविदागत नकदी प्रवाह के दायित्वों की पूरा करने की मजबूत क्षमता है लेकिन यह आवश्यक रूप से उधारकर्ता के अपने संविदागत नकदी प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की क्षमता नहीं करेगी (अनुच्छेद बी 5.5.22)। “इसके अतिरिक्त, जबकि इसने अल्प ऋण जोखिम वाले शनिवेश वर्ग की बाहरी रेटिंग का उदाहरण दिया है, यह स्वीकार करता है कि वित्तीय लिखतों को अल्प ऋण जोखिम के रूप में माने जाने के लिए बाहरी रेटिंग होना आवश्यक नहीं है (अनुच्छेद बी 5.5.23)।

तदनुसार किसी लिखत को निम्न स्थितियों में अल्प ऋण जोखिम वाला माना जाता है:

- शून्य विनियामक जोखिम भार के तौर पर निर्दिष्ट शून्य अप्रत्याशित हानिरु यह देखते हुए कि नियामक जोखिम-भार के अनुसार अनुमानित अप्रत्याशित हानि 0: है तो अपेक्षित हानि भी शून्य ही होगी। ऐसे मामलों में ईसीएल शून्य होगा। ऐसी आस्ति वर्गों के उदाहरण घरेलू राष्ट्रिक, षएए या बेहतर की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग के साथ विदेशी राष्ट्रिक हैं।
- 20 प्रतिशत तक के विनियामक जोखिम भार के तौर पर निर्दिष्ट शून्य अप्रत्याशित हानिरु 20: के विनियामक जोखिम-भार के अनुरूप पोर्टफोलियों के लिए कम अप्रत्याशित हानि को देखते हुए, इनमें भी अपेक्षित नुकसान बहुत कम होगा। हालांकि ईसीएल शून्य नहीं हो सकता है या अनुभवजन्य साक्ष्य यह दर्शा सकते हैं कि ऐसे आस्ति वर्गधोर्टफोलियो के लिए चूक की दरें शून्य होती हैं। ऐसी परिसंपत्ति वर्गों के उदाहरणों में षए की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग के साथ विदेशी राष्ट्रिक, घरेलू अनुसूचित आईआईएफसीएल (वे पूंजी पर्याप्तता की नियामक अपेक्षा पूरा करने में असफल हैं उनका अल्प ऋण जोखिम नहीं होता है), बाहरी रूप से मूल्यांकित घरेलू षएए कॉर्पोरेट्स, स्टाफ ऋण शामिल हैं। इन पोर्टफोलियों के लिए प्रेक्षित चूक दरें भी शून्य होती हैं।

इन विवरणों में, सभी कर्मचारी ऋणों को अल्प ऋण जोखिम के तौर पर माना गया है।

प्रयुक्त पोर्टफोलियो में विभाजन का स्तर

जोखिम मापदंडों के अनुप्रयोग के प्रयोजनार्थ विभाजन आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) मॉडल के अनुरूप किया जाता है। हालांकि, आगे के अनुमानों के लिए, आईआईएफसीएल इनमें से कुछ सब-पोर्टफोलियों को व्यापक श्रेणियों में समूहित करने का विकल्प चुन सकता है या कुछ मामलों में उन्हें सामान्य जोखिम वाले कारकों के आधार पर उप-खंडों में विभाजित कर सकता है।

ईसीएल का मापन

ईसीएल अपेक्षित ऋण के निष्पक्ष एवं संभाव्यता-भारित अनुमानों से व्युत्पन्न होते हैं एवं इसका मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता हैरु

- वे वित्तीय आस्तियां जिनका रिपोर्टिंग तिथि को ऋण का स्वरूप नहीं बिगड़ा हैरु प्रभावी ब्याज दर से छूट देकर वित्तीय आस्ति के अपेक्षित जीवनकाल में नकदी के पूरे घाटे का वर्तमान मूल्य। नकदी की कमी संविदा के अनुसार आईआईएफसीएल को देय नकदी प्रवाह एवं वह नकदी प्रवाह जिसकी आईआईएफसीएल को प्राप्त करने की उम्मीद है, के बीच का अंतर है।
- वे वित्तीय आस्तियां जिनका रिपोर्टिंग तिथि को ऋण का स्वरूप नहीं बिगड़ा हैरु सकल हस्तगत राशि एवं प्रभावी ब्याज दर से छूट देकर अनुमानित भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर।
- अनाहरित ऋण प्रतिबद्धताएं संविदागत नकदी प्रवाह जो आईआईएफसीएल को देय है यदि प्रतिबद्धता में गिरावट आती है एवं वह नकदी प्रवाह जिसकी आईआईएफसीएल को प्राप्त करने की उम्मीद है, के बीच का अंतर का वर्तमान मूल्य।

- वित्तीय गारंटी संविदाएं धारक को प्रतिपूर्ति के अपेक्षित भुगतान में वह राशि घटा कर जिसे आईआईएफसीएल वसूलने की उम्मीद है

ईसीएल लाभ हानि विवरण में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण लेखा के प्रावधान का उपयोग करके माने गये हैं। अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर पर मूल्यांकित ऋण लिखतों के मामले में, ईसीएल का मूल्यांकन तीन चरणों के दृष्टिकोण पर आधारित है जो परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियों पर लागू होता है। आईआईएफसीएल ने लाभ हानि में प्रावधान शुल्क को तुलन पत्र में आस्ति के हस्तगत राशि में अपचयन किये बिना अन्य समग्र आय में मानी गई अनुरूप राशि के साथ माना है।

6.8. त्वरित प्रावधानीकरण

आईआईएफसीएल, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत एक विवेकशील ऋणदाता के रूप में कार्यरत है जो सामान्य प्रावधान के अलावा, आस्ति वर्गीकरण के आधार पर प्रतिभूत/अप्रतिभूत भागों के लिए निर्धारित प्रशित लागू करने के संदर्भ में जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, अपेक्षित वसूली की स्थिति के अनुसार मामला दर मामला आधार पर त्वरित प्रावधानीकरण करता है।

त्वरित प्रावधानीकरण ऐसे अपवादस्वरूप मामलों में प्रस्तावित किया गया है जहां भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान पर्याप्त होने के बाद भी, हालांकि प्रबंधन के दृष्टिकोण से, ऐसी परिस्थितियों हो सकती हैं, जो सुधार की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे मामलों में प्रबंधन एक विवेकसम्मत उपाय के तौर पर त्वरित प्रावधानीकरण पर मामला दर मामला दृष्टिकोण अपनाता है।

त्वरित प्रावधानीकरण मोटे तौर पर निम्नलिखित मानकों पर निर्भर करता है:

- परियोजना की स्थिति
- प्रवर्तक की धन लगाने की क्षमता
- मूर्त प्रतिभूति नकदी प्रवाह और उपलब्ध रियायतें
- वसूली के लिए सहायता संघ द्वारा उठाये गये कदम
- प्रबंधन की धारणा

उपरोक्त वर्णित कारकों को ध्यान में रखते हुए 10 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक के प्रावधान किये गये हैं।

7. पट्टे पर देना

परिचालन पट्टे के तहत पट्टा भुगतान पट्टा अवधि पर ऋजु रेखा के आधार पर लाभ हानि के विवरण में व्यय के तौर पर माने गये हैं।

8. संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का दिन-प्रतिदिन के शोधन, संचित मूल्यहास घटाकर एवं मूल्य में संचित हानि को छोड़कर अर्जन की लागत पर उल्लेख किया गया है:

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर को निपटान पर मान्यता नहीं दी जाती है अथवा जब उससे भविष्य में आर्थिक लाभ की अपेक्षा नहीं रह जाती है। आस्ति को मान्यता न दिये जाने पर होने वाला कोई लाभ अथवा हानि (निवल निपटान आय एवं आस्ति की हस्तगत राशि के बीच अंतर के तौर पर परिगणित) लाभ हानि विवरण में उस तिथि को माना जाता है जिस तिथि को आस्ति को मान्यता नहीं दी गयी हो।

9. अमूर्त आस्तियां एवं विकासाधीन अमूर्त आस्तियां

अलग से अधिग्रहित अमूर्त आस्तियों का मूल्यांकन लागत पर प्रारंभिक मान्यता के आधार पर किया गया है। प्रारंभिक मान्यता के उपरांत, अमूर्त आस्तियों को किसी भी संचित परिशोधन व संचित हानि, यदि कोई हो, की लागत पर किया गया है।

पहले से ही पूंजीकृत अमूर्त आस्ति पर बाद के व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इससे मौजूदा आस्ति में निहित भावी आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है व उत्तरव्यापी प्रभाव से परिशोधित होती है।

आंतरिक उपयोग के लिए अर्जित सॉफ्टवेयर की लागत (जो संबंधित हार्डवेयर का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है) एवं जिसके कारण भविष्य के महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ हों, को अमूर्त आस्ति के रूप में माना जाता है जब वह इसके उपयोग के लिए तैयार होता है।

विकास संबंधी व्यय अमूर्त आस्ति के रूप में माना जाएगा यदि वह भारतीय लेखांकन मानक 38 'अमूर्त आस्ति' के अनुसार पात्रता मानदंड पूरा करते हों, अन्यथा इसे व्यय के रूप में माना जाएगा।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

अमूर्त आस्ति के किसी मद को तब मान्यता नहीं दी जाती है जब उसके के निपटान पर अथवा जब इसके उपयोग अथवा निपटान से भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। किसी भी अमूर्त आस्ति को मान्यता न देने से होने वाले लाभ या हानि का निवल निपटान आय एवं आस्ति की हस्तगत राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है एवं आस्ति को मान्यता न दिये जाने पर उसे लाभ व हानि के विवरण में माना जाता है।

10 मूल्यहास और परिशोधन

मूल्यहास की गणना, उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल से अधिक उनके अवशिष्ट मूल्यों पर संपत्ति एवं उपकरण की लागत को लिखने की विधि मूल्य विधि का उपयोग करके की जाती है। उपयोगी जीवनकाल कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ५ के अनुसार माना जाता है।

आईआईएफसीएल का कार्यालय परिसर का 30 वर्ष से अधिक अवधि के पट्टे का ऋण चुकाया गया है।

परिशोधन की गणना उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर उनके अवशिष्ट मूल्यों के संबंध में अमूर्त आस्ति की लागत का अवलेखन करने के लिए ऋजु-रेखा पद्धति का उपयोग करके की जाती है। पट्टा आस्ति के मामले में, अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की गणना पट्टा अवधि के समापन के आधार पर की जाती है।

अमूर्त आस्तियों के उपयोगी जीवनकाल का आकलन या तो परिमित होता है या अनिश्चित होता है। परिमित जीवनकाल वाली अमूर्त आस्तियां उपयोगी आर्थिक जीवनकाल में परिशोधित होती हैं। परिमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त आस्ति के लिए परिशोधन अवधि एवं परिशोधन विधि की कम से कम हर वित्तीय वर्ष के आखिर में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवनकाल में परिवर्तन या आस्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित कार्य प्रणाली की गणना परिशोधन अवधि या कार्यप्रणाली जो भी उपयुक्त हो, में बदलाव करते हुए की जाती है जिसे बाद में लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। परिमित जीवनकाल वाली अमूर्त आस्ति पर परिशोधन व्यय, आय विवरण में अलग पंक्ति के मद के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

11 गैर-वित्तीय आस्तियों का ह्रासन

आईआईएफसीएल प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह पता लगाने के लिए मूल्यांकन करता है कि गैर-वित्तीय आस्ति ह्रासित हो सकती है। मूल्यांकन के अनुसार ज्ञात हानि को व्यय के रूप में माना गया है।

12 चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

कारोबार की सामान्य अवधि में आईआईएफसीएल बैंकों को चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी करता है जो आमतौर पर सहायता संघ के सदस्यों को लाभार्थियों के पक्ष में ऋणदाताओं की ओर से साख पत्रध्वित्तीय गारंटी जारी करने के लिए जारी किया जाता है। चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) प्रारंभिक तौर पर, प्राप्त प्रीमियम के कारण उचित मूल्य पर 'अन्य देयताओं' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में माना गया है। प्रारंभिक मान्यता के उपरांत, प्रत्येक गारंटी के तहत आईआईएफसीएल की देयता का मूल्यांकन राशि आय विवरण में माने गये संचयी परिशोधन से घटाकर प्रारंभिक तौर मानी गई उच्च राशि एवं गारंटी के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी वित्तीय दायित्व का निपटान करने में अपेक्षित व्यय के बेहतर अनुमान के आधार पर किया गया है। वित्तीय गारंटियों से संबंधित देयता में कोई भी वृद्धि ऋण हानि व्यय में आय विवरण में दर्ज की गई है। प्राप्त प्रीमियम गारंटी के जीवनकाल पर ऋजु रेखा के आधार पर आय विवरण में निवल शुल्क एवं कमीशन आय में माना गया है।

13 प्रावधान और आकस्मिकताएँ

ऐसे प्रावधान तब माने जाते हैं जब आईआईएफसीएल का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप हो एवं यह संभावना हो कि दायित्वों का निपटान करने के लिए सन्निहित आर्थिक लाभ के संसाधन का बहिर्गमन आवश्यक होगा। जब धन के समय के मूल्य का प्रभाव भौतिक होता है तो आईआईएफसीएल देयता के लिए विशिष्ट वर्तमान दर दर्शाते हुए पूर्व-कर दर पर अपेक्षित नकदी प्रवाह को छूट देकर प्रावधान के स्तर को निर्धारित करता है। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय अन्य परिचालन व्ययों में किसी भी प्रतिपूर्ति के लाभ व हानि के विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

आकस्मिक देयता निम्नानुसार मानी व विगोपित की गई है:

- क) पिछली घटना से उत्पन्न होने वाला संभावित दायित्व जिसकी मौजूदगी की पुष्टि समूह के नियंत्रण के भीतर न होने वाली एक या उससे अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने अथवा घटित न होने से की जाएगी या
- ख) पिछली की घटना से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जिसे माना नहीं गया है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी अथवा दायित्व की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

जब ऐसा संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व विद्यमान होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना अल्प होती है तो कोई प्रावधान या विगोपन नहीं किया जाता है।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्ति को नहीं माना गया है। हालांकि, आकस्मिक आस्ति का आकलन निरंतर किया गया है एवं यदि यह लगभग निश्चित है कि आर्थिक लाभ का प्रवाह पैदा होगा तो आस्ति एवं उससे संबंधित आय उस अवधि में मानी गई है जिसमें बदलाव हुआ है।

प्रतिबद्धताओं में ग्राहक को ऋण देने के करार के अनुसार ऋण का प्रदान करने की ऐसी बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं जहां तक संविदा में स्थापित किसी शर्त का उल्लंघन न हो।

14 आय पर कर

14.1 वर्तमान कर

वर्तमान एवं पूर्व वर्षों में कर आस्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन, कराधान प्राधिकरणों से वसूल किए जाने अथवा कराधान प्राधिकरणों अदा की गई राशि के आधार पर किया जाता है। राशि की गणना करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कर दरें एवं कर कानून वे हैं जो भारत में रिपोर्टिंग तिथि के तक अधिनियमित किए गए या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं जहां आईआईएफसीएल ने कारोबार किया है एवं कर योग्य आय सृजित की है।

इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से मानी गई मदों से संबंधित वर्तमान आयकर को इक्विटी में माना गया है एवं लाभ या हानि के विवरण में नहीं माना गया है। प्रबंधन समय-समय पर, उन परिस्थितियों के संबंध में कर विवरणी में ली गई अवस्थाओं का मूल्यांकन करता है जिसमें लागू कर विनियम व्याख्या के अधीन होते हैं और जहां प्रावधान स्थापित करते हैं जहां यथोचित हो।

14.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में आस्तियों एवं देयताओं की रखाव राशि एवं कर योग्य लाभ की संगणना में प्रयुक्त तत्संबंधी कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर माना गया है एवं इसकी तुलन पत्र देयता विधि का उपयोग करते हुए गणना की गई है। आस्थगित कर आस्तियां आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, उसी सीमा तक अप्रयुक्त कर हानि एवं अप्रयुक्त कर ऋण के लिए माना गया है जिसमें यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसे उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानि एवं अप्रयुक्त कर ऋण में उपयोग किया जा सके। आस्थगित कर आस्तियों की रखाव राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को समीक्षा की गई है एवं इसे उस सीमा तक घटा दिया है जहां इसकी ये संभावना न हो कि इससे अस्थायी अंतरों में उपयोग किया जा सकने वाला पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर आस्तियां एवं देयताओं का मूल्यांकन उस कर दरों पर किया गया है जिसकी उस अवधि में लागू होने की उम्मीद है जिसमें कर की दरों (और कर कानून) के आधार पर देयता का निपटारा किया गया है अथवा आस्ति जुटाई गयी है एवं तुलन पत्र की तिथि को अधिनियमित किया गया या मौलिक रूप अमल में लाया गया है।

15 प्रति शेयर उपार्जन

आईआईएफसीएल अपने साधारण शेयरों के लिए बुनियादी और तनुकृत ईपीएस डेटा प्रस्तुत करता है। मूल ईपीएस की गणना उस अवधि में बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा आईआईएफसीएल के इक्विटी शेयरधारकों को लक्षित लाभ अथवा हानि को विभाजित करके की गई है। तनुकृत ईपीएस इक्विटी का निर्धारण शेयरधारकों के कारण होने वाले लाभ अथवा हानि का समायोजन करके एवं सभी तनुकृत संभावित साधारण शेयरों के प्रभावों के संबंध में समायोजित किए गए साधारण शेयरों की भारित-औसत संख्या जिसमें कर्मचारियों को प्रदान किये गये शेयर विकल्प शामिल हैं, के आधार पर किया गया है।

16 कर्मचारी हित-लाभ

16.1 सभी अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ उनके अपरिवर्तनीय राशि पर माने जाते हैं जिस लेखांकन अवधि में खर्च किये जाते हैं।

16.2 कर्मचारियों के पारिश्रमिक से कटौती किए जाने वाले भविष्य निधि का अंशदान एवं नियोक्ता के अंशदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफओ) कार्यालय में जमा किया जाता है।

16.3 एनपीएस में शामिल परिभाषित अंशदान योजनाओं के तहत कर्मचारी हितलाभ है जो योजना में अंशदान करने के लिए कंपनी के अपरिवर्तनीय दायित्व पर माने जाते हैं। यह आईडीबीआई बैंक को भुगतान किया जाता है तो एनपीएस सुविधा के लिए प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (पीओपी) सेवा प्रदाता है एवं अवधि से संबंधित व्यय है।

16.4 सभी सेवा निवृत्त लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ उस वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा में व्यय के रूप में माने जाते हैं जिसमें कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं। व्यय को देय राशियों के वर्तमान मूल्य पर माना गया है जो बीमाकिक मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग करके निर्धारित किया गया है।

16.5 अवसान संबंधी हित लाभ व्यय के रूप में माने गये हैं।

16.6 बीमाकिक मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा हानि को अन्य समग्र आय (ओसीआई) में होने की अवधि में माना गया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

- 16.7 कर्मचारी दायित्व हितलाभ यानि बीमारी अवकाश, अवकाश, यात्रा रियायत छूट एवं चिकित्सा सहायता योजना के रूप में है उसी के बीमांकिक मूल्यांकन पर रिपोर्टिंग की तारीख तक की अवधि के लिए प्रदान की गई है।
- 16.8 उपदान आईआईएफसीएल कर्मचारी समूह उपदान निधि के नाम पर न्यास द्वारा समूह उपदान योजना भारतीय जीवन बीमा निगम को देय राशि के आधार पर प्रदान की गई है।
- 16.9 अवकाश नकदीकरण सुविधा, एलआईसी समूह अवकाश नकदीकरण योजना के अंतर्गत देय राशि के आधार पर प्रदान की गई है।
- 16.10 नियुक्ति की शर्तों के अनुसार जहां लागू हो, वहां कार्यकारी निदेशकों के अवकाश नकदीकरण, उपदान और बीमारी अवकाश के लिए प्रावधान किया गया है एवं देयता की अनुमानित राशि के आधार पर उपर्जित किया गया है।

17 महत्वपूर्ण लेखांकन मान्यताएं एवं अनुमान

आईआईएफसीएल की लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग में धारणा, अनुमान एवं मान्यताओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। यदि कहीं विभिन्न मान्यताएं अथवा अनुमान अपनाये गये थे तो परिणामी मूल्य बदल जाएंगे जिससे आईआईएफसीएल की निवल परिसंपत्ति व आय पर प्रभाव पड़ेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए अनुमान उस तिथि के सर्वोत्तम अनुमानों पर आधारित हैं। यद्यपि आईआईएफसीएल के पास आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुमानों का आकलन विश्वसनीय ढंग से किया गया है तथापि वास्तविक मात्रा उन अनुमानों से भिन्न हो सकती है। अनुमानों एवं अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा सतत आधार पर की गई है। लेखांकन अनुमानों के संशोधनों को उस अवधि में माना गया है जिसमें वे अनुमान संशोधित किए गये हैं एवं भविष्य में किसी भी अवधि में प्रभाव डालती हों। लेखांकन नीतियां जो निर्णय, अनुमान एवं मान्यताओं के उपयोग के लिए सबसे अधिक सुग्राही हैं, नीचे निर्दिष्ट हैं।

• उचित मूल्य मापन

वित्तीय लिखतों का महत्वपूर्ण हिस्से को उचित मूल्य पर तुलन पत्र में ले जाया जाता है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी आस्ति की बिक्री से प्राप्त होगा अथवा जिसका मूल्यांकन की तिथि को बाजार के प्रतिभागियों के बीच योजनाबद्ध लेन-देन में देयता स्थानांतरित करने के संबंध में भुगतान किया जाएगा। जहाँ वित्तीय आस्ति अथवा देयता के वर्गीकरण का परिणामों उचित मूल्य, जहाँ भी संभव हो, पर आकलन किया जा रहा है वहां उचित मूल्य सबसे अधिक लाभकारी सक्रिय बाजार में उद्धृत बोली अथवा प्रस्ताव का संदर्भ देते हुए निर्धारित किया जाता है जिस पर आईआईएफसीएल की तत्काल पहुँच है। ऋण जोखिम के कोई समायोजन को भी उचित मूल्य में शामिल किया गया है। सक्रिय बाजार में उद्धृत वित्तीय देयता के संबंध में निवल जोखिम की स्थिति का उचित मूल्य ही वर्तमान प्रस्ताव मूल्य है एवं वित्तीय आस्ति के संबंध में, बोली की कीमत को धारित अथवा जारी लिखतों की इकाइयों की संख्या से गुणा किया जाता है। जहां किसी विशेष आस्ति अथवा देयता के लिए कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है तो वहां आईआईएफसीएल उचित मूल्य पर निकालने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करता है जिसमें सबसे नये लेन-देन में प्राप्त लेन-देन की कीमतों का उपयोग, बाजार की स्थितियों और रिपोर्टिंग तिथि को मौजूद जोखिमों पर आधारित मित्रीकाटा वाला नकदी प्रवाह विश्लेषण, विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल एवं अन्य मूल्यांकन तकनीक शामिल है। ऐसा करने के लिए, उचित मूल्य का अनुमान ऐसी मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके किया जाता है जिसमें बाजार की अवलोकन योग्य सूचनाओं का अधिकतम उपयोग किया जाता है एवं इकाई-विशिष्ट सूचना पर कम निर्भरता होती है। प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का सबसे अच्छा प्रमाण है लेनदेन कीमत (यानी दिए गए या प्राप्त किए गए प्रतिफल का उचित मूल्य) जब तक कि उस लिखत का उचित मूल्य, उसी लिखत (यानि बिना संशोधन अथवा पुनर्पैकेजिंग के) में अन्य अवलोकन योग्य वर्तमान बाजार लेनदेन अथवा ऐसी मूल्यांकन तकनीकी जिनके परिवर्ती कारक में अवलोकनयोग्य बाजार का ही डेटा शामिल है, के साथ तुलना प्रमाणित नहीं होती है। जब इस तरह के प्रमाण विद्यमान होते हैं तो आईआईएफसीएल प्रारंभिक मान्यता पर (यानी पहले दिन को) लाभ या हानि में लेनदेन मूल्य और उचित मूल्य के बीच अंतर को मानता है।

• ऋण और अग्रिम राशि पर हानि शुल्क

ऋण एवं अग्रिम के संबंध में ह्रासित हानि का निर्धारण करते समय, भावी नकदी प्रवाह की मात्रा एवं समय के आकलन में प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इन नकदी प्रवाह का अनुमान लगाने में आईआईएफसीएल, उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति एवं संपार्श्विक के निवल वसूली योग्य मूल्य के बारे में निर्णय करता है। ये अनुमान कई कारकों से संबंधित मान्यताओं पर आधारित हैं एवं वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में यह ह्रासित भत्ता में परिवर्तित हो सकता है। ह्रासित मद के सामूहिक आकलन में ऋण पोर्टफोलियो (जैसे क्रेडिट गुणवत्ता, बकाया के स्तर, ऋण उपयोग, संपार्श्विक अनुपात की तुलना में ऋण) एवं जोखिम व आर्थिक डेटा का सकेंद्रण (बेरोजगारी का स्तर, अचल संपत्ति कीमत सूचकांक, देश के जोखिम एवं भिन्न-भिन्न व्यक्तिगत समूहों का कार्य-निष्पादन सहित) के लेखा आंकड़े लिये गये हैं।

• ह्रासित ऋण के अलावा अन्य प्रावधान

प्रावधान कर्मचारी पात्रता, पुनर्रचना लागत एवं मुकदमेबाजी प्रावधान जैसी भावी दायित्वों की श्रेणी के संबंध में किये गये हैं। कुछ प्रावधानों में विभिन्न घटनाओं के संभावित परिणाम एवं भावी अनुमानित नकदी प्रवाह के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। इन प्रावधानों के मूल्यांकन में लेनदेन के अंतिम परिणामों के बारे में प्रबंधन निर्णयों का प्रयोग शामिल है। एक वर्ष से अधिक समय के बाद किए जाने वाले भुगतान पर उस दर से छूट दी जाती है जो वर्तमान ब्याज दरों एवं उस प्रावधान के लिए विशिष्ट जोखिम दोनों को दर्शाती है।

- **ऋण एवं अग्रिम**

ऋण एवं अग्रिमों का मूल्यांकन, प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य में वृद्धिशील प्रत्यक्ष लेनदेन की लागत के योग तथा बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके उनकी परिशोधन लागत पर किया गया है।

18 **उधारियां एवं कर्ज प्रतिभूतियां**

उधारियां एवं कर्ज प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य में वृद्धिशील प्रत्यक्ष लेनदेन की लागत को घटाकर तथा बाद में एफवीटीपीएल में समूह निर्दिष्ट देयताओं को छोड़कर, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके उनकी परिशोधन लागत पर किया गया है।

19 **उधार की लागत**

विदेशी मुद्रा की उधारियों पर किये गये विनिमय के अंतर को लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया गया है। विनिमय की राशि का अंतर जो देशी मुद्रा की उधारियों पर ब्याज एवं विदेशी मुद्रा की उधारियों पर ब्याज के बीच अंतर से अनधिक है, उसे उधारियों की लागत के रूप में माना गया है और इसकी गणना भारतीय लेखांकन मानक एएस 23—उधारी लागत के अंतर्गत की गई है एवं विनिमय का शेष अंतर, यदि कोई हो, की गणना भारतीय लेखांकन मानक एएस 21—विदेशी विनिमय दरों में बदलाव के प्रभाव के अंतर्गत की गई है।

इस प्रयोजनार्थ, देशी मुद्रा के उधारियों के ब्याज दर को कंपनी द्वारा लिए गए बैंक ओवरड्राफ्ट की दर माना गया है।

20 **सहायक कंपनी में निवेश**

सहायक कंपनी, कंपनी द्वारा नियंत्रित इकाई होती है। नियंत्रण तब होता है जब इकाई पर कंपनी का अधिकार उजागर होता है अथवा कंपनी के पास इकाई में अपनी भागीदारी से परिवर्ती प्रतिफल के अधिकार होते हैं व इकाई पर अपनी शक्ति का उपयोग करके उस प्रतिफल को प्रभावित करने की क्षमता होती है।

अधिकार को उन मौजूदा अधिकारों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है जो प्रासंगिक क्रियाकलापों को निर्देशित करने की क्षमता रखते हैं जो इकाई के प्रतिफल को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

सहायक कंपनियों में निवेश लागत पर लिया गया है। लागत में निवेश हासिल करने के लिए किये गये भुगतान की कीमत एवं प्रत्यक्ष तौर पर देय लागत शामिल है।

इंडस्ट्रीज के रूप में संक्रमण की तारीख पर, कंपनी ने पिछले ७।७ के अनुसार सहायक कंपनियों में निवेश के मूल्य को इंडस्ट्रीज 101 के अनुसार समझा लागत के रूप में माना है। भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप लेनदेन की तिथि को कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार जो भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार समझी गई, सहायक कंपनी में निवेश का रखाव मूल्य माना है।

21 **विदेशी मुद्रा में लेनदेन**

21.1 विदेशी मुद्रा में व्यय एवं आय की गणना लेनदेन की तिथि पर प्रचलित बैंकों की विनिमय दरों पर की गई है।

21.2 निम्नलिखित शेष राशि को लेखाबंदी की तिथि को प्रचलित विनिमय दरों (भारतीय रिजर्व बैंक संदर्भ दर) पर भारतीय मुद्रा में बदला गया हैरू

(क) प्रोद्भूत आय अथवा व्यय लेकिन क्रमशः विदेशी मुद्रा ऋण एवं विदेशी मुद्रा उधारियों पर देय नहीं।

(ख) विदेशी मुद्रा में जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र के संबंध में आकस्मिक देयता।

21.3 विदेशी मुद्रा ऋण देयता को रिपोर्टिंग की तारीख को प्रचलित आरबीआई के संदर्भ दर पर भारतीय मुद्रा में बदला गया है विनिमय में होने वाले अंतर को लेखा मानक 11, लेखांकन मानक एएस 21—विदेशी विनिमय दरों में बदलाव के प्रभाव के अनुसार लाभ व हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

21.4 विदेशी मुद्रा ऋण आस्तियों, देयताओं एवं प्रोद्भूतध्रोद्भूत लेकिन देय नहीं आय व व्यय पर वास्तविकध्रुपांतरण लाभहानि (निवल) लाभ व हानि विवरण में जमाध्रप्रभारित किया गया है।

22 **व्युत्पन्नी लेखांकन**

22.1 जहां भी कंपनी ने वायदा संविदा अथवा कोई लिखत यानि वायदा विनिमय संविदा अनुबंध के सत्व संपन्न की है तो वायदा विनिमय संविदा की तारीख पर वायदा दर एवं विनिमय दर के बीच के अंतर को भारतीय लेखांकन मानक एएस -11 के अनुसार, संविदा के पूरे जीवनकाल पर आय या व्यय के रूप में माना गया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

- 22.2 विदेशी मुद्रा ऋण पर की गई बचाव व्यवस्था, विदेशी मुद्रा (यानी स्वाभाविक बचाव व्यवस्था) में दिए गए ऋणों के समायोजन के उपरांत एफआईएफओ के आधार पर समायोजित की गई है।
- 22.3 ब्याज दर अदला-बदली सहित वायदा विनिमय संविदा के निरसन अथवा नवीनीकरण से होने वाला कोई लाभ या हानि को उस वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में माना गया है।
- 22.4 कंपनी द्वारा संपन्न जेपीवाई येन में ब्याज दर अदला-बदली लेनदेन के संबंध में कंपनी तुलन पत्र की तिथि को मार्क टू मार्केट हानि का प्रावधान कर रही है।
- 22.5 बचाव व्यवस्था संविदा के अनुसार वायदा संविदा की शुरुआत में एवं क्रमशः प्रतिपक्षकार से वसूले गये अथवा अदा किये गये अंतर्निहित विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व के भुगतान में हाजिर विनिमय दर में अंतर के लेखे पर अधिशेष या घाटे को ऐसे ऋण चुकाने के समय पर लाभ अथवा हानि के रूप में माना गया है।
- 22.6 विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहित लेनदेन है) और अदला-बदली संविदा (पूर्वोक्त ऋण पर होने वाली कोई हानि के बचाव के लिए) को अलग-अलग लेनदेन के रूप में माना गया है।
- 22.7 विदेशी मुद्रा उधारियों का लेखांकन मानक 11, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार पुनरु वर्णन किया गया है।

जून, 2015 में जारी "व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए लेखांकन" पर आईसीएआई द्वारा जारी किया गया मार्गदर्शी सूचना, 1 अप्रैल, 2016 से लागू है एवं कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से इसे लागू किया है। विनिमय दर में किसी भी तरह का परिवर्तन, पिछली रिपोर्टिंग तिथि के बाद से रिपोर्टिंग तिथि पर विदेशी मुद्रा उधार की राशि पर और इस अवधि के दौरान उधार लेने की तिथि से, व्युत्पन्न संविदाओं का उचित मूल्य के प्रति स्पष्ट किया गया है एवं कोई लाभ अथवा हानि नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था आरक्षित निधि के रूप में मानी गई है। व्युत्पन्न संविदा का उचित मूल्य संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रदान किया गया है।

मार्गदर्शी सूचना के अनुसार, बचाव व्यवस्था लिखत का मूल्यांकन उचित मूल्या पर किया जाता है लेकिन प्रभावी बचाव व्यवस्था से होने वाला कोई लाभ व हानि को इक्विटी जैसे नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था में माना गया है। इसका उद्देश्य उस अवधि में लाभ व हानि विवरण में अस्थिरता से बचने का है जब बचाव व्यवस्था से जुड़े मदों पर लाभ अथवा हानि उसमें शामिल नहीं होती है।

23 राजस्व अनुदान के लिए लेखांकन

- 23.1 अनुदान को लाभ एवं हानि विवरण में अवधि में ऐसे व्यवस्थित आधार पर शून्य आय के रूप में माना गया है जो उन्हें संबंधित लागतों से मिलान करने लिए आवश्यक है जिनकी वे क्षतिपूर्ति करने का इरादा रखते हैं परंतु इसमें अनुदान की राशि की स्वीकृति एवं वसूली के साथ संलग्न शर्तों का अनुपालन का उचित आश्वासन हो।
- 23.2 पूर्व अवधियों में पहले से किए गए व्यय के संबंध में प्राप्त अनुदान को अनुदान के अनुमोदन के वर्ष में लाभ व हानि विवरण में माना गया है।
- 23.3 वर्ष के अंत में अनुदान की अप्रयुक्त राशि, यदि कोई हो, को वर्तमान के देताओं के तहत दिखाया गया है।

24 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके सूचना दी गई है जिससे कर पूर्व लाभ गैर-नकदी प्रकृति के लेनदेन एवं पिछले या भविष्य की नकद प्राप्तियों अथवा भुगतान के किसी भी आस्थगन एवं प्रोद्भवन प्रभाव के लिए समायोजित किये गये हैं। कंपनी के प्रचालन, निवेश एवं वित्तपोषण गतिविधियों के क्रियाकलाप अलग-अलग किये गये हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

(ख) समेकित वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां

- (क) समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय युनाइटेड किंगडम में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यू.के.) लिमिटेड, भारत में आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड सहायक कंपनियों को शामिल किया गया है।

(ख) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए है। सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हैं।
- पूर्व अवधि के आय एवं व्यय (लेखांकन मानक-5) जिन्हें लाभ व हानि विवरण में नियमित मदों के अंतर्गत शामिल किया गया है निम्नानुसार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
(क) आय		
(i) ऋण एवं अग्रिमों पर आय	-	29.15
(ii) दंडस्वरूप ब्याज	-	(1.92)
(iii) अन्य प्रभार	-	-
योग (क)	-	27.23
(ख) व्यय		
(i) स्थापना एवं अन्य व्यय	-	10.91
(ii) वेतन एवं मजदूरी	-	-
योग (ख)	-	10.91
वर्तमान वर्ष के लाभ पर लाभ/(हानि) के माध्यम से निवल प्रभाव [(क)-(ख)]	-	16.32

3. लेखांकन नीतियों में बदलाव:

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

4. भारतीय लेखांकन मानक 19 (संशोधित 2005) "कर्मचारी हितलाभ" (भारतीय लेखांकन मानक – 19) के तहत प्रकटीकरण

भारतीय लेखांकन मानक 19 (संशोधित 2005) "कर्मचारी हितलाभ" के अनुसार, प्रकटीकरण जैसा कि लेखांकन मानक में परिभाषित है निम्नतालिकानुसार है:

(₹ लाख में)

क) उपदान योजना (वित्तपोषित)रु उपदान देयता भावी भुगतानों के कारण उत्पन्न होती है, जिन्हें सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु या प्रत्याहार की स्थिति में किए जाने की आवश्यकता होती है। यही आईआईएफसीएल कर्मचारी सामूहिक उपदान निधि के नाम पर ट्रस्ट के माध्यम से सामूहिक उपदान योजना पर भारतीय जीवन बीमा निगम को देय राशि के आधार पर प्रदान की गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम सामूहिक उपदान योजना के अंतर्गत कर्मचारियों की उपदान देयता राशि का भुगतान आईआईएफसीएल करता है और उसने वित्तीय विवरणों की तिथि की यथास्थिति उपदान देयता के बीमांकित मूल्यांकन की राशि को सुनिश्चित नहीं किया है।

बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मुख्य अवधारणाएं निम्नानुसार हैं:

प्रयुक्त विधि	अनुमानित इकाई ऋण विधि
i) छूट दर	7.66
ii) भावी लागत वृद्धि दर	5.50
iii) योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की अपेक्षित दर	7.80

I. उपदान योजना के लिए अनुमान:

	2018-19	2017-18
मृत्यु दर	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)
आहरण दर	1 % to 3 % (आयु पर निर्भर)	1 % to 3 % (आयु पर निर्भर)

आईआरडीए के परिपत्र संख्या आईआरडीए/एसीटीएल/आरईजी/परि./123/06/2016 दिनांक 28 जून, 2013 के अनुसार वर्तमान बीमा पत्र में किसी भी नये सदस्य को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए आईआईएफसीएल ने पुरानी पॉलिसी अर्थात पॉलिसी संख्या 331776 के साथ नये कर्मचारियों के लिए नई पॉलिसी यानि पॉलिसी संख्या 103001183 में अंशदान किया है।

1. उत्तरदायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
क) प्रारंभ में उत्तरदायित्व के वर्तमान मूल्य	213.07	210.01
ख) अर्जन का समायोजन	-	-
ग) ब्याज लागत	16.44	16.74
घ) विगत सेवा लागत	-	-
ड.) वर्तमान सेवा लागत	48.56	39.54
च) कटौती लागत/(क्रेडिट)	-	-
छ) निपटान लागत/(क्रेडिट)	-	-
ज) प्रदत्त लाभ	(13.39)	(30.16)
झ) बीमांकित (लाभ)/हानि	46.37	(23.06)
ञ) वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	311.05	213.07
2. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
क) प्रारंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ख) अर्जन का समायोजन	-	-
ग) योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	-
घ) अंशदान	-	-
ड.) प्रदत्त लाभ	-	-

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

च) बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
छ) वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
3. योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य		
क) प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	217.16	206.68
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	19.02	15.19
घ) निधि प्रबंधन प्रभार	(1.52)	-
ड.) अंशदान	111.39	23.43
च) प्रदत्त लाभ	(13.39)	(28.14)
छ) वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	332.65	217.16
ज) निधिबद्ध स्थिति	21.60	4.09
झ) योजनबद्ध आस्तियों के अपेक्षित प्रतिलाभ पर वास्तविक प्रतिलाभ का आधिक्य	0.88	(1.35)
4. बीमांकिक लाभ/हानि स्वीकृत		
क) अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)-उत्तरदायित्व	(46.37)	23.06
ख) अवधि के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि) – योजनागत आस्तियां	(0.88)	1.35
ग) अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि	45.49	(21.71)
घ) अवधि में स्वीकृत बीमांकिक (लाभ)/हानि	45.49	(21.71)
ड.) अवधि के अंत में अस्वीकृत बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
5. तुलन पत्र एवं लाभ व हानि के विवरण में स्वीकृत राशि		
क) अवधि के अंत में उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	311.05	213.07
ख) अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	332.65	217.16
ग) निधिबद्ध स्थिति	21.60	4.09
घ) अपेक्षित लाभ के संबंध में वास्तविक का आधिक्य	0.88	(1.35)
ड.) अस्वीकृत बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
च) तुलन पत्र में स्वीकृत निवल आस्तियों/(देयताओं)	21.60	4.09
6. लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	48.56	39.54
विगत सेवा लागत		--
ब्याज लागत	16.44	16.74
योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	(16.61)	(16.53)
कटौती लागत/(क्रेडिट)	-	-
निपटान लागत/(क्रेडिट)	-	-
अवधि में स्वीकृत बीमांकिक निवल (लाभ)/हानि	45.49	(21.71)
लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय	93.88	18.03

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

नीति संख्या 331776 के अंतर्गत कर्मचारियों की सामूहिक उपदान योजना के विवरण इस प्रकार है:

	2018-19	2017-18
क) सदस्यता आंकड़े		
i) सदस्यों की संख्या	40	42
ii) औसत आयु (वर्षों में)	42.10	40.76
iii) औसत मासिक वेतन	1.34	1.04
iv) औसत विगत सेवा (वर्षों में)	8.75	7.79
ख) मूल्यांकन का परिणाम		
i) पूर्ण सेवा लाभ का वर्तमान मूल्य	294.07	243.12
ii) वर्तमान सेवा लागत	8.79	15.94
iii) कुल सेवा उपदान	780.42	800.34
iv) अर्जित उपदान	462.19	322.10
v) जीवन बीमा बीमाकृत राशि (LCSA)	318.23	468.24
vi) एलसी प्रीमियम	0.82	1.25
vii) सेवा कर @14.5%	0.15	0.22
ग) अनुशंसित अंशदान दर		
i) नवीकरण की तिथि के अनुसार निधियों का मूल्य	260.40	54.65
ii) वर्तमान निधि के लिए अतिरिक्त योगदान	33.66	188.46
iii) वर्तमान सेवा लागत	8.79	15.94
कुल देय राशि [(ग(ii))+ ग(iii)+ख(vi)+ख(vii)]	43.43	205.87
घ) बकाया निधि		
i) आरंभिक शेष	162.50	177.29
ii) निधियों के लिए जमा की गई राशि	111.29	0.65
iii) दावों के रूप में भुगतान की गई राशि	(13.39)	(28.14)
iv) वर्ष के लिए जमा ब्याज	14.70	12.70
अधिशेष	275.11	162.50

नीति संख्या- 103001183 के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों की समूहिक उपदान योजना के विवरण इस प्रकार है:

विवरण	2018-19	2017-18
क) सदस्यता आंकड़े		
i) सदस्यों की संख्या	44	44
ii) औसत आयु (वर्षों में)	36.07	35.27
iii) औसत मासिक वेतन	0.96	0.78
iv) औसत विगत सेवा (वर्षों में)	4.55	3.59
ख) मूल्यांकन का परिणाम		
i) पूर्ण सेवा लाभ का वर्तमान मूल्य	86.73	53.77
ii) वर्तमान सेवा लागत	18.30	14.76
iii) कुल सेवा उपदान	647.82	517.76
iv) अर्जित उपदान	112.29	71.00
v) जीवन बीमा बीमाकृत राशि LCSA	535.53	446.76
vi) एलसी प्रीमियम	0.99	0.81
vii) सेवा कर @14.5%	0.17	0.15
ग) अनुशंसित अंशदान दर		
i) नवीकरण की तिथि के अनुसार निधियों का मूल्य	56.62	54.65

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

i) वर्तमान निधि के लिए अतिरिक्त योगदान	30.10	-
ii) वर्तमान सेवा लागत	18.30	13.88
कुल देय राशि [(C(ii)+ C(iii)+B(vi)+B(vii))]	49.57	14.84
घ) बकाया निधि		
i) आरंभिक शेष	54.65	29.39
ii) निधियों के लिए जमा की गई राशि	0.10	22.78
iii) दावों के रूप में भुगतान की गई राशि		--
iv) अवधि के लिए कुल मृत्यु दर/राजनीतिक प्रशासन/निधि प्रबंधन, उन पर सेवा कर सहित	(1.52)	(1.20)
v) वर्ष के लिए जमा ब्याज	4.32	3.68
अधिशेष	57.55	54.65

परिभाषित प्रदत्त लाभ का संवेदनशील विश्लेषण।

क) छूट दर में बदलाव का प्रभाव	
अवधि के अंत में उत्तरदायित्व की वर्तमान कीमत	31,105,165.00
क) 0.50% प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(1,811,452.00)
ख) 0.50% प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	1,989,776.00
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव	
अवधि के अंत में उत्तरदायित्व की वर्तमान कीमत	31,105,165.00
क) 0.50% प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	2,022,462.00
ख) 0.50% प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	(1,855,192.00)

ख) अर्जित अवकाश देयता (निधिबद्ध): किसी कर्मचारी को देय अवकाश वह अवधि होती है जिसे कर्मचारी द्वारा वास्तव में लिए गए अवकाश की अवधि से कम करके कर्मचारी ने अर्जित की है। यह छूटी के 11वें हिस्से पर अर्जित होता है।

बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मुख्य अवधारणा निम्नानुसार है:

प्रयुक्त विधि	प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि
i) छूट दर	7.66
ii) भावी लागत वृद्धि दर	5.50
iii) योजित आस्तियों पर लाभ की अनुमानित दर	6.98

परिभाषित प्रदत्त लाभ संवेदनशीलता का विश्लेषण

क) छूट दर में बदलाव का प्रभाव	
अवधि के अंत में उत्तरदायित्व की वर्तमान कीमत	47,279,784.00
क) 0.50% प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(2,625,940.00)
ख) 0.50% प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	2,874,052.00
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव	
अवधि के अंत में उत्तरदायित्व की वर्तमान कीमत	47,279,784.00
क) 0.50% प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	2,921,176.00
ख) 0.50% प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	(2,689,441.00)

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं है और इसलिए परिवर्तन के प्रभाव के कारण इनकी गणना नहीं की गई है।
पेंशन वृद्धि की दर में भुगतान, सेवानिवृत्ति और जीवन प्रत्याशा से पहले पेंशन की वृद्धि की दर के रूप संवेदनशीलता लागू नहीं है।

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
1. उत्तरदायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
क) प्रारम्भ में उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	306.55	288.70
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) ब्याज लागत	23.65	21.77
घ) विगत सेवा लागत	-	-
ड.) वर्तमान सेवा लागत	76.31	60.76
च) कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
छ) निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
ज) प्रदत्त लाभ	(19.82)	(107.17)
झ) बीमांकिक (लाभ) / हानि	86.12	42.49
ड.) अवधि के अंत में परिभाषित लाभ उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	472.80	306.55
2. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
क) प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	287.29	208.75
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	20.11	16.09
घ) अंशदान	64.45	101.74
ड.) प्रदत्त लाभ	(13.64)	(37.55)
च) बीमांकिक (लाभ) / हानि	(0.76)	(1.75)
छ) वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	357.44	287.28
3. योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य		
क) प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	287.29	208.75
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	22.96	17.46
घ) निधि प्रबंधन प्रभार	(3.61)	(3.12)
ड.) अंशदान	64.45	101.74
च) प्रदत्त लाभ	(13.65)	(37.55)
छ) वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	357.44	287.29
ज) निधिबद्ध स्थिति	(115.36)	(19.26)
झ) योजनबद्ध आस्तियों के अपेक्षित प्रतिलाभ पर वास्तविक प्रतिलाभ का आधिक्य	(0.76)	(1.75)
4. बीमांकिक लाभ/हानि स्वीकृत		
क) अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – उत्तरदायित्व	(86.12)	(42.49)
ख) अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – योजनागत आस्तियां	0.76	1.75
ग) अवधि के लिए कुल (लाभ)/(हानि)	86.88	44.24
घ) अवधि में स्वीकृत बीमांकिक (लाभ) / हानि	86.88	44.24
ड.) अवधि के अंत में अस्वीकृत बीमांकिक (लाभ)/(हानि)	-	-
5. तुलन पत्र एवं लाभ व हानि के विवरण में स्वीकृत राशि		
क) अवधि के अंत में उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	472.80	306.55
ख) अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	357.44	287.29
ग) निधिबद्ध स्थिति	(115.36)	(19.26)
घ) अपेक्षित लाभ के संबंध में वास्तविक का आधिक्य	(0.76)	(1.75)
ड.) अस्वीकृत बीमांकिक (लाभ)/(हानि)	-	-
च) तुलन पत्र में स्वीकृत निवल आस्तियों/(देयताओं)	(115.36)	(19.26)

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

6. लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय		
क) वर्तमान सेवा लागत	76.31	60.76
ख) विगत सेवा लागत	-	-
ग) ब्याज लागत	23.65	21.77
घ) योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	(20.11)	(16.09)
ङ.) कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
च) निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
छ) अवधि में स्वीकृत बीमांकिक निवल (लाभ) / हानि	86.88	44.24
ज) लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय	166.73	110.67

II. अन्य कर्मचारी लाभ (अनिधिक)

अन्य कर्मचारी लाभों (अनिधिक) के लिए बीमांकिक अनुमान

क) आर्थिक अनुमान

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
i) छूट दर (%)	7.66	8.00
ii) भावी वेतन वृद्धि (%)	5.50	5.50
iii) योजनाबद्ध आस्तियों पर प्रतिलाभ की अपेक्षित दर (%)	0.00	0.00

ख) जनसांख्यिकीय अनुमान

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
i) सेवानिवृत्ति आयु (वर्षों में)	60	60
ii) मृत्युदर तालिका	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (आईएएलएम) (2006 – 08)	
iii) आय	प्रत्याहार दर (%)	प्रत्याहार दर (%)
30 वर्ष की आयु तक	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष की आयु तक	2.00	2.00
44 वर्ष की आयु से अधिक	1.00	1.00

ग) **अवकाश किराया रियायत:** कंपनी के सभी पूर्णकालिक कर्मचारी, जिन्होंने अपने अथवा अपने परिवार द्वारा यात्रा करने की तिथि को निरंतर अस्थायी सेवा सहित एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, इस सुविधा के लिए पात्र हैं। दो साल के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार रियायत स्वीकार्य होगी। और इस तरह का पहला सेट ६ ब्लॉक उस महीने की पहली तारीख से शुरू होगा जिसमें एक कर्मचारी कंपनी में शामिल होगा, लेकिन इसके बाद ही उसे एक वर्ष की निरंतर सेवा के अस्थायी सेवा / परिवीक्षा अवधि सहित पूरा होने पर ही प्राप्त किया जा सकता है।

बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मुख्य अवधारणा निम्नानुसार है:

प्रयुक्त विधि	प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि
i) छूट दर	7.66
ii) भावी लागत वृद्धि दर	5.50
iii) योजनाबद्ध आस्तियों पर प्रतिलाभ अपेक्षित दर	6.98

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

परिभाषित प्रदत्त लाभ संवेदनशीलता का विश्लेषण।

क)	छूट दर में बदलाव का प्रभाव	
	अवधि के अंत में उत्तरदायित्व की वर्तमान कीमत	59,30,969
क)	0.50% प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(3,43,815)
ख)	0.50% प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	3,77,833

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं है और इसलिए परिवर्तन के प्रभाव के कारण इनकी गणना नहीं की गई है।

पेंशन वृद्धि की दर में भुगतान, सेवानिवृत्ति और जीवन प्रत्याशा से पहले पेंशन की वृद्धि की दर के रूप संवेदनशीलता लागू नहीं है।

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
1. उत्तरदायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
क) प्रारम्भ में उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	67.79	69.76
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) ब्याज लागत	5.23	5.26
घ) विगत सेवा लागत	-	-
ड.) वर्तमान सेवा लागत	12.60	17.04
च) कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
छ) निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
ज) प्रदत्त लाभ	(155.78)	(164.71)
झ) बीमांकिक (लाभ) / हानि	137.51	140.44
ड.) अवधि के अंत में परिभाषित लाभ उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	67.34	67.79
2. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
क) प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	-
घ) अंशदान	-	-
ड.) प्रदत्त लाभ	-	-
च) बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-
छ) वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
3. योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य		
क) प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	-	-
घ) अंशदान	-	-
ड.) प्रदत्त लाभ	-	-
च) वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
छ) निधिबद्ध स्थिति	(67.34)	(67.79)
ज) योजनबद्ध आस्तियों के अपेक्षित प्रतिलाभ पर वास्तविक प्रतिलाभ का आधिक्य	-	-
4. बीमांकिक लाभ ध्वनि स्वीकृत		
क) अवधि के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि) – उत्तरदायित्व	(137.51)	(140.44)
ख) अवधि के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि) – योजनागत आस्तियां	-	-
ग) अवधि के लिए कुल (लाभ) / हानि	137.51	140.44
घ) अवधि में स्वीकृत बीमांकिक (लाभ) / हानि	137.51	140.44
ड.) अवधि के अंत में अस्वीकृत बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

5. तुलन पत्र एवं लाभ व हानि के विवरण में स्वीकृत राशि		
क) अवधि के अंत में उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	67.34	67.79
ख) अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग) निधिबद्ध स्थिति	(67.34)	(67.79)
घ) अपेक्षित लाभ के संबंध में वास्तविक का आधिक्य	-	-
ड.) अस्वीकृत बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
च) तुलन पत्र में स्वीकृत निवल आस्तियों/(देयताओं)	(67.34)	(67.79)
6. लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय		
क) वर्तमान सेवा लागत	12.60	17.04
ख) विगत सेवा लागत	-	-
ग) ब्याज लागत	5.23	5.26
घ) योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	-
ड.) कटौती लागत/(क्रेडिट)	-	-
च) निपटान लागत/(क्रेडिट)	-	-
छ) अवधि में स्वीकृत बीमांकिक निवल (लाभ)/हानि	137.51	140.44
ज) लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय	155.34	162.74

घ) **बीमारी अवकाश:** बीमारी छुट्टी एक आधा छुट्टी वेतन है। जहां कर्मचारी ने कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए कंपनी की सेवा की है, कर्मचारी, अनुरोध पर, कर्मचारी की सेवा की पूर्ण अवधि के दौरान, अधिकतम नौ महीने तक छुट्टी वेतन पर बीमार हो जाने की अनुमति प्राप्त कर सकता है, छुट्टी वेतन पर यह छुट्टी कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टी की अवधि की दुगुनी के रूप में कर्मचारी की बीमारी छुट्टी खाते में दर्ज की जाएगी।

बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मुख्य अवधारणा निम्नानुसार है:

प्रयुक्त विधि	प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि
i) छूट दर	7.66
ii) भावी लागत वृद्धि दर	5.50
iii) योजनाबद्ध आस्तियों पर प्रतिलाभ अपेक्षित दर	0.00

परिभाषित प्रदत्त लाभ संवेदनशीलता का विश्लेषण

क) छूट दर में बदलाव का प्रभाव	
अवधि के अंत में उत्तरदायित्व की वर्तमान कीमत	2,01,73,206
क) 0.50% प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(12,80,397)
ख) 0.50% प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	14,08,147
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव	
अवधि के अंत में उत्तरदायित्व की वर्तमान कीमत	2,01,73,206
क) 0.50% प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	14,31,282
ख) 0.50% प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	(13,11,280)

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं है और इसलिए परिवर्तन के प्रभाव के कारण इनकी गणना नहीं की गई है।

पेंशन वृद्धि की दर में भुगतान, सेवानिवृत्ति और जीवन प्रत्याशा से पहले पेंशन की वृद्धि की दर के रूप संवेदनशीलता लागू नहीं है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
1. उत्तरदायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
क) प्रारम्भ में उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	128.82	119.23
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) ब्याज लागत	9.93	8.99
घ) विगत सेवा लागत	-	-
ड.) वर्तमान सेवा लागत	32.01	24.94
च) कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
छ) निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
ज) प्रदत्त लाभ	-	-
झ) बीमांकिक (लाभ) / हानि	30.96	(24.33)
ड.) अवधि के अंत में परिभाषित लाभ उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	201.73	128.83
2. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
क) प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	-
घ) अंशदान	-	-
ड.) प्रदत्त लाभ	-	-
च) बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-
छ) वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
3. योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य		
क) प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	-	-
घ) अंशदान	-	-
ड.) प्रदत्त लाभ	-	-
च) वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
छ) निधिबद्ध स्थिति	(201.73)	(128.83)
ज) योजनबद्ध आस्तियों के अपेक्षित प्रतिलाभ पर वास्तविक प्रतिलाभ का आधिक्य	-	-
4. बीमांकिक लाभ/हानि स्वीकृत		
क) अवधि के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि) – उत्तरदायित्व	(30.96)	24.33
ख) अवधि के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि) – योजनागत आस्तियां	-	-
ग) अवधि के लिए कुल (लाभ) / हानि	30.96	(24.33)
घ) अवधि में स्वीकृत बीमांकिक (लाभ) / हानि	30.96	(24.33)
ड.) अवधि के अंत में अस्वीकृत बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-
5. तुलन पत्र एवं लाभ व हानि के विवरण में स्वीकृत राशि		
क) अवधि के अंत में उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	201.73	128.83
ख) अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग) निधिबद्ध स्थिति	(201.73)	(128.83)
घ) अपेक्षित लाभ के संबंध में वास्तविक का आधिक्य	-	-
ड.) अस्वीकृत बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-
च) तुलन पत्र में स्वीकृत निवल आस्तियों / (देयताओं)	(201.73)	(128.83)
6. लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय		
क) वर्तमान सेवा लागत	32.00	24.94
ख) विगत सेवा लागत	-	-
ग) ब्याज लागत 3	9.93	8.99

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

घ) योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	-
ड.) कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
च) निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
छ) अवधि में स्वीकृत बीमांकिक निवल (लाभ) / हानि	30.96	(24.33)
ज) लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय	72.90	9.60

ड.) सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) (सितंबर 2015 से शुरू किया गया): एएस-15 (आर) के अनुसार 31 मार्च, 2019 को सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) की देनदारी का बीमांकिक मूल्यांकन

बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मुख्य अवधारणा निम्नानुसार है:

प्रयुक्त विधि	प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि
i) छूट दर	7.66
ii) भावी चिकित्सा लागत वृद्धि	5.50
क) बाह्य चिकित्सा	
ख) आंतरिक चिकित्सा	

परिभाषित प्रदत्त लाभ संवेदनशीलता का विश्लेषण

क) छूट दर में बदलाव का प्रभाव	
अवधि के अंत में उत्तरदायित्व की वर्तमान कीमत	7,64,46,801
क) 0.50% प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(10,57,415)
ख) 0.50% प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	11,62,169

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं है और इसलिए परिवर्तन के प्रभाव के कारण इनकी गणना नहीं की गई है।

पेंशन वृद्धि की दर में भुगतान, सेवानिवृत्ति और जीवन प्रत्याशा से पहले पेंशन की वृद्धि की दर के रूप संवेदनशीलता लागू नहीं है।

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
1. उत्तरदायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
क) प्रारम्भ में उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	739.70	495.83
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) ब्याज लागत	57.04	37.39
घ) विगत सेवा लागत	-	-
ड.) वर्तमान सेवा लागत	83.15	73.49
च) कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
छ) निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
ज) प्रदत्त लाभ	(0.97)	(1.54)
झ) बीमांकिक (लाभ) / हानि	(80.76)	123.74
ड.) अवधि के अंत में परिभाषित लाभ उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	798.16	728.91
2. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
क) प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	-
घ) अंशदान	-	-
ड.) प्रदत्त लाभ	-	-
च) बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

छ) वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
3. योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य		
क) प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ख) अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग) योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	-	-
घ) अंशदान	-	-
ड.) प्रदत्त लाभ	-	-
च) वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
छ) निधिबद्ध स्थिति	(798.16)	(728.91)
ज) योजनबद्ध आस्तियों के अपेक्षित प्रतिलाभ पर वास्तविक प्रतिलाभ का आधिक्य	-	-
4. बीमांकिक लाभ घटानि स्वीकृत		
क) अवधि के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि) – उत्तरदायित्व	80.76	(123.74)
ख) अवधि के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि) – योजनागत आस्तियां	-	-
ग) अवधि के लिए कुल (लाभ) / हानि	(80.76)	123.74
घ) अवधि में स्वीकृत बीमांकिक (लाभ) / हानि	(80.76)	123.74
ड.) अवधि के अंत में अस्वीकृत बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-
5. तुलन पत्र एवं लाभ व हानि के विवरण में स्वीकृत राशि		
क) अवधि के अंत में उत्तरदायित्व का वर्तमान मूल्य	798.16	728.91
ख) अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग) निधिबद्ध स्थिति	(798.16)	(728.91)
घ) अपेक्षित लाभ के संबंध में वास्तविक का आधिक्य	-	-
ड.) अस्वीकृत बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-
च) तुलन पत्र में स्वीकृत निवल आस्तियों ६ (देयताओं)	(798.16)	(728.91)
6. लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय		
क) वर्तमान सेवा लागत	83.15	73.49
ख) विगत सेवा लागत	-	-
ग) ब्याज लागत	57.04	37.39
घ) योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	-
ड.) कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
च) निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
छ) अवधि में स्वीकृत बीमांकिक निवल (लाभ) / हानि	(80.76)	123.74
ज) लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय	59.43	234.62

1.2) प्रत्येक कर्मचारी लाभ हेतु अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त राशि निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

कर्मचारी लाभ	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
अर्जित छुट्टी पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(71.53)	(49.96)
उपदान पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	43.76	25.36
एलएफसी पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(107.23)	(129.95)
पीआरएमबी पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	84.89	(125.93)
एसएल पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(30.97)	24.32
कुल योग	(81.08)	(256.13)

5. कंपनी का मुख्य व्यवसाय इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए वित्त / पुनर्वित्त प्रदान करना है, यूके की सहायक कंपनी यानी इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड भी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में कार्यरत है, जहां आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना के विकास में लगी हुई है। सलाहकार गतिविधियों और आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एडब्ल्यू) की स्थापना इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधियों के प्रबंधन में (आईडीएफ) म्युचुअल फंड मार्ग के माध्यम से कार्य करने के लिए की गई

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

है। जैसा कि आईएमसीएल को आईडीएफ का प्रबंधन शुरू करना बाकी है, इस खंड की जानकारी उसी के लिए सुसज्जित नहीं है। भारतीय लेखा मानक संस्थान द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी भारतीय सूचना मानक (इंडस्ट्रीज एएस) 108 के अनुसार आवश्यक जानकारी निम्नलिखित है:

(₹ लाख में)

विवरण	वित्तीय	सलाहकार सेवाएँ	निवेश प्रबंधन शुल्क	कुल योग
रिपोर्टिंग राजस्व खंड				
प्रचालन से राजस्व	476,562.18	259.20	829.94	477,651.32
घटा: अंतर राजस्व खंड				
कुल प्रचालन आय	476,562.18	259.20	829.94	477,651.32
कर पूर्व लाभ	(17,994.83)	(290.60)	447.75	(17,837.68)
कर	-	-	-	(25,032.40)
कर पश्चात लाभ	-	-	-	(42,920.20)
आस्ति खंड	5,794,459.14	1,645.64	2,321.72	5,798,426.50
देयता खंड	5,408,454.13	154.39	70.43	5,408,678.95
पूँजीगत व्यवसायी	388,301.48	444.83	1,001.25	389,747.56
मूल्यहास और परिशोधन	702.51	1.90	0.88	705.29
पूँजीगत व्यय	27,389.16	0.03	0.41	27,389.60
गैर-नकदी व्यय	74,832.84	-	-	74,832.84

6. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)-24, संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन के प्रकटीकरण नीचे दिया गए हैं:

क) प्रबंधकीय पारिश्रमिक और संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण

(i) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक

— श्री पंकज जैन

— प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार (28.12.2017 के प्रभाव से)

निदेशकों के अतिरिक्त अन्य

— श्री राजीव मुखीजा

— मुख्य महाप्रबंधक—सीएफओ

— श्रीमती मंजरी मिश्रा

— सहायक महाप्रबंधक—कंपनी सचिव

(ii) पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियाँ:

(क) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड

(ख) आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

(ग) आईआईएफसीएल आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड

ख) संबंधित पक्षकारों के साथ 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन (पूर्व वर्ष 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुआ)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
(क)	प्रबंधकीय पारिश्रमिक (पूर्णकालिक निदेशक)		
	(i) श्री एस.बी. नायर (पूर्व-सीएमडी) (11 जून, 2017 तक कार्यकाल)		
	पारिश्रमिक	-	15.79
	अनुलाभ	-	0.48

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

(ii) श्री संजीव कौशिक (उप प्रबंध निदेशक)		
पारिश्रमिक	-	29.39
अनुलाभ	-	5.61
(iii) डॉ. ई.एस. राव (पूर्व निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आईएएमसीएल)		
पारिश्रमिक	-	14.83
(iv) श्री अनिल तनेजा (निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आईएएमसीएल)		
पारिश्रमिक	68.60	23.69
(v) श्री दीपक चौटर्जी (निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आईपीएल)		
पारिश्रमिक	-	22.72
अनुलाभ	-	2.22
(ख) प्रबंधकीय पारिश्रमिक (निदेशकों के अतिरिक्त अन्य)		
(i) श्री राजीव मुखीजा (मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)		
पारिश्रमिक	80.08	31.37
(ii) श्रीमती मंजरी मिश्रा (सहायक महाप्रबंधक-कंपनी सचिव)		
पारिश्रमिक	30.52	19.59
(iii) श्री अजय पीएस सैनी (कंपनी सचिव, आईएएमसीएल)		
पारिश्रमिक	44.50	38.82
(iv) श्री सुमिरन बंसल (हैड फाइनेंस एवं सीएफओ, आईएएमसीएल)		
पारिश्रमिक	32.55	29.46
(ग) (i) अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान:		
श्री वी.के. भसीन	-	1.60
श्री जे. वेंकटेश्वरलू	-	1.00
श्री सुधीर आर्य (आईएएमसीएल)	1.40	1.60
डॉ. पावन सिंह (आईएएमसीएल)	0.80	2.00
श्रीन एम.एन. शर्मा (आईएएमसीएल)	0.20	0.70
(ii) अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को वाहनभत्ते की प्रतिपूर्ति :		
श्री जे. वेंकटेश्वरलू -	0.18	

- (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों की प्रयोज्यता के अनुसार 1 अप्रैल 2014, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प्स के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए सामान्य निर्देशों के खंड 2 के अनुसार निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण किया गया है

संस्थान का नाम	निवल आस्ति* अर्थात् कुल आस्ति में से कुल देयताएँ घटाना		लाभ अथवा हानि में शेयर	
	समेकित निवल आस्तियों का %	राशि	समेकित निवल आस्तियों का %	राशि
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)
	31-03-2019 को	31-03-2019 को	31-03-2019 को	31-03-2019 को
मूल कंपनी				
इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	120.30	4,68,555.77	23.69	10,165.89
सहायक कंपनियाँ				

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

भारतीय				
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	0.11	444.95	(0.84)	(362.50)
आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	0.26	1,001.25	0.78	335.41
विदेशी				
आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	(20.67)	(80,554.39)	(123.62)	(53,058.98)
सभी सहायक कंपनियों में कार्यरुचि कमी	-	-	-	-
एसोसिएट (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)				
भारतीय	-	शून्य	-	शून्य
विदेशी	-	शून्य	-	शून्य
संयुक्त उद्यम (आनुपातिक समेकन के अनुसार/इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)				
भारतीय	-	शून्य	-	शून्य
विदेशी	-	शून्य	-	शून्य

* सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में परिलक्षित निवल आस्तियों का एकत्रीकरण ₹25,119.80 लाख यानी सहायक कंपनियों में मूल कंपनी द्वारा किए गए निवेश के कारण समेकित वित्तीय विवरणों में परिलक्षित शुद्ध संपत्ति से अधिक है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताएं:

(₹ लाख में)

सहायक कंपनी का नाम	मुद्रा रिपोर्टिंग	शेयर पूंजी	आरक्षित एवं अधिक	कुल आस्तियां	कुल देयताएँ	टर्नओवर	कर पूर्व लाभ	कर हेतु प्रावधान	कर पश्चात लाभ	शेयर धारक
IIFCL प्रोजेक्ट्स लि.	₹ in Lac	475.00	1,016.27	1,680.25	188.98	830.52	280.73	102.75	208.82	100%
IIFCL एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि.	₹ in Lac	1250.00	1,001.25	2,462.51	211.25	829.95	447.74	108.14	339.60	100%
IIFC (यूके) लि.	₹ in Lac	23,394.80	(81,125.71)	1,465,179.75	1,522,910.67	60,278.90	(58,954.81)	(5,321.51)	(53,630.30)	
	USD (in million)	50.00	(123.90)	1,812.28	1,886.12	85.33	(84.97)	(7.70)	(77.28)	100%

7. भारतीय लेखांकन मानक-17 के प्रावधान, पट्टा

क) वित्तीय पट्टा: शून्य

ख) प्रचालन पट्टा: कंपनी ने अलग-अलग पट्टा अवधि वाले प्रचालन पट्टों के तहत कार्यालय परिसर लिए हैं जिनकी विगोपन अपेक्षाएँ निम्नानुसार हैं:

(₹ लाख में)

अवधि	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
भावी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का जोड़ (सकल निवेश)	274.76	2,518.08
पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य	228.70	2,244.06
10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति का प्रतिफल	7.47%	7.56%
भावी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का परिपक्वता स्वरूप		
एक वर्ष से अधिक नहीं	54.71	1,454.27
एक वर्ष से अधिक लेकिन पाँच वर्ष से अधिक नहीं	218.86	998.01
पाँच वर्ष से अधिक	-	65.80
योग	273.57	2,518.08

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

8. भारतीय सनदी लेखकर संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक-33, प्रति शेयर के संदर्भ में प्रति शेयर आय (मूल एवं तुनुकृत) निम्नलिखित तालिकानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	
	शेयर	(₹ लाख में)	शेयर	(₹ लाख में)
शेयर का अंकित मूल्य (₹)	10/-		10/-	
इक्विटी शेयर की संख्या (संख्या लाख में)	42,023.16		41,023.16	
रुइक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में) (विभाजक) (मूल)	41,779.33		40,902.61	
#इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में) (विभाजक) (तुनुकृत)	41,779.33		40,902.61	
निवल लाभ (कर के पश्चात) (अंश)		(42,920.20)		(198,883.17)
प्रति शेयर आय (मूल) (₹)		(1.02)		(4.86)
प्रति शेयर आय (तुनुकृत) (₹)		(1.02)		(4.86)

इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या मूल एवं तुनुकृत के प्रकटीकरण प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा का कार्यालय, सदस्य लेखा-परीक्षा बोर्ड-III, नई दिल्ली द्वारा, चरण-III के आधोपांत में दिये गए लेखा-परीक्षा प्रेक्षणों के संबंध में, आईआईएफसीएल के वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखों की लेखा-परीक्षा करते समय, आश्वासनधुत्तर देते हुए, प्रिंट करते समय अद्यतन की गई है।

9. कंपनी की अचल आस्तियों को 'कॉर्पोरेट आस्ति' समझा जाता है नकद सृजन करने वाली इकाई नहीं, जैसा कि "आस्तियों का ह्रास" के विषय में भारतीय लेखांकन मानक-36 में परिभाषित है। 31 मार्च, 2019 को परिस्थितियों में ऐसी कोई स्थिति अथवा बदलाव नहीं हुआ जो आस्तियों के ह्रास का संकेत देते हों।

10. (क) भारतीय लेखांकन मानक-37 प्रावधान "आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियों" के तहत विगोपन (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
प्रस्तावित वेतन संशोधन		
प्रारम्भिक शेष	1,104.21	821.71
अवधि के दौरान वृद्धि	390.48	282.50
वर्तमान देयताओं के प्रति प्रदत्त / हस्तांतरित राशि	(1,104.21)	-
अधिशेष	390.48	1,104.21
मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान		
प्रारम्भिक शेष	18,804.98	13,900.17
अवधि के दौरान वृद्धि / समायोजन	(4,438.49)	4,904.81
अधिशेष	14,366.49	18,804.98
अवमानक आस्तियों के प्रति प्रावधान		
प्रारम्भिक शेष	1,61,802.35	23,382.67
अवधि के दौरान वृद्धि / समायोजन	(6,098.75)	1,39,607.93
एनपीए को बड़े खाते में डाले जाने के कारण प्रावधान का प्रतिलेखन	(1,28,383.99)	(1,188.15)
अधिशेष	39,517.11	1,61,802.35
पुनः संरचित आस्तियों के प्रति प्रावधान		
प्रारम्भिक शेष	7,568.84	28,245.02
अवधि के दौरान वृद्धि / समायोजन	(5,968.92)	(20,676.18)
एनपीए को बड़े खाते में डाले जाने के कारण प्रावधान का प्रतिलेखन	-	-
अधिशेष	1,599.92	7,568.84
संदिग्ध आस्तियों के प्रति प्रावधान		
प्रारम्भिक शेष	1,34,250.45	76,898.71
अवधि के दौरान वृद्धि / समायोजन	157,572.17	1,19,180.40
एनपीए को बड़े खाते में डाले जाने के कारण प्रावधान का प्रतिलेखन	(8,331.51)	(61,483.48)
अधिशेष	2,83,491.11	1,34,595.63

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

कार्यनीतिक रिन पुनःसंरचित आस्तियों के प्रति प्रावधान		
प्रारम्भिक शेष	-	14,705.06
अवधि के दौरान वृद्धि / समायोजन	-	(6,296.73)
एनपीए में हस्तांतरित होने के कारण प्रावधान का समायोजन किया गया	-	(8,408.33)
अधिशेष-	-	-
निवेशों में कमी के लिए प्रावधान		
प्रारम्भिक शेष	9,638.96	-
अवधि के दौरान वृद्धि/समायोजन	7,192.57	9,638.96
निवेशों की बिक्री के कारण समायोजित प्रावधान	-	-
अधिशेष	16,831.53	9,638.96

(ख) अन्य विगोपन:

(₹ in lac)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
आयकर (निवल)		
प्रारम्भिक शेष	(17,204.38)	7,708.12
अवधि के दौरान वृद्धि	26,214.61	12,016.54
अवधि के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	11,043.51	36,929.04
अधिशेष	(2,033.28)	(17,204.38)
यात्रा खर्चा		
प्रारम्भिक शेष	73.85	80.93
अवधि के दौरान वृद्धि	202.55	144.26
अवधि के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	189.59	151.34
अधिशेष	86.81	73.85
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		
प्रारम्भिक शेष	739.76	504.71
अवधि के दौरान वृद्धि	70.10	235.15
अवधि के दौरान प्रदत्त / समायोजित राशि	-	0.10
अधिशेष	809.86	739.76
छुट्टी नकदीकरण		
प्रारम्भिक शेष	18.99	46.48
अवधि के दौरान वृद्धि	142.11	1.84
अवधि के दौरान प्रदत्त / समायोजित राशि	45.74	(29.33)
अधिशेष	115.36	18.99
बीमार छुट्टी		
प्रारम्भिक शेष	128.83	119.23
अवधि के दौरान वृद्धि	72.90	9.60
अवधि के दौरान प्रदत्त / समायोजित राशि	-	-
अधिशेष	201.73	128.83
पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन		
प्रारम्भिक शेष	-	18.12
अवधि के दौरान वृद्धि	-	8.76
अवधि के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	-	26.88
अधिशेष	-	-
व्युत्पन्न पर बाजार हानियां जो बही में अंकित की गईं		
प्रारम्भिक शेष	2,141.62	2,381.61

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

अवधि के दौरान वृद्धि	(452.91)	(239.99)
अवधि के दौरान प्रदत्त / समायोजित राशि	-	-
अधिशेष	1,688.71	2,141.62

11. आकस्मिक देयताओं एवं प्रतिबद्धताओं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है) के क्षेत्र निम्नलिखित तालिकानुसार है:-

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
(क)	आकस्मिक देयताएं:		
	(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें कर्ज के तौर पर अभिस्वीकृत नहीं किया गया:		
	(i) दिनांक 7 मार्च, 2014 के आदेश के अंतर्गत आय कर विभाग द्वारा निर्धारण वर्ष 2008-09 हेतु आय कर की देय राशियों के लिए मांग की गई है।	159.00	159.00
	(ii) दिनांक 21 नवंबर, 2016 के आदेश के अंतर्गत आय कर विभाग द्वारा निर्धारण वर्ष 2014-15 हेतु आय कर की देय राशियों के लिए मांग की गई है।	-	934.55
	(iii) दिनांक 28 दिसंबर, 2018 के आदेश के अंतर्गत आय कर विभाग द्वारा निर्धारण वर्ष 2016-17 हेतु आय कर की देय राशियों के लिए मांग की गई है।	682.33	-
	(ख) गारंटियां	Nil	Nil
	(ग) अन्य धनराशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है:		
	(i) साख पत्र (एलसी) जारी करने के लिए सुविधा पत्र (कंपनी ने स्वीकृत ऋण सहायता के सवितरण के प्रति एलसी की धनराशि बाद में जारी करने के लिए संबंधित उधारकर्ताओं की ओर से एलसी जारी करने में ऋणदाताओं के सहायता संघ में संबंधित अग्रणी को / सदस्य बैंकों को सुविधा पत्र जारी कर दिया है)	71,088.35	1,22,104.94
	(ii) ऋण संवृद्धि योजना के तहत दी गई गारंटी	29,380.50	29,800.50
(ख)	प्रतिबद्धताएँ:		
	(क) पूंजीगत लेखा पर संविदाओं की वह अनुमानित राशि जिनका निष्पादन किया जाना शेष है एवं जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:		
	पूंजीगत लेखा पर संविदाओं की वह अनुमानित राशि जिनका निष्पादन किया जाना शेष है (निवल अग्रिम)	1,600.08	8,697.86
	(ख) अन्य प्रतिबद्धताएँ :		
	कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत संविदाओं की वह अनुमानित राशि जिनका निष्पादन किया जाना शेष है (निवल अग्रिम)	589.59	671.33

12. उद्यम पूंजी इकाइयों में निवेश

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने आईडीएफसी, सिटी बैंक के साथ कंपनी द्वारा प्रवर्तित आईडीएफसी प्रोजेक्ट इक्विटी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ट्रस्ट ।। की उद्यम पूंजी इकाइयों में कंपनी ने शून्य (यथा 31 मार्च 2018 में शून्य रु.) निवेश किया है (और संचयी राशि के रूप में कंपनी के द्वारा ₹ 9,247.56 लाख रु निवेश किए गए हैं) । कंपनी ने इस ₹ 10,000 रुपये की कुल प्रतिबद्धता में से कंपनी ने उद्यम में निवेशक के तौर पर अंशदान दिया है और इसमें संयुक्त नियंत्रण नहीं है। चूंकि इस निधि में वितरण योग्य लाभ नहीं होता है, इसलिए बही में इस तरह के निवेशों की गणना नहीं की गई है। हालांकि कंपनी ने वर्ष की समाप्ति के दौरान उद्यम पूंजी इकाइयों के मोचन के संबंध में शून्य राशि प्राप्त की है (31 मार्च 2018 की समाप्ति के दौरान 3,537.15 लाख रुपये थी) इसमें शून्य प्रदत्त आय कर भी शामिल है, (31 मार्च 2018 समाप्त वर्ष पर शून्य लाख रु. था)

13. कंपनी ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान 3,945.33 लाख रु. की निवल आस्थगित कर देयताएं सृजित की हैं (आस्थगित कर देयता में 4,022.59 लाख रुपये तथा आस्थगित कर आस्ति में 77.26 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2018 को समाप्त विगत वर्ष में कंपनी ने 2,679.97 लाख रुपये की निवल आस्थगित देयताएं सृजित की हैं (आस्थगित कर देयताओं में 2,480.49 लाख रुपये की वृद्धि तथा आस्थगित कर आस्ति में 199.48 लाख रुपये की निवल कमी हुई है)।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

14. कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 मार्च 2019 तक ऐसा कोई आपूर्तिकर्ता सेवा प्रदाता विद्यमान नहीं है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अधीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम के उपक्रम के तौर पर पंजीकृत हो। यद्यपि कंपनी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के प्रति कोई देयता बकाया नहीं है और इस अधिनियम के अधीन निर्धारित होनेवाली अन्य सूचना शून्य हैं।
15. **व्युत्पन्नी लेनदेन**
- क) वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी ने 5,000 लाख रुपये (2,73,23.62 लाख जापानी येन कल्पित मूलधन के समतुल्य) के दो ब्याज दर स्वेप (आईआरएस) लेन देन किए जो 19 दिसंबर, 2022 को परिपक्व होंगे। इन आईआरएस सौदों के अनुसार कंपनी जापानी येन की कल्पित राशि 7.46% की दर से वार्षिक ब्याज भुगतान करेगी (जिसमें एक सौदे में 5 वर्ष के लिए कूपन भुगतान 1 जापानी येन= ₹ 0.3658 भारतीय रुपये बराबर तथा दूसरे सौदे में 1 जापानी येन = 0.3662 भारतीय रुपये के बराबर निश्चित किए गए हैं)। कल्पित मूल धन पर 8.82% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्राप्त करेगी। 31 मार्च 2019 को 1,688.71 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 तक 2,141.62 लाख रुपये (के उपरोक्त अदला बदली लेने देनों से कंपनी ने काउंटर पार्टी बैंकों के द्वारा की गई संगणना एवं अन्य मूल्यांकनों के द्वारा की गई पुष्टि के अनुसार मार्क-टू- मार्केट हानि का प्रावधान किया है जिसमें 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष को 472.91 लाख रु है (31 मार्च 2018 की समाप्त वर्ष को 239.99 लाख रुपये था) भी शामिल है।
- ख) 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान उपरोक्त टिप्पणी 15(क) में संदर्भित दो ब्याज दर अदला- बदली (आईआरएस) के लेन- देनों में से 2,000 लाख रुपये का कल्पित मूल धन खोला गया, जिसके परिणाम स्वरूप टिप्पणी 15(क) में संदर्भित ब्याज दर अदला-बदली(आईआरएस) लेन-देनों का कुल कल्पित मूल धन घटकर 8,000 लाख रुपये हो गया।
- ग) कंपनी ने निम्नलिखित बहुपक्षीय संस्थानों की उधारियों पर अस्थिर ब्याज दर के अलावा विदेशी मुद्रा उतार- चढ़ाव से संबंधित जोखिमों की बचाव व्यवस्था के लिए निम्न विदेशी मुद्रा अदला- बदली स्वेप- सम्मिश्र(संपाक) संविदाएं की हैं, जो कि निम्नानुसार हैं:

(₹ लाख में)

संस्थान	विदेशी मुद्रा (मिनिमम) राशि	
	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
एशियाई विकास बैंक(ADB):-		
यूएसडालर	11,135.38	11,130.42
भारतीय रुपया	667,154.88	6,27,639.90
क्रेडिटेंस्टाल्टफर वेडिराफबाउ(KFW):-		
यूरो	130.95	161.90
भारतीय रुपया	8,000.61	9,891.42
आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक:-		
यूएसडालर	1,759.57	1,854.72
भारतीय रुपया	1,14,719.33	1,20,923.11

काउंटर पार्टी बैंकों के द्वारा की गई संगणना एवं अन्य मूल्यांकनों के द्वारा की गई पुष्टि के अनुसार मार्क-टू- मार्केट उपरोक्त संविदाओं में 31 मार्च, 2010 को एम2एम लाभ 99,157.34 लाख (सकल लाभ 1,03,978.38 लाख रु जिसमें सकल हानि 4,821.03 लाख रुपये घटाए गए हैं) और 31 मार्च 2018 को यह राशि 92,745.65 लाख रुपये थी(जिसमें सकल लाभ 1,03,933.61 लाभ था जिसमें सकल हानि 11,187.96 लाख रुपए थी)।

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने लेखांकन व्यवहार के लिए कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाले सही लेखांकन व्यवहार पर सलाह देने के संदर्भ में भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शदात्री समिति की राय मांगी थी कि विदेशी मुद्रा के ऋण पर किस सीमा

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

तक बचाव व्यवस्था की जाए। इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने दिनांक 22 सितंबर, 2015 को इस विषय पर पत्र के माध्यम से राय दी है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने जून, 2015 में 'व्युत्पन्नी संविदाओं का लेखांकन' पर मार्गदर्शी टिप्पणी भी जारी की है जो 1 अप्रैल, 2016 से लागू है एवं कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से उक्त को लागू कर दिया है। प्रतिवेदन करने की पिछली तिथि से एवं अवधि के दौरान उधारी की आहरण द्वारा गिरावट की तिथि से प्रतिवेदन करने की तिथि को विदेशी मुद्रा की उधारी की राशि पर विनिमय दर में कोई बदलाव होने पर व्युत्पन्नी संविदाओं के उचित मूल्य के प्रति प्रतितुलन किया जाता है एवं किसी प्रकार के लाभ व हानि को नकदी प्रवाह बचाव आरक्षित निधि माना जाता है। व्युत्पन्नी संविदाओं का उचित मूल्य संबंधित प्रतिपक्षकार प्रदान करते हैं।

इस संबंध में, आईआईएफसीएल ने दिनांक 26 दिसंबर, 2016 के पत्र के माध्यम से व्युत्पन्नियों पर मार्गदर्शी टिप्पणी लागू करते समय बचाव व्यवस्था वाल संविदाओं पर मार्केट टू मार्केटधुचित मूल्य के संबंध में आईआईएफसीएल के सामने आ रही समस्याओं से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान को अवगत करा दिया है। इस पत्र की प्रतिलिपि भारतीय रिजर्व बैंक को भी भेजी गई थी। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा दिनांक 3 मई, 2017 के पत्र के अनुसार यह मामला भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की अनुसंधान समिति को भेजा गया है।

ऋण की बचाव व्यवस्था वाले हिस्से का विवरण पुनरु प्रस्तुत किया जाता है जो एस-11 के अनुरूप अंतिम दरों पर निम्न प्रकार है।

(₹ लाख में)

संस्थान	बचाव व्यवस्था वाली राशि	
	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
एशियाई विकास बैंक (ADB):-		
यूएसडालर	11,135.38	11,130.42
भारतीय रुपया	770,248.69	7,23,968.15
क्रेडिटेंस्टाल्टफर वेडिराफबाउ(KFW):-		
यूरो	130.95	161.90
भारतीय रुपया	10,175.51	13,052.73
आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक :-		
यूएसडालर	1,759.57	1854.72
भारतीय रुपया	1,21,711.55	1,20,638.59

व्युत्पन्नी संविदाओं के लेखांकन पर मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार वित्तीय मुद्रा निवेश(इक्सपोजर्स) का प्रकटीकरण :-

(₹ लाख में)

I. आस्तियां	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
		विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	₹ में राशि	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	₹ में राशि
प्राप्य (व्यापार एवं अन्य)	-	-	-	-	-	-	-
अन्य मौद्रिक आस्तियां (जैसे कि आईसीडी/विदेशी मुद्रा में दिया गया ऋण)	-	-	-	-	-	-	-
कुल प्राप्य (क)	-	-	-	-	-	-	-
व्युत्पन्नी संविदाओं द्वारा बचाव (ख)	-	-	-	-	-	-	-
बिना बचाववाले प्राप्य (C=A - B)	-	-	-	-	-	-	-

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

II. देयताएं	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
		विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	₹ में राशि	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	₹ में राशि
देय (व्यापार एवं अन्य)	-	-	-	-	-	-	-
उधारियां (इसीबी एवं अन्य)	USD	69.1713	16,121.22	11,15,125.63	65.0441	16,224.33	10,55,301.84
	EURO	77.7024	2,257.03	1,75,376.65	80.6222	2,317.77	1,86,862.86
	JPY	0.6252	1,00,000.00	62,520.00	0.6154	10,000.00	6,154.00
कुल देय (घ)	यूएसडी	69.1713	16,121.22	11,15,125.63	65.0441	16,224.33	10,55,301.84
	यूरो	77.7024	2,257.03	1,75,376.65	80.6222	2,317.77	1,86,862.86
	जेपीवाई	0.6252	1,00,000.00	62,520.00	0.6154	10,000.00	6,154.00
व्युत्पन्नी संविदाओं द्वारा बचाव (ङ.)	यूएसडी	69.1713	12,894.94	8,91,960.25	65.0441	12,985.14	8,44,606.74
	यूरो	77.7024	130.95	10,175.51	80.6222	161.90	13,052.73
	जेपीवाई	0.6252	-	-	0.6154	-	-
बिना बचाववाले देय (F= D - E)	USD	69.1713	3,226.28	2,23,165.38	65.0441	3,239.19	2,10,695.06
	यूरो	77.7024	2126.08	1,65,201.05	80.6222	2,155.87	1,73,810.13
	जेपीवाई	0.6252	1,00,000.00	62,520.00	0.6154	10,000.00	6,154.00

III. आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
		विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	₹ में राशि	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	₹ में राशि
आकस्मिक देयताएं	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिबद्धताएं	-	-	-	-	-	-	-
योग (छ)	-	-	-	-	-	-	-
व्युत्पन्नी संविदाओं द्वारा बचाव (ज)	-	-	-	-	-	-	-
बिना बचाव वाले देय (I= G-H)	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा में बिना बचाव वाले ऋण (J= C+F+I)	-	-	-	-	-	-	-

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

घ) विदेशी मुद्रा कर्ज के बिना बचाव की स्थिति निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

संस्थान	बिना बचाव की स्थिति की राशि	
	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
एशियन डेवलपमेंट बैंक :-		
अमरीकी डालर	3,226.16	3,239.08
भारतीय रु.	223,157.38	2,10,687.95
क्रेडिटसटाल्टफरबौ (केएफडब्लू) :-		
यूरो	126.08	155.87
भारतीय रु.	9,796.34	12,565.73
आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक:-		
अमरीकी डालर	0.11	0.11
भारतीय रु.	7.80	7.15
यूरोपियन इनवेस्टमेंट बैंक(ईआईबी)		
यूरो	2,000.00	2,000.00
भारतीय रु.	1,55,404.80	1,61,244.40
जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसी)		
जेपीवाई(जापानी येन)	1,00,000.00	10,000.00
भारतीय रु.	62,520.00	6,154.00

च) लेखांकन नीति 6.6.2 की शर्तों के अनुसार विनिमय दर(उदाहरणार्थ भा रि बैं. संदर्भ दरें) खातों की बंदी की तारीख पर प्रचलित दरें निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	विनिमय दरें	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
1	अमरीकी डालर/ भारतीय रु.	69.1713	65.0441
2	यूरो/ भारतीय रु.	77.7024	80.6222
3	जेपीवाई(जापानी येन)/ भारतीय रु.	0.6252	0.6154

16. बॉण्ड मोचन आरक्षित का निर्माण

क) निजी स्थापित(रखे) बॉण्डों के परिप्रेक्ष्य में : जैसा कि कंपनी एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में भारत सरकार के दिनांक 14 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. एस.ओ.143(ई)(एफ नं. 3/5/2008) के द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(72) के अंतर्गत अधिसूचित है, अतः भारत सरकार के कार्पोरेट मामले मंत्रालय के दिनांक 11 फरवरी, 2013 के परिपत्र के अनुसार निजी स्थापित बॉण्डों के परिप्रेक्ष्य में बॉण्ड मोचन आरक्षित निर्मित करने की आवश्यकता नहीं है।

ख) सार्वजनिक रूप से स्थापित(रखे) बॉण्डों के परिप्रेक्ष्य में कंपनी ने वित्त वर्ष 2012-13 में 10000- रु. के अंकित मूल्य के ₹ 3,15,631.89 लाख रु., वित्त वर्ष 2013-14 में ₹ 6,87,754.25 लाख रु. कर रहित(टैक्स फ्री) बॉण्ड जारी किए थे और वित्त वर्ष 2010- 11 में ₹ 9,096.18 लाख रु. के दीर्घकालिक बॉण्ड जारी किए और कुल मिलाकर ₹ 10,12,482.32 लाख रु. के बॉण्ड सरकारी निर्गम के माध्यम से जारी किए।

कंपनीज नियम(शेयर कैपिटल एवं डिबेंचर्स) नियम 2014 के नियम18(7)(इ)(पप) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत आरबीआई(संशोधन) अधिनियम 1997 के तहत पंजीकृत एनबीएफसीज कंपनी डिबेंचर मोचन आरक्षित(डीआरआर) निर्मित करेंगी। वर्तमान सेबी (SEBI) विनियमन(डेब्ट सिक्योरिटीज का निर्गम एवं सूचीयन)2008 के अनुसार जारी किए गए सार्वजनिक निर्गमित

डिबेंचर की कीमत के 25: डी आर आर की 'पर्याप्तता(एडेक्वेसी) होगी और निजीतौर पर स्थापित डिबेंचर्स के मामले में किसी भी डीआरआर की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार कंपनी ने 31 मार्च 2019 से 99,995.05 लाख रु. (31 मार्च, 2019 तक 81,817.56 रु.) के बॉण्ड मोचन आरक्षित निर्मित किए। इसके साथ ही कंपनी 31 मार्च, 2019 की समाप्ति तक 2.92 लाख रु. (510.05 लाख रु. 31 मार्च, 2018) राशि के दीर्घकालिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड खरीदे। स्टॉक इक्सचेंज के साथ सूचीयन करार में निहित विगोपन आवश्यकता के अनुसार, यह बताया गया कि कंपनी ने वैयक्तिक, ऐसोसियेट तथा कंपनी के निदेशकों की रुचि से संबद्ध प्रकृति के ऋणों एवं अग्रिमों को नहीं दिया गया है। इसके साथ ही कंपनी या उसकी सहायक कंपनी के द्वारा शेयर में कोई भी निवेश किसी भी प्रकार के ऋण(उधारी) से नहीं किया गया।

17. कंपनी के कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण 1 नवंबर, 2017 से बकाया है। बकाया वेतन का भुगतान का अनुमानित प्रावधान 390.48 लाख रुपये 1 नवंबर, 2017 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के लिए किया जा चुका है।
18. (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने आईआईएफसीएल को दिनांक 9 सितंबर, 2013 को पंजीकरण— प्रमाणपत्र जारी किया है कि सार्वजनिक जमाओं को बिना स्वीकार किए गैर— बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में कारोबार को कर सकता है।
(ख) कंपनी पर भारि. बैंक द्वारा जारी एनबीएफसी—आईएफसी के विवेकपूर्ण मानदंड लागू नहीं होते हैं, चूंकि यह भारत सरकार के स्वामित्वाधीन कंपनी है। एनबीएफसी—आईएफसी के कंपनी के रूप में पंजीयन पर तथा भारत सरकार के स्वामित्वाधीन कंपनी होने के कारण इसे भारत सरकार के परामर्श से एनबीएफसी विनियमन के तमाम सिद्धांतों की अनुपालना के लिए रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता होती है और इनको ही ठीक उसी रूप में भारि. बैंक की दिनांकित 12 दिसंबर, 2006 की अधिसूचना No- DNBS- PD/CC No- 86/03-02-089/2006&07 के निदेशानुसार भारि. बैंक (के गैर—बैंकिंग निरीक्षण विभाग) में जमा कराना है। इन अपेक्षाओं की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु कंपनी ने 21 नवंबर, 2014 भारि. बैंक के विनियमन के अनुसार 1 दिनांक, 2015 से प्रभावी विभिन्न सिद्धांतों की अनुपालना का रोड मैप जमा कराया है।
(ग) कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2019 बकाया शेष 80,838.35 लाख रु. 5 ऋणों को (31 मार्च, 2019 को शून्य लाख एवं शून्य ऋण हैं) पुनर्संरचित 6 पुनर्अनुसूचित किया है और इन खातों में 31 मार्च, 2018 को प्रतिभूति के मूल्य में कोई कमी नहीं है, देखें नोट 1(1)(6.7)(अ)।
(घ) लेखांकन नीति सं. 1(क)(6.8) के अनुसरण में 15 मामलों में त्वरित प्रावधानीकरण अपनाने के कारण निम्नानुसार है:

i. दीघी पोर्ट लिमिटेड :

महाराष्ट्र समुद्रीय बोर्ड(एमएमबी), महाराष्ट्र सरकार के साथ हस्ताक्षरित रियायती करार के अंतर्गत दीघी पोर्ट का विकास कर रहा है, जो निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन, शेयर, अंतरण(बूस्ट) के तहत बालाजी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लि.(बीआईपीएल) के द्वारा किया जा रहा है। इसमें पत्तन का विकास, प्रचालन, वित्तपोषण, एवं अनुरक्षण शामिल है। सीडीआर के अंतर्गत पुनर्चना के बावजूद परियोजना का कार्यान्वयन पूरा नहीं हुआ और राजस्व वसूली न्यूनतम बना हुआ है। पोर्ट की क्षमता बढ़ाने की उपयोजिता अभी भी सड़क एवं रेल की संयोजकता पर निर्भर है। जिसके पूरा होने में लगभग तीन वर्ष का समय लगने की संभावना है। इसके साथ ही, कंपनी के शेयर धारकों के आपसी मतभेदों का निवारण नहीं हो पाया है और प्रवर्तक रणनीतिक निवेशक से निधियां लगाने निवेशकों को जोड़ पाने में असमर्थ रहे हैं। इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार 50 प्रतिशत प्रावधानीकरण की तुलना में 70 प्रतिशत का प्रावधानीकरण किया गया है।

ii. वेस्ट हरियाणा हाईवेज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

इस परियोजना में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग -10 के बहादुरगढ़— रोहतक खंड पर मौजूदा सड़क का 29.7 किमी से 87 किमी. (लगभग 63.49 किमी.) की सड़क का संवर्धन शामिल है। इस सड़क को निर्धारित तिथि अर्थात 03.05.2008 से 25 वर्ष की अवधि के लिए बिल्ट एंड ऑपरेट(बीओटी) आधार पर (टोल के आधार) पर छहह्वार लेन का निर्माण कार्य शामिल है। इस परियोजना में रियायत देनेवाला प्राधिकरण एनएचआई है। इस परियोजना की भूमि अधिग्रहण में विलंब होने के कारण 01.05.2010 की एससीओडी की तुलना में नवंबर, 2015 में पीसीओडी शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त टोल का संग्रहण पूर्वानुमान की तुलना में बहुत कम है, जो ऋणदाताओं की बकाया राशि के आशोधन हेतु पर्याप्त नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 30 प्रतिशत प्रावधानीकरण की अपेक्षा 50 प्रतिशत का प्रावधानीकरण किया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

iii. ट्रांसट्रॉय तिरुपति तिरुथानी चेन्नै टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड

इस परियोजना में 30 वर्ष की अवधि के लिए डिजाइन निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन अंतरण करने (डीबीएफओटी) आधार पर आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-201 के तिरुपति- तिरुथानी दृचेन्नै खंड का 274.80 किमी. से 341.60 तक एंव तमिलनाडु में 0.00 किमी. से 59.60 किमी. तक चार लेन बनाना शामिल है। परियोजना को रियायत देनेवाला प्राधिकारण एनएचआई है। इस परियोजना ने फरवरी, 2015 में पीसीओडी हासिल कर लिया है। हालांकि परियोजना का टोल संग्रहण बहुत कम है जो ऋणदाताओं की बकाया राशि के आशोधन हेतु पर्याप्त नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 31 मार्च 2017 को 30 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 60 प्रतिशत का प्रावधानीकरण किया गया है।

iv. लैनको तीस्ता हाइड्रो पावर प्रा. लि.

इस परियोजना में तीस्ता नदी (तीस्ता VI 'परियोजना') पर 500 मेगावाट (4 X 125 मेगावाट) की नदी हाइड्रोइलेक्ट्रिक बिजली परियोजना का कार्यान्वयन शामिल है। कार्यनीतिक कर्ज पुनर्चना (एसडीआर) की सहायता ली गई थी और ऋणदाताओं ने सामूहिक रूप से आंशिक कर्ज को इक्विटी में परिवर्तित करते हुए 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी का अर्जन किया एवं निर्धारित निर्णय की अवधि 23.01.2017 को समाप्त हो गई है तथा दिनांक 30.09.2015 से खाता को एनपीए के तौर पर वर्गीकृत कर दिया गया। उधारकर्ता एवं ऋणदाता निरंतर सिविकम सरकार से इस परियोजना को अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस परियोजना की वर्तमान स्थिति बार-बार बदलती समयावधि, लागत का अत्याधिक बढ़ना तथा अनिश्चितता को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 30 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 45 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

v. जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड

आईआईएफसीएल ने अपने टेकआउट वित्त योजना के तहत जून, 2015 में 900 करोड़ रुपये के यमुना एक्सप्रेसवे (प्रवर्तक जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड) की परियोजना का वित्तपोषण किया था। आईडीबीआई बैंक, अग्रणी सहायता संघ के अनुरोध के अनुसार वर्ष 2012 में पीसीओडी हासिल कर लिया गया है जो मूल उद्योगों (5६25 योजना) के प्रति दीर्घावधि परियोजना ऋण की लचीली (फ्लैक्सिबल) पुनर्चना की भारतीय रिजर्व बैंक की योजना के कार्यान्वयन के अधीन नियम व शर्तों के साथ है। इस परियोजना के निकट ओखला पक्षी अभ्यारण्य होने से एनजीटी द्वारा निर्माण क्षेत्र को घटाने के आदेश के कारण परियोजना में काफी विलंब हुआ जिसके कारण अनुमानित राजस्व प्रभावित हुआ है एवं परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई है। बाद में इस आदेश में ढील दी गई। इस प्रकार परियोजना को विकसित करने की अनुमति मिली। इस बीच 31.12.2016 को खाता अवमानक हो गया। ऋणदाता इस परियोजना के शेषचरण को तेजी से पूरा करने के लिए नए ऋणदाताओं से एकमुश्त अतिरिक्त वित्तपोषण की प्रक्रिया से समस्या का समाधान करने के अनेक प्रयास कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप मेट्रो रेल निर्माणध्विमान पत्तन के साथ संयोजकता होने से कंपनी का समग्र राजस्वध्वितीय स्थिति भी सुधरेगी।

आईआईएफसीएल ने मौजूदा दिशानिर्देशों और आरबीआई के दिनांक 23 जून, 2017 के पत्र के अनुसार, उन ऋण खातों जहां एनसीएलटी कार्यवाही आरंभ हो चुकी है, में प्रावधानीकरण के लिए दिनांक 31.03.2018 तक 40 प्रतिशत अर्थात् 360 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आरबीआई की दिनांक 12 फरवरी, 2018 की अधिसूचना के अनुसरण में विभिन्न फॉरबियरेंस स्कीमों को समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप, आईआईएफसीएल ने, उन एनसीएलटी मामलों, जहां पहले से ही 50 प्रतिशत का प्रावधानीकरण नहीं किया गया था, में प्रावधानीकरण में 50 प्रतिशत तक सावधानीपूर्वक वृद्धि की है। परिणामस्वरूप, इससे जेपी इन्फ्राटेक के 90 करोड़ रुपये के ऋण खाते में 10 प्रतिशत तक का अतिरिक्त प्रावधान हुआ है और इसे इंसेल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) और आरबीआई की दिनांक 12 फरवरी, 2018 की अधिसूचना के अनुसरण में विभिन्न फॉरबियरेंस स्कीमों को सम्पत्त किए जाने में शामिल मामलों के तहत एनसीएलटी के मामलों के संदर्भ के अनुसरण में बनाए गए अन्य ऋण खातों के प्रावधान के साथ आपवादिक प्रावधान के रूप में प्रदर्शित किया है।

vi. आईवीआरसीएल इंदौर गुजरात टोलवे लिमिटेड

भूमि तथा अन्य अपेक्षित अनुमोदनों में देरी के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में देरी हुई है। परियोजना लागत में वृद्धि और समय में वृद्धि को ऋणदाताओं द्वारा अतिरिक्त मियादी ऋण के माध्यम से समर्थित किया गया। तथापि, परियोजना में और देरी हुई तथा वर्तमान में एनएचआई से एकमुश्त निधि संयोजक वन टाइम फंड (इंफ्यूशन) की सहायता से क्रियान्वयनाधीन है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 10 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 65 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

vii. सोमा आइसोलक्स सूरत हाजीरा टोलवेज लिमिटेड

कम टोल संग्रहण के साथ परियोजना चालू है, जो कि ऋण सेवाओं के लिए पर्याप्त नहीं है। स्ट्रेस्ड एसेट्स की सतत संरचना स्कीम को खाते में प्रस्तावित किया गया परंतु इसे आरबीआई के दिनांक 12.02.2018 के परिपत्र के कारण परा नहीं किया जा सका। उधारकर्ता ने

एक समाधान योजना प्रस्तुत की है, जो ऋणदाताओं के समक्ष विचाराधीन है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 20 प्रतिशत अपेक्षित 60 प्रतिशत प्रावधानीकरण की तुलना में प्रावधान किया गया है।

viii. अटलांटा इन्फ्रा एसेट्स लिमिटेड

पीसीओडी के पश्चात, टोल संग्रहण अपेक्षा से कम था। देयताओं की अदायगी न करने के कारण, खाता आईआईएफसीएल के साथ एनपीए में चला गया। तदुपरान्त, आर्बिट्रेशन ट्रीब्यूनल ने सितंबर, 2016 में अटलांटा इन्फ्रा एसेट्स लिमिटेड को 145.214 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया और एनएचएआई ने निर्णय को चुनौती दी। नीति आयोग एनएचएआई के दिशानिर्देशों के आधार पर, शीर्ष बैंक (यूनियन बैंक) ने एनएचएआई 75 प्रतिशत राशि की प्राप्ति के लिए बीजी जारी की। आईआईएफसीएल को उसका समानुपातिक शेयर प्राप्त हुए और उसके अनुसार दिनांक 31.03.2017 को खाते को अपग्रेड किया गया। हालांकि, आर्बिट्रेशन के निर्णय के विरुद्ध एनएचएआई की अपील दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है, बीजी को एनएचएआई द्वारा मार्च, 2018 में गैर-नवीकरण के कारण इनवोक किया गया। तदनुसार, दिनांक 31.03.2018 को आईआईएफसीएल में खाता पुनः एनपीए में चला गया। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 10 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 100 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

ix. साई मातारानी टोलवेज लिमिटेड

अगस्त, 2017 में परियोजना ने पीसीओडी प्राप्त की और टोलिंग आरंभ की। माइनिंग पर प्रतिबंध के कारण, टोल संग्रहण अपेक्षाकृत कम रहा। इसके कारण ऋणदाताओं ने प्रबंधन में परिवर्तन के लिए एसडीआर इनवोक करने का निर्णय लिया। तथापि, ऋण का इक्विटी में परिवर्तन नहीं हो पाया। आरबीआई ने दिनांक 12.02.2018 को अपने पत्र के माध्यम से सभी पुनर्संरचना स्कीमों को वापस ले लिया। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 10 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 60 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

x. एल एवं टी हलोल शामलाजी टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड

पीसीओडी के उपरांत, टोल संग्रहण, आरंभिक अनुमानों से कम था। एसडीआर को प्रयुक्त किया गया और आंशिक ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया गया। 5६25 के तहत पुनर्संरचना भी की गई। वर्तमान स्थिति में, खाता स्ट्रैस्ड रहना जारी है। उपरोक्त को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 30 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 75 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

xi. पटना बख्तियारपुर टोलवेज लिमिटेड

परियोजना ने पीसीओडी प्राप्त की और अप्रैल, 2015 से टोल संग्रहण आरंभ किया। नवंबर, 2017 माह के अंत में एलआई की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने 46.847 किलोमीटर (92.58) का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है तथा शेष कार्य अभी पूरा किया जाना है। परियोजना में ट्रेफिक अंडर परफॉर्मेंस का सामना करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक टोल राजस्व आरंभिक अनुमानों की तुलना में कम रहा। कंपनी वित्तीय दबाव में है और प्रमोटरों ने परियोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की अदायगी में असमर्थता व्यक्त की है। दिनांक 31.12.2017 को खाता एनपीए में परिवर्तित हो गया। उपरोक्त को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 10 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 60 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

xii. हरिद्वार हाइवेज प्रोजेक्ट लिमिटेड

आरओडबल्यू यूटिलिटी शिपिंग इत्यादि में विलंब के कारण परियोजना को कठिनाई का सामना करना पड़ा देयताओं की गैर-अदायगी / परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के कारण, जून, 2017 में खाता एनपीए में परिवर्तित हो गया। चूंकि, परियोजना में अत्यंत देरी हुई एयर अभी तक, पीसीओडी प्राप्त नहीं हुई है। उपरोक्त को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 10 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 65 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

xiii. एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड

खम्बालिया के निकट सलाया, जिला देव भूमि द्वारका, गुजरात स्थित सब-क्रिटिकल टेक्नालजी के तहत 2*600 मेगावाट आयातित कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजना है। “दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान दृ संशोधित ढांचा” के संबंध में दिनांक 12 फरवरी, 2018 के आरबीआई के परिपत्र के अनुसार बाह्य एसडीआर प्रबंधन में परिवर्तन की वर्तमान योजना का कार्यान्वयन नहीं और अतः दिनांक 29 जुलाई, 2017 को कंपनी का खाता अवमानक में परिवर्तित हो गया। जेएलएम ने ऋणदाताओं ने एनसीएलटी के तहत कार्यवाहियाँ आरंभ करने के विकल्प को शामिल करने का निर्णय लिया। उपरोक्त को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 10 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 60 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

19. विभिन्न कर निर्धारण वर्ष(र्षों) के लिए आय कर के बकाया कर निर्धारण की स्थिति निम्नानुसार है:

कर निर्धारण वर्ष	स्थिति
2008-09	आईआईएफसीएल ने आयकर विभाग के दिनांक 07 मार्च 2014 के आदेश के अनुसार वर्ष 2008-09 कर निर्धारण वर्ष के लिए 159 लाख रुपये के कर बकाया की मांग के खिलाफ अपील दाखिल की है। आयकर आयुक्त(अपील) -4 ने 8 सितंबर, 2015 को आदेश पारित किया और आईआईएफसीएल की अपील खारिज कर दी है। आईआईएफसीएल ने दोबारा दिनांक 16 नवंबर, 2015 को आईटीएटी(पू.ज) समक्ष अपील दाखिल की है। आईटीएटी(पू.ज) ने सीआईटी(ए) के समक्ष 29 अगस्त, 2017 को यह मामला पुनरु स्थापित किया।
2011-12	दिनांक 13.04.2018 को करनिर्धारण आदेश यूधएस 154/147/143(3) प्राप्त किया जिसमें 234ए के तहत 121.15 लाख रु. का ब्याज उत्थापित किया गया है। यह ब्याज निर्धारण वर्ष 2014-15 के रिफंड में समायोजित किया गया था। एक अन्य नोटिस यूध एस 154/155 प्राप्त किया गया जिसमें 135.23 लाख रु. का ब्याज खड़ा किया गया। कर मूल्यांकन निर्धारण अधिकारी के समक्ष मांगे गए ब्याज का समाशोधन प्रस्तुत किया गया। सुधार आदेश यू / एस 154 / 147 / 143 (3) दिनांकित ब्याज दर को घटाकर रु। 69.94 लाख। अय 2016-17 की मांग के खिलाफ समायोजित अतिरिक्त राशि।
2013-14	दिनांक 23.02.2016 को आदेश यूधएस 143(3) दिनांकित 04.02.2016 प्राप्त किया गया। इसकी अपील सीआईटी(ए) के समक्ष दिनांक 23.03.2016 को दाखिल की गई, जिसको सीआईटी(ए) ने दिनांक 20.10.2016 को प्राप्त आदेश में खारिज कर दिया। सीआईटी(ए) के उपरोक्त आदेश के खिलाफ दिनांक 19.12.2016 को आईटीएटी(पू.ज) के समक्ष अपील दाखिल की गई। आय कर 48.31 रु. की मांग को जमा करा दिया गया।
2016-17	दिनांक 28.12.2018 कर निर्धारण आदेश यूधएस 143(3) दिनांकित 28.12.2018 प्राप्त किया गया। इसके लिए सीआईटी(ए) के समक्ष दिनांक 25.01.2019 को निर्धारण आदेश में बताई गई अस्वीकृतियों के खिलाफ अपील दाखिल की गई और प्रतिवाद विरोध 137 लाख रु. का 20: कर मांग को जमा कराया गया।

20 क 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने शून्य रुपये निवल बही मूल्य (31 मार्च, 2018 को शून्य रुपये) की वित्तीय आस्तियां पुनर्निर्माण कंपनियों को सौंप दी है। कंपनी ने डीबीओडी बीपीबीसी संख्या 98/21.04.132/2013-14 दिनांक 26 फरवरी, 2014 एवं आय मान्यता पर विवेकसम्मत मापदण्डों पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र डीएनबीआर (पीडी) सीसी संख्या 043/03.10.119/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के अनुसार शून्य की निवल कमी को (31 मार्च, 2018 को भी शून्य) आठ तिमाहियों की अवधि में फैला दिया है। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान की शून्य रुपये की राशि को (31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान शून्य रुपये) चार्ज ऑफ कर दिया गया है।

ख. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने 72,241.70 लक रुपये के 7 खातों में (31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष में 16 ऋण खातों में 95,685.22 लाख रुपये) को बट्टे खाते में डाल दिया है। नोट 1(क)(6.3) देखें।

ग. आईआईएफसीएल ने निवेशों में मूल्यहास के लिए 16,831.53 लाख रुपये का प्रावधान निम्नानुसार किया है:

- वर्ष 2017-18 के दौरान ऋणदाताओं ने इंडबल्यू इंडिया स्पेशल फंड पीटीई लिमिटेड के पक्ष में सामूहिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के रणनीतिक ऋण पुनर्गठन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रबंधन में परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए 26 प्रतिशत को विभाजित किया। इस डील का भाग होने के नाते, मैसर्स आधुनिक पावर एंड नैचुरल रिसोर्सज लिमिटेड (एपीएनआरएल) 52,000.00 लाख रुपये के मूल और उस पर 2545.99 लाख रुपये की ब्याज तथा अन्य ऊपरी देयताओं के बकाया ऋण को एडेवीज एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी), जो कि एक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी है, को 108.18 लाख रुपये के अग्रिम प्राप्य सहित 38,884.95 लाख रुपये की

अपवादात्मक मदों की राशि का अद्यतन तब किया गया जब, प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा का कार्यालय, सदस्य लेखा-परीक्षा बोर्ड-प्, नई दिल्ली द्वारा, चरण-प् के आधोपांत में दिये गए लेखा-परीक्षा प्रेक्षणों के संबंध में, आईआईएफसीएल के वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखों की लेखा-परीक्षा करते समय, आश्वासनधुत्तर देते हुए, प्रिंट करते समय अद्यतन की गई है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

विचारणीय कीमत पर बेचा गया, एपीएनआरएल की इक्विटी शेयर पूंजी 9710.71 लाख रुपये (अर्थात् 10 रुपये के प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर) और 38,884.95 लाख रुपये की प्रतिभूत रसीद अहि। ईएआरसी ने साथ ही साथ, 10 रुपये प्रत्येक के अनुसार एपीएनआरएल के इक्विटी शेयर के कुल 4945.70 लाख रुपये 1.2045 प्रति शेयर की दर से कुल 595.72 लाख रुपये में खरीदे। तदनुसार, आईआईएफसीएल, एपीएनआरएल के इक्विटी शेयर की बिक्री की कीमत के रूप में ईएआरसी द्वारा आईआईएफसीएल को प्रदत्त राशि को उचित मूल्य समझता है। तदनुसार, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, एपीएनआरएल में आईआईएफसीएल द्वारा धारित शेष इक्विटी का मूल्य 1.2045 प्रति शेयर है, जो कि निवेशों के मूल्यहास के लिए प्रावधानों का 4,191.05 लाख रुपये निवल है।

- मैसर्स टॉपवर्थ टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में रियायतग्राही के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप, 8,000.00 लाख रुपये की बकाया ऋण राशि में से 6,078.00 लाख रुपये की राशि को नए रियायतग्राही अर्थात् बंसल पाथवेज प्राइवेट लिमिटेड को वार्षिक रूप से 0.01 प्रतिशत कूपन दर से वैकल्पिक परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर रखने वाले 0.01 प्रतिशत के माध्यम से निष्पादित अथवा जारी किया गया। 1,922.00 लाख रुपये के शेष बकाया ऋण को नए रियायतग्राही, बंसल पाथवेज (मंगावान-चकघाट) प्राइवेट लिमिटेड पर रखा जाएगा। तदनुसार, 5,388.48 लाख रुपये के निवेश में मूल्यहास संबंधी प्रावधान को बंसल पाथवेज (मंगावान-चकघाट) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी डिबेंचरों पर 25 वर्षों के बाद पुनर्भुगतान किया गया।

घ. यथा 21 मार्च, 2019 को निवेश एवं प्रतिभूतियों की प्राप्ति का प्रकटीकरण:

(₹ लाख में)

विवरण	पिछले 5 वर्षों में जारी प्रतिभूति प्राप्ति SRs	5 वर्षों से अधिक किंतु 8 वर्ष के अंदर जारी प्रतिभूति प्राप्ति SRs	8 वर्ष अधिक हेतु जारी प्रतिभूति प्राप्ति SRs
(i) बैंक के द्वारा बेची गई यथा अंतर्निहित एनपीएज से समर्थित प्रतिभूति प्राप्ति SRs का अंकित मूल्य	54,502.89	-	-
(i) के समक्ष धारित प्रावधान	-	-	-
(ii) अन्य बैंकों ध्वित्तीय संस्थानों / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के द्वारा बेची गई यथा अंतर्निहित एनपीएज से समर्थित प्रतिभूति प्राप्ति SRs का अंकित मूल्य	-	-	-
(ii) के समक्ष धारित प्रावधान	-	-	-
कुल (i) + (ii)	54,502.89	-	-

21. वर्ष के दौरान धारक कंपनी ने उधारकर्ताओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों से शेष राशियों की पुष्टि करने हेतु यथा 31 दिसंबर, 2018 तक की स्थिति तथा बैंकों एवं अन्य पक्षों आदि से यथा 31 मार्च, 2019 की स्थिति पर शेष राशि की पुष्टि करने के लिए पत्र भेजे थे। कुछ एक ऋण अवसंरचना ऋणों, उधारों तथा अन्य कर्जों एवं ऋण शेष के रूप में यथा 31 मार्च 2019 को प्रकट हुए, बशर्ते कि पुष्टि और परिशोधन हो और प्रबंधन की राय में इस पुष्टि एवं परिशोधन का तात्त्विक दुष्प्रभाव न हो और साथ ही कुछ मामलों में प्रत्याशित वित्तीय विवरणों में ब्याज की पुनर्स्थापना लंबित न हो। 31 मार्च 2019 के पश्चात उधारकर्ताओं के साथ बकाया शेष का कुल योग 28,66,410.05 लाख रु (पिछले वर्ष 25,22,998.49 लाख रु.) था। (जिसमें एनपीए खाते नहीं हैं) जोकि 31 दिसंबर, 2018 में 90.91: (पिछले वर्ष 96.79:) बकाया राशि थी। बैंक एवं अन्य पार्टियों की तात्त्विक बकाया राशि भी कर्ज ऋण की राशि के साथ बकाया राशि को 31 मार्च, 2019 को यहां नीचे उल्लिखित किया गया है:

विवरण	FY 2018-19		FY 2017-18*	
	जमा / शेष पुष्टिकरण राशि (लाख रु. में)	पुष्टिकृत जमा / शेष का %	जमा / शेष पुष्टिकरण राशि (लाख रु. में)	पुष्टिकृत जमा / शेष का %
विदेशी संस्थानों से उधारियां	13,53,022.28	100%	12,48,318.70	100%
बैंकों से ओवरड्राफ्ट सुविधा	87,234.04	100%	1,74,390.86	100%

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

उद्यम पूंजी इकाइयों में निवेश	1,674.87	100%	1,674.87	100%
प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश	54,502.89	100%	58,513.23	100%
सावधि जमाओं में निवेश	514,458.60	100%	603,064.38	100%
बॉन्ड्स/ सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (अभौतकी करण के रूप में)	9,786.70	100%	1,28,124.18	100%
म्युचुअल फंडों में निवेश	25,340.31	100%	29,597.12	100%

22 आईसीएआई के द्वारा 15 मई 2015 के अनुसार जारी कार्पोरेट सामाजिक गतिविधियों के तहत व्यय के लिए लेखांकन पर दिशानिर्देश नोट के विषय में प्रकटीकरण :

क) सीएसआर व्यय शामिल विभिन्न शीर्षों के व्यय का विवरण :

(₹ लाख में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	परियोजना ब्यौरे	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
1	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसएसकेएफडीसी)	500 महिला कैब ड्राइवरों का कौशल विकास	-	-
2	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल)	रोहतास (बिहार) में सोलर होम लाइटिंग सिस्टम की स्थापना	-	47.25*
3	हिमाचल कंसल्टेंसी ओर्गनाइजेशन लिमिटेड	बोर्सिमुगुडी (असम) का एकीकृत विकास	3.52*	3.36*
4	भारतीय सौर ऊर्जा निगम	भारत के पिछड़े जिलों में 35,000 सौर लालटेन का वितरण	-	-
5	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रुमेंट लिमिटेड (आरईआईएल)	1500 सौर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना	43.61*	213.49*
6	सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन	सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में लड़कियों के लिए शौचालय का निर्माण	20.89*	48.75*
7	स्वस्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचडबल्यूएफ), भारत सरकार	स्वस्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचडबल्यूएफ), भारत सरकार के स्वस्थ मंत्री के कैंसर रोगी कोश में योगदान	-	-
8	विवेकानंद केंद्र	स्कूलों में शौचालय का निर्माण	-	8.5
9	प्यारी फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट	बागमुंडी (पुरुलिया), पश्चिम बंगाल का एकीकृत विकास	7.84*	-
10	लॉयन्स क्लब ऑफ पलक्कड	सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में बोरवेल की स्थापना और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में शौचालय का निर्माण	3.93*	10.19
11	गुड़गांव जिला प्रशासन	गुड़गांव (हरियाणा) में न्यून लागत निदान इकाई का निर्माण	-	-
12	ध्यान फाउंडेशन	घायल जानवरों के लिए चिकित्सा वैन का वितरण	-	-
13	युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमएएस), भारत सरकार	एनएसडीए की शीर्ष योजना में योगदान के लिए भारत सरकार को युवा मामलों और खेल मंत्रालय (एमएएस) की दूसरी किश्त जारी करना।	-	-

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

14	लोक निर्माण विभाग, रामदेवरा	रामदेवरा (राजस्थान) में शौचालयों का निर्माण	-	-
15	अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान	बाल न्यूरोलोजी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना	-	250.00
16	राष्ट्रीय संस्कृति निधि	राष्ट्रीय संस्कृति निधि में योगदान	146.09*	141.63*
17	राष्ट्रीय खेल विकास कोष	एनएसडीएफ की शीर्ष योजना में योगदान	-	1,000.00*
18	सीएसआर ओवरहेड व्यय		10.01	5.10
	कुल योग		235.89	1,731.91

ख) सीएसआर व्यय के संबंध में अतिरिक्त विगोपन निम्नानुसार है:

i) समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने वाली अपेक्षित सकल धनराशि 235.89 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 को 1,731.91 लाख रुपये) थी।

ii) वर्ष के दौरान खर्च की गई धनराशि :

(₹ लाख में)

विवरण	यथा 31.03.2019 को समाप्त वर्ष			यथा 31.03.2018 को समाप्त वर्ष		
	नकद	नकद भुगतान न किए जाने हेतु	कुल	नकद	नकद भुगतान न किए जाने हेतु	कुल
(i) किसी भी एसेट का निर्माण / अधिग्रहण*	225.88	-	225.88	1,476.81	-	1,476.81
(ii) ऊपर (प) के अलावा अन्य उद्देश्य पर	10.01	-	10.01	255.10	-	255.10
कुल	235.89	शून्य	235.89	1731.91	Nil	1731.91

* किसी भी आस्ति का निर्माण/अधिग्रहण में सोलर हाउसहोल्ड लाइटनिंग की स्थापना शामिल है।

23. गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकारण अथवा धारिता) कंपनी विवेकसम्मत मापदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2007 के अनुच्छेद 13 के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचना का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	यथा 31.03.2019 को समाप्त वर्ष		यथा 31.03.2018 को समाप्त वर्ष	
	बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि
देयता पक्ष:				
(1) गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकारण अथवा धारिता) कंपनी विवेकसम्मत मापदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2007 के अनुच्छेद 13 के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचना का विवरण:				
(क) डिबेंचर : प्रतिभूत	14,94,385.35		14,94,388.27	-
: अप्रतिभूत	16,48,661.32	-	17,25,926.10	-
(सार्वजनिक जमा अर्थ के अंतर्गत आने वाले डिबेंचरों के अलावा)				
(ख) आस्थगित ऋण	-	-	-	-
(ग) सावधि ऋण	13,53,022.28		12,48,318.70	-
(घ) अंतर कॉर्पोरेट ऋण एवं उधार	-	-	-	-
(ड.) वाणिज्यिक (लेखा) पत्र	-	-	-	-
(च) अन्य ऋण (अल्पकालिक बैंक ऋण)	87,234.04		1,74,390.86	-
आस्ति पक्ष:		बकाया राशि		
		यथा 31 मार्च, 2019 के अनुसार	यथा 31 मार्च, 2018 के अनुसार	
(2) प्राप्त बिल सहित ऋण एवं अग्रीमोन का अलग-अलग विवरण व उनके अलावा जो निम्नलिखित (4) में शामिल है:				
(क) प्रतिभूत	42,06,599.50		42,80,499.00	

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

(ख) अप्रतिभूत	5,01,674.64	97,518.86
(3) एएफसी क्रियाकलापों में गिने जाने वाले किराए पर पट्टाकृत		
(i) विविध कर्जदारों के अंतर्गत पट्टा किराया सहित पट्टाकृत आस्तियां :		
(क) वित्तीय पट्टा	-	-
(ख) प्रचालन पट्टा	-	-
(पप) विविध कर्जदारों के अंतर्गत किराया प्रभार सहित किराए पर स्टाक:		
(क) किराए पर आस्तियां	-	-
(ख) पुनः कब्जे में ली गई आस्तियां	-	-
(iii) एएफसी क्रियाकलापों में गिने जाने वाले अन्य ऋण		
(क) ऐसे ऋण जहां आस्तियां पुनः कब्जे में ली गई हैं:	-	-
(ख) उपरोक्त (क) के अलावा ऋण	-	-
(4) निवेशों का ब्यौरा:		
वर्तमान निवेश:		
1. उद्भूत:		
(i) शेयर: (क) इक्विटी	-	-
(ख) अधिमानी	-	-
(ii) डिबेंचर एवं बॉन्ड	-	-
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-
(v) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	-	-
2. अनुद्भूत :		
(i) शेयर: (क) इक्विटी	-	-
(ख) अधिमानी	-	-
(ii) डिबेंचर एवं बॉन्ड	-	-
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-
(v) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	-	-
दीर्घकालिक निवेश:		
1. उद्भूत:		
(i) शेयर: (क) इक्विटी	-	-
(ख) अधिमानी	-	-
(ii) डिबेंचर एवं बॉन्ड	-	1,10,834.58
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-
(v) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	-	-
2. अनुद्भूत:		
(i) शेयर: (क) इक्विटी	5,176.02	411.03
(ख) अधिमानी	-	-
(ii) डिबेंचर एवं बॉन्ड	19,864.00	630.09
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	25,340.31	29,597.12*
(iv) सरकारी प्रतिभूतियाँ	9,786.70	17,289.60
(v) अन्य (इक्विटी शेयर पूंजी में निवेश) उद्यम पूंजी इकाइयों में	1,674.87	1,674.87
(v) प्रतिभूति रसीदों में निवेश	54,502.89	58,490.64*
योग	48,24,618.93	45,96,427.93

*भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) के अनुसार पुनर्वर्णित किया गया

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

(5) उपरोक्त (2) एवं (3) में दिये गए विवरणानुसार वित्तपोषित आस्तियों का समूह-वार उधारकर्ता वर्गीकरण :

श्रेणी	प्रावधानों की निवल धनराशि (31 मार्च, 2019 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	योग
1. संबन्धित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) उसी समूह में समान कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबन्धित पक्ष	-	-	-
2. संबन्धित पक्षों के अलावा	4,060,759.07	-	4,060,759.07
योग	4,060,759.07		4,060,759.07
श्रेणी	प्रावधानों की निवल धनराशि (31 मार्च, 2018 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	योग
1. संबन्धित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) उसी समूह में समान कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबन्धित पक्ष	-	-	-
2. संबन्धित पक्षों के अलावा*	3,805,599.43	-	3,805,599.43
योग	3,805,599.43	-	3,805,599.43

(6) शेयर एवं प्रतिभूतियाँ (उद्धृत एवं अनुद्धृत दृ दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान एवं दीर्घकालिक) का समूहवार निवेशक वर्गीकरण

श्रेणी	प्रावधानों की निवल धनराशि (31 मार्च, 2019 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	योग
1. संबन्धित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) उसी समूह में समान कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबन्धित पक्ष	-	-	-
2. संबन्धित पक्षों के अलावा -	984.98	984.98	

श्रेणी	प्रावधानों की निवल धनराशि (31 मार्च, 2018 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	योग
1. संबन्धित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) उसी समूह में समान कंपनियां*	-	-	-
(ग) अन्य संबन्धित पक्ष -	-	-	-
2. संबन्धित पक्षों के अलावा	-	984.98	984.98

(7) अन्य जानकारी

विवरण	यथा 31 मार्च, 2019 के अनुसार	यथा 31 मार्च, 2018 के अनुसार*
(i) सकल अनर्जक आस्तियां		
(क) संबन्धित पक्ष	-	-
(ख) संबन्धित पक्षों के अलावा	10,96,161.00	6,34,361.17
(ii) निवल अनर्जक आस्तियां	-	-
(क) संबन्धित पक्ष	-	-
(ख) संबन्धित पक्षों के अलावा	5,88,209.68	4,06,674.22
(iii) वे आस्तियां जिनका ऋण शोधन में अर्जन किया गया	-	Nil

*भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) के अनुसार पुनर्वर्णित किया गया

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

24. भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना डीएनबीआर (पीडी) सीसी संख्या 002/ 03-10-001/2014-15 दिनांक 10 नवंबर, 2014 के अनुसरण में प्रकटीकरण

24.1 पूंजी (नियंत्रक कंपनी)

(₹ लाख में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2019 के अनुसार	यथा 31 मार्च, 2018 के अनुसार*
टियर I पूंजी	4,76,848.29	4,55,802.23
टियर II पूंजी	11,368.19	11,073.47
कुल पूंजी#	4,87,852.48	4,66,875.70
कुल जोखिम भारित आस्तियां #	35,81,547.26	38,99,348.53
पूंजीगत अनुपात		
कुल जोखिम आस्तियों के प्रतिशत के तौर पर टियर I पूंजी (%)	13.31	11.69
कुल जोखिम आस्तियों के प्रतिशत के तौर पर टियर II पूंजी (%)	0.32	0.28
कुल पूंजी (%)	13.63	11.97
टियर II पूंजी के रूप में अर्जित अधीनस्थ ऋणों की राशि	-	-
सतत ऋण इन्स्ट्रुमेंट को जारी करने के माध्यम से अर्जित राशि	-	-

*भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) के अनुसार पुनर्वर्णित किया गया

- आईआईएफसीएल को 14 मई, 2019 को 500 करोड़ की इक्विटी शेयर पूंजी भारत सरकार से प्राप्त हुई है।
- आईआरएसी मानदंडों के अनुसार ऋण आस्तियों पर बनाए गए प्रावधानों और आरबीआई के नियमों के अनुसार तत्काल प्रावधानों को देखते हुए पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना की गई है। आईआरएसी मानदंडों और उपरोक्त तत्काल प्रावधानों पर विचार नहीं किया गया है।

24.2 Investments

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
1	निवेश का कुल मूल्य		
(i)	निवेश का सकल मूल्य #	1,41,464.59	2,54,283.23
(क)	भारत में	1,18,069.79	2,30,888.43*
(ख)	भारत के बाहर	23,394.80	23,394.80
(ii)	मूल्यहास के प्रावधान	-	-
(क)	भारत में	16,831.53	9,638.96
(ख)	भारत के बाहर	-	-
(iii)	निवेशों का निवल मूल्य	1,24,633.06	2,44,644.27
(क)	भारत में	1,01,238.26	2,21,249.47*
(ख)	भारत के बाहर	23,394.80	23,394.80
2	निवेशों के मूल्यहास के प्रति धारित प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
(i)	प्रारम्भिक शेष	9,638.96	-
	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	7,252.00	9,638.96
	घटाएँ: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधान अपलेखन/प्रतिलेखन	59.43	-
	अधिशेष	16,831.53	9,638.96

*भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) के अनुसार पुनर्वर्णित किया गया

सहायक कंपनियों में किए गए निवेश के अतिरिक्त

सीआरएआर का तब प्रकटीकरण किया गया जब प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा का कार्यालय, सदस्य लेखा-परीक्षा बोर्ड- I, नई दिल्ली द्वारा, चरण- I के आधोपांत में दिये गए लेखा-परीक्षा प्रेक्षणों के संबंध में, आईआईएफसीएल के वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखों की लेखा-परीक्षा करते समय, आश्वासन ६ उत्तर देते हुए, प्रिंट करते समय अद्यतन की गई है।

24.3 व्युत्पन्नियां

24.3.1 दर करार / ब्याज दर स्वैप(विनिमय)

(₹ लाख में)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
1	राष्ट्रीय मूलधन का स्वैप करार	8,000.00	8,000.00
2	ऐसी हानियां, जो यदि होती हैं तो काउंटर पार्टी करारों के अंतर्गत अपने दायित्व पूरे करने में विफल रहती हैं	-	-
3	स्वैप (विनिमय) संपन्न करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	-	-
4	स्वैप (विनिमय) उत्पन्न ऋण जोखिम का सकेंद्रीकरण	-	-
5	स्वैप (विनिमय) बही का उचित मूल्य	(1,688.71)	(2,141.62)

24.3.2 व्युत्पन्नियों में जोखिम का प्रकटीकरण

मात्रात्मक प्रकटीकरण

एनबीएफसी के लिए उस सीमा के विशेष संदर्भ में व्युत्पन्नियों से संबंधित उनकी जोखिम प्रबंधन नीतियों का उल्लेख करना आवश्यक होता है, जिनके लिए व्युत्पन्नियों का उपयोग किया गया है तथा संबद्ध जोखिम एवं कारोबार के उद्देश्य पूरे कर लिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 10 नवंबर, 2014 के दिशा निर्देशों के अनुपालन में निम्न प्रकार से इनका प्रकटीकरण किया जा रहा है

- क) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा ऋणों की मुद्रा एवं ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए व्युत्पन्नी लेन देन करता है। कंपनी ने बचाव व्यवस्था (हेजिंग) वाली नीति बनाई है जो निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित संसाधन एवं कोषागार नीति का हिस्सा है। कंपनी के व्युत्पन्नी लेन देन इस नीति के द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिनका उपयोग अंतर्निहित देयताओं के अनुसार बचाव व्यवस्था के लिए किया जाएगा।
- ख) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा ऋणों पर उत्पन्न मुद्रा संबंधी जोखिमों(बाजार जोखिमों) और ब्याज दर की बचाव व्यवस्था करने के लिए कम करने के उद्देश्य से व्युत्पन्नी लेन देन करता है।
- ग) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा ऋणों के विनिमय एवं ब्याज दर की बचाव व्यवस्था व्युत्पन्नी लेन देन करता है, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए। व्युत्पन्नी लेन देन शब्द निरंतर प्रभावोत्पादकता के लिए तदनुसारी अंतर्निहित (देयताओं) के साथ मेल खाता है। समान शब्दावली की संकल्पना के माध्यम से आरंभ के समय उक्त प्रभावोत्पादकता का पता लगाया जाता है।
- घ) आईआईएफसीएल के व्युत्पन्नी लेन देन की स्थिति और वरिष्ठ प्रबंधन को मासिक आधार पर तथा निदेशक मंडल को तिमाही आधार पर उनके एमटीएम को रिपोर्ट दी। इसके अलावा, आईआईएफसीएल के आर एंड टी सलाहकारों के द्वारा तिमाही आधार पर एमटीएम की स्वतंत्र निगरानी की जा रही है।
- ड.) आईआईएफसीएल की बही में विनिमयी व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नियों(एक्सचेंज ट्रेडेड इंटेरेस्ट रेट डेरीवेटिव्स) शून्य है।
- च) आईआईएफसीएल अपनी विदेशी मुद्रा इक्सपोजर्स के बचाव के लिए क्रास करेंसी इंटेरेस्ट रेट स्वैप का संचालन करता है। मात्रात्मक प्रकटीकरण में दर्शाए गए आंकड़े पृथक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सौदा मूल्य और ब्याज नकदी प्रवाह के लिए समेकित आधार पर बही में दर्ज किया जाता है।
- छ) बचाव वाले एवं बिना बचाव वाले लेन देन के अभिलेखन, आय की पहचान, प्रीमियम व छूट, बकाया संविदाओं का मूल्यांकन, प्रावधानीकरण, संपार्श्विक एवं ऋण जोखिम न्यूनीकरण के लिए लेखांकन नीति 1(क)(5) में किया जाता है।
- ज) आईआईएफसीएल, के प्रबंध निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रबंधन एवं निवेश कमेटी के द्वारा संसाधन एवं कोषागार नीति के अनुसार अपने कुल इक्सपोजर का 65-70: के बीच अपनी बचाव की स्थिति को रखेगा। इसके अतिरिक्त वायदा प्रीमियम की बचत के साथ खुली स्थिति का विनिमय उतार चढ़ाव में कंपनी की संपूर्ण संपत्ति में 10 प्रतिशत का उल्लंघन किसी भी समय होता है। इसके साथ ही, यदि वित्त वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो आधार पर रूपरेखा का मूल्यहास 5: या अधिक होता है तो आईआईएफसीएल लगभग 75: तक अपनी बचाव की स्थिति को बनाए रखता है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

जोखिम प्रबंधन अवसंरचना

- क) आईआईएफसीएल निदेशक मंडल के द्वारा विधिवत अनुमोदित समेकित जोखिम प्रबंधन संरचना के अनुसार जोखिम प्रबंधन पर काम करता है और इसके साथ साथ बोर्ड के द्वारा प्रति वर्ष अनुमोदित प्रबंधन एवं निवेश समिति भी आईआईएफसीएल की संसाधन एवं कोषागार नीति के तहत काम करता है। ये ढांचागत नीतियां दिशानिर्देशात्मक मानदंड उपलब्ध करता हैं, जिसके अनुसार आईआईएफसीएल मुद्रा जोखिम के प्रबंधन के लिए निर्णय लिए जाते हैं जोकि विदेशी मुद्रा ऋण खातों में अनावृत होते हैं।
- ख) इसके साथ ही आईआईएफसीएल ने बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति एवं बोर्ड स्तरीय आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एलको समिति) गठित की है जो कारोबारी प्रचालन के जोखिमों के प्रबंधन को मजबूती प्रदान करती है। एलको नकदी एवं ब्याज दर जोखिम की निगरानी करता है जिसमें आस्तियों की प्राप्तियां एवं कर्ज सेवा उत्तरदायित्व की दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक नकदी प्रोफाइल शामिल हैं। क्रास करेंसी (मुद्रा) विनिमय तथा मुद्रा विनिमय की बचाव देयताओं सहित व्युत्पन्नी लेनदेन भी शामिल हैं। ये व्युत्पन्नी लेन देन बचाव उद्देश्य से किए जाते हैं न कि व्यापारिक या प्रत्याशी उद्देश्य से किए जाते हैं।

अंतर्निहित जोखिमों के प्रकार

- ऋण जोखिम दृ ऋण जोखिम के अंतर्गत एक उधारकर्ता के ऋण की मात्रा में कमी के कारण पैदा होने वाली हानियों के साथ साथ यह जोखिम भी होते हैं जिसमें एक उधारकर्ता ऋण या एक अग्रिम के संविदात्मक पुनर्भुगतान में चूककर्ता हो सकता है। आईआईएफसीएल के पास एक समेकित जोखिम प्रबंधन संरचना है जो अवसंरचना ऋणदेयता में ऋण जोखिमों को प्रबंधित करती है।
- बाजार जोखिम दृ बाजार जोखिम वे जोखिम हैं जो लिखतों (प्रपत्र) या लिखतों (प्रपत्र) की पोर्टफोलियों के बाजार मूल्य (कीमतों) आई विपरीत परिस्थितियों के कारण हानि उठाते हैं। बाजार जोखिम में मुद्रा जोखिम तथा ब्याजदर जोखिम समाहित होता है। मुद्रा जोखिम तब पैदा होता है जब रुपये एवं विदेशी मुद्रा की विनिमय दरों में परिवर्तन / उतार चढ़ाव का लेखा पर कोई प्रभाव पड़ता है। ब्याजदर जोखिम अनाश्रयता मुख्यतः एक अवधि के दौरान ब्याज दरों में बदलाव के कारण होता है। आईआईएफसीएल अपनी कारोबारी गतिविधियों के कारण बाजार जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम का सामना करता है।
- नकदी जोखिम – नकदी जोखिम निधियों की जरूरतों एवं लेनदेन के तर्क संगत मूल्य पर उधार निधियों क्रियान्वयन की सांस्थानिक जरूरतों को पूरा न कर पाने की असफलता से होती है। यहां पर बाजारी नकदी जोखिम या निधि नकदी जोखिम हो सकता है। आईआईएफसीएल नकदी जोखिम से निपटने के लिए पर्याप्त नकदी एवं विपणनीय प्रतिभूतियों को प्रबंधित कर के और संयुक्त ऋण व्यवस्था की एक पर्याप्त राशि में माध्यम से निधि हेतु पहुंच बनाने के द्वारा जोखिम से निपटता है।
- प्रचालनात्मक जोखिम दृ प्रचालनात्मक जोखिम वह जोखिम है जो अपर्याप्त प्रणाली एवं नियंत्रण, सूचना प्रणाली की कमी, मानव गलतियों अथवा प्रबंधन की असफलता के परिणामस्वरूप उभरता है। आईआईएफसीएल की प्रचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति प्रचालनात्मक जोखिमों को प्रबंधित करने का प्रयास करती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
(i)	व्युत्पन्नियां (काल्पनिक मूल राशि)	7,97,874.82	7,97,874.82	7,66,452.61	7,66,452.61
	बचाव के लिए	7,89,874.82	7,89,874.82	7,58,452.61	7,58,452.61
(ii)	बाजार से बाजार स्थितियां (1)	97,273.13	97,273.13	90,604.03	90,604.03
	क. आस्ति (+)	103,978.37	103,978.37	1,03,933.61	1,03,933.61
	ख. देयताएं (-)	(6,705.24)	(6,705.24)	(13,329.57)	(13,329.57)
(iii)	ऋण अनाश्रयता (जोखिम)	-	-	-	-
(iv)	बिना बचाव अनाश्रयता (जोखिम)	5,48,426.66	5,48,426.66	3,90,656.58	3,90,656.58

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

24.4 प्रतिभूतिकरण से संबद्ध प्रतिभूतिकरण

आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण / कंपनी पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय आस्ति बिक्री के ब्यौरे:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	खातों की संख्या	-	1
(ii)	एससीआरसी हेतु बेचे गए खातों का समस्त मूल्य (प्रावधानों का)	-	38,680.31
(iii)	समस्त प्रतिफल	-	54,678.70
(iv)	शुरुआती वर्षों में स्थानांतरित खातों के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त प्रतिफल को वास्तविकीकरण	-	-
(v)	निबल बही मूल्य पर समस्त (हानि)/लाभ	-	(132.71)

24.5 बेंची गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	बेंचे गए खातों की संख्या	-	1
(ii)	समस्त बकाया (देनदारी)	-	46,364.09
(iii)	समस्त प्रतिफल प्राप्त	-	54,678.70

24.6 आस्ति देयता प्रबंधन

यथा 31 मार्च 2019 पर कुछ खास मदों की आस्ति एवं देयताओं की परिपक्वता का प्रतिमान :

(₹ लाख में)

विवरण	1 माह तक	1 माह से अधिक व 2 माह तक	दो माह से अधिक व 3 माह तक	3 माह से अधिक व 6 माह तक	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
देयताएं									
बैंकों से उधारियां	87,234.94	-	-	-	-	292,594.60	351,390.20	644,676.52	13,75,896.26
बाजार से उधारियां	-	-	-	-	-	5,388.11	409,660.74	1,439,336.50	1,854,385.35
आस्तियां									
वित्तीय गतिविधियों के तहत प्राप्य	35,651.23	26,328.99	70,026.01	207,075.19	277,375.83	1,376,632.19	1,151,077.54	3,982,625.04	7,126,792.03
निवेश	3,101.90	-	11,355.31	18,858.95	301,876.45	72,102.84	76,699.47	604,183.13	1,088,178.05
विदेशी मुद्रा आस्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा देयताएं	3,291.17	-	16,640.71	6,477.35	26,852.85	128,859.86	143,420.39	1,027,480.86	1,353,023.19

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

यथा 31 मार्च 2018 पर कुछ खास मदों की आस्ति एवं देयताओं की परिपक्वता का प

(₹ लाख में)

विवरण	1 माह तक	1 माह से अधिक व 2 माह तक	दो माह से अधिक व 3 माह तक	3 माह से अधिक व 6 माह तक	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
देयताएं									
बैंकों से उधारियां	1,74,390.86				1,62,610		4,55,309	7,48,007	15,40,316.96
बाजार से उधारियां	-	-	-	-	-	5,388.11	1,64,306.29	16,84,693.87	18,54,388.27
आस्तियां									
वित्तीय गतिविधियों के तहत प्राप्य	68,584.20	6,318.89	60,670.62	115,513.11	238,504.33	8,524,159.02	1,122,968.46	4,421,893.12	14,558,611.76
निवेश	58759	54,191.00	30,254.00	1,87,050.00	7,89,731.00	1,05,00.00	-	43,743.00	11,63,728.00
विदेशी मुद्रा आस्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा देयताएं	3,094.80	-	15,384.05	5,797.37	24,662.22	1,11,561.64	1,23,584.60	9,64,232.38	12,48,317.06

24.7 अनाश्रयता (जोखिम)

24.7.1 रीयल इस्टेट सेक्टर में अनाश्रयता (जोखिम)

यथा 31 मार्च, 2019 पर कंपनी का रीयल इस्टेट सेक्टर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनाश्रयता (इक्सपोजर) नहीं है (पूर्व वर्ष में भी शून्य है)।

24.7.2 पूंजी बाजार हेतु इक्सपोजर :

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	इक्विटी शेयरों, बंधपत्रों, संपरिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका मूल निधि का कार्पोरेट ऋण में अन्य रूप से निवेश नहीं किया जाता	-	-
(ii)	शेयरों (आईपीओ / इएसपीओ सहित), संपरिवर्तनीय बंध पत्रों, संपरिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों / बंधपत्रों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अथवा निर्बंध आधार पर अग्रिम दिया जाता है	-	-
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम, जहां शेयर या संपरिवर्तनीय बंधपत्रों अथवा संपरिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिटों में प्राथमिक प्रतिभूति के तौर पर लिया गया है	-	-
(iv)	शेयरों या संपरिवर्तनीय बंध पत्रों अथवा संपरिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों या संपरिवर्तनीय बंध पत्रों अथवा शेयरों / संपरिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिटों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह कवर करती है	-	-

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

(v)	स्टॉक धारकों एवं बाजार निर्माताओं की ओर से जारी स्टॉक ब्रोकरों व गारंटियों के प्रति प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम	—	—
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों कंपनी की इक्विटी में प्रवर्तकों का अंशदान पूरा करने के लिए शेयरों/बंधपत्रों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अथवा निर्बंध आधार पर कार्पोरेट को संस्वीकृत ऋण		
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह मुद्दों के खिलाफ कंपनियों का कुल ऋण	—	—
(viii)	उद्यम पूंजी निधियों के प्रति सभी निवेश (पंजीकृत एवं अपंजीकृत, दोनों)	1,674.87	1,674.87

24.8 अतिरिक्त प्रकटीकरण रू प्रावधानों एवं आकस्मिकताएं

(₹ लाख में)

क्र.सं.	लाम— हानि विवरण में दर्शाए गए प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग— अलग विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए*
(i)	एनपीए के प्रति प्रावधान	515,490.73	406,674.22
(ii)	आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	25,032.40	14,785.05
(iii)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (पुनर्चित खातों एवं एसडीआर खातों सहित)	131,452.66	1,65,238.34

*इंड एस के अनुसार पुनर्वर्णित

24.9 अग्रिम निवेश एवं एन.पी.ए का संकेन्द्रण:

(i) अग्रिमों का संकेन्द्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	19,74,945.99	24,51,626.46
एनबीएफसी के कुल अग्रिमों के प्रति बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	41.86%	54.17%

(ii) इक्सपोजर का संकेन्द्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	19,74,945.99	24,51,626.46
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों पर एनबीएफसी के कुल इक्सपोजर के प्रति बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के इक्सपोजर का प्रतिशत	41.86%	54.17%

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

(iii) एन पी ए का संक्रेन्दण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
शीर्ष चार खातों का कुल इक्सपोजर	3,05,122.74	3,60,751.66

(iv) क्षेत्रवार— एनपीए

(₹ लाख में)

क्र.सं.	क्षेत्र	% of NPAs to Total Advances in that sector	
		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
1	कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	-	-
2	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME		--
3	कार्पोरेट उधारकर्ता	23.28%	18.10%
4	सेवाएं	-	-
5	अप्रतिभूत व्यक्तिगत ऋण	-	-
6	आटो(वाहन) ऋण	-	-
7	अन्य व्यक्तिगत ऋण	-	-

(v) एन पी ए में उतार-चढ़ाव :

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए*
(i)	निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)	12.33%	10.13%*
(ii)	एनपीए में उतार-चढ़ाव (सकल)		
	(क) प्राथमिक शेष	792,184.18	2,94,529.90
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,93,042.21	6,93,893.92
	(ग) वर्ष के दौरान कटौतियां/बड़े खाते में डालना	89,065.37	1,96,329.64
	(घ) अधिशेष	1,096,161.02	7,92,184.18
(iii)	निवल एनपीए में उतार-चढ़ाव		
	(क) प्राथमिक शेष	348,692.89	202,597.95*
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	251,784.18	484,678.98
	(ग) वर्ष के दौरान कटौतियां	19,806.78	156,626.63*
	(घ) अधिशेष	580,670.29	348,692.89*
(iv)	एनपीए के प्रावधानों में उतार-चढ़ाव(मानक आस्तियों के प्रावधान छोड़कर)		
	(क) प्राथमिक शेष 443,491.29	91,931.95*	
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	141,258.03	209,214.94*
	(ग) बड़े खाते में डालना प्रावधानों का प्रतिलेखन	69,258.59	39,703.01*
	(घ) अधिशेष	515,490.73	443,491.29*

*भारतीय लेखांकन मानकों (Ind-AS) के अनुसार पुनर्वर्णित

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

24.10 ग्राहक शिकायतें

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	584	550
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	584	550
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0

24.11 अतिरिक्त प्रकटीकरण (विगोपन)

क्र.सं.	प्रकटीकरण (विगोपन)	टिप्पणी
(i)	अन्य वित्तीय नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लायसेंस /प्राधिकार पत्र	कार्पोरेट मामले मंत्रालय से प्राप्त पहचान सं. U67190DL2006GOI144520
(ii)	वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट रेटिंग एवं रेटिंगों का स्थानांतरण	कंपनी के द्वारा जारी घरेलू बांडों के लिए विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट एएए स्टेबल वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एस एस एंड बीबीबी- है। चालू वर्ष 2018-19 के दौरान रेटिंग में कोई स्थानांतरण नहीं हुआ।
(iii)	किसी नियामक के द्वारा लगाया गया जुर्माना, यदि कोई हो	शून्य
(iv)	सूचना अर्थात क्षेत्र, देश और साझेदार संयुक्त उद्यम	
	(क) संयुक्त उद्यम	कोई नहीं
	(ख) विदेशी सहायक कंपनियां	आईआईएफसी(यूके) लिमिटेड, जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है जो लंदन(यूके) से प्रचालन करती है और भारत में अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त पोषण करती है।

24.12 पुनर्चित खातों का प्रकटीकरण (विगोपन)

क्र. सं.	पुनर्वचना का प्रकार	सीडीआर तंत्र के तहत	एसएमई कर्ज पुनर्वचना तंत्र के तहत	अन्य (₹ लाख में)						कुल (₹ लाख में)						
				आरित वर्गीकरण												
				मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल			
1	यथा 01.04.2018 पर पुनर्वचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	-	5	11	8	-	24	5	11	8	-	24	-	24	
		बकाया राशि	-	75,675.47	119,635.17	59,990.11	-	255,300.75	75,675.47	119,635.17	59,990.11	-	255,300.75	-	255,300.75	
		तत्संबंधी प्रावधान	-	3,783.78	12,776.02	55,256.54	-	71,816.34	3,783.78	12,776.02	55,256.54	-	71,816.34	-	71,816.34	
2	वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान नई पुनर्वचनाएं	उधारकर्ताओं की संख्या		1	9	20	-	30	1	9	20	-	30	-	30	
		बकाया राशि		4851729357.36	1162,253.54	151,739.69	-	852043350.55	4851729357.36	1162,253.54	151,739.69	-	852043350.55	-	852043350.55	
		तत्संबंधी प्रावधान		242586467.87	6,225.35	19,214.38	-	42611907.6	242586467.87	6,225.35	19,214.38	-	42611907.6	-	42611907.6	
3	वित्त वर्ष 2018-19 पुनर्वचना का मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या														
		बकाया राशि														
		तत्संबंधी प्रावधान														
4	ऐसे पुनर्वचित मानक अग्रिम जिनका वित्तीय वर्ष के अंत में उच्चतर प्रावधानीकरण पूर्व/अथवा अतिरिक्त जोखिम भारित होना खत्म हो गया हो, इसलिए अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 के आरम्भ में पुनर्वचित मानक अग्रिमों के तौर पर दर्शाए जाने की आवश्यकता न हो।	उधारकर्ताओं की संख्या														
		बकाया राशि														
		तत्संबंधी प्रावधान														

क्र. सं.	पुनर्वचना का प्रकार	सीडीआर तंत्र के तहत	एसएमई कर्ज पुनर्वचना तंत्र के तहत	अन्य (₹ लाख में)					कुल (₹ लाख में)				
				मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
5	आस्ति वर्गीकरण विवरण वित्त वर्ष 2018-19 में पुनर्संचित खातों की श्रेणी में गिरावट	कुल	कुल										कुल
				-	19				-	19	-		
		बकाया राशि		-	1,31,749.69				-	1,31,749.69	-		
		तत्संबंधी प्रावधान		-	18,004.94				-	18,004.94	-		
6	वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्संचित खातों को बड़े खातों में डालना	कुल	कुल										कुल
		बकाया राशि											
		तत्संबंधी प्रावधान											
7	यथा 31.03.2019 पर पुनर्संचित खाते (अंतिम आंकड़े)	कुल	कुल	6	1	28		35	6	1	28		35
				4851805032.83	1,50,139.02	2,11,729.80		4852166901.65	4851805032.83	1,50,139.02	2,11,729.80		4852166901.65
		बकाया राशि											
		तत्संबंधी प्रावधान		242590251.65	996.43	74,470.92		242665719	242590251.65	996.43	74,470.92		242665719

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

24.13 विदेश में स्थित आस्तियां (विदेशों में संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों के लिए)

संयुक्त उद्यम/ सहायक कंपनी के नाम	संयुक्त उद्यम में अन्य साझेदार	देश	कुल आस्तियां (राशि यूएस(+) डालर में)
IIFC (UK) लि.	कोई नहीं	यूनाइटेड किंगडम	आईआईएफसीएल के पास IIFC (UK) की कोई विदेशी परिसंपत्ति नहीं है।

25. पूंजी प्रबंधन:

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति हेतु भारतीय मानक लेखांकन 1 के पैरा 134-136 की आवश्यकता के अनुसार पूंजी प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में प्रकटीकरण का संदर्भ है। यह उल्लिखित है कि आईआईएफसीएल एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी- इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, अतः आईआईएफसीएल को पूंजी अनुरक्षित रखने की आवश्यकता है जिसे भा.रि.बैंक के विनियमन के अनुसार स्वाधिकृत निधियों के रूप में संदर्भित किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अनुसार- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी दैनिक रूप से महत्वपूर्ण है कि गैर- जमा लेनेवाली कंपनी है और जमा लेनेवाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश 2016 के अनुसार स्वाधिकृत निधि का तात्पर्य चुकता इक्विटी कैपिटल, शेयर को प्राथमिकता देती है, जोकि अनिवार्य रूप से इक्विटी, मुक्त आरक्षितियों, शेयर प्रीमियम खातों में शेष तथा आस्तियों की बिक्री प्रक्रिया में अधिशेष पूंजी आरक्षित का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें आस्तियों के मूल्यांकन निर्मित आरक्षित शामिल नहीं है, जैसा संचित हानि शेष की कमी, अमूर्त आस्तियों के बही मूल्य तथा आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई है, के द्वारा अधिशेष हैं।

भारत सरकार समय समय पर आईआईएफसीएल में पूंजी डालती रहती है। यह आईआईएफसीएल को भा.रि. बैंक के द्वारा अनुपूर्णी आवश्यकता का अनुपालन करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल पूंजी अर्थात निवल स्वाधिकृत निधियों जो भारत सरकार की शर्तों के अनुसार लाभांश के वितरण को खाते में प्रभाव प्रभाव के रूप में देखता है। इसके द्वारा रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान उद्देश्यों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं अर्थात पूंजी प्रबंधन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

26. वित्त मंत्रालय के निवेश एवं जन आरित प्रबंधन विभाग (DIPAM) के कार्यालय ज्ञापन सं. F- No- 5/1/2016-नीति – दिनांकित 27 मई 2016 में “सीपीएसईज की पूंजी रिस्ट्रक्चरिंग पर दिशानिर्देश” जारी किए गए थे। यह दिशा निर्देश लाभांश के भुगतान, बोनस शेयरों के निर्गम, शेयरों की खरीद वापसी तथा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों के विखंडन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इस दिशा निर्देश के अनुसार आईआईएफसीएल पर बोनस शेयरों के निर्गम, शेयरों की खरीद वापसी लागू नहीं होते हैं। दिशा निर्देश के अनुसार लाभांश के भुगतान हेतु आईआईएफसीएल के लिए जरूरी था कि अपनी पैट(PAT) का न्यूनतम वार्षिक लाभांश का 30: या अपनी निवल संपदा का 5: भुगतान करे, वशर्त कि इसमें जो भी उच्चतम हो जोकि विद्यमान कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत हो। हालांकि, आईआईएफसीएल ने 14 जनवरी, 2016 को भारत सरकार से लाभांश के भुगतान के लिए 3 साल की छूट का अनुरोध किया जो कि वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ₹36,323.41 लाख रु. , वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 37,119.74 रुपये और 2017-18 ₹ 31,995.93 लाख : तथा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 23,442.79 लाख रुपये था। आईआईएफसीएल के पत्रका जवाब प्रतीक्षित है।

27. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षक ने निम्नांकित संकेत दिए हैं:

क) कंपनी ऋण आस्तियों पर आधारित भा.रि.बैंक के द्वारा जारी आईआरएसी विवेकसम्मत सिद्धांतों के अनुसार प्रावधानों को निर्मित कर रही है और आईसीएआई के द्वारा जारी “आय करों” के भारतीय लेखांकन मानक 12 के नियमों अनुसार निवल मूल्य को कर व्ययों के बाद परिकलित किए हैं। जो बताती है कि यदि इसमें किसी कारणवश किसी भी मद में कर देयता खाते में कोई अस्थायी वैभिन्नता है तो इसके प्रभावों पर विचार किया जाए। उपरोक्त तथ्य की दृष्टि से अनुवर्ती वर्षों के बढ़ा खाते अनुमत किए गए प्रावधानों का अंग है, यही एक अस्थायी भिन्नता देते हैं। आगामी अवधि के दौरान ऐसी आस्थगित आरित कर देयता के अस्थायी भिन्नताओं को भारतीय लेखांकन मानक 12 के अनुसार आगे बढ़ाए जा सकते हैं। हमारी राय में कुछ प्रतिशत बढ़े खाते में डालने, आस्थगित कर आस्तियों के लिए निर्मित किए जाने की जरूरत है। इस प्रकार इसके प्रभाव को निर्धारित करने की जरूरत है। उपरोक्त को देखते हुए हम उपरोक्त के प्रभाव को लाभ एवं हानि तथा आरक्षितों की विवरणी में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

आईआईएफसीएल का मत है कि ऋण आरित तथा हानि आरित के प्रतिलेखन के प्रावधान दो अलग अलग मदें हैं। और ऋण आस्तियों में प्रावधानों का सृजन और वापसी अस्वीकार्य है, क्योंकि व्ययधाय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 के तहत आते हैं। इसलिए लेखांकन मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों के सृजन के उद्देश्य के लिए कोई समय अंतर नहीं है। तदनुसार, आईआईएफसीएल को कोई अमूर्त आरित अर्थात् आस्थगित कर आरित(DTA) का सृजन करने की आवश्यकता नहीं है।

#आईआईएफसीएल के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा- परीक्षा का कार्यालय, सदस्य लेखा- परीक्षा ।।। नई दिल्ली प्रेक्षकों के संबंध में वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक लेखा परीक्षा करते समय आधोपात में दिए गए आशवासनधुत्तर देते समय प्रकटी करण प्रिंट करते समय अद्यतित किए गए हैं।

इस मामले में अपने विचारों को पुनरु प्रवर्तित करने के क्रम में, आईआईएफसीएल ने अपने दिनांक 24 नवंबर 2017 के पत्र के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण आस्तियों के प्रावधान के संबंध में आस्थगित कर आस्ति के सृजन के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 5 फरवरी, 2018 के अपने ईमेल के माध्यम से आईआईएफसीएल को इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान(ICAI) से संपर्क स्थापित करने की सलाह दी थी।

भारतीय रिजर्व बैंक के उत्तर के अनुसरण में आईआईएफसीएल ने दिनांक 19 मार्च, 2018 को अपने पत्र के माध्यम से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान(ICAI) से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया था कि क्या आईआईएफसीएल को ऋण आस्तियों के प्रावधान के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्ति(आस्ति) सृजित करने की आवश्यकता है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (EAC) ने दिनांक 11 मई, 2018 के अपने पत्र के माध्यम से आईआईएफसीएल को यह सूचित किया कि आपके द्वारा उठाया गया प्रश्न एबीएफसी के लिए एक सामान्य मुद्दा है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (EAC) का गठन ऐसे विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किया गया है। यह सूचित किया जाता है कि सामान्य लेखांकन मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) के द्वारा दिया जाता है।

तदनुसार, आईआईएफसीएल ने दिनांक 20 जून, 2018 को अपने पत्र के माध्यम से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) के लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया था कि आईआईएफसीएल को ऋण आस्तियों के प्रावधान के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्ति सृजन करने की आवश्यकता है। लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) ने दिनांक 24 अगस्त, 2018 को आईआईएफसीएल को अपनी ई-मेल से सूचित किया कि खाता बहियों में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के पूर्ववर्तियों को वास्तव में बड़े खाते में डालने का प्रावधान करे और एक समय अवधि के भीतर प्रावधानों एवं बड़े खाते के संपाक के लिए करें के उद्देश्य से कटौती की अनुमति दी जाए। यदि करें की कटौती के उद्देश्य से प्रावधान अनुमति देता है और यह प्रावधान से कम है तो आस्थगित कर आस्तियों एवं खातों के लिए जरूरी है कि ऋण आस्ति के लिए प्रावधान निर्मित किया जाए। हालांकि आईआईएफसीएल ने अपने दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 के पत्र के माध्यम से लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) से ऋण आस्तियों पर आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) के अ-निर्माण के लिए विवेक सम्मत मानदंड स्थापित करने पर विचार करने को आग्रह किया गया है। आईआईएफसीएल को अपने इस पत्र का जवाब अपेक्षित है।

28. आईआईएफसीएल ने पी एफ सी (शीर्ष ऋणदाता) और आर ई सी के सहयोग से इंड बराथ पावर(मद्रास) लिमिटेड(आईबीपीएमएल) को तूतीकोरन, तमिलनाडु स्थित कोयला आधारित 1• 660 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना के लिए आंशिक निधीयन प्रदान किया। आईआईएफसीएल ने 250 करोड़ रुपये का आरटीएल स्वीकृत किया तथा एक्सिस बैंक के साथ टीआरए खाते में 89.24 करोड़ रुपये का संवितरण किया। उधारकर्ता द्वारा टीआरए से निधियों का विचलन किया गया। सहायता संघ ने ऋण वापस मांग लिया और ई ओ डब्ल्यू दिल्ली पुलिस के समक्ष दिनांक 8 फरवरी, 2018 को एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई जोकि अन्वेषणाधीन है। दिनांक 22 मार्च, 2018 को आयोजित बैठक में खातों के विकास के बारे में आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल को सूचित किया गया और दिनांक 28 मार्च, 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी की घटना के बारे में सूचित किया गया।

29. इसके अतिरिक्त:

- 1) नीति सं. 1(1)(6.2(1)(क)) के अनुपालन में अग्रिम शुल्क, प्रक्रिया शुल्क या कोई भी अन्य शुल्क सीधे ऋण आस्तियों पर आरोप्य हों वे कुल आय का 0.5: से अधिक नहीं है और आरंभ में लाभ एवं हानि की विवरणी में उपचय आधार पर पहचानी गई थीं।
- 2) # भारत सरकार ने अपने दिनांक 09 फरवरी, 2012 के पत्र से आईआईएफसीएल को सूचित किया था कि यह निर्णय लिया जा चुका है कि दिल्ली— मुंबई इंडस्ट्रियल कारीडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (कडब्लू) की इक्विटी के 41: परिमाण विस्तार को आईआईएफसीएल के द्वारा जुटाया जाएगा, ऐसा होते हुए भी आईआईएफसीएल का सिफटी (ः) स्कीम के अनुसार विकासक्षम अवसरचना परियोजनाओं, जो कि आईआईएफसीएल अपनी गतिविधियों के अंतर्गत आगे बढ़ाती है, आईआईएफसीएल को इक्विटी शेयर जुटाने के लिए आज्ञापत्र नहीं दिया गया।

30. भारतीय लेखांकन मानक (IndAS 101) का पहली बार अधिग्रहण:

ये कंपनी के पहले वित्तीय विवरणियां हैं जो भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार तैयार किए गए हैं। पहली बार अधिग्रहीत किए गए भारतीय लेखांकन मानकों को इक्विटी, कुल व्यापक आय तथा पहले की अवधि के नकद प्रवाह आदि को समन्वय करने हेतु एक संस्था की आवश्यकता होती है। निम्नांकित तालिकाएं भारतीय लेखांकन मानक हेतु पूर्व गैप (GAAP) से मिलान का प्रतिनिधित्व करती हैं।

#डीएमआईसीडीसी में निवेश के बारे में प्रकटीकरण का अद्यतन प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा का कार्यालय, सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड III, नई दिल्ली द्वारा फेज ३ के अर्धोपांत में दिए गए लेखा परीक्षा प्रेक्षणों के संबंध में आईआईएफसीएल के वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखा परीक्षा करते समय आश्वासन प्रतिक्रिया देते हुए प्रिंट करते समय अद्यतन किया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

समेकित इक्विटी का मिलान:

(₹ लाख में)

विवरण	31 st मार्च 2018	1 st अप्रैल 2017
कुल इक्विटी (खाताधारकों की निधि) पूर्ववती गैप (GAAP) के अनुसार	676,689.72	808,395.09
समायोजन		
निवेश का उचित मूल्यांकन	6,596.27	5,014.35
कर्मचारी ऋणों का उचित मूल्यांकन	-	-
अपेक्षित ऋण हानि (ECL)	(249,128.03)	(193,745.13)
प्रतिभूति जमाओं का उचित मूल्यांकन	-	-
कर समायोजन	(761.04)	(578.83)
भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कुल इक्विटी	433,396.92	619,085.48

समेकित कुल व्यापक आय का मिलान :

(₹ लाख में)

विवरण	31 st मार्च 2018
पूर्ववती गैप (GAAP) के अनुसार कर पश्चात लाभ	(145,441.36)
समायोजन	
निवेश का उचित मूल्यांकन	1,582.77
अपेक्षित ऋण हानि (ECL)	(55,238.64)
कर समायोजन	(213.86)
भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कर पश्चात लाभ	(198,883.37)

31 मार्च, 2018 पर समाप्त वर्ष के लिए भारतीय मानक के अपनाने पर नकदी प्रवाह के समेकित विवरणी पर प्रभाव

(₹ लाख में)

विवरण	IGAAP	समायोजन	IND AS
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी	(76,992.30)	-	(76,992.30)
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी	(5,462.73)	-	(5,462.73)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी	93,183.33	-	93,183.33
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल गिरावट	1,445.59	-	1,445.59
यथा 01 अप्रैल 2017 पर नकद एवं नकद समतुल्य	1,622.31	-	1,622.31
यथा 31 मार्च 2018 पर नकद एवं नकद समतुल्य	3,067.89	-	3,067.89

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

31. मानकों का प्रकटीकरण जारी किया गया, लेकिन 31 मार्च, 2019 पर (भारतीय लेखांकन मानक 8) प्रभावी नहीं:

- भारतीय लेखांकन मानक 12 दृआय कर हेतु संशोधन

भारतीय लेखांकन मानक 12 हेतु एमसीए ने परिशिष्ट ग में अधिसूचित किया है, जिसमें 1 अप्रैल, 2019 से आयकर के प्रतिपादन में उपयोजिता अनिश्चित है। यह आयकर के व्यावहारिक प्रतिपादन की अनिश्चिताता को बताता है, जो कर योग्य लाभ हानि के निर्धारण के निष्पादन में लागू होता है। भारतीय लेखांकन मानक 12 में संशोधन यह स्पष्टीकरण भी मिलता है कि लाभ या हानि के लाभांश, ओसीआई या इक्विटी की पहचान/मान्यता के लिए मूलतः आयकर दुष्परिणामों को मानता है। भारतीय लेखांकन मानक 8 के अनुसार समायोजन पूर्वव्यापी होगा या संयची पकड़वाला उपागम होगा।

- भारतीय लेखांकन मानक 19 दृ कर्मचारी लाभ हेतु संशोधन

30 मार्च, 2019 को एमसीए ने भारतीय लेखांकन मानक 19 कर्मचारी लाभ के संशोधन के लिए अधिसूचित किया कि शेष अवधि के लिए एक नियोजित, काट छांट या निपटान हेतु संशोधन में निवल ब्याज के रूप में पूर्व सेवाओं के निर्धारण हेतु अद्यतित अनुमान के उपयोग की जरूरत है

कंपनी ने उपरोक्त बदलवों के प्रभावों को मूल्यांकन एवं परीक्षित करने की प्रक्रिया हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों को देखेगी और मानकों एवं संशोधन की प्रभावी तिथि का अनुपालन करेगी। हालांकि, इसमें कोई तात्त्विक प्रभाव दृष्टिगत नहीं हुआ है।

32. भारत की कर दरों (भारतीय लेखांकन मानक 12) के द्वारा कर व्ययों का मिलान तथा लेखांकन लाभ गुणित :

(₹ लाख में)

विवरण	31 st मार्च 2019	31 st मार्च 2018
करों से पूर्व लाभ	(17,837.67)	(1,83,755.46)
सांविधिक आय कर दर	34.944%	34.608%
प्रत्याशित आय कर व्यय	(6,233.20)	(63,594.09)
आयकर समायोजन का कर प्रभाव :		
आयकर अधिनियम की धारा 36(1) कटौती का लाभ	(6,375.70)	(8,206.62)
निवल प्रावधान अस्वीकृत (ऋण)	25,903.13	42,827.01
अन्य गैर- कटौती योग्य कर व्यय	12,920.38	40,990.15
पूर्व वर्ष का आयकर	(5,158.36)	0.10
आस्थगित/विलंबित कर	3,976.15	2,768.50
कर व्यय	25,032.40	14,785.05

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

33. परिशोधित लागत/उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियों एवं देयताओं का उचित मूल्य मापांकन अनुक्रम

क. उचित मूल्य अनुक्रम

स्तर 1— समरूप आस्तियों एवं देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)

स्तर 2 — स्तर 1 में समाहित उद्धृत मूल्य के अलावा इनपुट(निवेशा) जो कि आस्ति एवं देयताओं के लिए पालनीय है फिर चाहे वे प्रत्यक्ष (जैसे कि कीमतें) अथवा अप्रत्यक्ष(जैसे कि मूल्यों से व्युत्पन्न) हों।

स्तर 3 — आस्ति एवं देयताओं के लिए जोकि पालनीय बाजारी डाटा पर आधारित है(अपालनीय इनपुट)

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2019		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय आस्ति :			
परिशोधित लागत	-	-	5,553,744.85
एफवीटीपीएल	-	79,843.20	108,845.20
वित्तीय देयताएं:			
परिशोधित लागत	18,54,385.35	-	28,12,669.89

विवरण	31.03.2018		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय आस्ति :			
परिशोधित लागत	1,10,834.58	-	5,465,799.66
एफवीटीपीएल	-	88,110.35	96,035.59
वित्तीय देयताएं:			
परिशोधित लागत	1,854,388.27	-	28,63,477.02

विवरण	01.04.2017		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय आस्ति :			
परिशोधित लागत	1,10,861.04		5,422,131.66
एफवीटीपीएल	-	39,373.46	103,367.79
वित्तीय देयताएं:			
परिशोधित लागत	18,54,898.32	-	27,80,570.25

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

ख वित्तीय आस्तियों एवं देयताओं का उचित मूल्य, जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा गया है:

विवरण	31.03.2019		31.03.2018		01.04.2017	
	वहनीय मूल्य	उचित मूल्य	वहनीय मूल्य	उचित मूल्य	वहनीय मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय आस्तियां	5,553,744.85	5,553,744.85	5,576,634.24	5,576,634.24	5,532,992.70	5,532,992.70
वित्तीय देयताएं	4,667,055.24	4,667,055.24	47,17,865.29	47,17,865.29	46,35,468.37	46,35,468.37

34. Detail of Stage wise Exposure and Impairment Loss

(₹ लाख में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
यथा 1 अप्रैल 2017 पर				
कुल व्यय	3,509,081.26	465,562.46	589,844.73	4,564,488.45
क्षति भत्ता	28,456.24	89,357.89	225,654.65	343,468.78
इसीएल%	0.81%	19.19%	38.26%	7.52%
यथा 31 मार्च 2018 पर				
कुल व्यय	2,915,707.69	593,002.46	868,771.12	4,377,481.27
क्षति भत्ता	36,273.86	110,668.63	417,723.70	564,666.19
इसीएल%	1.24%	18.66%	48.08%	12.90%
यथा 31 मार्च 2019 पर				
कुल व्यय	3,177,379.25	375,814.12	1,120,339.33	4,673,532.71
क्षति भत्ता	35,792.71	92,594.04	511,014.23	639,400.98
इसीएल%	1.13%	24.64%	45.61%	13.68%

• वित्तीय विवरणों में नोट 16 में प्रतिबिंबित कुल प्रावधानों में अंतराल है जो कि ऋण आस्ति में अतिरिक्त प्रावधान के कारण है, न कि वित्तीय लिखतों में भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार परिकलित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (म्ब) के हिस्से के रूप में है।

35. जहां पर आवश्यक समझा गया है वहां पर पूर्व वर्ष के अंकों को पुनर्समूहित किया जा चुका है।

हमारी समतारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीएसए एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म की पंजीकरण सं: 000257N)

—ह—
सुनील अग्रवाल
(साझीदार)
(सदस्यता सं. 083899)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.08.2019

—ह—
कुमार विनय प्रताप
(निदेशक)
(डीआईएन सं: 07606296)

—ह—
मंजरी मिश्रा
(स.प्र. एवं कंपनी सचिव)

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

—ह—
पंकज जैन
(प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन सं: 00675922)

—ह—
राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक—सीएफओ)

आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड के प्रकटीकरण के समायोजन करने की तिथि जब अद्यतित की गई, जब प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा का कार्यालय, सदस्य लेखा-परीक्षा बोर्ड—III, नई दिल्ली द्वारा, चरण—III के आधोपांत में दिये गए लेखा-परीक्षा प्रेक्षणों के संबंध में, आईआईएफसीएल के वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखों की लेखा-परीक्षा करते समय, आश्वासन/उत्तर देते हुए, प्रिंट करते समय अद्यतन की गई है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

फॉर्म एओसी- I

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु सहायक सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण
“क”: सहायक कंपनियां

(रुपय लाख में/अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	विवरण	I	II	III	
1	सहायक कंपनी का नाम	IIFCL प्रोजेक्ट्स लि.	IIFCL एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड	
				भारतीय रुपया	यूएसडी
2	तारीख जबसे सहायक कंपनी को अधिग्रहित किया गया	14-Feb-2012	28-Mar-2012	07-Feb-2008	
3	सम्बद्ध सहायक कंपनी की प्रतिवेदन अवधि, यदि नियंत्रक कंपनी की प्रतिवेदन अवधि से भिन्न हो तो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	विदेशी सहायक कंपनियों के मामलों में सम्बद्ध वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को प्रतिवेदन मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं	यूएसडी (31 मार्च, 2019 को विनिमय दर: 1 यूएसडी= ₹69.1713)	
5	शेयर पूंजी	475.00	1,250.00	23,394.80	50.00
6	आरक्षित एवं अधिशेष	1,016.27	1,001.25	(80,554.39)	(123.90)
7	कुल आस्तियां	1,680.25	2,462.51	14,65,179.75	1,812.29
8	कुल देयताएँ	188.98	211.25	1,522,910.67	1,886.18
9	निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
10	टर्नओवर	830.52	829.95	60,278.90	85.33
11	कर पूर्व लाभ	280.72	447.75	(58,954.81)	(84.97)
12	कर के लिए प्रावधान	(102.75)	(108.15)	5,324.51	7.70
13	कर उपरांत लाभ	208.82	335.42	(53,630.30)	(77.27)
14	प्रस्तावित लाभांश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
15	शेयरधारिता का %	100%	100%	100%	

टिप्पणी:

1. सहायक कंपनियाँ जिन्हें अभी भी काम शुरू करना है – शून्य
2. सहायक कंपनियाँ जिन्हें वर्ष के दौरान बंद कर दिया गया या बेच दिया गया – शून्य
- #3. भारतीय रुपए में परिवर्तन से पूर्व आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड के वित्त में गैर-वित्तीय देयताओं में निवेश आस्तियों पर प्रावधान के प्रकटीकरण हेतु समायोजन।

भाग “ख”: सहयोगी कंपनियाँ एवं संयुक्त उद्यम
लागू नहीं

हमारी समतारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीएसए एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म की पंजीकरण सं: 000257N)

—ह—
सुनील अग्रवाल
(साझीदार)
(सदस्यता सं. 083899)

—ह—
कुमार विनय प्रताप
(निदेशक)
(डीआईएन सं: 07606296)

—ह—
पंकज जैन
(प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन सं: 00675922)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.08.2019

—ह—
मंजरी मिश्रा
(स.म.प्र एवं कंपनी सचिव)

—ह—
राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड के प्रकटीकरण के समायोजन करने की तिथि जब अद्यतित की गई, जब प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा का कार्यालय, सदस्य लेखा-परीक्षा बोर्ड-III, नई दिल्ली द्वारा, चरण-III के आधोपांत में दिये गए लेखा-परीक्षा प्रेक्षणों के संबंध में, आईआईएफसीएल के वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखों की लेखा-परीक्षा करते समय, आश्वासन/उत्तर देते हुए, प्रिंट करते समय अद्यतन की गई है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के साथ पठित धारा 129 (4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

यह इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन का दायित्व है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रीपोर्टिंग ढांचे के अनुसार, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करे। अधिनियम की धारा (139(5) और साथ पढ़ी जाने वाली धारा 129(4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक का यह दायित्व है कि वह अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निहित लेखांकन के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षण के आधार पर अधिनियम की धारा 143 और धारा 129(4) के तहत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय जाहिर करे। यह कार्य उनकी दिनांक 10.08.2019 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के तहत, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की एक अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की अनुपूरक लेखा परीक्षा की, लेकिन आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की। इसके अतिरिक्त, विदेश में सम्बद्ध कानूनों के तहत निगमित इकाई होने के नाते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड के वैधानिक लेखापरीक्षण की नियुक्ति और अनुपूरक लेखा परीक्षण के लिए अधिनियम की धारा 139(5) और धारा 143(6)(क) इस कंपनी पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने न तो इन कंपनियों के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया और न ही अनुपूरक लेखा परीक्षा की। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षक के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह वैधानिक लेखा मुख्य रूप से परीक्षक और कंपनी के कर्मचारियों के अन्वेषण और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों के चुनिन्दा परीक्षण तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गई अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों, जो मेरे ध्यान आए और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है, पर प्रकाश डालना चाहता हूँ।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की ओर से

ह/-
(राजदीप सिंह)

प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य,
लेखा परीक्षा बोर्ड-III, नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26.09.2019

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन : U67190DL2006GOI55420

पंजीकृत कार्यालय : 5वीं मंजिल, ब्लॉक-2, प्लेट ए एण्ड बी, एनबीसीसी टॉवर
ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

फोन : +91-11- 24662777 ; फैक्स : +91-11-20815125

सीआईएन: U67190DL2006GOI144520

ईमेल: info@iifcl.org; वेबसाइट : www.iifcl.org

उपस्थिति फार्म

स्पष्ट अक्षरों में सदस्य का नाम	
फोलियो संख्या	
धारित शेयरों की संख्या	
प्रतिनिधि का नाम (यदि सदस्य के स्थान पर प्रतिनिधि उपस्थित होता है तो भरना अनिवार्य है)	

मैं, एतद्वारा शुक्रवार, दिनांक 28 सितंबर, 2018 को अपराह्न 03:30 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में आयोजित कंपनी की 13वीं वार्षिक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

सदस्य/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

टिप्पणियां :

1. उपस्थिति पर्ची पर कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार हस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसी पूर्ण और हस्ताक्षरित पर्ची/पर्चियों को बैठक स्थल पर कंपनी सचिव को सौंपा जाना चाहिए।
2. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया पहचान/सत्यापन के लिए फोटो पहचान पत्र साथ लाएं।
3. केवल व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित शेयरधारकों पर ही विचार किया जाएगा।
4. वार्षिक आम सभा में कोई उपहार वितरित नहीं किए जाएंगे।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

प्रपत्र संख्या एमजीटी 11

प्रतिनिधि प्रपत्र

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105(6) तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुपालन में,

सीआईएन : U67190DL2006GOI55420

कंपनी का नाम : इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 8वां तल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18 एवं 20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

सदस्य का नाम:	
पंजीकृत पता:	
ईमेल आई.डी.:	
फोलियो संख्या / क्लाइंड आईडी:	
डीपी आईडी:	

मैं/हम उपरोक्त कंपनी के _____ शेयरों का/के सदस्य होने के नाते,

1. नाम: _____
पता: _____
ई-मेल आई.डी.: _____
हस्ताक्षर: _____, अथवा के न आने पर

2. नाम: _____
पता: _____
ई-मेल आई.डी.: _____
हस्ताक्षर: _____, अथवा के न आने पर

1. नाम: _____
पता: _____
ई-मेल आई.डी.: _____
हस्ताक्षर: _____.

14वीं वार्षिक आम सभा, जिसका आयोजन शुक्रवार 27 सितंबर, 2019 को अपराह्न 3:30 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में किया जाएगा, मैं मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने, मेरी/हमारी ओर से मतदान करने के लिए अपना/हमारा प्रतिनिधि नियुक्त करता हूं/करते हैं और वह नीचे अंकित ऐसे प्रस्तावों के संबंध में किसी स्थगन पर मत दे सकते हैं :

प्रस्ताव संख्या,

1. _____
2. _____
3. _____

2016 के _____ माह के _____ दिन हस्ताक्षरित

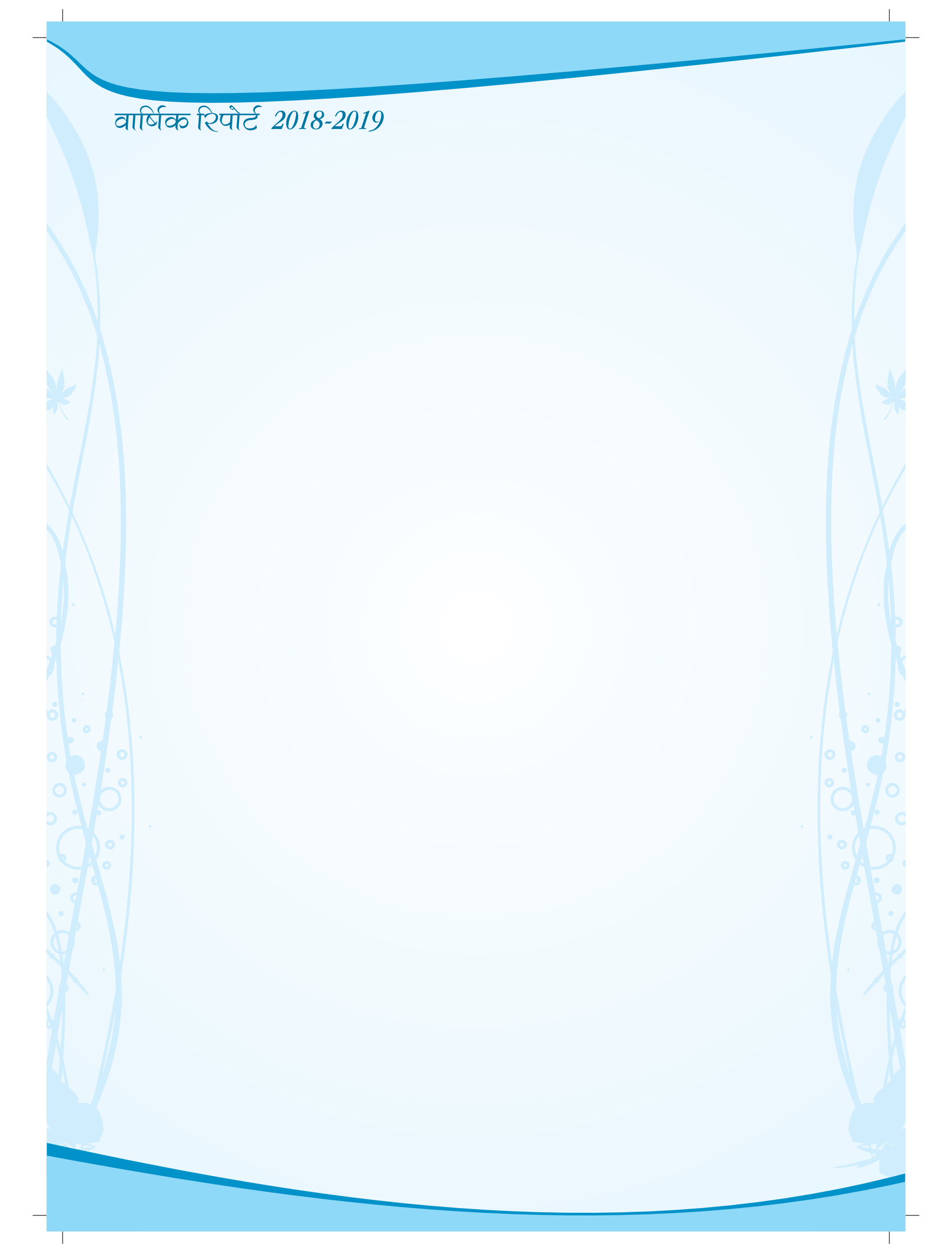
शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर

टिप्पणी : इस प्रतिनिधि पत्र को प्रभावी बनाने के लिए इसे विधिवत पूरा भर कर बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कर दिया जाना चाहिए।

Affix
Revenue
Stamp of ₹1

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019







इंडिया
इन्फ्रास्ट्रक्चर
फाइनेंस
कम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

पांचवां तल, ब्लॉक 2, प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110 023

फोन : 91-11- 24662777 फैक्स : +91-11-20815125

सीआईएन - U67190DL2006GO1144520 वेबसाइट : www.iifcl.org

हमारी सहायक कंपनियाँ



इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड

(आईआईएफसीएल के पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी)

एफसीआरएन: 06496661

तीसरी मंज़िल, 72 किंग विलियम स्ट्रीट

लंदन ईसी4एन7एचआर यूनाइटेड किंगडम

फोन: +44-20-77768950 / 76006564; फैक्स: +44-20-77768958

ई-मेल: info@iifc.org.uk वेबसाइट : www.iifc.org.uk



आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

(आईआईएफसीएल के पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी)

सीआईएन: U74999DL2012GOI231473

पंजीकृत कार्यालय: 5वां तल, प्लेट ए, एनबीसीसी टावर,

ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

फोन: +91-11-24665573

ई-मेल: contact@iifclprojects.com

वेबसाइट: www.iifclprojects.com



आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

(आईआईएफसीएल के पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी)

सीआईएन: U65991DL2012GOI233601

पंजीकृत कार्यालय: 5वां तल, प्लेट ए, एनबीसीसी टावर,

ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

फोन: +91-11-24665900-10

ई-मेल: complianceofficer@iifclmf.com

वेबसाइट: www.iifclmf.com